सत्यमेव जयते

# महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी
# २०१२-१३

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नियोजन विभाग,
महाराष्ट्र शासन, मुंबई

# महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी
# २०१२-१३

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,
नियोजन विभाग,महाराष्ट्र शासन, मुंबई

# प्रस्तावना

'महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी' हे प्रकाशन राज्य विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सादर करण्यासाठी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नियोजन विभाग दरवर्षी तयार करते. सदर प्रकाशन २०१२-१३ या वर्षासाठी तयार करण्यात आले असून मालिकेतील हा ५२ वा अंक आहे. या प्रकाशनात अर्थव्यवस्थेतील विविध सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रांच्या स्थितीबाबतची माहिती व संदर्भासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी निर्देशांक व स्थितीदर्शक कल देण्यात आले आहेत.

२. अद्ययावत माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नामुळे या प्रकाशनात समाविष्ट केलेली काही आकडेवारी / अंदाज अस्थायी स्वरुपातील आहेत.

३. केंद्र व राज्य शासनाचे संबंधित विभाग व उपक्रम यांनी उपयुक्त माहिती या संचालनालयास वेळेत उपलब्ध करून दिल्यामुळे हे प्रकाशन तयार करणे शक्य झाले, त्याबद्दल हे संचालनालय त्यांचे आभारी आहे.

शै. मु. अपराजित
अर्थ व सांख्यिकी संचालक,
महाराष्ट्र शासन

मुंबई

दिनांक : १९ मार्च, २०१३

# महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१२-१३

## अनुक्रमणिका


| | विषय | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|
| | **राज्याचा संक्षिप्त आढावा** | १ |
| अ. | **दृष्टीक्षेपात महाराष्ट्र** | ३ |
| ब. | **महाराष्ट्र आणि भारताची तुलनात्मक माहिती** | ६ |
| १. | **राज्य अर्थव्यवस्था** | ९ |
| २. | **लोकसंख्या** | १३ |
| ३. | **राज्य उत्पन्न** | २३ |
| ४. | **किंमती व सार्वजनिक वितरण व्यवस्था**<br>किंमती<br>सार्वजनिक वितरण व्यवस्था | ३७ |
| ५. | **लोकवित्त** | ५५ |
| ६. | **संस्थांद्वारे वित्त पुरवठा व भांडवली बाजार** | ७१ |
| ७. | **कृषि व संलग्न कार्ये**<br>कृषि<br>सिंचन<br>फलोत्पादन<br>पशुसंवर्धन<br>दुग्ध विकास<br>मत्स्यव्यवसाय<br>वने व सामाजिक वनीकरण | ८१ |
| ८. | **उद्योग आणि सहकार**<br>उद्योग<br>सहकार | १०९ |
| ९. | **पायाभूत सुविधा**<br>ऊर्जा<br>वाहतूक व दळणवळण | १३५ |
| १०. | **सामाजिक क्षेत्र**<br>शिक्षण<br>सार्वजनिक आरोग्य<br>महिला व बाल कल्याण<br>रोजगार व दारिद्र्य<br>गृहनिर्माण<br>पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता<br>पर्यावरण संवर्धन<br>सामाजिक न्याय | १६३ |
| ११. | **मानव विकास** | २२१ |
| | **व्याख्या सूची** | २२५ |
| क. | **भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक** | २३० |

# परिशिष्टे



| | विषय | पृष्ठ क्र. |
|---|---|---|
| **परि. २.१** | महाराष्ट्राची व भारताची गणनांवर आधारित लोकसंख्या | १५ |
| **परि. २.२** | महाराष्ट्राची गणनांवर आधारित ग्रामीण आणि नागरी लोकसंख्या | १५ |
| **परि. २.३** | २०११ च्या गणनेवर आधारित जिल्हानिहाय महत्त्वाचे लोकसंख्याविषयक निर्देशक | १६ |
| **परि. २.४** | जनगणना २०११ नुसार पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत | १७ |
| **परि. २.५** | जनगणना २०११ नुसार विजेचे स्त्रोत | १८ |
| **परि. २.६** | जनगणना २०११ नुसार विविध प्रकारचे शौचालयांची सुविधा व उपलब्धता | १९ |
| **परि. २.७** | जनगणना २०११ नुसार विविध प्रकारची स्नानगृह, सांडपाणी व स्वयंपाकघराची उपलब्धता व सुविधा | २० |
| **परि. २.८** | जनगणना २०११ नुसार कुटुंबांकडून स्वयंपाकासाठी वापरात आलेले विविध प्रकारचे इंधन | २१ |
| **परि. २.९** | जनगणना २०११ नुसार मालमत्ता असलेली कुटुंब | २२ |
| **परि. ३.१** | औद्योगिक स्त्रोतांनुसार स्थूल राज्य उत्पन्न - चालू किंमतीनुसार | २७ |
| **परि. ३.२** | औद्योगिक स्त्रोतांनुसार स्थूल राज्य उत्पन्न - स्थिर (२००४-०५) किंमतीनुसार | २८ |
| **परि. ३.३** | औद्योगिक स्त्रोतांनुसार निव्वळ राज्य उत्पन्न - चालू किंमतीनुसार | २९ |
| **परि. ३.४** | औद्योगिक स्त्रोतांनुसार निव्वळ राज्य उत्पन्न - स्थिर (२००४-०५) किंमतीनुसार | ३० |
| **परि. ३.५** | घटक खर्चावर आधारित देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न व राष्ट्रीय स्थूल उत्पन्न- चालू किंमतीनुसार | ३१ |
| **परि. ३.६** | घटक खर्चावर आधारित देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न व राष्ट्रीय स्थूल उत्पन्न- स्थिर (२००४-०५) किंमतीनुसार | ३२ |
| **परि. ३.७** | घटक खर्चावर आधारित देशांतर्गत निव्वळ उत्पन्न व राष्ट्रीय उत्पन्न - चालू किंमतीनुसार | ३३ |
| **परि. ३.८** | घटक खर्चावर आधारित देशांतर्गत निव्वळ उत्पन्न व राष्ट्रीय उत्पन्न - स्थिर (२००४-०५) किंमतीनुसार | ३४ |
| **परि. ३.९** | जिल्ह्यांतर्गत स्थूल/निव्वळ उत्पन्न आणि दरडोई जिल्हा उत्पन्न | ३५ |
| **परि. ४.१** | महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाकरिता ग्राहक किंमतींचे गटवार निर्देशांक | ४३ |
| **परि. ४.२** | महाराष्ट्रातील नागरी भागाकरिता ग्राहक किंमतींचे गटवार निर्देशांक | ४४ |
| **परि. ४.३** | महत्त्वाच्या राज्यांसाठी ग्राहक किंमती निर्देशांक | ४५ |
| **परि. ४.४** | महाराष्ट्र व अखिल भारतातील शेतमजुरांकरिता व ग्रामीण मजुरांकरिता ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक | ४६ |
| **परि. ४.५** | औद्योगिक कामगारांकरिता अखिल भारतीय ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक | ४७ |
| **परि. ४.६** | महाराष्ट्र राज्यातील निवडक केंद्रांमधील औद्योगिक कामगारांकरिता ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक | ४८ |
| **परि. ४.७** | महाराष्ट्र राज्यातील निवडक केंद्रांमधील औद्योगिक कामगारांकरिता ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक | ४९ |
| **परि. ४.८** | अखिल भारतीय घाऊक किंमतींचे निर्देशांक | ५० |
| **परि. ४.९** | महत्त्वाच्या किंमती निर्देशांकावर आधारित चलनवाढीचे दर | ५१ |
| **परि. ४.१०** | जिल्हावार शिधापत्रिकांची संख्या (१-१२-२०१२) | ५२ |
| **परि. ४.११** | महाराष्ट्रातील अधिकृत शिधावाटप / रास्त भाव दुकानांना देण्यात आलेला तांदुळ व गहू | ५३ |
| **परि. ४.१२** | भारत सरकारकडून महाराष्ट्र राज्याला मिळालेले नियतन | ५३ |
| **परि. ४.१३** | जिल्हावार गोदामांची संख्या, क्षमता, रास्त भाव दुकानांची संख्या (२०१२-१३) | ५४ |
| **परि. ५.१** | महाराष्ट्र शासन : दृष्टिक्षेपात अर्थसंकल्प | ६४ |
| **परि. ५.२** | महाराष्ट्र शासन अर्थसंकल्प : महसुली व भांडवली लेख्यांवरील जमेतील कल | ६५ |
| **परि. ५.३** | महाराष्ट्र शासन अर्थसंकल्प : महसुली व भांडवली लेख्यांवरील खर्चातील कल | ६६ |

| | विषय | पृष्ठ क्र. |
|---|---|---|
| **परि. ५.४** | महाराष्ट्र राज्यातील कृषि क्षेत्रावरील करांपासून महसुली जमा | ६७ |
| **परि. ५.५** | वर्षभरातील कर्जे व इतर दायित्वे | ६८ |
| **परि. ५.६** | शासनाच्या उपभोग्य बाबींवरील अंतिम खर्च व भांडवल निर्मितीवरील खर्च | ६९ |
| **परि. ५.७** | १३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार प्राप्त झालेली अनुदाने व खर्च | ७० |
| **परि. ६.१** | महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामीण, निमनागरी व नागरी / महानगर क्षेत्रातील सर्व अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या ठेवी व कर्जे | ७९ |
| **परि. ६.२** | जिल्हानिहाय वार्षिक कर्ज योजना (२०१२-१३) | ८० |
| **परि. ७.१** | राज्यातील मुख्य पिकांखालील क्षेत्र, पिक आणि दर हेक्टरी उत्पादन | ९९ |
| **परि. ७.२** | राज्यातील कृषि उत्पादनाचे पीकनिहाय निर्देशांक | १०२ |
| **परि. ७.३** | राज्यातील जमिनीच्या वापराची आकडेवारी | १०३ |
| **परि. ७.४** | कृषि गणनांनुसार राज्यातील एकूण वहिती खातेदार, वहितीचे एकूण क्षेत्र व सरासरी क्षेत्र | १०४ |
| **परि. ७.५** | राज्यातील सिंचनावरील क्षेत्र | १०६ |
| **परि. ७.६** | सिंचन व बिगर सिंचन पाणीपट्टी आकारणी, वसुली व थकबाकी | १०७ |
| **परि. ७.७** | महाराष्ट्र राज्यातील पशुधन आणि कोंबड्या व बदके | १०८ |
| **परि. ८.१** | महाराष्ट्र राज्यातील उद्योगांना वित्तीय संस्थांनी मंजूर केलेले व वितरित केलेले अर्थसहाय्य | १२७ |
| **परि. ८.२** | महाराष्ट्र राज्यातील खनिजांचे उत्पादन | १२८ |
| **परि. ८.३** | भारतातील औद्योगिक उत्पादनांचे निर्देशांक | १२९ |
| **परि. ८.४** | महाराष्ट्र राज्यातील उद्योगांच्या महत्त्वाच्या बाबी | १३० |
| **परि. ८.५** | महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी संस्थांची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये | १३२ |
| **परि. ९.१** | राज्यातील विजेचा पुरवठा व वापर | १५७ |
| **परि. ९.२** | खाजगीकरणांतर्गत पूर्ण झालेले जलविद्युत प्रकल्प | १५८ |
| **परि. ९.३** | महाराष्ट्र राज्यातील रस्त्यांची प्रकारांनुसार लांबी (सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदा यांच्या देखभालीखालील ) | १५९ |
| **परि. ९.४** | सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या व जिल्हा परिषदांच्या देखभालीखालील जिल्हानिहाय साध्य केलेली रूंदीनुसार रस्त्यांची लांबी | १६० |
| **परि. ९.५** | महाराष्ट्र राज्यातील वापरात असलेली मोटार वाहने | १६१ |
| **परि. १०.१** | राज्यनिहाय संयुक्त शिक्षणाचे विकास निर्देशांक सर्व शाळा : सर्व व्यवस्थापन | २०५ |
| **परि. १०.२** | राज्यातील वर्ष २०१२-१३ मधील आरोग्य विज्ञान महाविद्यालये/ संस्थांची संख्या व त्यातील प्रवेशित विद्यार्थी | २०६ |
| **परि. १०.३** | राज्यातील वर्ष २०१२-१३ मधील तंत्र, कला शिक्षणाची महाविद्यालये /संस्थांची संख्या, त्यांची प्रवेशक्षमता व प्रवेश दिलेले विद्यार्थी | २०७ |
| **परि. १०.४** | महाराष्ट्र राज्यातील उपलब्ध वैद्यकीय सुविधा (सार्वजनिक आणि शासन सहाय्यित) | २०९ |
| **परि. १०.५** | महाराष्ट्र राज्याचे नमुना नोंदणी पाहणीवर आधारित जन्मदर, मृत्युदर, अर्भकमृत्युदर व एकूण जननदर | २१० |
| **परि. १०.६** | काम करणाऱ्या लोकांची जनगणना २००१ अनुसार आर्थिक वर्गवारी | २११ |
| **परि. १०.७** | दृष्टिक्षेपात आर्थिक गणना १९९८ आणि २००५ | २१२ |
| **परि. १०.८** | प्रमुख उद्योग गटांनुसार आस्थापनांची आणि कामगारांची संख्या (आर्थिक गणना २००५) | २१३ |
| **परि. १०.९** | महाराष्ट्र राज्यातील विविध उद्योगांतील रोजगार | २१४ |
| **परि. १०.१०** | महाराष्ट्र राज्यातील चालू कारखाने व त्यांतील रोजगार | २१५ |

| | विषय | पृष्ठ क्र. |
|---|---|---|
| **परि. १०.११** | राज्यातील रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रांमध्ये नोंदणी झालेल्या व्यक्तींची संख्या, अधिसूचित केलेली रिक्त पदे व भरलेली पदे | २१६ |
| **परि. १०.१२** | रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रांच्या चालू नोंदवहीत ३१ डिसेंबर, २०१२ अखेर असलेल्या व्यक्तींची संख्या | २१७ |
| **परि. १०.१३** | महाराष्ट्र राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली घेण्यात आलेली प्रकारानुसार कामे व त्यावरील खर्च | २१८ |
| **परि. १०.१४** | महाराष्ट्र राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत रोजगार कार्यक्रमांची प्रगती | २१९ |
| **परि. १०.१५** | महाराष्ट्र राज्यातील औद्योगिक विवाद ** | २२० |

# राज्याचा संक्षिप्त आढावा

देशाचा पश्चिम व मध्य भाग व्यापलेल्या महाराष्ट्र राज्यास अरबी समुद्राचा ७२० कि.मी. लांबीचा विस्तीर्ण सागरी किनारा लाभला आहे. पश्चिमेकडील सह्याद्री पर्वताच्या रांगा राज्याचा प्राकृतिक कणा असून उत्तरेस असलेल्या सातपुडा पर्वताच्या रांगा व पूर्वेस असलेल्या भामरागड - चिरोली - गायखुरी या डोंगर रांगा राज्याच्या नैसर्गिक सीमा आहेत. राज्याचा वायव्येस गुजरात, उत्तरेस मध्य प्रदेश, पुर्वेस छत्तीसगढ, आग्नेयेस आंध्रप्रदेश, दक्षिणेस कर्नाटक व नैऋत्येस गोवा ही राज्ये आहेत.

राज्यात उष्ण कटिबंधीय मौसमी हवामान आहे. मार्च पासुन सुरु होणारा अंगाची लाहीकही करणारा उन्हाळा जुन च्या सुरवातीला पाउस घेउन येतो. पावसाळ्यातील हिरवळीत लपेटलेले उबदार वातावरण अन अल्हाददायी आक्टोबर जेव्हा हिवाळ्यात टिकुन राहतो. पश्चिम समुद्र तटावरुन येणा-या पावसाळी ढगांमुळे सह्याद्रीच्या डोंगर रांगांवर ४०० से.मी. पेक्षा जास्त पाउस पडतो. वातसंमुख कोकणात धुवाधार पाउस पडत असला तरी तो उत्तरेकडे सरकताना कमी होत जातो. सह्याद्रीच्या पुर्वेला पश्चिम पठारावरील काही प्रदेशात पाउस १७० से. मी. एवढा अत्यल्प पडतो. सोलापुर, अहमदनगर हे कोरडे जिल्हे केंद्रस्थानी असण-या मौसमाच्या शेवटी पूर्वेस विदर्भ मराठवाडयाकडे सरकताना पावसाचे प्रमाण काहीसे वाढते.

भौगोलिक क्षेत्र (३.०८ लक्ष चौ.कि.मी.) व लोकसंख्या या दोन्ही बाबतीत महाराष्ट्र हे देशात दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. राज्याची लोकसंख्या सुमारे ११.२४ कोटी (जनगणना २०११) असून ती देशातील एकूण लोकसंख्येच्या ९.३ टक्के आहे. राज्याचे मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण झाले असून ४५.२ टक्के लोकसंख्या नागरी भागात राहते.

राज्यात ३५ जिल्हे असून प्रशासकीय सुविधेसाठी ते कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर या सहा महसुली विभागात विभागले आहेत. जिल्हा स्तरावरील नियोजनासाठी राज्यात पूर्वापार काळापासून प्रभावी यंत्रणा कार्यरत आहेत. स्थानिक प्रशासनासाठी राज्याच्या ग्रामीण भागात ३३ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या व २७,९०६ ग्रामपंचायती आहेत, तर नागरी भागात २६ महानगरपालिका, २१९ नगरपरिषदा, ७ नगरपंचायती व ७ कटक मंडळे आहेत.

महाराष्ट्राची राजधानी असलेली मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून जवळजवळ सर्वच प्रमुख निगम व वित्तीय संस्था यांची मुख्यालये या शहरात आहेत. देशातील प्रमुख वायदे व भांडवली बाजार आणि विक्रेय वस्तू व्यापार केंद्रे मुंबईत आहेत.

चालू किंमतींनुसार २०११-१२ या वर्षाचे स्थूल राज्य उत्पन्न ₹ ११,९९,५४८ कोटी असून देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात राज्याचा सुमारे १४.४ टक्के हिस्सा आहे. गेल्या काही वर्षांपासून स्थूल राज्य उत्पन्न वेगाने वाढत आहे. राज्यातील औद्योगिक व सेवा या दोन्ही क्षेत्रांचा राज्य उत्पन्नात एकत्रित हिस्सा सुमारे ८७.१ टक्के आहे. कृषि व संलग्न कार्ये या क्षेत्राचा राज्य उत्पन्नातील हिस्सा १२.९ टक्के आहे.

राज्यातील २२६.१ लाख हेक्टर जमीन लागवडीखाली आहे व ५२.१ लाख हेक्टर जमीन वनांखाली आहे. सिंचनात वाढ व्हावी यासाठी अनेक सिंचन प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. बिगर सिंचन क्षेत्रात पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम गतीने राबविण्यासाठी जलसंधारण अभियानाची स्थापना करण्यात आली आहे.

पशुसंवर्धन हे कृषि क्षेत्राशी संबंधीत महत्वाचे क्षेत्र आहे. देशातील पशुधन व कुक्कुटपालन यामध्ये राज्याचा हिस्सा अनुक्रमे ७ व १० टक्के आहे.

महाराष्ट्र सर्वात जास्त औद्योगिकीकरण झालेले राज्य असुन भारतातील औद्योगिक क्षेत्रामध्ये राज्याने आपले आघाडीचे स्थान कायम राखले आहे. लघु उद्योगात हे राज्य अग्रेसर आहे. देशांतर्गत तसेच विदेशी संस्थांकडून औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यात राज्याने सातत्य राखले आहे. हे राज्य मोटार वाहने उत्पादनाचे तसेच माहिती तंत्रज्ञानाचे प्रमुख केंद्र बनले आहे. मोठ्या प्रमाणावर स्थापित होणारे विशेष निर्यातवृद्धी झोन हे राज्यासाठी अभिमानास्पद आहेत.

राज्याने प्राथमिक शिक्षणास महत्व दिल्यामुळे साक्षरता दरात सातत्याने सुधारणा होत आहे. जनगणना २०११ नुसार देशाचा साक्षरता दर ७४ टक्के होता, तर राज्याचा साक्षरता दर ८२.९ टक्के होता. राज्यात बारावी पर्यंतच्या मुलींना मोफत शिक्षण दिले जाते. राज्यात अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील उच्च शिक्षणाच्या उत्कृष्ट संस्था आहेत.

मानव विकास निर्देशांकाची प्रगती ही अनेक वेळा राज्याच्या मुख्य विकास निर्देशकाची प्रगती दर्शविते. भारताचा मानव विकास अहवाल २०११ नुसार देशाचा मानव विकास निर्देशांक ०.४६७ आहे व राज्याचा मानव विकास निर्देशांक ०.५७२ असून राज्याचा देशात पाचवा क्रमांक आहे.

राज्यात २.४३ लाख किलोमीटर लांबी असलेले (सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदेच्या देखभालीखालील) व सर्वदूर पसरलेले रस्त्यांचे जाळे आहे. राज्यातील ९९ टक्क्यांपेक्षा जास्त गावे बारमाही व हंगामी रस्त्यांनी जोडलेली आहेत. राज्यातील भूपृष्ठीय वाहतूक सुविधा उत्कृष्ट असून बंदरे व विमानतळांशी असणाऱ्या संपर्क व्यवस्थेमुळे राज्यात वाहतूक व्यवस्थेची चांगली सुविधा उपलब्ध झाली आहे. विजेची स्थापित क्षमता आणि निमिर्तीच्या बाबतीत देशात हे राज्य अग्रस्थानी आहे. या सर्व बाबींमुळे गुंतवणुकीसाठी हे जास्त पसंतीचे राज्य बनले आहे.

हे राज्य प्रशासकीय क्षमता आणि नवनवीन कल्पनांबाबत सुपरिचित आहे. महिला धोरण राबविणारे तसेच महिलांच्या विकासासाठी ‘महिला व बालकल्याण’ या स्वतंत्र विभागाची स्थापना करुन अर्थसंकल्पीय तरतूद करणारे हे पहिले राज्य आहे. 'रोजगार हमी योजना' राबविणारे हे आद्यप्रवर्तक राज्य असून केंद्र शासनाने ही योजना अंगिकारली आहे.

महाराष्ट्र राज्य हे केवळ भौगोलिक सीमांनी अधोरेखित केलेले राज्य नसून येथील जनतेने संघटितरित्या परिश्रमपूर्वक घडविलेले राज्य आहे. या राज्याची एकमेव मराठी संस्कृती विकसित होण्यास नैसर्गिक तसेच सांस्कृतिक विविधता सहाय्यभूत झाली आहे. या राज्यास स्वत:ची अध्यात्मिक बैठक असून हे राज्य 'संतांची भूमी' म्हणून ओळखले जाते. तत्कालीन संतांनी अध्यात्मिक सहभागाने राज्याच्या विविध भागात सांस्कृतिक पुनरूत्थानास हातभार लावला. महाराष्ट्राने भारताच्या सामाजिक व राजकीय जिवनात लक्षणीय भूमिका बजावली आहे. ब्रिटीशांच्या विरोधातील स्वातंत्र्य संग्रामात महाराष्ट्राचे कार्य उल्लेखनीय आहे व तद्नंतर देश घडविणा-या कार्यातही गुंतले होते. अजंठा, वेरूळ व घारापुरीची लेणी, गेट वे ऑफ इंडिया आणि वास्तुशास्त्राच्या वैशिष्ट्यपूर्ण वास्तु जसे विहार व चैत्य यामुळे जगभरातील पर्यटक राज्याकडे आकर्षित होतात. अविस्मरणीय स्मारकांबरोबरच विविध समुहातील लोकांची एकजूट व त्यांचा सांस्कृतिक वारसा यामुळे देशात राज्याने मानाचे स्थान प्राप्त केले आहे. मानव विकासास सहाय्यभूत ठरणाऱ्या प्रत्येक क्षेत्रात कार्य करणारी व्यक्तिमत्वे राज्यात उदयास आली आहेत. क्रीडा, कला, साहित्य व सामाजिक सेवा यामध्ये राज्याचे भरीव योगदान आहे. 'बॉलीवूड' नावाने जगप्रसिध्द असलेला चित्रपट उद्योग राज्यात आहे.

महाराष्ट्र हे या सर्व वैशिष्ट्यांमुळे सर्वोत्तम राज्य बनले आहे.

* * * * *

# अ. दृष्टिक्षेपात महाराष्ट्र

| बाब (१) | | १९६०-६१ (२) | १९७०-७१ (३) | १९८०-८१ (४) | १९९०-९१ (५) | २०००-०१ (६) | २०१०-११ (७) | २०११-१२* (८) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १. | **भौगोलिक क्षेत्र** - (हजार चौ.कि.मी.) | ३०६ | ३०८ | ३०८ | ३०८ | ३०८ | ३०८ | ३०८ |
| २. | **प्रशासकीय रचना -** | | | | | | | |
| | महसूली विभाग | ४ | ४ | ६ | ६ | ६ | ६ | ६ |
| | जिल्हे | २६ | २६ | २८ | ३१ | ३५ | ३५ | ३५ |
| | तहसील | २२९ | २३५ | ३०१ | ३०३ | ३५३ | ३५५ | ३५५ |
| | वस्ती असलेली गावे | ३५,८५१ | ३५,७७८ | ३९,३५४ | ४०,४१२ | ४१,०९५ | } ४३,६६३ | } ४३,६६३ |
| | वस्ती नसलेली गावे | ३,०१६ | २,८८३ | २,४७९ | २,६१३ | २,६१६ | | |
| | शहरे # | २६६ | २८९ | ३०७ | ३३६ | ३७८ | ५३५ | ५३५ |
| ३. | **जनगणनेनुसार लोकसंख्या** - (हजारात) | (१९६१) | (१९७१) | (१९८१) | (१९९१) | (२००१) | (२०११) | (२०११) |
| | एकूण | ३९,५५४ | ५०,४१२ | ६२,७८४ | ७८,९३७ | ९६,८७९ | १,१२,३७३ | १,१२,३७३ |
| | पुरुष | २०,४२९ | २६,११६ | ३२,४१५ | ४०,८२६ | ५०,४०१ | ५८,३६१ | ५८,३६१ |
| | स्त्रिया | १९,१२५ | २४,२९६ | ३०,३६९ | ३८,१११ | ४६,४७८ | ५४,०१२ | ५४,०१२ |
| | ग्रामीण | २८,३९१ | ३४,७०१ | ४०,७९१ | ४८,३९५ | ५५,७७८ | ६१,५४५ | ६१,५४५ |
| | नागरी | ११,१६३ | १५,७११ | २१,९९३ | ३०,५४२ | ४१,१०१ | ५०,८२८ | ५०,८२८ |
| | अनुसूचित जाती | २,२२७ | ३,१७७ | ४,४८० | ८,७५८ | ९,८८२ | - | - |
| | अनुसूचित जमाती | २,३९७ | ३,८४१ | ५,७७२ | ७,३१८ | ८,५७७ | - | - |
| | लोकसंख्या घनता (प्रती चौ.कि.मी.) | १२९ | १६४ | २०४ | २५७ | ३१५ | ३६५ | ३६५ |
| | साक्षरता प्रमाण (टक्के) | ३५.१ | ४५.८ | ५७.१ | ६४.९ | ७६.९ | ८२.९ | ८२.९ |
| | स्त्री-पुरुष प्रमाण (स्त्रिया प्रति हजार पुरुष) | ९३६ | ९३० | ९३७ | ९३४ | ९२२ | ९२५ | ९२५ |
| | नागरी लोकसंख्येचे प्रमाण (टक्के) | २८.२२ | ३१.१७ | ३५.०३ | ३८.६९ | ४२.४३ | ४५.२ | ४५.२ |
| ४. | **राज्य उत्पन्न** - (चालू किंमतीनुसार) (२००४-०५ च्या मालिकेप्रमाणे) | | | | | | | |
| | राज्य उत्पन्न (₹ कोटी) | २,२४९ | ५,७८० | १९,३७७ | ६८,८६१ | २,४३,५८४ | ९,३४,३७६++ | १०,८२,७५१+ |
| | कृषि व संलग्न कार्ये क्षेत्र (₹ कोटी) | ५८५ | १,०७८ | ३,७५६ | १२,३२६ | ३२,७११ | १,१९,७४७++ | १,३९,८८८+ |
| | उद्योग क्षेत्र (₹ कोटी) | ५५३ | १,७३२ | ६,२२४ | २२,५५४ | ६४,९४२ | २,४७,१५०++ | २,८०,३५२+ |
| | सेवा क्षेत्र (₹ कोटी) | १,१११ | २,९६९ | ९,३९७ | ३३,९८१ | १,४५,९३१ | ५,६७,४८०++ | ६,६२,५११+ |
| | दरडोई राज्य उत्पन्न (₹) | ५७६ | १,१६८ | ३,११२ | ८,८११ | २८,५४० | ८३,३९५++ | ९५,३३९+ |
| ५. | **कृषि** - (क्षेत्र हजार हेक्टरमध्ये ) | | | | | | | |
| | निव्वळ पेरणी क्षेत्र | १७,८७८ | १७,६६८ | १८,२९९ | १८,५६५ | १७,८४४ | १७,४०६ | उ. ना. |
| | पिकांखालील स्थूल क्षेत्र | १८,८२३ | १८,७३७ | १९,६४२ | २१,८५९ | २१,६१९ | २३,१७५ | उ. ना. |
| | स्थूल सिंचित क्षेत्र | १,२२० | १,५७० | २,४१५ | ३,३१९ | ३,८५२ | @ | @ |
| | *त्यापैकी* लाभ क्षेत्र^ | २२६$ | ४२२ | ७१८ | १,०७६$$ | १,७६४## | २,९५५## | ३,२५२## |
| | स्थूल सिंचित क्षेत्राचे पिकांखालील एकूण स्थूल क्षेत्राशी प्रमाण (टक्के) | ६.५ | ८.४ | १२.३ | १५.२ | १७.८ | उ. ना. | उ. ना. |
| ६. | **प्रमुख पिकांखालील क्षेत्र - (हजार हेक्टरमध्ये)** | | | | | | | |
| | तांदूळ | १,३०० | १,३५२ | १,४५९ | १,५९७ | १,५१२ | १,५१८ | १,५४४ |
| | गहू | ९०७ | ८१२ | १,०६३ | ८६७ | ७५४ | १,३०७ | ८७८ |
| | ज्वारी | ६,२८४ | ५,७०३ | ६,४६९ | ६,३०० | ५,०९४ | ४,०६० | ३,२२९ |
| | बाजरी | १,६३५ | २,०३९ | १,५३४ | १,९४० | १,८०० | १,०३५ | ८३८ |
| | सर्व तृणधान्ये | १०,६०६ | १०,३२० | ११,९७६ | ११,१३६ | ९,८२४ | ८,९९० | ७,५६४ |
| | सर्व कडधान्ये | २,३४९ | २,५६६ | २,७१५ | ३,२५७ | ३,५५७ | ४,०३८ | ३,२९७ |
| | सर्व अन्नधान्ये | १२,९५५ | १२,८८६ | १३,६९१ | १४,३९३ | १३,३८२ | १३,०२६ | १०,८६० |

* अस्थायी + पहिले सुधारित अंदाज ++ दुसरे सुधारित अंदाज # गणना शहरांसह उ. ना. - उपलब्ध नाही

@ सिंचन क्षमता व सिंचित क्षेत्र याचे अनुमान काढण्यासाठी डिसेंबर,२०१२ मध्ये विशेष तपास पथकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही आकडेवारी या समितीच्या अहवालाच्या शिफारशींच्या स्विकृतीनंतर उपलब्ध होईल. $ १९६१-६२ $$ १९९१-९२

## प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील कालव्यावरील, उपसा व धरणातून नदी नाल्यामध्ये सोडलेल्या तसेच लाभक्षेत्रातील विहिरीव्दारे प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र.

^ जलसंपदा विभागाकडून निर्मित लाभक्षेत्र

# अ. दृष्टिक्षेपात महाराष्ट्र

| | बाब | १९६०-६१ | १९७०-७१ | १९८०-८१ | १९९०-९१ | २०००-०१ | २०१०-११ | २०११-१२* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
| | ऊस क्षेत्र | १५५ | २०४ | ३१९ | ५३६ | ६८७ | उ. ना. | उ. ना. |
| | ऊस तोडणी क्षेत्र | १५५ | १६७ | २५८ | ४४२ | ५९५ | ९६५ | १,०२२ |
| | कापूस | २,५०० | २,७५० | २,५५० | २,७२१ | ३,०७७ | ३,९४२ | ४,१६७ |
| | भुईमूग | १,०८३ | ९०४ | ६९५ | ८६४ | ४९० | ३५७ | ३०२ |
| **७.** | **प्रमुख पिकांचे उत्पादन -** | | | | | | | |
| | (हजार टनात) | | | | | | | |
| | तांदूळ | १,३६९ | १,६६२ | २,३१५ | २,३४४ | १,९३० | २,६९६ | २,८४० |
| | गहू | ४०१ | ४४० | ८८६ | ९०९ | ९४८ | २,३०१ | १,४९९ |
| | ज्वारी | ४,२२४ | १,५५७ | ४,४०९ | ५,९२९ | ३,९८८ | ३,४५२ | २,६२७ |
| | बाजरी | ४८९ | ८२४ | ६९७ | १,११५ | १,०८७ | १,१२३ | ८२३ |
| | सर्व तृणधान्ये | ६,७५५ | ४,७३७ | ८,६४७ | १०,७४० | ८,४९७ | १२,३२३ | १०,४१८ |
| | सर्व कडधान्ये | ९८९ | ६७७ | ८२५ | १,४४१ | १,६३७ | ३,०९६ | २,३१० |
| | सर्व अन्नधान्ये | ७,७४४ | ५,४१४ | ९,४७२ | १२,१८१ | १०,१३४ | १५,४१९ | १२,७२८ |
| | ऊस | १०,४०४ | १४,४३३ | २३,७०६ | ३८,१५४ | ४९,५६९ | ८५,६९१ | ८९,४५६ |
| | कापूस (रुई) # | १,६७३ | ४८४ | १,२२४ | १,८७५ | १,८०३ | ७,४७३ | ६,८२० |
| | भुईमूग | ८०० | ५८६ | ४५१ | ९७९ | ४७० | ४५८ | ३५१ |
| **८.** | **कृषि उत्पादनाचा निर्देशांक @ -** | - | - | - | १३६.५ | १२७.४ | २२३.८ | २०९.१३ |
| **९.** | **कृषि गणना -** | | (१९७०-७१) | (१९८०-८१) | (१९९०-९१) | (२०००-०१) | (२००५-०६) | (२०१०-११) |
| | वहित खातेदारांची संख्या (हजारात) | - | ४,९५१ | ६,८६३ | ९,४७० | १२,१३८ | १३,७१६ | १३,६९९ |
| | वहित क्षेत्र (हजार हेक्टर्समध्ये) | - | २१,१७९ | २१,३६२ | २०,९२५ | २०,१०३ | २०,००५ | १९,७६७ |
| | वहितीचे सरासरी क्षेत्र (हेक्टर) | - | ४.२८ | ३.११ | २.२१ | १.६६ | १.४६ | १.४४ |
| **१०.** | **पशुधन गणना -** | (१९६१) | (१९६६) | (१९७८) | (१९८७) | (१९९७) | (२००७) | (२००७) |
| | एकूण पशुधन (हजारात) | २६,०४८ | २५,४४१ | २९,६४२ | ३४,२५५ | ३९,६३८ | ३५,९५५* | ३५,९५५* |
| | एकूण कोंबड्या-बदके (हजारात) | १०,५७७ | ९,९०२ | १८,७९१ | २४,८३९ | ३५,३९२ | ६४,७५६* | ६४,७५६* |
| | | | | | | | (२००३) | (२००३) |
| | ट्रॅक्टर | १,४२७ | ३,२७४ | १२,९१७ | ३४,५२९ | ७९,८९३ | १,०५,६११ | १,०५,६११ |
| **११.** | **वन क्षेत्र** (चौ.कि.मी.) | ६३,५४४ | ६२,३११ | ६४,२२२ | ६३,७९८ | ६१,९३५ | ६१,९३९ | ६१,३५८ |
| **१२.** | **औद्योगिक गुंतवणूक -** | | | | | | (२०११-१२)$ | (२०१२-१३)$ |
| | मंजूर प्रकल्प (संख्या) | - | - | - | - | - | १७,१६७ | १७,७७९ |
| | गुंतवणूक (₹ कोटी) | - | - | - | - | - | ८,६९,८४० | ९,५०,९७२ |
| | रोजगार (हजारात) | - | - | - | - | - | ४,३२७ | ४,४३९ |
| **१३.** | **वीज -** (दशलक्ष कि.वॅ.तास) | | | | | | | |
| | एकूण निर्मिती | ३,२६८ | ७,९२५ | १७,८६४ | ३६,४३० | ६१,२०९ | ८३,०१७ | ८९,४६५ |
| | एकूण वापर | २,७२० | ७,६५० | १४,०३४ | २९,९७१ | ४७,२८९ | ८७,३९६ | ९६,६४४ |
| | औद्योगिक वापर | १,८५३ | ५,३१२ | ८,१३० | १४,७०६ | १८,३६३ | ३४,४१६ | ३६,४८६ |
| | कृषि वापर | १५ | ३५६ | १,७२३ | ६,६०४ | ९,९४० | १६,२५७ | २१,६९३ |
| | घरगुती वापर | २६० | ७३२ | १,७७९ | ५,०६५ | ११,१७२ | १९,५४७ | २१,०४१ |

उ. ना. - उपलब्ध नाही    * अस्थायी    # कापसाचे उत्पादन १७० कि.ग्रॅ. ची एक गासडी याप्रमाणे हजार गासड्यांमध्ये

@ पाया - त्रैवार्षिक सरासरी १९७९-८२ = १००    $ ऑगस्ट, १९९१ ते सप्टेंबर

# दृष्टिक्षेपात महाराष्ट्र

| बाब | १९६०-६१ | १९७०-७१ | १९८०-८१ | १९९०-९१ | २०००-०१ | २०१०-११ | २०११-१२* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
| **१४. बँका - (अनुसूचित वाणिज्यिक)** | | (जून,१९७१) | (जून, १९८१) | (जून, १९९१) | (जून, २००१) | (जून, २०१०) | (जून, २०११) |
| बँक कार्यालये | उ.ना. | १,४७१ | ३,६२७ | ५,५९१ | ६,२९४ | ८,०३७ | ८,५१५ |
| | | | | (मार्च, १९९१) | (मार्च, २००१) | | |
| ग्रामिण लोकसंख्येसाठी बँक कार्यालये | उ.ना. | ४५० | १,३५५ | २,७४९ | २,२९४ | २,१७० | २,२३१ |
| **१५. शिक्षण -** | | | | | | | (२०११-१२)+ |
| प्राथमिक शाळा | ३४,५९४ | ४४,५३५ | ५१,०४५ | ५७,७४४ | ६५,९६० | ७५,६९५ | १,००,०८४ |
| विद्यार्थी (हजारात) | ४,१७८ | ६,५३९ | ८,३९२ | १०,४२४ | ११,८५७ | १०,६२६ | १६,१८५ |
| माध्यमिक शाळा (उच्च माध्यमिकांसह) | २,४६८ | ५,३१३ | ६,११९ | १०,५१९ | १५,३८९ | २१,३५७ | २१,८८४ |
| विद्यार्थी (हजारात) | ८५८ | १,९८५ | ३,३०९ | ६,२६० | ९,२६७ | १०,७११ | ५,६२८ |
| **१६. आरोग्य -** | | (१९७१) | (१९८१) | (१९९१) | (२००१) | (२०११) | (२०१२) |
| रुग्णालये | उ.ना. | २९९ | ५३० | ७६८ | १,१०२ | १,३६८ | १,३९३ |
| दवाखाने | उ.ना. | १,३७२ | १,७७६ | १,८९६ | १,५४४ | ३,०१२ | ३,०८७ |
| दर लाख लोकसंख्येमागे खाटा | उ.ना. | ८८ | ११४ | १४४ | १०६ | १०३ | १०६ |
| | | | | | | | (२०११) |
| जन्मदर @ | ३४.७ | ३२.२ | २८.५ | २६.२ | २०.७ | १६.७ | १६.७ |
| मृत्युदर @ | १३.८ | १२.३ | ९.६ | ८.२ | ७.५ | ६.३ | ६.३ |
| अर्भक मृत्युदर @ | ८६ | १०५ | ७९ | ६० | ४५ | २५ | २५ |
| **१७. वाहतूक -** | | | | | | | |
| रेल्वे मार्गाची लांबी (किलोमीटर) | ५,०५६ | ५,२२६ | ५,२३३ | ५,४३४ | ५,४५९ | ५,९८४ | ५,९८४ |
| एकूण रस्त्यांची लांबी (किलोमीटर) † | ३९,२४१ | ६५,३६४ | १,४१,१३१ | १,७२,९६५ | २,१६,९६८ | २,४१,७१२ | २,४२,९१९ |
| त्यापैकी पृष्ठांकित | २४,८५२ | ३५,८५३ | ६६,६१६ | १,३२,०४८ | १,७८,९९९ | २,२१,१८२ | २,२३,१०२ |
| मोटार वाहने (हजारात) | १०० | ३१२ | ८०५ | २,६४१ | ६,६०७ | १६,९९० | १८,९१९ |
| **१८. सहकार -** | | | | | | | |
| प्राथमिक कृषि पतसंस्था | २१,४०० | २०,४२० | १८,५७७ | १९,५६५ | २०,५५१ | २१,४५१ | २१,४४३ |
| सभासद (लाखात) | २२ | ३८ | ५४ | ७९ | १०१ | १५० | १५४ |
| सहकारी संस्थांची एकूण संख्या | ३१,५६५ | ४२,५९७ | ६०,७४७ | १,०४,६२० | १,५८,०१६ | २,२४,३०६ | २,२७,९३८ |
| एकूण सभासद (लाखात) | ४२ | ८६ | १४८ | २६९ | ४३० | ५३० | ५२५ |
| सहकारी संस्थांचे एकूण खेळते भांडवल (₹ कोटी) | २९१ | १,४८९ | ५,२१० | २४,२८४ | १,३४,४४० | २,४८,४३४ | २,४८,८२५ |
| **१९. स्थानिक स्वराज्य संस्था -** | | | | | | | (२०१२-१३) $ |
| जिल्हा परिषदा | २५ | २५ | २५ | २९ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ग्रामपंचायती | २१,६३६ | २२,३०० | २४,२८१ | २५,८२७ | २७,७३५ | २७,९१३ | २७,९०६ |
| पंचायत समित्या | २९५ | २९६ | २९६ | २९८ | ३२१ | ३५१ | ३५१ |
| नगर परिषदा | २१९ | २२१ | २२० | २२८ | २२८ | २२२ | २१९ |
| महानगरपालिका | ३ | ४ | ५ | ११ | १५ | २३ | २६ |
| नगर पंचायत | - | - | - | - | ३ | ४ | ७ |
| कटक मंडळे | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ |

* अस्थायी    @ नमुना नोंदणी पाहणी    उ. ना. - उपलब्ध नाही

† सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदांच्या देखभालीखालील रस्ते    $ राज्य निवडणूक आयोगाच्या अहवालानुसार

+ वर्ष २०११-१२ पासून सदर माहितीचा आधार बदलला असल्यामुळे सदर माहिती प्राथमिक शाळा (१ ते ८) व माध्यमिक शाळा (उच्च माध्यमिकसह) (९ ते १२) या स्वरुपात प्राप्त झाली असून पूर्वीची माहिती प्राथमिक शाळा (१ ते ७) व माध्यमिक शाळा (उच्च माध्यमिकसह) (८ ते १२) या स्वरुपात आहे. तसेच सदर माहितीचा आधार डीआयएसई आहे.

# ब. महाराष्ट्र आणि भारताची तुलनात्मक माहिती

| बाब<br>(१) | परिमाण<br>(२) | महाराष्ट्र<br>(३) | भारत<br>(४) | भारताशी तुलना (टक्केवारी)<br>(५) |
|---|---|---|---|---|
| **१. लोकसंख्या (२०११)** | | | | |
| १.१ एकूण लोकसंख्या | हजारात | १,१२,३७३ | १२,१०,१९३ | ९.३ |
| (अ) पुरुष | -"- | ५८,३६१ | ६,२३,७२४ | ९.४ |
| (ब) स्त्रिया | -"- | ५४,०१२ | ५,८६,४६९ | ९.२ |
| १.२ (अ) ग्रामीण लोकसंख्या | हजारात | ६१,५४५ | ८,३३,०८८ | ७.४ |
| (ब) ग्रामीण लोकसंख्येची एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी | टक्के | ५४.७ | ६८.८ | ... |
| १.३ (अ) नागरी लोकसंख्या | हजारात | ५०,८२८ | ३,७७,१०६ | १३.५ |
| (ब) नागरी लोकसंख्येची एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी | टक्के | ४५.२ | ३१.२ | ... |
| १.४ स्त्री-पुरुष प्रमाण | दर हजार पुरुषांमागे स्त्रियांची संख्या | ९२५ | ९४० | ... |
| १.५ लोकसंख्येतील शेकडा वाढ (२००१-२०११) | टक्के | १६.० | १७.६ | ... |
| १.६ साक्षरता प्रमाण | -"- | ८२.९ | ७४.० | ... |
| १.७ अनुसूचित जाती व जमातींची लोकसंख्या (२००१) | हजारात | १८,४५९ | २,५०,९६२ | ७.४ |
| १.८ एकूण काम करणारे (२००१) | -"- | ४१,१७३ | ४,०२,२३५ | १०.२ |
| १.९ भौगोलिक क्षेत्र (२०११) | लाख चौ.कि.मी. | ३.०८ | ३२.९ | ९.४ |
| **२. कृषि (२००९-१०)*** | | | | |
| २.१ निव्वळ पेरणी क्षेत्र | हजार हेक्टर | १७,४०१ | १,४०,०२२ | १२.४ |
| २.२ पिकांखालील स्थूल क्षेत्र | -"- | २२,६१२ | १,९२,१९७ | ११.८ |
| २.३ स्थूल सिंचित क्षेत्र | -"- | ४,०५० | ८६,४२३ | ४.७ |
| २.४ स्थूल सिंचित क्षेत्राची एकूण पिकांखालील स्थूल क्षेत्राशी टक्केवारी | टक्के | १७.९ | ४५.० | ... |
| २.५ प्रमुख पिकांखालील क्षेत्र (२००७-०८ ते २००९-१० या वर्षाची सरासरी) | | | | |
| (१) तांदूळ | हजार हेक्टर | १,५२३ | ४३,७९० | ३.५ |
| (२) गहू | -"- | १,११९ | २८,०८३ | ४.० |
| (३) ज्वारी | -"- | ४,१३२ | ७,६९४ | ५३.७ |
| (४) बाजरी | -"- | १,०६१ | ९,०७६ | ११.७ |
| (५) एकूण तृणधान्ये | -"- | ८,७२९ | ९९,७४१ | ८.८ |
| (६) एकूण अन्नधान्ये (तृणधान्ये व कडधान्ये) | -"- | १२,२३६ | १,२२,७४५ | १०.० |
| (७) ऊस क्षेत्र | -"- | उ.ना. | उ.ना. | ... |
| तोडणी क्षेत्र | -"- | ८७२ | ४,५४८ | १९.२ |
| (८) कापूस | -"- | ३,२४४ | ९,६५१ | ३३.६ |
| (९) भूईमूग | -"- | ३५३ | ५,९७८ | ५.९ |

* अस्थायी उ.ना. उपलब्ध नाही

# महाराष्ट्र आणि भारताची तुलनात्मक माहिती

| बाब (१) | परिमाण (२) | महाराष्ट्र (३) | भारत (४) | भारताशी तुलना (टक्केवारी) (५) |
|---|---|---|---|---|
| **३. पशुधन गणना** | | | | |
| ३.१ एकूण पशुधन (२००७) | हजारात | ३५,९५५ | ५,२९,६९८ | ६.८ |
| ३.२ व्हील ट्रॅक्टर्स (२००३) | -"- | १०६ | २,३६१ | ४.५ |
| ३.३ सिंचनाकरिता वापरलेली डिझेल इंजिने व इलेक्ट्रीक पंप (२००३) | -"- | १,१७४ | १५,६८४ | ७.५ |
| **४. वने** | | | | |
| ४.१ एकूण वन क्षेत्र (२०११) * | चौ.कि.मी. | ६१,३५८ | ६,९२,०२७ | ८.९ |
| **५. उद्योग** | | | | |
| ५.१ औद्योगिक गुंतवणूक $ | | | | |
| (अ) मंजूर प्रकल्प | संख्या | १७,७७९ | ९९,१४७ | १७.९ |
| (ब) प्रस्तावित गुंतवणूक | ₹ कोटी | ९,५०,९७२ | ९८,८६,४८४ | ९.६ |
| (क) रोजगार | हजारात | ४,४३९ | २२,४४७ | १९.८ |
| ५.२ विदेशी थेट गुंतवणूक $$ | | | | |
| (अ) मंजूर प्रकल्प | संख्या | ४,२४६ | २०,६४३ | २०.६ |
| (ब) प्रस्तावित गुंतवणूक | ₹ कोटी | ९७,७९९ | ४,२५,८११ | २२.९ |
| **६. वीज (२०१०-११)** | | | | |
| ६.१ एकूण निर्मिती | दशलक्ष कि. वॅ. तास | ८३,०१७ | ८,४४,७४८* | ९.८ |
| ६.२ एकूण वापर | -"- | ८७,३९६ | ६,१६,९७४* | १४.२ |
| ६.३ (अ) औद्योगिक वापर | -"- | ३४,४१६ | २,२५,०२४* | १५.३ |
| (ब) औद्योगिक वापराची एकूण वापराशी टक्केवारी | टक्के | ३९.४ | ३६.५* | ... |
| **७. बँका** (अनुसूचित वाणिज्यिक) (मार्च, २०१२) | | | | |
| ७.१ बँक कार्यालये | संख्या | ९,०५३ | ९६,०५९ | ९.४ |
| ७.२ बँक कार्यालये असलेली शहरे व गावे | -"- | २,५४३ | ३६,३९१ | ७.० |
| **८. राज्य / राष्ट्रीय उत्पन्न (२०११-१२)** + | | | | |
| ८.१ चालू किंमतीनुसार उत्पन्न | ₹ कोटी | १०,८२,७५१ | ७३,९९,९३४ | १४.६ |
| ८.२ चालू किंमतीनुसार दरडोई उत्पन्न | ₹ | ९५,३३९ | ६१,५६४ | ... |
| ८.३ घटक उत्पादन मूल्यानुसार स्थूल राज्य उत्पन्न / देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न | ₹ कोटी | ११,९९,५४८ | ८३,५३,४९५ | १४.४ |
| ८.४ दरडोई स्थूल राज्य उत्पन्न / देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न | ₹ | १,०५,६२३ | ६९,४९७ | ... |

* अस्थायी $ ऑगस्ट, १९९१ ते सप्टेबर,२०१२ $$ ऑगस्ट, १९९१ ते मार्च ,२०१२ + पहिले सुधारित अंदाज

# १

# राज्य अर्थव्यवस्था

# १. राज्य अर्थव्यवस्था

## राज्य उत्पन्न

१.१ पूर्वानुमानानुसार २०१२-१३ मध्ये स्थिर (२००४-०५) किंमतीनुसार स्थूल राज्य उत्पन्नात ७.१ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. कृषि क्षेत्राच्या (-) १.४ टक्के वाढीच्या परिणामस्वरूपी कृषि व संलग्न क्षेत्रातील वाढ (-) २.१ टक्के इतकी राहिल. उद्योग क्षेत्रात ७.० टक्क्यांची वाढ, तर सेवाक्षेत्रात ८.५ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे.

१.२ पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार २०११-१२ मधील स्थिर (२००४-०५) किंमतीनुसार स्थूल राज्य उत्पन्न ७.१ टक्क्यांनी वाढून ₹ ७,८७,४२६ कोटी झाले जे मागील वर्षी ₹ ७,३५,२१२ कोटी होते. चालू किंमतीनुसार २०११-१२ मधील स्थूल राज्य उत्पन्न ₹ ११,९९,५४८ कोटी असून ते गतवर्षीपेक्षा १५.९ टक्क्यांनी अधिक आहे.

१.३ पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार २०११-१२ मध्ये निव्वळ राज्य उत्पन्न ₹ १०,८२,७५१ कोटी होते तर दरडोई निव्वळ राज्य उत्पन्न ₹ ९५,३३९ इतके होणे अपेक्षित आहे.

## किंमती

१.४ एप्रिल ते डिसेंबर, २०१२ मध्ये राज्यातील ग्रामीण व नागरी भागाचा सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांक गतवर्षीच्या तत्सम कालावधीच्या तुलनेत अनुक्रमे ९.७ टक्क्यांनी व ९.६ टक्क्यांनी वाढला.

१.५ अखिल भारतीय घाऊक किंमती निर्देशांकावर आधारित वर्ष ते वर्ष चलनवाढीचा दर एप्रिल, २०१२ मधील ७.५ टक्क्यांवरुन घसरुन जानेवारी, २०१३ मध्ये ६.६ टक्के झाला जो मागील तीन वर्षातील सर्वात कमी दर होता. 'खाद्य पदार्थ' उपगटाच्या चलनवाढीच्या दरात घट होऊन तो एप्रिल, २०१२ मधील १०.९ टक्क्यांवरुन ऑक्टोबर, २०१२ मध्ये ६.७ टक्के झाला. त्यात नंतर वाढ होऊन तो जानेवारी, २०१३ मध्ये ११.९ टक्के इतका झाला.

## लोकवित्त

१.६ राज्य शासनाची २०१२-१३ मधील (अर्थसंकल्पीय अंदाज) अपेक्षित महसुली जमा ₹ १,३६,७१२ कोटी तर २०११-१२ मध्ये (सुधारीत अंदाज) ₹ १,२५,३१३ कोटी होती. कर महसूल आणि करेतर महसूल अनुक्रमे ₹ १,०९,०२३ कोटी आणि ₹ २७,६८९ कोटी अपेक्षित आहे. एप्रिल ते डिसेंबर, २०१२ या कालावधीत प्रत्यक्ष महसुली जमा ₹ ९६,४०५ कोटी (अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ७०.५ टक्के) होती.

१.७ तेराव्या वित्त आयोगाने राज्याला विशिष्ट कारणांसाठी सहाय्यक अनुदाने देण्याची शिफारस केली आहे. सहाय्यक अनुदानापोटी २०१२-१३ मध्ये ₹ ३,५५४ कोटी मिळणे अपेक्षित असून त्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरिता दिलेले सर्वसाधारण मूलभूत अनुदान ₹ १,०९५ कोटी व सर्वसाधारण कार्यात्मक अनुदान ₹ ७५१ कोटी यांचा समावेश आहे.

१.८ राज्य शासनाचा २०१२-१३ मधील (अर्थसंकल्पीय अंदाज) महसुली खर्च ₹ १,३६,५५९ कोटी अपेक्षित आहे तर तो २०११-१२ मध्ये (सुधारीत अंदाज) ₹ १,२७,३७२ कोटी इतका होता.

१.९ वर्ष २०१२-१३ मधील अंदाजित महसुली अधिक्य ₹ १५३ कोटी असून वित्तीय तूट ₹ २३,०६६ कोटी आहे. वर्ष २०१२-१३ च्या अखेर ऋणभार ₹ २,५३,०८५ कोटी इतके होणे अपेक्षित आहे.

१.१० वर्ष २०१२-१३ मध्ये वित्तीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण १.७ टक्के तसेच ऋणभाराचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण १८.४ टक्के आहे जे तेराव्या वित्त आयोगाने ठरवून दिलेल्या एकत्रित वित्तीय सुधारणांच्या मर्यादेत आहे.

## संस्थांद्वारे वित्तपुरवठा

१.११ मार्च, २०१२ च्या अखेरीस बँकांतील एकूण ठेवी ₹ १५.९४ लाख कोटी, एकूण कर्ज ₹ १३.८८ लाख कोटी आणि कर्जाचे ठेवीशी असलेले प्रमाण ८७.१ टक्के होते.

१.१२ ३१ मार्च, २०१२ रोजी ८.२७ लाख स्व-सहाय्यता गटांच्या ठेवी ₹ ७२४ कोटी होत्या तर २.१५ लाख स्व-सहाय्यता गटांचे ₹ १,१६४ कोटी कर्ज बाकी होते. २०११-१२ मध्ये ०.६८ लाख स्व-सहाय्यता गटांना ₹ ६०२ कोटी कर्ज वाटप करण्यात आले.

१.१३ वित्तीय समावेशा अंतर्गत जानेवारी, २०१३ अखेरपर्यंत बँक नसलेल्या ६,०६९ गावांमध्ये बँक सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या. मार्च, २०१२ पर्यंत २२.५३ लाख 'नो फ्रिल' खाती उघडण्यात आली.

## कृषि व संलग्न कार्ये

१.१४ वर्ष २०१२ मध्ये राज्यात सरासरीच्या ९०.३ टक्के इतका पाऊस पडला. राज्यातील एकूण ३५५ तालुक्यांपैकी ३० तालुक्यात सरासरीपेक्षा अधिक, १८९ तालुक्यात सरासरी एवढा तर १३६ तालुक्यात अपुरा पाऊस पडला.

१.१५ पश्चिम महाराष्ट्र तसेच औरंगाबाद व नाशिक विभागातील काही भागात कमी तीव्रतेच्या व अपु-या मोसमी पावसामुळे खरीप पीकांच्या पेरण्या उशीरा झाल्या. कमी ओलावा आणि सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात पडलेल्या अनियमित पावसामुळे रबी पिकांच्या क्षेत्रात घट झाली असून परिणामी चालू वर्षात अन्नधान्याच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट होण्याची शक्यता आहे.

१.१६ अन्नधान्याच्या उत्पादनात २०१२-१३ मध्ये १८ टक्के घट अपेक्षित असून ते गत वर्षातील १२७.३० लाख मे. टन उत्पादनाच्या तुलनेत १०४.३९ लाख मे. टन होणे अपेक्षित आहे. तथापि, तेलबिया आणि कापूस यांचे उत्पादन अनुक्रमे १५ टक्के व दोन टक्क्यांनी वाढणे अपेक्षित आहे. उसाच्या उत्पादनात ३३ टक्के घट अपेक्षित आहे.

१.१७ वर्ष २०११-१२ मध्ये शेतीच्या हंगामी कामांसाठी ₹ १७,१०९ कोटी कर्ज वाटप करण्यात आले असून त्यापैकी ₹ ७,६५० कोटी प्राथमिक कृषि पत संस्थांद्वारे, ₹ ८,६७१ कोटी वाणिज्यिक बँकांद्वारे आणि ₹ ७८८ कोटी प्रादेशिक ग्रामीण बँकांद्वारे मंजूर करण्यात आले.

१.१८ शासकीय व सहकारी दुग्धसंस्थांद्वारे नोव्हेंबर, २०१२ पर्यंत दैनिक सरासरी दूध संकलन ३९.२२ लाख लिटर होते, तर २०११-१२ मध्ये ते ३८.५७ लाख लिटर होते. वर्ष २०११-१२ मध्ये दुधाचे एकूण उत्पादन ८४.६९ लाख मे. टन होते.

१.१९ सागरी व गोड्या पाण्यातील अंदाजित मत्स्य उत्पादन डिसेंबर, २०१२ अखेर अनुक्रमे ३.१५ लाख मे. टन व १.१० लाख मे. टन होते, तर २०११-१२ मध्ये ते अनुक्रमे ४.३४ लाख मे. टन व १.४५ लाख मे. टन होते.

## उद्योग

१.२० ऑगस्ट, १९९१ ते मार्च, २०१२ या कालावधीत राज्यात ₹ ९७,७९९ कोटी थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या ४,२४६ प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. त्यापैकी, ४५ टक्के प्रकल्प पूर्ण झाले असून १० टक्के प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे व त्यातील गुंतवणूक अनुक्रमे ५१ टक्के व आठ टक्के आहे.

## सहकार

१.२१ ३१ मार्च, २०१२ रोजी सुमारे ५२५ लाख सभासद असलेल्या २.२८ लाख सहकारी संस्था कार्यरत होत्या. त्यापैकी, नऊ टक्के कृषि पतपुरवठा, १० टक्के बिगर-कृषि पतपुरवठा तर ८१ टक्के पणन, उत्पादन, उपसा जलसिंचन, विद्युत पुरवठा, पाणी पुरवठा, वाहतूक, सामाजिक क्षेत्र, इत्यादींमध्ये कार्यरत होत्या.

## ऊर्जा

१.२२ विजेची स्थापित क्षमता ३१ डिसेंबर, २०१२ रोजी २२,७९८ मेगावॅट होती. डिसेंबर, २०१२ अखेर ६७,६६३ दशलक्ष युनिटस् इतकी वीज निर्मिती झाली, जी मागील वर्षीच्या तत्सम कालावधी पेक्षा थोडी अधिक होती. औष्णिक वीज निर्मिती २०११-१२ मध्ये १२.७ टक्क्यांनी तर अक्षय ऊर्जा निर्मिती १५.८ टक्क्यांनी वाढली तर नैसर्गिक वायुजन्य वीज निर्मिती ८.१ टक्क्यांनी कमी झाली. महापारेषण कंपनीची पारेषण हानी ४.२ टक्के होती. महावितरण कंपनीची वितरण हानी १६ टक्के तर एकत्रित तांत्रिक व व्यावसायिक (एटी अँड सी) हानी १८.४ टक्के होती.

## परिवहन

१.२३ ३१ मार्च, २०१२ अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदेच्या देखभालीखालील रस्त्यांची लांबी (स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या देखभालीअंतर्गत रस्त्यांची लांबी वगळून) २.४३ लाख कि.मी. इतकी होती. सुमारे ९९ टक्के गावे बारमाही वा हंगामी रस्त्यांनी जोडलेली होती तर २९१ गावे कोणत्याही रस्त्यांनी जोडलेली नव्हती.

## सामाजिक क्षेत्र

१.२४ जनगणना २०११ नुसार, राज्याची एकूण लोकसंख्या ११.२४ कोटी असून स्त्रियांचे प्रमाण ४८.० टक्के आहे. नागरी भागातील लोकसंख्येचे प्रमाण ४५.२ टक्के आहे. लोकसंख्येची दशवार्षिक वाढ जवळपास १६ टक्के आहे.

१.२५ वर्ष २०११ मधील जन्म दर, अर्भक मृत्युदर व मृत्युदर हे अनुक्रमे १६.७, २५ व ६.३ होते, तर २०१० मध्ये हेच दर अनुक्रमे १७.१, २८ व ६.५ होते. २००७-२००९ या कालावधीत माता मृत्यू प्रमाण १०४ होते.

१.२६ सन २०१२-१३ मध्ये प्रत्येकी १०० प्रवेशक्षमता असलेली ४३ कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालये (निवासी) कार्यरत होती.

१.२७ मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत सन २०११-१२ मध्ये १.२० कोटी विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आला.

१.२८ इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत २०११-१२ मध्ये १,५३,१८५ घरे बांधण्यात आली. शहरी गरिबांकरिता मूलभूत सेवा आणि एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमांतर्गत डिसेंबर, २०१२ पर्यंत अनुक्रमे ५४,४७९ व १८,७५८ सदनिका बांधण्यात आल्या.

१.२९ पुरक पोषण आहार कार्यक्रमांतर्गत २०११-१२ मध्ये ग्रामीण (आदिवासीसह) व नागरी भागातील लाभार्थ्यांची संख्या अनुक्रमे ६१.८२ लाख आणि १२.७८ लाख होती.

१.३० ३१ मार्च, २०१२ रोजी एलपीजी संच बसविण्यात आलेल्या वाहनांची संख्या १.२२ लाख तर सीएनजी संच बसविण्यात आलेल्या वाहनांची संख्या ३.०२ लाख होती.

१.३१ भारत मानव विकास अहवाल-२०११, नुसार भारतात राज्याचे स्थान पाचवे असून, त्याआधी अनुक्रमे केरळ, दिल्ली, गोवा व पंजाब या राज्यांचा क्रम लागतो.

* * * * *

# २

# लोकसंख्या

# २. लोकसंख्या

२.१ भारताच्या महानिबंधकांच्यामार्फत भारतामध्ये लोकसंख्येची गणना घेण्यात येते. जनगणना २०११ ही अलिकडील गणना असून भारतातील १५ वी जनगणना आहे. लोकसंख्येची गणना व वर्गीकरण याशिवाय साक्षरता, निवासस्थान, सोयी-सुविधा व मालमत्ता इत्यादि जनसांख्यिकीय गुणवैशिष्ट्यांबाबतही जनगणनेद्वारे माहिती उपलब्ध होते.

## लोकसंख्या

२.२ महाराष्ट्र हे उत्तर प्रदेशनंतर लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसरे मोठे राज्य आहे. राज्याची २०११ ची लोकसंख्या ११.२४ कोटी असून ती भारतातील एकूण लोकसंख्येच्या (१२१.०२ कोटी) ९.३ टक्के आहे. महाराष्ट्र व भारताच्या लोकसंख्येचे काही महत्त्वाचे निर्देशक तक्ता २.१ मध्ये दिले असून समयसारणी परिशिष्ट २.१ मध्ये दिली आहे. महाराष्ट्राच्या निवडक निर्देशकांची समयसारणी परिशिष्ट २.२ मध्ये दिली असून जिल्हानिहाय लोकसंख्येचे निवडक निर्देशक परिशिष्ट २.३ मध्ये दिले आहेत.

**तक्ता २.१ लोकसंख्येचे महत्त्वाचे निर्देशक**

| बाबी | | महाराष्ट्र | | भारत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | २००१ | २०११ | २००१ | २०११ |
| लोकसंख्या (लाखात) | | | | | |
| एकूण | व्यक्ती | ९६९ | १,१२४ | १०,२८७ | १२,१०२ |
| | पुरुष | ५०४ | ५८४ | ५,३२२ | ६,२३७ |
| | स्त्रिया | ४६५ | ५४० | ४,९६५ | ५,८६५ |
| ग्रामीण | व्यक्ती | ५५८ | ६१५ | ७,४२५ | ८,३३१ |
| | पुरुष | २८५ | ३१६ | ३,८१६ | ४,२७९ |
| | स्त्रिया | २७३ | २९९ | ३,६०९ | ४,०५२ |
| नागरी | व्यक्ती | ४११ | ५०९ | २,८६२ | ३,७७१ |
| | पुरुष | २१९ | २६८ | १,५०६ | १,९५८ |
| | स्त्रिया | १९२ | २४१ | १,३५६ | १,८१३ |
| लोकसंख्या (वय ० ते ६ वर्ष) (लाखात) | | | | | |
| एकूण | व्यक्ती | १३७ | १२८ | १,६३८ | १,५८७ |
| | पुरुष | ७२ | ६८ | ८५० | ८२९ |
| | स्त्रिया | ६५ | ६० | ७८८ | ७५८ |
| दशवार्षिक वृद्धीदर (टक्के) | | २२.७ | १६.० | २१.५ | १७.६ |
| नागरी लोकसंख्या (टक्के) | | ४२.४ | ४५.२ | २७.८ | ३१.२ |
| स्त्री-पुरुष प्रमाण (स्त्रिया प्रति '००० पुरुष ) | | ९२२ | ९२५ | ९३३ | ९४० |
| बालकांमधील स्त्री-पुरुष प्रमाण (वय ० ते ६ वर्ष) | | ९१३ | ८८३ | ९२७ | ९१४ |
| लोकसंख्येची घनता (प्रति चौ. कि.मी.) | | ३१५ | ३६५ | ३२५ | ३८२ |
| साक्षरता दर (वय ७ वर्षे व त्यावरील) (टक्के) | | ७६.९ | ८२.९ | ६४.८ | ७४.० |

आधार : भारताचे महानिबंधक

**आलेख २.१ : स्त्री-पुरुष प्रमाण २०११**

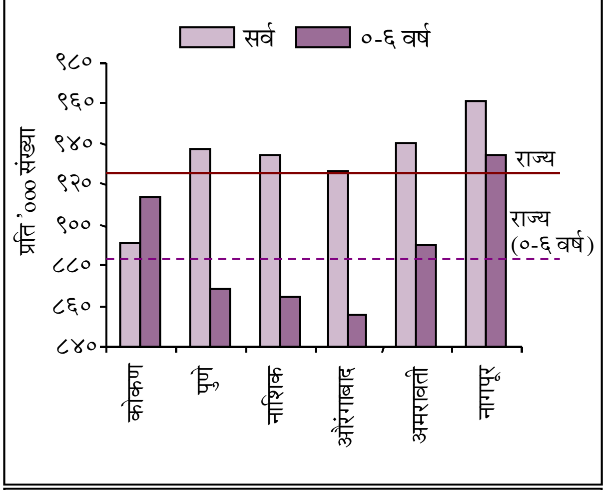


**आलेख २.२ : साक्षरता दर २०११**

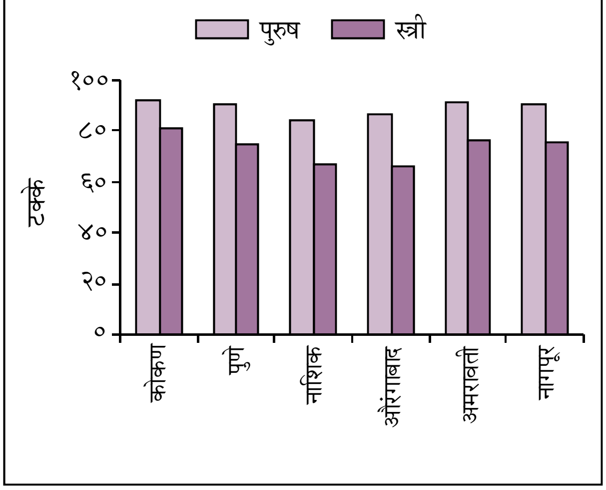


## गणना घरे व कुटुंबे

२.३ राज्यात ३.३६ कोटी गणना घरे होती त्यापैकी २.९८ कोटी घरे वापरात होती. रिकाम्या गणना घरांचे प्रमाण ११.३ टक्के होते. गणना घरांच्या एकूण संख्येपैकी ५२.२ टक्के घरे ग्रामीण व ४७.८ टक्के घरे नागरी भागात होती. वापरात असलेल्या एकूण गणना घरांपैकी ७७.८ टक्के फक्त निवासाकरिता, १.८ टक्के निवासी तसेच अनिवासी उपयोगासाठी आणि उर्वरित २०.४ टक्के गणना घरे केवळ अनिवासी उपयोगासाठी (दुकाने/कार्यालये, शाळा, रुग्णालये, कारखाना/कार्यशाळा इ.) वापरात होती.

२.४ **घरांची स्थिती :** एकूण कुटुंबांपैकी, ९२.६ टक्के कुटुंबे काँक्रीट, स्टीलचे पत्रे, कौले किंवा विटांनी बनविलेले छत असलेल्या घरात राहात होती. सुमारे ७१.४ टक्के कुटुंबे काँक्रीट, विटा, दगड किंवा स्टीलचे पत्रे यांच्या भिंती असलेल्या घरात राहात होती. राज्यातील ३६.१ टक्के कुटुंबे मातीची जमीन असलेल्या घरात राहात होती. सुमारे ३६.८ टक्के कुटुंबांनी जमिनीसाठी मोझाईक टाईल्सचा वापर केल्याचे आढळून आले.

२.५ **पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधेची उपलब्धता :** पिण्याच्या पाण्याचा राज्यातील प्रमुख स्रोत नळाचे पाणी (६७.९ टक्के) असून विहीर (१४.४ टक्के), हात पंप (९.९ टक्के) व कूप नलिका (५.७ टक्के) हे पिण्याच्या पाण्याचे इतर स्रोत होते. पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्रोत नळ असणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण नागरी भागात ८९.१ टक्के व ग्रामीण भागात ५०.२ टक्के होते. पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्त्रोत नळ असणाऱ्या कुटुंबांचे सर्वात कमी प्रमाण गोंदिया (१७.५ टक्के) व गडचिरोली (१९.५ टक्के) जिल्ह्यात आढळले.

२.६ **प्रकाशाचा स्रोत :** राज्यातील ८३.९ टक्के कुटुंबांचा वीज हा प्रकाशाचा मुख्य स्रोत होता. घासलेट हा प्रकाशाचा दुसरा मुख्य स्रोत होता परंतु घासलेटचा वापर करणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण केवळ १४.५ टक्के आढळले.विजेचा वापर करणारी कुटुंबे नागरी भागात ९६.२ टक्के व ग्रामीण भागात ७३.८ टक्के होती. विजेचा वापर करणाऱ्या कुटुंबांचे सर्वात कमी प्रमाण नंदूरबार (५८.३ टक्के) व गडचिरोली (५९.२ टक्के) या जिल्ह्यात आढळले.

२.७ **शौचालय सुविधा :** राज्यातील सुमारे ४६.९ टक्के कुटुंबांकडे त्यांच्या राहत्या जागेत शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नव्हती (६२.० टक्के ग्रामीण व २८.७ टक्के नागरी). सुमारे ३४.० टक्के कुटुंबांना उघड्यावर शौचास जावे लागत होते तर १२.९ टक्के कुटुंबे सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करीत होती. राहत्या जागेत शौचालयाची सुविधा असणाऱ्या कुटुंबांचे सर्वात जास्त प्रमाण सिंधुदुर्ग (७५.९ टक्के) तर सर्वात कमी प्रमाण बीड (२५.१ टक्के) या जिल्ह्यात होते.

२.८ **स्नानगृहाची उपलब्धता :** सुमारे ६४.३ टक्के कुटुंबांकडे बंदिस्त स्नानगृह होते व १४.६ टक्के कुटुंबांना उघड्या जागेचा वापर करावा लागत होता. नागरी भागात ८६.० टक्के कुटुंबांच्या राहत्या घरात स्नानगृह उपलब्ध होते तर ग्रामीण भागात हे प्रमाण ४६.२ टक्के होते. सुमारे ४.६ टक्के नागरी आणि २२.९ टक्के ग्रामीण कुटुंबांकडे कोणत्याही प्रकारच्या स्नानगृहाची उपलब्धता नव्हती.

२.९ **सांडपाण्याची सुविधा :** सुमारे ३२.५ टक्के कुटुंबांकडे कोणत्याही प्रकारची सांडपाण्याची व्यवस्था नव्हती (५२.२ टक्के ग्रामीण व ८.८ टक्के नागरी). सांडपाण्यासाठी उघडी गटारे असणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण ग्रामीण भागात ३९.१ टक्के व नागरी भागात २८.४ टक्के होते.

२.१० **स्वयंपाकघर व स्वयंपाकाचे इंधन :** राज्यात सुमारे ७२.७ टक्के कुटुंबांकडे त्यांच्या राहत्या जागेत स्वयंपाकघर होते. स्वयंपाकाचे मुख्य इंधन एलपीजी (४३.४ टक्के) व जळाऊ लाकूड (४२.६ टक्के) हे होते. एलपीजी चा वापर करणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण नागरी भागात ७४.१ टक्के व ग्रामीण भागात १७.९ टक्के होते. जळाऊ लाकडाचा वापर स्वयंपाकासाठी करणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण ग्रामीण भागात ६८.९ टक्के व नागरी भागात १०.८ टक्के होते.

२.११ **कुटुंबांची मालमत्ता :** दूरचित्रवाणी संच असलेल्या कुटुंबांचे राज्यातील प्रमाण ५६.८ टक्के होते. इंटरनेट सुविधेसह व इंटरनेट सुविधेविना संगणक/लॅपटॉप असलेल्या कुटुंबांचे प्रमाण अनुक्रमे ५.८ टक्के व ७.५ टक्के होते. सुमारे ६९.१ टक्के कुटुंबांकडे दूरध्वनी/भ्रमणध्वनी होते. राज्यामध्ये स्वयंचलित दुचाकी असणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण २४.९ टक्के तर चार चाकी वाहन असणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण ५.९ टक्के होते.

२.१४ सर्वसाधारण सुविधा व मालमत्ता उपलब्ध असणाऱ्या कुटुंबांची जिल्हानिहाय माहिती परिशिष्ट २.४ ते परिशिष्ट २.९ मध्ये देण्यात आली आहे.

## आधार

२.१३ आधार कार्यक्रम राबविण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय राज्यातील प्रमुख संस्था म्हणून कार्यरत आहे. या कार्यक्रमावर वर्ष २०११-१२ मध्ये ₹ ५८.२१ कोटी तर वर्ष २०१२-१३ मध्ये १४ फेब्रुवारीपर्यंत ₹ ४३.९६ कोटी खर्च झाले आहेत. १४ फेब्रुवारी, २०१३ पर्यंत ५.२ कोटी व्यक्तींची नोंदणी झाली असून ४.०४ कोटी आधार ओळखपत्रे तयार करण्यात आली आहेत. आधार ओळखपत्रे तयार करण्यामध्ये राज्याने देशात प्रथम क्रमांक राखला आहे.

* * * * *

## परिशिष्ट २.१
## महाराष्ट्राची व भारताची गणनांवर आधारित लोकसंख्या

| वर्ष | | एकूण लोकसंख्या (कोटी) | | दशवर्षीय वाढीची टक्केवारी | | साक्षरतेची टक्केवारी ££ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | महाराष्ट्र | भारत | महाराष्ट्र | भारत | महाराष्ट्र | भारत |
| (१) | | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) |
| १९६१ | ... | ३.९६ | ४३.९२ | २३.६० | २१.५१ | ३५.१ | २८.३ |
| १९७१ | ... | ५.०४ | ५४.८२ | २७.४५ | २४.८० | ४५.८ | ३४.५ |
| १९८१ | ... | ६.२८ | ६८.५२ | २४.५४ | २५.०० | ५७.२ | ४३.७ § |
| १९९१ | ... | ७.८९ | ८४.६३ £ | २५.७३ | २३.८५ £ | ६४.९ | ५२.२@@ |
| २००१ | ... | ९.६९ | १०२.८६ | २२.७३ | २१.५४ | ७६.९ | ६४.८ |
| २०११ | ... | ११.२४ | १२१.०२ | १५.९९ | १७.६४ | ८२.९ | ७४.० |

आधार - भारताचे महानिबंधक

£ जम्मू व काश्मीरची प्रक्षेपित केलेली लोकसंख्या धरुन

££ १९६१ व १९७१ ची साक्षरतेची टक्केवारी ५ वर्षे व त्यापेक्षा अधिक वयाच्या लोकसंख्येसाठी आहे. १९८१, १९९१, २००१ व २०११ ची साक्षरतेची टक्केवारी ७ वर्षे व त्यापेक्षा अधिक वयाच्या लोकसंख्येसाठी आहे.

§ १९८१ च्या साक्षरतेची टक्केवारी आसाम आणि जम्मू व काश्मीर वगळून

@@ १९९१ च्या साक्षरतेची टक्केवारी जम्मू व काश्मीर वगळून

## परिशिष्ट २.२
## महाराष्ट्राची गणनांवर आधारित ग्रामीण आणि नागरी लोकसंख्या

| वर्ष | लोकसंख्या (कोटी) | | | | | नागरी लोकसंख्येची एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी | स्त्री-पुरुष प्रमाण | | | प्रति चौ.कि.मी घनता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ग्रामीण | नागरी | एकूण | पुरुष | स्त्रिया | | एकूण | ग्रामीण | नागरी | |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) |
| १९६१ | २.८४ | १.१२ | ३.९६ | २.०४ | १.९१ | २८.२२ | ९३६ | ९९५ | ८०१ | १२९ |
| १९७१ | ३.४७ | १.५७ | ५.०४ | २.६१ | २.४३ | ३१.१७ | ९३० | ९८५ | ८२० | १६४ |
| १९८१ | ४.०८ | २.२० | ६.२८ | ३.२४ | ३.०४ | ३५.०३ | ९३७ | ९६७ | ८५० | २०४ |
| १९९१ | ४.८४ | ३.०५ | ७.८९ | ४.०८ | ३.८१ | ३८.६९ | ९३४ | ९७२ | ८७५ | २५७ |
| २००१ | ५.५८ | ४.११ | ९.६९ | ५.०४ | ४.६५ | ४२.४३ | ९२२ | ९६० | ८७३ | ३१५ |
| २०११ | ६.१५ | ५.०९ | ११.२४ | ५.८४ | ५.४० | ४५.२३ | ९२५ | ९४८ | ८९९ | ३६५ |

आधार - भारताचे महानिबंधक

टीप - आकडे संक्षिप्तात दिल्याने बेरजा जुळतीलच असे नाही.

## परिशिष्ट २.३
## जनगणना २०११ नुसार आधारित जिल्हानिहाय महत्त्वाचे लोकसंख्याविषयक निर्देशक

| अनु. क्र. | जिल्हा | एकूण कुटुंबे (हजारात) | महिला प्रमुख असलेली कुटुंबे (हजारात) | एकूण लोकसंख्या (हजारात) | साक्षरता दर | दशवार्षिक वृद्धिदर (%) (२००१-२०११) | प्रति चौ.कि.मी. घनता | स्त्री - पुरुष प्रमाण | बालकांचे स्त्री-पुरुष प्रमाण (० -६ वयोगट) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) |
| १ | मुंबई शहर | ६३८ | १०७ | ३,१४६ | ८८.४८ | (-) ५.७५ | २०,०३८ | ८३८ | ८७४ |
| २ | मुंबई उपनगर | २,०२८ | २५४ | ९,३३२ | ९०.९० | ८.०१ | २०,९२५ | ८५७ | ९१० |
| ३ | ठाणे | २,४३१ | २२१ | ११,०५४ | ८६.१८ | ३५.९४ | १,१५७ | ८८० | ९१८ |
| ४ | रायगड | ५९७ | ७३ | २,६३५ | ८३.८९ | १९.३६ | ३६८ | ९५५ | ९२४ |
| ५ | रत्नागिरी | ३९३ | १०० | १,६१३ | ८२.४३ | (-) ४.९६ | १९६ | १,१२३ | ९४० |
| ६ | सिंधुदुर्ग | २०५ | ४५ | ८४९ | ८६.५४ | (-) २.३० | १६३ | १,०३७ | ९१० |
| ७ | नाशिक | १,१८० | १०४ | ६,१०९ | ८०.९६ | २२.३३ | ३९३ | ९३१ | ८८२ |
| ८ | धुळे | ४०९ | ४३ | २,०४९ | ७४.६१ | १९.९६ | २८५ | ९४१ | ८७६ |
| ९ | नंदुरबार | ३२० | २७ | १,६४६ | ६३.०४ | २५.५० | २७६ | ९७२ | ९३२ |
| १० | जळगाव | ८९२ | ९४ | ४,२२४ | ७९.७३ | १४.७१ | ३५९ | ९२२ | ८२९ |
| ११ | अहमदनगर | ९०२ | ८१ | ४,५४३ | ८०.२२ | १२.४३ | २६६ | ९३४ | ८३९ |
| १२ | पुणे | २,०७७ | १९९ | ९,४२७ | ८७.१९ | ३०.३४ | ६०३ | ९१० | ८७३ |
| १३ | सातारा | ६४० | ९० | ३,००४ | ८४.२० | ६.९४ | २८७ | ९८६ | ८८१ |
| १४ | सांगली | ५८५ | ७४ | २,८२१ | ८२.६२ | ९.१८ | ३२९ | ९६४ | ८६२ |
| १५ | सोलापूर | ८५९ | ९३ | ४,३१६ | ७७.७२ | १२.१० | २९० | ९३२ | ८७२ |
| १६ | कोल्हापूर | ८२१ | १०३ | ३,८७४ | ८२.९० | ९.९६ | ५०४ | ९५३ | ८४५ |
| १७ | औरंगाबाद | ७३७ | ५५ | ३,६९६ | ८०.४० | २७.३३ | ३६५ | ९१७ | ८४८ |
| १८ | जालना | ३८८ | २९ | १,९५८ | ७३.६१ | २१.८४ | २५५ | ९२९ | ८४७ |
| १९ | परभणी | ३६० | २४ | १,८३६ | ७५.२२ | २०.१८ | २९५ | ९४० | ८६६ |
| २० | हिंगोली | २२७ | १६ | १,१७९ | ७६.०४ | १९.४३ | २४४ | ९३५ | ८६८ |
| २१ | बीड | ५४५ | ३६ | २,५८६ | ७३.५३ | १९.६५ | २४२ | ९१२ | ८०१ |
| २२ | नांदेड | ६५६ | ४७ | ३,३५७ | ७६.९४ | १६.७० | ३१९ | ९३७ | ८९७ |
| २३ | उस्मानाबाद | ३४९ | ३१ | १,६६० | ७६.३३ | ११.६९ | २१९ | ९२० | ८५३ |
| २४ | लातूर | ४७४ | ३३ | २,४५६ | ७९.०३ | १८.०४ | ३४३ | ९२४ | ८७२ |
| २५ | बुलढाणा | ५५३ | ४७ | २,५८८ | ८२.०९ | १५.९३ | २६८ | ९२८ | ८४२ |
| २६ | अकोला | ३९१ | ३६ | १,८१९ | ८७.५५ | ११.६० | ३२१ | ९४२ | ९०० |
| २७ | वाशिम | २५८ | २२ | १,१९७ | ८१.७० | १७.२३ | २४४ | ९२६ | ८५९ |
| २८ | अमरावती | ६३७ | ६३ | २,८८८ | ८८.२३ | १०.७७ | २३७ | ९४७ | ९२७ |
| २९ | यवतमाळ | ६४० | ६५ | २,७७५ | ८०.७० | १२.९० | २०४ | ९४७ | ९१५ |
| ३० | वर्धा | ३०३ | ३२ | १,२९६ | ८७.२२ | ४.८० | २०५ | ९४६ | ९१६ |
| ३१ | नागपूर | ९९६ | ११२ | ४,६५३ | ८९.५२ | १४.३९ | ४७० | ९४८ | ९२६ |
| ३२ | भंडारा | २७६ | ३६ | १,१९९ | ८५.१४ | ५.५२ | २९३ | ९८४ | ९३९ |
| ३३ | गोंदिया | २८९ | ३३ | १,३२२ | ८५.४१ | १०.१३ | २५३ | ९९६ | ९४४ |
| ३४ | चंद्रपूर | ५३० | ५८ | २,१९४ | ८१.३५ | ५.९५ | १९२ | ९५९ | ९४५ |
| ३५ | गडचिरोली | २४६ | २७ | १,०७२ | ७०.५५ | १०.४६ | ७४ | ९७५ | ९५६ |
| **महाराष्ट्र राज्य** | | **२३,८३१** | **२,५१३** | **१,१२,३७३** | **८२.९१** | **१५.९९** | **३६५** | **९२५** | **८८३** |

*आधार* - भारताचे महानिबंधक

टीप - आकडे संक्षिप्तात दिल्याने बेरजा जुळतीलच असे नाही.

*महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी* २०१२-१३

## परिशिष्ट २.४

## जनगणना २०११ नुसार पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत

| | | स्त्रोतांनुसार कुटुंबांची टक्केवारी | | | | | | | | पिण्याच्या पाण्याची उपलब्ध्ता | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अनु. क्र. | जिल्हा | नळाचे पाणी | विहीर | हातपंप | कूपनलिका | झरा | नदी, कालवा | टाकी, तळे, तलाव | इतर स्त्रोत | निवासात | निवासाजवळ | निवासापासून लांब |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) |
| १ | मुंबई शहर | ९७.८ | ०.१ | १.२ | ०.० | ०.१ | ०.१ | ०.२ | ०.६ | ८४.९ | १३.४ | १.७ |
| २ | मुंबई उपनगर | ९६.५ | ०.३ | ०.४ | ०.३ | ०.१ | ०.२ | ०.६ | १.६ | ७७.२ | १९.३ | ३.५ |
| ३ | ठाणे | ८०.८ | ८.७ | ५.१ | ३.७ | ०.२ | ०.४ | ०.४ | ०.६ | ७१.९ | २०.२ | ७.९ |
| ४ | रायगड | ७३.९ | १२.९ | ४.७ | ६.२ | ०.६ | ०.७ | ०.३ | ०.७ | ५६.८ | ३०.८ | १२.४ |
| ५ | रत्नागिरी | ६०.५ | २८.९ | १.२ | ४.१ | ३.२ | १.१ | ०.६ | ०.४ | ४६.८ | ३६.८ | १६.४ |
| ६ | सिंधुदुर्ग | ३०.७ | ६२.१ | ०.८ | २.९ | २.३ | ०.३ | ०.६ | ०.३ | ५४.६ | ३०.० | १५.४ |
| ७ | नाशिक | ६३.२ | २५.७ | ५.६ | ३.३ | ०.७ | ०.५ | ०.४ | ०.७ | ५८.५ | २८.८ | १२.८ |
| ८ | धुळे | ८३.९ | ७.१ | ५.८ | १.५ | ०.६ | ०.२ | ०.३ | ०.६ | ६०.२ | ३१.० | ८.८ |
| ९ | नंदुरबार | ५६.८ | ६.१ | २५.८ | ४.० | ४.४ | २.१ | ०.१ | ०.७ | ३६.९ | ४७.२ | १५.९ |
| १० | जळगाव | ८८.७ | ४.५ | ३.१ | १.६ | ०.१ | ०.२ | ०.२ | १.६ | ६४.३ | २६.८ | ८.९ |
| ११ | अहमदनगर | ५०.४ | ३०.२ | ७.३ | ८.५ | ०.३ | ०.७ | ०.६ | २.० | ५३.६ | २८.४ | १८.० |
| १२ | पुणे | ८०.६ | ८.९ | ३.७ | ४.९ | ०.३ | ०.३ | ०.४ | ०.९ | ७५.९ | १७.७ | ६.४ |
| १३ | सातारा | ७३.४ | १०.१ | ७.२ | ६.८ | १.३ | ०.३ | ०.२ | ०.६ | ६५.५ | २५.९ | ८.६ |
| १४ | सांगली | ६७.३ | १३.९ | ६.९ | ९.९ | ०.१ | ०.४ | ०.४ | १.१ | ६४.८ | २३.९ | ११.३ |
| १५ | सोलापूर | ५७.० | १७.७ | १४.३ | ८.१ | ०.१ | ०.९ | ०.६ | १.२ | ४९.८ | ३५.६ | १४.६ |
| १६ | कोल्हापूर | ८५.४ | ४.९ | २.५ | ५.४ | ०.४ | ०.३ | ०.३ | ०.७ | ७४.५ | १९.५ | ६.० |
| १७ | औरंगाबाद | ६२.४ | २०.० | ८.० | ६.५ | ०.२ | ०.२ | ०.५ | २.२ | ५७.३ | २६.९ | १५.८ |
| १८ | जालना | ४१.४ | २७.८ | १८.९ | ९.० | ०.१ | ०.४ | ०.४ | २.० | ३८.६ | ३५.७ | २५.७ |
| १९ | परभणी | ४१.२ | १३.७ | ३१.४ | १०.८ | ०.१ | ०.७ | ०.४ | १.७ | ४३.७ | ३४.० | २२.३ |
| २० | हिंगोली | ३५.९ | २०.८ | २६.४ | १४.७ | ०.१ | ०.३ | ०.३ | १.६ | ३६.८ | ३७.९ | २५.३ |
| २१ | बीड | ४२.४ | २०.५ | २२.५ | १२.० | ०.१ | ०.६ | ०.५ | १.३ | ३८.५ | ३९.० | २२.५ |
| २२ | नांदेड | ४७.० | १५.८ | १६.३ | १७.७ | ०.१ | ०.२ | ०.६ | २.२ | ३८.१ | ३६.३ | २५.६ |
| २३ | उस्मानाबाद | ५६.६ | ९.३ | १५.२ | १५.० | ०.१ | ०.३ | २.० | १.५ | ४२.६ | ३८.२ | १९.२ |
| २४ | लातूर | ५८.४ | ११.३ | ११.४ | १६.५ | ०.१ | ०.१ | ०.८ | १.४ | ४८.९ | ३३.३ | १७.९ |
| २५ | बुलढाणा | ५४.१ | २४.१ | १६.० | ४.० | ०.१ | ०.२ | ०.३ | १.१ | ४४.८ | ३२.२ | २३.० |
| २६ | अकोला | ५८.७ | ९.० | २१.७ | ९.३ | ०.१ | ०.४ | ०.२ | ०.७ | ४८.७ | ३२.९ | १८.४ |
| २७ | वाशिम | ४१.१ | ३७.५ | १४.० | ६.० | ०.१ | ०.१ | ०.२ | १.० | ३५.९ | ३१.९ | ३२.२ |
| २८ | अमरावती | ७७.८ | ८.९ | १०.६ | १.७ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.७ | ५५.६ | ३१.५ | १२.९ |
| २९ | यवतमाळ | ४३.९ | २९.१ | १९.६ | ५.६ | ०.१ | ०.४ | ०.३ | १.० | ३५.७ | ३७.० | २७.३ |
| ३० | वर्धा | ६३.५ | १७.९ | १२.९ | ५.२ | ०.० | ०.१ | ०.१ | ०.४ | ५७.२ | ३१.१ | ११.८ |
| ३१ | नागपूर | ७६.४ | ११.८ | ८.२ | २.८ | ०.१ | ०.० | ०.३ | ०.५ | ७१.४ | २०.७ | ८.० |
| ३२ | भंडारा | ३८.० | २५.७ | २९.३ | ६.५ | ०.० | ०.१ | ०.१ | ०.३ | ४०.१ | ३९.६ | २०.३ |
| ३३ | गोंदिया | १७.५ | ३७.४ | ३८.७ | ६.१ | ०.० | ०.० | ०.१ | ०.२ | ३२.७ | ४६.० | २१.३ |
| ३४ | चंद्रपूर | ४०.६ | २१.० | २७.५ | १०.० | ०.१ | ०.२ | ०.१ | ०.५ | ४१.० | ३६.६ | २२.३ |
| ३५ | गडचिरोली | १९.५ | ३६.३ | ३९.६ | ३.६ | ०.३ | ०.३ | ०.१ | ०.३ | २७.० | ४३.३ | २९.७ |
| **महाराष्ट्र राज्य** | | **६७.९** | **१४.४** | **९.९** | **५.७** | **०.३** | **०.४** | **०.४** | **१.०** | **५९.४** | **२७.५** | **१३.१** |

*आधार*- भारताचे महानिबंधक

## परिशिष्ट २.५

## जनगणना २०११ नुसार प्रकाशाचा स्त्रोत

| अनु. क्र. | जिल्हा | कुटुंबाची टक्केवारी | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वीज | घासलेट | सौरउर्जा | इतर | प्रकाशाची सुविधा नसलेली |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) |
| १ | मुंबई शहर | ९८.१ | १.५ | ०.१ | ०.० | ०.१ |
| २ | मुंबई उपनगर | ९६.९ | २.८ | ०.१ | ०.१ | ०.२ |
| ३ | ठाणे | ९१.८ | ७.४ | ०.१ | ०.२ | ०.४ |
| ४ | रायगड | ९१.७ | ७.२ | ०.३ | ०.२ | ०.६ |
| ५ | रत्नागिरी | ९३.४ | ५.९ | ०.२ | ०.२ | ०.४ |
| ६ | सिंधुदुर्ग | ९४.७ | ४.७ | ०.२ | ०.१ | ०.४ |
| ७ | नाशिक | ७६.७ | २१.८ | ०.३ | ०.४ | ०.७ |
| ८ | धुळे | ७७.२ | २०.६ | ०.२ | ०.५ | १.५ |
| ९ | नंदुरबार | ५८.३ | ३२.६ | ५.८ | ०.९ | २.४ |
| १० | जळगाव | ८०.८ | १६.४ | ०.१ | ०.९ | १.७ |
| ११ | अहमदनगर | ७५.१ | २२.९ | ०.२ | ०.५ | १.३ |
| १२ | पुणे | ९२.७ | ६.५ | ०.१ | ०.२ | ०.५ |
| १३ | सातारा | ८७.९ | ११.० | ०.१ | ०.२ | ०.७ |
| १४ | सांगली | ८२.९ | १६.० | ०.१ | ०.२ | ०.८ |
| १५ | सोलापूर | ६९.३ | २८.८ | ०.१ | ०.५ | १.३ |
| १६ | कोल्हापूर | ९३.७ | ५.६ | ०.१ | ०.२ | ०.४ |
| १७ | औरंगाबाद | ८०.० | १७.६ | ०.१ | ०.८ | १.४ |
| १८ | जालना | ७४.४ | २२.९ | ०.२ | १.१ | १.४ |
| १९ | परभणी | ७५.७ | २०.७ | ०.२ | १.५ | २.० |
| २० | हिंगोली | ७०.१ | २७.२ | ०.१ | ०.९ | १.६ |
| २१ | बीड | ७३.८ | २३.६ | ०.२ | १.१ | १.४ |
| २२ | नांदेड | ७४.५ | २२.४ | ०.२ | १.१ | १.८ |
| २३ | उस्मानाबाद | ६८.८ | २८.३ | ०.१ | ०.७ | १.९ |
| २४ | लातूर | ८०.५ | १७.६ | ०.१ | ०.६ | १.१ |
| २५ | बुलढाणा | ७६.५ | २१.६ | ०.२ | ०.७ | १.१ |
| २६ | अकोला | ८०.४ | १७.९ | ०.१ | ०.६ | १.० |
| २७ | वाशिम | ७६.० | २१.९ | ०.२ | ०.७ | १.३ |
| २८ | अमरावती | ८०.४ | १७.६ | ०.४ | ०.६ | १.० |
| २९ | यवतमाळ | ६९.७ | २७.९ | ०.२ | ०.८ | १.३ |
| ३० | वर्धा | ८७.९ | १०.८ | ०.१ | ०.२ | ०.९ |
| ३१ | नागपूर | ९२.१ | ६.७ | ०.१ | ०.३ | ०.७ |
| ३२ | भंडारा | ८२.३ | १६.२ | ०.१ | ०.३ | १.० |
| ३३ | गोंदिया | ८२.९ | १५.६ | ०.१ | ०.४ | ०.९ |
| ३४ | चंद्रपूर | ७९.१ | १९.४ | ०.१ | ०.३ | १.२ |
| ३५ | गडचिरोली | ५९.२ | ३६.६ | १.४ | ०.५ | २.२ |
| | **महाराष्ट्र राज्य** | **८३.९** | **१४.५** | **०.२** | **०.५** | **०.९** |

आधार — भारताचे महानिबंधक

## परिशिष्ट २.६
## जनगणना २०११ नुसार शौचालयांची उपलब्धता व सुविधेचा प्रकार

| अनु. क्र. | जिल्हा | राहत्या जागेत शौचालयांची उपलब्धता | शौचालयाच्या प्रकारानुसार कुटुंबांचे वर्गीकरण | | | राहत्या जागेत शौचालये उपलब्ध नसलेले | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | फ्लश | शौच खड्डा | इतर शौचालये | सार्वजनिक शौचालये | उघडे |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
| १ | मुंबई शहर | ६७.० | ६३.७ | १.४ | १.८ | ३१.५ | १.५ |
| २ | मुंबई उपनगर | ५४.७ | ५१.८ | १.१ | १.८ | ४२.९ | २.४ |
| ३ | ठाणे | ६७.० | ६१.८ | ३.९ | १.३ | १८.८ | १४.३ |
| ४ | रायगड | ६२.० | ५१.५ | ९.९ | ०.६ | १९.८ | १८.२ |
| ५ | रत्नागिरी | ६९.४ | ५४.६ | १४.६ | ०.३ | १६.६ | १४.० |
| ६ | सिंधुदुर्ग | ७५.९ | ६२.० | १३.७ | ०.१ | १०.० | १४.१ |
| ७ | नाशिक | ४६.८ | ३८.६ | ७.८ | ०.४ | १४.८ | ३८.४ |
| ८ | धुळे | ३१.२ | २५.९ | ५.० | ०.३ | ११.८ | २३.२ |
| ९ | नंदुरबार | २८.७ | १८.८ | ९.७ | ०.३ | १८.३ | ७.२ |
| १० | जळगाव | ३५.५ | ३१.६ | ३.७ | ०.३ | १७.६ | ४६.८ |
| ११ | अहमदनगर | ४६.१ | ३२.१ | १३.४ | ०.६ | ५.२ | ४८.७ |
| १२ | पुणे | ७३.८ | ६४.६ | ७.८ | १.४ | १२.५ | १३.७ |
| १३ | सातारा | ७१.१ | ४२.२ | २८.६ | ०.३ | १५.७ | १३.२ |
| १४ | सांगली | ६४.९ | ४७.३ | १६.६ | १.१ | ११.८ | २३.२ |
| १५ | सोलापूर | ४१.३ | २७.० | १३.५ | ०.८ | १७.६ | ४८.३ |
| १६ | कोल्हापूर | ७४.५ | ६६.० | ७.९ | ०.६ | १८.३ | ७.२ |
| १७ | औरंगाबाद | ४८.९ | ४१.९ | ५.४ | १.७ | १.७ | ४९.४ |
| १८ | जालना | ३६.५ | २०.३ | १५.५ | ०.७ | १.७ | ६१.७ |
| १९ | परभणी | २८.८ | २३.२ | ४.८ | ०.९ | १.१ | ७०.१ |
| २० | हिंगोली | ३२.४ | १८.३ | १३.१ | १.० | १.२ | ६६.५ |
| २१ | बीड | २५.१ | १८.६ | ६.१ | ०.४ | १.६ | ७३.२ |
| २२ | नांदेड | ३३.१ | २४.० | ७.७ | १.४ | १.३ | ६५.६ |
| २३ | उस्मानाबाद | २७.७ | १६.७ | १०.७ | ०.३ | ३.४ | ६८.९ |
| २४ | लातूर | ३७.६ | २६.२ | ११.० | ०.४ | १.१ | ६१.३ |
| २५ | बुलढाणा | ३५.३ | २३.७ | ११.३ | ०.२ | २.७ | ६२.१ |
| २६ | अकोला | ४६.१ | ३५.७ | ९.१ | १.२ | ४.३ | ४९.६ |
| २७ | वाशिम | ३३.८ | २१.८ | ११.७ | ०.४ | १.७ | ६४.५ |
| २८ | अमरावती | ५३.७ | ४०.१ | १३.१ | ०.४ | ४.२ | ४२.२ |
| २९ | यवतमाळ | ३१.० | २४.४ | ६.४ | ०.३ | २.९ | ६६.१ |
| ३० | वर्धा | ५६.७ | ४३.१ | १३.४ | ०.३ | ३.१ | ४०.२ |
| ३१ | नागपूर | ७५.७ | ६८.० | ६.७ | १.० | २.३ | २२.० |
| ३२ | भंडारा | ६१.२ | ३२.९ | २७.९ | ०.४ | १.५ | ३७.४ |
| ३३ | गोंदिया | ५२.४ | २७.४ | २४.९ | ०.२ | १.० | ४६.५ |
| ३४ | चंद्रपूर | ४३.३ | ३३.३ | ९.६ | ०.४ | २.३ | ५४.४ |
| ३५ | गडचिरोली | २७.० | १८.८ | ७.७ | ०.४ | १.२ | ७१.९ |
| | **महाराष्ट्र राज्य** | **५३.१** | **४३.५** | **८.८** | **०.८** | **१२.९** | **३४.०** |

*आधार* - भारताचे महानिबंधक

## परिशिष्ट २.७
## जनगणना २०११ नुसार स्नानगृह, सांडपाणी व स्वयंपाकघराची उपलब्धता व सुविधेचे प्रकार

| अनु. क्र. | जिल्हा | कुटुंबाची टक्केवारीपैकी | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्नानगृहाची सुविधा | | | सांडपाण्याच्या सुविधेचा प्रकार | | | स्वयंपाकघर | | | |
| | | उपलब्ध | छत नसलेली | स्नानगृह नसलेली | बंदिस्त | उघडे | व्यवस्था नसलेली | उपलब्ध | स्वतंत्र व्यवस्था नसलेली | उघड्यावर | स्वयंपाक न करणारे |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) |
| १ | मुंबई शहर | ९०.० | ५.७ | ४.२ | ८९.५ | ८.८ | १.७ | ७४.९ | २२.८ | ०.२ | २.१ |
| २ | मुंबई उपनगर | ८७.२ | ७.४ | ५.४ | ७९.३ | १८.२ | २.६ | ८०.१ | १८.७ | ०.३ | ०.९ |
| ३ | ठाणे | ८३.७ | ७.१ | ९.२ | ६२.८ | १८.६ | १८.६ | ८६.६ | ११.६ | ०.९ | ०.९ |
| ४ | रायगड | ८४.० | ७.७ | ८.३ | ३६.६ | २४.० | ३९.४ | ८८.९ | ८.० | २.० | १.० |
| ५ | रत्नागिरी | ७७.१ | ११.४ | ११.५ | १९.८ | २४.१ | ५६.० | ८८.२ | ९.५ | १.८ | ०.५ |
| ६ | सिंधुदुर्ग | ७८.८ | ९.६ | ११.६ | १३..५ | १९.९ | ६६.५ | ९१.७ | ५.४ | २.४ | ०.६ |
| ७ | नाशिक | ६५.९ | १८.९ | १५.३ | ३१.० | २४.० | ४५.० | ७०.७ | २५.२ | ३.२ | ०.९ |
| ८ | धुळे | ५२.३ | २७.१ | २०.६ | ८.९ | ५०.३ | ४०.७ | ६३.१ | ३३.३ | ३.२ | ०.४ |
| ९ | नंदुरबार | २९.७ | ३६.० | ३४.३ | १३.३ | १८.४ | ६८.३ | ४७.९ | ४९.५ | २.४ | ०.३ |
| १० | जळगाव | ५४.६ | ३१.२ | १४.२ | ८.६ | ६७.९ | २३.४ | ५८.९ | ३५.३ | ५.३ | ०.५ |
| **११** | अहमदनगर | ५१.२ | २४.८ | २४.० | १५.२ | १९.९ | ६४.९ | ६३.३ | २४.५ | ११.४ | ०.८ |
| १२ | पुणे | ७८.८ | १३.४ | ७.८ | ६२.८ | १३.५ | २३.७ | ७६.६ | १९.७ | २.२ | १.५ |
| १३ | सातारा | ७१.२ | १८.८ | १०.० | १८.३ | ४०.४ | ४१.३ | ७६.६ | १९.२ | ३.५ | ०.७ |
| १४ | सांगली | ७२.४ | १६.० | ११.६ | १४.१ | ३८.८ | ४७.१ | ७८.७ | १८.० | २.६ | ०.७ |
| १५ | सोलापूर | ५०.९ | ३०.४ | १८.७ | २१.१ | ३१.५ | ४७.४ | ६४.५ | २६.६ | ८.३ | ०.६ |
| १६ | कोल्हापूर | ८४.३ | ९.७ | ६.१ | १२.८ | ५७.८ | २९.४ | ८८.६ | ९.१ | १.६ | ०.७ |
| १७ | औरंगाबाद | ५६.९ | २६.७ | १६.३ | ३३.४ | ३१.९ | ३४.७ | ६३.४ | २७.३ | ८.७ | ०.७ |
| १८ | जालना | ३७.५ | ४०.१ | २२.३ | ८.० | ५५.१ | ३६.९ | ५३.८ | ३०.७ | १५.० | ०.५ |
| **१९** | परभणी | ३६.२ | ३८.८ | २५.० | ६.७ | ६२.४ | ३०.९ | ५२.६ | ३४.९ | १२.२ | ०.३ |
| **२०** | हिंगोली | ४०.४ | ३९.१ | २०.५ | ८.६ | ५७.४ | ३४.० | ५६.९ | ३७.८ | ५.१ | ०.२ |
| **२१** | बीड | ३०.४ | ३८.२ | ३१.३ | ५.६ | ४७.० | ४७.४ | ४९.० | २९.२ | २१.४ | ०.५ |
| **२२** | नांदेड | ४०.९ | ३६.२ | २३.० | ११.६ | ४७.५ | ४०.९ | ५४.२ | ३७.८ | ७.७ | ०.३ |
| **२३** | उस्मानाबाद | ४३.२ | ३४.७ | २२.१ | ५.४ | ५१.० | ४३.६ | ६१.९ | २६.८ | १०.८ | ०.५ |
| **२४** | लातूर | ४८.५ | ३१.८ | १९.७ | ५.८ | ५२.१ | ४२.१ | ६३.३ | ३०.६ | ५.६ | ०.५ |
| **२५** | बुलढाणा | ४१.१ | ४०.५ | १८.४ | ९.१ | ६१.१ | २९.८ | ५५.८ | ३७.२ | ६.६ | ०.४ |
| **२६** | अकोला | ५०.१ | ३७.४ | १२.५ | ७.२ | ७३.१ | १९.७ | ६७.१ | २८.४ | ४.१ | ०.५ |
| **२७** | वाशिम | ४३.४ | ३८.२ | १८.४ | १३.९ | ५२.६ | ३३.५ | ६२.४ | ३४.२ | ३.१ | ०.३ |
| **२८** | अमरावती | ५२.७ | ३४.० | १३.२ | ७.३ | ७०.२ | २२.४ | ७१.७ | २५.१ | २.६ | ०.६ |
| **२९** | यवतमाळ | ३९.१ | ४०.३ | २०.६ | ८.६ | ४६.० | ४५.४ | ६५.७ | ३०.५ | ३.४ | ०.४ |
| **३०** | वर्धा | ५७.२ | २९.० | १३.८ | ११.१ | ५५.२ | ३३.७ | ८१.० | १५.९ | २.४ | ०.७ |
| **३१** | नागपूर | ७९.१ | १२.७ | ८.२ | ५७.२ | २०.८ | २२.० | ८५.४ | १२.५ | १.५ | ०.६ |
| **३२** | भंडारा | ५२.८ | २२.४ | २४.८ | १३.१ | ३७.७ | ४९.२ | ८२.४ | १४.० | ३.२ | ०.३ |
| **३३** | गोंदिया | ३८.९ | २१.२ | ३९.८ | ८.४ | २३.२ | ६८.४ | ७९.३ | १७.६ | २.८ | ०.३ |
| **३४** | चंद्रपूर | ५०.८ | २६.५ | २२.७ | १४.८ | ४४.८ | ४०.४ | ७७.७ | १८.५ | ३.२ | ०.६ |
| **३५** | गडचिरोली | ३२.५ | २५.० | ४२.५ | ४.४ | ३२.० | ६३.६ | ७७.३ | १८.२ | ४.१ | ०.५ |
| | **महाराष्ट्र राज्य** | **६४.३** | **२१.१** | **१४.६** | **३३.२** | **३४.२** | **३२.५** | **७२.७** | **२२.३** | **४.२** | **०.८** |

*आधार* – भारताचे महानिबंधक

## परिशिष्ट २.८

## जनगणना २०११ नुसार कुटुंबांचा स्वयंपाकासाठी इंधन प्रकार

| अनु. क्र. | जिल्हा | जळाऊ लाकूड | पीक अवशेष | गोवऱ्या | कोळसा, वीज, लाकडी कोळसा | घासलेट | एलपीजी | वीज | बायोगॅस | इतर | स्वयंपाक न करणारे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) |
| १ | मुंबई शहर | १.८ | ०.४ | ०.१ | ०.१ | १७.४ | ७७.६ | ०.० | ०.३ | ०.२ | २.१ |
| २ | मुंबई उपनगर | २.१ | ०.४ | ०.१ | ०.० | १७.६ | ७८.३ | ०.० | ०.३ | ०.२ | ०.९ |
| ३ | ठाणे | १६.९ | ०.५ | ०.२ | ०.१ | १४.७ | ६६.३ | ०.० | ०.२ | ०.१ | ०.९ |
| ४ | रायगड | ३६.० | ०.७ | ०.३ | ०.१ | ६.३ | ५५.० | ०.१ | ०.३ | ०.१ | १.० |
| ५ | रत्नागिरी | ७०.५ | ०.८ | ०.१ | ०.० | २.० | २५.६ | ०.१ | ०.४ | ०.१ | ०.५ |
| ६ | सिंधुदुर्ग | ७२.८ | १.५ | ०.१ | ०.० | ३.० | २०.७ | ०.० | १.१ | ०.१ | ०.६ |
| ७ | नाशिक | ४२.२ | १.८ | १.७ | ०.१ | ७.३ | ४५.५ | ०.१ | ०.२ | ०.१ | ०.९ |
| ८ | धुळे | ५७.४ | ६.८ | १.० | ०.१ | ३.१ | ३०.९ | ०.१ | ०.२ | ०.१ | ०.४ |
| ९ | नंदुरबार | ६९.० | १०.३ | २.२ | ०.१ | ०.८ | १७.० | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.३ |
| १० | जळगाव | ५०.१ | ७.७ | ०.५ | ०.१ | १.५ | ३९.३ | ०.१ | ०.२ | ०.१ | ०.५ |
| ११ | अहमदनगर | ५७.९ | २.२ | ०.९ | ०.२ | ३.९ | ३३.३ | ०.१ | ०.७ | ०.१ | ०.८ |
| १२ | पुणे | १९.८ | ०.७ | ०.६ | ०.१ | ८.९ | ६७.९ | ०.० | ०.४ | ०.१ | १.५ |
| १३ | सातारा | ५१.० | १.९ | ०.८ | ०.१ | २.१ | ४२.४ | ०.० | १.० | ०.१ | ०.७ |
| १४ | सांगली | ४४.७ | ४.२ | ४.८ | ०.१ | ४.२ | ३८.८ | ०.० | २.३ | ०.२ | ०.७ |
| १५ | सोलापूर | ५९.१ | २.९ | १.२ | ०.२ | ६.६ | २८.९ | ०.१ | ०.४ | ०.१ | ०.६ |
| १६ | कोल्हापूर | ३१.८ | २.१ | १२.४ | ०.१ | २.२ | ४१.४ | ०.० | ९.० | ०.२ | ०.७ |
| १७ | औरंगाबाद | ४७.४ | ७.५ | ०.७ | ०.१ | ९.८ | ३३.४ | ०.१ | ०.२ | ०.१ | ०.७ |
| १८ | जालना | ६२.३ | १८.३ | १.० | ०.१ | १.८ | १५.५ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.५ |
| १९ | परभणी | ६०.५ | १९.९ | १.३ | ०.१ | १.१ | १६.५ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.३ |
| २० | हिंगोली | ७५.० | १०.३ | १.० | ०.१ | १.० | १२.२ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.२ |
| २१ | बीड | ६३.३ | १६.९ | १.८ | ०.२ | १.९ | १५.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.५ |
| २२ | नांदेड | ६९.३ | १०.६ | ०.७ | ०.१ | १.० | १७.७ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.३ |
| २३ | उस्मानाबाद | ६८.४ | ८.७ | ४.७ | ०.१ | ३.० | १४.१ | ०.१ | ०.३ | ०.२ | ०.५ |
| २४ | लातूर | ५७.४ | १५.२ | ३.० | ०.१ | ३.० | २०.३ | ०.१ | ०.३ | ०.२ | ०.५ |
| २५ | बुलढाणा | ६७.७ | ११.६ | ०.५ | ०.१ | ०.७ | १८.८ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.४ |
| २६ | अकोला | ५५.० | १४.१ | ०.६ | ०.१ | २.० | २७.५ | ०.० | ०.१ | ०.१ | ०.५ |
| २७ | वाशिम | ७६.४ | ७.१ | ०.८ | ०.० | ०.७ | १४.३ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.३ |
| २८ | अमरावती | ५८.२ | ११.१ | ०.४ | ०.१ | १.७ | २७.६ | ०.० | ०.१ | ०.२ | ०.६ |
| २९ | यवतमाळ | ७०.७ | ६.१ | ०.३ | ०.४ | ०.९ | २१.० | ०.१ | ०.२ | ०.१ | ०.४ |
| ३० | वर्धा | ५१.४ | ८.० | ०.३ | ०.४ | १.३ | ३७.७ | ०.१ | ०.२ | ०.१ | ०.७ |
| ३१ | नागपूर | ३२.० | ०.९ | ०.३ | १.६ | ४.० | ६०.२ | ०.० | ०.१ | ०.२ | ०.६ |
| ३२ | भंडारा | ७६.० | ०.७ | ०.३ | ०.१ | १.० | २०.३ | ०.० | १.२ | ०.१ | ०.३ |
| ३३ | गोंदिया | ८२.८ | ०.९ | ०.३ | ०.१ | ०.९ | १३.१ | ०.० | १.५ | ०.१ | ०.३ |
| ३४ | चंद्रपूर | ५९.७ | २.४ | ०.५ | २.२ | १.२ | ३२.६ | ०.० | ०.६ | ०.२ | ०.६ |
| ३५ | गडचिरोली | ८३.९ | १.० | ०.४ | ०.१ | ०.८ | १२.६ | ०.१ | ०.६ | ०.१ | ०.५ |
| | **महाराष्ट्र राज्य** | ४२.६ | **४.५** | **१.२** | **०.२** | **६.५** | **४३.४** | **०.१** | **०.७** | **०.१** | **०.८** |

*आधार* — भारताचे महानिबंधक

## परिशिष्ट २.९
## जनगणना २०११ नुसार कुटुंबांची मालमत्ता

| अनु. क्र. | जिल्हा | रेडिओ / ट्रान्झिस्टर | दूरचित्रवाणी संच | संगणक/लॅपटॉप | | दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी | | | सायकल | स्वयंचलित दुचाकी | चारचाकी वाहन | यापैकी कोणतीही मालमत्ता नसलेली कुटुंबे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | इंटरनेट सुविधेसह | इंटरनेट सुविधे शिवाय | फक्त दूरध्वनी | भ्रमणध्वनी फक्त | दोन्ही | | | | |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) |
| १ | मुंबई शहर | ३४.७ | ८५.३ | १९.० | १३.० | ९.६ | ६१.२ | २३.७ | ८.८ | १६.६ | १२.६ | २.२ |
| २ | मुंबई उपनगर | ३६.५ | ८५.१ | २०.० | १२.२ | ८.८ | ६३.६ | २२.२ | ११.५ | १५.३ | १२.८ | २.२ |
| ३ | ठाणे | २३.३ | ७१.६ | १०.५ | १२.२ | ८.१ | ६१.१ | १३.६ | १६.६ | २०.५ | ७.१ | ११.४ |
| ४ | रायगड | १४.४ | ६२.७ | ६.५ | ९.७ | १४.३ | ४७.१ | १४.६ | २२.८ | २६.५ | ७.३ | १६.९ |
| ५ | रत्नागिरी | १०.३ | ४१.६ | २.० | ५.९ | १८.८ | ३४.९ | ११.८ | १२.५ | १५.६ | ३.९ | २७.६ |
| ६ | सिंधुदुर्ग | ८.० | ४८.० | १.७ | ५.९ | ८.९ | ४५.५ | ९.८ | १९.३ | १८.१ | ४.५ | २५.३ |
| ७ | नाशिक | १५.७ | ५३.४ | ३.८ | ८.० | ४.८ | ५६.६ | ६.२ | ३३.९ | ३३.६ | ६.७ | २०.९ |
| ८ | धुळे | १२.६ | ४२.७ | १.५ | ५.२ | ४.२ | ४२.९ | ४.५ | २६.३ | १८.३ | २.७ | ३५.२ |
| ९ | नंदुरबार | ७.२ | २६.० | ०.८ | ४.५ | २.२ | २६.७ | २.९ | १२.७ | १२.३ | १.९ | ५४.८ |
| १० | जळगाव | १०.४ | ४८.४ | १.६ | ४.८ | ५.६ | ३९.३ | ६.६ | २५.८ | १९.१ | २.२ | ३२.९ |
| ११ | अहमदनगर | १५.३ | ५२.६ | २.० | ५.६ | ४.७ | ५९.९ | ६.३ | ४९.२ | ३५.५ | ४.६ | १५.७ |
| **१२** | पुणे | ३२.५ | ७४.९ | ११.३ | १२.३ | ६.३ | ६९.९ | १०.१ | ३५.४ | ४८.८ | १३.२ | ७.१ |
| १३ | सातारा | २०.७ | ५८.५ | २.२ | ६.८ | ५.४ | ५९.१ | ७.८ | ३८.६ | ३०.६ | ५.६ | १५.९ |
| १४ | सांगली | २८.६ | ५३.० | २.३ | ६.१ | ७.४ | ५४.६ | ८.९ | ५७.४ | ३२.६ | ५.० | १३.२ |
| १५ | सोलापूर | १९.१ | ४३.८ | १.८ | ५.१ | ४.१ | ५८.३ | ४.७ | ४८.८ | २६.७ | ३.३ | १७.६ |
| १६ | कोल्हापूर | ३१.३ | ६१.८ | २.७ | ६.० | ७.५ | ५४.१ | १०.९ | ४६.७ | ३४.५ | ६.० | १२.९ |
| १७ | औरंगाबाद | १२.९ | ५४.८ | ३.२ | ६.३ | ४.७ | ६१.७ | ५.१ | २६.१ | ३१.३ | ४.५ | १८.८ |
| १८ | जालना | ११.३ | ४०.८ | १.० | ३.५ | ७.४ | ५०.१ | ८.३ | २१.६ | १९.५ | २.२ | २५.१ |
| १९ | परभणी | १३.७ | ३७.७ | १.१ | ४.८ | ३.२ | ५५.५ | ३.८ | २२.९ | १३.९ | १.९ | २७.४ |
| २० | हिंगोली | १३.१ | ३२.४ | ०.५ | ३.७ | २.५ | ५४.७ | २.१ | २१.२ | १३.१ | १.७ | ३०.४ |
| २१ | बीड | १०.० | ३७.७ | १.० | ४.३ | ३.२ | ५६.२ | ४.२ | २२.० | १६.९ | २.४ | २६.७ |
| २२ | नांदेड | १३.५ | ३३.० | १.२ | ५.४ | २.९ | ५२.५ | ३.२ | १६.७ | १२.७ | १.९ | ३२.६ |
| २३ | उस्मानाबाद | १०.६ | ३३.८ | ०.९ | ४.३ | ४.० | ४९.२ | ४.३ | २६.७ | १४.८ | २.३ | ३०.३ |
| २४ | लातूर | ७.० | ४०.२ | १.३ | ५.० | ४.६ | ५४.४ | ४.९ | २२.९ | १७.१ | २.८ | २६.७ |
| २५ | बुलढाणा | ७.९ | ४०.७ | ०.९ | ३.६ | २.९ | ४६.५ | ३.६ | २२.० | १५.३ | १.८ | ३३.६ |
| २६ | अकोला | १३.३ | ४५.२ | १.६ | ४.६ | ३.७ | ४२.० | ४.२ | ३२.४ | १८.५ | २.३ | ३१.८ |
| २७ | वाशिम | ८.४ | ३७.६ | ०.७ | ३.४ | २.९ | ४३.१ | २.७ | २५.९ | १४.६ | १.४ | ३५.० |
| २८ | अमरावती | ८.६ | ४७.४ | १.५ | ४.२ | ४.५ | ३७.० | ४.९ | ३३.२ | १९.५ | २.४ | ३१.८ |
| २९ | यवतमाळ | ९.२ | ३८.३ | १.० | ३.७ | २.६ | ३७.९ | ३.१ | २६.३ | १५.५ | १.९ | ३८.७ |
| ३० | वर्धा | १२.९ | ५६.४ | १.४ | ३.९ | ४.८ | ४४.६ | ५.६ | ४२.६ | २३.४ | २.३ | २२.३ |
| ३१ | नागपूर | २७.० | ७३.२ | ५.८ | ७.८ | ११.१ | ५२.० | ९.२ | ५८.० | ४२.८ | ७.२ | १०.४ |
| ३२ | भंडारा | ७.४ | ४२.५ | १.१ | ३.७ | ३.९ | ३९.९ | ३.८ | ६६.३ | १९.९ | १.९ | १८.३ |
| ३३ | गोंदिया | १०.८ | ३६.३ | १.० | ३.७ | ३.१ | ३६.५ | ३.१ | ६९.४ | १७.० | १.८ | १७.३ |
| ३४ | चंद्रपुर | ७.५ | ४३.४ | १.६ | ४.४ | ३.२ | ४०.१ | ४.० | ४६.९ | २१.३ | २.४ | २७.६ |
| ३५ | गडचिरोली | ८.१ | २५.९ | ०.७ | ३.८ | २.१ | २५.८ | २.१ | ५३.१ | १२.१ | १.३ | ३०.२ |
| | **महाराष्ट्र राज्य** | **१९.५** | **५६.८** | **५.८** | **७.५** | **६.३** | **५३.७** | **९.१** | **३०.५** | **२४.९** | **५.९** | **१९.०** |

*आधार* — भारताचे महानिबंधक

# ३

# राज्य उत्पन्न

# ३. राज्य उत्पन्न

## आर्थिक रुपरेषा

३.१ जागतिक स्तरावरील वित्तीय संकट २०१२-१३ च्या अखेरीस संपुष्टात आल्यासारखे वाटत असले तरी देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेत दमदार वाढ झाल्याचे दिसून येत नाही. चलनवाढ जानेवारी, २०१३ मध्ये मंदावून डिसेंबर, २००९ पासून सर्वात कमी अशी ६.६ टक्के नोंदवली गेली. असे असले तरी किंमती चढ्या स्वरूपात राहिल्या आहेत. परिणामी वस्तुंचा खप कमी झाला. उद्योग क्षेत्रातील माफक वाढीचा परिणाम सेवाक्षेत्रावर होण्याची शक्यता आहे. वर्ष २०१०-११ मधील भरघोस अन्नधान्य व नगदी पीक उत्पादनानंतर २०११-१२ मध्ये व तद्नंतर २०१२-१३ मध्येही कृषि उत्पादन कमी झाले. यासर्वांचा देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात व स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या वाढीवर परिणाम झाला आहे. देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात ५.० टक्के वाढ झाली, जी मालिकेतील सर्वात कमी आहे. तथापी राज्यात मात्र २०१०-११ मधील दोन अंकी वाढी नंतर मागील व चालू दोन्ही वर्षी अर्थव्यस्थेमधील वाढ काहीशी स्थिर (७.१ टक्के) आहे. धोरणात्मक सुधारणा, वित्तिय एकत्रीकरण व किंमत नियंत्रण याद्वारे वृद्धिदरातील घसरण थांबविता येऊ शकेल.

## स्थूल राज्य उत्पन्न २०१२-१३ (पूर्वानुमान)

३.२ पूर्वानुमानानुसार स्थिर (२००४-०५) किंमतीनुसार स्थूल राज्य उत्पन्न २०११-१२ च्या तुलनेत ७.१ टक्क्यांनी वाढून ₹ ८,४३,५६५ कोटी इतके होईल असे अपेक्षित आहे.

३.३ पावसावर अवलंबित कृषी क्षेत्रावर सरासरी पावसापेक्षा दहा टक्के कमी पाऊस झाल्यामुळे यावर्षीही परिणाम झाला आहे. ऑक्टोबर, २०१२ अखेरपर्यंत दहा जिल्ह्यात सरासरीच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला. एकूण अन्नधान्य उत्पादनात मागील वर्षाच्या तुलनेत १८ टक्के घट अपेक्षित आहे. ऊस उत्पादन ३३ टक्के कमी होणे अपेक्षित आहे. तेलबिया व कापूस उत्पादनात अनुक्रमे १५ टक्के व २ टक्के वाढ होणे अपेक्षित आहे. या सर्वांच्या परिणामस्वरुप २०१२-१३ मध्ये कृषि क्षेत्रात (-) १.४ टक्के घट अपेक्षित आहे. वन आणि मत्स्य क्षेत्रात अनुक्रमे ६.३ टक्के आणि ०.२ टक्के ऋण वाढ अपेक्षित असून, यासर्वांमुळे कृषि व संलग्न क्षेत्राची वाढ (-) २.१ टक्के अशी सीमित राहणे अपेक्षित आहे. वाढलेल्या किंमतीं व वेतन मजुरीत झालेली वाढ यामुळे निविष्टींच्या किमंतीमध्ये व पर्यायाने उत्पादन खर्चात झालेल्या वाढीच्या परिणामस्वरूप झालेली औद्योगिक उत्पादनातील घट औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाच्या वाढीत दिसून आली असून, २०१२-१३ मधील पहिल्या नऊ महिन्यात ही वाढ एक टक्क्यापेक्षा कमी राहिली आहे. परिणामी वस्तुनिर्माण क्षेत्रात ५.१ टक्के वाढ होणे अपेक्षित आहे. तथापि, बांधकाम क्षेत्रातील ११.२ टक्के इतक्या अपेक्षित वाढीमुळे उद्योग क्षेत्रात ७.० टक्के वाढ होण्यास मदत होईल. सेवाक्षेत्र मागील वर्षाच्या तुलनेत ८.५ टक्के दराने वाढणे अपेक्षित असून, त्यामुळे स्थूल राज्य उत्पन्नातील वाढ २०११-१२ इतकीच, म्हणजे ७.१ टक्के राहणे अपेक्षित आहे.

## देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न २०१२-१३ (पूर्वानुमान)

३.४ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार यांनी प्रसिध्द केलेल्या २०१२-१३ च्या पूर्वानुमानानुसार स्थिर (२००४-०५) किंमतीनुसार देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न मागील वर्षाच्या तुलनेत ५.० टक्क्यांनी वाढून ₹ ५५,०३,४७६ कोटी इतके तर चालू किंमतीनुसार ते ₹ ९४,६१,९७९ कोटी इतके अपेक्षित आहे.

३.५ पूर्वानुमानानुसार देशातील अन्नधान्य उत्पादनात २.८ टक्के, कापूस उत्पादनात ४.० टक्के आणि ऊस उत्पादनात ६.५ टक्के घट अपेक्षित असून, त्यामुळे कृषि व संलग्न क्षेत्राच्या वाढीवर परिणाम होणार असून राष्ट्रीय स्तरावर ती १.८ टक्के इतकी कमी होणे अपेक्षित आहे. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात २०१२-१३ च्या पहिल्या आठ महिन्यात मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत एक टक्का वाढ झाली असून, यामुळे वस्तुनिर्माण क्षेत्रात १.९ टक्के इतक्या कमी दराने वाढ अपेक्षित आहे. बांधकाम क्षेत्रात ५.९ टक्के वाढ अपेक्षित असून, त्यामुळे उद्योग क्षेत्रात ३.१ टक्के वाढ होण्यास मदत होणार आहे. सेवाक्षेत्रातील 'व्यापार, हॉटेल्स व उपाहार, परिवहन, साठवण आणि दळणवळण' क्षेत्रात ५.२ टक्के अशी माफक वाढ, 'वित्त, विमा, स्थावर मालमत्ता आणि व्यवसाय सेवा' यात ८.६ टक्के आणि 'सामुहिक, सामाजिक व वैयक्तिक सेवा' यात अपेक्षित ६.८ टक्के वाढीमुळे सेवा क्षेत्रात ६.६ टक्के अशी मर्यादित वाढ अपेक्षित आहे. सर्व क्षेत्रातील अशा कमी वाढीमुळे २०१२-१३ च्या स्थिर (२००४-०५) किंमतींनुसार देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नास लगाम बसला असून मागील वर्षाच्या ६.२ टक्के वाढीच्या तुलनेत ५.० टक्के वाढ होणे अपेक्षित आहे.

३.६ मागील २०१०-११ मधील खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांच्या भरघोस उत्पादनाच्या तुलनेत २०११-१२ मध्ये कृषि उत्पादनात घट आली आहे. २०११-१२ च्या खरीप व रब्बी या दोन्ही हंगामात अन्नधान्य उत्पादनात मागील वर्षाच्या तुलनेत अनुक्रमे ६.० टक्के व ३४.८ टक्के घट आली आहे. एकूण अन्नधान्य उत्पादन १७.४ टक्के इतके कमी झाले आहे. तेलबिया व ऊस उत्पादनात अनुक्रमे ११.० टक्के व ३३.३ टक्के घट झाली आहे. कापूस उत्पादनात २०११-१२ च्या तुलनेत अगदी माफक १.६ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. मागील वर्षाच्या १७.८ टक्के अशा चांगल्या वाढीच्या तुलनेत २०११-१२ वर्षात कृषि व संलग्न कार्ये क्षेत्रात ४.६ टक्के वाढ झाली होती.

३.७ प्राथमिक वस्तुंमधील आणि वस्तुनिर्माण उत्पादनातील किंमत वाढीचा थेट परिणाम निविष्टांच्या किंमतीत वाढ होण्यात व परिणाम स्वरुप औद्योगिक उत्पादनावर झाला आहे. याच्या जोडीने झालेल्या मजुरीच्या दरातील वाढीमुळे वस्तुनिर्माण क्षेत्राच्या वाढीवर परिणाम झाला आहे. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात वर्ष २०११-१२ मध्ये मागील वर्षाच्या ९.० टक्के वाढीच्या तुलनेत ३.० टक्के वाढ झाली आहे, ज्यामुळे वस्तुनिर्माण क्षेत्रात फक्त २.५ टक्के इतकी कमी वाढ झाली आहे. बांधकाम क्षेत्रातील मागील वर्षाच्या तुलनेत झालेली १२.४ टक्के वाढ व वीज, वायू व पाणी पुरवठा या क्षेत्रातील १३.३ टक्के वाढ उद्योग क्षेत्राच्या ५.२ टक्के वाढीस मदतरुप ठरली आहे.

३.८ कृषि व वस्तुनिर्माण क्षेत्रातील कमी उत्पादनाचा परिणाम ‘व्यापार, हॉटेल्स व उपाहारगृहे’ या क्षेत्राची ३.० टक्के इतकी कमी वाढ होण्यात झाला आहे. विकसित होणाऱ्या ‘दळणवळण’ क्षेत्रातील मागील दोन वर्षी असणाऱ्या ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढीच्या तुलनेत २०११-१२ मध्ये १४.४ टक्के अशी माफक वाढ झाली आहे. ‘बँका व विमा’ क्षेत्र ११.७ टक्के वाढीसह आपली गती कायम ठेवून आहे. ‘व्यवसाय सेवा’ क्षेत्र ११.४ टक्के वाढीसह सेवा क्षेत्रात ८.४ टक्के वाढ होण्यास मदतरुप ठरले आहे. क्षेत्रनिहाय स्थूल राज्य उत्पन्न व देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नाचे वार्षिक वृद्धिदर तक्ता ३.१ मध्ये दिले आहेत.

**तक्ता ३.१ स्थिर (२००४-०५) किंमतींनुसार क्षेत्रनिहाय वृद्धिदर**

(टक्के)

| क्षेत्र | स्थूल राज्य उत्पन्न | | | देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | २०१०-११ ++ | २०११-१२ + | २०१२-१३ $ | २०१०-११ ++ | २०११-१२ + | २०१२-१३ $ |
| **कृषि व संलग्न कार्ये** | **१७.८** | **४.६** | **(-) २.१** | **७.९** | **३.६** | **१.८** |
| १. कृषि | २१.४ | ४.३ | (-) १.४ | ८.८ | ३.९ | -- |
| २. वन संवर्धन | ३.५ | ६.२ | (-) ६.३ | २.२ | २.४ | -- |
| ३. मत्स्यव्यवसाय | २.९ | ४.४ | (-) ०.२ | ५.४ | १.८ | -- |
| **उद्योग** | **८.८** | **५.२** | **७.०** | **८.४** | **३.५** | **३.१** |
| १. खाण व दगडखाण | (-) ०.९ | (-) ५.५ | (-) १.९ | ४.९ | (-) ०.६ | ०.४ |
| २. वस्तुनिर्माण | ७.८ | २.५ | ५.१ | ९.७ | २.७ | १.९ |
| ३. वीज, वायू व पाणी पुरवठा | १२.६ | १३.३ | १३.३ | ५.२ | ६.५ | ४.९ |
| ४. बांधकाम | ११.९ | १२.४ | ११.२ | १०.२ | ५.६ | ५.९ |
| **सेवा** | **१०.०** | **८.४** | **८.५** | **९.८** | **८.२** | **६.६** |
| १. व्यापार, हॉटेल्स व उपाहारगृहे, वाहतूक, साठवण व दळणवळण | ११.० | ५.८ | ६.८ | १२.३ | ७.० | ५.२ |
| २. वित्त, विमा, स्थावर मालमत्ता व व्यवसाय सेवा | १०.० | १०.२ | ९.८ | १०.१ | ११.७ | ८.६ |
| ३. सामूहिक व वैयक्तिक सेवा | ७.२ | ९.८ | ८.८ | ४.३ | ६.० | ६.८ |
| **राज्यांतर्गत / देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न** | **१०.२** | **७.१** | **७.१** | **९.३** | **६.२** | **५.०** |

*आधार*: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार आणि अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र
++ दुसरे सुधारित अंदाज + पहिले सुधारित अंदाज $ पूर्वानुमान

३.९ पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार चालू किंमतीनुसार २०११-१२ चे स्थूल राज्य उत्पन्न ₹ ११,९९,५४८ कोटी इतके अंदाजित असून ते २०१०-११ च्या स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १५.९ टक्के जास्त आहे. स्थिर (२००४-०५) किंमतींनुसार २०१०-११ मधील ₹ ७,३५,२१२ कोटी स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत २०११-१२ मध्ये ₹ ७,८७,४२६ कोटी इतके होणे अपेक्षित आहे.

३.१० चालू किंमतीनुसार देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न २०११-१२ मध्ये ₹ ८३,५३,४९५ कोटी अंदाजित आहे. चालू किंमतीनुसार स्थूल राज्य उत्पन्न २०११-१२ च्या देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नाच्या १४.४ टक्के आहे. स्थिर (२००४-०५) किंमतीनुसार स्थूल राज्य उत्पन्न व देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नाचे वृद्धिदर तक्ता ३.२ मध्ये दिले आहेत.

३.११ चालू किंमतीनुसार दरडोई स्थूल राज्य उत्पन्न २०११-१२ मध्ये ₹ १,०५,६२३ अंदाजित असून २०१०-११ मध्ये ₹ ९२,३८४ इतके होते. चालू किंमतीनुसार दरडोई देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न २०११-१२ मध्ये ₹ ६९,४९७ इतके आहे.

**तक्ता ३.२ स्थूल राज्य उत्पन्न व देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नाचे वृद्धिदर (स्थिर (२००४-०५) किंमतीनुसार)**

(टक्के)

| वर्ष | स्थूल राज्य उत्पन्न | देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न |
|---|---|---|
| २००५-०६ | १३.३ | ९.५ |
| २००६-०७ | १३.५ | ९.६ |
| २००७-०८ | ११.३ | ९.३ |
| २००८-०९ | २.६ | ६.७ |
| २००९-१० | ९.३ | ८.६ |
| २०१०-११ ++ | १०.२ | ९.३ |
| २०११-१२ + | ७.१ | ६.२ |
| २०१२-१३ $ | ७.१ | ५.० |

*आधार* : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार व अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र

++ दुसरे सुधारित अंदाज + पहिले सुधारित अंदाज $ पूर्वानुमान

## क्षेत्रनिहाय रचना आणि वाढ

३.१२ चालू मालिकेत कृषि व संलग्न कार्ये क्षेत्राने चालू किंमतीनुसार स्थूल राज्य उत्पन्नात १० टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा कायम राखला असून त्या क्षेत्राची स्थिर (२००४-०५) किंमतीनुसार सरासरी वाढ ६.४ टक्के दराने होत आहे. उद्योग क्षेत्राचा वाटा २८ टक्क्यांपेक्षा जास्त राहीला आहे आणि त्यात सरासरी ९.५ टक्के दराने वाढ होत आहे. सेवाक्षेत्र १०.३ टक्के या सर्वोच्च दराने वाढत असून त्याचा स्थूल राज्य उत्पन्नातील वाटा ५६ टक्क्यांपेक्षा जास्त राहीला आहे.

३.१३ उपक्षेत्र स्तरावर वस्तुनिर्माण क्षेत्राचा स्थूल राज्य उत्पन्नातील वाटा १९ टक्के आणि २४ टक्के या दरम्यान असून त्यात सरासरी ९.३ टक्के दराने वाढ होत आहे. ‘व्यापार, हॉटेल्स व उपाहारगृहे’ या क्षेत्राचा स्थूल राज्य उत्पन्नात १५.० टक्के वाटा असून, चालू मालिकेत या क्षेत्रात सरासरी ८.२ टक्के दराने वाढ होत आहे. ‘दळणवळण’ क्षेत्राची वाढ सरासरी २५.५ टक्के इतक्या अत्युच्च दराने होत असली तरी त्याचा स्थूल राज्य उत्पन्नातील वाटा २.० टक्क्यांपेक्षा कमी राहीला आहे. ‘बँका व विमा’ क्षेत्रात सरासरी १४.४ टक्के दराने वाढ होत असून या क्षेत्राचा स्थूल राज्य उत्पन्नातील वाटा सुमारे १० टक्क्यांपेक्षा जास्त राहीला आहे. ‘व्यवसाय सेवा’ क्षेत्रात सरासरी १३.५ टक्के दराने वाढ होत असून त्याचा स्थूल राज्य उत्पन्नातील वाटा ५.९ टक्क्यांवरुन सातत्याने वाढून ९.१ टक्के झाला आहे.

३.१४ राष्ट्रीय स्तरावर, कृषि व संलग्न कार्ये क्षेत्राचा महाराष्ट्राच्या तुलनेत चालू किंमतीनुसार देशांतर्गत स्थूल राज्य उत्पन्नात १७ ते १९ टक्के असा जास्त वाटा आहे, परंतु चालू मालिकेत या क्षेत्राची वाढ सरासरी ३.९ टक्के दराने होत आहे. उद्योगक्षेत्राचा देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात २७ टक्के ते २९ टक्के वाटा असून या क्षेत्रात सरासरी ८.३ टक्के दराने वाढ होत आहे. सेवाक्षेत्राचा देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात ५२ टक्के ते ५६ टक्के इतका सगळ्यात जास्त वाटा असून त्या क्षेत्रात सरासरी ९.९ टक्के दराने वाढ होत आहे.

३.१५ राज्याचे चालू किंमतीनुसार २०११-१२ चे स्थूल राज्य उत्पन्न देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नाच्या १४.४ टक्के आहे. राज्याचे कृषि व संलग्न कार्ये क्षेत्र राष्ट्रीय स्तरावरील कृषि व संलग्न कार्ये क्षेत्राच्या देशांतर्गत स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १०.२ टक्के आहे. राज्याचे उद्योग व सेवाक्षेत्र, तत्सम क्षेत्राच्या देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नाच्या अनुक्रमे १५.१ टक्के व १५.३ टक्के आहे. स्थूल / निव्वळ राज्य उत्पन्नाचा तपशील परिशिष्ट ३.१ ते ३.४ मध्ये व देशांतर्गत स्थूल / निव्वळ उत्पन्नाचा तपशील परिशिष्ट ३.५ ते ३.८ मध्ये दिलेला आहे.

## राज्य व राष्ट्रीय उत्पन्न

३.१६ पहिल्या पुनर्विलोकानंतर चालू किंमतीनुसार २०११-१२ मधील निव्वळ राज्य उत्पन्न २०१०-११ मधील ₹ ९,३४,३७६ च्या तुलनेत १५.९ टक्क्यांनी वाढून ₹ १०,८२,७५१ कोटी इतके झाले. स्थिर (२००४-०५) किंमतीनुसार २०१०-११ मधील ₹ ६,६१,४६९ कोटी निव्वळ राज्य उत्पन्नात ७.२ टक्के वाढ होऊन २०११-१२ मध्ये ₹ ७,०९,३१५ कोटी इतके झाले.

३.१७ चालू किंमतीनुसार २०११-१२ मधील निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न ₹ ७३,९९,९३४ कोटी इतके अंदाजित करण्यात आले असून मागील वर्षाच्या तुलनेत ते १५.२ टक्क्यांनी जास्त आहे. स्थिर (२००४-०५) किंमतीनुसार २०११-१२ मध्ये निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न ₹ ४५,७२,०७५ कोटी इतके अंदाजित करण्यात आले आहे.

३.१८ चालू किंमतीनुसार २०११-१२ साठी ₹ ६१,५६४ इतक्या दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत दरडोई राज्य उत्पन्न (म्हणजे दरडोई निव्वळ राज्य उत्पन्न) ₹ ९५,३३९ इतके अंदाजित करण्यात आले आहे.

## चलनवाढ

३.१९ किंमतीमधील चलनवाढ ही साधारणपणे घाऊक किंमत निर्देशांकातील वाढीमध्ये मोजली जाते. परंतु हीच चलनवाढ स्थूल राज्य उत्पन्न/ देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नातील क्षेत्रे ज्या विविध विक्रेय वस्तू / बाबींच्या एकत्रित गटाने बनली आहेत त्यांच्या चलनसंकोचाद्वारे सुध्दा दिसून येऊ शकते. स्थूल राज्य उत्पन्न / स्थूल देशांतर्गत उत्पन्न यांच्या गर्भित चलनसंकोचाद्वारे मोजण्यात आलेल्या चलनवाढीचा कल आलेख ३.१ मध्ये दर्शविण्यात आला आहे.

आलेख क्र ३.१: गर्भित चलनवाढ

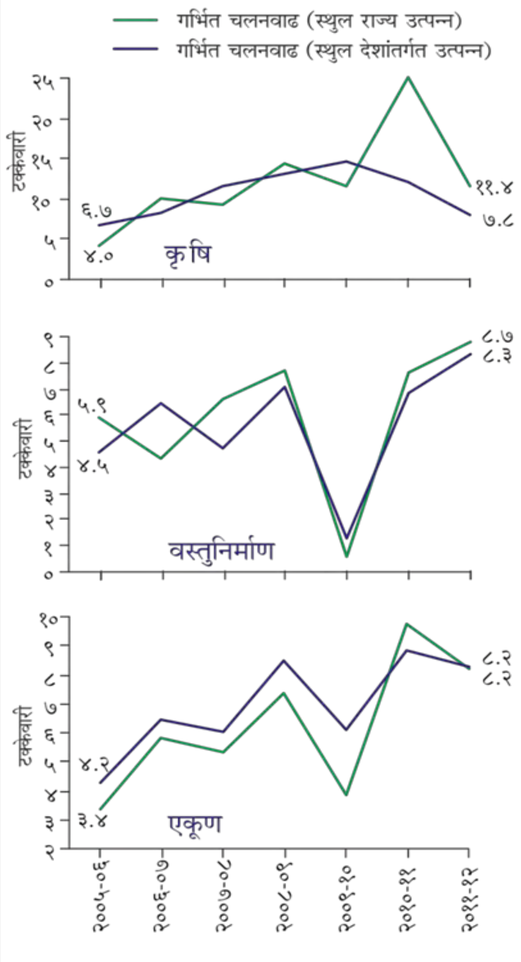


## जिल्हा उत्पन्न

३.२० जिल्हास्तरावरील उत्पन्नाचे अंदाज तयार करण्यासाठी 'उत्पन्न स्रोत पद्धत' या पध्दतीचा अवलंब करण्यात येतो. त्यामुळे राज्य उत्पन्न अंदाजातील सर्व अंगभूत मर्यादा जिल्हा उत्पन्न अंदाजानाही लागू आहेत. आकडेवारीच्या उपलब्धतेचा अभाव, अनुरुप निर्देशकांचा वापर, तसेच अंदाज तयार करण्याच्या पध्दतीमधील विविध मर्यादा या सर्वांमुळे जिल्हा उत्पन्नाचे अचूक अंदाज परिगणित करण्यामध्ये मर्यादा येत असल्याने, हे अंदाज जिल्हा उत्पन्नाचे स्तर ढोबळ मानाने अजमाविण्याकरिताच वापरावेत. जिल्ह्यांतर्गत उत्पन्नाचे अंदाज परिशिष्ट ३.९ मध्ये दर्शविले आहेत.

३.२१ मुंबई (शहर व उपनगर), पुणे, ठाणे, नाशिक आणि नागपूर जिल्ह्यांचा स्थूल राज्य उत्पन्नातील वाटा ५५.६ टक्के आहे. भक्कम उद्योग व सेवा क्षेत्रामुळे मुंबईचा वाटा सर्वाधिक (२१.५ टक्के) आहे. उद्योग क्षेत्रात ठाणे व पुणे जिल्ह्यांच्या वाटा जवळजवळ सारखा आहे. कृषि व संलग्न कार्ये क्षेत्रात पुणे जिल्याचा वाटा अधिक आहे तर ठाणे जिल्ह्याचा सेवा क्षेत्रातील वाटा अधिक आहे. नाशिक जिल्ह्याचा कृषि व संलग्न कार्ये क्षेत्रात सर्वाधिक वाटा आहे, परंतु उद्योग व सेवा क्षेत्रात ठाणे व पुणे जिल्ह्यांच्या तुलनेत फारच मागे आहे.

दरडोई जिल्हा उत्पन्न (२०११-१२)

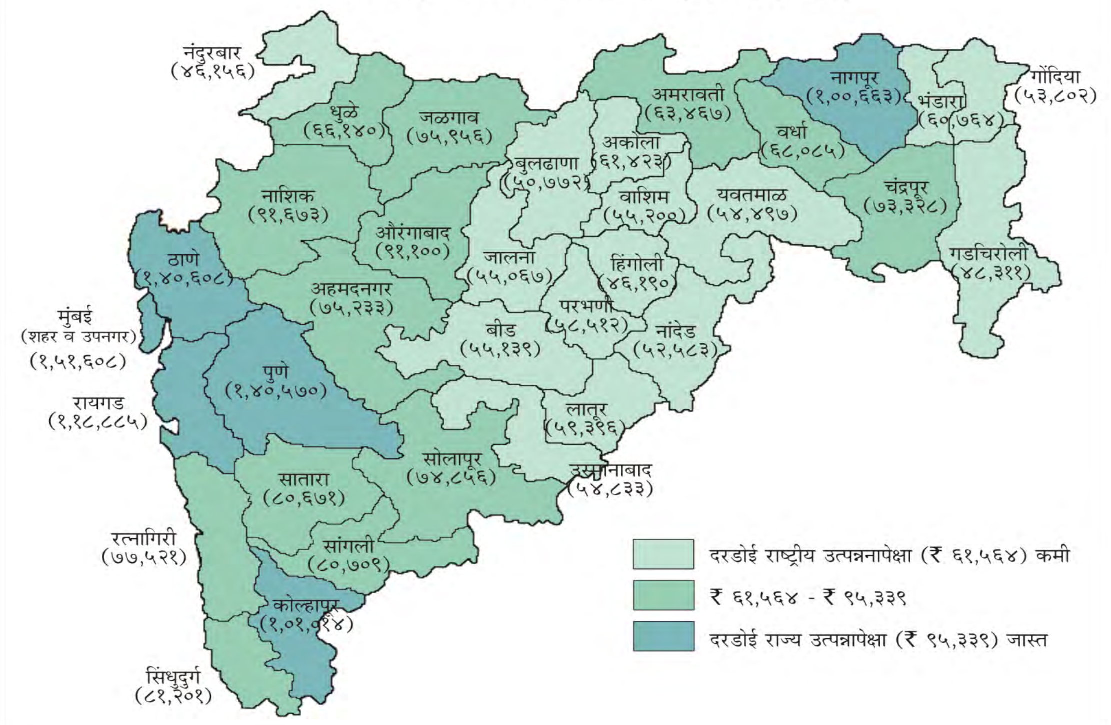


* * * * *

## परिशिष्ट ३.१
## औद्योगिक स्त्रोतांनुसार स्थूल राज्य उत्पन्न - चालू किंमतीनुसार

(₹ कोटी)

| अ. क्र. | उद्योग | २००४-०५ | २००६-०७ | २००७-०८ | २००८-०९ | २००९-१० | २०१०-११++ | २०११-१२+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) |
| १ | कृषि | ३४,४२३ | ५०,९७१ | ६४,७१२ | ५९,१९८ | ६८,६७९ | १,०४,२१४ | १,२१,०३३ |
| २ | वन संवर्धन | ९,१३० | १४,६१६ | १४,१७१ | १४,८९८ | १७,९५९ | २१,११६ | २५,२०३ |
| ३ | मासेमारी | १,३७४ | १,६४२ | १,८०१ | १,७३७ | १,९४० | २,३८६ | २,९४१ |
| **४** | **कृषि व संलग्न कार्ये (उप-बेरीज-१+२+३)** | **४४,९२७** *(१०.८)* | **६७,२२९** *(११.५)* | **८०,६८४** *(११.८)* | **७५,८३३** *(१०.१)* | **८८,५७८** *(१०.४)* | **१,२७,७१६** *(१२.३)* | **१,४९,१७७** *(१२.४)* |
| ५ | खाण व दगड खाणकाम | ३,४९१ | ३,२८६ | ३,८७२ | ५,१६८ | ५,४१० | ४,७३३ | ४,४५३ |
| **६** | **प्राथमिक क्षेत्र (उप-बेरीज -४+५)** | **४८,४१८** | **७०,५१५** | **८४,५५६** | **८१,००१** | **९३,९८८** | **१,३२,४४९** | **१,५३,६३०** |
| ७ | नोंदणीकृत वस्तुनिर्माण | ५८,५४५ | १,०३,३१० | १,१८,२०९ | १,२०,७४८ | १,२८,८१२ | १,४९,४५९ | १,६७,६२८ |
| ८ | अनोंदणीकृत वस्तुनिर्माण | २६,९३१ | ३६,७६९ | ४४,१३३ | ४६,४३७ | ५१,१४७ | ५९,२५२ | ६४,९८३ |
| ९ | बांधकाम | २६,१४३ | ३४,३८६ | ४४,७४४ | ५२,५१२ | ५५,६५८ | ६५,६३१ | ७७,०७७ |
| १० | वीज, वायू (गॅस) आणि पाणीपुरवठा | ७,९१२ | ९,१७५ | १०,५९८ | ११,२२४ | १४,०८१ | १६,४२४ | २२,०६१ |
| **११** | **द्वितीय क्षेत्र (उप-बेरीज - ७ ते १०)** | **१,१९,५३१** | **१,८३,६४०** | **२,१७,६८४** | **२,३०,९२१** | **२,४९,६९८** | **२,९०,७६६** | **३,३१,७४९** |
| **१२** | **उद्योग (उप-बेरीज - ५+११)** | **१,२३,०२२** *(२९.६)* | **१,८६,९२६** *(३२.०)* | **२,२१,५५६** *(३२.४)* | **२,३६,०८९** *(३१.३)* | **२,५५,१०८** *(२९.८)* | **२,९५,४९९** *(२८.५)* | **३,३६,२०२** *(२८.०)* |
| १३ | रेल्वे | २,८५२ | ३,४४४ | ३,९०० | ४,५२२ | ६,०४३ | ५,४७७ | ६,०३१ |
| १४ | परिवहन व साठवण | २१,८४७ | २९,४४९ | ३३,५८५ | ३८,९५८ | ४५,३४५ | ५३,६३५ | ६२,९४९ |
| १५ | दळणवळण | ८,२२९ | ९,८१९ | ११,१२१ | १२,९९५ | १४,८४७ | १३,९४२ | १३,७४७ |
| १६ | व्यापार, हॉटेल्स व उपाहारगृहे | ६७,१५६ | ९३,१५४ | १,०५,७९३ | १,१२,७४० | १,२९,६२० | १,५५,९७८ | १,७४,४७४ |
| १७ | बँका व विमा उद्योग | ४७,४२६ | ५९,६११ | ६९,५३६ | ८३,३२० | ८९,३०६ | १,०९,४०८ | १,२६,२०७ |
| १८ | स्थावर मालमत्ता व राहत्या घरांची मालकी, व्यवसाय सेवा व विधी सेवा | ५३,२६२ | ७४,५२० | ८९,१३५ | १,०६,३०३ | १,२७,७७८ | १,५५,३३९ | १,८७,५७४ |
| १९ | सार्वजनिक प्रशासन | १९,५३६ | २३,५९३ | २८,४०१ | ३५,९५३ | ४१,२३५ | ४७,४६२ | ५८,२२८ |
| २० | इतर सेवा | २७,२२३ | ३६,७५२ | ४१,१०६ | ४७,२५७ | ५७,८९१ | ७०,६२९ | ८४,९५८ |
| **२१** | **तृतीय क्षेत्र / सेवा (उप-बेरीज - १३ ते २०)** | **२,४७,५३१** *(५९.६)* | **३,३०,३४२** *(५६.५)* | **३,८२,५७७** *(५५.८)* | **४,४२,०४८** *(५८.६)* | **५,१२,०६५** *(५९.८)* | **६,११,८७०** *(५९.१)* | **७,१४,१६८** *(५९.५)* |
| **२२** | **स्थूल राज्य उत्पन्न एकूण - (६+११+२१)** | **४,१५,४८०** *(१००.०)* | **५,८४,४९७** *(१००.०)* | **६,८४,८१७** *(१००.०)* | **७,५३,९७०** *(१००.०)* | **८,५५,७५१** *(१००.०)* | **१०,३५,०८५** *(१००.०)* | **११,९९,५४७** *(१००.०)* |
| **२३** | **दरडोई स्थूल राज्य उत्पन्न (₹)** | **४०,५०९** | **५५,२७७** | **६३,८१०** | **६९,२३०** | **७७,४५४** | **९२,३८४** | **१,०५,६२३** |

*आधार* - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई

\+ पहिले सुधारित अंदाज ++ दुसरे सुधारित अंदाज

टीप - कंसातील आकडे स्थूल राज्य उत्पन्नांशी टक्केवारी दर्शवितात.

## परिशिष्ट ३.२
## औद्योगिक स्त्रोतांनुसार स्थूल राज्य उत्पन्न - स्थिर (२००४-०५) किंमतीनुसार

(₹ कोटी)

| अ. क्र. | उद्योग | २००४-०५ | २००६-०७ | २००७-०८ | २००८-०९ | २००९-१० | २०१०-११++ | २०११-१२+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) |
| १ | कृषि | ३४,४२३ | ४४,५८७ | ५१,८५५ | ४१,५४९ | ४३,२८६ | ५२,५५६ | ५४,८०५ |
| २ | वन संवर्धन | ९,१३० | ९,८१७ | १०,१९७ | १०,७७५ | ९,६१० | ९,९४७ | १०,५६३ |
| ३ | मासेमारी | १,३७४ | १,५४१ | १,५८९ | १,४८४ | १,४६१ | १,५०४ | १,५७० |
| **४** | **कृषि व संलग्न कार्ये (उप-बेरीज - १+२+३)** | **४४,९२७** *(१००.०)* | **५५,९४५** *(१२४.५)* | **६३,६४१** *(१४१.७)* | **५३,८०८** *(११९.८)* | **५४,३५७** *(१२१.०)* | **६४,००७** *(१४२.५)* | **६६,९३८** *(१३६.४)* |
| ५ | खाण व दगड खाणकाम | ३,४९१ | ३,६६५ | ३,६९४ | ३,५७१ | ३,७६० | ३,७२७ | ३,५२१ |
| **६** | **प्राथमिक क्षेत्र (उप-बेरीज - ४+५)** | **४८,४१८** | **५९,६१०** | **६७,३३५** | **५७,३७९** | **५८,११७** | **६७,७३४** | **७०,४५९** |
| ७ | नोंदणीकृत वस्तुनिर्माण | ५८,५४५ | ९३,४३५ | ९९,३७७ | ९३,६८७ | १,००,४६४ | १,०८,१३१ | १,११,१२२ |
| ८ | अनोंदणीकृत वस्तुनिर्माण | २६,९३१ | ३३,३९५ | ३८,४९१ | ३८,२१३ | ४०,७२६ | ४४,००७ | ४४,८१७ |
| ९ | बांधकाम | २६,१४३ | ३०,३२६ | ३८,१२५ | ४१,८४४ | ४३,८८९ | ४९,१०७ | ५५,१८२ |
| १० | वीज, वायू (गॅस) आणि पाणीपुरवठा | ७,९१२ | ८,६३० | ९,६४६ | १०,००७ | ११,३९६ | १२,८३२ | १४,५३३ |
| **११** | **द्वितीय क्षेत्र (उप-बेरीज - ७ ते १०)** | **१,१९,५३१** | **१,६५,७८६** | **१,८५,६३९** | **१,८३,७५१** | **१,९६,४७५** | **२,१४,०७७** | **२,२५,६५४** |
| **१२** | **उद्योग (उप-बेरीज - ५+११)** | **१,२३,०२२** *(१००.०)* | **१,६९,४५१** *(१३७.७)* | **१,८९,३३३** *(१५३.९)* | **१,८७,३२२** *(१५२.३)* | **२,००,२३५** *(१६२.८)* | **२,१७,८०४** *(१७७.०)* | **२,२९,१७५** *(१५६.६)* |
| १३ | रेल्वे | २,८५२ | ३,२०५ | ३,४२० | ३,९२१ | ४,६७५ | ४,५६५ | ४,९७७ |
| १४ | परिवहन व साठवण | २१,८४७ | २५,५३४ | २६,३०० | २६,६४५ | ३१,९६७ | ३३,६५६ | ३५,७३२ |
| १५ | दळणवळण | ८,२२९ | ११,५७९ | १३,६२५ | १६,००४ | २४,३२७ | ३४,०४४ | ३८,९३५ |
| १६ | व्यापार, हॉटेल्स व उपाहारगृहे | ६७,१५६ | ८३,७२० | ९०,५९५ | ८९,७६९ | १,०५,००१ | १,१२,०१७ | १,१५,३५१ |
| १७ | बँका व विमा उद्योग | ४७,४२६ | ६५,६१६ | ७७,२१५ | ८८,६४७ | ९५,२८९ | १,०८,३९६ | १,२१,०६० |
| १८ | स्थावर मालमत्ता व राहत्या घरांची मालकी, व्यवसाय सेवा व विधी सेवा | ५३,२६२ | ६६,२८४ | ७३,०६५ | ८०,४८९ | ८३,८०९ | ८८,६०७ | ९६,०७८ |
| १९ | सार्वजनिक प्रशासन | १९,५३६ | २१,०७४ | २३,९१८ | २७,९८४ | २८,८७२ | ३०,१७९ | ३३,७७७ |
| २० | इतर सेवा | २७,२२३ | ३२,२४६ | ३३,७१९ | ३५,६०३ | ३८,४१२ | ४१,९३७ | ४५,४०३ |
| **२१** | **तृतीय क्षेत्र / सेवा (उप-बेरीज - १३ ते २०)** | **२,४७,५३१** *(१००.०)* | **३,०९,२५८** *(१२४.९)* | **३,४१,८५७** *(१३८.१)* | **३,६९,०६२** *(१४९.१)* | **४,१२,३५२** *(१६६.६)* | **४,५३,४०१** *(१८३.२)* | **४,९१,३१३** *(१७८.३)* |
| **२२** | **स्थूल राज्य उत्पन्न एकूण - (६+११+२१)** | **४,१५,४८०** *(१००.०)* | **५,३४,६५४** *(१२८.७)* | **५,९४,८३१** *(१४३.२)* | **६,१०,१९२** *(१४६.९)* | **६,६६,९४४** *(१६०.५)* | **७,३५,२१२** *(१७७.०)* | **७,८७,४२६** *(१६७.२)* |
| **२३** | **दरडोई स्थूल राज्य उत्पन्न (₹)** | **४०,५०९** *(१००.०)* | **५०,५६३** *(१२४.८)* | **५५,४२५** *(१३६.८)* | **५६,०२८** *(१३८.३)* | **६०,३६५** *(१४९.०)* | **६५,६१९** *(१६२.०)* | **६९,३३५** *(१५३.४)* |

*आधार* - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई

\+ पहिले सुधारित अंदाज ++ दुसरे सुधारित अंदाज

टीप - कंसातील आकडे स्तंभ (३) शी टक्केवारी दर्शवितात.

## परिशिष्ट ३.३
## औद्योगिक स्त्रोतांनुसार निव्वळ राज्य उत्पन्न - चालू किंमतीनुसार

(₹ कोटी)

| अ. क्र. | उद्योग | २००४-०५ | २००६-०७ | २००७-०८ | २००८-०९ | २००९-१० | २०१०-११++ | २०११-१२+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) |
| १ | कृषि | ३१,१३६ | ४६,९३८ | ६०,३८४ | ५५,२०४ | ६३,८४२ | ९६,८७४ | १,१२,५०८ |
| २ | वन संवर्धन | ९,००९ | १४,४४१ | १३,९९० | १४,७०५ | १७,७२९ | २०,८४६ | २४,८८० |
| ३ | मासेमारी | १,१९६ | १,४३७ | १,५७४ | १,४९३ | १,६४८ | २,०२७ | २,५०० |
| **४** | **कृषि व संलग्न कार्ये** | **४१,३४१** | **६२,८१६** | **७५,९४८** | **७१,४०२** | **८३,२१९** | **१,१९,७४७** | **१,३९,८८८** |
| | **(उप-बेरीज - १+२+३)** | *(११.२)* | *(११.९)* | *(१२.३)* | *(१०.५)* | *(१०.८)* | *(१२.८)* | *(१२.९)* |
| ५ | खाण व दगड खाणकाम | २,९११ | २,५८७ | ३,०२८ | ४,०५६ | ४,१२४ | ३,६०८ | ३,३९४ |
| **६** | **प्राथमिक क्षेत्र (उप-बेरीज - ४+५)** | **४४,२५२** | **६५,४०३** | **७८,९७६** | **७५,४५८** | **८७,३४३** | **१,२३,३५५** | **१,४३,२८२** |
| ७ | नोंदणीकृत वस्तुनिर्माण | ४३,१७१ | ८४,६९६ | ९८,६३३ | ९४,८६२ | १,०२,२७४ | १,१८,६६७ | १,३३,०९२ |
| ८ | अनोंदणीकृत वस्तुनिर्माण | २४,१५७ | ३३,१८३ | ४०,२४३ | ४२,०९४ | ४६,१९७ | ५३,५१८ | ५८,६९४ |
| ९ | बांधकाम | २५,१२५ | ३२,९५२ | ४२,७७२ | ४९,८७४ | ५२,७८५ | ६२,२४४ | ७३,०९९ |
| १० | वीज, वायू (गॅस) आणि पाणीपुरवठा | ३,५६३ | ३,५८५ | ३,८५४ | ६,१०८ | ७,८०१ | ९,११३ | १२,०७३ |
| **११** | **द्वितीय क्षेत्र (उप-बेरीज - ७ ते १०)** | **९६,०१६** | **१,५४,४१६** | **१,८५,५०२** | **१,९२,९३८** | **२,०९,०५७** | **२,४३,५४२** | **२,७६,९५८** |
| **१२** | **उद्योग** | **९८,९२७** | **१,५७,००३** | **१,८८,५३०** | **१,९६,९९४** | **२,१३,१८१** | **२,४७,१५०** | **२,८०,३५२** |
| | **(उप-बेरीज - ५+११)** | *(२६.७)* | *(२९.८)* | *(३०.४)* | *(२९.१)* | *(२७.७)* | *(२६.५)* | *(२५.९)* |
| १३ | रेल्वे | २,३४२ | २,७७९ | ३,२०० | ३,७०६ | ५,२०९ | ४,७२१ | ५,१९९ |
| १४ | परिवहन व साठवण | १९,३६५ | २६,३६७ | ३०,११५ | ३४,४२८ | ३९,९९४ | ४७,३०३ | ५५,५१८ |
| १५ | दळणवळण | ६,९०९ | ८,१२८ | ९,३३९ | १०,५६६ | ११,८८८ | ११,१६३ | ११,००७ |
| १६ | व्यापार, हॉटेल्स व उपाहारगृहे | ६५,०६५ | ९०,१९६ | १,०२,२४६ | १,०८,१४० | १,२४,४४५ | १,४९,७५० | १,६७,५०८ |
| १७ | बँका व विमा उद्योग | ४६,४९९ | ५८,५१४ | ६८,३१८ | ८१,९९९ | ८७,९०३ | १,०७,६९० | १,२४,२२४ |
| १८ | स्थावर मालमत्ता व राहत्या घरांची मालकी, व्यवसाय सेवा व विधी सेवा | ४८,२२९ | ६७,८४० | ८१,२५० | ९६,७५० | १,१६,६४० | १,४१,५०१ | १,७१,३७३ |
| १९ | सार्वजनिक प्रशासन | १५,७०५ | १८,८८० | २२,६२६ | ३०,१२७ | ३४,७३५ | ३९,९८१ | ४९,०५० |
| २० | इतर सेवा | २५,६४१ | ३४,३८७ | ३८,३११ | ४३,६७० | ५३,५८० | ६५,३७० | ७८,६३२ |
| **२१** | **तृतीय क्षेत्र / सेवा** | **२,२९,७५५** | **३,०७,०९१** | **३,५५,४०५** | **४,०९,३८६** | **४,७४,३९४** | **५,६७,४७९** | **६,६२,५११** |
| | **(उप-बेरीज - १३ ते २०)** | *(६२.१)* | *(५८.३)* | *(५७.३)* | *(६०.४)* | *(६१.५)* | *(६०.७)* | *(६१.२)* |
| **२२** | **निव्वळ राज्य उत्पन्न** | **३,७०,०२३** | **५,२६,९१०** | **६,१९,८८३** | **६,७७,७८२** | **७,७०,७९४** | **९,३४,३७६** | **१०,८२,७५१** |
| | **एकूण - (६+११+२१)** | *(१००.०)* | *(१००.०)* | *(१००.०)* | *(१००.०)* | *(१००.०)* | *(१००.०)* | *(१००.०)* |
| **२३** | **दरडोई निव्वळ राज्य उत्पन्न (₹)** | **३६,०७७** | **४९,८३१** | **५७,७६०** | **६२,२३४** | **६९,७६५** | **८३,३९५** | **९५,३३९** |

*आधार* - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई

+ पहिले सुधारित अंदाज ++ दुसरे सुधारित अंदाज

टीप - कंसातील आकडे निव्वळ राज्य उत्पन्नांशी टक्केवारी दर्शवितात.

## परिशिष्ट ३.४
## औद्योगिक स्त्रोतांनुसार निव्वळ राज्य उत्पन्न - स्थिर (२००४-०५) किंमतीनुसार

(₹ कोटी)

| अ. क्र. | उद्योग | २००४-०५ | २००६-०७ | २००७-०८ | २००८-०९ | २००९-१० | २०१०-११[++] | २०११-१२[+] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) |
| १ | कृषि | ३१,१३६ | ४०,९६७ | ४८,१९३ | ३८,३९८ | ३९,८५७ | ४८,३९२ | ५०,४६३ |
| २ | वन संवर्धन | ९,००९ | ९,६५९ | १०,०४५ | १०,६२५ | ९,४५१ | ९,७८२ | १०,३८८ |
| ३ | मासेमारी | १,१९६ | १,३४३ | १,३६५ | १,२८१ | १,२२८ | १,२६४ | १,३१९ |
| **४** | **कृषि व संलग्न कार्ये** | **४१,३४१** | **५१,९६९** | **५९,६०३** | **५०,३०४** | **५०,५३६** | **५९,४३८** | **६२,१७०** |
| | **(उप-बेरीज - १+२+३)** | *(१००.०)* | *(१२५.७)* | *(१४४.२)* | *(१२१.७)* | *(१२२.२)* | *(१४३.८)* | *(१३७.६)* |
| ५ | खाण व दगड खाणकाम | २,९११ | ३,०३१ | २,९६० | २,६४४ | २,७३९ | २,७१५ | २,५६५ |
| **६** | **प्राथमिक क्षेत्र (उप-बेरीज - ४+५)** | **४४,२५२** | **५५,०००** | **६२,५६३** | **५२,९४८** | **५३,२७५** | **६२,१५३** | **६४,७३५** |
| ७ | नोंदणीकृत वस्तुनिर्माण | ४३,१७१ | ७६,१२० | ८१,७२५ | ७१,२९८ | ७८,२३४ | ८४,२०५ | ८६,५३३ |
| ८ | अनोंदणीकृत वस्तुनिर्माण | २४,१५७ | ३०,१७३ | ३५,१३० | ३४,५३६ | ३६,६६७ | ३९,६२० | ४०,३५० |
| ९ | बांधकाम | २५,१२५ | २८,९८७ | ३६,३४३ | ३९,५६० | ४१,५०४ | ४६,४३९ | ५२,१८३ |
| १० | वीज, वायू (गॅस) आणि पाणीपुरवठा | ३,५६३ | ३,६०२ | ३,९१९ | ५,६१७ | ६,४७२ | ७,२६० | ८,१७७ |
| **११** | **द्वितीय क्षेत्र (उप-बेरीज - ७ ते १०)** | **९६,०१६** | **१,३८,८८२** | **१,५७,११७** | **१,५१,०११** | **१,६२,८७७** | **१,७७,५२४** | **१,८७,२४३** |
| **१२** | **उद्योग** | **९८,९२७** | **१,४१,९१३** | **१,६०,०७७** | **१,५३,६५५** | **१,६५,६१६** | **१,८०,२३९** | **१,८९,८०८** |
| | **(उप-बेरीज - ५+११)** | *(२६.७)* | *(१४३.५)* | *(१६१.८)* | *(१५५.३)* | *(१६७.४)* | *(१८२.२)* | *(१५५.२)* |
| १३ | रेल्वे | २,३४२ | २,५९३ | २,८१८ | ३,२४३ | ३,९१२ | ३,८९९ | ४,२५० |
| १४ | परिवहन व साठवण | १९,३६५ | २२,६३१ | २३,१३२ | २२,६९९ | २७,४६४ | २८,९१६ | ३०,६९९ |
| १५ | दळणवळण | ६,९०९ | १०,०५८ | १२,०८३ | १३,९५६ | २१,९७८ | ३०,७५६ | ३५,१७४ |
| १६ | व्यापार, हॉटेल्स व उपाहारगृहे | ६५,०६५ | ८१,०१८ | ८७,५२४ | ८६,०९३ | १,००,९९७ | १,०७,७४५ | १,१०,९५३ |
| १७ | बँका व विमा उद्योग | ४६,४९९ | ६४,६०२ | ७६,१२८ | ८७,५१३ | ९४,१२८ | १,०७,०७४ | १,१९,५८५ |
| १८ | स्थावर मालमत्ता व राहत्या घरांची मालकी, व्यवसाय सेवा व विधी सेवा | ४८,२२९ | ६०,३२८ | ६६,५३८ | ७३,२३४ | ७५,७०७ | ८०,१८८ | ८७,३२२ |
| १९ | सार्वजनिक प्रशासन | १५,७०५ | १६,७९४ | १८,९१६ | २३,२२१ | २३,९६१ | २५,०४६ | २८,०३२ |
| २० | इतर सेवा | २५,६४१ | ३०,०७८ | ३१,२६२ | ३२,६१५ | ३४,९५९ | ३८,१६७ | ४१,३२२ |
| **२१** | **तृतीय क्षेत्र / सेवा** | **२,२९,७५५** | **२,८८,१०२** | **३,१८,४०१** | **३,४२,५७४** | **३,८३,१८६** | **४,२१,७९१** | **४,५७,३३७** |
| | **(उप-बेरीज - १३ ते २०)** | *(६२.१)* | *(१२५.४)* | *(१३८.६)* | *(१४९.१)* | *(१६६.८)* | *(१८३.६)* | *(१७८.५)* |
| **२२** | **निव्वळ राज्य उत्पन्न** | **३,७०,०२३** | **४,८१,९८४** | **५,३८,०८१** | **५,४६,५३३** | **५,९९,३३८** | **६,६१,४६८** | **७,०९,३१५** |
| | **एकूण - (६+११+२१)** | *(१००.०)* | *(१३०.३)* | *(१४५.४)* | *(१४७.७)* | *(१६२.०)* | *(१७८.८)* | *(१६७.४)* |
| **२३** | **दरडोई निव्वळ राज्य उत्पन्न (₹)** | **३६,०७७** | **४५,५८२** | **५०,१३७** | **५०,१८३** | **५४,२४६** | **५९,०३७** | **६२,४५७** |
| | | *(१००.०)* | *(१२६.३)* | *(१३९.०)* | *(१३९.१)* | *(१५०.४)* | *(१६३.६)* | *(१५३.६)* |

*आधार* - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,महाराष्ट्र शासन, मुंबई

\+ पहिले सुधारित अंदाज ++ दुसरे सुधारित अंदाज

टीप - कंसातील आकडे स्तंभ (३) शी टक्केवारी दर्शवितात.

## परिशिष्ट ३.५
## घटक खर्चावर आधारित देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न व राष्ट्रीय स्थूल उत्पन्न - चालू किंमतीनुसार

(₹ कोटी)

| अ. क्र. | उद्योग | २००४-०५ | २००६-०७ | २००७-०८ | २००८-०९ | २००९-१० | २०१०-११++ | २०११-१२+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) |
| १ | कृषि | ४,७६,६३४ | ६,०४,६७२ | ७,१६,२७६ | ८,०६,६४६ | ९,२८,५८६ | ११,३२,०४८ | १२,६८,०८१ |
| २ | वन संवर्धन | ६१,६४० | ८३,१३० | ८१,३११ | ९२,४८५ | १,०४,५५८ | १,१७,५२५ | १,३२,१३१ |
| ३ | मासेमारी | २७,१५२ | ३५,१८२ | ३८,९३१ | ४४,०७३ | ५०,३७० | ५७,३६९ | ६५,५४१ |
| **४** | **कृषि व संलग्न कार्ये** | **५,६५,४२६** | **७,२२,९८४** | **८,३६,५१८** | **९,४३,२०४** | **१०,८३,५१४** | **१३,०६,९४२** | **१४,६५,७५३** |
| | **(उप-बेरीज - १+२+३)** | (१९.१) | (१८.३) | (१८.३) | (१७.८) | (१७.७) | (१८.०) | (१७.५) |
| ५ | खाण व दगड खाणकाम | ८५,०२८ | १,०६,७८७ | १,२४,८१२ | १,३९,८२८ | १,५९,३०४ | १,९६,०९२ | २,०१,०७६ |
| **६** | **प्राथमिक क्षेत्र** | **६,५०,४५४** | **८,२९,७७१** | **९,६१,३३०** | **१०,८३,०३२** | **१२,४२,८१८** | **१५,०३,०३४** | **१६,६६,८२९** |
| | **(उप बेरीज - ४+५)** | | | | | | | |
| ७ | नोंदणीकृत वस्तुनिर्माण | २,९२,३४४ | ४,२७,०७५ | ४,९२,७५८ | ५,६१,४६० | ६,४१,५७३ | ७,६०,६५० | ८,४८,७३४ |
| ८ | अनोंदणीकृत वस्तुनिर्माण | १,६०,८८१ | २,०७,७५३ | २,३९,९६२ | २,५६,८६२ | २,८०,५७८ | ३,२०,१०० | ३,५३,३५२ |
| ९ | बांधकाम | २,२८,८५५ | ३,२२,४२९ | ३,८८,९०८ | ४,५१,०३४ | ५,००,४५८ | ५,९५,४५४ | ६,८५,२०४ |
| १० | वीज, वायू (गॅस) आणि पाणीपुरवठा | ६२,६७५ | ७६,१५३ | ८३,८३० | ९१,०७० | १,१३,८८३ | १,३१,००८ | १,४४,८१७ |
| **११** | **द्वितीय क्षेत्र** | **७,४४,७५५** | **१०,३३,४१०** | **१२,०५,४५८** | **१३,६०,४२६** | **१५,३६,४९२** | **१८,०७,२१२** | **२०,३२,१०७** |
| | **(उप-बेरीज - ७ ते १०)** | | | | | | | |
| **१२** | **उद्योग** | **८,२९,७८३** | **११,४०,१९७** | **१३,३०,२७०** | **१५,००,२५४** | **१६,९५,७९६** | **२०,०३,३०४** | **२२,३३,१८३** |
| | **(उप-बेरीज - ५+११)** | (२७.९) | (२८.८) | (२९.०) | (२८.३) | (२७.८) | (२७.६) | (२६.७) |
| १३ | रेल्वे | २९,१६२ | ३७,४२९ | ४३,६०८ | ४७,४७८ | ५५,५७१ | ५५,६८० | ६०,४७६ |
| १४ | परिवहन व साठवण | १,७१,९७५ | २,२६,९०९ | २,५७,१२० | २,९२,५४० | ३,२९,३३७ | ३,९१,९६४ | ४,५९,५०१ |
| १५ | दळणवळण | ४९,२८० | ५८,६९४ | ६६,०६९ | ७५,४३० | ८६,४८३ | ८०,०९९ | ७५,४७१ |
| १६ | व्यापार, हॉटेल्स व उपाहारगृहे | ४,७७,३०३ | ६,७५,३४७ | ७,८३,२४७ | ८,९५,३९७ | १०,१०,२३२ | १२,४६,९६५ | १५,०७,११० |
| १७ | बँका व विमा उद्योग | १,७१,०९८ | २,१७,१९६ | २,५१,१९५ | २,९८,९३१ | ३,३१,७९३ | ४,१०,४०७ | ४,७९,६८० |
| १८ | स्थावर मालमत्ता व राहत्या घरांची मालकी, व्यवसाय सेवा व विधी सेवा | २,६६,०७६ | ३,६९,३९९ | ४,४०,२६९ | ५,४६,४३८ | ६,३३,१४४ | ७,५५,४९४ | ९,०४,८०१ |
| १९ | सार्वजनिक प्रशासन | १,७४,६३८ | २,०६,०८१ | २,३४,९९२ | ३,०६,६५३ | ४,०३,६४१ | ४,४३,७६२ | ५,०५,७५३ |
| २० | इतर सेवा | २,३६,७२३ | २,९९,०४० | ३,३८,७९८ | ३,९७,२४२ | ४,७९,३९२ | ५,७२,३५० | ६,६१,७६७ |
| **२१** | **तृतीय क्षेत्र / सेवा** | **१५,७६,२५५** | **२०,९०,०९५** | **२४,१५,२९८** | **२८,६०,१०९** | **३३,२९,५९३** | **३९,५६,७२१** | **४६,५४,५५९** |
| | **(उप-बेरीज - १३ ते २०)** | (५३.०) | (५२.९) | (५२.७) | (५३.९) | (५४.५) | (५४.४) | (५५.७) |
| **२२** | **देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न** | **२९,७१,४६४** | **३९,५३,२७६** | **४५,८२,०८६** | **५३,०३,५६७** | **६१,०८,९०३** | **७२,६६,९६७** | **८३,५३,४९५** |
| | **एकूण - (६+११+२१)** | (१००.०) | (१००.०) | (१००.०) | (१००.०) | (१००.०) | (१००.०) | (१००.०) |
| **२३** | **घटक खर्चावर आधारित परदेशातून प्राप्त निव्वळ उत्पन्न** | **(-)२२,३७५** | **(-)३३,२३४** | **(-)२०,५१२** | **(-)३२,९२३** | **(-)३८,०००** | **(-)८१,८०७** | **(-)७६,८३०** |
| **२४** | **राष्ट्रीय स्थूल उत्पन्न** | **२९,४९,०८९** | **३९,२०,०४२** | **४५,६१,५७४** | **५२,७०,६४४** | **६०,७०,९०३** | **७१,८५,१६०** | **८२,७६,६६५** |

*आधार* - केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नवी दिल्ली

+ पहिले सुधारित अंदाज ++ दुसरे सुधारित अंदाज

टीप - कंसातील आकडे देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नाशी टक्केवारी दर्शवितात.

## परिशिष्ट ३.६
## घटक खर्चावर आधारित देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न व राष्ट्रीय स्थूल उत्पन्न - स्थिर (२००४-०५) किंमतीनुसार

(₹ कोटी)

| अ. क्र. | उद्योग | २००४-०५ | २००६-०७ | २००७-०८ | २००८-०९ | २००९-१० | २०१०-११++ | २०११-१२+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) |
| १ | कृषि | ४,७६,६३४ | ५,२३,७४५ | ५,५६,९५६ | ५,५५,४४२ | ५,५७,७१५ | ६,०६,८४८ | ६,३०,५४० |
| २ | वन संवर्धन | ६१,६४० | ६४,७९५ | ६५,६९७ | ६६,९३२ | ६८,८७७ | ७०,३६६ | ७२,०४९ |
| ३ | मासेमारी | २७,१५२ | ३०,६५० | ३२,४२७ | ३३,३१५ | ३४,३९५ | ३६,२६३ | ३६,९०६ |
| **४** | **कृषि व संलग्न कार्ये (उप बेरीज - १+२+३)** | **५,६५,४२६** (१९.०) | **६,१९,१९०** (१७.४) | **६,५५,०८०** (१६.८) | **६,५५,६८९** (१५.८) | **६,६०,९८७** (१४.६) | **७,१३,४७७** (१४.५) | **७,३९,४९५** (१४.१) |
| ५ | खाण व दगड खाणकाम | ८५,०२८ | ९२,५७८ | ९५,९९७ | ९८,०५५ | १,०३,८३० | १,०८,९३८ | १,०८,२४९ |
| **६** | **प्राथमिक क्षेत्र (उप बेरीज - ४+५)** | **६,५०,४५४** | **७,११,७६८** | **७,५१,०७७** | **७,५३,७४४** | **७,६४,८१७** | **८,२२,४१५** | **८,४७,७४४** |
| ७ | नोंदणीकृत वस्तुनिर्माण | २,९२,३४४ | ३,७९,३७४ | ४,१७,५२८ | ४,४२,०५५ | ५,०४,६०१ | ५,५९,४०७ | ५,७३,७६१ |
| ८ | अनोंदणीकृत वस्तुनिर्माण | १,६०,८८१ | १,९१,०८४ | २,११,५४५ | २,१४,२४७ | २,२५,८३४ | २,४२,०६९ | २,४९,२६२ |
| ९ | बांधकाम | २,२८,८५५ | २,८४,८०६ | ३,१५,४९५ | ३,३२,३२९ | ३,५४,४३६ | ३,९०,६९२ | ४,१२,४१२ |
| १० | वीज, वायू (गॅस) आणि पाणीपुरवठा | ६२,६७५ | ७३,३६२ | ७९,४३० | ८३,०५० | ८८,२१८ | ९२,७७३ | ९८,८१४ |
| **११** | **द्वितीय क्षेत्र (उप-बेरीज -७ ते १०)** | **७,४४,७५५** | **९,२८,६२६** | **१०,२३,९९८** | **१०,७१,६८१** | **११,७३,०८९** | **१२,८४,९४१** | **१३,३४,२४९** |
| **१२** | **उद्योग (उप बेरीज - ५+११)** | **८,२९,७८३** (२७.९) | **१०,२१,२०४** (२८.७) | **११,१९,९९५** (२८.७) | **११,६९,७३६** (२८.१) | **१२,७६,९१९** (२८.३) | **१३,९३,८७९** (२८.२) | **१४,४२,४९८** (२७.५) |
| १३ | रेल्वे | २९,१६२ | ३४,८३२ | ३८,२३५ | ४१,१६१ | ४४,७६३ | ४७,४०४ | ५०,९४५ |
| १४ | परिवहन व साठवण | १,७१,९७५ | २,०४,६६५ | २,२२,३४४ | २,३४,२७५ | २,५१,६१३ | २,७१,९३६ | २,९५,२३९ |
| १५ | दळणवळण | ४९,२८० | ७५,६६९ | ९३,९२८ | १,१७,४६५ | १,५४,४९६ | १,९३,७३७ | २,०९,७३९ |
| १६ | व्यापार, हॉटेल्स व उपाहारगृहे | ४,७७,३०३ | ५,९४,९१८ | ६,५५,०१३ | ६,९२,२२४ | ७,४७,०१९ | ८,३२,५८३ | ८,८४,३८९ |
| १७ | बँका व विमा उद्योग | १,७१,०९८ | २,३८,८९९ | २,७८,७७६ | ३,१७,८२६ | ३,५३,९८३ | ४,०६,६०९ | ४,६०,१२२ |
| १८ | स्थावर मालमत्ता व राहत्या घरांची मालकी, व्यवसाय सेवा व विधी सेवा | २,६६,०७६ | ३,२२,१६४ | ३,४९,३४८ | ३,८५,८०३ | ४,१७,९२२ | ४,४३,०२३ | ४,८८,६८६ |
| १९ | सार्वजनिक प्रशासन | १,७४,६३८ | १,८५,६३९ | १,९९,७७३ | २,३९,३४९ | २,८१,३६५ | २,८१,३२२ | २,९६,५०५ |
| २० | इतर सेवा | २,३६,७२३ | २,६७,१८४ | २,८४,१४४ | ३,०५,१४८ | ३,२७,००४ | ३,५३,०३६ | ३,७५,९६४ |
| **२१** | **तृतीय क्षेत्र / सेवा (उप-बेरीज - १३ ते २०)** | **१५,७६,२५५** (५३.१) | **१९,२३,९७०** (५४.०) | **२१,२१,५६१** (५४.५) | **२३,३३,२५१** (५६.१) | **२५,७८,१६५** (५७.१) | **२८,२९,६५०** (५७.३) | **३०,६१,५८९** (५८.४) |
| **२२** | **देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न एकूण - (६+११+२१)** | **२९,७१,४६४** (१००.०) | **३५,६४,३६४** (१००.०) | **३८,९६,६३६** (१००.०) | **४१,५८,६७६** (१००.०) | **४५,१६,०७१** (१००.०) | **४९,३७,००६** (१००.०) | **५२,४३,५८२** (१००.०) |
| **२३** | **घटक खर्चावर आधारित परदेशातून प्राप्त निव्वळ उत्पन्न** | **(-)२२,३७५** | **(-)२९,५१५** | **(-)१७,१७९** | **(-)२५,३८४** | **(-)२७,७५७** | **(-)५४,७५७** | **(-)४६,७३४** |
| **२४** | **राष्ट्रीय स्थूल उत्पन्न** | **२९,४९,०८९** | **३५,३४,८४९** | **३८,७९,४५७** | **४१,३३,२९२** | **४४,८८,३१४** | **४८,८२,२४९** | **५१,९६,८४८** |

*आधार* - केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नवी दिल्ली

\+ पहिले सुधारित अंदाज ++ दुसरे सुधारित अंदाज

टीप - कंसातील आकडे देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नाशी टक्केवारी दर्शवितात.

## परिशिष्ट ३.७
## घटक खर्चावर आधारित देशांतर्गत निव्वळ उत्पन्न व राष्ट्रीय उत्पन्न - चालू किंमतीनुसार

(₹ कोटी)

| अ. क्र. | उद्योग | २००४-०५ | २००६-०७ | २००७-०८ | २००८-०९ | २००९-१० | २०१०-११++ | २०११-१२+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) |
| १ | कृषि | ४,४२,७४१ | ५,६२,३३३ | ६,६७,८७४ | ७,५०,६३१ | ८,६१,४६७ | १०,४९,५४९ | ११,७९,३४१ |
| २ | वन संवर्धन | ६०,८१३ | ८२,१३४ | ८०,२१६ | ९१,२४७ | १,०३,१९० | १,१६,०७९ | १,३०,४६७ |
| ३ | मासेमारी | २३,७३५ | ३०,७७० | ३३,७५१ | ३७,८८४ | ४२,८०१ | ४८,९४१ | ५५,१०२ |
| **४** | **कृषि व संलग्न कार्ये (उप बेरीज - १+२+३)** | **५,२७,२८९** (१९.९) | **६,७५,२३७** (१९.१) | **७,८१,८४१** (१९.१) | **८,७९,७६२** (१८.६) | **१०,०७,४५८** (१८.५) | **१२,१४,५६९** (१८.७) | **१३,६४,९१०** (१८.३) |
| ५ | खाण व दगड खाणकाम | ७०,४६४ | ८६,५१६ | १,००,९४८ | १,११,३१८ | १,२२,७५० | १,५७,६५१ | १,५७,६७७ |
| **६** | **प्राथमिक क्षेत्र (उप बेरीज - ४+५)** | **५,९७,७५३** | **७,६१,७५३** | **८,८२,७८९** | **९,९१,०८०** | **११,३०,२०८** | **१३,७२,२२०** | **१५,२२,५८७** |
| ७ | नोंदणीकृत वस्तुनिर्माण | २,०५,८४४ | ३,११,४९९ | ३,५७,७४८ | ४,०७,०१७ | ४,६३,८८६ | ५,५३,१५२ | ६,१२,०६८ |
| ८ | अनोंदणीकृत वस्तुनिर्माण | १,४०,६५१ | १,८१,९२८ | २,१२,३१७ | २,२५,२१४ | २,४५,२५१ | २,८१,३७८ | ३,१२,४७७ |
| ९ | बांधकाम | २,१८,५११ | ३,०७,२२६ | ३,६९,९९७ | ४,२८,१३६ | ४,७३,८५२ | ५,६३,७७६ | ६,४७,०१६ |
| १० | वीज, वायू (गॅस) आणि पाणीपुरवठा | ३३,७८९ | ३९,३७१ | ४२,१७० | ४५,२९० | ५९,९०६ | ६९,६८९ | ७३,१२४ |
| **११** | **द्वितीय क्षेत्र (उप-बेरीज -७ ते १०)** | **५,९८,७९५** | **८,४०,०२४** | **९,८२,२३२** | **११,०५,६५७** | **१२,४२,८९५** | **१४,६७,९९५** | **१६,४४,६८५** |
| **१२** | **उद्योग (उप बेरीज - ५+११)** | **६,६९,२५९** (२५.२) | **९,२६,५४०** (२६.२) | **१०,८३,१८०** (२६.४) | **१२,१६,९७५** (२५.७) | **१३,६५,६४५** (२५.१) | **१६,२५,६४६** (२५.०) | **१८,०२,३६२** (२४.१) |
| १३ | रेल्वे | २१,६९६ | २८,५२९ | ३४,१४४ | ३६,३९८ | ४४,३०३ | ४२,८९८ | ४६,४७२ |
| १४ | परिवहन व साठवण | १,५६,६६३ | २,०७,६६७ | २,३५,६२८ | २,६६,८०२ | २,९९,१७४ | ३,५७,७१७ | ४,१९,७६१ |
| १५ | दळणवळण | ४१,२२६ | ४९,७०४ | ५५,३९४ | ६१,६७५ | ६८,७७५ | ६२,६६९ | ५३,०२९ |
| १६ | व्यापार, हॉटेल्स व उपाहारगृहे | ४,६४,७५० | ६,५७,२३१ | ७,६१,५२५ | ८,६८,५३० | ९,७८,७०६ | १२,०७,८५० | १४,५८,८८६ |
| १७ | बँका व विमा उद्योग | १,६८,११२ | २,१३,४४४ | २,४७,०१७ | २,९४,२८२ | ३,२६,५८९ | ४,०४,४९९ | ४,७३,१६५ |
| १८ | स्थावर मालमत्ता व राहत्या घरांची मालकी, व्यवसाय सेवा व विधी सेवा | २,२९,७६७ | ३,२१,७०४ | ३,८३,९९९ | ४,७७,९६३ | ५,५२,९२७ | ६,६१,५३८ | ७,९४,१२२ |
| १९ | सार्वजनिक प्रशासन | १,४९,०२० | १,७४,२९८ | १,९८,८८४ | २,६६,४९५ | ३,५८,३३१ | ३,९२,२६९ | ४,४७,१८५ |
| २० | इतर सेवा | २,२३,७९१ | २,८०,१९४ | ३,१५,७८० | ३,६९,४८८ | ४,४७,१९६ | ५,३४,५१२ | ६,१६,८७२ |
| **२१** | **तृतीय क्षेत्र / सेवा (उप-बेरीज - १३ ते २०)** | **१४,५५,०२५** (५४.९) | **१९,३२,७७१** (५४.७) | **२२,३२,३७१** (५४.५) | **२६,४१,६३३** (५५.७) | **३०,७६,००१** (५६.४) | **३६,६३,९५२** (५६.३) | **४३,०९,४९२** (५७.६) |
| **२२** | **देशांतर्गत निव्वळ उत्पन्न एकूण - (६+११+२१)** | **२६,५१,५७३** (१००.०) | **३५,३४,५४८** (१००.०) | **४०,९७,३९२** (१००.०) | **४७,३८,३७०** (१००.०) | **५४,४९,१०४** (१००.०) | **६५,०४,१६७** (१००.०) | **७४,७६,७६४** (१००.०) |
| **२३** | **घटक खर्चावरआधारित परदेशातून प्राप्त निव्वळ उत्पन्न** | **(-)२२,३७५** | **(-)३३,२३५** | **(-)२०,५१४** | **(-)३२,९२३** | **(-)३८,०००** | **(-)८१,८०८** | **(-)७६,८३०** |
| **२४** | **राष्ट्रीय निव्वळ उत्पन्न** | **२६,२९,१९८** | **३५,०१,३१३** | **४०,७६,८७८** | **४७,०५,४४७** | **५४,११,१०४** | **६४,२२,३५९** | **७३,९९,९३४** |
| **२५** | **दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न (₹)** | **२४,१४३** | **३१,२०६** | **३५,८२५** | **४०,७७५** | **४६,२४९** | **५४,१५१** | **६१,५६४** |

*आधार* - केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय,, नवी दिल्ली.

\+ पहिले सुधारित अंदाज ++ दुसरे सुधारित अंदाज

टीप - कंसातील आकडे देशांतर्गत निव्वळ उत्पन्नाशी टक्केवारी दर्शवितात.

## परिशिष्ट ३.८
## घटक खर्चावर आधारित देशांतर्गत निव्वळ उत्पन्न व राष्ट्रीय उत्पन्न - स्थिर (२००४-०५) किंमतीनुसार

(₹ कोटी)

| अ.क्र. (१) | उद्योग (२) | २००४-०५ (३) | २००६-०७ (४) | २००७-०८ (५) | २००८-०९ (६) | २००९-१० (७) | २०१०-११++ (८) | २०११-१२+ (९) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | कृषि | ४,४२,७४१ | ४,८५,५४२ | ५,१५,६४३ | ५,११,१७२ | ५,०९,९१२ | ५,५२,९२० | ५,७६,०७९ |
| २ | वन संवर्धन | ६०,८१३ | ६३,८९९ | ६४,७७१ | ६५,९७१ | ६७,९२९ | ६९,४५४ | ७१,०७९ |
| ३ | मासेमारी | २३,७३५ | २६,४८९ | २७,७८१ | २८,१६६ | २८,३३२ | २९,८२० | २९,५४४ |
| **४** | **कृषि व संलग्न कार्ये (उप बेरीज - १+२+३)** | **५,२७,२८९** (१९.९) | **५,७५,९३०** (१८.१) | **६,०८,१९५** (१७.५) | **६,०५,३०९** (१६.४) | **६,०६,१७३** (१५.२) | **६,५२,१९४** (१४.९) | **६,७६,७०२** (१४.७) |
| ५ | खाण व दगड खाणकाम | ७०,४६४ | ७३,९८२ | ७४,९४५ | ७४,२९९ | ७४,८३१ | ८०,२६१ | ७७,७०२ |
| **६** | **प्राथमिक क्षेत्र (उप बेरीज - ४+५)** | **५,९७,७५३** | **६,४९,९१२** | **६,८३,१४०** | **६,७९,६०८** | **६,८१,००४** | **७,३२,४५५** | **७,५४,४०४** |
| ७ | नोंदणीकृत वस्तुनिर्माण | २,०५,८४४ | २,७१,१२६ | २,९४,७४४ | ३,०८,४७७ | ३,५५,७२२ | ३,९१,५५१ | ३,८९,६६७ |
| ८ | अनोंदणीकृत वस्तुनिर्माण | १,४०,६५१ | १,६७,४२३ | १,८७,१०३ | १,८७,४३२ | १,९६,८३० | २,११,६७१ | २,१८,६६० |
| ९ | बांधकाम | २,१८,५११ | २,७०,५५६ | २,९८,२७० | ३,१२,५२० | ३,३२,३४३ | ३,६५,३९७ | ३,८३,११८ |
| १० | वीज, वायू (गॅस) आणि पाणीपुरवठा | ३३,७८९ | ३९,७४६ | ४२,७३२ | ४४,७६४ | ४५,८९९ | ४६,९४३ | ४७,८४० |
| **११** | **द्वितीय क्षेत्र (उप-बेरीज - ७ ते १०)** | **५,९८,७९५** | **७,४८,८५१** | **८,२२,८४९** | **८,५३,१९३** | **९,३०,७९४** | **१०,१५,५६२** | **१०,३९,२८५** |
| **१२** | **उद्योग (उप बेरीज - ५+११)** | **६,६९,२५९** (२५.२) | **८,२२,८३३** (२५.९) | **८,९७,७९४** (२५.९) | **९,२७,४९२** (२५.१) | **१०,०५,६२५** (२५.२) | **१०,९५,८२३** (२५.१) | **११,१६,९८७** (२४.२) |
| १३ | रेल्वे | २१,६९६ | २६,५४३ | ३०,०२० | ३२,३७० | ३५,५४३ | ३७,५७० | ४०,८१७ |
| १४ | परिवहन व साठवण | १,५६,६६३ | १,८६,४७३ | २,०२,६०० | २,११,८५७ | २,२६,२२४ | २,४४,०५२ | २,६४,०८१ |
| १५ | दळणवळण | ४१,२२६ | ६७,४३२ | ८४,४८४ | १,०५,८४३ | १,४०,३९९ | १,८०,८०६ | १,९३,५२८ |
| १६ | व्यापार, हॉटेल्स व उपाहारगृहे | ४,६४,७५० | ५,७८,३६६ | ६,३६,२६७ | ६,७०,७२९ | ७,२२,६०६ | ८,०३,९७१ | ८,५१,३६९ |
| १७ | बँका व विमा उद्योग | १,६८,११२ | २,३५,४०६ | २,७५,००३ | ३,१३,८२९ | ३,४९,६७५ | ४,०१,९१८ | ४,५५,१५१ |
| १८ | स्थावर मालमत्ता व राहत्या घरांची मालकी,व्यवसाय सेवा व विधी सेवा | २,२९,७६७ | २,७९,३३४ | ३,०२,६९८ | ३,३३,७९४ | ३,५९,५६४ | ३,७९,३२६ | ४,१८,९७७ |
| १९ | सार्वजनिक प्रशासन | १,४९,०२० | १,५६,५४६ | १,६८,१७५ | २,०६,५२१ | २,४७,१२५ | २,४५,१६८ | २,५७,८०३ |
| २० | इतर सेवा | २,२३,७९१ | २,४९,८०२ | २,६३,७७२ | २,८२,०२८ | ३,०१,२३१ | ३,२४,१२३ | ३,४३,३९३ |
| **२१** | **तृतीय क्षेत्र / सेवा (उप-बेरीज - १३ ते २०)** | **१४,५५,०२५** (५४.९) | **१७,७९,९०२** (५६.०) | **१९,६३,०१९** (५६.६) | **२१,५६,९७१** (५८.५) | **२३,८२,३६७** (५९.६) | **२६,१६,९३४** (६०.०) | **२८,२५,११९** (६१.२) |
| **२२** | **देशांतर्गत निव्वळ उत्पन्न एकूण - (६+११+२१)** | **२६,५१,५७३** (१००.०) | **३१,७८,६६५** (१००.०) | **३४,६९,००८** (१००.०) | **३६,८९,७७२** (१००.०) | **३९,९४,१६५** (१००.०) | **४३,६४,९५१** (१००.०) | **४६,१८,८०८** (१००.०) |
| **२३** | **घटक खर्चावर आधारित परदेशातून प्राप्त निव्वळ उत्पन्न** | **(-)२२,३७५** | **(-)२९,५१६** | **(-)१७,१७९** | **(-)२५,३८४** | **(-)२७,७५७** | **(-)५४,७५६** | **(-)४६,७३३** |
| **२४** | **राष्ट्रीय निव्वळ उत्पन्न** | **२६,२९,१९८** | **३१,४९,१४९** | **३४,५१,८२९** | **३६,६४,३८८** | **३९,६६,४०८** | **४३,१०,१९५** | **४५,७२,०७५** |
| **२५** | **दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न (₹)** | **२४,१४३** | **२८,०६७** | **३०,३३२** | **३१,७५४** | **३३,९०१** | **३६,३४२** | **३८,०३७** |

*आधार* - केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नवी दिल्ली

\+ पहिले सुधारित अंदाज ++ दुसरे सुधारित अंदाज

टीप - कंसातील आकडे देशांतर्गत निव्वळ उत्पन्नाशी टक्केवारी दर्शवितात.

# परिशिष्ट ३.९

## जिल्ह्यांतर्गत स्थूल / निव्वळ उत्पन्न आणि दरडोई जिल्हा उत्पन्न

| अ. क्र. | जिल्हा | चालू किंमतीनुसार (₹ कोटी) | | | | स्थिर (२००४-०५) किंमतीनुसार (₹ कोटी) | | | | चालू किंमतीनुसार दरडोई जिल्हा उत्पन्न (₹) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्थूल जिल्हा उत्पन्न | | निव्वळ जिल्हा उत्पन्न | | स्थूल जिल्हा उत्पन्न | | निव्वळ जिल्हा उत्पन्न | | | |
| | | २०१०-११ ++ | २०११-१२ + | २०१०-११ ++ | २०११-१२ + | २०१०-११ ++ | २०११-१२ + | २०१०-११ ++ | २०११-१२ + | २०१०-११ ++ | २०११-१२ + |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) |
| १ | मुंबई # | २,२१,६४७ | २,५७,८१९ | २,००,७८९ | २,३३,१९३ | १,६७,९१४ | १,८१,३०८ | १,५२,२९७ | १,६४,५१२ | १,३३,४२६ | १,५१,६०८ |
| २ | ठाणे | १,३६,८१८ | १,५७,५०१ | १,२२,०८८ | १,४०,७३५ | १,०२,१९७ | १,०९,२४५ | ९१,०५८ | ९७,६१९ | १,२४,२०२ | १,४०,६०८ |
| ३ | रायगड | २९,५१७ | ३४,३७७ | २५,६३३ | २९,८४३ | २०,८९८ | २२,१९३ | १७,९७६ | १९,१२० | १,०३,१९७ | १,१८,८८५ |
| ४ | रत्नागिरी | १३,९१८ | १६,३४९ | १२,४६७ | १४,६२५ | ९,८३० | १०,७१९ | ८,७५४ | ९,५४५ | ६६,६३७ | ७७,५२१ |
| ५ | सिंधुदुर्ग | ७,१६१ | ८,४७१ | ६,६१८ | ७,८१९ | ४,८९७ | ५,३३३ | ४,५२२ | ४,९२३ | ६९,२८२ | ८१,२०१ |
| **कोकण विभाग** | | **४,०९,०६१** | **४,७४,५१७** | **३,६७,५९५** | **४,२६,२१६** | **३,०५,७३६** | **३,२८,७९९** | **२,७४,६०६** | **२,९५,७१९** | **१,२१,७६७** | **१,३८,६०६** |
| ६ | नाशिक | ४८,५२९ | ५९,३७० | ४३,५०० | ५३,३४४ | ३३,६९५ | ३७,९३९ | ३०,०२९ | ३३,९२० | ७५,७३० | ९१,६७३ |
| ७ | धुळे | १२,४३७ | १४,१४० | ११,३३८ | १२,८८५ | ८,५२६ | ८,९१४ | ७,७४२ | ८,११० | ५८,८३९ | ६६,१४० |
| ८ | नंदुरबार | ६,१९९ | ७,३५० | ५,७२० | ६,७८० | ४,०८३ | ४,३१४ | ३,७५४ | ३,९६७ | ३९,२९२ | ४६,१५६ |
| ९ | जळगाव | ३१,२८१ | ३५,५९६ | २८,१९४ | ३२,०४० | २०,५२६ | २१,७३१ | १८,४१४ | १९,५१२ | ६७,५९९ | ७५,९५६ |
| १० | अहमदनगर | ३२,३९२ | ३७,५७५ | २९,५७६ | ३४,३०६ | २१,३१९ | २२,४८० | १९,३८२ | २०,४५२ | ६५,५०३ | ७५,२३३ |
| **नाशिक विभाग** | | **१,३०,८३८** | **१,५४,०३१** | **१,१८,३२७** | **१,३९,३५५** | **८८,१४८** | **९५,३७९** | **७९,३२०** | **८५,९६०** | **६६,४२९** | **७७,३५८** |
| ११ | पुणे | १,१७,५०७ | १,३७,६५१ | १,०४,१९६ | १,२२,२७४ | ८४,१५४ | ९०,४८८ | ७४,१८६ | ७९,९३२ | १,२१,७१२ | १,४०,५७० |
| १२ | सातारा | २३,१८८ | २७,७९० | २१,११२ | २५,३२१ | १६,३९८ | १७,४५४ | १४,८९१ | १५,८७५ | ६७,८५९ | ८०,६७१ |
| १३ | सांगली | २२,८०१ | २६,०२४ | २०,७८६ | २३,७१८ | १५,७६९ | १६,६६७ | १४,३५२ | १५,१९३ | ७१,४८८ | ८०,७०९ |
| १४ | सोलापूर | ३०,३३५ | ३६,०९१ | २७,८९८ | ३३,१८८ | २०,५१६ | २१,६४३ | १८,८२३ | १९,८६४ | ६३,६७५ | ७४,८५६ |
| १५ | कोल्हापूर | ३६,६४५ | ४४,८६६ | ३३,३४५ | ४०,८४९ | २६,०१५ | २७,९९३ | २३,६४२ | २५,४५३ | ८३,४१२ | १,०१,०१४ |
| **पुणे विभाग** | | **२३०४७६** | **२,७२४२२** | **२,०७,३३७** | **२,४५३५०** | **१,६२,८५०** | **१,७४,२४५** | **१,४५,८९४** | **१,५६,३१६** | **९०,३०९** | **१,०५,५११** |

(पुढे चालू)

## परिशिष्ट ३.९ (समाप्त)

| अ. क्र. | जिल्हा | चालू किंमतीनुसार (₹ कोटी) | | | | स्थिर (२००४-०५) किंमतीनुसार (₹ कोटी) | | | | चालू किंमतीनुसार दरडोई जिल्हा उत्पन्न (₹) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्थूल जिल्हा उत्पन्न | | निव्वळ जिल्हा उत्पन्न | | स्थूल जिल्हा उत्पन्न | | निव्वळ जिल्हा उत्पन्न | | | |
| | | २०१०-११ ++ | २०११-१२ + | २०१०-११ ++ | २०११-१२ + | २०१०-११ ++ | २०११-१२ + | २०१०-११ ++ | २०११-१२ + | २०१०-११ ++ | २०११-१२ + |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) |
| १६ | औरंगाबाद | ३१,३८० | ३४,६६९ | २७,८१९ | ३०,६८८ | २१,२६७ | २२,३२५ | १८,६६६ | १९,६१२ | ८३,६४६ | ९१,१०० |
| १७ | जालना | १०,४७६ | १०,८६६ | ९,६६५ | १०,०१० | ६,३०४ | ६,४२५ | ५,७८४ | ५,८९४ | ५३,६९१ | ५५,०६७ |
| १८ | परभणी | ९,७८६ | ११,१५२ | ९,०४० | १०,२९४ | ६,१६५ | ६,५४९ | ५,६७६ | ६,०३१ | ५१,९९७ | ५८,५१२ |
| १९ | हिंगोली | ४,९०० | ५,५१४ | ४,५४१ | ५,१०८ | ३,०७० | ३,२५७ | २,८३६ | ३,००९ | ४१,४४० | ४६,१९० |
| २० | बीड | १३,१७५ | १४,५७८ | १२,१३४ | १३,४०३ | ८,३०१ | ८,७३७ | ७,६०४ | ८,००२ | ५०,३९६ | ५५,१३९ |
| २१ | नांदेड | १६,६१५ | १८,६२४ | १५,३४६ | १७,१८७ | १०,७८६ | ११,३८६ | ९,९३४ | १०,४८९ | ४७,४४८ | ५२,५८३ |
| २२ | उस्मानाबाद | ९,०४६ | ९,९२४ | ८,३३५ | ९,१३३ | ५,६५६ | ५,८०९ | ५,१८७ | ५,३२७ | ५०,५०२ | ५४,८३३ |
| २३ | लातूर | १२,४०० | १५,१७४ | ११,४८२ | १४,०३२ | ८,०८७ | ९,०५३ | ७,४६२ | ८,३४४ | ४९,१११ | ५९,३९६ |
| **औरंगाबाद विभाग** | | **१,०७,७७८** | **१,२०,५०२** | **९८,३६२** | **१,०९,८५४** | **६९,६३७** | **७३,५४२** | **६३,१५१** | **६६,७०९** | **५५,९१७** | **६१,७८९** |
| २४ | बुलढाणा | १२,८१३ | १३,९८९ | ११,७५६ | १२,८२० | ८,५०८ | ८,८७४ | ७,७७६ | ८,११६ | ४७,०२७ | ५०,७७२ |
| २५ | अकोला | ११,६१८ | १२,७२२ | १०,६६८ | ११,६६२ | ८,०८० | ८,४२१ | ७,४०५ | ७,७१७ | ५६,९१५ | ६१,४२३ |
| २६ | वाशिम | ६,२४५ | ६,९२२ | ५,७१३ | ६,३२९ | ३,९०७ | ४,००६ | ३,५५६ | ३,६५० | ५०,२९६ | ५५,२०० |
| २७ | अमरावती | १८,४७१ | २०,७९९ | १६,९५६ | १९,१४३ | १२,५४२ | १३,०२६ | ११,४८५ | ११,९८० | ५६,९०९ | ६३,४६७ |
| २८ | यवतमाळ | १५,५४७ | १६,४९९ | १४,१२२ | १५,०८५ | १०,४०३ | १०,५०६ | ९,३२७ | ९,५२१ | ५१,५१० | ५४,४९७ |
| **अमरावती विभाग** | | **६४,६९४** | **७०,९३०** | **५९,२१३** | **६५,०४०** | **४३,४४०** | **४४,८३३** | **३९,५४९** | **४०,९८४** | **५२,७२४** | **५७,२८०** |
| २९ | वर्धा | ९,०५९ | १०,४६३ | ८,३२३ | ९,६०७ | ६,२७९ | ६,७९० | ५,७४९ | ६,२२० | ५९,६३५ | ६८,०८५ |
| ३० | नागपूर | ४७,३८४ | ५५,१६२ | ४२,८०६ | ४९,७३६ | ३४,६२६ | ३७,५४० | ३१,२३५ | ३३,८३१ | ८८,१०९ | १,००,६६३ |
| ३१ | भंडारा | ७,३१९ | ८,४४० | ६,७०५ | ७,७३२ | ५,०२८ | ५,३६८ | ४,५८९ | ४,९०२ | ५३,१७४ | ६०,७६४ |
| ३२ | गोंदिया | ६,७२२ | ७,७८२ | ६,२१२ | ७,१९१ | ४,६३७ | ४,९६४ | ४,२७२ | ४,५७३ | ४६,८७८ | ५३,८०२ |
| ३३ | चंद्रपूर | १७,०७१ | १९,७३० | १५,१५३ | १७,४९९ | १२,०१६ | १२,९६४ | १०,५२५ | ११,३४८ | ६४,२५५ | ७३,३२८ |
| ३४ | गडचिरोली | ४,६८३ | ५,५६९ | ४,३४३ | ५,१७२ | २,८१३ | ३,००२ | २,५७९ | २,७५५ | ४०,८७६ | ४८,३११ |
| **नागपूर विभाग** | | **९२,२३९** | **१,०७,१४६** | **८३,५४२** | **९६,९३७** | **६५,४००** | **७०,६२८** | **५८,९४८** | **६३,६२८** | **६८,१३७** | **७८,०६३** |
| **महाराष्ट्र** | | **१०,३५,०८६** | **११,९९,५४८** | **९,३४,३७६** | **१०,८२,७५१** | **७,३५,२१२** | **७,८७,४२६** | **६,६१,४६९** | **७,०९,३१५** | **८३,३९५** | **९५,३३९** |

*आधार* - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई

\+ पहिले सुधारित अंदाज ++ दुसरे सुधारित अंदाज # मुंबई (शहर + उपनगर) जिल्हा

टीप - आकडे संक्षिप्तात दिल्यामुळे बेरजा जुळणार नाहीत.

# ४

# किंमती व सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

# ४. किंमती व सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

## किंमती

४.१ किंमतीतील बदलांचा समाजाच्या सर्व घटकांवर थेट परिणाम होतो. किंमती निर्देशांक हे वस्तूंच्या किंमतीत वेळोवेळी होणारे तुलनात्मक बदल मोजण्याचे एक सांख्यिकीय साधन असून आर्थिक नियोजनासाठी एक महत्त्वाचा निर्देशक आहे. ग्राहक किंमती निर्देशांक (ग्राकिंनि) व घाऊक किंमती निर्देशांक (घाकिंनि) ही अनुक्रमे किरकोळ व घाऊक स्तरावरील चलनवाढ मोजण्याची साधने आहेत.

### महाराष्ट्रातील किंमती विषयक स्थिती

४.२ अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांचेतर्फे राज्याच्या ग्रामीण व नागरी भागाकरिता वेगवेगळे मासिक ग्राहक किंमती निर्देशांक (पायाभूत वर्ष २००३) तयार करण्यात येतात. ग्रामीण भागातील ६८ केंद्रांमधून १०६ वस्तू व नागरी भागातील ७४ केंद्रांमधून १२७ वस्तू यांच्या साप्ताहिक किरकोळ किंमती संकलित केल्या जातात.

४.३ राज्यातील ग्रामीण व नागरी भागांचा एप्रिल ते डिसेंबर, २०१२ या कालावधीतील सरासरी निर्देशांक गतवर्षीच्या तत्सम कालावधीच्या तुलनेत अनुक्रमे ९.७ व ९.६ टक्क्यांनी वाढला. निर्देशांकातील वाढ ही मुख्यत: 'दूध व दुग्धजन्य पदार्थ', 'खाद्यतेल', 'भाजीपाला व फळे' या उपगटातील किंमतीत झालेल्या वाढीमुळे झाली आहे. ग्राहक किंमती निर्देशांकांची ग्रामीण तसेच नागरी भागांसाठीची मालिका अनुक्रमे परिशिष्ट ४.१ व परिशिष्ट ४.२ मध्ये दिली आहे.

**आलेख ४.१ : ग्राकिंनि-ग्रामीण**

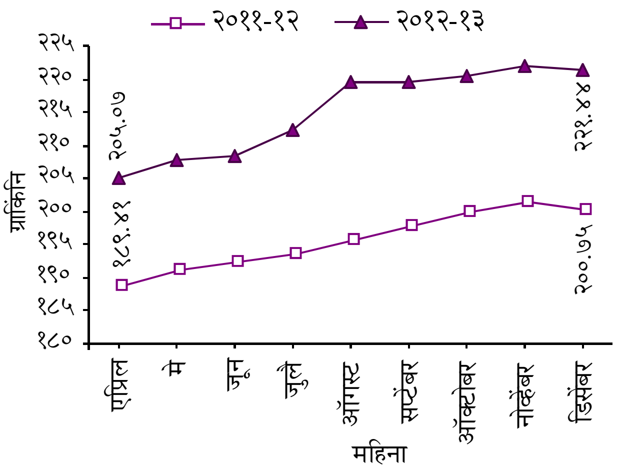


**आलेख ४.२ : ग्राकिंनि-नागरी**

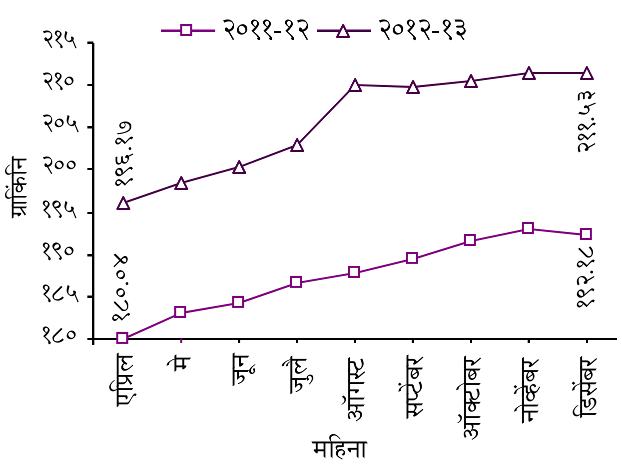


४.४ ग्राहक किंमती निर्देशांकावर आधारित वर्ष-ते-वर्ष चलनवाढीचा दर एप्रिल व डिसेंबर, २०१२ मध्ये ग्रामीण भागासाठी अनुक्रमे ८.३ टक्के व १०.३ टक्के इतका होता, तर नागरी भागासाठी तो अनुक्रमे ९.० टक्के व १०.१ टक्के इतका होता. ग्रामीण भागासाठी 'इंधन, शक्ती व दिवाबत्ती' गटासाठी वर्ष-ते-वर्ष चलनवाढीचा दर एप्रिल व डिसेंबर, २०१२ मध्ये अनुक्रमे १२.८ टक्के व २१.९ टक्के इतका, तर नागरी भागासाठी अनुक्रमे ११.२ टक्के व २४.२ टक्के इतका होता.

### अखिल भारतीय स्तरावर किंमतीविषयक स्थिती

४.५ केंद्रिय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार, अखिल भारतीय व राज्य/केंद्र शासित प्रदेशातील ग्रामीण, नागरी तसेच एकत्रित असे वेगवेगळे ग्राहक किंमती निर्देशांक (पायाभूत वर्ष २०१०) प्रकाशित करते. महाराष्ट्रासाठी एप्रिल, २०१२ ते जानेवारी, २०१३ या कालावधीतील ग्रामीण, नागरी व एकत्रित सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांक अनुक्रमे १२३.५, ११९.९ व १२१.२ असे होते. प्रमुख राज्यांसाठी ग्राहक किंमती निर्देशांक परिशिष्ट ४.३ मध्ये देण्यात आले आहेत.

४.६ श्रम केंद्र, भारत सरकार हे शेत मजुरांकरिता, ग्रामीण मजुरांकरिता आणि औद्योगिक कामगारांकरिता असे तीन प्रकारचे ग्राहक किंमती निर्देशांक दरमहा संकलित व प्रकाशित करते. महाराष्ट्रासह देशातील २० राज्यांकरिता दरमहा शेतमजूर आणि ग्रामीण मजुरांकरिता ग्राहक किंमती निर्देशांक संकलित केले जातात. ह्या निर्देशांकाचा उपयोग कृषी क्षेत्रातील शेतमजुरीचा दर निश्चित आणि सुधारित करण्यासाठी होतो. सदर निर्देशांक तयार करण्यासाठी भारतातील ६०० केंद्रांमधून किरकोळ किंमती गोळा केल्या जातात,

त्यापैकी ५४ केंद्रे राज्यातील आहेत. शेतमजूर आणि ग्रामीण मजूरांकरिता ग्राहक किंमती निर्देशांकांची मालिका परिशिष्ट ४.४ मध्ये दिली आहे. एप्रिल ते डिसेंबर, २०१२ करिता राज्यासाठी आणि अखिल भारतासाठी शेतमजूरांकरिता सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांक अनुक्रमे ७३७.८ आणि ६६२.८ असे होते, जे गतवर्षीच्या तत्सम कालावधीच्या तुलनेत अनुक्रमे १०.१ व .९.२ टक्क्यांनी जास्त होते. राज्यासाठी आणि अखिल भारतासाठी ग्रामीण मजूरांकरिता सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांक अनुक्रमे ७३१.२ आणि ६६४.२ असा होता, जो गतवर्षीच्या तत्सम कालावधीच्या तुलनेत अनुक्रमे १०.४ व ९.४ टक्क्यांनी जास्त होता.

**आलेख ४.३ : अखिल भारतीय औद्योगिक कामगारांकरिता ग्राकिंनि व चलनवाढीचे दर**

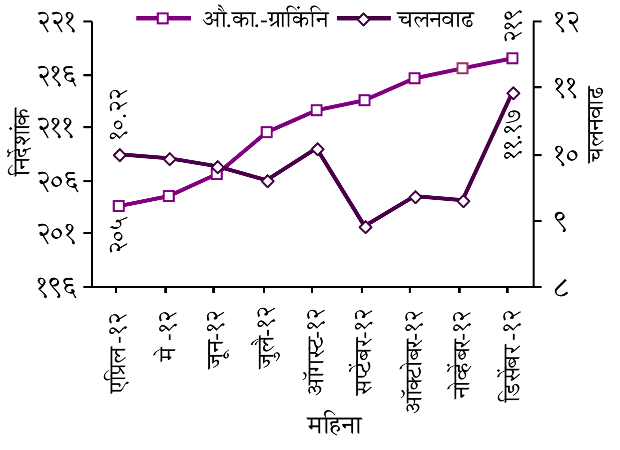


४.७ औद्योगिक कामगारांकरिता ग्राहक किंमती निर्देशांक (औका-ग्राकिंनि) यांचा वापर वर्गीकृत रोजगारातील किमान वेतन निश्चित व सुधारीत करणे यासाठी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील लाखो कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारा महागाई भत्ता ठरविण्यासाठी केला जातो. हा निर्देशांक देशातील औद्योगिक दृष्ट्या विकसित अशा निवडक ७८ केंद्रांमधील जीवनावश्यक वस्तु व सेवा यांच्या किरकोळ किंमतींवर आधारित आहे. एप्रिल ते डिसेंबर, २०१२ दरम्यानच्या कालावधीतील सरासरी औका-ग्राकिंनि गतवर्षीच्या तत्सम कालावधीच्या तुलनेत १०.० टक्क्यांची वाढ दर्शविते. गटनिहाय अखिल भारतीय औका-ग्राकिंनि परिशिष्ट ४.५ मध्ये देण्यात आले आहेत. या ७८ केंद्रांपैकी मुंबई, पुणे, नागपूर, सोलापूर व नाशिक ही पाच केंद्रे राज्यातील आहेत. या केंद्रांसाठी औका-ग्राकिंनि परिशिष्ट ४.६ मध्ये देण्यात आले आहेत. सदर पाच केंद्रांव्यतिरिक्त जळगांव, नांदेड, औरंगाबाद, कोल्हापूर व अकोला या राज्यातील पाच केंद्रांसाठी श्रम आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून औका-ग्राकिंनि स्वतंत्रपणे तयार करण्यात येतात. राज्यातील या अतिरिक्त केंद्रांसाठी औका-ग्राकिंनि परिशिष्ट ४.७ मध्ये देण्यात आले आहेत.

## घाऊक किंमती निर्देशांक

४.८ शासनाचे औद्योगिक, वित्तीय आणि इतर आर्थिक धोरण निश्चितीसाठी घाऊक किंमती निर्देशांक (पायाभूत वर्ष २००४-०५) महत्त्वाचे व निर्णायक ठरतात. यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर बँका, औद्योगिक आणि व्यावसायिक वर्तुळातदेखील केला जातो. हा निर्देशांक आर्थिक सल्लागार, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार मासिक स्वरुपात प्रकाशित करतात. यामध्ये एकूण ६७६ वस्तूंचा समावेश असून त्यापैकी १०२ वस्तू 'प्राथमिक वस्तु' गटात, ५५५ वस्तू 'वस्तुनिर्माण' गटात तर १९ वस्तू 'इंधन व शक्ती' गटात समाविष्ट आहेत.

४.९ सर्व वस्तूंसाठी घाऊक किंमती निर्देशांक एप्रिल, २०१२ मधील १६३.५ वरुन जानेवारी, २०१३ मध्ये १६९.२ इतका वाढला. याच कालावधीत 'प्राथमिक वस्तु' गटाचा निर्देशांक २१५.६ वरुन २२१.४ इतका, 'इंधन व शक्ती' या गटाचा १७८.८ वरुन १८९.५ इतका आणि 'वस्तुनिर्माण' गटाचा १४३.८ वरुन १४८.३ इतका वाढला.

**आलेख ४.४ अखिल भारतीय घाकिंनि व ग्राकिंनि वर आधारित चलनवाढीचे दर**

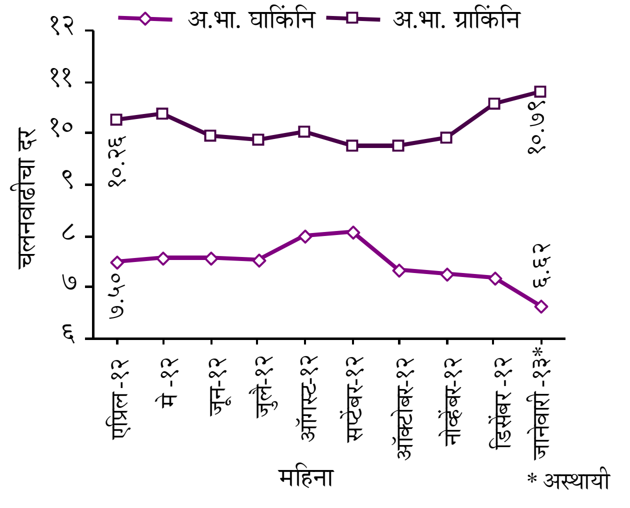


४.१० घाऊक किंमती निर्देशांकावर आधारित वर्ष-ते-वर्ष चलनवाढीचा दर एप्रिल, २०१२ मधील ७.५ टक्क्यांवरून घसरुन जानेवारी, २०१३ मध्ये ६.६ टक्के झाला, तो मागील तीन वर्षातील सर्वात कमी दर होता. ही घट मुख्यत: 'वस्तुनिर्माण ' गटातील कमी दरवाढीमुळे झाली. या कालावधीत 'प्राथमिक वस्तु ' गटातील चलनवाढीचा दर ९.६ टक्क्यांवरून १०.३ टक्के इतका वाढला तर 'प्राथमिक वस्तु' गटातील 'खाद्य पदार्थ' उपगटाच्या चलनवाढीच्या दरात तीव्र घट होऊन तो एप्रिल,२०१२ मधील १०.९ टक्क्यांवरून ऑक्टोबर, २०१२ मध्ये ६.७ टक्के झाला. तो नंतर वाढून जानेवारी, २०१३ मध्ये ११.९ टक्के इतका झाला.

४.११ प्रमुख गटांसाठीचे वर्ष निहाय निर्देशांक व वर्ष-ते-वर्ष चलनवाढीचा दर आलेख ४.५ व ४.६ मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. अखिल भारतीय घाऊक किंमती निर्देशांकाची मालिका परिशिष्ट ४.८ मध्ये दिली आहे तर महत्त्वाच्या किंमतींच्या निर्देशांकांवर आधारित चलनवाढीचे दर परिशिष्ट ४.९ मध्ये दिले आहेत.

**आलेख ४.५ : 'प्राथमिक वस्तू' गटासाठी घाकिंनि व चलनवाढीचे दर**

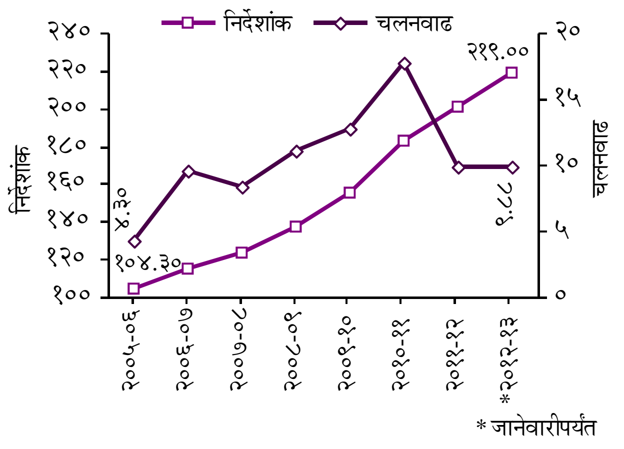


**आलेख ४.६ : 'वस्तुनिर्माण' गटासाठी घाकिंनि व चलनवाढीचे दर**

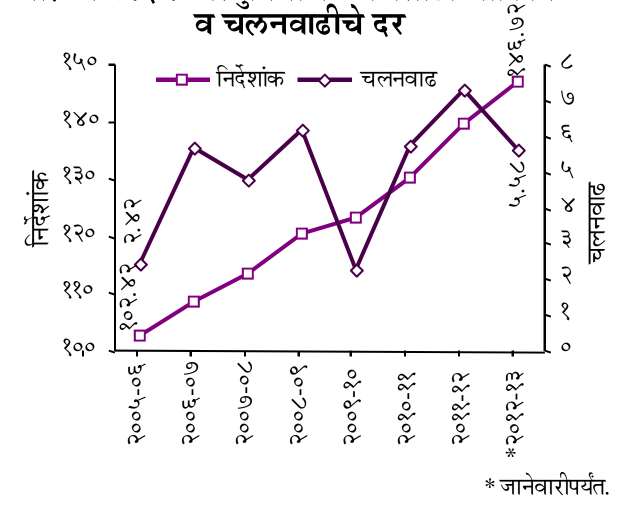


# सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

४.१२ किंमती स्थिर ठेवणे, जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यात कमतरता असल्यास शिधावाटप आणि समाजातील गरीब व गरजू घटकांना मूलभूत वस्तु खात्रीने उपलब्ध करुन देणे ही बहुउद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था या देशात स्थापन करण्यात आली. अन्नधान्याचे प्रापण, साठवणूक, वाहतूक आणि नियतन करणे इ. जबाबदारी केंद्र शासनाची आहे तर रास्त भाव दुकानांचे जाळे निर्माण करून अन्नधान्याचे नियतन व वितरण करणे, दारिद्य रेषेखालील (दारेखा) कुटुंबांची निश्चिती करणे, शिधापत्रिकांचे वाटप आणि रास्त भाव दुकानांचे नियंत्रण इ.ची जबाबदारी राज्यशासनाची आहे. रास्त भाव दुकानांच्या जाळ्याद्वारे गहू, तांदूळ, साखर आणि केरोसीन यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचे नियमित मासिक वितरण केले जाते.

४.१३ रास्त भाव दुकान शिधापत्रिकाधारकांची सोय आणि भौगोलिक संरचना विचारात घेऊन सुरू करण्यात येते. ३१ डिसेंबर, २०१२ रोजी राज्यात ५१,८७७ रास्त भाव दुकाने कार्यरत होती. त्यापैकी २८ फिरती रास्तभाव दुकाने असून ५,७८८ दुकाने आदिवासी भागात आहेत. राज्यात द्वार वितरण योजना ही आदिवासी तसेच अवर्षणप्रवण भागात राबविली जाते.

४.१४ राज्य शासनाने १ मे, १९९९ पासून तीन रंगाच्या शिधापत्रिका वाटपाची योजना सुरु केली. शिधापत्रिकाधारकांची जिल्हानिहाय संख्या असलेला तपशिल परिशिष्ट ४.१० मध्ये देण्यात आला आहे.

४.१५ अन्नधान्याचे योग्य वितरण होण्यासाठी आणि रास्तभाव दुकानांमध्ये गैरव्यवहार टाळण्यासाठी रास्त भाव दुकानांची निरिक्षणे नियमितपणे घेतली जातात. २०१२ मध्ये (रास्त भाव दुकानांची) एकूण ७१,२६० निरिक्षणे घेण्यात आली, ३३६ दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले आणि ₹ ७६.०४ लाख इतका दंड वसूल करण्यात आला. तसेच अपात्र व बनावट शिधापत्रिका शोधण्यासाठी २०११ पर्यंत तीन शोध मोहिमा राबविण्यात आल्या. आतापर्यंत ५४.०६ लाख शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या आहेत. रद्द केलेल्या शिधापत्रिकांची संख्या तक्ता ४.१ मध्ये देण्यात आली आहे.

**तक्ता ४.१ रद्द करण्यात आलेल्या शिधापत्रिकांची संख्या**

( लाखात )

| कालावधी | शिधापत्रिका | | | | | एकूण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | पिवळ्या | | केशरी | सफेद | अन्नपूर्णा | |
| | अंअयो | दारेखा | दारेव | | | |
| २००५-२००८ | ०.८५ | ३.६० | २२.३५ | २.५६ | ०.०८ | २९.४५ |
| २००९-२०१० | ०.८३ | १.५० | १०.३० | ० | ०.१२ | १२.७५ |
| २०११+ | ०.४७ | १.२५ | १०.०२ | ०.०२ | ०.०९ | ११.८६ |

*आधार:* अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन. + ३१ ऑगस्ट,२०११ अखेर

दारेव : दारिद्य रेषेवरील अंअयो : अंत्योदय अन्न योजना

## लक्ष्यनिर्धारीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

४.१६ लक्ष्यनिर्धारीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत ३५ किलो धान्य (गहू व तांदूळ), गहू पाच रुपये प्रति किलो व तांदूळ सहा रुपये प्रति किलो या दराने दारिद्य रेषेखालील कुटुंबांना देण्यात येते. दारिद्य रेषेवरील (केशरी शिधापत्रिकाधारक) कुटुंबांना १५ किलो धान्य (गहू व तांदूळ), गहू ₹ ७.२० प्रति किलो आणि तांदूळ ₹ ९.६० प्रति किलो या दराने देण्यात येते. अन्नधान्याचे नियतन व उचल तक्ता ४.२ व तक्ता ४.३ मध्ये देण्यात आले आहे.

**तक्ता ४.२ दारेखा (अंअयो वगळून) कुटुंबांसाठी अन्नधान्याचे नियतन व उचल**

(लाख मे.टन)

| वर्ष | शिधापत्रिकांची संख्या ( लाखात ) | तांदूळ | | | गहू | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नियतन | उचल | टक्केवारी@ | नियतन | उचल | टक्केवारी@ |
| २०१०-११ | ४३.७५ | ९.६५ | ८.११ | ८४.० | १०.८० | ८.६६ | ८०.२ |
| २०११-१२ | ४२.७२ | ११.२६ | ८.८२ | ७८.३ | १२.१० | ९.५५ | ७८.९ |
| २०१२-१३+ | ४३.२० | ७.६६ | ६.२७ | ८१.९ | ८.६० | ६.८९ | ८०.१ |

*आधार:* अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन +डिसेंबरपर्यंत @ उचलीची नियतनाशी टक्केवारी

**तक्ता ४.३ दारेव कुटुंबांसाठी अन्नधान्याचे नियतन व उचल**

(लाख मे.टन)

| वर्ष | शिधापत्रिकांची संख्या (लाखात ) | तांदूळ | | | गहू | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नियतन | उचल | टक्केवारी@ | नियतन | उचल | टक्केवारी@ |
| २०१०-११ | १३८.४० | ४.५२ | २.५६ | ५६.७ | १६.२७ | ७.८१ | ४८.० |
| २०११-१२ | १३३.४७ | ३.१३ | २.०९ | ६६.८ | १५.९० | ७.०३ | ४४.२ |
| २०१२-१३+ | १३९.५१ | २.९६ | १.९३ | ६५.२ | १२.१४ | ६.२४ | ५१.४ |

*आधार:* अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन +डिसेंबरपर्यंत @ उचलीची नियतनाशी टक्केवारी

## अंत्योदय अन्न योजना

४.१७ अंत्योदय अन्न योजने अंतर्गत १ मे, २००१ पासून सर्व लाभार्थ्यांना गहू व तांदूळ ही अन्नधान्ये (३५किलो) अनुक्रमे दोन रुपये प्रति किलो व तीन रुपये प्रति किलो या दराने पुरविली जातात. अन्नधान्याचे नियतन व उचल तक्ता ४.४ मध्ये दिले आहे.

**तक्ता ४.४ अंत्योदय अन्न योजनेखालील कुटुंबांसाठी अन्नधान्याचे नियतन व उचल**

(लाख मे.टन)

| वर्ष | शिधापत्रिकांची संख्या ( लाखात ) | तांदूळ | | | गहू | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नियतन | उचल | टक्केवारी@ | नियतन | उचल | टक्केवारी@ |
| २०१०-११ | २३.४० | ५.०३ | ४.६१ | ९१.७ | ५.०५ | ४.६१ | ९१.३ |
| २०११-१२ | २२.९४ | ४.९७ | ४.५३ | ९१.२ | ४.८६ | ४.३८ | ९०.१ |
| २०१२-१३+ | २५.४८ | ३.८२ | ३.६३ | ९५.० | ३.९३ | ३.६२ | ९२.१ |

*आधार:* अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन +डिसेंबरपर्यंत @ उचलीची नियतनाशी टक्केवारी

## अन्नपूर्णा योजना

४.१८ राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन अथवा राज्य निवृत्ती वेतन या योजनांतर्गत लाभ मिळत नसलेल्या ६५ वर्षे व त्यावरील निराधारांना अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत दरमहा १० किलो धान्य (गहू व तांदूळ) मोफत पुरविले जाते. सन २०१२-१३ साठी केंद्र शासनाने ₹७.७८ कोटी इतका निधी मंजूर केला असून डिसेंबर, २०१२ पर्यंत ₹ २.२९ कोटी खर्च करण्यात आला. सन २०१२-१३ मध्ये डिसेंबर अखेर अन्नपूर्णा शिधापत्रिकाधारकांची संख्या ०.७५ लाख होती. अन्नधान्याचे नियतन व उचल तक्ता ४.५ मध्ये देण्यात आले आहे.

**तक्ता ४.५ अन्नपूर्णा योजनेखालील कुटुंबांसाठी अन्नधान्याचे नियतन व उचल**

(लाख मे.टन)

| वर्ष | शिधापत्रिकांची संख्या | तांदूळ | | | गहू | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नियतन | उचल | टक्केवारी@ | नियतन | उचल | टक्केवारी@ |
| २०१०-११ | ०.८६ | ५.४ | ४.२ | ७७.५ | ९.० | ७.२ | ८०.० |
| २०११-१२ | ०.७५ | ४.१ | २.९ | ७०.० | ६.१ | ४.७ | ७६.० |

*आधार:* अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन +डिसेंबरपर्यंत @ उचलीची नियतनाशी टक्केवारी

## कल्याणकारी संस्था, वसतीगृहे इ. संस्थांना धान्य वितरण

४.१९ कल्याणकारी संस्था, वसतिगृहे यांना केंद्र शासन गहू पाच रुपये प्रति किलो आणि तांदूळ सहा रुपये प्रति किलो या दराने अतिरिक्त अन्नधान्याचे नियतन मंजूर करते. या योजनेखाली आस्थापना शिधापत्रिकाधारकांना दरमहा प्रति रहिवासी १५ किलो अन्नधान्याचे वाटप करण्यात येते. अशा आस्थापना शिधापत्रिकाधारकांची संख्या ५,४८० असून रहिवाशांची संख्या ७,०२,७८९ आहे आणि दरमहा अन्नधान्याची गरज १०,५४२ मे. टन आहे.

## धान्य हमी योजना

४.२० राज्य शासन लक्ष्यनिर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत पिवळ्या शिधापत्रिकाधारकांना योग्य दर्जाचे धान्य निर्धारीत भावात खात्रीशिररित्या उपलब्ध होण्याच्या उद्देशाने १०,५११ गावांमध्ये धान्य वितरणाची सुधारित पध्दत (धान्य हमी योजना) दि. २३ फेब्रुवारी, २०१२ पासून राबवित आहे. या योजनेअंतर्गत दारिद्य रेषेखालील व अंत्योदय लाभार्थ्यांना तीन महिन्यांचे धान्य एकाचवेळी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी किमान ६० टक्के पिवळ्या शिधापत्रिकाधारकांनी तहसिलदार/शिधावाटप अधिकारी यांच्याकडे लेखी मागणी करावी लागेल. तसेच या तीन महिन्यांच्या अन्नधान्याची किंमत आगाऊ जमा करावी लागेल. त्यानंतर अन्नदिनाच्या दिवशी (प्रत्येक महिन्याच्या सात तारखेस) अन्नधान्याचे वितरण करण्यात येईल.

## नियंत्रित (लेव्ही) साखर

४.२१ केंद्र शासनाने, एकूण साखर उत्पादनातील खुल्या बाजारात विकण्यात येणारी साखर व नियंत्रित (लेव्ही) साखर यांचे प्रमाण ९:१ असे निश्चित केले आहे. अशा प्रकारे गोळा करण्यात आलेली नियंत्रित साखर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत दारिद्य रेषेखालील कुटुंबांना वितरित करण्यात येते. दारिद्य रेषेखालील शिधापत्रिकाधारक आणि त्यांची लोकसंख्या यानुसार दरमहा राज्य शासनाला साधारणत: १३,९६६ मे. टन नियंत्रित साखरेचे नियतन केंद्र शासनाकडून प्राप्त होते. या व्यतिरिक्त ऑगस्ट, २०१२ आणि नोव्हेंबर, २०१२ मध्ये राज्याला साधारणत: ४,५०७ मे. टन नियंत्रित साखरेचा कोटा देण्यात आला होता. सध्या साखरेची किंमत ₹ १३.५० प्रति किलो आहे. नियंत्रित साखरेचे नियतन व उचल तक्ता ४.६ मध्ये देण्यात आले आहे.

**तक्ता ४.६ नियंत्रित साखरेचे नियतन व उचल**

(लाख क्विंटल)

| वर्ष | नियतन | उचल | उचलीची टक्केवारी@ |
|---|---|---|---|
| २०१०-११ | १७.६३ | १२.८८ | ७३.१ |
| २०११-१२ | १७.६५ | १२.१७ | ६९.० |
| २०१२-१३ + | १३.४७ | १०.१८ | ७५.६ |

*आधार: अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन.*
+डिसेंबरपर्यंत

## केरोसीन

४.२२ एप्रिल, २०१२ पासून राज्यास प्रति माह अंदाजे ०.७६ लाख कि.लि. इतके नियतन प्राप्त होते. सद्यस्थितीत मुंबई/ठाणे शिधावाटप क्षेत्रात केरोसीनची किरकोळ किंमत ₹ १४.४४ प्रति लिटर आहे तर इतर जिल्ह्यांमध्ये ती ₹ १४.४४ ते ₹ १६.७५ प्रति लिटर या दरम्यान आहे. केरोसीनचा गैरवापर टाळण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या केरोसीनचा रंग निळा करण्यात आला आहे व फक्त शिधापत्रिकाधारकांनाच देण्यात येते. केरोसीनची उचल नियतनाच्या १०० टक्के आहे. केरोसीनची मागणी व नियतन तक्ता ४.७ मध्ये देण्यात आले आहे.

**तक्ता ४.७ केरोसीनची मागणी आणि नियतन**

(लाख कि.लिटर)

| वर्ष | मागणी | नियतन |
|---|---|---|
| २०१०-११ | २०.२८ | १५.६४ |
| २०११-१२ | १४.९४ | १२.५९ |
| २०१२-१३ + | १०.४१ | ६.८१ |

*आधार: अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन.*
+डिसेंबरपर्यंत

## अन्नधान्यासाठीचे अर्थसहाय्य

४.२३ सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अन्नधान्याच्या वितरणासाठी देण्यात येणारे अर्थसहाय्य, प्रतिकूल काळासाठी ठेवावयाच्या राखीव साठ्याचा देखभालीचा खर्च आणि अन्नधान्य प्रापणासाठीची किंमत व विक्रीची किंमत यातील तफावतीमुळे राज्य शासनास सहन करावी लागणारी तूट यांना एकत्रितरित्या अन्नधान्यासाठीचे अर्थसहाय्य असे संबोधले जाते. सन २०१२-१३ साठी ₹ ३१७.९७ कोटी अर्थसहाय्य अन्नधान्यासाठी देण्यात आले आहे तर सन २०११-१२ साठी ते ₹ २८०.६८ कोटी होते.

## गोदामे

४.२४ सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरीत करावयाच्या अन्नधान्याची उचल भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामातून करुन राज्य शासनाच्या मालकीच्या/भाड्याने घेतलेल्या गोदामात साठवणुक केली जाते. सन २०१२-१३ मध्ये राज्यात १,०२४ गोदामे उपलब्ध असून त्याची साठवणूक क्षमता ५.६२ लाख मेट्रिक टन आहे. त्यापैकी ०.७९ लाख मेट्रिक टन क्षमतेची १९२ गोदामे वापरासाठी अयोग्य असून ०.०६ लाख मेट्रिक टन क्षमतेची ११ गोदामे भाडे तत्वावर देण्यात आली आहेत. राज्य शासनाने ०.४८ लाख मेट्रिक टन क्षमतेची ११० गोदामे अन्नधान्याच्या साठवणूकीसाठी भाड्याने घेतलेली आहेत. जिल्हानिहाय गोदामांची संख्या व त्यांची क्षमता परिशिष्ट ४.१३ मध्ये देण्यात आली आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत गोदामांची साठवणूक क्षमतेत वाढ करण्यासाठी नाबार्डच्या सहाय्याने राज्य शासनाने ५.९५ लाख साठवणूक क्षमता असणारी नवीन गोदामे बांधण्याच्या कामास सुरुवात केली आहे.

## ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प

४.२५ लक्ष्यनिर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संगणकीकरण करण्यासाठी राज्य शासनाने पाऊल उचलले आहे. शिधापत्रिकांच्या माहितीचे संपूर्ण संगणकीकरण झाल्यानंतर सध्याच्या शिधापत्रिकांऐवजी कुटुंब प्रमुखाच्या फोटोसह बारकोडेड शिधापत्रिका देण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे. दिनांक १ मे, २०१२ पासून स्वतंत्र संकेतस्थळ विकसित व कार्यान्वित करण्यात आले आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेबाबत तक्रारी नोंदविण्याची सोय या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तसेच लक्ष्यनिर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी १ मे, २०१२ पासून हेल्पलाईन सुरु करण्यात आली आहे. दि. १ जुलै, २०१२ पासून लघुसंदेश सेवा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. दि. १८ जानेवारी, २०१३ पर्यंत २९ लाख लघुसंदेश पाठविण्यात आले आहेत. एन आय सी ने 'डेपोट कोड मॅनेजमेंट सिस्टम (**DCMS**)', स्टेकहोल्डर आयडेंटिटि मॅनेजमेंट सिस्टम (**SIMS**)', 'एक्झिस्टिंग रेशन कार्ड मॅनेजमेंट सिस्टम (**ERCMS**)'व 'फुडग्रेन अँड इसेनशियल कमॉडिटिज आणि सिक्युरिट टार्गेट (**FEAST**)'हे ऑनलाईन नियतनाचे मोड्युल अशी चार मोड्युल्स विकसित केली आहेत. या मोड्युल्सपैकी, **DCMS** व **SIMS** मधील माहिती नोंदणी पूर्ण करण्यात आली आहे. **ERCMS** मध्ये, २.२६ कोटी शिधापत्रिकांपैकी, १८ जानेवारी, २०१३ पर्यंत १.७६ कोटी शिधापत्रिकांची नोंदणी करण्यात आली आहे.

*****

## परिशिष्ट ४.१
## महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाकरिता ग्राहक किंमतींचे गटवार निर्देशांक

(पायाभूत वर्ष -२००३)

| वर्ष/ महिना | खाद्यपदार्थ | पान, सुपारी आणि तंबाखू | इंधन, वीज व दिवाबत्ती | कापड, बिछाना व पादत्राणे | संकीर्ण | सर्व वस्तू | वार्षिक चलन वाढीचा दर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
| **भारांक** | **५२.८५** | **२.१५** | **१०.६७** | **८.५३** | **२५.८०** | **१००.००** | ... |
| २००४-०५ | १०४ | १०५ | १०३ | १०२ | १०२ | १०४ | ... |
| २००५-०६ | १०९ | १०९ | १०८ | १०३ | १०५ | १०७ | ३.८ |
| २००६-०७ | ११८ | ११७ | १३२ | १०५ | १०८ | ११६ | ७.८ |
| २००७-०८ | १२८ | १२६ | १७६ | १०७ | ११५ | १२८ | १०.३ |
| २००८-०९ | १४२ | १३९ | २३८ | ११० | १२५ | १४५ | १३.२ |
| २००९-१० | १६६ | १५६ | २६१ | १११ | १३६ | १६३ | १२.८ |
| २०१०-११ | १८४ | १७४ | २९७ | ११४ | १५० | १८१ | १०.९ |
| २०११-१२ | २०१ | २०५ | ३२६ | ११९ | १६२ | १९८ | ९.१ |
| २०१२-१३@ | २२० | २४० | ३७६ | १२५ | १६८ | २१५ | ९.७ |
| एप्रिल, २०१२ | २०८ | २२६ | ३५३ | १२२ | १६३ | २०५ | ८.३ |
| मे, २०१२ | २१२ | २२९ | ३५५ | १२३ | १६४ | २०८ | ८.३ |
| जून, २०१२ | २१३ | २३४ | ३५५ | १२४ | १६४ | २०९ | ८.० |
| जुलै, २०१२ | २१९ | २३९ | ३५६ | १२४ | १६६ | २१२ | ९.४ |
| ऑगस्ट, २०१२ | २२५ | २४२ | ३९१ | १२५ | १६७ | २२० | ११.९ |
| सप्टेंबर, २०१२ | २२४ | २४५ | ३९१ | १२५ | १७० | २२० | १०.७ |
| ऑक्टोबर, २०१२ | २२४ | २४७ | ३९३ | १२६ | १७२ | २२१ | १०.० |
| नोव्हेंबर, २०१२ | २२६ | २४८ | ३९५ | १२६ | १७३ | २२२ | ९.९ |
| डिसेंबर, २०१२ | २२४ | २४८ | ३९६ | १२६ | १७३ | २२१ | १०.३ |

आधार - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई.

@ ९ महिन्यांची सरासरी

## परिशिष्ट ४.२
## महाराष्ट्रातील नागरी भागाकरिता ग्राहक किंमतींचे गटवार निर्देशांक

(पायाभूत वर्ष -२००३)

| वर्ष/ महिना | खाद्यपदार्थ | पान, सुपारी आणि तंबाखू | इंधन, वीज व दिवाबत्ती | कापड, बिछाना व पादत्राणे | संकीर्ण | सर्व वस्तू | वार्षिक चलन वाढीचा दर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
| **भारांक** | **४५.८०** | **१.५४** | **१०.२८** | **७.५१** | **३४.८७** | **१००.००** | **...** |
| २००४-०५ | १०५ | १०३ | १०३ | १०२ | १०४ | १०४ | ... |
| २००५-०६ | १०९ | १०७ | १०७ | १०३ | १०७ | १०८ | ३.२ |
| २००६-०७ | १२० | ११२ | १२४ | १०५ | ११० | ११५ | ७.२ |
| २००७-०८ | १२८ | १२१ | १६२ | १०६ | ११५ | १२५ | ८.७ |
| २००८-०९ | १४२ | १३४ | २२४ | १०९ | १२३ | १४१ | १२.९ |
| २००९-१० | १६५ | १४७ | २४५ | ११३ | १३१ | १५७ | ११.४ |
| २०१०-११ | १८६ | १६९ | २७८ | ११८ | १४३ | १७५ | ११.४ |
| २०११-१२ | २०१ | २०५ | २९७ | १२६ | १५४ | १८९ | ७.९ |
| २०१२-१३@ | २२३ | २२९ | ३४३ | १३२ | १५८ | २०६ | ९.६ |
| एप्रिल, २०१२ | २१२ | २१७ | ३१६ | १३० | १५३ | १९६ | ९.० |
| मे, २०१२ | २१६ | २२१ | ३१७ | १३० | १५४ | १९८ | ८.४ |
| जून, २०१२ | २१९ | २२३ | ३१७ | १३१ | १५६ | २०० | ८.७ |
| जुलै, २०१२ | २२४ | २२७ | ३१७ | १३१ | १५६ | २०३ | ८.७ |
| ऑगस्ट, २०१२ | २२८ | २२९ | ३६३ | १३२ | १५८ | २१० | ११.८ |
| सप्टेंबर, २०१२ | २२६ | २३१ | ३६३ | १३२ | १५९ | २१० | १०.७ |
| ऑक्टोबर, २०१२ | २२७ | २३४ | ३६४ | १३३ | १६० | २१० | ९.८ |
| नोव्हेंबर, २०१२ | २२८ | २४० | ३६५ | १३३ | १६१ | २१२ | ९.५ |
| डिसेंबर, २०१२ | २२७ | २४२ | ३६५ | १३३ | १६२ | २१२ | १०.१ |

आधार - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई.

@ ९ महिन्यांची सरासरी

## परिशिष्ट ४.३

## महत्त्वाच्या राज्यांसाठी ग्राहक किंमती निर्देशांक (केंद्रिय)

(एप्रिल — जानेवारी )

| राज्ये | ग्रामीण | | | नागरी | | | एकत्रित | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | २०११-१२ | २०१२-१३ | % वाढ | २०११-१२ | २०१२-१३ | % वाढ | २०११-१२ | २०१२-१३ | % वाढ |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) |
| आंध्र प्रदेश | १११.५३ | १२२.०७ | ९.४५ | १०८.७५ | १२१.२७ | ११.५१ | ११०.४४ | १२१.७४ | १०.२३ |
| बिहार | ११०.०७ | १२२.५७ | १०.३५ | १०९.८४ | १२१.१२ | १०.२७ | ११०.८७ | १२२.३३ | १०.३४ |
| गुजरात | ११५.१७ | १२५.९९ | ९.३९ | ११०.६३ | १२१.१३ | ९.४९ | ११२.६६ | १२३.३४ | ९.४८ |
| कर्नाटक | ११३.८५ | १२५.४८ | १०.२२ | १११.१९ | १२२.९२ | १०.५५ | ११२.४९ | १२४.१७ | १०.३८ |
| केरळ | ११४.०९ | १२२.०२ | ६.९५ | ११२.७४ | १२३.१८ | ९.२६ | ११३.६६ | १२२.४० | ७.६९ |
| मध्य प्रदेश | ११२.९२ | १२४.४५ | १०.२१ | १०९.०६ | १२०.१३ | १०.१५ | १११.३० | १२२.६२ | १०.१७ |
| महाराष्ट्र | ११२.९३ | १२३.४६ | ९.३२ | १०९.४७ | ११९.८९ | ९.५२ | ११०.७५ | १२१.२१ | ९.४४ |
| पंजाब | १०९.०६ | ११९.०१ | ९.१२ | १०९.३३ | ११९.६२ | ९.४१ | १०९.१९ | ११९.३० | ९.२६ |
| राजस्थान | ११०.९६ | १२४.७५ | १२.४३ | १०८.८५ | १२०.०० | १०.२४ | ११०.१९ | १२३.०२ | ११.६४ |
| तामिळनाडू | ११२.६५ | १२५.३६ | ११.२८ | १०९.६० | १२३.८३ | ` १२.९८ | ११०.९५ | १२४.४९ | १२.२० |
| उत्तरप्रदेश | १११.८३ | १२४.३० | ११.१५ | १०९.३१ | १२०.८९ | १०.५९ | १११.०३ | १२३.२३ | १०.९९ |
| पश्चिम बंगाल | ११५.८९ | १२७.८५ | १०.३२ | १०८.६३ | १२०.२० | १०.६५ | ११२.७४ | १२४.५१ | १०.४४ |
| **अखिल भारत** | **११२.५३** | **१२३.७७** | **९.९९** | **१०९.६३** | **१२०.९५** | **१०.३३** | **१११.२८** | **१२२.५४** | **१०.१२** |

*आधार :* केंद्रिय सांख्यिकी संघटना,भारत सरकार

टीप : प्रत्येक राज्यासाठी आयटेम बास्केट वेगवेगळी आहे.

# परिशिष्ट ४.४

## महाराष्ट्र व अखिल भारतातील शेतमजुरांकरिता व ग्रामीण मजुरांकरिता ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक

(पायाभूत वर्ष : १९८६-८७)

| वर्ष / महिना | शेतमजुरांकरिता ग्राहक किंमतींचा निर्देशांक | | | | ग्रामीण मजुरांकरिता ग्राहक किंमतींचा निर्देशांक | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | महाराष्ट्र | | अखिल भारत | | महाराष्ट्र | | अखिल भारत | |
| | खाद्यपदार्थ गट | सर्वसाधारण निर्देशांक | खाद्यपदार्थ गट | सर्वसाधारण निर्देशांक | खाद्यपदार्थ गट | सर्वसाधारण निर्देशांक | खाद्यपदार्थ गट | सर्वसाधारण निर्देशांक |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) |
| २०००-०१ | ३१६ | ३०५ | ३०३ | ३०५ | ३१६ | ३०५ | ३०३ | ३०७ |
| २००१-०२ | ३०७ | ३०३ | ३०२ | ३०९ | ३०८ | ३०४ | ३०३ | ३११ |
| २००२-०३ | ३२२ | ३१७ | ३१२ | ३१९ | ३२२ | ३१७ | ३१३ | ३२१ |
| २००३-०४ | ३४२ | ३३२ | ३२५ | ३३१ | ३४१ | ३३२ | ३२६ | ३३३ |
| २००४-०५ | ३५७ | ३४६ | ३३३ | ३३९ | ३५६ | ३४६ | ३३४ | ३४१ |
| २००५-०६ | ३६५ | ३६२ | ३४४ | ३५३ | ३६४ | ३६२ | ३४५ | ३५५ |
| २००६-०७ | ४०२ | ३९४ | ३७६ | ३८० | ४०० | ३९२ | ३७६ | ३८२ |
| २००७-०८ | ४३७ | ४२३ | ४०६ | ४०९ | ४३४ | ४२० | ४०६ | ४०९ |
| २००८-०९ | ४८४ | ४६४ | ४५२ | ४५० | ४८० | ४६० | ४५२ | ४५१ |
| २००९-१० | ५७४ | ५४० | ५२२ | ५१३ | ५७१ | ५३५ | ५२३ | ५१३ |
| २०१०-११ | ६३३ | ६०० | ५७२ | ५६४ | ६२९ | ५९५ | ५७३ | ५६४ |
| २०११-१२ | ७०४ | ६७६ | ६०२ | ६११ | ६९७ | ६६८ | ६०३ | ६११ |
| २०१२-१३ @ | ७६६ | ७३८ | ६४९ | ६६३ | ७५९ | ७३१ | ६५१ | ६६४ |
| एप्रिल, २०१२ | ७२९ | ७०५ | ६१६ | ६३३ | ७२१ | ६९८ | ६१८ | ६३४ |
| मे, २०१२ | ७३४ | ७०९ | ६२१ | ६३८ | ७२७ | ७०३ | ६२४ | ६४० |
| जून, २०१२ | ७३९ | ७१५ | ६३० | ६४६ | ७३१ | ७०८ | ६३२ | ६४८ |
| जुलै, २०१२ | ७५८ | ७३० | ६४३ | ६५६ | ७५० | ७२२ | ६४५ | ६५८ |
| ऑगस्ट, २०१२ | ७७७ | ७४५ | ६५४ | ६६६ | ७७० | ७३८ | ६५६ | ६६७ |
| सप्टेंबर, २०१२ | ७८० | ७४९ | ६६३ | ६७३ | ७७३ | ७४३ | ६६५ | ६७५ |
| ऑक्टोबर, २०१२ | ७८५ | ७५६ | ६६८ | ६८० | ७७९ | ७५० | ६७१ | ६८१ |
| नोव्हेंबर, २०१२ | ७९२ | ७६३ | ६७२ | ६८५ | ७८६ | ७५७ | ६७४ | ६८६ |
| डिसेंबर, २०१२ | ७९६ | ७६८ | ६७४ | ६८८ | ७९० | ७६२ | ६७७ | ६८९ |

आधार - श्रम ब्युरो, भारत सरकार, सिमला

@ ९ महिन्यांची सरासरी

## परिशिष्ट ४.५

## औद्योगिक कामगारांकरिता अखिल भारतीय ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक

(पायाभूत वर्ष -२००१)

| वर्ष/ महिना | खाद्यपदार्थ | पान, सुपारी, तंबाखू व मादक पदार्थ | इंधन व दिवाबत्ती | निवास | कापड, बिछाना व पादत्राणे | संकीर्ण | सर्वसाधारण निर्देशांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
| **भारांक** | **४६.१९** | **२.२७** | **६.४३** | **१५.२७** | **६.५८** | **२३.२६** | **१००.०** |
| २००५-०६ | ११५ | ११२ | १२३ | ११८ | ११० | १२० | ११७ |
| २००६-०७ | १२६ | ११६ | १३० | १२६ | ११४ | १२६ | १२५ |
| २००७-०८ | १३६ | १२८ | १३३ | १३१ | ११८ | १३१ | १३३ |
| २००८-०९ | १५३ | १३८ | १४४ | १३७ | १२२ | १४१ | १४५ |
| २००९-१० | १७६ | १५० | १४९ | १६६ | १२८ | १४९ | १६३ |
| २०१०-११ | १९४ | १६८ | १६३ | २०१ | १३६ | १५७ | १८० |
| २०११-१२ | २०६ | १९४ | १८८ | २२२ | १५५ | १६८ | १९५ |
| २०१२-१३@ | २२८ | २२० | २१२ | २३६ | १६८ | १८० | २१३ |
| एप्रिल, २०१२ | २१८ | २१० | २०६ | २३१ | १६३ | १७४ | २०५ |
| मे, २०१२ | २१९ | २१३ | २०६ | २३१ | १६५ | १७५ | २०६ |
| जून, २०१२ | २२२ | २१७ | २०९ | २३१ | १६५ | १७७ | २०८ |
| जुलै, २०१२ | २२७ | २१९ | २०९ | २३८ | १६७ | १७८ | २१२ |
| ऑगस्ट, २०१२ | २३० | २२१ | २१० | २३८ | १६७ | १८० | २१४ |
| सप्टेंबर, २०१२ | २३२ | २२२ | २१३ | २३८ | १६९ | १८२ | २१५ |
| ऑक्टोबर, २०१२ | २३३ | २२४ | २१६ | २३८ | १७० | १८३ | २१७ |
| नोव्हेंबर, २०१२ | २३५ | २२६ | २१७ | २३८ | १७१ | १८५ | २१८ |
| डिसेंबर, २०१२ | २३५ | २२७ | २१९ | २३८ | १७३ | १८७ | २१९ |

आधार - श्रम ब्युरो, भारत सरकार, सिमला

@ ९ महिन्यांची सरासरी

## परिशिष्ट ४.६

## महाराष्ट्र राज्यातील निवडक केंद्रांमधील औद्योगिक कामगारांकरिता ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक

(केंद्रिय केंद्रे)

| वर्ष / महिना | मुंबई | | सोलापूर | | नागपूर | | पुणे | | नाशिक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | खाद्यपदार्थ गट | सर्वसाधारण निर्देशांक | खाद्यपदार्थ गट | सर्वसाधारण निर्देशांक | खाद्यपदार्थ गट | सर्वसाधारण निर्देशांक | खाद्यपदार्थ गट | सर्वसाधारण निर्देशांक | खाद्यपदार्थ गट | सर्वसाधारण निर्देशांक |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) |
| | | | | | | | | | | (पायाभूत वर्ष - २००१) |
| **भारांक** | **४८.९** | **१००.०** | **५४.७** | **१००.०** | **४३.१** | **१००.०** | **३९.८** | **१००.०** | **४१.४** | **१००.०** |
| २००५-०६ | ११५ | ११८ | ११३ | ११५ | ११५ | ११९ | १२० | ११९ | ११९ | ११८ |
| २००६-०७ | १२६ | १२८ | १२६ | १२७ | १३३ | १३४ | १३४ | १३० | १३१ | १२६ |
| २००७-०८ | १३६ | १३६ | १४९ | १४२ | १४६ | १४२ | १४५ | १३८ | १४० | १३२ |
| २००८-०९ | १५१ | १४८ | १५९ | १५१ | १६६ | १५५ | १६० | १५० | १५५ | १४२ |
| २००९-१० | १७३ | १६३ | १७६ | १६६ | १९२ | १८३ | १८३ | १६७ | १८३ | १६५ |
| २०१०-११ | १९१ | १७८ | १८९ | १८२ | २०५ | २०७ | २०३ | १८५ | २०२ | १८६ |
| २०११-१२ | २०८ | १९६ | २१४ | २०४ | २१६ | २२४ | २२६ | २०४ | २१६ | २०८ |
| २०१२-१३@ | २३० | २१६ | २२७ | २१८ | २४२ | २४३ | २४५ | २१९ | २३१ | २२६ |
| एप्रिल, २०१२ | २२५ | २०८ | २२४ | २१४ | २२९ | २३४ | २३८ | २१२ | २१६ | २१५ |
| मे, २०१२ | २२४ | २०८ | २२५ | २१५ | २३३ | २३६ | २४० | २१४ | २१८ | २१६ |
| जून, २०१२ | २२४ | २१२ | २२३ | २१४ | २३७ | २३९ | २४० | २१४ | २२१ | २१८ |
| जुलै, २०१२ | २२८ | २१४ | २२४ | २१५ | २४४ | २४४ | २४३ | २१८ | २२७ | २२३ |
| ऑगस्ट, २०१२ | २२९ | २१६ | २२९ | २१८ | २५० | २४७ | २४२ | २१९ | २३६ | २२८ |
| सप्टेंबर, २०१२ | २३२ | २१९ | २२७ | २१८ | २५१ | २४९ | २४७ | २२२ | २३८ | २३३ |
| ऑक्टोबर, २०१२ | २३४ | २२१ | २२८ | २२२ | २४८ | २४९ | २५१ | २२४ | २३८ | २३३ |
| नोव्हेंबर, २०१२ | २३६ | २२२ | २३२ | २२५ | २४३ | २४७ | २५१ | २२४ | २४३ | २३५ |
| डिसेंबर, २०१२ | २३७ | २२३ | २२८ | २२३ | २४० | २४६ | २५३ | २२५ | २४० | २३४ |

आधार - श्रम ब्युरो, भारत सरकार, सिमला

@ ९ महिन्यांची सरासरी

# परिशिष्ट ४.७

## महाराष्ट्र राज्यातील निवडक केंद्रांमधील औद्योगिक कामगारांकरिता ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक

(राज्य केंद्रे)

| वर्ष / महिना | अकोला | | कोल्हापूर | | जळगाव | | नांदेड | | औरंगाबाद | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | खाद्यपदार्थ गट | सर्वसाधारण निर्देशांक | खाद्यपदार्थ गट | सर्वसाधारण निर्देशांक | खाद्यपदार्थ गट | सर्वसाधारण निर्देशांक | खाद्यपदार्थ गट | सर्वसाधारण निर्देशांक | खाद्यपदार्थ गट | सर्वसाधारण निर्देशांक |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) |
| | | | | | | | | | | (पायाभूत वर्ष - २००१) |
| **भारांक** | **४५.८८** | **१००.०** | **४८.२२** | **१००.०** | **४७.७६** | **१००.०** | **४९.०५** | **१००.०** | **४०.७९** | **१००.०** |
| २००८-०९ | १३४ | १४४ | १५० | १४९ | १५१ | १५० | १५३ | १५४ | १४८ | १५० |
| २००९-१० | १५६ | १६१ | १६९ | १६४ | १७२ | १६७ | १६९ | १७४ | १७१ | १६४ |
| २०१०-११ | १७० | १७५ | १९१ | १८४ | १९५ | १८६ | १८७ | २०० | १८८ | १८३ |
| २०११-१२ | १८३ | १८८ | २१७ | २०७ | २१८ | २०६ | २१५ | २२७ | २१२ | २०६ |
| २०१२-१३ @ | २०८ | २१३ | २३४ | २२३ | २३९ | २२७ | २२९ | २४८ | २३६ | २३० |
| एप्रिल, २०१२ | १९८ | १९९ | २३० | २१६ | २३० | २१६ | २२१ | २३९ | २१९ | २१५ |
| मे, २०१२ | २०० | २०१ | २३५ | २२० | २३० | २१७ | २२५ | २४१ | २२७ | २२० |
| जून, २०१२ | २०१ | २०५ | २३५ | २२१ | २३३ | २१९ | २२६ | २४२ | २३४ | २२३ |
| जुलै, २०१२ | २१२ | २११ | २३३ | २२१ | २३४ | २२३ | २३० | २४६ | २३७ | २२८ |
| ऑगस्ट, २०१२ | २१४ | २१४ | २३४ | २२२ | २४१ | २२९ | २३० | २४७ | २३९ | २३१ |
| सप्टेंबर, २०१२ | २१५ | २२३ | २३४ | २२६ | २४१ | २३४ | २३० | २५२ | २४० | २३६ |
| ऑक्टोबर, २०१२ | २१२ | २२२ | २३५ | २२७ | २४४ | २३५ | २३१ | २५३ | २४२ | २३७ |
| नोव्हेंबर, २०१२ | २०९ | २२१ | २३४ | २२७ | २४७ | २३७ | २३३ | २५४ | २४२ | २३९ |
| डिसेंबर, २०१२ | २१२ | २२१ | २३५ | २२८ | २४७ | २३७ | २३५ | २५५ | २४३ | २३८ |

आधार - कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई

@ ९ महिन्यांची सरासरी

## परिशिष्ट ४.८
## अखिल भारतीय घाऊक किंमतींचे निर्देशांक

| वर्ष/ महिना | प्राथमिक वस्तू | इंधन, वीज, दिवाबत्ती व वंगण | वस्तुनिर्माण उत्पादने | सर्व वस्तू |
|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| | | | | (पायाभूत वर्ष - २००४-०५) |
| **भारांक** | **२०.१२** | **१४.९१** | **६४.९७** | **१००.००** |
| २००५-०६ | १०४.३ | ११३.६ | १०२.३ | १०४.४ |
| २००६-०७ | ११४.३ | १२०.९ | १०८.० | १११.२ |
| २००७-०८ | १२३.९ | १२१.० | ११३.३ | ११६.५ |
| २००८-०९ | १३७.५ | १३५.० | १२०.२ | १२५.९ |
| २००९-१० | १५४.९ | १३२.१ | १२२.४ | १३०.४ |
| २०१०-११ | १८२.४ | १४८.३ | १३०.१ | १४३.३ |
| २०११-१२ | २००.३ | १६९.० | १३९.५ | १५६.१ |
| २०१२-१३@ | २१९.० | १८४.५ | १४६.७ | १६६.९ |
| एप्रिल, २०१२ | २१५.६ | १७८.८ | १४३.८ | १६३.५ |
| मे, २०१२ | २१५.० | १७८.९ | १४४.६ | १६३.९ |
| जून, २०१२ | २१५.० | १८१.१ | १४५.३ | १६४.७ |
| जुलै, २०१२ | २१९.१ | १७९.५ | १४६.१ | १६५.८ |
| ऑगस्ट, २०१२ | २२१.८ | १८१.७ | १४७.२ | १६७.३ |
| सप्टेंबर, २०१२ | २२१.६ | १८८.५ | १४८.० | १६८.८ |
| ऑक्टोबर, २०१२ | २१९.४ | १८९.८ | १४७.९ | १६८.५ |
| नोव्हेंबर, २०१२ | २२१.१ | १८८.७ | १४८.० | १६८.८ |
| डिसेंबर, २०१२* | २२०.० | १८८.९ | १४८.० | १६८.६ |
| जानेवारी, २०१३ * | २२१.४ | १८९.५ | १४८.३ | १६९.२ |

आधार - आर्थिक सल्लागारांचे कार्यालय, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली.

@ १० महिन्यांची सरासरी * अस्थायी

## परिशिष्ट ४.९

## महत्त्वाच्या किंमती निर्देशांकावर आधारित चलनवाढीचे दर

| वर्ष / महिना | चलन वाढीचे दर | | | |
|---|---|---|---|---|
| | अखिल भारतीय घाऊक किंमतीचा निर्देशांक # | औद्योगिक कामगारांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमतीचा निर्देशांक + | शेतमजुरांकरिता अखिल भारतीय ग्राहक किंमतीचा निर्देशांक + | ग्रामीण मजुरांकरिता अखिल भारतीय ग्राहक किंमतीचा निर्देशांक + |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| २०००-०१ | ७.१३ | ३.८२ | (-) ०.३३ | ०.०३ |
| २००१-०२ | ३.६२ | ४.३१ | १.०९ | १.३३ |
| २००२-०३ | ३.३८ | ३.९८ | ३.१६ | ३.१३ |
| २००३-०४ | ५.४९ | ३.८५ | ३.९० | ३.७९ |
| २००४-०५ | ६.४८ | ३.८३ | २.६० | २.५८ |
| २००५-०६ | ४.४३ | ४.४१ | ३.८५ | ३.८५ |
| २००६-०७ | ६.५१ | ६.८३ | ७.८५ | ७.५२ |
| २००७-०८ | ४.८१ | ६.४० | ७.४५ | ७.१८ |
| २००८-०९ | ८.०३ | ९.०९ | १०.२३ | १०.१९ |
| २००९-१० | ३.५७ | १२.३७ | १३.९१ | १३.७६ |
| २०१०-११ | ९.५६ | १०.४५ | १०.०० | १०.०१ |
| २०११-१२ | ८.९४ | ८.३९ | ८.१९ | ८.३५ |
| २०१२-१३ @ | ७.४६@@ | १०.०० | ९.१७ | ९.४१ |
| एप्रिल, २०१२ | ७.५० | १०.२२ | ७.८४ | ८.०१ |
| मे, २०१२ | ७.५५ | १०.१६ | ७.७७ | ८.११ |
| जून, २०१२ | ७.५८ | १०.०५ | ८.०३ | ८.५४ |
| जुलै, २०१२ | ७.५२ | ९.८४ | ८.६१ | ८.९४ |
| ऑगस्ट, २०१२ | ८.०१ | १०.३१ | ९.१८ | ९.३४ |
| सप्टेंबर, २०१२ | ८.०७ | ९.१४ | ९.४३ | ९.९३ |
| ऑक्टोबर, २०१२ | ७.३२ | ९.६० | ९.८५ | ९.८४ |
| नोव्हेंबर, २०१२ | ७.२४ | ९.५५ | १०.३१ | १०.४७ |
| डिसेंबर, २०१२ | ७.१८ * | ११.१७ | ११.३३ | ११.३१ |
| जानेवारी, २०१३ | ६.६२ * | उ.ना. | उ.ना. | उ.ना. |

आधार - # आर्थिक सल्लागार , वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे कार्यालय

+ श्रम ब्युरो, भारत सरकार, सिमला @ ९ महिन्यांची सरासरी @@ १० महिन्यांची सरासरी

* अस्थायी उ.ना. उपलब्ध नाही

टीप - चलन वाढ दर = मागील वर्षाच्या तत्सम कालावधीतील निर्देशांकापेक्षा चालू कालावधीतील निर्देशांकात झालेली टक्केवारीतील वाढ.

## परिशिष्ट ४.१०

## जिल्हावार शिधापत्रिकांची संख्या (१-१२-२०१२)

| जिल्हा | पिवळी | | केशरी | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | दारिद्र्य रेषेखालील | अंत्योदय अन्न योजना | दारिद्र्य रेषेवरील | अन्नपूर्णा | सफेद | एकूण शिधापत्रिका |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) |
| मुंबई/ठाणे शिधावाटप क्षेत्र | ३२,६६३ | १५,६७३ | ३२,८५,७८० | १०,४७१ | ७,३१,४१३ | ४०,७६,००० |
| ठाणे | १,६२,९५० | १,२८,२५३ | ४,८७,७३९ | २,४०२ | ३८,५५० | ८,१९,८९४ |
| रायगड | १,०८,४५८ | ७८,४१० | ३,३०,३७७ | १,९९२ | ९२,०८३ | ६,११,३२० |
| रत्नागिरी | ७४,१८० | ४२,८६६ | २,५३,२३९ | ८१५ | ३४,०४२ | ४,०५,१४२ |
| सिंधुदुर्ग | ५०,१६८ | २४,७३६ | १,३०,७३८ | ६५७ | २०,११७ | २,२६,४१६ |
| नाशिक | २,९६,४२३ | १,८०,४९१ | ५,९०,९७३ | ९१७ | ८६,१७७ | ११,५४,९८१ |
| धुळे | १,४३,२४८ | ७६,३४९ | १,९४,२८९ | १,७४५ | ४,८२९ | ४,२०,४६० |
| नंदुरबार | १,०४,३५४ | १,०५,९२५ | ९७,५३७ | १,३१९ | ८,१३८ | ३,१७,२७३ |
| जळगाव | २,१६,३२८ | १,३०,६३५ | ४,७०,२४६ | २,०९१ | ६८,२३० | ८,८७,५३० |
| अहमदनगर | २,६०,२९७ | ९७,३६६ | ५,२९,६२५ | २,०७१ | ६०,४३२ | ९,४९,७९१ |
| पुणे | १,५७,६३७ | १,८४,२३१ | १३,०८,०४७ | १,०५८ | १,२६,३३१ | १७,७७,३०४ |
| सातारा | १,३७,२५५ | ३५,२७८ | ४,३५,९४२ | १,९८३ | ४६,८८५ | ६,५७,३४३ |
| सांगली | ७९,४७७ | ३६,०४७ | ४,२९,७३६ | ० | ६६,४०२ | ६,११,६६२ |
| सोलापूर | २,३२,०२१ | ८३,९८० | ४,६८,१११ | १,१७९ | ७४,८९० | ८,६०,१८१ |
| कोल्हापुर | १,४४,८६३ | ५५,०२७ | ५,७४,२४२ | ३४८ | ५०,७०१ | ८,२५,१८१ |
| औरंगाबाद | १,८२,०३७ | ६५,२६६ | ४,०८,५९० | २,५५५ | ६,८७० | ६,६५,३१८ |
| जालना | १,१७,०४३ | ३९,८८४ | १,६७,५७० | २,२६४ | ३,२०२ | ३,२९,९६३ |
| परभणी | ७३,०१७ | ४३,९०३ | २,१०,७४७ | १,९२१ | २,०३० | ३,३१,६१८ |
| हिंगोली | ६०,३५२ | २७,३०९ | १,५७,८१३ | ९८४ | १,२४८ | २,४७,७०६ |
| बीड | २,३५,८४० | ४३,६०९ | ३,५१,२८६ | २,८८७ | ११,१३२ | ६,४४,७५४ |
| नांदेड | १,४९,०१६ | ८५,१४४ | ३,४९,०८३ | २,०२७ | ४,५३० | ५,८९,८०० |
| उस्मानाबाद | १,०४,५३३ | ३८,१८३ | २,०५,२५२ | १,४४९ | १०,४११ | ३,५९,८२८ |
| लातूर | ८६,७४४ | ४०,७५३ | २,८९,६७५ | १,९४० | १३,०४५ | ४,३२,१५७ |
| बुलढाणा | १,४०,५३७ | ६४,३०८ | २,५४,८४२ | ३,७४५ | ७,१८१ | ४,७०,६१३ |
| अकोला | ९६,२४१ | ४४,५९७ | १,६५,०३१ | १,७८८ | १४,३६० | ३,२२,०१७ |
| वाशिम | ७०,६६३ | ३८,७९७ | १,३९,५८३ | २,१८३ | ८,२७९ | २,५९,५०५ |
| अमरावती | १,६९,६४८ | १,२०,४३८ | २,३९,५९३ | २,८९८ | १२,४२४ | ५,४५,००१ |
| यवतमाळ | १,३३,०९५ | १,३४,५७५ | २,४६,५०९ | ४,६९२ | ५,८२८ | ५,२४,६९९ |
| वर्धा | ४७,४१२ | ४३,२४१ | १,६०,१०४ | २,३७८ | ६,७९६ | २,५९,९३१ |
| नागपूर | १,३३,६१६ | ९९,५५६ | ६,२७,६४१ | ६,९४६ | ५६,८२० | ९,२४,५७९ |
| भंडारा | ८१,१०० | ५८,३९३ | ८७,७४८ | १,१३१ | १८,९७३ | २,४७,३४५ |
| गोंदिया | ९१,८७८ | ६७,७५५ | ७३,३८२ | १,५२४ | ५,८५६ | २,४०,३९५ |
| चंद्रपुर | १,०७,४५५ | १,२६,११२ | १,६५,३३० | १,३४७ | ३०,११५ | ४,३०,३५९ |
| गडचिरोली | ३९,३६१ | ९०,७४२ | ६४,९७४ | ० | ८११८ | २,०३,१९५ |
| **महाराष्ट्र** | **४३,१९,९१०** | **२५,४७,८३२** | **१,३९,५१,३७४** | **७३,७०७** | **१७,३६,४३८** | **२,२६,२९,२६१** |

आधार - अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन

## परिशिष्ट ४.११

## महाराष्ट्रातील अधिकृत शिधावाटप / रास्त भाव दुकानांना देण्यात आलेला तांदूळ व गहू

(लाख टनात)

| वर्ष | तांदूळ | | | गहू | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मुंबई शिधावाटप क्षेत्र | इतर जिल्हे | एकूण (२) + (३) | मुंबई शिधावाटप क्षेत्र | इतर जिल्हे | एकूण (५) + (६) |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) |
| २००१-०२ (एकूण) | ०.०२ | ५.१६ | ५.१८ | ०.०५ | ८.४८ | ८.५३ |
| पैकी, लसाविव्य | ०.०२ | ५.०० | ५.०२ | ०.०४ | ८.२७ | ८.३१ |
| २००५-०६ (एकूण) | ०.०९ | ९.३७ | ९.४६ | ०.५५ | १४.९९ | १५.५४ |
| पैकी, लसाविव्य | ०.०७ | ९.२७ | ९.३४ | ०.१० | १४.३२ | १४.४२ |
| २००९-१० (एकूण) | ०.६७ | १४.०१ | १४.६८ | २.५० | १८.३७ | २०.८७ |
| पैकी, लसाविव्य | ०.१५ | १२.३५ | १२.५० | ०.०७ | १३.०७ | १३.१४ |
| २०१०-११ (एकूण) | ०.८७ | १४.६२ | १५.४९ | १.९९ | १९.४४ | २१.४३ |
| पैकी, लसाविव्य | ०.१३ | १२.७१ | १२.८४ | ०.०८ | १३.४१ | १३.४९ |
| २०११-१२ (एकूण) | ०.६४ | १४.९१ | १५.५५ | १.७४ | १९.४० | २१.१४ |
| पैकी, लसाविव्य | ०.१४ | १३.३० | १३.४४ | ०.०७ | १३.९४ | १४.०१ |
| २०१२-१३ (एकूण) (डिसेंबर, २०१२ पर्यंत) | ०.६२ | ११.३६ | ११.९८ | १.३५ | १५.३७ | १६.७२ |
| पैकी, लसाविव्य | ०.१० | ९.९५ | १०.०५ | ०.०५ | १०.५४ | १०.५९ |

## परिशिष्ट ४.१२

## भारत सरकारकडून महाराष्ट्र राज्याला मिळालेले नियतन

(लाख टनात)

| वर्ष | तांदूळ | गहू |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| २००१-०२ (एकूण) | ९.२३ | १७.१३ |
| पैकी, लसाविव्य | ६.५५ | १२.१६ |
| २००५-०६ (एकूण) | २७.४० | ४७.०४ |
| पैकी, लसाविव्य | १०.९० | १६.५४ |
| २००९-१० (एकूण) | १७.४१ | २९.१४ |
| पैकी, लसाविव्य | १३.३४ | १४.१० |
| २०१०-११ (एकूण) | १९.२० | ३२.१२ |
| पैकी, लसाविव्य | १४.६८ | १५.८५ |
| २०११-१२ (एकूण) | १९.३६ | ३२.८५ |
| पैकी, लसाविव्य | १६.२३ | १६.९६ |
| २०१२-१३ (एकूण) (डिसेंबर, २०१२ पर्यंत) | १४.४४ | २४.६७ |
| पैकी, लसाविव्य | ११.४८ | १२.५३ |

आधार - अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन.

टीप - लक्ष्यनिर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे (लसाविव्य) अंतर्गत आकडेवारीमध्ये अंत्योदय अन्न योजनेची आकडेवारी समाविष्ट केलेली आहे.

## परिशिष्ट ४.१३
## जिल्हावार गोदामांची संख्या, क्षमता, रास्त भाव दुकानांची संख्या (२०१२-१३)

| जिल्हा | उपलब्ध गोदामे | | रास्त भाव दुकानांची संख्या (जाने., २०१३ अखेर) |
|---|---|---|---|
| | संख्या | क्षमता (मे.टन) | |
| (१) | (२) | (३) | (४) |
| मुंबई | १३ | ८,७२४ | २,९०९ |
| ठाणे | ३८ | १७,००० | ३,०६५ |
| रायगड | ६२ | २५,८०० | १,२३२ |
| रत्नागिरी | ४५ | १६,०५० | ८९५ |
| सिंधुदुर्ग | १४ | ६,५५० | ४१८ |
| नाशिक | २८ | १७,२०० | २,५५१ |
| धुळे | १७ | ७,५०० | ९८० |
| नंदुरबार | २५ | १२,५०० | १,००८ |
| जळगाव | ३२ | १४,१०० | १,९१७ |
| अहमदनगर | ७६ | ५०,८५० | १,८०० |
| पुणे | ४७ | ३४,००० | २,७२८ |
| सातारा | ४३ | १५,६४० | १,७२० |
| सांगली | २९ | १३,७६० | १,३२६ |
| सोलापूर | ५३ | ३८,०२४ | १,८६१ |
| कोल्हापुर | २१ | ९,८५० | १,४४९ |
| औरंगाबाद | २७ | २६,१८८ | १,७७९ |
| जालना | २५ | १७,६५० | १,२८५ |
| परभणी | २१ | ९,३०० | १,१७६ |
| हिंगोली | ११ | ६,६०० | ८०२ |
| बीड | ३५ | २५,०५० | २,०१७ |
| नांदेड | ४१ | १६,३५० | १,९२९ |
| उस्मानाबाद | ३० | १७,००० | १,०६८ |
| लातूर | २७ | १९,७०० | १,३४८ |
| बुलढाणा | २० | ८,८०० | १,५३१ |
| अकोला | २१ | ११,६०० | १,०६० |
| वाशिम | ११ | ७,१५० | ७७५ |
| अमरावती | २९ | ११,७५० | १,९२१ |
| यवतमाळ | ३५ | १७,५०० | १,९९८ |
| वर्धा | १४ | ९,७८५ | ८२६ |
| नागपूर | ४९ | २५,३२९ | १,८६१ |
| भंडारा | १६ | ९,५०० | ८८७ |
| गोंदिया | १९ | १२,४०० | ९९० |
| चंद्रपुर | २९ | १४,२०० | १,४९१ |
| गडचिरोली | २१ | ९,०५० | १,०६४ |
| **एकूण** | **१,०२४** | **५,६२,४५०** | **५१,६६७** |

आधार - अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन

# ७

# लोकवित्त

# ५. लोकवित्त

## अर्थसंकल्प २०१२-१३

५.१ राज्याच्या विविध विकासयोजनांसाठी लागणाऱ्या अतिरीक्त महसूलाची गरज लक्षात घेऊन व करवाढ कमीत कमी ठेवून संतुलन राखण्याचा प्रयत्न २०१२-१३ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. करप्रस्तावांमुळे ₹ ६०० कोटींचा अतिरिक्त महसूल मिळणार आहे. मूल्यवर्धित करात (महसूलात ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाटा) मध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत ६.७ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. एकूण अर्थसंकल्पीत अंदाज मागील वर्षाच्या तुलनेत ९.५ टक्क्यांनी जास्त असून अर्थसंकल्पीय अधिक्य दर्शवित आहेत. महसुली अधिक्य असूनही वित्तिय तूट २०११-१२ मधिल ₹ २०,७७६ कोटींच्या तुलनेत ११.० टक्क्यांनी वाढून २०१२-१३ मध्ये ₹ २३,०६६ कोटी झाली. राज्याची २०१२-१३ मधील वित्तीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १.७ टक्के आहे. राज्य अर्थसंकल्पाचा सारांश तक्ता ५.१ मध्ये दिला आहे.

**तक्ता ५.१ दृष्टिक्षेपात अर्थसंकल्प**

(₹ कोटी)

| बाब | २०१०-११ | २०११-१२ (सु.अं.) | २०१२-१३ (अ.अं.) |
|---|---|---|---|
| १. महसुली जमा | १,०५,८६८ | १,२५,३१३ | १,३६,७१२ |
| २. महसुली खर्च | १,०६,४५९ | १,२७,३७२ | १,३६,५५९ |
| ३. महसुली तूट (२-१) | ५९१ | २,०५९ | (-) १५३ |
| ३.१. स्थूल राज्य उत्पन्नाशी टक्केवारी | ०.१ | ०.२ | ०.० |
| ४. भांडवली जमा # | १८,९६५ | २१,३२२ | २३,९६६ |
| ५. भांडवली खर्च # | १८,९२२ | १९,३५९ | २३,९५३ |
| ६. एकूण जमा (१+४) # | १,२४,८३३ | १,४६,६३५ | १,६०,६७८ |
| ७. एकूण खर्च (२+५) # | १,२५,३८२ | १,४६,७३१ | १,६०,५१२ |
| ८. अर्थसंकल्पीय तूट (७-६) | ५४९ | ९६ | (-) १६६ |
| ९. वित्तीय तूट | १८,८५७ | २०,६७६ | २३,०६६ |
| ९.१. स्थूल राज्य उत्पन्नाशी टक्केवारी | १.८ | १.७ | १.७ |

*आधार* :वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन # कर्ज परताव्याच्या निव्वळ रकमा

सु.अं. -सुधारित अंदाज अ.अं. -अर्थसंकल्पीय अंदाज

## महसुली जमा

५.२ वर्ष २०१२-१३ मधील महसुली जमा मागील वर्षापेक्षा ९.१ टक्के वाढून ती ₹ १,३६,७१२ कोटी इतकी होणे अपेक्षित आहे. राज्याचा स्वत:चा कर महसूल व करेतर महसूल मागील वर्षापेक्षा अनुक्रमे ९.३ टक्के व ८.३ टक्के जास्त अपेक्षित आहे. याबाबतचा तपशिल तक्ता ५.२ मध्ये देण्यात आला आहे.

**तक्ता ५.२ महसुली जमा**

(₹ कोटी)

| वर्ष | कर महसूल | करेतर महसूल @ | एकूण महसुली जमा |
|---|---|---|---|
| २००७-०८ | ५५,१२६ | २४,४५७ | ७९,५८३ |
| २००८-०९ | ६०,०४९ | २१,२२२ | ८१,२७१ |
| २००९-१० | ६७,३५४ | १९,५५६ | ८६,९१० |
| २०१०-११ | ८६,४४७ | १९,४२१ | १,०५,८६८ |
| २०११-१२ (सु.अं.) | ९९,७४९ | २५,५६४ | १,२५,३१३ |
| २०१२-१३ (अ.अं.) | १,०९,०२३ | २७,६८९ | १,३६,७१२ |

*आधार* :वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन @ केंद्रीय अनुदानासह

सु.अं. -सुधारित अंदाज अ.अं. -अर्थसंकल्पीय अंदाज

## कर महसूल

५.३ राज्याच्या स्वत:च्या कर महसुलात वर्ष २०१२-१३ मध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत ९.३ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. हीच वाढ २०११-१२ मध्ये १५.४ टक्के होती. राज्याच्या कर महसुलात मागील सात वर्षात सरासरी १५.६ टक्के वाढ झाली आहे. राज्याच्या कर महसुलात सर्वाधिक हिस्सा असणाऱ्या स्वत:च्या कर महसुलात २०१२-१३ मध्ये ७.९ टक्के तर केंद्रीय करातील हिश्श्यात १८.२ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. वर्ष २०११-१२ मध्ये हीच वाढ अनुक्रमे १५.२ टक्के व १६.५ टक्के होती. मागील सात वर्षात राज्याच्या कर महसुलातील स्वत:च्या कर महसूलाचा हिस्सा जवळपास ८७ टक्के इतका राहीला आहे. वर्ष २०१२-१३ मध्ये स्वत:च्या कर महसूलाचा एकूण महसुली जमेतील हिस्सा ६८.२ टक्के आहे. राज्याच्या कर महसूलाचा तपशिल तक्ता ५.३ मध्ये दिला आहे.

५.४. राज्याच्या स्वत:च्या कर महसुलात प्रमुख हिस्सा असलेल्या मूल्यवर्धित कराचे (व्हॅट) प्रमाण २०१२-१३ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार ५७.२ टक्के असून मुद्रांक व नोंदणी शुल्क आणि राज्य उत्पादन शुल्काचा हिस्सा अनुक्रमे १६.९ टक्के व १०.१ टक्के इतका आहे. राज्याच्या स्वत:च्या कर महसूलाचा तपशिल परिशिष्ट ५.२ मध्ये दिला आहे.

५.५ वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्याला केंद्रीय करातील हिस्सा प्राप्त होतो. तेराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय करांतील (सेवाकरांव्यतीरिक्त) राज्यांना वितरणासाठी निश्चित केलेल्या राज्याच्या हिश्श्यात ४.९९७ टक्क्यांवरुन ५.१९९ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. तसेच राज्याचा सेवा करांतील हिस्सा ५.०६३ टक्क्यांवरुन वाढून तो ५.२८१ टक्के झाला आहे. राज्याला केंद्रीय करांतील हिश्श्यापोटी २०१२-१३ मध्ये एकूण ₹ १५,७२८ कोटी प्राप्त होणे अपेक्षित आहे.

**तक्ता ५.३ कर महसूल**

(₹ कोटी)

| वर्ष | राज्याचा स्वत:चा कर महसूल | केंद्रीय करातील हिस्सा | एकूण |
|---|---|---|---|
| २००७-०८ | ४७,५२८ | ७,५९८ | ५५,१२६ |
| २००८-०९ | ५२,०३१ | ८,०१८ | ६०,०४९ |
| २००९-१० | ५९,१०६ | ८,२४८ | ६७,३५४ |
| २०१०-११ | ७५,०२८ | ११,४१९ | ८६,४४७ |
| २०११-१२ (सु.अं.) | ८६,४४५ | १३,३०४ | ९९,७४९ |
| २०१२-१३ (अ.अं.) | ९३,२९५ | १५,७२८ | १,०९,०२३ |

*आधार* :वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन

सु.अं. -सुधारित अंदाज अ.अं. -अर्थसंकल्पीय अंदाज

## करेतर महसूल

५.६ राज्याच्या करेतर महसुलात केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या अनुदानाचा प्रमुख हिस्सा आहे. वर्ष २०१२-१३ मध्ये एकूण ₹ २७,६८९ कोटी इतका करेतर महसूल अपेक्षित असून याबाबतचा तपशिल तक्ता ५.४ मध्ये दिला आहे.

**आलेख ५.१ : राज्याच्या स्वत:च्या करांचा स्वत:च्या कर महसुलातील वाटा**

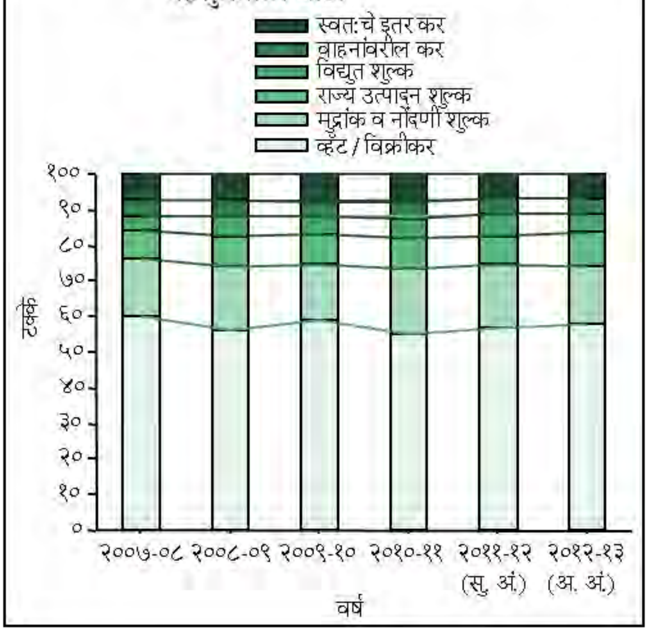


## तेरावा वित्त आयोग

५.७ वित्त आयोगाने केंद्रीय करातील हिश्श्याव्यतिरिक्त राज्यांना काही विशिष्ट हेतुंकरीता सहाय्यक अनुदाने देण्याची शिफारस केली आहे. या सहाय्यक अनुदानांपोटी राज्याला वर्ष २०१२-१३ मध्ये ₹ ३,५५४ कोटी इतकी रक्कम मिळणे अपेक्षित आहे. यात एकमेवाव्दितीय ओळखपत्र (UID), न्याय प्रक्रीया सुधारणा, जिल्ह्यातील नाविन्यपूर्ण योजना, जिल्हा व राज्य सांख्यिकी प्रणालीत सुधारणा करणे आणि कर्मचारी व निवृत्तीवेतन विषयक माहितीकोष तयार करणे यासाठी सहाय्यक अनुदान यांचा समावेश आहे. आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीही सहाय्यक अनुदानांची शिफारस केली आहे. सहाय्यक अनुदानांचा तपशिल परिशिष्ट ५.७ मध्ये देण्यात आला आहे.

**तक्ता ५.४ करेतर महसूल**

(₹ कोटी)

| वर्ष | व्याजाच्या जमा रकमा | इतर करेतर महसूल | केंद्रीय अनुदाने | एकूण करेतर महसूल |
|---|---|---|---|---|
| २००७-०८ | १,१७० | १५,७७८ | ७,५०९ | २४,४५७ |
| २००८-०९ | १,०१७ | ८,७७३ | ११,४३२ | २१,२२२ |
| २००९-१० | १,३४२ | ७,०११ | ११,२०३ | १९,५५६ |
| २०१०-११ | १,४२२ | ६,८०३ | ११,१९६ | १९,४२१ |
| २०११-१२ (सु.अं.) | १,८०६ | ८,०९७ | १५,६६१ | २५,५६४ |
| २०१२-१३ (अ.अं.) | १,३२६ | ९,५६१ | १६,८०२ | २७,६८९ |

*आधार* :वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन

सु.अं. -सुधारित अंदाज अ.अं. -अर्थसंकल्पीय अंदाज

## महसुली खर्च

५.८ वर्ष २००६-०७ ते २००८-०९ या सलग तीन वर्षांमध्ये महसुली खर्च महसुली जमेच्या मर्यादेत सीमीत राहिल्याने राज्यात महसुली अधिक्य राहिले. त्यानंतर वर्ष २०११-१२ (सु.अं.) पर्यंत महसुली तूट होती. तेराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींचे अनुपालन करण्याचा भाग म्हणून वर्ष २०१२-१३ मध्ये महसूली खर्च महसुली जमेच्या मर्यादेत असून ₹ १६६ कोटी इतके महसुली अधिक्य अपेक्षित आहे.

५.९ एकूण महसुली खर्चाबरोबरच विकास खर्चामध्येही दरवर्षी वाढ होत आहे. एकूण महसुली खर्चातील विकास खर्चाचे प्रमाण २००८-०९ मध्ये ६९.३ टक्के होते.

त्यानंतर ते प्रमाण कमी होत गेले व २०१२-१३ मध्ये ६३.७ टक्के इतके अपेक्षित आहे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार इत्यादींचा समावेश असणाऱ्या सामाजिक सेवा या क्षेत्राचा एकूण महसुली खर्चात ४५.४ टक्के व महसुली विकास खर्चात ७१.२ टक्के असा मोठा हिस्सा आहे. महसुली खर्चाचा तपशिल परिशिष्ट ५.३ मध्ये दिला आहे.

५.१० वेतन, मजुरी, निवृत्तीवेतन व व्याजप्रदाने या घटकांवर झालेल्या खर्चाचा महसुली खर्चात मोठा हिस्सा आहे. वेतन, मजुरी आणि निवृत्तीवेतनावरील खर्चाचे एकूण महसुली जमेशी २००८-०९ मध्ये असणारे ३७.९ टक्के प्रमाण वेतन सुधारणेमुळे लक्षणीय वाढून २००९-१० मध्ये ४८.५ टक्के इतके झाले. वर्ष २००९-१० ते २०१२-१३ या कलावधीत वेतन, मजुरी आणि निवृत्तीवेतनावरील खर्चात सरासरी १७.५ टक्के इतकी वाढ झाली असली तरी त्याचे महसुली जमेशी असणारे प्रमाण ४८ आणि ५० टक्क्यांच्या दरम्यान राहीले आहे. तसेच कर्जवाढीमुळे व्याजप्रदानात सातत्याने वाढ होत आहे. महसुली खर्चाची विभागणी तक्ता ५.५ मध्ये दिली आहे.

**आलेख ५.२ : व्याजप्रदानाचे राज्याच्या स्वतःच्या कर महसुलाशी प्रमाण**

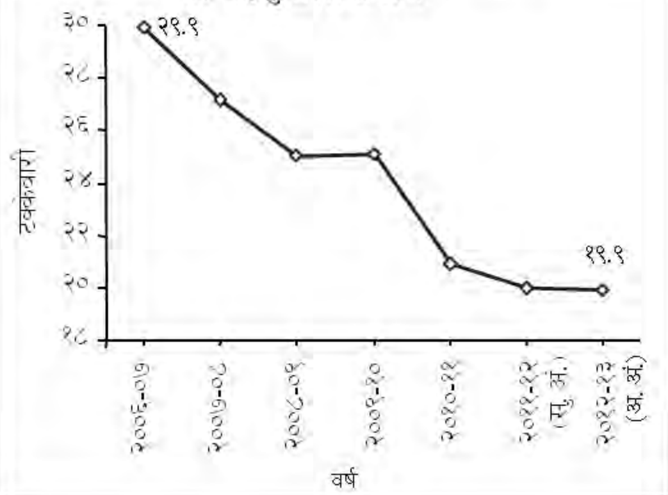


**तक्ता ५.५ महसुली खर्चाची विभागणी**

( ₹ कोटी)

| वर्ष | वेतन व मजुरी | निवृत्ती वेतन | व्याज | इतर | एकूण महसुली खर्च |
|---|---|---|---|---|---|
| २००७-०८ | २२,८७९<br>(३५.३) | ४,६८२<br>(७.२) | १२,९३२<br>(२०.०) | २४,२८७<br>(३७.५) | ६४,७८०<br>(१००.०) |
| २००८-०९ | २४,४७८<br>(३२.३) | ६,३३१<br>(८.४) | १३,०२७<br>(१७.२) | ३१,८५८<br>(४२.१) | ७५,६९४<br>(१००.०) |
| २००९-१० | ३५,१९३<br>(३७.१) | ६,९४६<br>(७.३) | १४,८३८<br>(१५.६) | ३७,९३९<br>(४०.०) | ९४,९१६<br>(१००.०) |
| २०१०-११ | ४१,७४६<br>(३९.२) | ९,८८६<br>(९.३) | १५,६४८<br>(१४.७) | ३९,१७९<br>(३६.८) | १,०६,४५९<br>(१००.०) |
| २०११-१२ (सु.अं.) | ४७,७०६<br>(३७.५) | १२,३७४<br>(९.७) | १७,३११<br>(१३.६) | ४९,९८१<br>(३९.२) | १,२७,३७२<br>(१००.०) |
| २०१२-१३ (अ.अं.) | ५४,८८१<br>(४०.२) | १३,३९३<br>(९.८) | १८,५२३<br>(१३.६) | ४९,७६२<br>(३६.४) | १,३६,५५९<br>(१००.०) |

*आधार* :वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन

सु.अं. -सुधारित अंदाज अ.अं. -अर्थसंकल्पीय अंदाज

## अर्थसहाय्य

५.११ सामान्य जनतेला जीवनावश्यक वस्तू व सेवा किफायतशीर दरात उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी व / किंवा आर्थिक विकासासाठीही शासन अर्थसहाय्य देते. वर्ष २०११-१२ (सु.अं) मध्ये ₹ ११,७०० कोटी इतक्या अर्थसहाय्याची तरतूद करण्यात आली होती, तर २०१२-१३ या वर्षात ₹ ८,७९८ कोटी अर्थसहाय्य अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्पीत प्रमुख अर्थसहाय्ये पुढीलप्रमाणे आहेत :

- कृषि व यंत्रमागाचा वापर करणाऱ्यांना सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्या. यांना भरपाईपोटी ₹ ३,००० कोटी.
- विशाल औद्योगिक प्रकल्पांसह औद्योगिक घटकांसाठी ₹ १,४८० कोटी.
- जेष्ठ नागरीक, विद्यार्थी, स्वातंत्र्य सैनिक इत्यादीं सारख्या काही प्रवासी वर्गांना दिलेल्या प्रवास खर्चातील सवलतींमुळे होणाऱ्या तोट्याची भरपाई करण्याकरीता महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास ₹ ७९४ कोटी.
- अन्नधान्य प्राप्त करणे व अंत्योदय अन्न योजनांसारख्या संबंधित योजनांसाठी ₹ ३१८ कोटी.

## कर वसुली

५.१२ वाढविलेला परंतु वसूल न झालेला कर मागील वर्षाच्या तुलनेत १.७ टक्क्यांनी वाढून २०१०-११ च्या अखेरपर्यंत ₹ २७,७७८ कोटी इतका झाला. एकूण ₹ ९,६८५ कोटी निर्विवाद रकमेपैकी ₹ ४,६५७ कोटी इतका कर चार वर्ष व त्यापेक्षा जास्त काळ सुद्धा वसूल झालेला नाही.

५.१३ मुल्यवर्धित कर / व्हॅट (मोटार स्पिरिट व वंगण यावरील करांसह ) व केंद्रीय विक्रीकर यांचा वसूल न झालेल्या करांमध्ये अनुक्रमे ७३.० टक्के व १९.९ टक्के इतका वाटा आहे. याबाबतचा तपशिल तक्ता ५.६ मध्ये दिला आहे.

## महसुली जमा २०१२-१३

५.१४ अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला असला तरीही एकूण महसुली जमा, डिसेंबर, २०१२ अखेर अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ७०.५ टक्के इतकी आहे, तर २०११-१२ मध्ये याच कालावधीत ती ६५.३ टक्के इतकी होती. डिसेंबर, २०१२ अखेर, म्हणजेच नऊ महीन्यांच्या कालावधीत राज्याचा स्वत:चा कर महसूल अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ७८.८ टक्के जमा झाला. याच कालावधीत मुल्यवर्धित कर (व्हॅट) आणि मुद्रांक व नोंदणी शुल्क अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या अनुक्रमे ८३.७ आणि ७९.७ टक्के जमा झाले. महसुली जमा व कर महसूलात २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पीत रकमांच्या तुलनेत २०१२-१३ मध्ये प्रत्येकी १२ टक्के वाढ अपेक्षित असली तरी २०१२-१३ च्या पहिल्या नऊ महिन्यात मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत २० टक्यांपेक्षा जास्त एकूण महसूल व कर महसूल जमा झाला आहे. महसुली जमेबाबतचा तपशिल तक्ता ५.७ मध्ये दिला आहे.

**तक्ता ५.६ वाढविलेला परंतु वसूल न झालेला कर—२०१०-११**

(₹ कोटी)

| तपशील | वादग्रस्त | वादातीत | एकूण |
|---|---|---|---|
| १. मोटार स्पिरीट व वंगण यांवरील करांसह विक्रीकर / मूल्यवर्धित कर | १४,४२२ | ५,८६४ | २०,२८६ |
| २. केंद्रीय विक्री कर | ३,००२ | २,५२८ | ५,५३० |
| ३. व्यवसाय, व्यापार व रोजगारावरील कर | ७ | ६४९ | ६५६ |
| ४. गौण खनिजे इ. | २२२ | ८८ | ३१० |
| ५. विद्युत शुल्क | २२३ | २७ | २५० |
| ६. इतर | २१७ | ५२९ | ७४६ |
| **एकूण** | **१८,०९३** | **९,६८५** | **२७,७७८** |

*आधार* :वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन

**तक्ता ५.७ महसुली जमा २०१२-१३**

(₹ कोटी)

| बाब | एप्रिल ते डिसेंबर # | | अर्थसंकल्प @ २०१२-१३ | अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये टक्केवारी |
|---|---|---|---|---|
| | २०११ | २०१२ | | |
| **अ) कर महसूल (१ + २)** | **६७,६६६** | **८३,६०९** | **१,०९,०२३** | **७६.७** |
| **१) स्वत:चा कर महसूल** (१ ते ९) | ५९,८२६ | ७३,४९९ | ९३,२९५ | ७८.८ |
| १) मूल्यवर्धित कर | ३६,६१९ | ४४,६५९ | ५३,३६२ | ८३.७ |
| २) मुंद्राक व नोंदणी शुल्क | ९,८७९ | १२,५३८ | १५,७३० | ७९.७ |
| ३) राज्य उत्पादन शुल्क | ५,६३० | ६,३१० | ९,४५० | ६६.८ |
| ४) विजेवरील कर व शुल्क | १,६४७ | ३,०४४ | ४,८१० | ६३.३ |
| ५) जमीन महसूल | ५७५ | ६६६ | १,६०१ | ४१.६ |
| ६) वाहनांवरील कर | २,९३७ | ३,६४४ | ४,२०० | ८६.८ |
| ७) उत्पन्न व खर्चावरील इतर कर | १,३३७ | १,४२० | १,८७० | ७५.९ |
| ८) माल व उतारुंवरील कर | २६ | ११८ | ८९४ | १३.२ |
| ९) वस्तू व सेवा यांवरील इतर कर व शुल्क | १,१७६ | १,१०० | १,३७९ | ७९.८ |
| **२) केंद्रिय करांतील हिस्सा** | **७,८४०** | **१०,११०** | **१५,७२८** | **६४.३** |
| **ब) करेतर महसूल (१+२)** | **११,६८७** | **१२,७९६** | **२७,६८९** | **४६.२** |
| (१) करेतर महसूल | ५,८०० | ५,१३० | १०,८८७ | ४७.१ |
| (२) केंद्रिय अनुदाने | ५,८८७ | ७,६६६ | १६,८०२ | ४५.६ |
| **एकूण ( अ+ब)** | **७९,३५३** | **९६,४०५** | **१,३६,७१२** | **७०.५** |

*आधार:* # महालेखापाल यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र @ संक्षिप्त अर्थसंकल्प, वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन

## महसुली खर्च २०१२-१३

५.१५ डिसेंबर, २०१२ अखेर राज्याचा एकूण महसुली खर्च ₹ ८७,२८९ कोटी इतका (अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ६३.९ टक्के)

होता. त्यापैकी, योजनांतर्गत खर्च ₹ १०,६६६ कोटी (अर्थसंकल्पीय अदांजाच्या २१.५ टक्के) होता. २०१२-१३ मध्ये एकूण महसुली खर्च ₹ १,४५,६१२ कोटी होणे अपेक्षित असून तो अर्थसंकल्पीय अदांजाच्या ६.४ टक्के जास्त असेल.

## राज्य योजनेची प्रगती

५.१६ अकराव्या पंचवार्षिक योजनेचा मंजूर नियतव्यय सुरूवातीला ₹ १,२७,५३८ कोटी होता व तो वाढून शेवटी ₹ १,६१,१२४ कोटी झाला. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेसाठी ₹ २,७५,००० कोटी नियतव्यय प्रस्तावित आहे. वर्षनिहाय राज्य योजनेचा मंजूर नियतव्यय व झालेला खर्च याचा तपशिल तक्ता ५.८ मध्ये दिला आहे.

**आलेख ५.३ : योजनांतर्गत खर्च**

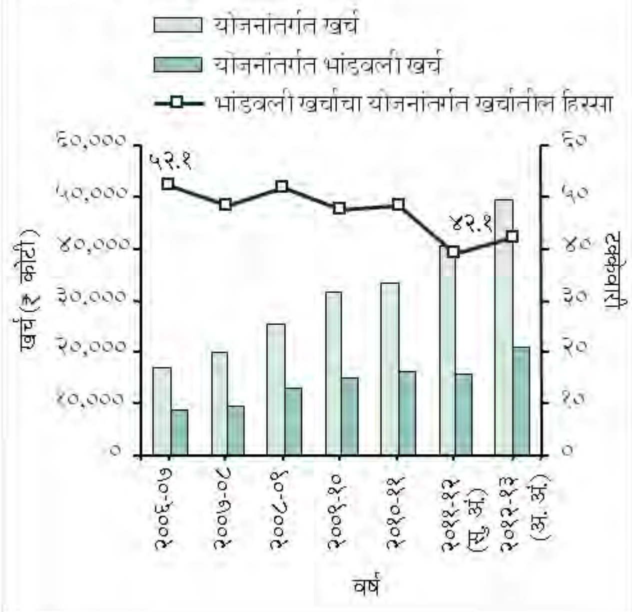


**तक्ता ५.८ वार्षिक योजना - नियतव्यय व खर्च**

(₹ कोटी)

| वर्ष | नियतव्यय # | खर्च | खर्चाची नियतव्ययाशी टक्केवारी |
|---|---|---|---|
| २००७-०८ | २०,२५० | १९,४२२ | ९६.१ |
| २००८-०९ | २५,००० | २२,८७० | ९१.५ |
| २००९-१० | ३५,९५८ | २७,७३१ | ७७.१ |
| २०१०-११ | ३७,९१६ | ३२,५७७ | ८५.९ |
| २०११-१२ (सु. अं.) | ४२,००० | ३७,७०८ * | ८९.८ |
| २०१२-१३ (अ. अं.) | ४५,००० | - | - |

*आधार*: नियोजन विभाग, महाराष्ट्र शासन

# - मंजूर नियतव्यय * अस्थायी

सु.अं. -सुधारित अंदाज अ.अं. -अर्थसंकल्पीय अंदाज

## वार्षिक योजना २०१२-१३

५.१७ वार्षिक योजना २०१२-१३ साठी ₹ ४५,००० कोटी इतका नियतव्यय निश्चित करण्यात आला असून त्यापैकी जिल्हा योजनेसाठी ₹ ४,९५० कोटी नियतव्यय आहे. एकूण नियतव्ययापैकी अनुसूचीत जाती उपयोजनेसाठी ₹ ४,५९० कोटी तर आदिवासी उपयोजनेसाठी ₹ ४,००९ कोटी इतका नियतव्यय राखून ठेवला आहे. वार्षिक योजना २०१२-१३ च्या नियतव्ययापैकी ₹ २४,५७३ कोटी इतकी तरतूद महसुली खात्यातून करण्यात आली आहे.

५.१८ वर्ष २०१२-१३ मध्ये सर्वाधिक ₹ २०,४०६ कोटी इतका नियतव्यय सामाजिक व सामूहिक सेवा या क्षेत्रासाठी मंजूर करण्यात आला असून त्या खालोखाल पाटबंधारे आणि पूरनियंत्रण क्षेत्रासाठी ₹ ७,६१४ कोटी मंजूर करण्यात आला. याबाबतचा तपशिल तक्ता ५.९ मध्ये दिला आहे.

## अर्थसंकल्पीत योजनांतर्गत खर्च

५.१९ अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत अर्थसंकल्पीय खर्चातील वाढीबरोबरच योजनांतर्गत खर्चाच्या हिश्श्यातही २०१०-११ वगळता प्रतिवर्षी वाढ झाली आहे. वर्ष २०१२-१३ मध्ये शासनाच्या अर्थसंकल्पातील एकूण खर्चामधील योजनांतर्गत खर्चाचा हिस्सा २९.२ टक्के इतका आहे. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत योजनांतर्गत खर्चातील भांडवली खर्चाचा हिस्सा २००८-०९ वगळता (५१.७ टक्के) ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. योजनांतर्गत व योजनेतर खर्चाचा तपशिल तक्ता ५.१० मध्ये दिला आहे.

## भांडवली जमा आणि भांडवली खर्च

५.२० भांडवली जमेचा 'ऋण' (कर्जे व इतर दायित्वे) हा मोठा हिस्सा आहे. महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प असल्यास कर्जाचा

**तक्ता ५.९ क्षेत्रनिहाय पंचवार्षिक व वार्षिक योजना**

(₹ कोटी)

| क्षेत्र | अपेक्षित खर्च * २०११-१२ | अकरावी पंचवार्षिक योजना | | | बारावी पंचवार्षिक योजना - मंजूर नियतव्यय | २०१२-१३ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मंजूर नियतव्यय | अपेक्षित खर्च * | एकूण योजनांतर्गत खर्चाशी टक्केवारी | | मंजूर नियतव्यय | नियतव्यया-तील हिस्सा (%) |
| कृषि व संलग्न सेवा | २,८६७ | ९,५०८ | ९,७७१ | ७.० | २१,९१७ | ३,२५८ | ७.२ |
| ग्रामविकास | १,३५१ | ६,५९६ | ५,१७३ | ३.७ | ९,०८९ | १,५०४ | ३.३ |
| विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | १४७ | १,०३४ | ७७५ | ०.६ | १,१४१ | १८३ | ०.४ |
| पाटबंधारे आणि पूरनियंत्रण | ६,७७९ | ३३,५१६ | ३४,७७६ | २४.८ | ४७,९९० | ७,६१४ | १६.९ |
| ऊर्जा विकास | २,१८० | ११,६२१ | ९,४४६ | ६.७ | २०,६९५ | ३,०६३ | ६.८ |
| उद्योग व खनिजे | २४५ | ८९३ | ९५७ | ०.७ | २,१७४ | ३५३ | ०.८ |
| परिवहन व दळणवळण | ४,३४६ | १८,३६६ | १६,०४८ | ११.४ | ३३,८५५ | ५,५७५ | १२.४ |
| विज्ञान, तंत्रज्ञान व पर्यावरण | १९ | १२१ | ५५ | ०.० | १६९ | २४ | ०.१ |
| सर्वसाधारण आर्थिक सेवा | ६७९ | ३,१०० | २,४९१ | १.८ | ३,३५१ | ७३२ | १.६ |
| सामाजिक व सामुहिक सेवा | १७,९४२ | ६९,४९७ | ५७,३९२ | ४०.९ | १,१९,७०० | २०,४०६ | ४५.४ |
| सर्वसाधारण सेवा | १,०७८ | ३,६५५ | २,७७३ | २.० | १०,९८९ | १,७७७ | ४.० |
| इतर कार्यक्रम | ७५ | ३,२१७ | ६५१ | ०.४ | ३,९३० | ५११ | १.१ |
| **एकूण** | **३७,७०८** | **१,६१,१२४** | **१,४०,३०८** | **१००.०** | **२,७५,०००** | **४५,०००** | **१००.०** |

*आधार* : नियोजन विभाग, महाराष्ट्र शासन * अस्थायी टिप : आकडे संक्षिप्तात दिल्यामुळे बेरीज जुळणार नाही

हिस्सा महसुली खर्च भागविण्याकरीता वापरला जातो. वर्ष २०१२-१३ मध्ये महसुली अधिक्य असल्याने कर्जाचा वापर प्रामुख्याने भांडवली खर्च भागविण्याकरिता करण्यात येईल.

५.२१ 'महसुली लेख्याबाहेरील भांडवली खर्च' भांडवली खर्चातील मोठा हिस्सा असून दुसरा हिस्सा 'ऋण' (राज्य शासनाने दिलेली कर्जे व आगाऊ रकमा आणि कर्जाची परतफेड) आहे. वर्ष २०१२-१३ मध्ये ₹ ३३,५५१ कोटी इतका भांडवली खर्च अपेक्षित असून तो शासनाच्या एकूण खर्चाच्या १९.७ टक्के आहे. याबाबतचा तपशिल तक्ता ५.११ मध्ये दिला आहे.

**तक्ता ५.१० अर्थसंकल्पीत योजनांतर्गत व योजनेतर खर्च (केंद्रीय अनुदानासह)**

(₹ कोटी )

| वर्ष | योजनांतर्गत खर्च | | | योजनेतर खर्च | एकूण खर्च |
|---|---|---|---|---|---|
| | महसुली | भांडवली | एकूण | | |
| २००७-०८ | १०,२८९ | ९,७०९ | १९,९९८ | ६२,१९६ | ८२,१९४ |
| २००८-०९ | १२,४२० | १३,२७२ | २५,६९२ | ७४,२८० | ९९,९७२ |
| २००९-१० | १६,७२४ | १५,१५५ | ३१,८७९ | ८५,९०२ | १,१७,७८१ |
| २०१०-११ | १७,१८५ | १६,०७१ | ३३,२५६ | ९७,७४९ | १,३१,००५ |
| २०११-१२ (सु.अं.) | २४,७०९ | १५,९०१ | ४०,६१० | १,१२,२२९ | १,५२,८३९ |
| २०१२-१३ (अ.अं.) | २८,८०४ | २०,९११ | ४९,७१५ | १,२०,३९५ | १,७०,११० |

*आधार* :वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन

सु.अं. -सुधारित अंदाज अ.अं. -अर्थसंकल्पीय अंदाज

याचवेळी स्थूल राज्य उत्पन्नाशी असणारे वित्तीय तुटीचे प्रमाण प्रतिवर्षी कमी होत आहे. वित्तीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी २००४-०५ मध्ये असणारे ४.५ टक्के प्रमाण कमी-कमी होऊन २००७-०८ मध्ये (-) ०.४ टक्के इतके झाले. त्यानंतर २०१२-१३ पर्यंत हेच प्रमाण २००९-१० वगळता (३.१ टक्के) दोन टक्क्यांपेक्षा कमी राहिले आहे. राज्य तेराव्या वित्त आयोगाच्या वित्तिय आरेखनानुसार मार्गक्रमण करीत आहे.

**तक्ता ५.१३ ऋणस्थिती व व्याज प्रदाने**

(₹ कोटी )

| वर्ष | ऋण | व्याजाची परतफेड | कर्जाचे सरासरी मुल्य (द. सा. द. शे.) |
|---|---|---|---|
| २००७-०८ | १,४२,३८३ | १२,९३२ | ९.७ |
| २००८-०९ | १,६०,६७२ | १३,०२७ | ९.१ |
| २००९-१० | १,८१,४४७ | १४,८३८ | ९.२ |
| २०१०-११ | २,०३,०९७ | १५,६४८ | ८.६ |
| २०११-१२ (सु.अं.) | २,२८,५९० | १७,३११ | ८.५ |
| २०१२-१३ (अ.अं.) | २,५३,०८५ | १८,५२३ | ८.१ |

*आधार* :वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन

सु.अं. -सुधारित अंदाज अ.अं. -अर्थसंकल्पीय अंदाज

टिप : कर्जाचे सरासरी मुल्य हे त्या वर्षातील व्याज प्रदानाचे त्याआगोदरच्या वर्षातील एकूण ऋणाशी असणारे शेकडा प्रमाण होय.

**आलेख ५.५ : तुटीचा कल**

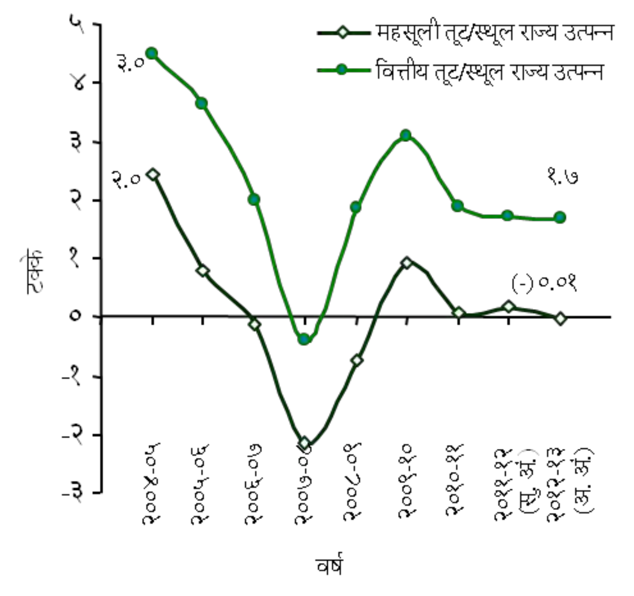


## ऋणस्थिती

५.२४ परतावा न केलेले कर्ज व इतर दायित्वे राज्य शासनावरील ऋणभार दर्शवितात. विकास कार्यक्रमांना अर्थसहाय्य करण्याकरिता आवश्यक असणाऱ्या अंतर्गत ऋणात झालेली वाढ व अनिवार्य कर्ज परतावा यामुळे वर्ष २००६-०७ मध्ये असलेल्या ₹ १,३३,७२२ कोटी इतक्या ऋणात प्रति वर्षी सरासरी ११.२ टक्के दराने वाढ होऊन २०१२-१३ च्या शेवटी ते ₹ २,५३,०८५ कोटी इतके होणे अपेक्षित आहे. याच कालावधीमध्ये एकूण ऋणाचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी असलेले २२.९ टक्के हे प्रमाण कमी होऊन १८.४ टक्के इतके होणे अपेक्षित आहे. ऋणस्थिती व व्याज प्रदाने तक्ता ५.१३ मध्ये दिली आहेत.

**आलेख ५.६ : ऋणभार**

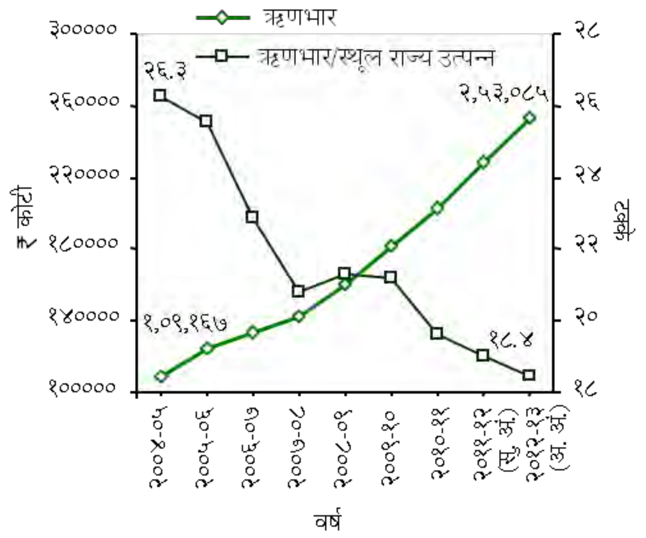


५.२५ खुल्या बाजारातील कर्जे हा राज्याच्या देशांतर्गत ऋणाच्या मुख्य घटकांपैकी एक घटक असून दुसरा घटक राष्ट्रीय अल्पबचत निधीचे रोखे हा आहे. या दोन्हीचा राज्याच्या ऋणा मधील वाटा जवळजवळ ७५ टक्के आहे. राज्याचे देशांतर्गत कर्ज ₹ १,९१,४४९ कोटी (एकूण ऋणाच्या ७५.६ टक्के) असून, त्यापैकी खुल्याबाजारातील कर्जे ₹ १,०६,६७७ कोटी आहेत. वर्ष २०१२-१३ मध्ये खुल्या बाजारातून ₹ १७,७९७ कोटी इतके कर्ज घेणे अपेक्षित आहे. एकूण देशांतर्गत ऋण २०१२-१३ मध्ये ₹ २३,७६२ कोटी असून त्यापैकी ₹ ८,९८१ कोटी इतकी रक्कम कर्जाच्या परतफेडीकरीता वापरण्यात येईल.

## शासकीय हमी

५.२६ राज्य शासनाने दिलेल्या विविध हमींची अदत्त रक्कम २०१०-११ च्या अखेरपर्यंत ₹ १५,०४१ कोटी इतकी होती. राज्याने मोठी हमी दिलेल्या विभागांमध्ये सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ( ₹ ४,२५७ कोटी ), सार्वजनिक बांधकाम ( ₹ २,२८६ कोटी ), उद्योग,

ऊर्जा आणि कामगार ( ₹ २,२६१ कोटी ), जलसंधारण ( ₹ २,१८४ कोटी ) आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता ( ₹ १,९५० कोटी ) यांचा समावेश होता. याबाबतचा तपशिल तक्ता ५.१४ मध्ये दिला आहे.

**तक्ता ५.१४ शासनाने २०१०-११ मध्ये दिलेली हमी**

(₹ कोटी )

| विभागाचे नाव | २०१०-२०११ वर्षात प्रारंभीची अदत्त रक्कम | वर्षभरात पडलेली भर | | २०१०-२०११ वर्षात वगळलेल्या रकमा (मागणी केलेल्या रकमां व्यतिरिक्त) | २०१०-२०११ वर्षाअखेरीस अदत्त असलेली रक्कम |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ अ | ३ ब # | ४ | ५ |
| कृषी व पदुम | १६८ | २६० | २ | १५३ | २७७ |
| उद्योग, ऊर्जा व कामगार (उद्योग) | २०७ | ० | ६ | ९६ | ११७ |
| सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य | २५२ | ० | ५४ | ५५ | २५० |
| पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य | २ | ० | ० | २ | ० |
| नगरविकास | २१० | ० | ० | ३ | २०७ |
| उद्योग, ऊर्जा व कामगार (ऊर्जा) | ३,१६५ | ० | ७४ | ९७८ | २,२६१ |
| जलसंपदा | २,५८३ | ० | ० | ३९९ | २,१८४ |
| गृह | ० | ० | ० | ० | ० |
| सार्वजनिक बांधकाम | २,५८० | ० | ० | २९३ | २,२८६ |
| महसूल व वन | २ | ० | ० | ० | २ |
| आदिवासी विकास | २२ | ० | १७ | ७ | ३३ |
| सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग * | ४,६५५ | ६३६ | ० | १,०३४ | ४,२५७ |
| ग्रामविकास व जलसंधारण | ७५ | ० | ० | ५ | ७० |
| पाणी पुरवठा व स्वच्छता | २,४०४ | ० | ० | ४५४ | १,९५० |
| अल्पसंख्यांक विकास | २२ | ० | १० | ५ | २८ |
| नियोजन | १,१९७ | ० | ० | ७८ | १,११९ |
| **एकूण** | **१७,५४४** | **८९६** | **१६३** | **३,५६२** | **१५,०४१** |

*आधार* : वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन * अस्थायी

टिप : # - ठोक हमी देण्यात आल्यामुळे सन २०१०-११ वर्षामध्ये प्राप्त झालेल्या कर्जाच्या रकमा तसेच सुधारित व्याज दरामुळे बदललेल्या रकमा अंतर्भुत करण्यात आल्या आहेत.

* * * * *

# परिशिष्ट ५.१
## महाराष्ट्र शासन : दृष्टिक्षेपात अर्थसंकल्प

(₹ कोटी)

| | बाब | २००६-०७ | २००७-०८ | २००८-०९ | २००९-१० | २०१०-११ | २०११-१२ (सु.अं.) | २०१२-१३ (अ.अं.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
| **१.** | **महसुली जमा (अ + ब)** | ६२,१९५ | ७९,५८३ | ८१,२७१ | ८६,९१० | १,०५,८६८ | १,२५,३१३ | १,३६,७१२ |
| | अ) कर महसूल | ४६,१२२ | ५५,१२६ | ६०,०४९ | ६७,३५४ | ८६,४४७ | ९९,७४९ | १,०९,०२३ |
| | ब) कराव्यतिरिक्त महसूल | १६,०७३ | २४,४५७ | २१,२२२ | १९,५५६ | १९,४२१ | २५,५६४ | २७,६८९ |
| **२.** | **महसूली खर्च त्यापैकी** | ६१,३८५ | ६४,७८० | ७५,६९४ | ९४,९१६ | १,०६,४५९ | १,२७,३७२ | १,३६,५५९ |
| | अ) व्याज प्रदान | ११,९८३ | १२,९३२ | १३,०२७ | १४,८३८ | १५,६४८ | १७,३११ | १८,५२३ |
| | ब) प्रशासकीय सेवा | ४,८२४ | ५,५०४ | ६,५६० | ८,१७३ | ९,७९८ | ११,६७१ | १४,६९८ |
| | क) निवृत्ती वेतन आणि संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा | ४,३६४ | ४,२१५ | ५,१९९ | ६,२२९ | ८,९५७ | ९,९०७ | ११,४३५ |
| **३.** | **महसुली तूट (२ - १)** | (-)८१० | (-)१४,८०३ | (-)५,५७७ | ८,००६ | ५९१ | २,०५९ | (-)१५३ |
| **४.** | **भांडवली जमा त्यापैकी** | १६,२९८ | १,७१८ | १९,०६५ | ३०,३८३ | २३,७३९ | २७,४३० | ३३,५६४ |
| | अ) कर्जाची वसूली | ५१ | ७३३ | ५६० | ५१५ | ६४० | ७४२ | ७३५ |
| | ब) इतर भांडवली जमा | ० | ० | १८ | २५ | १७ | ० | ० |
| | क) कर्जे व इतर दायित्वे | ११,५४० | (-)३,७१७ | १४,३६३ | २६,०१८ | १८,३०८ | २०,५८० | २३,२३२ |
| **५.** | **भांडवली खर्च** | १७,१२१ | १७,४१४ | २४,२७८ | २२,८६५ | २४,५४६ | २५,४६७ | ३३,५५१ |
| **६.** | **एकूण जमा (१ + ४)** | ७८,४९३ | ८१,३०१ | १,००,३३६ | १,१७,२९३ | १,२९,६०७ | १,५२,७४३ | १,७०,२७६ |
| **७.** | **एकूण खर्च (२ + ५)** | ७८,५०६ | ८२,१९४ | ९९,९७२ | १,१७,७८१ | १,३१,००५ | १,५२,८३९ | १,७०,११० |
| **८.** | **आकस्मिकता निधीकडे विनियोजन** | ० | ० | ० | ३५० | ८५० | ० | ० |
| **९.** | **अर्थसंकल्पीय तूट (७ - ६- ८)** | १३ | ८९३ | (-)३६४ | १३८ | ५४९ | ९६ | (-)१६६ |
| **१०.** | **वित्तिय तूट (९ + ४ क)** | ११,५५३ | (-)२,८२४ | १३,९९९ | २६,१५६ | १८,८५७ | २०,६७६ | २३,०६६ |
| | **स्थूल राज्य उत्पन्नाशी टक्केवारी** | | | | | | | |
| **१.** | **महसुली जमा (अ + ब)** | १०.६ | ११.६ | १०.८ | १०.२ | १०.२ | १०.४ | १०.० |
| | अ) कर महसूल | ७.९ | ८.० | ८.० | ७.९ | ८.४ | ८.३ | ७.९ |
| | ब) कराव्यतिरिक्त महसूल | २.७ | ३.६ | २.८ | २.३ | १.९ | २.१ | २.० |
| **२.** | **महसूली खर्च त्यापैकी** | १०.५ | ९.५ | १०.० | ११.१ | १०.३ | १०.६ | ९.९ |
| | अ) व्याज प्रदान | २.१ | १.९ | १.७ | १.७ | १.५ | १.४ | १.३ |
| | ब) प्रशासकीय सेवा | ०.८ | ०.८ | ०.९ | १.० | ०.९ | १.० | १.१ |
| | क) निवृत्ती वेतन आणि संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा | ०.७ | ०.६ | ०.७ | ०.७ | ०.९ | ०.८ | ०.८ |
| **३.** | **महसुली तूट (२ - १)** | (-)०.१ | (-)२.२ | (-)०.७ | ०.९ | ०.१ | ०.२ | ०.० |
| **४.** | **भांडवली जमा त्यापैकी** | २.८ | ०.३ | २.५ | ३.६ | २.३ | २.३ | २.४ |
| | अ) कर्जाची वसूली | ०.० | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ |
| | ब) इतर भांडवली जमा | ०.० | ०.० | ०.० | ०.० | ०.० | ०.० | ०.० |
| | क) कर्जे व इतर दायित्वे | २.० | (-)०.५ | १.९ | ३.० | १.८ | १.७ | १.७ |
| **५.** | **भांडवली खर्च** | २.९ | २.५ | ३.२ | २.७ | २.४ | २.१ | २.४ |
| **६.** | **एकूण जमा (१ + ४)** | १३.४ | ११.९ | १३.३ | १३.७ | १२.५ | १२.७ | १२.४ |
| **७.** | **एकूण खर्च (२ + ५)** | १३.४ | १२.० | १३.३ | १३.८ | १२.७ | १२.७ | १२.४ |
| **८.** | **आकस्मिकता निधीकडे विनियोजन** | ०.० | ०.० | ०.० | ०.० | ०.१ | ०.० | ०.० |
| **९.** | **अर्थसंकल्पीय तूट (७ - ६- ८)** | ०.० | ०.१ | ०.० | ०.० | ०.१ | ०.० | ०.० |
| **१०.** | **वित्तिय तूट (९ + ४ क)** | २.० | (-)०.४ | १.९ | ३.१ | १.८ | १.७ | १.७ |

आधार - वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन

सु.अं. - सुधारित अंदाज      अ.अं. - अर्थसंकल्पीय अंदाज

# परिशिष्ट ५.२
## महाराष्ट्र शासन अर्थसंकल्प : महसुली व भांडवली लेख्यांवरील जमेतील कल

(₹ कोटी)

| | बाब | २००६-०७ | २००७-०८ | २००८-०९ | २००९-१० | २०१०-११ | २०११-१२ (सु.अं.) | २०१२-१३ (अ.अं.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
| **(अ)** | **एकूण महसुली जमा (१ + २ + ३ + ४)** | **६२,१९५** | **७९,५८३** | **८१,२७१** | **८६,९१०** | **१,०५,८६८** | **१,२५,३१३** | **१,३६,७१२** |
| **(१)** | ***राज्याचा स्वत:चा कर महसूल (१ ते ९) -*** | **४०,०९८** | **४७,५२८** | **५२,०३१** | **५९,१०६** | **७५,०२८** | **८६,४४५** | **९३,२९५** |
| | (१) विक्रीकर | २४,१३१ | २६,७५३ | ३०,६८० | ३२,६७६ | ४२,४८३ | ५०,००० | ५३,३६२ |
| | (२) मुद्रांक व नोंदणी शुल्क | ६,४१६ | ८,५५० | ८,२८८ | १०,७७४ | १३,५१६ | १४,००१ | १५,७३० |
| | (३) राज्य उत्पादन शुल्क | ३,३०१ | ३,९६३ | ४,४३४ | ५,०५७ | ५,९६२ | ८,५०० | ९,४५० |
| | (४) विजेवरील कर व शुल्क | १,५७७ | २,६८८ | २,३९५ | ३,२८९ | ४,७३० | ४,४१० | ४,८१० |
| | (५) उत्पन्न व खर्च यावरील इतर कर | १,२४६ | १,४८८ | १,५६१ | १,६१२ | १,६८६ | १,७०० | १,८७० |
| | (६) वाहनांवरील कर | १,८४१ | २,१४३ | २,२२० | २,६८२ | ३,५३३ | ४,००० | ४,२०० |
| | (७) विक्रेय वस्तू व सेवा यावरील इतर कर व शुल्क | ८७८ | १,०४३ | १,०१५ | १,३२५ | १,४२३ | १,३७५ | १,३७९ |
| | (८) माल व उतारुवरील कर | २२४ | ३८८ | ८९२ | ९७७ | ६०० | ८९४ | ८९३ |
| | (९) जमीन महसूल | ४८४ | ५१२ | ५४६ | ७१४ | १,०९५ | १,५६५ | १,६०१ |
| **(२)** | ***कराव्यतिरिक्त महसूल (१ + २) -*** | **७,५१८** | **१६,९४८** | **९,७९०** | **८,३५३** | **८,२२५** | **९,९०३** | **१०,८८७** |
| | (१) व्याजाच्या जमा रकमा | २,५०४ | १,१७० | १,०१७ | १,३४२ | १,४२२ | १,८०६ | १,३२६ |
| | (२) इतर करांव्यतिरिक्त महसूल | ५,०१४ | १५,७७८ | ८,७७३ | ७,०११ | ६,८०३ | ८,०९७ | ९,५६१ |
| **(३)** | ***केंद्रिय करांतील हिस्सा (१ ते ६) -*** | **६,०२४** | **७,५९८** | **८,०१८** | **८,२४८** | **११,४१९** | **१३,३०४** | **१५,७२८** |
| | (१) निगम करांव्यतिरिक्त इतर उत्पन्नावरील कर | १,१४१ | १,६१८ | १,६५१ | १,८९१ | २,३५९ | २,७२३ | ३,१०९ |
| | (२) निगम कर | १,८८१ | २,४११ | २,६२९ | ३,३९४ | ४,४६३ | ५,१६८ | ५,७४७ |
| | (३) संपत्ती कर | २ | ३ | २ | ८ | ९ | १८ | २० |
| | (४) जकात | १,१७५ | १,४३६ | १,५३३ | १,१५४ | १,९९७ | २,३१७ | २,८६० |
| | (५) केंद्रिय उत्पादन शुल्क | १,२४७ | १,३७१ | १,३३७ | ९३० | १,४५२ | १,५१७ | १,९५८ |
| | (६) सेवा कर | ५७८ | ७५९ | ८६६ | ८७१ | १,१३९ | १,५६१ | २,०३४ |
| **(४)** | ***केंद्र शासनाकडून सहायक अनुदाने*** | **८,५५५** | **७,५०९** | **११,४३२** | **११,२०३** | **११,१९६** | **१५,६६१** | **१६,८०२** |
| **(ब)** | **एकूण भांडवली जमा (१ + २ + ३ + ४)** | **१६,२९८** | **१,७१८** | **१९,०६५** | **३०,३८३** | **२३,७३९** | **२७,४३०** | **३३,५६४** |
| **(१)** | ***सरकारी ऋण लेख्यांकडून जमा (अ + ब) -*** | **१४,५५७** | **१३,७६१** | **२१,६१२** | **२१,५६४** | **२०,७४०** | **२५,७५६** | **२६,७८१** |
| | (अ) राज्य शासनाचे देशांतर्गत ऋण * | १४,०५९ | १३,४३२ | २१,२२७ | २०,८१२ | १९,९२० | २३,९६५ | २३,७६२ |
| | (ब) केंद्र सरकारकडून कर्जे व आगाऊ रकमा | ४९८ | ३२९ | ३८५ | ७५२ | ८२० | १,७९१ | ३,०१९ |
| **(२)** | ***राज्य शासनाकडून कर्जे व आगाऊ रकमा (वसुली)*** | **५१** | **७३३** | **५६०** | **५१५** | **६४०** | **७४३** | **७३५** |
| **(३)** | ***इतर भांडवली जमा (निव्वळ)*** ‡ | **१८३** | **०** | **७५** | **२४** | **९** | **०** | **०** |
| **(४)** | ***लोक लेखा (निव्वळ) (अ + ब + क + ड)*** | **१,५०८** | **(-)१२,७७६** | **(-)३,१८२** | **८,२८०** | **२,३५०** | **९३१** | **६,०४८** |
| | (अ) अल्पबचत, भविष्य निर्वाह निधी इ. (निव्वळ) | ६४० | ६८५ | ८०४ | १,७९० | २,०२२ | ३,०३८ | ३,७५८ |
| | (ब) राखीव निधी (निव्वळ) (१ + २) | १,६४६ | (-)११,७१७ | १९० | (-)३५१ | (-)१२६ | (-)३८१ | (-)४८८ |
| | (१) व्याजी | ७ | २४ | ४४ | ५१ | १०६ | २ | ४ |
| | (२) बिनव्याजी | १,६३९ | (-)११,७४१ | १४६ | (-)४०२ | (-)२३२ | (-)३८३ | (-)४९२ |
| | (क) नागरी ठेवी (निव्वळ) (१ + २) | १,७१४ | १,८७६ | १,२४० | ३,५०२ | ६,२५९ | ४,६१७ | ५,०७६ |
| | (१) व्याजी | ५७० | ४६८ | ७६८ | १,८९९ | ३,९४६ | ४,०३१ | ४,१९४ |
| | (२) बिनव्याजी | १,१४४ | १,४०८ | ४७२ | १,६०३ | २,३१३ | ५८६ | ८८२ |
| | (ड) इतर | (-)२,४९२ | (-)३६२० | (-)५,४१६ | ३,३३९ | (-)५,८०५ | (-)६,३४३ | (-)२,२९८ |
| | **एकूण जमा (अ + ब)** | **७८,४९३** | **८१,३०१** | **१,००,३३६** | **१,१७,२९३** | **१,२९,६०७** | **१,५२,७४३** | **१,७०,२७६** |

आधार - वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन

‡ यात ‘आंतरराज्यीय तडजोड’ (निव्वळ), ‘आकस्मिकता निधीमध्ये केलेले विनियोजन’ (निव्वळ ) आणि ‘आकस्मिकता निधी’ (निव्वळ) यांचा समावेश आहे.

* अर्थोपाय व आगाऊ रकमा धरुन   सु.अं. - सुधारित अंदाज   अ.अं. - अर्थसंकल्पीय अंदाज

# परिशिष्ट ५.३

## महाराष्ट्र शासन अर्थसंकल्प : महसुली व भांडवली लेख्यांवरील खर्चातील कल

(₹ कोटी)

| | बाब | २००६-०७ | २००७-०८ | २००८-०९ | २००९-१० | २०१०-११ | २०११-१२ (सु.अं.) | २०१२-१३ (अ.अं.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
| **(अ)** | **महसूली खर्च (१ + २)** | **६१,३८५** | **६४,७८०** | **७५,६९४** | **९४,९१६** | **१,०६,४५९** | **१,२७,३७२** | **१,३६,५५९** |
| **(१)** | **विकास खर्च (अ + ब + क)** | **३६,२७९** | **४०,९३४** | **४९,१०९** | **६२,८४५** | **६८,७५५** | **८४,२१६** | **८७,००२** |
| | **(अ) सामाजिक सेवा (१ ते ८)** | **२३,५५९** | **२६,७७३** | **३१,०५२** | **४१,००५** | **४८,२८२** | **५७,२८३** | **६२,००७** |
| | (१) शिक्षण, क्रिडा, कला व संस्कृती | १२,३१६ | १३,६४२ | १६,४४७ | २२,२०८ | २६,९४४ | ३०,२०४ | ३३,४०३ |
| | (२) आरोग्य व कुटुंब कल्याण | २,२५४ | २,६९५ | ३,१०५ | ३,६९६ | ४,४७४ | ५,३०७ | ६,१६९ |
| | (३) पाणीपुरवठा, स्वच्छता, गृहनिर्माण व नगरविकास | ३,५६५ | ५,०४४ | ४,४६० | ६,९३९ | ६,५०९ | ८,०३३ | ९,४०९ |
| | (४) माहिती व ध्वनी प्रसारण | २४ | २७ | ३१ | ४० | ४७ | ४९ | ५२ |
| | (५) अ.जा., अ.ज. व इ.मा.व. यांचे कल्याण | १,९०४ | २,३९२ | ३,२०० | ४,१४५ | ४,५१८ | ५,७८४ | ६,४१४ |
| | (६) कामगार व कामगार कल्याण | ३१९ | ४०२ | ५२८ | ५९९ | ६४६ | ८०३ | ८०४ |
| | (७) समाज कल्याण व पोषण आहार | ३,१३२ | २,५२७ | ३,२३७ | ३,३२५ | ५,०७६ | ७,०२० | ५,६६८ |
| | (८) इतर | ४५ | ४४ | ४४ | ५३ | ६८ | ८३ | ८८ |
| | **(ब) आर्थिक सेवा (१ ते ९)** | **११,७०३** | **१३,२३७** | **१६,८१३** | **२०,३७२** | **१९,२८५** | **२५,८४०** | **२३,९२८** |
| | (१) कृषि व संलग्न सेवा | ३,३६३ | ३,४६८ | ६,४०३ | ६,४६० | ५,६३६ | ६,५७४ | ६,९४० |
| | (२) ग्राम विकास | २,५८९ | १,०६० | १,९८० | २,४९३ | २,२४३ | २,७५७ | २,९६८ |
| | (३) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | ३३ | ३३ | ३१ | २८ | ५९ | ४४ | ४४ |
| | (४) पाटबंधारे व पूर नियंत्रण | १,५१४ | १,६४८ | १,९३९ | २,३४० | २,५२२ | २,८१० | २,८६१ |
| | (५) ऊर्जा | २,६०१ | ३,४११ | २,८०८ | ४,१३८ | ३,६१९ | ५,५८० | ३,७०९ |
| | (६) उद्योग व खनिजे | ५६६ | १,०४३ | ६८२ | ९९८ | ८७० | २,६६६ | १,८५१ |
| | (७) वाहतूक आणि दळणवळण | ६९७ | २,२५४ | २,६९१ | ३,२२७ | ३,४१८ | ४,१२२ | ४,२३७ |
| | (८) विज्ञान, तंत्रज्ञान व पर्यावरण | २५ | २६ | ४२ | ७२ | ६१ | ७४ | ७९ |
| | (९) सर्वसाधारण आर्थिक सेवा | ३१५ | २९४ | २३७ | ६१६ | ८५६ | १,२१३ | १,२३९ |
| | **(क) स्थानिक संस्था आणि पंचायत राज्य संस्था यांना सहायक अनुदाने व अंशदाने** | **१,०१७** | **९२४** | **१,२४४** | **१,४६८** | **१,१८८** | **१,०९४** | **१,०६७** |
| **(२)** | **विकासेतर खर्च (अ + ब)** | **२५,१०६** | **२३,८४६** | **२६,५८५** | **३२,०७१** | **३७,७०४** | **४३,१५५** | **४९,५५७** |
| | **(अ) सर्वसाधारण सेवा (१ ते ५)** | **१२,९२५** | **११,०८१** | **१३,६८६** | **१७,१२९** | **२१,१५५** | **२४,८३६** | **२९,७९०** |
| | (१) राज्यांची अंगे | ४६६ | ५४१ | ६४१ | १,१४९ | १,०८८ | १,४३८ | १,४७६ |
| | (२) करवसुली खर्च | ४०५ | ७४३ | १,१९४ | १,४८६ | १,२२१ | १,७२९ | २,०१० |
| | (३) प्रशासकीय सेवा | ४,८२४ | ५,५०३ | ६,५६० | ८,१७३ | ९,७९८ | ११,६७१ | १४,६९८ |
| | (४) निवृत्ती वेतन आणि संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा | ४,३६४ | ४,२१५ | ५,१९९ | ६,२२९ | ८,९५६ | ९,९०७ | ११,४३५ |
| | (५) राखीव निधीकडे हस्तांतरण | २,८६६ | ७९ | ९२ | ९२ | ९२ | ९२ | १७१ |
| | **(ब) ऋण सेवा** | १२,१८१ | १२,७६५ | १२,८९९ | १४,९४२ | १६,५४९ | १८,३१९ | १९,७६७ |
| **(ब)** | **भांडवली खर्च (१ + २)** | **१७,१२१** | **१७,४१४** | **२४,२७८** | **२२,८६५** | **२४,५४६** | **२५,४६७** | **३३,५५१** |
| **(१)** | **विकास खर्च (अ + ब)** | **१२,४१४** | **१२,७१५** | **२०,१५४** | **१८,६९०** | **१८,९२२** | **१९,३५९** | **२३,९५३** |
| | (अ) महसुली लेख्याबाहेरील भांडवली खर्च | १०,०९२ | ११,४९० | १८,८७३ | १७,४२९ | १७,९६३ | १८,२५१ | २२,४४४ |
| | (ब) राज्य शासनाने दिलेली कर्जे व आगाऊ रकमा | २,३२२ | १,२२५ | १,२८१ | १,२६१ | ९५९ | १,१०८ | १,५०९ |
| **(२)** | **विकासेतर खर्च (अ + ब + क) (सरकारी ऋणाची परतफेड)** | ४,७०७ | ४,६९९ | ४,१२४ | ४,१७५ | ५,६२४ | ६,१०८ | ९,५९८ |
| | (अ) राज्य शासनाचे देशांतर्गत ऋण | ४,३०४ | ४,२८६ | ३,७०४ | ३,३९८ | ४,२९१ | ५,६११ | ८,९८१ |
| | (ब) केंद्र शासनाकडून घेतलेली कर्जे व आगाऊ रकमा | ४०३ | ४१३ | ४२० | ४२७ | ४८३ | ४९७ | ६१७ |
| | (क) आकस्मिकता निधीकडे विनियोजन | ० | ० | ० | ३५० | ८५० | ० | ० |
| | **एकूण खर्च (अ + ब)** | **७८,५०६** | **८२,१९४** | **९९,९७२** | **१,१७,७८१** | **१,३१,००५** | **१,५२,८३९** | **१,७०,११०** |

आधार - वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन

सु.अं. - सुधारित अंदाज    अ.अं. - अर्थसंकल्पीय अंदाज

## परिशिष्ट ५.४
## महाराष्ट्र राज्यातील कृषि क्षेत्रावरील करांपासून महसुली जमा

(₹ लाख)

| अ. क्र. | तपशील | २००६-०७ | २००७-०८ | २००८-०९ | २००९-१० | २०१०-११ | २०११-१२ (सु.अं.) | २०१२-१३ (अ.अं.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
| १ | कृषि उत्पन्नावरील कर | ० | ५ | ० | ० | | | |
| २ | जमीन महसूल / कर - सर्वसाधारण वसुली | १८,९९४ | २०,५२८ | २२,७५५ | ३१,८७७ | ३३,५५२ | २७,८५६ | ३२,६५६ |
| ३ | महाराष्ट्र कर (सुधारणा) अधिनियम, १९७५ अन्वये फेरबदल केलेल्या महाराष्ट्र जमीन महसूल व विशेष आकारणी यामध्ये वाढ करण्याबाबत अधिनियम, १९७४ च्या कलम ३ नुसार जमीन महसुलातील वाढ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ४ | रोजगार हमी योजनेकरिता जमीन महसुलातील वाढ | ३७२ | ७५८ | ९७५ | १,६८० | ८६८ | १,७५९ | १,७५९ |
| ५ | जमिनीवरील पट्टी व उपकर | ६,०३२ | ७,४५० | ७,७३२ | ८,५४३ | ९,८८४ | ६५,१९२ | ६६,४४४ |
| ६ | ऊस खरेदीवरील कर | ३,९८९ | ३४६ | ११,५०३ | १२,२९७ | ८,१८९ | ४,६३० | ५,१८५ |
| ७ | ऊस (विनियमन, पुरवठा आणि खरेदी, नियंत्रण) अधिनियमाखालील जमा रकमा | ० | १ | ८१ | २३६ | ० | ९८ | ० |
| ८ | शिक्षण उपकर अधिनियम - | | | | | | | |
| | (अ) वाणिज्यिक पिकांखालील शेत जमिनीवरील विशेष आकारणी | १,४५३ | ४६७ | ७२१ | १,१३० | १,५४८ | १,४७० | १,४७० |
| | (ब) जलसिंचित कृषि जमिनीवरील रोजगार हमी उपकर | १९१ | १८५ | १६९ | २४७ | ४२९ | २०१ | २०१ |
| | (क) महाराष्ट्र जमीन महसूल व विशेष आकारणी अधिनियम, १९७४ खालील विशेष आकारणीत वाढ | १४ | ११ | १३९ | ३८ | १३ | १४ | १४ |
| | **एकूण** | **३१,०४६** | **२९,७५२** | **४४,०७५** | **५६,०४८** | **५४,४८३** | **१,०१,२२०** | **१,०७,७२९** |

आधार - वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई

सु.अं. - सुधारित अंदाज अ.अं. - अर्थसंकल्पीय अंदाज

# परिशिष्ट ५.५
## वर्षभरातील कर्जे व इतर दायित्वे

(₹ कोटी)

| | बाब | २००६-०७ | २००७-०८ | २००८-०९ | २००९-१० | २०१०-११ | २०११-१२ (सु.अं.) | २०१२-१३ (अ.अं.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
| **(एक)** | **ऋण प्राप्ती (१ + २ + ३) (व्याजी)** | ११,०६७ | १०,२३९ | १९,१०४ | २१,४७९ | २२,०४० | २६,७२० | २५,१४० |
| | १) राज्य शासनाचे देशांतर्गत ऋण (निव्वळ) | ९,७५५ | ९,१४६ | १७,५२३ | १७,४१४ | १५,६२९ | १८,३५४ | १४७८१ |
| | २) केंद्र शासनाकडून कर्जे व आगाऊ रकमा (निव्वळ) | ९५ | (-)८३ | (-)३५ | ३२५ | ३३७ | १,२९४ | २४०३ |
| | ३) व्याजी गटबंधने (अ + ब + क) | १,२१७ | १,१७६ | १,६१६ | ३,७४० | ६,०७४ | ७,०७२ | ७,९५६ |
| | अ) भविष्य निर्वाह निधी (निव्वळ) | ६४० | ६८४ | ८०४ | १,७९० | २,०२२ | ३,०३८ | ३७५८ |
| | ब) राखीव निधी (निव्वळ) | ७ | २४ | ४४ | ५१ | १०६ | ३ | ४ |
| | क) नागरी ठेवी (निव्वळ) | ५७० | ४६८ | ७६८ | १,८९९ | ३,९४६ | ४,०३१ | ४१९४ |
| **(दोन)** | **ऋण प्राप्ती (१ + २) (बिनव्याजी)** | ४७३ | (-)१३,९५६ | (-)४,७४१ | ४,५३९ | (-)३,७३२ | (-)६,१४१ | (-)१,९०९ |
| | १) लोकलेख्यातील निव्वळ जमा @ | २९० | (-)१३,९५२ | (-)४,७९८ | ४,५४० | (-)३,७२४ | (-)६,१४१ | (-)१,९०९ |
| | २) इतर भांडवली जमा (निव्वळ) # | १८३ | (-)४ | ५७ | (-)१ | (-)८ | ० | ० |
| | **एकूण कर्जे व इतर दायित्वे (एक + दोन)** | ११,५४० | (-)३,७१७ | १४,३६३ | २६,०१८ | १८,३०८ | २०,५७९ | २३,२३१ |

आधार - वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन

@ लोकलेख्याच्या निव्वळ प्राप्तीमध्ये राखीव निधी, ठेवी, निलंबन व संकीर्ण आणि वित्त प्रेषणे लेखा यांचा अंतर्भाव आहे.

# यामध्ये आंतरराज्यीय तडजोड (निव्वळ), आकस्मिकता निधीमध्ये केलेले विनियोजन (निव्वळ) आणि आकस्मिकता निधी (निव्वळ) यांचा समावेश आहे.

सु.अं. - सुधारित अंदाज    अ.अं. - अर्थसंकल्पीय अंदाज

## परिशिष्ट ५.६
## शासनाच्या उपभोग्य बाबींवरील अंतिम खर्च व भांडवल निर्मितीवरील खर्च

(₹ कोटी)

| खर्च | २००६-०७ | २००७-०८ | २००८-०९ | २००९-१० | २०१०-११ | २०११-१२ (सु.अं.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) |
| **अ. उपभोग्य बाबींवरील खर्च** | | | | | | |
| १ कर्मचाऱ्यांची भरपाई (१.१ +१.२) | ११,००५ | १३,२०८ | १४,७७१ | १८,३२२ | २३,७८८ | ३१,४५५ |
| १.१ वेतन आणि मजूरी | ७,९३३ | ९,५३३ | १०,२४४ | १२,९१५ | १४,८९८ | २०,१४३ |
| १.२ निवृत्तीवेतन | ३,०७२ | ३,६७५ | ४,५२७ | ५,४०७ | ८,८९० | ११,३१२ |
| २ वस्तू आणि सेवांची निव्वळ खरेदी (२.१ + २.२ -२.३) | ४,५७१ | ७,०७७ | ७,६०७ | ९,९९२ | ११,७३५ | १३,९३५ |
| २.१ खरेदी | ५,१२१ | ६,२१५ | ६,११७ | ८,६१४ | १०,२३१ | १२,९०५ |
| २.२ देखभाल | १,६८२ | २,२०७ | २,५४५ | २,९३८ | ३,४६५ | ३,५२५ |
| २.३ वजा विक्री | २,२३२ | १,३४५ | १,०५५ | १,५६० | १,९६१ | २,४९५ |
| **एकूण उपभोग्य बाबींवरील खर्च** | **१५,५७६** | **२०,२८५** | **२२,३७८** | **२८,३१४** | **३५,५२३** | **४५,३९०** |
| **ब. भांडवल निर्मितीवरील खर्च** | | | | | | |
| १. इमारती | १,२१७ | १,१०३ | १,२६९ | १,१३९ | १,०९२ | २,४०९ |
| २. रस्ते व पूल | ९७८ | ९७९ | १,७२३ | २,९७४ | २,३४७ | २,७१८ |
| ३. इतर भांडवली खर्च | २,०१२ | १,९९२ | २,२७० | २,४४८ | २,८९७ | ३,०६६ |
| ४. दळणवळणाची साधने | ४५ | ५८ | ८२ | ६३ | १७१ | १०० |
| ५. यंत्रसामग्री आणि साधनसामग्री | ३४० | ४२८ | ६५० | ७०४ | ४७२ | ७१९ |
| ६. लागवडीखालील मत्ता | ५३ | ८२ | ४४ | ८६ | ० | ० |
| ७. पशुधन | १ | २ | ० | ० | ० | ० |
| **८. एकूण भांडवल निर्मितीवरील खर्च (१ ते ७)** | **४,६४६** | **४,६४४** | **६,०३८** | **७,४१४** | **६,९७९** | **९,०१२** |
| ९. साठ्यातील बदल | ३५ | ० | १ | (-) ७ | (-)२ | २ |
| **१०. स्थूल भांडवल निर्मितीवरील खर्च (८+९)** | **४,६८१** | **४,६४४** | **६,०३९** | **७,४०७** | **६,९७७** | **९,०१४** |

आधार - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

सु.अं. - सुधारित अंदाज

## परिशिष्ट ५.७
## १३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार प्राप्त झालेली अनुदाने व खर्च

(₹ कोटी)

| अ. क्र. | खर्च | २०१०-११ | | २०११-१२ | | २०१२-१३ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्राप्त | खर्च | प्राप्त | खर्च # | अपेक्षित |
| (१) | (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) |
| १. | पंचायत राज संस्था | ५०५.७८ | ५०५.७८ | ९४५.६६ | ७५९.३९ | १,१७०.१७ |
| २. | नागरी स्वराज्य संस्था | २९२.२७ | २९२.२७ | ५६०.४९ | ६१०.०२ | ६७६.२३ |
| ३ | विशेष क्षेत्र मुलभूत अनुदान | ७.९० | ७.९० | ७.९० | ७.९० | ७.८८ |
| ४. | विशेष क्षेत्र कार्यात्मक अनुदान | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ७.८८ |
| ५. | राज्य आपत्ती मदत निधी (केंद्रीय हिस्सा) | ३३२.०२ | ३३२.०२ | ३४८.६१ | ५०६.३३ | ३६६.०५ |
| ६. | क्षमता निर्मितीसाठी अनुदान | ५.०० | ४.८९ | ५.०० | ०.०० | ५.०० |
| ७. | मुलभूत शिक्षणासाठी अनुदान | १३१.०० | १३०.९९ | १४०.०० | १४०.०० | १४९.०० |
| ८. | वनांसाठी अनुदान | ३८.७० | ३२.९४ | ३८.७० | ४४.०४ | ७७.४० |
| ९. | एकमेवाव्दीतीय ओळखपत्रासाठी (UID) प्रोत्साहनात्मक अनुदान | ३१.७४ | ३१.७४ | ०.०० | १.२० | ६३.४८ |
| १०. | न्याय प्रक्रिया सुधारण्यासाठी अनुदान | १०८.५३ | ४.६२ | ५४.२७ | ३३.१२ | १०८.५३ |
| ११. | नाविन्यपूर्ण कल्पनांसाठी जिल्हा निधी अनुदान | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ७.०० |
| १२. | राज्य व जिल्हा सांख्यिकी प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी अनुदान | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ७.०० |
| १३. | कर्मचारी व निवृत्ती वेतन विषयक माहितीकोषासाठी अनुदान | २.५० | ०.०० | ०.०० | ३.६८ | ३.७५ |
| १४. | जलक्षेत्र | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ७६.४७ | ९२.०० |
| १५. | रस्ते व पूल यांचे परिरक्षण | ०.०० | ०.०० | ४७०.०० | ३११.०१ | ५०४.०० |
| १६. | राज्याचा विविध गरजा | ०.०० | ०.०० | २८३.९७ | १९४.४१ | ३०८.७५ |
| | **एकूण** | **१,४५५.४४** | **१,३४३.१५** | **२,९५३.५९** | **२,६८७.५७** | **३,५५४.१२** |

*आधार* - वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन

\# संबंधित विभाग

# ६

# संस्थांद्वारे वित्त पुरवठा व भांडवली बाजार

# ६

# संस्थांद्वारे वित्त पुरवठा व भांडवली बाजार

# ६. संस्थाद्वारे वित्त पुरवठा व भांडवली बाजार

६.१ वित्तीय संस्थांची उत्तम संरचना व कार्यक्षम जाळे आर्थिक विकासास चालना देण्यास उपयुक्त ठरतात. या संस्था समाजातील सर्व घटकांना तसेच पायाभूत प्रकल्पांना किफायतशीर दरात वित्तपुरवठा करतात. उदारीकरणानंतर झालेल्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या प्रवेशामुळे वित्तीय क्षेत्राचे पारंपारिक स्थिती मधून गतिशील क्षेत्रात परीवर्तन झाले.

६.२ भारतात बॅंकींग संस्था ह्या मुख्य वित्तीय संस्था आहेत. संयुक्त भांडवली संस्था, विमा संस्था, म्युच्युअल फंडस्, इत्यादि वित्तीय संस्थादेखील पतपुरवठा करण्यात लक्षणीय भूमिका बजावतात. अनुसूचित वाणिज्यिक बॅंकांमधील राष्ट्रीयीकृत बॅंका (स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया व तिच्या सहयोगी बॅंकासहित) या ग्रामीण भागात पतपुरवठा करण्यात सक्रीयपणे गुंतल्या आहेत. बिगर बॅंकींग वित्तीय संस्था या वित्तीय मध्यस्थी साधणाऱ्या संस्था असून त्या वित्तीय संसाधनांना भांडवल निर्मितीकडे वळविण्यात महत्वाची भूमिका बजावतात. या संस्था सामुदायिक (कॉर्पोरेट) क्षेत्राच्या वाढत्या वित्तीय गरजा भागविण्याच्या तसेच असंघटीत क्षेत्रास पतपुरवठा करण्याच्या बॅंकींग क्षेत्राच्या भूमिकेस पूरक ठरतात.

## अनुसूचित वाणिज्यिक बॅंका

६.३ बॅंकींग क्षेत्र हे अनुसूचित व बिगर अनुसूचित बॅंका मिळून तयार झाले आहे. अनुसूचित बॅंका ह्या अनुसूचित वाणिज्यिक बॅंका व अनुसूचित सहकारी बॅंका या दोन प्रकारच्या असतात. भारतातील अनुसूचित वाणिज्यिक बॅंकांमध्ये भारतीय स्टेट बॅंक व तिच्या संलग्न बॅंका, राष्ट्रीयीकृत बॅंका, खाजगी क्षेत्रातील बॅंका, प्रादेशिक ग्रामीण बॅंका व इतर (विदेशी बॅंका) यांचा समावेश आहे. अनुसूचित सहकारी बॅंकांबद्दलची माहिती ह्या प्रकाशनातील प्रकरण ८ मध्ये देण्यात आली आहे. मार्च, २०१२ अखेर, राज्यात ९,०५३ बॅंक कार्यालये होती. त्यापैकी, जवळपास २६ टक्के ग्रामीण भागात आणि ५४ टक्के नागरी भागात होती. मागील वर्षाच्या तुलनेत २०११-१२ मध्ये एकूण ठेवींमध्ये १० टक्के वाढ तर एकूण कर्जांमध्ये १५ टक्क्यांची वाढ झाली. ग्रामीण भागातील बॅंकांच्या एकूण ठेवी व कर्जामध्ये जास्त वाढ होती. राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक बॅंकांमधील ठेवी व कर्ज तक्ता ६.१ मध्ये दिली आहेत, तर विस्तृत श्रृंखला परिशिष्ट ६.१ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ६.१ राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक बॅंकांच्या ठेवी व कर्ज**

(मार्च अखेर)

| विवरण | २०११ | | | | २०१२ | | | | मागील वर्षीच्या तुलनेत एकूण मधील शेकडा बदल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ग्रामीण | निम-नागरी | नागरी | एकूण | ग्रामीण | निम-नागरी | नागरी | एकूण | |
| बॅंक कार्यालयांची संख्या | २,२२६ | १,६६७ | ४,९२३ | ८,८१६ | २,३३८ | १,८५८ | ४,८५७ | ९,०५३ | २.७ |
| ठेवी (₹ लाख कोटी) | ०.२८ | ०.४८ | १३.७७ | १४.५३ | ०.३४ | ०.५९ | १५.०१ | १५.९४ | ९.७ |
| कर्ज (₹ लाख कोटी) | ०.२० | ०.२७ | ११.५९ | १२.०६ | ०.२७ | ०.३२ | १३.२९ | १३.८८ | १५.० |
| कर्ज ठेवी प्रमाण (टक्के)# | ७१.९ | ५२.२ | ८४.२ | ८३.० | ७७.५ | ५४.३ | ८८.६ | ८७.१ | - |

*आधार:* भारतीय रिझर्व्ह बॅंक # आकडे संक्षिप्तात दिल्याने कर्ज ठेवी प्रमाण जुळेलच असे नाही.

६.४ मार्च, २०१२ च्या अखेरीस भारतातील अनुसूचित वाणिज्यिक बॅंकांच्या एकूण कार्यालयांपैकी नऊ टक्के बॅंक कार्यालये राज्यात कार्यरत होती. भारतातील या बॅंकाच्या एकूण ठेवी (जवळपास २६ टक्के) व कर्ज (जवळपास २९ टक्के) यामध्ये राज्याचे स्थान अग्रस्थानी अबाधित राहिले आहे. राज्यातील कर्जाचे ठेवीशी असलेले प्रमाण ८७.१ टक्के होते, तर भारताकरिता हेच प्रमाण ७८.१ टक्के होते.

**आलेख ६.१ : अनुसूचित वाणिज्यिक बॅंकांमधील ठेवी व कर्ज** (जूनच्या अखेरच्या शुक्रवारी)

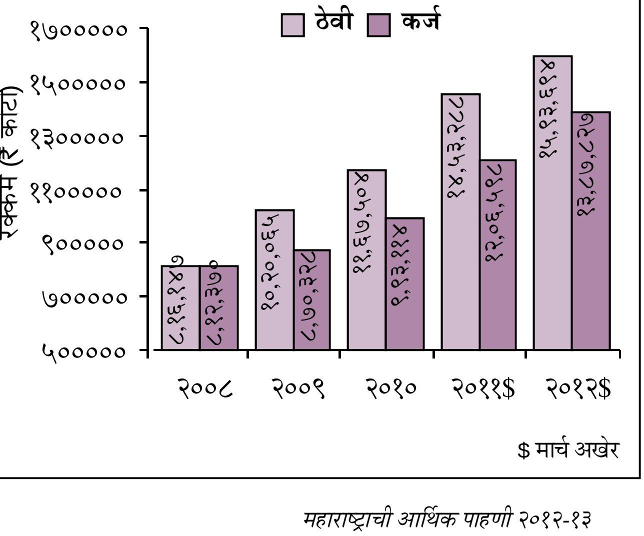


$ मार्च अखेर

६.५ मार्च, २०१२ च्या अखेरीस, अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या एकूण ठेवी व कर्जामध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांचा हिस्सा ५० टक्क्यांहून अधिक होता. खाजगी बँकांचा एकूण ठेवी व कर्जातील हिस्सा २२ टक्क्याहून अधिक होता. भारतीय स्टेट बँक व तिच्या संलग्न बँका यांचे कर्जाचे ठेवींशी असलेले प्रमाण सर्वाधिक (१०६.० टक्के) होते. राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या दरडोई ठेवी व दरडोई कर्ज अनुक्रमे ₹ १,३९,५७२ व ₹ १,२१,५४३ इतके होते. भारतासाठी तत्सम आकडेवारी ₹ ५१,१०६ व ₹ ३९,९०९ इतकी होती. बँक गट निहाय अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या ठेवी व कर्ज तक्ता ६.२ मध्ये दिली आहेत.

**आलेख ६.२ : बँक गटनिहाय कर्ज ठेवी प्रमाण**
(मार्च अखेर)

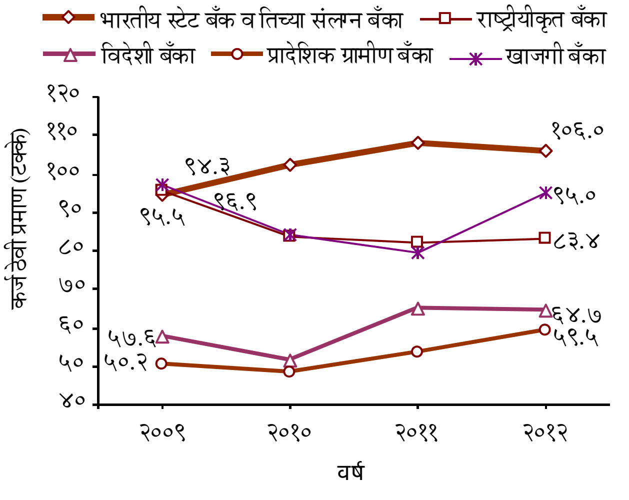


**तक्ता ६.२ बँक गटनिहाय अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या ठेवी व कर्ज**

(मार्च अखेर)

| बँक गट | २०११ | | | | २०१२ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बँक कार्यालयांची संख्या | ठेवी (₹ कोटी) | कर्ज (₹ कोटी) | कर्ज ठेवी प्रमाण (टक्के) | बँक कार्यालयांची संख्या | ठेवी (₹ कोटी) | कर्ज (₹ कोटी) | कर्ज ठेवी प्रमाण (टक्के) |
| भारतीय स्टेट बँक व तिच्या संलग्न बँका | १,५२३ | १,८३,७५६ | १,९८,८६४ | १०८.२ | १,४९० | २,०९,७८३ | २,२२,३५५ | १०६.० |
| राष्ट्रीयीकृत बँका | ५,१३० | ७,९१,४६० | ६,४८,००४ | ८१.९ | ५,२७३ | ८,७०,२८९ | ७,२५,५९३ | ८३.४ |
| विदेशी बँका | ८५ | १,२६,१२५ | ८१,६४३ | ६४.७ | ९० | १,५१,९५२ | ९८,२६४ | ६४.७ |
| प्रादेशिक ग्रामीण बँका | ५९७ | ४,६३४ | २,४७० | ५३.३ | ६३० | ५,५६९ | ३,३१२ | ५९.५ |
| खाजगी बँका | १,४८१ | ३,४७,३११ | २,७५,६१८ | ७९.४ | १,५७० | ३,५६,१०१ | ३,३८,३०३ | ९५.० |
| **एकूण** | **८,८१६** | **१४,५३,२८६** | **१२,०६,५९९** | **८३.०** | **९,०५३** | **१५,९३,६९४** | **१३,८७,८२७** | **८७.१** |

*आधार:* भारतीय रिझर्व्ह बँक

६.६ सन २०११ मध्ये बचत खात्यांची संख्या तीन पटीने वाढली. याच कालावधीत चालू खात्यातील ठेवींमध्ये ३० टक्के तर एकूण मुदत ठेवीमध्ये २० टक्क्याची वाढ झाली. खाते प्रकारानुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या ठेवी तक्ता ६.३ मध्ये दिल्या आहेत.

**तक्ता ६.३ खाते प्रकारानुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या ठेवी**

(मार्च अखेर)

| खाते प्रकार | २०१० | | २०११ | |
|---|---|---|---|---|
| | खात्यांची संख्या ('०००) | ठेवी (₹ कोटी) | खात्यांची संख्या ('०००) | ठेवी (₹ कोटी) |
| चालू | ३,१०९ | १,८४,०२५ | ९,०९३ | २,१२,४९२ |
| बचत | ५१,३०० | १,६३,१४६ | ५८,८१० | २,१२,१५३ |
| मुदत ठेवी | १६,७८९ | ८,५४,८२० | १७,४४८ | १०,२८,६४१ |
| **एकूण** | ७१,१९८ | १२,०१,९९१ | ८५,३५१ | १४,५३,२८६ |

*आधार:* भारतीय रिझर्व्ह बँक

६.७ अनुसूचित वाणिज्यिक बँकानी प्राधान्य क्षेत्रास दिलेल्या एकूण कर्जापैकी, लघु उद्योग क्षेत्राकडे येणे कर्ज सर्वाधिक (३७.५ टक्के) होते त्याखालोखाल येणे कर्ज गृहनिर्माण क्षेत्राकडे (२९.८ टक्के) होते. अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांनी प्राधान्य क्षेत्रास दिलेल्या कर्जापैकी येणे कर्जांची विभागणी तक्ता ६.४ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ६.४ अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांनी प्राधान्य क्षेत्रास दिलेल्या कर्जापैकी येणे कर्जांची विभागणी**

(मार्चच्या अखेरच्या शुक्रवारी)

| प्राधान्य क्षेत्र | २०१० | | २०११ | | २०१२* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | खात्यांची संख्या ('०००) | येणे कर्ज (₹ कोटी) | खात्यांची संख्या ('०००) | येणे कर्ज (₹ कोटी) | खात्यांची संख्या ('०००) | येणे कर्ज (₹ कोटी) |
| कृषि व संलग्न कार्ये | २,८५७ | ५०,४४७ | २,५८७ | ५४,५७७ | ३,१४९ | ५४,७८३ |
| लघु उद्योग@@ | ७७८ | ७१,५५६ | ९६३ | १,०९,४२७ | १,०३७ | १,००,६१९ |
| गृहनिर्माण | ७१५ | ५६,४२८ | ७३८ | ७०,१६२ | ८३७ | ८०,०१६ |
| स्व-सहाय्यता गट $ | १४५ | ७६५ | १७६ | ९९३ | १८६ | १,५५६ |
| इतर प्राधान्य क्षेत्रे # | १२९ | २,९७४ | १४४ | ३,५५१ | १५६ | ३,८७९ |
| निर्यात कर्ज @ | १ | १५,२७३ | १ | १९,३९६ | ३ | २७,४०१ |
| **एकूण** | **४,६२५** | **१,९७,४४३** | **४,६०९** | **२,५८,१०६** | **५,३६८** | **२,६८,२५४** |

*आधार:* भारतीय रिझर्व्ह बँक * अस्थायी @ केवळ विदेशी बँकानाच लागू (लघुउद्योगांव्यतिरिक्त)

$ सूक्ष्म कर्ज (स्व-सहायता गट/सह दायित्व गट यांची कृषि व संलग्न कार्येकरिताची कर्ज वगळून)

# शिक्षण व राज्य पुरस्कृत अजा / अज संघटनांना देण्यात आलेली कर्जे मिळून @@ मध्यम उद्योगांना देण्यात आलेली कर्जे

६.८ एकूण येणे कर्जापैकी जवळपास तीन-चतुर्थांश येणे कर्ज हे स्टेट बँक ऑफ इंडिया व तिच्या सहयोगी बँकांसहित राष्ट्रीयीकृत बँकांचे होते. वस्तूनिर्माण क्षेत्राकडील येणे कर्ज सर्वाधिक म्हणजे २७.८ टक्के असून त्याखालोखाल वैयक्तिक कर्ज (१३ टक्के) होते. अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांची बँक गट निहाय येणे कर्जाची विभागणी तक्ता ६.५ मध्ये तर अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांची क्षेत्रनिहाय येणे कर्ज तक्ता ६.६ मध्ये दिली आहेत.

**तक्ता ६.५ अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांचे येणे कर्ज**

(मार्च अखेर)

| बँक गट | येणे कर्ज (₹ कोटी) | | |
|---|---|---|---|
| | २००९ | २०१० | २०११ |
| भारतीय स्टेट बँक व तिच्या संलग्न बँका | १,४९,५१६ | १,७१,८४९ | १,८५,७९३ |
| राष्ट्रीयीकृत बँका | ४,१७,०८५ | ५,०५,१२५ | ६,२५,०५४ |
| विदेशी बँका | ५८,०४३ | ६१,४२३ | ७५,२७४ |
| प्रादेशिक ग्रामीण बँका | १,६५४ | १,९९१ | २,४५५ |
| इतर अनुसूचित वाणिज्यिक बँका | १,५९,२२१ | १,७०,७८४ | २,०१,१२४ |
| **एकूण** | **७,८५,५१९** | **९,११,१७२** | **१०,८९,७००** |

*आधार:* भारतीय रिझर्व्ह बँक

**तक्ता ६.६ अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांची क्षेत्रनिहाय येणे कर्ज**

(मार्च अखेर)

| क्षेत्र | येणे कर्ज (₹ कोटी) | | | २०१० च्या तुलनेत २०११ शी शेकडा बदल | हिस्सा (टक्केवारीत) |
|---|---|---|---|---|---|
| | २००९ | २०१० | २०११ | | |
| कृषि व संलग्न कार्ये | २७,६६५ | ३५,३४३ | ३७,६३१ | ६.५ | ३.५ |
| खाण व दगड खाणकाम | ७,५४४ | १२,७३५ | १४,०६० | १०.४ | १.३ |
| वस्तूनिर्माण | २,४७,८७० | २,८०,३२५ | ३,०३,१४७ | ८.१ | २७.८ |
| वीज, वायू व पाणीपुरवठा | १९,००१ | २५,०२८ | ३१,०८९ | २४.२ | २.९ |
| बांधकाम | ७३,८७० | ९५,४०१ | १,१७,४४९ | २३.१ | १०.८ |
| परिवहन | २८,१८७ | ४२,५७८ | ५४,९७७ | २९.१ | ५.० |
| व्यावसायिक व इतर सेवा | ८२,६११ | ९६,९५३ | १,०९,३५५ | १२.८ | १०.० |
| व्यापार | ७४,६१४ | ७५,६५१ | ७९,८९० | ५.६ | ७.३ |
| वैयक्तिक कर्जे | १,१०,७३३ | ९६,३०४ | १,२१,३१५ | २६.० | ११.१ |
| इतर | १,१३,४२४ | १,५०,८५४ | २,२०,७८७ | ४६.४ | २०.३ |
| **एकूण** | **७,८५,५१९** | **९,११,१७२** | **१०,८९,७००** | **१९.६** | **१००.०** |

*आधार:* भारतीय रिझर्व्ह बँक

## वार्षिक कर्ज योजना

६.९ भारतातील प्रत्येक गावामध्ये वित्तपुरवठा उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 'सेवा क्षेत्र दृष्टीकोन' (Service Area Approch) अवलंबिला. या दृष्टीकोनानुसार जिल्हा हा सेवा क्षेत्राचा घटक म्हणून मानला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शासकीय कार्यालये, बँका व इतर संबंधितांशी समन्वय साधण्यासाठी तसेच वार्षिक पतपुरवठा कर्ज आराखड्याची आखणी व नियोजन करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याकरिता एक अग्रणी बँक निवडली आहे. राज्यातील कर्ज योजनेच्या संनियंत्रणासाठी बँक ऑफ महाराष्ट्र ही नियंत्रक बँक म्हणून कार्यरत आहे. २०१२-१३ साठीचा वार्षिक कर्ज योजनेचा आराखडा ₹ ६२,२२६ कोटी इतका असून तो गतवर्षीपेक्षा १४ टक्क्यांनी अधिक आहे. वार्षिक कर्ज योजनेमध्ये कृषि व संलग्न कार्ये क्षेत्राचा हिस्सा सर्वाधिक (६१.४ टक्के) असून ग्रामीण कारागीर, ग्राम व कुटीर उद्योग आणि लघू उद्योग क्षेत्राचा हिस्सा १२ टक्के इतका आहे. वार्षिक कर्ज योजनेअंतर्गत कर्ज वितरणाची लक्ष्ये व साध्ये तक्ता ६.७ मध्ये दिली आहेत व जिल्हानिहाय वार्षिक कर्जपुरवठा योजना परिशिष्ट ६.२ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ६.७ वार्षिक कर्जपुरवठा योजनेअंतर्गत राज्यात केलेले कर्जवाटप**

(₹ कोटी)

| क्षेत्र | २०१०-११ | | | २०११-१२ | | | २०१२-१३ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | साध्य | लाभधारक (लाखात) | लक्ष्य | साध्य | लाभधारक (लाखात) | लक्ष्य | साध्य + | लाभधारक + (लाखात) |
| कृषि व संलग्न कार्ये | २६,९१७ | १८,५०५ (६९) | १७.३९ | ३३,४२४ | २४,२२७ (७२) | २२.७७ | ३८,२०६ | १८,६८६ (४९) | १७.५६ |
| ग्रामीण कारागीर, ग्राम व कुटीर उद्योग आणि लघु उद्योग | ५,०६७ | ५,२४७ (१०४) | ०.४० | ६,४०२ | ६,४७२ (१०१) | ०.५० | ७,४४९ | ३,९५४ (५३) | ०.३१ |
| इतर क्षेत्रे | ११,४१८ | १२,६४५ (१११) | १५.७६ | १४,८३२ | १५,९२५ (१०७) | १९.८४ | १६,५७१ | ८,०६१ (४९) | १०.०४ |
| **एकूण** | **४३,४०२** | **३६,३९७ (८४)** | **३३.५५** | **५४,६५८** | **४६,६२४ (८५)** | **४३.११** | **६२,२२६** | **३०,७०१ (४९)** | **२७.९१** |

*आधार* : बँक ऑफ महाराष्ट्र, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे नियंत्रक + सप्टेंबर २०१२ अखेर

टीप : कंसातील आकडे साध्याची लक्ष्याशी टक्के दर्शवितात

## सूक्ष्म वित्तपुरवठा

६.१० सूक्ष्म वित्त म्हणजे ग्रामीण तसेच नागरी या दोन्ही भागातील गरिबांना लघु प्रमाणावर वित्तीय सेवा पुरविणे हे आहे. दारिद्र्य निर्मूलन व गरिबांना सक्षम करण्यासाठी हा प्रभावी कार्यक्रम आहे. यामध्ये कर्जपुरवठा, बचत, जीवन विमा, पीक विमा, इत्यादी प्रकारच्या विविध वित्तीय साधनांचा समावेश आहे. अनौपचारीक स्व-सहाय्यता गट तयार करुन त्याद्वारे गरीबांना सूक्ष्म वित्त पुरविण्यासाठी सन १९९२ मध्ये नाबार्डने स्व-सहाय्यता गट दुवा कार्यक्रम सुरु केला. या कार्यक्रमांतर्गत स्व-सहाय्यता गटांना वाणिज्यिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका वा सहकारी बँकांकडून थेट वित्त पुरवठा करण्यात येतो. याशिवाय, ‘सूक्ष्म वित्त संस्था-जोड’ हा अन्य मार्ग असून यामध्ये बँका सूक्ष्म वित्त संस्थांना कर्जपुरवठा करतात व त्यापुढे या संस्था स्व-सहाय्यता गटांना व सूक्ष्म वित्त अंतर्गत समाविष्ट इतर लघु कर्जदारांना कर्जपुरवठा करतात. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने वाणिज्यिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका व सहकारी बँका यांना या दुवा कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्याचे निर्देश दिले आहेत. एकूण स्व- सहाय्यता गटांची संख्या सन २०१२ मध्ये ८.८ टक्क्यांनी वाढली. एकूण स्व-सहाय्यता गटांपैकी ६८.८ टक्के स्व-सहाय्यता गट हे फक्त महिला स्व-सहाय्यता गट होते. स्व-सहाय्यता गटांच्या एकूण बचतीपैकी ६६.९ टक्के हिस्सा हा या महिला स्व-सहाय्यता गटांचा होता. स्व-सहायता गटांच्या ठेवी, कर्जवाटप व थकीत कर्ज तक्ता ६.८ मध्ये दिली आहेत.

**तक्ता ६.८ स्व-सहायता गटांच्या ठेवी, कर्जवाटप व थकीत कर्ज (३१ मार्च, २०१२ रोजी)**

(₹ कोटी)

| बाब | बँक प्रकार | एकूण स्व-सहाय्यता गट | | एकूण पैकी | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना व इतर पुरस्कृत योजनांतर्गत स्व-सहाय्यता गट | | फक्त महिलांचे स्व-सहाय्यता गट | |
| | | संख्या | रक्कम | संख्या | रक्कम | संख्या | रक्कम |
| **ठेवी** | **एकूण** | **८,२७,०४७** | **७२३.६२** | **१,९०,८३२** | **१२१.८३** | **५,६८,९०७** | **४८३.८७** |
| | सहकारी | ३,०१,९१४ | २३१.२३ | ४४,४१२ | २०.६१ | १,९०,२८१ | ९५.९१ |
| | प्रादेशिक ग्रामीण | ९४,५१९ | ३८.८२ | १६,३६८ | ४.६८ | ८०,२६९ | २९.७२ |
| | खाजगी वाणिज्यिक | ५,३२९ | ३.४० | १३३ | ०.०५ | ४,९१२ | ३.१४ |
| | सार्वजनिक वाणिज्यिक | ४,२५,२८५ | ४५०.१७ | १,२९,९१९ | ९६.५३ | २,९३,४४५ | ३५५.१० |
| **कर्जवाटप @** | **एकूण** | **६८,३९६** | **६०१.८०** | **१८,६३७** | **२८२.११** | **५३,९४३** | **४४८.५५** |
| | सहकारी | ३४,२४० | १३८.२८ | ४,६०३ | ३६.४९ | २८,२७५ | ९५.२३ |
| | प्रादेशिक ग्रामीण | ७,२६८ | १०२.४३ | १,५३३ | २८.२३ | ५,२२८ | ८५.९२ |
| | खाजगी वाणिज्यिक | १,८२९ | १२.८४ | १० | ०.०८ | १,८२१ | १२.७५ |
| | सार्वजनिक वाणिज्यिक | २५,०५९ | ३४८.२५ | १२,४९१ | २१७.३१ | १८,६१९ | २५४.६५ |
| **थकीत कर्ज** | **एकूण** | **२,१४,०१२** | **१,१६२.५३** | **७७,३५१** | **५६८.४५** | **१,६३,९४७** | **९१६.३०** |
| | सहकारी | ७३,२८० | १४५.८८ | ११,९०९ | ७१.६५ | ४९,७७३ | १०१.६६ |
| | प्रादेशिक ग्रामीण | २६,०६६ | १९०.४५ | ९,८८४ | ३७.७८ | २२,२७२ | १६९.१० |
| | खाजगी वाणिज्यिक | २,०८७ | १२.६५ | ४० | ०.३७ | १,४२३ | ८.४० |
| | सार्वजनिक वाणिज्यिक | १,१२,५७९ | ८१३.५५ | ५५,५१८ | ४५८.६५ | ८९,९७९ | ६३७.१४ |

*आधार* : नाबार्ड @ वर्ष २०११-१२ मधील

## वित्तीय समावेश

६.११ भारतातील बँकीग सेवांमध्ये झपाट्याने वाढ होत असल्याचे दिसून येत असले तरी, समाजातील विशेषत: कमकुवत व लाभापासून वंचित असलेले घटक तसेच अल्प उत्पन्न गटातील जनता, बँकांद्वारे पुरविल्या जाणाऱ्या बऱ्याच संधी व सेवांपासून वंचित राहिले आहेत. जनगणना २०११ नुसार, एकूण कुटुंबांपैकी, ३२ टक्के कुटुंबे कुठल्याही प्रकारच्या बँकींग सेवांचा वापर करीत नव्हत्या. वित्तीय संस्थांच्या या मर्यादित संपर्कामुळे जमीनदार, सावकार, इत्यादि सारख्या बिगर संस्था आजही अस्तित्वात आहेत. समाजातील विशेषत: कमकुवत व गरीब घटकांना बँकांच्या सेवा जाळ्यात सामावून घेण्यासाठी भारत सरकार व भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नाबार्डच्या सहयोगाने नो फ्रिल खाते, सर्वसाधारण क्रेडिट कार्ड, वित्तीय समावेश निधी व वित्तीय समावेश तंत्रज्ञान निधीची निर्मिती, इत्यादी संकल्पना राबवीत आहे. भारत सरकारने वित्तीय समावेश या विषयावर स्थापन केलेल्या समितीने बँकींग सुविधा उपलब्ध नसलेल्या जवळपास ५० टक्के ग्रामीण कुटुंबांना २०१२ पर्यंत व उर्वरीत कुटुंबांना २०१५ पर्यंत आर्थिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय ग्रामीण वित्तीय समावेश योजनेचा आराखडा तयार करण्याची शिफारस केली आहे. जानेवारी, २०१३ अखेरपर्यंत ६,०६९ गावांमध्ये सदर सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या. मार्च, २०१२ पर्यंत २२.५३ लाख 'नो फ्रिल' खाती उघडण्यात आली.

## ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी

६.१२ भारत सरकारने ग्रामीण भागात चालू असलेले पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता राज्य शासन व राज्य मालकीचे महामंडळे यांना कर्ज पुरविण्यासाठी ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधीची (ग्रापासुविनि) स्थापना केली आहे. ग्रापासुविनि अंतर्गत समावेश असलेल्या एकूण ३१ बाबींपैकी २२ बाबी कृषी व संलग्न कार्ये, सात बाबी सामाजिक क्षेत्र व दोन बाबी ग्रामीण दळणवळणाशी संबंधित आहेत. ग्रापासुविनि १८ (२०१२-१३) अंतर्गत राज्याचा हिस्सा ₹ ८०० कोटी इतका होता. ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेले प्रकल्प व कर्ज वाटप तक्ता ६.९ मध्ये दिले आहे.

**तक्ता ६.९ ग्रामीण पायाभूत विकास निधीअंतर्गत मंजूर प्रकल्प व कर्जवाटप**

(फेब्रुवारी, २०१३ पर्यंत)

| विभाग / प्रकल्प | संख्या/रक्कम (₹ कोटी) | ग्रापाविनि (१-१३) (१९९५-२००८) | ग्रापाविनि १४ (२००८-०९) | ग्रापाविनि १५ (२००९-१०) | ग्रापाविनि १६ (२०१०-११) | ग्रापाविनि १७ (२०११-१२) | ग्रापाविनि १८ (२०१२-१३) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जलसंपदा | संख्या | ८,५९२ | ५४ | २९ | २१ | १५ | - |
| | कर्जवाटप | १,७९८ | ४७२ | २१६ | २०२ | १२८ | - |
| दळणवळण | संख्या | ८,३०० | ७६८ | ९०५ | ५६३ | ७४१ | ८२७ |
| (रस्ते व पूल) | कर्जवाटप | २,१४५ | ३४६ | ३५८ | २६८ | १७८ | ६२ |
| सामाजिक क्षेत्र | संख्या | २२८ | ९ | ३ | - | - | - |
| (पिण्याचे पाणी पुरवठा) | कर्जवाटप | ९८ | १३७ | २१ | - | - | - |
| अंगणवाडी | संख्या | - | - | ५,००० | - | - | - |
| | कर्जवाटप | - | - | ८६ | - | - | - |
| पाणलोट क्षेत्र | संख्या | - | - | - | २३ | - | - |
| विकास | कर्जवाटप | - | - | - | ३० | - | - |
| मिठागर विकास | संख्या | - | - | - | ३५ | ३५ | - |
| | कर्जवाटप | - | - | - | १४ | ९ | - |
| मत्स्य | संख्या | - | - | - | २० | - | - |
| | कर्जवाटप | - | - | - | २२ | - | - |
| गोदाम | संख्या | - | - | - | - | ५८४ | - |
| | कर्जवाटप | - | - | - | - | ९२ | - |
| सार्वजनिक | संख्या | - | - | - | - | ६६ | - |
| आरोग्य केंद्र | कर्जवाटप | - | - | - | - | १९ | - |
| सांडपाणी | संख्या | - | - | - | - | ९४ | - |
| व्यवस्थापन | कर्जवाटप | - | - | - | - | १९ | - |
| **एकूण** | **संख्या** | **१७,१२०** | **८३१** | **५,९३७** | **६६२** | **१,५३५** | **८२७** |
| | **कर्जवाटप** | **४,०४१** | **९५५** | **६८१** | **५३६** | **४४५** | **६२** |

*आधार* : नाबार्ड

## संयुक्त भांडवली संस्था

६.१३ संयुक्त भांडवली संस्था विविध संलग्न उद्योग, व्यापार व व्यापाराशी संलग्न उद्योगांना प्रोत्साहन देतात. ३१ मार्च, २०११ रोजी भारतातील एकूण ७,१४,५५५ संयुक्त भांडवली संस्थांपैकी, २० टक्के संस्था राज्यात कार्यरत होत्या. राज्यातील या संस्थांचा भरणा केलेल्या एकूण भांडवलामध्ये २२ टक्के इतका हिस्सा होता. संयुक्त भांडवली संस्थांचे भरणा केलेले भांडवल तक्ता ६.१० मध्ये दिले आहे.

**तक्ता ६.१० संयुक्त भांडवली संस्थांचे भरणा केलेले भांडवल**

(३१ मार्च रोजी)

| बाब | २०१०@ | | | | २०११* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | महाराष्ट्र | | भारत | | महाराष्ट्र | | भारत | |
| | संस्थांची संख्या | भरणा केलेले भांडवल (₹ कोटी) | संस्थांची संख्या | भरणा केलेले भांडवल (₹ कोटी) | संस्थांची संख्या | भरणा केलेले भांडवल (₹ कोटी) | संस्थांची संख्या | भरणा केलेले भांडवल (₹ कोटी) |
| खाजगी | १,६५,८३२ | १,०३,०४१ (९८,४७३) | ७,५३,०३८ | ४,०९,४८५ (४,७२,१०६) | १,३४,४५२ | १,०९,३३२ (१,०८,५२६) | ६,५४,९०९ | ४,४७,०५० (५,३३,३४३) |
| सार्वजनिक | १५,७५३ | १,६६,१०२ (९,४८३) | ८२,८२२ | ७,३५,८४० (४८,९५५) | १०,८९७ | १,६५,२३६ (९,३६७) | ५९,६४६ | ८,१०,१९० (४९,४७३) |
| **एकूण** | **१,८१,५८५** | **२,६९,१४३ (१,०७,९५६)** | **८,३५,८६०** | **११,४५,१२५ (५,२१,०६१)** | **१,४५,३४९** | **२,७४,५६८ (१,१७,८९३)** | **७,१४,५५५** | **१२,५७,२४० (५,८२,८१६)** |

*आधार : मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स, भारत सरकार* @ सुधारीत * अस्थायी

टीप : कंसातील आकडे संस्थांची संख्या दर्शवितात

## भांडवली बाजार

६.१४ भांडवली बाजार हे उद्योग तसेच शासनास निधी उपलब्ध करुन देणारे महत्वाचे व कार्यक्षम साधन आहे. तसेच ते अर्थव्यवस्थेमधील गुंतवणुकीचे परिणामकारक साधन आहे. राज्यात मुंबई शेअर बाजार (बीएसई), राष्ट्रीय शेअर बाजार (एनएसई) असे दोन प्रमुख बाजार आहेत. याशिवाय, ओटीसी स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया, इंटर कनेक्टेड स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लि., युनायटेड स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, पुणे स्टॉक एक्स्चेंज लि. व एमसीएक्स् स्टॉक एक्स्चेंज लि. असे इतर पाच भांडवली बाजारसुद्धा कार्यरत आहेत.

६.१५ राष्ट्रीय शेअर बाजार व मुंबई शेअर बाजारात २०११-१२ मध्ये उलाढाल झालेल्या एकूण समभागांचे भांडवली मूल्य अनुक्रमे ₹ ६०,९६,५१८ कोटी व ₹ ६२,१४,९१२ कोटी इतके होते. २०१२-१३ मध्ये जानेवारी, २०१३ पर्यंत राष्ट्रीय शेअर बाजार व मुंबई शेअर बाजाराचे भांडवली मूल्य अनुक्रमे ₹ ६८,५८,६५३ कोटी व ₹ ७०,२४,५७७ कोटी इतके होते.

## प्राथमिक बाजार

६.१६ वर्ष २०११-१२ मध्ये राज्यात २० समभागांद्वारे (१५ सार्वजनिक समभाग व पाच हक्क समभाग) ₹ ६,०८० कोटीची तर मागील वर्षी ₹ १८,१५९ कोटींची उलाढाल झाली. खालावलेल्या आर्थिक व गुंतवणूक परिस्थितीमुळे प्राथमिक बाजारातील उलाढाल २०११-१२ मध्ये मंदावली. २०१२-१३ मध्ये डिसेंबर, २०१२ अखेरपर्यंत राज्यात १६ समभागांद्वारे (१२ सार्वजनिक समभाग व चार हक्क समभाग) ₹ २,७१८ कोटीची उलाढाल झाली.

## दुय्यम बाजार

६.१७ भारतातील सर्व रोखे बाजारांच्या समभाग उलाढालीत घट दिसून आली. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा ८३ टक्के इतका हिस्सा आहे. शेअर बाजारनिहाय उलाढाल तक्ता ६.११ मध्ये दिली आहे. राजीव गांधी रोखे बचत योजना ही एक आयकर बचत योजना असून ती छोट्या / किरकोळ गुंतवणूकदारांना स्थानिक भांडवली बाजारात सहभाग घेण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी दि. २३ नोव्हेंबर, २०१२ रोजी अस्तित्वात आली. सदर योजनेची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत :-

**तक्ता ६.११ शेअर बाजारातील उलाढाल**

(₹ कोटी)

| शेअर बाजार | २०१०-११ | २०११-१२ | २०१२-१३+ |
|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय | ३५,७७,४१० (७६.४) | २८,१०,८९२ (८०.७) | १९,७३,६२४ (८२.८) |
| मुंबई | ११,०५,०२७ (२३.६) | ६,६७,४९८ (१९.३) | ४,१०,२३० (१७.२) |

आधार : सेबी + डिसेंबर २०१२ मधील शेवटचा उलाढालीचा / व्यवहाराचा दिवस

टीप : कंसांतील आकडे टक्केवारी दर्शवितात

- केवळ स्थानिक वैयक्तिक करदाते पात्र
- 'नवीन किरकोळ गुंतवणूकदारासाठी '
- पात्र रोख्यांमधील एकूण गुंतवणूकीच्या ५० टक्के रक्कम करसवलतीस पात्र
- ₹ ५०,००० पर्यंत करसवलत (आयकर कायदा १९६१ मधील कलम ८० सीसीजी नुसार)
- म्युच्युअल फंड तसेच सूचीबध्द रोख्यात पहिल्यांदा गुंतवणूक करणा-या गुंतवणूकदारांना सलग तीन वर्ष गुंतवणूक करण्याची मुभा
- तीन वर्षाचा बंध कालावधी

## म्युच्युअल फंड

६.१८ समान आर्थिक उद्देश असलेल्या विविध गुंतवणूकदारांच्या बचतीचे एकवटीकरण करण्याचे काम म्युच्युअल फंड करतात. ३१ डिसेंबर, २०१२ रोजी राज्यात एकूण ४८ तर भारतात एकूण ५१ म्यूच्युअल फंड कार्यरत होते. म्युच्युअल फंडाद्वारे झालेली उलाढाल तक्ता ६.१२ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ६.१२ म्युच्युअल फंडाद्वारे झालेली उलाढाल**

(₹ कोटी)

| वर्ष | नवीन म्युच्युअल फंड | अस्तित्वातील म्युच्युअल फंड |
|---|---|---|
| २०१०-११ | १,२४,८९० | ८७,३४,६२५ |
| २०११-१२ | १,२१,३५७ | ६६,९८,३२२ |
| २०१२-१३+ | २०,१२१ | ४२,३०,५५४ |

*आधार* : असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंडस् इन इंडिया

+ ऑक्टोबर २०१२ पर्यंतची स्थिती

## विक्रेय वस्तू व्यापार केंद्र

६.१९ चैतन्यपूर्ण, कार्यक्षम व पारदर्शी विक्रेय वस्तू व्यापार केंद्र असणे विकसनशील अर्थव्यवस्थेचे लक्षण आहे, म्हणून देशात कार्यक्षम विक्रेय वस्तू व्यापार केंद्र असणे आवश्यक आहे. आवश्यकतेनुसार विविध वस्तूंचा देशांतर्गत तसेच देशाबाहेरील व्यापारास विक्रेय वस्तू व्यापार केंद्रे सहाय्यभूत ठरतात. सोनेचांदी,फेरस व नॉन-फेरस धातू, उर्जा व कृषि अशा विविध प्रकारच्या विभिन्न गटामध्ये मोडणाऱ्या उत्पादनांचा व्यापार होतो.

६.२० किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या सहाय्यासाठी भारतात मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, नॅशनल कमोडिटी अँड डेरिव्हेटिव्हज् एक्स्चेंज लि. व नॅशनल मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड या तीन प्रमुख विक्रेय वस्तू व्यापार विनिमय केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड व नॅशनल कमोडिटी अँड डेरिव्हेटिव्हज् एक्स्चेंज लि. या विक्रेय वस्तू व्यापार विनिमय केंद्रांची उलाढाल तक्ता ६.१३ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ६.१३ विक्रेय वस्तू विनिमय व्यापार केंद्रांची उलाढाल**

(₹ '००० कोटी)

| विक्रेय वस्तू व्यापार केंद्र | विक्रेय वस्तूंची संख्या | | | | उलाढाल | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | २०१०-११ | २०११-१२ | एप्रिल - ऑक्टोंबर २०११ | एप्रिल - ऑक्टोंबर २०१२ | २०१०-११ | २०११-१२ | एप्रिल - ऑक्टोंबर २०११ | एप्रिल - ऑक्टोंबर २०१२ |
| मल्टि कमॉडिटी एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लि. | ४२ | ४७ | ४७ | ४७ | १९,६८३ | ३१,१९४ | १८,६८२ | १७,५६६ |
| नॅशनल कमॉडिटी अँड डेरिव्हेटिव्हज् एक्स्चेंज लि. | ५९ | ४४ | ४४ | ४४ | १,४११ | १,८१० | ९७० | १,०७९ |

*आधार* : मल्टि कमॉडिटी एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लि. आणि नॅशनल कमॉडिटी अँड डेरिव्हेटिव्हज् एक्स्चेंज लि.

## विमा

६.२१ जागतिकीकरणानंतर (सन २००० नंतर) भारतातील विमाक्षेत्र जलद गतीने वाढले आहे. भारत सरकारने विमा संस्थांना त्यांच्या प्रगतीत सुधारणा व्हावी व आर्थिक उद्दिष्टांसह स्वतंत्र संस्था म्हणून कार्य करता यावे यासाठी मोठ्या प्रमाणात स्वायत्तता देण्यासाठी विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली. भारतातील बहुतांश लोकांना विमा सुरक्षा कवच नसल्याने भारतात विमा उद्योग क्षेत्रात वाढ होण्यास वाव आहे. जीवन विमा निगम व्यतिरिक्त भारतात इतर २३ खाजगी विमा संस्था कार्यरत आहेत. नवीन वैयक्तिक जीवन विमा पॉलीसीज तक्ता ६.१४ मध्ये दिल्या आहेत.

**तक्ता ६.१४ नवीन वैयक्तिक जीवन विमा पॉलिसी**

(₹ कोटी)

| बाब | | २०१०-११ | | २०११-१२ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या ('०००) | हप्ता | संख्या ('०००) | हप्ता |
| महाराष्ट्र | खाजगी # | १,३५० | ४,७४७ | १,१९३ | ३,५६३ |
| | जीविनि | ४,२७८ | ७,८२४ | ३,९७५ | ७,१७७ |
| | **एकूण** | **५,६२८** | **१२,५७१** | **५,१६८** | **१०,७४०** |
| भारत | खाजगी # | ११,०९४ | ३०,४४२ | ८,४३६ | २२,०३४ |
| | जीविनि | ३७,०१२ | ५२,७३२ | ३५,७२५ | ४२,७३८ |
| | **एकूण** | **४८,१०६** | **८३,१७४** | **४४,१६१** | **६४,७७२** |

*आधार* : विमा नियामक व विकास प्राधिकरण जीविनि - जीवन विमा निगम

*#खासगी संस्थांमध्ये बिर्ला सनलाईफ, अविवा, एगन रेलिगेयर, इत्यादि संस्थांचा समावेश आहे*

६.२२ भारतात चार सार्वजनिक क्षेत्र, २१ खाजगी क्षेत्र व दोन विशेष बिगर जीवन विमा संस्था कार्यरत आहेत. २०११-१२ मध्ये बिगर जीवन विमा पोटी प्राप्त झालेल्या स्थूल विमा हप्त्याच्या रकमेत १५.७ टक्क्यांनी वाढ झाली. आरोग्य विम्यापोटी सर्वाधिक (२७.५ टक्के), त्या खालोखाल अनुक्रमे मोटार (स्व हानी) (१७.२ टक्के) व अग्नी विमा (१२.४ टक्के) यावरील हप्ता गोळा झाला. राज्यातील बिगर जीवन विमा धारकांकडून प्राप्त झालेला स्थूल विमा हप्ता तक्ता ६.१५ मध्ये दिला आहे.

**तक्ता ६.१५ बिगर जीवन विमा धारकांकडून प्राप्त झालेला स्थूल विमा हप्ता**

(₹ कोटी)

| वर्ष | अग्नी | मरीन (कार्गो) | मरीन (हल) | अभियांत्रिकी | मोटार (स्व हानी) | मोटार (तृतीय पक्ष) | दायित्व विमा | खाजगी अपघात | आरोग्य विमा | पीक विमा | इतर सर्व संकीर्ण# | एकूण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २०१०-११ | १,४८८ | ४३६ | ७५९ | ५५१ | १,८८३ | ८८१ | ३५९ | ३६२ | ३,२६८ | १४५ | १,४२२ | ११,५५४ |
| २०११-१२ | १,६६० | ५४५ | ६७० | ५७३ | २,२९४ | १,४४२ | ३९९ | ३७८ | ३,६८२ | २०८ | १,५२० | १३,३७१ |

*आधार* : विमा नियामक व विकास प्राधिकरण # कर्ज विमा, विदेशी वैद्यकीय विमा इत्यादींचा समावेश आहे

*****

# परिशिष्ट ६.१
# महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामीण, निमनागरी व नागरी / महानगर क्षेत्रातील सर्व अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या ठेवी व कर्ज

(₹ कोटी)

| वर्ष | वर्षाच्या जून महिन्यातील अखेरच्या शुक्रवारची स्थिती | | | | | | एकूण ठेवी | एकूण कर्ज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ग्रामीण | | निमनागरी | | नागरी / महानगर | | | |
| | ठेवी | कर्ज | ठेवी | कर्ज | ठेवी | कर्ज | | |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) |
| १९७१ | उ. ना. | उ. ना. | उ. ना. | उ. ना. | उ. ना. | उ. ना. | १,४६० | १,२९१ † |
| १९८१ | ३०९ | २२६ | ७१४ | ३८४ | ६,५६८ | ५,३२१ | ७,५९० | ५,९३१ |
| १९९१ | १,७०१ | १,३५७ | २,३४७ | १,३५४ | ३६,१८१ | २६,९३६ | ४०,२३० | २९,६४७ |
| २००१ | ६,७६९ | ५,०२९ | १०,०३४ | ४,१३८ | १,५९,१९९ | १,३४,३४० | १,७६,००१ | १,४३,५०७ |
| २००७ | १२,४११ | ११,६०९ | २१,७०५ | १४,१११ | ६,५१,४२३ | ६,०८,००६ | ६,८५,५३८ | ६,३३,७२५ |
| २००८ | १६,१७२ | १३,५५९ | २७,१८० | १६,३९५ | ७,७२,७९६ | ७,८२,४१६ | ८,१६,१४७ | ८,१२,३७० |
| २००९ | १९,४२६ | १४,६१६ | ३३,७९२ | १८,५६० | ९,६६,८४७ | ८,३७,१५१ | १०,२०,०६५ | ८,७०,३२८ |
| २०१० | २३,५५५ | १७,४३७ | ४०,५२६ | २१,८७८ | ११,०३,४२३ | ९,५३,७९९ | ११,६७,५०४ | ९,९३,११४ |
| २०११ | २९,२३१ | २२,७०३ | ४९,१७४ | २७,६०४ | १३,२५,५५० | ११,२५,७८० | १४,०३,९५५ | ११,७६,०८७ |
| २०१२ # | ३४,४५४ | २६,७१२ | ५८,५८६ | ३१,८२९ | १५,००,६५४ | १३,२९,२८७ | १५,९३,६९४ | १३,८७,८२७ |

| वर्ष | दरडोई ठेवी (₹) | दरडोई कर्ज (₹) | एकूण बँक कार्यालयांची संख्या | | | दर लाख लोकसंख्येमागे बँक कार्यालयांची संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ग्रामीण व निमनागरी | नागरी / महानगर क्षेत्रातील | एकूण | |
| (१) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) | (१४) | (१५) |
| १९७१ | २९० | २५६ | उ. ना. | उ. ना. | १,४७१ | २.९ |
| १९८१ | १,२०४ | ९४० | उ. ना. | उ. ना. | ३,६२७ | ५.८ |
| १९९१ | ५,३४४ | ३,५८० | ३,३५३ | २,२३८ | ५,५९१ | ७.४ |
| २००१ | १८,१०६ | १४,७६३ | ३,३८० | २,९१४ | ६,२९४ | ६.५ |
| २००७ | ६४,११७ | ५९,२१७ | ३,२९५ | ३,४२५ | ६,७२० | ६.३ |
| २००८ | ७५,२१७ | ७४,८६९ | ३,४२५ | ३,६६२ | ७,०८७ | ६.५ |
| २००९ | ९२,६६२ | ७९,०६० | ३,५६६ | ३,९५४ | ७,५२० | ६.८ |
| २०१० | १,०४,५७१ | ८८,९७८ | ३,७१८ | ४,३१९ | ८,०३७ | ७.२ |
| २०११ | १,२४,०४८ | १,०३,९११ | ३,९०२ | ४,६१३ | ८,५१५ | ७.५ |
| २०१२ # | १,३९,५७२ | १,२१,५४३ | ४,१९६ | ४,८५७ | ९,०५३ | ७.९ |

आधार - भारतीय रिझर्व्ह बँक

टीप - आकडे संक्षिप्तात दिल्याने बेरजा जुळतीलच असे नाही.

† आकडे जून, १९७१ च्या दुसऱ्या शुक्रवारचे आहेत. उ. ना. - उपलब्ध नाही # मार्चअखेर

## परिशिष्ट ६.२
## जिल्हानिहाय वार्षिक कर्ज योजना (२०१२-१३)

(₹ कोटी)

| अ. क्र. | जिल्हा | प्राधान्य क्षेत्र | | | | | बिगर प्राधान्य क्षेत्र | एकूण योजना |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कृषि व संलग्न | पैकी पीक कर्ज | बिगर प्राधान्य क्षेत्र | इतर प्राधान्य क्षेत्र | एकूण | | |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) |
| १ | ठाणे | ३३९ | ९३ | ८६५ | २,९७६ | ४,१८० | १,०८७ | ५,२६७ |
| २ | रायगड | २१० | ६२ | १३९ | ५०२ | ८५१ | १६५ | १,०१६ |
| ३ | रत्नागिरी | ४६६ | २३० | ११३ | ७०४ | १,२८३ | २५७ | १,५४० |
| ४ | सिंधुदुर्ग | ३२६ | १३२ | ६९ | ३०० | ६९४ | ३५६ | १,०५० |
| ५ | नाशिक | २,९९२ | १,८८० | ७०२ | १,३३६ | ५,०३० | ७७१ | ५,८०१ |
| ६ | धुळे | ७५९ | ४५९ | १२६ | २१८ | १,१०२ | ५८ | १,१६० |
| ७ | नंदुरबार | ४४७ | ३०६ | ४६ | ५२ | ५४५ | ५५ | ६०० |
| ८ | जळगाव | १,७७० | १,३१५ | ८१२ | ४६४ | ३,०४६ | १०५ | ३,१५१ |
| ९ | अहमदनगर | २,८३१ | १,६१० | ३७५ | ७९५ | ४,००० | १,२३९ | ५,२३९ |
| १० | पुणे | २,६५० | १,४४६ | ७१२ | १,६७६ | ५,०३९ | १,३०५ | ६,३४३ |
| ११ | सातारा | १,९६१ | १,१२७ | २३७ | १,१०२ | ३,३०० | ३३० | ३,६३० |
| १२ | सांगली | २,००४ | १,१०८ | ३०१ | ३९२ | २,६९७ | ५६६ | ३,२६२ |
| १३ | सोलापूर | २,८८९ | १,८२५ | २१६ | ७४३ | ३,८४७ | ६१ | ३,९०८ |
| १४ | कोल्हापूर | ३,२०३ | २,०२७ | ८५० | ८०२ | ४,८५५ | ६३२ | ५,४८७ |
| १५ | औरंगाबाद | १,१७० | ६३० | ६६१ | ६६९ | २,४९९ | ५३८ | ३,०३८ |
| १६ | जालना | ९३२ | ७०० | १८० | २०२ | १,३१३ | ११२ | १,४२५ |
| १७ | परभणी | ६४८ | ४९४ | २९ | १०५ | ७८१ | ८२ | ८६४ |
| १८ | हिंगोली | ३१८ | २३७ | १६ | ५४ | ३८८ | ० | ३८८ |
| १९ | बीड | १,०६२ | ८६२ | ३३ | २३० | १,३२६ | ० | १,३२६ |
| २० | नांदेड | १,३८१ | १,०७९ | ९१ | २१३ | १,६८५ | १७ | १,७०२ |
| २१ | उस्मानाबाद | १,०४५ | ६४७ | ६४ | २५१ | १,३५९ | ० | १,३५९ |
| २२ | लातूर | १,०३२ | ७४१ | १९० | ४५९ | १,६८१ | २१९ | १,९०० |
| २३ | बुलढाणा | ८८१ | ६७८ | ३३ | १२६ | १,०४० | ६० | १,१०० |
| २४ | अकोला | ७५८ | ४८७ | ८४ | २१७ | १,०५९ | १०२ | १,१६१ |
| २५ | वाशिम | ६४० | ४८३ | २५ | १३१ | ७९६ | २६ | ८२२ |
| २६ | अमरावती | १,२४८ | ९५० | २८ | २६५ | १,५४१ | १३७ | १,६७८ |
| २७ | यवतमाळ | १,३६६ | १,१०६ | ५९ | ३७४ | १,७९९ | २०६ | २,००५ |
| २८ | वर्धा | ६९१ | ४८८ | ४० | १४६ | ८७७ | ३३ | ९१० |
| २९ | नागपूर | ९१० | ६५० | ८१ | २४९ | १,२४१ | १५९ | १,४०० |
| ३० | भंडारा | ३६६ | २७० | १२० | २११ | ६९६ | १४२ | ८३८ |
| ३१ | गोंदिया | २२८ | १५७ | ५७ | ७१ | ३५७ | ४५ | ४०२ |
| ३२ | चंद्रपूर | ५४७ | ३८१ | ३५ | ४९१ | १,०७३ | १७७ | १,२५० |
| ३३ | गडचिरोली | १३६ | ७९ | ६२ | ४६ | २४५ | २५ | २६९ |
| | **महाराष्ट्र** | **३८,२०६** | **२४,७३९** | **७,४४९** | **१६,५७०** | **६२,२२६** | **९,०६८** | **७१,२९३** |

आधार - राज्यस्तरीय बॅंकर्स समिती, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र

# ७

# कृषि व संलग्न कार्ये

# ७. कृषि व संलग्न कार्ये

७.१ कृषि व संलग्न क्षेत्राचा चालू किमतीनुसार स्थूल राज्य उत्पन्नात वर्ष २०११-१२ मधील वाटा जरी १२.४ टक्के इतका असला तरी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत कृषिचा सहभाग अत्यंत व्यापक स्वरुपाचा आहे. जनगणना २००१ नुसार राज्यातील एकूण रोजगारापैकी सुमारे ५५ टक्के इतक्या मोठया प्रमाणात रोजगार कृषि क्षेत्र उपलब्ध करते. स्थूल राज्य उत्पन्नात कृषि क्षेत्राचा सतत घटणारा वाटा हा आर्थिक विकास प्रक्रियेचा नैसर्गिक परिणाम असला तरी रोजगार निर्मिती, उत्पन्न व अन्न सुरक्षा या बाबींसाठी कृषि क्षेत्रांच्या विकासात सातत्य असणे महत्वाचे ठरते. ११ व्या पंचवार्षिक योजनेत कृषि क्षेत्राच्या ४ टक्के विकासाच्या लक्ष्याच्या तुलनेत ४.३ टक्के सरासरी वाढ दिसून आली. १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत कृषि क्षेत्राच्या विकासाचे उद्दिष्ट ११ व्या पंचवार्षिक योजने इतकेच म्हणजे ४ टक्के निश्चित करण्यात आले आहे.

## मान्सून २०१२

७.२ या वर्षी राज्यात मोसमी पावसाचे आगमन ६ जून रोजी दक्षिण कोकणातील हर्णे येथे झाले. ह्या पावसाने कोकण विभागातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हयांना व्यापले व तो पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सातारा व सांगली जिल्ह्यांच्या काही भागात पोहोचला. पुढे १६ जूनपर्यंत मान्सूनची कोणतीही प्रगती झाली नाही. त्यानंतर संपूर्ण जून महिन्यात कोकण विभागाव्यतिरिक्त संपूर्ण राज्यात मान्सून विस्कळीत, तूरळक व क्षीण स्वरूपाचा होता.

७.३ राज्यात जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर व ऑक्टोबर या महिन्यांत सरासरीच्या अनुक्रमे ६९.८ टक्के, ८६.८ टक्के, ९२.९ टक्के, १०७.८ टक्के व ११६ टक्के इतका पाऊस पडला. वर्ष २०१२ मध्ये संपूर्ण राज्यात पडलेला पाऊस सरासरीच्या ९०.३ टक्के इतका होता मात्र त्याचे वितरण विषम स्वरूपाचे होते. राज्यातील ३५५ तालुक्यांपैकी आठ टक्के तालुक्यात अतिरिक्त, ५३ टक्के तालुक्यात सरासरीएवढा व ३९ टक्के तालुक्यात सरासरी पेक्षा अपुरा किंवा तुरळक पाऊस पडला. राज्यात पडलेल्या पावसाच्या प्रमाणानुसार जिल्हे व तालुक्यांचे वर्गीकरण तक्ता ७.१ मध्ये दिले आहे, तर २०१२ मध्ये पावसाच्या प्रमाणानुसार तालुक्यांचे वर्गीकरण तक्ता ७.२ मध्ये दिले आहे.

**तक्ता ७.१ पडलेल्या पावसाच्या प्रमाणानुसार जिल्ह्यांचे व तालुक्यांचे वर्गीकरण**

| पावसाची वर्गवारी (सरासरीशी टक्केवारी) | जिल्ह्यांची संख्या# | | | तालुक्यांची संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | २०१० | २०११ | २०१२ | २०१० | २०११ | २०१२ |
| १२० पेक्षा अधिक (अतिरिक्त) | १७ | ४ | १ | १९५ | ४६ | ३० |
| ८१-१२० (सरासरी एवढा) | १६ | २७ | २२ | १४५ | २०९ | १८९ |
| ४१-८० (अपुरा) | ० | २ | १० | १५ | १०० | १३३ |
| ०-४० (तुरळक) | ० | ० | ० | ० | ० | ३ |

*आधार* : कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

# मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हे वगळून

**तक्ता ७.२ पडलेल्या पावसाच्या प्रमाणानुसार तालुक्यांचे वर्गीकरण**

| पावसाची वर्गवारी (सरासरीशी टक्केवारी) | २०१२ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | जुन | जुलै | ऑगस्ट | सप्टेंबर | ऑक्टोबर |
| १२० पेक्षा अधिक | २३ | ५६ | ५६ | ११४ | १४१ |
| १००-१२० | ३१ | ४७ | ६९ | ५७ | ३१ |
| ८१-१०० | ३८ | ८२ | ७२ | ४४ | ४२ |
| ६१-८० | ६३ | १११ | ६६ | ५९ | ४२ |
| ४१-६० | ७५ | ४५ | ५२ | ५६ | ४२ |
| २१-४० | ८६ | ११ | ३२ | २२ | २१ |
| ००-२० | ३९ | ३ | ८ | ३ | ३६ |

*आधार* : कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

## संभाव्य कृषि उत्पादन २०१२-१३

७.४ राज्यात कमी तीव्रतेच्या व अपूऱ्या मान्सूनमुळे पश्चिम महाराष्ट्र व औरंगाबाद आणि नाशिक विभागातील काही भागात खरीपाच्या प्रमुख पिकांच्या पेरण्या उशिराने झाल्या. जमिनीतील कमी ओलावा आणि सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यातील अनियमित पावसाच्या परिणामस्वरुपी अन्नधान्य व ऊसाच्या उत्पादनात वर्ष २०११-१२ च्या तुलनेत घट होण्याची शक्यता आहे. अन्नधान्य व तेलबियांचे उत्पादन तक्ता ७.३ मध्ये दिले आहे.

## तृणधान्ये व कडधान्यांची गरज

७.५ राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या ६६ व्या फेरीनुसार (२००९-१०) राज्यातील तृणधान्ये व कडधान्यांचा दरडोई मासिक वापर अनुक्रमे ९.४३ कि.ग्रॅ. आणि ०.८५ कि.ग्रॅ. इतका अंदाजित करण्यात आला. त्याआधारे राज्यातील तृणधान्ये व कडधान्याची वार्षिक गरज अनुक्रमे १३२.४७ लाख मे. टन आणि ११.९४ लाख मे. टन इतकी राहील. प्रमुख पिकांचे क्षेत्र, उत्पादन व प्रति हेक्टर उत्पादनाची समय मालिका परिशिष्ट ७.१ येथे दिली आहे.

**तक्ता ७.३ अन्नधान्य व तेलबियांचे उत्पादन**

(लाख मे. टन)

| पीक | २०११-१२ (अंतिम) | २०१२-१३ (तात्पुरते) | शेकडा बदल |
|---|---|---|---|
| तृणधान्ये | १०४.१९ | ८२.५५ | (-) २१ |
| कडधान्ये | २३.११ | २१.८४ | (-)५ |
| **एकूण अन्नधान्ये** | **१२७.३०** | **१०४.३९** | **(-)१८** |
| तेलबिया @ | ४४.९२ | ५१.८६ | १५ |
| कापूस $ | ६८.२० | ६९.३५ | २ |
| ऊस (तोडणीचे) | ८९४.५६ | ५९६.८९ | (-)३३ |

*आधार* : कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

@ खरीप, रब्बी व उन्हाळी पिकांचा समावेश

$ लाख गासड्या (प्रत्येकी १७० किलोची )

## खरीप पिके

७.६ राज्यात खरीप हंगाम २०१२-१३ मध्ये १४२.६३ लाख हेक्टर क्षेत्रावर (तात्पुरते अंदाज) पेरणी झाली असून ती मागील वर्षाच्या (१४८.६ लाख हेक्टर) तुलनेत चार टक्के कमी होती. मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्ये, कडधान्ये व ऊस पिकांखालील क्षेत्र अनुक्रमे १० टक्के, १० टक्के व आठ टक्क्यांनी कमी झाले असून तेलबिया या पिकांखालील क्षेत्रात चार टक्क्यांनी वाढ झाली. सोयाबीन हे तेलबियांमध्ये स्पष्टपणे प्रमुख स्थानावर असून मागील १० वर्षात या क्षेत्रात १६४ टक्के व उत्पादनात २१४ टक्के वाढ झाली तर एकूण तेलबियांच्या उत्पादनात वर्ष २०१२-१३ मध्ये याचा वाटा ९१.६ टक्के आहे. तृणधान्ये, कडधान्ये व ऊस पिकांच्या उत्पादनात घट अपेक्षित असून तेलबिया व कापूस यांच्या उत्पादनात वाढ अपेक्षित आहे. प्रमुख खरीप पिकांचे क्षेत्र व उत्पादन तक्ता ७.४ मध्ये दिले आहे.

**तक्ता ७.४ प्रमुख खरीप पिकांचे क्षेत्र व उत्पादन**

| पीक | क्षेत्र ('००० हेक्टर) | | | उत्पादन ('००० मे. टन) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | २०११-१२ | २०१२-१३ (तात्पुरते) | शेकडा बदल | २०११-१२ | २०१२-१३ (तात्पुरते) | शेकडा बदल |
| तांदूळ | १,५१६ | १,५२० | ० | २,७८५ | २,९९३ | ७ |
| बाजरी | ८३८ | ६२३ | (-) २६ | ८२३ | ३८१ | (-) ५४ |
| ज्वारी | ८९६ | ७६४ | (-) १५ | १,३४२ | ९९० | (-) २६ |
| नाचणी | १३० | ११७ | (-)१० | १३८ | १२५ | (-) ९ |
| मका | ७३६ | ६९३ | (-) ६ | २,१२७ | १,५८३ | (-) २६ |
| इतर तृणधान्ये | ५८ | ५४ | (-)७ | ३० | २३ | (-)२३ |
| **एकूण तृणधान्ये** | **४,१७४** | **३,७७१** | **(-) १०** | **७,२४५** | **६,०९५** | **(-) १६** |
| तूर | १,२३३ | १,०८१ | (-) १२ | ८७१ | ७७१ | (-) ११ |
| मूग | ४३३ | ४१२ | (-) ५ | २५४ | १९५ | (-) २३ |
| उडीद | ३६४ | ३४५ | (-) ५ | २४९ | १८६ | (-) २५ |
| इतर कडधान्ये | ८८ | ६५ | (-) २६ | ३६ | १८ | (-) ५० |
| **एकूण कडधान्ये** | **२,११८** | **१,९०३** | **(-) १०** | **१,४१०** | **१,१७०** | **(-) १७** |
| **एकूण अन्नधान्ये** | **६,२९२** | **५,६७४** | **(-) १०** | **८,६५५** | **७,२६५** | **(-) १६** |
| सोयाबीन | ३,०१० | ३,२१८ | ७ | ३,९६९ | ४,७४९ | २० |
| शेंगदाणा | २३८ | १९१ | (-) २० | २५७ | २१५ | (-) १६ |
| तीळ | ४२ | २९ | (-) ३१ | १४ | ७ | (-) ५० |
| कारळे | ३७ | २८ | (-) २४ | १२ | ८ | (-)३३ |
| सूर्यफूल | ४२ | २२ | (-) ४८ | २३ | ११ | (-) ५२ |
| इतर तेलबिया | ८ | १८ | १२५ | ३ | ५ | ६६ |
| **एकूण तेलबिया** | **३,३७७** | **३,५०६** | **४** | **४,२७८** | **४,९९५** | **१७** |
| कापूस (रुई) @ | ४,१६७ | ४,१४६ | (-) १ | ६,८२० | ६,९३५ | २ |
| ऊस ** | १,०२२ | ९३७ | (-)८ | ८९,४५६ | ५९,६८९ | (-)३३ |
| **एकूण** | **१४,८५८** | **१४,२६३** | **(-) ४** | -- | -- | -- |

*आधार* : कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन @ १७० किलोची एक गासडी याप्रमाणे कापसाचे उत्पादन '००० गासड्यांमध्ये ** तोडणी क्षेत्र

## रब्बी पिके

७.७ वर्ष २०१२-१३ मध्ये खरीप आणि रब्बी हंगामात पाऊस अपुरा पडल्याने गतवर्षाच्या तुलनेत रब्बी पिकांखालील क्षेत्रात घट झाली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्याच्या उत्पादनात घट अपेक्षित असून कडधान्याचे उत्पादन मात्र वाढण्याची शक्यता आहे. प्रमुख रब्बी पिकांचे क्षेत्र व उत्पादन तक्ता ७.५ मध्ये दिले आहे.

**तक्ता ७.५ प्रमुख रब्बी पिकांचे क्षेत्र व उत्पादन**

| पीक | क्षेत्र ('००० हेक्टर) | | | उत्पादन ('००० मे. टन) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | २०११-१२ | २०१२-१३ (तात्पुरते) | शेकडा बदल | २०११-१२ | २०१२-१३ (तात्पुरते) | शेकडा बदल |
| ज्वारी | २,३३३ | २,२७८ | (-)२ | १,२८५ | ९७८ | (-) २४ |
| गहू | ८७८ | ५९४ | (-) ३२ | १,४९९ | ८७८ | (-) ४१ |
| मका | ११६ | १३० | १२ | २९४ | २०२ | (-) ३१ |
| इतर तृणधान्ये | ९ | २० | ११२ | ४ | ६ | ५० |
| **एकूण तृणधान्ये** | **३,३३६** | **३,०२२** | (-)९ | **३,०८२** | **२,०६४** | (-) **३३** |
| हरभरा | १,०७५ | १,२५४ | १७ | ८५७ | ९७८ | १४ |
| इतर कडधान्ये | १०४ | ११८ | १३ | ४३ | ३६ | (-) १७ |
| **एकूण कडधान्ये** | **१,१७९** | **१,३७२** | **१६** | **९००** | **१,०१४** | **१३** |
| **एकूण अन्नधान्ये** | **४,५१५** | **४,३९४** | (-)**३** | **३,९८२** | **३,०७८** | (-) **२३** |
| तीळ | ३ | २ | (-)३७ | १ | १ | (-) ३३ |
| करडई | १३१ | ९० | (-)३१ | ७१ | ४० | (-) **४३** |
| सूर्यफूल | ५५ | २८ | (-) ५० | ३४ | १० | (-) **७२** |
| जवस | ३१ | २६ | (-) १५ | ८ | १० | २८ |
| सरसू व मोहरी | १३ | ९ | (-)३३ | ४ | २ | (-)५१ |
| **एकूण तेलबिया** | **२३३** | **१५५** | (-) **३४** | **११८** | **६३** | (-) ४७ |
| **एकूण पिके** | **४,७४८** | **४,५४९** | (-) **४** | -- | -- | -- |

*आधार* : कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

## उन्हाळी पिके

७.८ प्रमुख उन्हाळी पिकांचे २०११-१२ साठी क्षेत्र व उत्पादन आणि २०१२-१३ साठी लक्ष्याधारित क्षेत्र व उत्पादन याबाबतची माहिती तक्ता ७.६ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ७.६ प्रमुख उन्हाळी पिकांचे क्षेत्र व उत्पादन**

| पीक | क्षेत्र ('००० हेक्टर) | | उत्पादन ('००० मे. टन) | |
|---|---|---|---|---|
| | २०११-१२ (तात्पुरते) | २०१२-१३ (लक्ष्य) | २०११-१२ (तात्पुरते) | २०१२-१३ (लक्ष्य) |
| भात | २७ | ३१ | ५६ | ७१ |
| मका | २५ | १७ | ३६ | २५ |
| **एकूण तृणधान्ये** | **५२** | **४८** | **९२** | **९६** |
| शेंगदाणा | ६५ | ८१ | ९४ | १२० |
| सूर्यफूल | २ | ९ | २ | ८ |
| **एकूण तेलबिया** | **६७** | **९०** | **९६** | **१२८** |

*आधार* : कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

## कृषि उत्पादनाचे निर्देशांक

७.९ राज्यातील कृषि उत्पादनाचे निर्देशांक (पाया त्रैवार्षिक सरासरी : १९७९-८२) राज्याच्या कृषि आयुक्तांच्या कार्यालयाने परिगणित केले असून त्याची माहिती तक्ता ७.७ व समय मालिका परिशिष्ट ७.२ येथे दिली आहे.

**तक्ता ७.७ कृषि उत्पादनाचे निर्देशांक**

| गट/पिके | भार | २०१०-११ | २०११-१२ | शेकडा बदल |
|---|---|---|---|---|
| तृणधान्ये | ४२.२२ | १३४.२ | १०८.९ | (-) १८.९ |
| कडधान्ये | १०.४४ | ३०५.६ | २३१.१ | (-) २४.४ |
| **एकूण अन्नधान्ये** | **५२.६६** | **१६८.२** | **१३३.१** | **(-) २०.९** |
| तेलबिया | ९.१६ | ७९.८ | ५६.९ | (-) २८.७ |
| तंतू पिके | ९.९३ | ५१०.४ | ४६५.७ | (-) ८.८ |
| संकिर्ण | २८.२५ | २७३.४ | ३१०.० | १३.४ |
| **एकूण अन्नधान्येतर** | **४७.३४** | **२८५.६** | **२९३.७** | **२.८** |
| **सर्व पिके** | **१००.०** | **२२३.८** | **२०९.१** | **(-) ६.६** |

*आधार*: कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

## जमिनीचा वापर

७.१० राज्याच्या एकूण जमीन वापराबाबतच्या २०१०-११ च्या आकडेवारीनुसार एकूण ३०७.६ लाख हेक्टर भौगोलिक क्षेत्रापैकी पिकांखालील एकूण क्षेत्र २३१.८ लाख हेक्टर होते. निव्वळ पेरणी क्षेत्र १७४.१ लाख हेक्टर, वनाखालील क्षेत्र ५२.२ लाख हेक्टर, शेतीसाठी उपलब्ध नसलेले क्षेत्र ३१.८ लाख हेक्टर, मशागतीसाठी योग्य नसलेले इतर क्षेत्र २४.१ लाख हेक्टर आणि पडीक जमिनीखालील क्षेत्र २५.४ लाख हेक्टर होते. याबाबतची समय मालिका परिशिष्ट ७.३ येथे दिली आहे.

## वहिती खातेदार

७.११ कृषि गणना २०१०-११ नुसार, राज्यात एकूण १.३७ कोटी वहिती खातेदार होते. त्यापैकी १.०८ कोटी खातेदार (७८.८ टक्के) दोन हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन धारणा गटातील होते. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या वहिती खातेदारांचे प्रमाण अनुक्रमे ७.५ टक्के आणि ६.३ टक्के होते व त्यांनी धारण केलेले क्षेत्र अनुक्रमे ६.६ टक्के व ७.९ टक्के होते. अ.जा. व अ.ज. करिता सरासरी जमीन धारणा आकार अनुक्रमे १.२७ हेक्टर व १.८० हेक्टर असा होता. कृषि गणना २०१०-११ नुसार आकार वर्गनिहाय वहिती खातेदारांची माहिती तक्ता ७.८ मध्ये आणि कृषि गणनेबाबतची समयमालिका परिशिष्ट ७.४ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ७.८ कृषि गणना २०१०-११ नुसार राज्यातील वहिती खातेदार व क्षेत्र**

| आकार वर्ग (हे.) | वहिती खातेदारांची संख्या ('००० ) | वहितीचे क्षेत्र ('००० हे.) | वहितीचे सरासरी क्षेत्र (हे.) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | २००५-०६ | २०१०-११ |
| १.० पर्यंत | ६,७०९ | ३,१८६ | ०.४६ | ०.४७ |
| १.० - २.० | ४,०४९ | ५,७३४ | १.२६ | १.४२ |
| २.० - ५.० | २,४७२ | ७,१५० | २.७३ | २.८९ |
| ५.० - १०.० | ३९६ | २,५९९ | ६.१६ | ६.५७ |
| १०.० — २०.० | ६० | ७५८ | १०.८९ | १२.५९ |
| २०.० व अधिक | १३ | ३३९ | ३२.५२ | २६.८८ |
| **एकूण** | **१३,६९९** | **१९,७६६** | **१.४६** | **१.४४** |

*आधार*: कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

# सिंचन

७.१२ राज्यातील सिंचनाखालील क्षेत्राबाबतची समयमालिका परिशिष्ट ७.५ मध्ये दिली आहे.

## सिंचन प्रकल्प

७.१३ राज्यात जास्तीत जास्त सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी शासनाने विविध मोठे, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. या प्रकल्पांतील निर्मित सिंचन क्षमता व प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र यामध्ये तफावत आहे. राज्यात जून, २०११ अखेर एकूण निर्मित सिंचन क्षमता ४८.२५ लाख हेक्टर होती, त्यापैकी २६.७१ लाख हेक्टर मोठे, ८.५५ लाख हेक्टर मध्यम आणि उर्वरित १२.९९ लाख हेक्टर लघुपाटबंधारे (राज्यस्तर) प्रकल्पांतील होती. जलसंपदा विभागाच्या (महाराष्ट्र शासन) लाभक्षेत्रातील सिंचित क्षेत्र जे वर्ष २०१०-११ मध्ये २९.५५ लाख हेक्टर होते त्यात वाढ होऊन ते वर्ष २०११-१२ मध्ये ३२.५२ लाख हेक्टर झाले. पाटबंधारे प्रकल्पांची संख्या आणि निर्मित सिंचन क्षमता तक्ता ७.९ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ७.९ पाटबंधारे प्रकल्पांची संख्या आणि निर्मित सिंचन क्षमता**

| बाब | जलसंपदा विभागाचे प्रकल्प | | | | लघु प्रकल्प (स्थानिकस्तर) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मोठे | मध्यम | लघु (राज्य स्तर)# | एकूण | कोल्हापूर बंधारे | पाझर तलाव | उपसा जलसिंचन | लघु पाट बंधारे | इतर | एकुण लघु (स्थानिक) |
| (अ) ३० जून, २०१२ रोजी प्रकल्पांची संख्या | | | | | | | | | | |
| (i) पूर्ण | ९८$ | २५९$ | ३,३५५$ | ३७१२$ | ९,८१३ | २०,६६९ | २,६१० | ७,४९६ | २१,६४१ | ६२,२२९ |
| (ii) प्रगतीपथावरील | | | | | १,६२८ | १,४८४ | १०२ | १,३९१ | २,३५७ | ६,९६२ |
| (ब) सिंचन क्षमता (लाख हे.) | | | | | | | | | | |
| (i) जून २०११ पर्यंत निर्मित | २६.७१ | ८.५५ | १२.९९ | ४८.२५ | २.९२+ | ६.१८+ | ०.३५+ | २.७९+ | २.७८ + | १५.०२+ |
| (ii) २०११-१२ मधील प्रत्यक्ष वापर | १२.३७++ | २.८८++ | ५.१९++ | २०.४४++ | १.०२ | -- | ०.१२ | ०.९८ | -- | २.१२ |
| (iii) लाभ क्षेत्रातील विहिरीद्वारे २०११-२०१२ मधील अतिरिक्त सिंचन क्षेत्र | ८.७४ | १.८० | १.५४ | १२.०८ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **एकूण वापरलेली सिंचन क्षमता** | **२१.११** | **४.६८** | **६.७३** | **३२.५२** | **१.०२** | -- | **०.१२** | **०.९८** | -- | **२.१२** |

आधार : १) जलसंपदा विभाग,महाराष्ट्र शासन २) मुख्य अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्थानिक), महाराष्ट्र शासन $ पूर्ण व प्रगतीपथावरील घटक
# उपसा योजना समाविष्ट ++ प्रकल्प कालव्यांवरील उपसा व धरणातून नदी नाल्यांमध्ये सोडलेल्या पाण्यामुळे प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र + जून २०१२ पर्यंत

## पाटबंधारे क्षेत्रातील सुधारणा

७.१४ पाटबंधारे क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या दृष्टिने राज्य शासनाने यापूर्वीच काही उपाययोजना हाती घेतल्या असून यामध्ये जलनीतीची घोषणा, जलसंपत्ती नियामक मंडळाची स्थापना, सिंचन प्रणालीचे शेतकरी व पाणी वापर संस्थांकडून व्यवस्थापन या बाबींचा समावेश आहे. राज्यातील २१.२० लाख हेक्टर लाभ क्षेत्राकरिता सुमारे ४,५५३ पाणी वापर संस्था स्थापनेच्या विविध टप्प्यांवर आहेत. पाणीपट्टी आकारणी, वसुली व थकबाकी याबाबतची समयमालिका परिशिष्ट ७.६ मध्ये दिली आहे.

## जलाशयांतील साठ्यांची स्थिती

७.१५ राज्यातील सर्व मोठ्या, मध्यम व लघु पाटबंधारे (राज्य क्षेत्र) जलाशयांमध्ये १५ ऑक्टोबर, २०११ रोजीचा एकूण उपयुक्त जलसाठा २६,९८९ दशलक्ष घनमीटर होता व तो प्रकल्प क्षमतेच्या सुमारे ७९ टक्के होता. जलाशयातील उपयुक्त साठे आणि पाण्याचा वापर याबाबतचा तपशील तक्ता ७.१० मध्ये दिला आहे.

**तक्ता ७.१० जलाशयांतील उपयुक्त साठ्यांची स्थिती आणि पाणी वापर**

(द.ल.घ.मि.)

| वर्ष | प्रकल्पीय आराखड्या नुसार | १५ ऑक्टोबर रोजीचा उपयुक्त जलसाठा | उपयुक्त जलसाठ्याची टक्केवारी | बाष्पी भवन व्यय | सिंचनासाठी वापरले जाणारे पाणी | बिगर सिंचना करीता/इतर पाणी वापर | एकुण पाणी वापर | पाणी वापराची १५ ऑक्टोबर रोजीच्या उपलब्ध जलसाठ्याशी टक्केवारी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २००७-०८ | ३०,१५३ | २५,४८९ | ८४ | ४,४८१ | १६,४१३ | ५,५४० | २६,४३४ | १०४ |
| २००८-०९ | ३३,०७१ | २४,८०३ | ७५ | ४,०७४ | १५,५१७ | ५,७७५ | २५,३६६ | १०२ |
| २००९-१० | ३३,२११ | १९,३६६ | ५८ | ३,९७२ | १२,११३ | ४,७६३ | २०,८४८ | १०८ |
| २०१०-११ | ३३,३८५ | २७,३०९ | ८२ | ५,३८३ | १५,४४७ | ५,८७६ | २६,७०६ | ९८ |
| २०११-१२ | ३४,११९ | २६,९८९ | ७९ | ५,२९८ | १८,६१७ | ६,६९३* | ३०,६०८ | ११३ |

*आधार* : जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन * अस्थायी

## तुषार व ठिबक सिंचन

७.१६ तुषार व ठिबक सिंचन पध्दतीचे अवलंबन म्हणजे पाणी, खते व रसायनांचा नेमका व विचारपूर्वक वापर करणे होय. तुषार व ठिबक सिंचन संच खरेदी करण्यासाठी अल्पभूधारक व सीमांतिक शेतकऱ्यांना ६० टक्के व सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान देऊन राज्य शासन उत्तेजन देते. वर्षनिहाय तुषार आणि ठिबक संचांचे वितरण व खर्च तक्ता ७.११ मध्ये दिला आहे.

**तक्ता ७.११ वर्षनिहाय तुषार आणि ठिबक संचाचे वितरण आणि खर्च**

(₹ कोटी)

| वर्ष | तुषार | | ठिबक | | खर्च |
|---|---|---|---|---|---|
| | संचाची संख्या | क्षेत्र (हे.) | संचाची संख्या | क्षेत्र (हे.) | |
| २००७-०८ | ३५,२८८ | ३७,७१९ | ६३,२९८ | ६३,५४८ | १६७.२८ |
| २००८-०९ | ३४,७०१ | ४१,८५१ | ५८,०१४ | ७४,७८२ | १९७.५५ |
| २००९-१० | ३६,३२९ | ३७,५५२ | ९१,०५८ | ८१,६६० | १९२.११ |
| २०१०-११ | ३८,०३० | ३८,०२९ | १,४०,७६४ | १,२७,९६७ | ४०७.८८ |
| २०११-१२ | ३८,९५९ | ३७,९०४ | १,७७,१५० | १,५०,९९५ | ४४८.०४ |

*आधार* : कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

## कृषि पंपाना वीज अनुदान

७.१७ राज्यात सुमारे ३४ लक्ष कृषि पंप असून सदर कृषि पंपांना पुरविण्यात येणाऱ्या विजेकरीता अनुदान देण्यात येते. कृषि पंपाना सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करण्यासाठी सन २०१२-१३ या वर्षाकरिता ₹ ३,६४९ कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.

## कृषि पंपाचे विद्युतीकरण

७.१८ सन २०११-१२ मध्ये महावितरण कंपनीने २,५२,७८४ कृषिपंपांना वीज जोडणी उपलब्ध करुन दिलेली आहे. २०१२-१३ मध्ये १,९२,३०८ उद्दिष्टांपैकी डिसेंबर पर्यंत १,१३,७४१ कृषि पंपांचे विद्युतीकरण करण्यात आले. 'मागेल त्याला वीज जोडणी' या स्थितीत येण्यासाठी व विद्युतीकरणाचा अनुशेष-अधिसूचित जिल्हयांमधील अनुशेष दूर करण्यासाठी २०१२-१३ मध्ये ₹ १८५ कोटीची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे.

## सुधारित बियाणांचा वापर

७.१९ दर्जेदार बियाणांचे उत्पादन व वितरणामध्ये प्रामुख्याने महाबीज आणि राष्ट्रीय बीज निगम या सार्वजनिक संस्था कार्यरत आहेत. तसेच सुमारे ३३३ खाजगी बियाणे उत्पादकांद्वारे विविध पिकांच्या बियाणांची विक्री केली जाते. केंद्र शासनाने स्वपरागसिंचीत पिकांच्या बाबतीत (उदा. भात, गहू, तूर, मूग, उडीद, इ.) ३५ टक्के, परपरागसिंचित पिकांसाठी (उदा. मका, ज्वारी, बाजरी, सूर्यफूल, इ.) ५० टक्के व संकरीत पिके (उदा. संकरीत ज्वारी, बाजरी, कापूस, भात, इ.) १०० टक्के याप्रमाणे बियाणे बदल लक्ष्यांक निर्धारित केलेले आहेत. खरीप व रब्बी हंगामात वितरीत करण्यात आलेल्या सुधारित बियाणांची माहिती तक्ता ७.१२ मध्ये दर्शविली आहे.

**तक्ता ७.१२ सुधारित बियाणांचे वितरण**

('००० क्विंटल)

| क्षेत्र | पीक | वर्ष | | | | | २०११ च्या तुलनेत २०१२ मधील शेकडा बदल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | २००८ | २००९ | २०१० | २०११ | २०१२ | |
| सार्वजनिक | खरीप | ७८१ | ७२७ | ८४४ | ८५९ | ७४७ | (-)१३ |
| | रब्बी * | ३७८ | ३९३ | ४१४ | २४२ | ३४८ | ४४ |
| | **एकूण** | **१,१५९** | **१,१२०** | **१,२५८** | **१,१०१** | **१,०९५** | (-)१ |
| खाजगी | खरीप | ६५४ | १,१८६ | ९७७ | १,०६१ | १,१२८ | ६ |
| | रब्बी * | ३३४ | ३१८ | ३३२ | ३१० | १३६ | (-) ५६ |
| | **एकूण** | **९८८** | **१,५०४** | **१,३०९** | **१,३७१** | **१,२६४** | **(-)८** |
| **एकूण** | खरीप | १,४३५ | १,९१३ | १,८२१ | १,९२० | १,८७५ | (-)२ |
| | रब्बी * | ७१२ | ७११ | ७४६ | ५५२ | ४८४ | (-)१२ |
| | **एकूण** | **२,१४७** | **२,६२४** | **२,५६७** | **२,४७२** | **२,३५९** | **(-)५** |

*आधार* : कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन * रब्बी हंगामाकरिता अस्थायी

## रासायनिक खताचा वापर

७.२० राज्यात सन २०१२-१३ मध्ये रासायनिक खतांचा एकूण वापर ५२.४ लाख मे. टन इतका अपेक्षित असून प्रति हेक्टरी वापर १३१.२ कि. ग्रॅम इतका असेल. सन २०११-१२ मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांना एकूण ३५,२४५ खत वितरण केंद्रामार्फत विविध रासायनिक खतांचे वितरण करण्यात आले. त्यापैकी, ३,९८९ (११.३ टक्के) सहकारी क्षेत्रात, २२० (०.६ टक्के) सार्वजनिक क्षेत्रात, तर उर्वरित ३१,०३६ (८८.१ टक्के) केंद्रे खाजगी क्षेत्रातील होती. वर्षनिहाय रासायनिक खतांच्या वापराबाबतची माहिती तक्ता ७.१३ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ७.१३ रासायनिक खतांचा वर्षनिहाय वापर**

| वर्ष | एकूण वापर (लाख मे. टन ) | प्रति हेक्टरी वापर (कि. ग्रॅ. ) |
|---|---|---|
| २००८-०९ | ५२.५ | १३३.० |
| २००९-१० | ६०.९ | १५३.४ |
| २०१०-११ | ७०.३ | १६३.८ |
| २०११-१२ | ६५.८ | १५५.२ |
| २०१२-१३$ | ५२.४ | १३१.२ |

*आधार* : कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन $ अंदाजित

## रासायनिक व जैविक किटकनाशकांचा वापर

७.२१ सन २०१२-१३ मध्ये रासायनिक किटकनाशकांचा वापर १०,५६३ मे. टन इतका अपेक्षित आहे. रासायनिक किटकनाशकांच्या वापरात झालेली वाढ ही मुख्यत्वेकरुन तणनाशक, पीकसंवर्धक, बुरशीनाशक आणि आंतर्प्रवाही किटकनाशकांच्या वाढीव वापरामुळे झाली आहे. चालू वर्षासाठी जैविक किटकनाशकांचा वापर २,६५० मे. टन इतका अंदाजित करण्यात आला आहे. वर्षनिहाय किटकनाशकांचा वापर तक्ता ७.१४ मध्ये दिला आहे.

**तक्ता ७.१४ किटकनाशकांचा वापर**

(मे.टन)

| वर्ष | वापर (मे. टन) | |
|---|---|---|
| | रासायनिक | जैविक |
| २००७-०८ | ३,०५० | १,०५० |
| २००८-०९ | ३,६३७ | १,३०० |
| २००९-१० | ७,१८९ | १,७८८ |
| २०१०-११ | ८,३१७ | २,२०० |
| २०११-१२ | ८,९२६ | १,०४५ |
| २०१२-१३$ | १०,५६३ | २,६५० |

*आधार* : कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन $ अंदाजीत

## फ्लॅगशिप कार्यक्रम

७.२२ केंद्र शासनाने कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान आणि वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रम यासारखे काही फ्लॅगशिप कार्यक्रम सुरु केले आहेत. शेतकऱ्यांचे हितसंरक्षण आणि चांगल्या कृषि निविष्ठांचा पुरवठा करुन तसेच अपूर्ण सिंचन प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करुन अन्नधान्यांच्या उत्पादनात वाढ करणे हे या कार्यक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

## राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

७.२३ 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' ही केंद्र सहाय्यित योजना असून जमीन सुधारणांविषयक विशेष योजनांसह राज्यांच्या गरजेनुसार योजना तयार करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीकोनातून यात कृषि व संलग्न सेवा या संपूर्ण क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेचे वर्षनिहाय वित्तीय कार्यविवरण तक्ता ७.१५ मध्ये दिले आहे.

**तक्ता ७.१५ राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेचे वित्तीय कार्यविवरण**

(₹ कोटी)

| वर्ष | राज्यस्तरीय निवड समितीने मंजूर केलेले प्रकल्प | केंद्र सरकारने दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता | केंद्रशासनाकडून प्राप्त अनुदान | खर्च |
|---|---|---|---|---|
| २००८-०९ | ४५०.९२ | २६९.६३ | २६१.७७ | २६१.७७ |
| २००९-१० | ५२२.७९ | ४०७.२४ | ४०४.३९ | ४०४.३९ |
| २०१०-११ | ११९१.७८ | ६५३.०० | ६५३.०० | ६५३.०० |
| २०११-१२ | १३३०.०५ | ७२७.६७ | ७२७.६७ | ७२७.६७ |
| २०१२-१३+ | ७९४.७८ | १०९१.९२ | ६४४.२० | ४१४.२४ |

*आधार* : कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन + डिसेंबर पर्यंत.

## राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान

७.२४ केंद्र शासनाने २००५-०६ मध्ये राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान सुरु केले असून ते राज्यात ३३ जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात येत आहे. ही ८५ : १५ या प्रमाण तत्वावर आधारित केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान आणि राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळाच्या योजना राबविण्यासाठी २००५ मध्ये महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळाची स्थापना करण्यात आली. या मंडळास राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत सुरुवातीपासून जानेवारी, २०१३ पर्यत ₹ १,००१.९७ कोटी व राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळाच्या योजनांसाठी ₹ ७.६३ कोटी अनुदान प्राप्त झाले असून राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत व राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळाच्या योजनांवर जानेवारी, २०१३ पर्यंत अनुक्रमे ₹ ९७३.१४ कोटी व ₹ ७.३५ कोटी एवढा खर्च झाला.

७.२५ राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत सुरुवातीपासून ते जानेवारी, २०१३ पर्यंतच्या साध्यात खालील बाबींचा समावेश आहे.

- ८० रोपवाटिकांची स्थापना
- ५.०७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळबागा, फुले, मसाले, इ. ची लागवड
- सुमारे ०.९८ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन
- ५,४९४ सामूहिक शेततळ्यांची बांधकामे
- ०.१५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सेंद्रिय शेती
- २,२७२ बंदगृहे व कापणीपश्चात व्यवस्थापनासाठी पायाभूत सुविधा
- ५३४.८० हेक्टर क्षेत्रावर औषधी वनस्पतीची लागवड पूर्ण झाली असून ५८७ लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला.

७.२६ राज्यात सन २०११-१२ मध्ये विविध फळपिकांतर्गत १५.६० लाख हेक्टर इतके क्षेत्र होते. यामध्ये आंबा ५.२१ लाख हेक्टर, संत्री १.६४ लाख हेक्टर, मोसंबी १.४४ लाख हेक्टर, डाळिंब १.६३ लाख हेक्टर, केळी ०.८२ लाख हेक्टर, चिकू ०.८४ लाख हेक्टर आणि द्राक्षे ०.९२ लाख हेक्टर ही प्रमुख फळपिके होती.

७.२७ राज्य शासनाने फलोत्पादन विकासाला चालना देण्यासाठी फळ रोपवाटिकांची स्थापना करणे, सीमांतिक व अल्पभूधारक शेतकरी, तसेच अनुसूचित जाती व जमातीचे शेतकरी यांना निवडक फळझाडे वाढविण्यासाठी भांडवली सहाय्य देणे, असे कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. हा कार्यक्रम १९९०-९१ पासून रोजगार हमी योजनेशी निगडीत करण्यात आला आहे. परिणामी १९९०-९१ मध्ये फळपिकांखाली असलेल्या २.४२ लाख हेक्टर क्षेत्रात वाढ होऊन ते मार्च, २०१२ पर्यंत १८.१४ लाख हेक्टर इतके वाढले. सन २०११-१२ मध्ये या योजनेवर ₹ ६४.५८ कोटी इतका खर्च करण्यात आला. सन २०१२-१३ मध्ये अतिरिक्त २० हजार हेक्टर क्षेत्र फळपिकांखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

## वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रम

७.२८ वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रमाची सुरुवात १९९६-९७ मध्ये झाली. वर्षनिहाय वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रमांतर्गत सिंचन प्रकल्प व मिळालेले केंद्रिय सहाय्य तक्ता ७.१६ मध्ये दिले आहे.

**तक्ता ७.१६ वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रमांतर्गत सिंचन प्रकल्प व प्राप्त केंद्रिय सहाय्य**

(₹ कोटी)

| वर्ष | मोठे आणि मध्यम (संख्या) | लघु (संख्या) | केंद्रिय सहाय्य |
|---|---|---|---|
| २००७-०८ | ३६ | ११७ | ९७२.२५ |
| २००८-०९ | ३७ | १२१ | २,२५७.८३ |
| २००९-१० | २३ | ० | १,३९५.४० |
| २०१०-११ | १६ | ४६ | २,०६९.०६ |
| २०११-१२ | २३ | १५ | १,१९९.८९ |

*आधार* : जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन

## राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान

७.२९ राष्ट्रीय विकास परिषदेने तांदूळ, गहू व कडधान्ये यांच्या लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ करुन त्यांचे उत्पादन वाढविणे, तसेच जमिनीची उत्पादकता वाढवून सुपिकता टिकवून ठेवणे यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान सुरु केले. या अभियानाअंतर्गत राज्यातून तांदळासाठी सहा जिल्हे (नाशिक, पुणे, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर व गोंदिया), गव्हासाठी आठ जिल्हे (नाशिक, पुणे, धुळे, अहमदनगर, सोलापूर, परभणी, औरंगाबाद व नागपूर) आणि कडधान्यांसाठी सर्व 33 जिल्हे निवडण्यात आले आहेत. सन २०११-१२ मध्ये तांदळासाठी ₹ १९.५ कोटी, गव्हासाठी ₹ १६.६८ कोटी व कडधान्यांकरिता ₹ ६९.४४ कोटी खर्च झाले आहेत. सन २०१२-१३ मध्ये जानेवारी पर्यंत तांदळासाठी ₹ १९.१० कोटी, गव्हासाठी ₹ ९.०५ कोटी व कडधान्यांकरिता ₹ ५६.०४ कोटी खर्च झाले आहेत.

## मृद व जलसंधारण

७.३० कोरडवाहू शेतीतील उत्पादकता वाढविणे व जमिनीची धूप थांबविणे तसेच जलसंवर्धनासाठी एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमांतर्गत विविध योजना राबविण्यात येतात. या कार्यक्रमांतर्गत दुष्काळ प्रवण क्षेत्रातील पाण्याचे अति दुर्भिक्ष असणा-या गावांची निवड करण्यात येते. वर्षनिहाय पाणलोट कामे तक्ता ७.१७ मध्ये दिली आहेत. जानेवारी, २०१३ अखेर विविध योजनांतर्गत पूर्ण झालेली व सुरू असलेली पाणलोटांची कामे तक्ता क्र. ७.१८ मध्ये देण्यात आली आहेत.

**तक्ता ७.१७ वर्षनिहाय राज्यातील पाणलोटाची कामे**

(₹ कोटी)

| वर्ष | खेड्यांची संख्या | हाती घेतलेल्या पाणलोट कामांची संख्या | खर्च |
|---|---|---|---|
| २००६-०७ | १७,३५१ | २७,५७३ | ४९१ |
| २००७-०८ | १८,६४५ | २७,१५१ | ६८१ |
| २००८-०९ | १४,७७३ | २६,८५८ | ७६६ |
| २००९-१० | २०,२६३ | २६,८९७ | ५३० |
| २०१०-११ | १५,४४९ | २६,९८५ | ६६२ |
| २०११-१२ | १५,६२१ | २७,०१६ | ७४६ |
| २०१२-१३+ | १५,८०३ | २७,३८२ | २३० |

*आधार* : कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन + नोव्हेंबरपर्यंत

**तक्ता ७.१८ सुरु असलेली आणि पूर्ण झालेली पाणलोटांची कामे**

(₹ कोटी)

| योजना | निवडलेले पाणलोट (संख्या) | काम सुरु झालेले पाणलोट (संख्या) | पूर्ण झालेले पाणलोट (संख्या) | निवडलेल्या पाणलोटांसाठी एकूण अपेक्षित खर्च | आजगायत झालेला खर्च + |
|---|---|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रम (सूक्ष्म पाणलोट) | ३२४ | ३२४ | ३८ | २१०.०० | ९०.९५ |
| नदी खोरे विकास कार्यक्रम ( सूक्ष्म पाणलोट) | २७१ | २७१ | २०४ | ३५४.८६ | २९२.३४ |
| पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम (मेगा पाणलोट) | १६ | ९ | ० | ७४१.१० | ८४.६६ |
| एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सूक्ष्म पाणलोट) | ५,७५७ | ३,३०७ | २,५४० | १,७१७.९६ | १,०२१.०९ |
| नाबार्ड सहाय्यित (मेगा पाणलोट) | ६८ | ११ | ० | १,३५९.३० | ६७.२८ |
| एकूण | **६,४३६** | **३,९२२** | **२,७८२** | **४,३८३.२२** | **१,५५६.३२** |

*आधार* : कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन + जानेवारी, २०१३

७.३१ वर्ष २००९-१० पासून एकात्मिक पाणलोट प्रबंधन कार्यक्रम हा केंद्र सहाय्यीत कार्यक्रम राबविला जात असून त्यास ९० : १० या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. केंद्र शासनाने ४०.६८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पाणलोट विकासाच्या कामाकरिता राज्यासाठी ₹ ५,१५६ कोटीच्या एकूण ९४८ प्रकल्पांना मंजूरी दिली आहे. हे प्रकल्प पाच वर्षात पूर्ण केले जातील. केंद्र व राज्य शासनाने या प्रकल्पांसाठी फेब्रुवारी, २०१३ अखेर ₹ १,२८४.६७ कोटी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यापैकी फेब्रुवारी, २०१३ अखेरपर्यंत ५५५ सुरु असलेल्या प्रकल्पांवर ₹ ४०४.८७ कोटी इतका खर्च झाला आहे.

## सेंद्रिय शेती

७.३२ सृष्टीचा समतोल राखण्यास मदत करणारी पध्दत म्हणून सेंद्रिय शेती ही मोठया प्रमाणावर केली जात आहे. 'गांडूळ खत उत्पादन' या केंद्र पुरस्कृत योजनेची पुनर्रचना गांडूळ खत उत्पादन आणि सेंद्रिय शेतीचा वापर व प्रसार या दोन मुख्य घटकांत करण्यात आले. यात खताचा एकात्मिक वापर, सेंद्रीय शेतीस प्रोत्साहन, प्रमाणीकरण आणि मृद परिक्षण, मृद आरोग्य पत्रिका वाटप आणि हिरवळीचे खत हे घटक कालांतराने समाविष्ट करण्यात आले आहेत. डिसेंबर, २०१२ पर्यंत पारंपारिक शेतीच्या या योजनेद्वारे ७.५१ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणण्यात आले आहे. त्यापैकी १.५ लाख हेक्टर क्षेत्र प्रमाणीकरणांतर्गत आहे. सन २०११-१२ पर्यंत या योजनेअंतर्गत करण्यात आलेला संचित खर्च ₹ ६१ कोटी इतका होता. सन २०१२-१३ मध्ये या योजनेसाठी ₹ ५.५० कोटी इतके अनुदान मंजूर करण्यात आले असून जानेवारी,२०१३ पर्यंत ₹ १.५७ कोटी इतका खर्च करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाने सेंद्रिय शेती धोरण जानेवारी, २०१३ मध्ये घोषित केले आहे.

## कृषि वित्तपुरवठा

७.३३ राज्यातील शेतकऱ्यांना शासनाकडून विविध बँका तसेच सहकारी संस्थांमार्फत अल्पमुदतीची कर्जे, पतपुरवठा, इत्यादींच्या माध्यमातून वित्तिय सहाय्य केले जाते. देशातील राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) ही संस्था शेती व ग्राम विकासास हातभार लावून उत्तेजन देणारी आणि कृषि क्षेत्राच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणारी शिखर बँक आहे. वाणिज्यिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका व मरासबँ/जिमसबँ/भूविकास बँकांनी कार्यनिहाय दिलेल्या कर्जांचा तपशील तक्ता ७.१९ मध्ये देण्यात आला आहे.

**तक्ता ७.१९ वाणिज्यिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका व मरासबँ/जिमसबँ/भूविकास बँकांनी कार्यनिहाय दिलेली कर्जे**

(₹ कोटी)

| कार्य | वाणिज्यिक बँका$ | | प्रादेशिक ग्रामीण बँका | | महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक/जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक/भूविकास बँक | | एकूण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | २०१०-११ | २०११-१२ | २०१०-११ | २०११-१२ | २०१०-११ | २०११-१२ | २०१०-११ | २०११-१२ |
| हंगामी कृषि कार्ये | ५,५६६ | ८,६७१ | ६०३ | ७८८ | ७,२०५ | ९,५१९ | १३,३७४ | १८,९७८ |
| लघु सिंचन | ४३० | ५६५ | १८ | ५३ | २२० | १४९ | ६६८ | ७६८ |
| भूविकास | २०७ | १८६ | ६ | ४ | १७ | २४ | २३० | २१५ |
| कृषि यांत्रिकीकरण | ५३३ | ६२० | १६ | १५ | १६० | १५९ | ७०९ | ७९४ |
| फलोत्पादन | ५९० | ६७१ | ६ | ११ | ५१७ | १४२ | १,११३ | ८२४ |
| पद्म | ३१९ | ४५९ | २२ | ६० | ११९ | १०५ | ४५९ | ६२३ |
| इतर | १,७७४ | १,८५८ | २१ | ७ | १५७ | १६० | १,९५२ | २,०२५ |
| एकूण | **९,४१९** | **१३,०२९** | **६९२** | **९३९** | **८,३९५** | **१०,२५९** | **१८,५०५** | **२४,२२७** |

*आधार* : राष्ट्रीय कृषि व ग्रामविकास बँक $ राष्ट्रीयकृत बँका धरुन

७.३४ राज्यात सर्वात निम्न स्तरावर कृषि वित्तपुरवठा करण्याशी थेट संबंधित अशा वित्तिय संस्था म्हणजे शेतकरी सभासदांना अल्प मुदतीची पीक कर्जे देणाऱ्या प्राथमिक कृषि सहकारी पतपुरवठा संस्था आहेत. सन २०११-१२ मध्ये वितरीत करण्यात आलेल्या कर्जाची रक्कम मागील वर्षाच्या तुलनेत पाच टक्क्यांनी कमी झाली. एकूण कर्जांपैकी ₹ ४,०३५ कोटी (५३ टक्के) अल्प आणि सिमांतिक शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात आले. प्राथमिक कृषि सहकारी पतपुरवठा संस्थांद्वारे शेतकऱ्यांना पुविण्यात आलेल्या आगाऊ कर्जाचा वर्षनिहाय तपशील तक्ता ७.२० मध्ये देण्यात आला आहे.

**तक्ता ७.२० शेतकऱ्यांना प्राथमिक कृषि सहकारी पतपुरवठा संस्थानी दिलेली कर्जे**

(₹ कोटी)

| बाब | २००७-०८ | २००८-०९ | २००९-१० | २०१०-११ | २०११-१२* |
|---|---|---|---|---|---|
| संस्था (संख्या) | २१,२४८ | २१,२८५ | २१,३९२ | २१,४५१ | २१,४४३ |
| सदस्य (लाख) | १४७ | १४८ | १५० | १५० | १५४ |
| एकूण कर्जे | ६,१८९ | ५,२८६ | ६,९९१ | ८,०६० | ७,६५० |
| पैकी लहान व सीमांतिक शेतकऱ्यांना | २,५६० | २,७२१ | ३,२८४ | ३,६४० | ४,०३५ |

*आधार* : सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन * अस्थायी

## किसान क्रेडिट कार्ड योजना

७.३५ लवचिक व सुलभ कार्यपध्दतीतून एक खिडकीद्वारे शेतक-यांना पुरेसे व वेळेवर कर्ज उपलब्ध करण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड ही पत पुरवठा योजना राज्यात १९९९ मध्ये सुरु करण्यात आली. २००५-०६ पर्यंत ही योजना केवळ अल्प मुदतीच्या कर्जापुरती मर्यादित होती व तद्नंतर २००६-०७ पासून दीर्घ मुदतीची कर्जेसुध्दा मंजूर करण्यात येत आहेत. राज्यात मार्च, २०१२ अखेर ७३.९४ लाख किसान क्रेडिट कार्ड वाटप करण्यात आली. त्यापैकी ५९.४० लाख सहकारी बँकामार्फत, २.८९ लाख प्रादेशिक ग्रामीण बँकामार्फत व ११.६५ लाख वाणिज्यिक बँकामार्फत वाटप करण्यात आली आणि त्यांचेकडून अनुक्रमे ₹ ९,३२६.५९ कोटी, ₹ ८६४.३१ कोटी व ₹ १६,१२० कोटी मंजूर करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमार्फत किसान क्रेडीट कार्डद्वारे वर्षनिहाय कर्जपुरवठ्याचा तपशील तक्ता ७.२१ मध्ये देण्यात आला आहे.

**तक्ता ७.२१ म.रा.सह.बँकेने शेतकऱ्यांना किसान क्रेडीट कार्डद्वारे दिलेली कृषि कर्जे**

(₹ कोटी)

| वर्ष | लघु मुदतीची कर्जे | | दीर्घ मुदतीची कर्जे | |
|---|---|---|---|---|
| | लाभार्थींची संख्या(हजारात) | रक्कम | लाभार्थींची संख्या (हजारात) | रक्कम |
| २००७-०८ | २,८६७ | ४,३३२ | १०.८ | २०२ |
| २००८-०९ | २,३११ | २,३१० | १५.६ | २३७ |
| २००९-१० | ३,४७० | ६,३५३ | २०.३ | ५०९ |
| २०१०-११ | ३,४९९ | ७,११० | २६.८ | ५४६ |
| २०११-१२ | ३,६४९ | ९,०६९ | १४.६९ | २५८ |
| २०१२-१३+ | ३,०८७ | ९,०२२ | ७.२३ | ११४ |

*आधार* : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक + जानेवारी पर्यंत

## कृषि पणन

७.३६ शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळण्यासाठी, शेतकऱ्यांची दलालांकडून होणारी पिळवणूक थांबविण्यासाठी तसेच ग्राहकांना शेतमाल वाजवी दरात उपलब्ध व्हावा यादृष्टीने शासन विविध मार्गाने शेतकऱ्यांना मदत करीत असते. महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ (मराकृपमं) यांच्याकडे राज्यातील बाजार समित्यांच्या कामांमध्ये आवश्यक समन्वय साधणे, कृषि उत्पन्न बाजार समितीचा (कृउबास) विकास व प्रसार, कृषि निर्यात क्षेत्राची स्थापना, फलोत्पादन प्रशिक्षण केंद्र आणि प्रतवारी व संवेष्टन सुविधांची स्थापना करणे इत्यादी कार्ये मुख्यत्वे सोपविली आहेत. राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये गेल्या पाच वर्षांमध्ये झालेली आवक व त्यांचे मूल्य याबाबतचा तपशील तक्ता ७.२२ मध्ये दिला आहे.

**तक्ता ७.२२ बाजार समित्यांमध्ये झालेली आवक व त्याचे मूल्य**

| वर्ष | आवक (लाख मे. टन) | मूल्य (₹ कोटी) |
|---|---|---|
| २००६-०७ | १६४.६० | २३,१०१.६० |
| २००७-०८ | ११८.०४ | १७,०१९.४९ |
| २००८-०९ | २१०.९७ | ३२,५१५.५२ |
| २००९-१० | २२५.८७ | ३७,०७९.९५ |
| २०१०-११ | २५७.९८ | ४०,५९६.८६ |

*आधार* : महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ

टीप : २००६-०७ पर्यंत आर्थिक वर्ष ऑक्टोबर ते सप्टेंबर
२००७-०८ साठी आर्थिक वर्ष सप्टेंबर ते मार्च
२००८-०९ पासून आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च

७.३७ महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विनियमन) अधिनियम, १९६३ यात २००५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून त्यामध्ये थेट पणन, खाजगी बाजार, शेतकरी ग्राहक बाजार, एकल अनुज्ञाप्त्या व कंत्राटी शेतीचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. कायद्यातील या बदलानंतर आतापर्यंत १४३ थेट पणन अनुज्ञाप्त्या दिलेल्या असून त्यापैकी ६७ कार्यरत आहेत. या व्यतिरिक्त २४ खाजगी बाजारांना अनुज्ञाप्त्या देण्यात आल्या असून त्यापैकी १७ बाजार कार्यरत आहेत, तर नॅशनल स्पॉट एक्सचेन्ज आणि नॅशनल कमोडिटी ॲन्ड डेरिव्हिटिव्हज एक्सचेन्ज या दोघांचे कामकाज इंटरनेटच्या माध्यमातून सुरु आहे.

७.३८ आशिया विकास बँकेच्या सहाय्याने राज्यात कृषि उद्योग पायाभूत सुविधा विकास गुंतवणूक कार्यक्रम सुरु केला आहे. सार्वजनिक खाजगी भागिदारी तत्वावर कृषिबाजार समित्या / सहकारी संस्थांच्या मालकीची जमीन खाजगी गुंतवणुकदारांना २० वर्षांच्या करार तत्वावर बांधण्यासाठी व कृषि उत्पादनाच्या मूल्य सारणी / मालिका चालविण्यासाठी दिली जाते. खाजगी गुंतवणुकदाराने किमान ६० टक्के गुंतवणुक करणे अपेक्षित असून शासनाद्वारे जास्तीत जास्त ४० टक्के रक्कम 'व्हीएबिलिटी गॅप फंडिग' (व्हीजीएफ) म्हणून दिला जातो. ₹ ४०० कोटीच्या व्हीजीएफ च्या द्वारे या प्रकल्पातून ₹ ६०० कोटीची खाजगी गुंतवणूक होणे अपेक्षित आहे.

## किमान आधारभूत किंमत योजना

७.३९ नैसर्गिक आपत्ती व व्यापारी देऊ करत असलेल्या कमी किंमतींपासून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचे रक्षण करण्यासाठी तसेच कृषि कार्ये आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र शासन काही निवडक पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमती जाहीर करते. या योजनेअंतर्गत शेतमालाची खरेदी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, राष्ट्रीय कृषि सहकारी पणन महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक महासंघ यांचेमार्फत केली जाते. सन २०११-१२ आणि २०१२-१३ या वर्षांत जाहीर करण्यात आलेल्या किमान आधारभूत किंमतीबाबतचा तपशील तक्ता ७.२३ मध्ये देण्यात आला आहे.

## कृषि संजीवनी योजना -२०११

७.४० विजेच्या दरात मोठी सवलत दिली तरी अनेक शेतकऱ्यांकडे विजेची देयके थकलेली आहेत. या समस्येतून मार्ग काढता यावा म्हणुन राज्याने शेतकऱ्यांसाठी 'कृषि संजीवनी योजना २०११' लागू केली आहे. या योजनेनुसार डिसेंबर, २०१० अखेरची मुद्दलाची थकबाकी जून, २०११ अखेर पूर्णपणे भरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याज व विलंब आकार माफ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत ६.२३ लाख ग्राहकांनी लाभ घेतला असून याद्वारे ₹ ३९१.८८ कोटी थकीत रकमेची वसूली झाली.

## राष्ट्रीय कृषि विमा योजना

७.४१ राष्ट्रीय कृषि विमा योजनेमध्ये १६ खरीप आणि आठ रब्बी पिकांचा समावेश होतो. या योजनेअंतर्गत समाविष्ट शेतकऱ्यांचा वर्षनिहाय तपशील तक्ता ७.२४ मध्ये देण्यात आला आहे.

**तक्ता ७.२३ राज्यातील प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती**

| पीक | किमान आधारभूत किंमती (₹ / क्विंटल) | |
|---|---|---|
| | २०११-१२ | २०१२-१३ |
| भात (साधारण वाजवी प्रत) | १,०८० | १,२५० |
| भात (प्रत-अ) | १,११० | १,२८० |
| ज्वारी | ९८० | १,५२० |
| मका | ९८० | १,१७५ |
| बाजरी | ९८० | १,१७५ |
| हरभरा | २,१०० | ३,००० |
| तूर | ३,२०० | ३,८५० |
| मूग | ३,५०० | ४,४०० |
| सुर्यफुल | २,८०० | ३,७०० |
| सोयाबीन (पिवळा) | १,६९० | २,२४० |
| भूईमुगाच्या शेंगा | २,७०० | ३,७०० |
| कापूस | ३,३०० | ३,९०० |

*आधार* : १. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,
२. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक महासंघ

**तक्ता ७.२४ वर्षनिहाय राष्ट्रीय कृषि विमा योजनेअंतर्गत समाविष्ट शेतकरी**

(₹ कोटी)

| वर्ष | समाविष्ट शेतकरी | | | नुकसान भरपाई | |
|---|---|---|---|---|---|
| | शेतकरी संख्या (लाखात) | विमा रक्कम | विमा हप्ता | शेतकरी संख्या (लाखात) | रक्कम |
| २००७-०८ | १९.८३ | ८७९.२२ | ३२.१२ | २.६० | ८६.३१ |
| २००८-०९ | ३५.०२ | १६६५.४५ | ७४.८१ | १७.२३ | ४७३.९१ |
| २००९-१० | ३१.८३ | २५०७.१६ | १०३.०५ | १३.२९ | ३७६.२६ |
| २०१०-११ | २२.०४ | १३२४.६४ | ५१.७२ | ०.८५ | १४.८४ |
| २०११-१२ | २५.११ | १८२४.९६ | ९१.०६ | ४.४६ | १७४.८९ |

*आधार* : कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

## किसान जनता वैयक्तिक अपघात विमा योजना

७.४२ अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने २००५-०६ मध्ये किसान जनता वैयक्तिक अपघात विमा योजना सुरु केली. या योजनेअंतर्गत १३ प्रकारच्या संकटासाठी विमा संरक्षण देण्यात येते. सन २०१२-१३ मध्ये शासनाने हप्त्यापोटी ₹ ३१.१५ कोटी इतकी रक्कम विमा कंपन्यांना अदा केली आहे. किसान जनता वैयक्तिक अपघात विमा योजनेअंतर्गत वर्षनिहाय शेतकरी व त्यांना दिलेली भरपाई तक्ता ७.२५ मध्ये देण्यात आली आहे.

**तक्ता ७.२५ किसान जनता वैयक्तिक अपघात विमा योजनेचा तपशिल**

(₹ कोटी)

| वर्ष | शासनाने भरलेला विमा हप्ता | एकूण प्राप्त विमा प्रस्ताव (संख्या) | मंजूर विमा प्रस्ताव (संख्या) | शेतकऱ्यांना दिलेली नुकसान भरपाई |
|---|---|---|---|---|
| २००७-२००८ | ९.५३ | २,८९५ | १,४४८ | १४.४८ |
| २००८-२००९ | ९.५३ | २,७३७ | १,७०४ | १७.०४ |
| २००९-२०१० | १०.९६ | ३,०९५ | २,०९२ | २०.८० |
| २०१०-२०११ | १९.१८ | ३,२३२ | २,५१७ | २५.०३ |
| २०११-२०१२* | १९.१८ | २,९५२ | १,५१५ | १५.०६ |

*आधार* : कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन * अस्थायी

# पशुसंवर्धन

७.४३ उपजिविकेसाठी मुख्यत: कृषिवर अवलंबून असणा-या ग्रामीण कुटुंबांना अतिरिक्त उत्पन्नाची संधी उपलब्ध करुन देण्यात पशुधन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. सध्या १८ वी पशुधन गणना २००७ ची अस्थायी माहिती उपलब्ध आहे. त्यानुसार राज्यातील एकूण पशुधन सुमारे ३६० लाख असून दर लाख लोकसंख्येमागे पशुधन सुमारे ३७,००० इतके होते. भारतातील एकूण कुक्कुटपालनामध्ये राज्याचा हिस्सा १० टक्के होता. पशुधन व कुक्कुटपालनामध्ये देशात राज्याचा सहावा क्रमांक आहे. राज्यात १९ वी पशुधन गणना २०१२ चे क्षेत्रकाम १५ ऑक्टोबर, २०१२ रोजी पूर्ण झाले असुन त्याचा अंतिम अहवाल ३१ ऑगस्ट, २०१३ पर्यंत प्रकाशित होणे अपेक्षित आहे. पशुधन गणना २००७ नुसार पशुधन व कुक्कुटपालनाची आकडेवारी परिशिष्ट ७.७ मध्ये दिलेली आहे.

## पशु वैद्यकीय पायाभूत सुविधा

७.४४ राज्यातील क्षेत्रनिहाय पशु वैद्यकीय पायाभूत सुविधा तक्ता ७.२६ मध्ये दर्शविल्या आहेत.

**तक्ता ७.२६ पशु वैद्यकीय पायाभूत सुविधा**

( मार्च २०१२ पर्यंत)

| क्षेत्र | पशुधन (गणना २००७) (लाखात) | जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्रे | सर्वचिकित्सालये $ | लघु सर्वचिकित्सालये | पशुवैद्यकीय दवाखाने | फिरते पशुवैद्यकीय दवाखाने | प्राथमिक पशुवैद्यकीय उपचार केंद्रे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कोकण | २१.३६ | ४ | ५ | २० | १४२ | १२ | ३५४ |
| नाशिक | ८४.१६ | ५ | ५ | २५ | ३४५ | ६ | ५१५ |
| पुणे | ८२.५२ | ४ | ५ | २६ | ४६० | ७ | ५५९ |
| औरंगाबाद | ४०.९३ | ३ | ४ | २० | १६० | २ | २८८ |
| लातुर | ३५.०६ | ३ | ४ | २० | १६५ | ३ | २९० |
| अमरावती | ४५.६८ | ४ | ५ | २७ | १९३ | १७ | ३७९ |
| नागपूर | ४९.८४ | ४ | ७ | ३० | २८० | १८ | ४६६ |
| **महाराष्ट्र** | **३५९.५५** | **२७** | **३५** | **१६८** | **१,७४५** | **६५** | **२,८५१** |

*आधार* : पशुसंवर्धन आयुक्त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

$ महाराष्ट्र मत्स्यविज्ञान विद्यापीठाची तीन सर्वचिकित्सालये समाविष्ट

७.४५ राज्यात विविध आजारांसाठी वैद्यकीय सुविधा पुरविल्या जातात त्याच बरोबर लसीकरण कार्यक्रमही राबविले जातात. क्षेत्रनिहाय उपचार केलेली प्रकरणे व लसीकरण तक्ता ७.२७ मध्ये दिलेली आहेत.

**तक्ता ७.२७ क्षेत्रनिहाय उपचार व लसीकरण २०१२-१३ ( ऑक्टो. पर्यंत )**

('०००)

| क्षेत्र | उपचार केलेले (संख्या) | | | | लसीकरण (कुक्कुटांसह) |
|---|---|---|---|---|---|
| | सामान्य उपचार | खच्चीकरण | शस्त्रक्रिया मोठी | शस्त्रक्रिया गौण | |
| कोकण | ५६४ | ३३ | १ | २९ | ३,१३३ |
| नाशिक | १,८४४ | ८६ | ३ | ८९ | ८,५०९ |
| पुणे | २,३८० | ५१ | ५ | ४५ | ७,३३२ |
| औरंगाबाद | ६८६ | २९ | १ | २६ | ४,८४८ |
| लातुर | ७७५ | २८ | २ | ३५ | ३,४३८ |
| अमरावती | १,०८९ | ३७ | २ | ३८ | ३,७५५ |
| नागपूर | ९८० | ४३ | २ | ४३ | ६,४११ |
| **महाराष्ट्र** | **८,३१८** | **३०५** | **१६** | **३०४** | **३७,४२६** |

*आधार* : पशुसंवर्धन आयुक्त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

## कृत्रिम रेतन

७.४६ कृत्रिम रेतन सुविधा ४८६४ वैद्यकीय सुविधा केंद्रामध्ये उपलब्ध असून पुणे, नागपूर आणि औरंगाबाद येथे गोठवलेल्या वीर्याच्या नळया निर्मितीच्या तीन प्रयोगशाळा आहेत. या तीन प्रयोग शाळांमधून तयार केलेल्या गोठित वीर्याच्या नळयांचा पुरवठा २७ जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्रांना आणि राज्यातील सर्व कृत्रिम रेतन केंद्रांना केला जातो. क्षेत्रनिहाय कृत्रिम रेतनाचे वर्ष २०१२-१३ साठी (ऑक्टोबर पर्यंतचे) कार्यविवरण तक्ता ७.२८ मध्ये दिले आहे.

**तक्ता ७.२८ क्षेत्रनिहाय करण्यात आलेले कृत्रिम रेतन २०१२-१३ ( ऑक्टो. पर्यंत )**

('०००)

| क्षेत्र | केलेले कृत्रिम रेतन | | | | | जन्मलेल्या वासरांची संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बाह्यगत | संकरित | स्थानिक | म्हैस | एकूण | संकरित | स्थानिक | म्हैस | एकूण |
| कोकण | १३ | ९ | ० | १४ | ३६ | ७ | ० | ५ | १२ |
| नाशिक | ६० | १२० | ४ | ३१ | २१५ | ६१ | ४ | १० | ७५ |
| पुणे | २१ | २३३ | ४५ | १४८ | ४४७ | ८३ | १६ | ५१ | १५० |
| औरंगाबाद | २० | ४६ | ९ | १७ | ९२ | २१ | २ | ६ | २९ |
| लातुर | ७ | ३० | ३४ | ३० | १०१ | ११ | ९ | १० | ३० |
| अमरावती | २२ | १७ | ३ | २० | ६२ | १५ | ० | ९ | २४ |
| नागपूर | २७ | ४३ | २ | ६ | ७८ | २१ | १ | ३ | २५ |
| **महाराष्ट्र** | **१७०** | **४९८** | **९७** | **२६६** | **१,०३१** | **२१९** | **३२** | **९४** | **३४५** |

*आधार* : पशुसंवर्धन आयुक्त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

## राष्ट्रीय गुरे व म्हैस पैदास प्रकल्प

७.४७ राष्ट्रीय गुरे व म्हैस पैदास प्रकल्प हा १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम असून तो पशु प्रजनन सेवेचे बळकटीकरण व विस्तारीकरण, देशी जातीचे संवर्धन तसेच ग्रामीण युवकांच्या स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी महाराष्ट्र पशुधन विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येत आहे. सन २०११-१२ मध्ये ₹ १० कोटी निधी केंद्र शासनाने उपलब्ध करुन दिला व त्यापैकी ₹ ९.२५ कोटी खर्च झाला. सन २०१२-१३ मध्ये केंद्र शासनाने ₹ ७.०६ कोटी निधीची तरतूद केली असून त्यापैकी नोव्हेंबर अखेर पर्यंत ₹ ५.२९ कोटी खर्च झाला. हा खर्च गोठीत वीर्यासाठीच्या प्रयोगशाळांचे आधुनिकीकरण, कृत्रिम रेतनासाठी ८४ वळू खरेदी, ६३० वंध्यत्व निवारण शिबिरांचे आयोजन, गर्भ प्रत्यारोपण तंत्रज्ञान राबविणे आणि कृत्रिम रेतनासाठी कार्यरत १,२०० कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणावर झाला होता.

७.४८ राष्ट्रीय गुरे व म्हैस पैदास प्रकल्पांतर्गत शुध्द देशी जातींच्या जनावरांचे प्रभावी जतन व संवर्धनाकरिता महाराष्ट्र पशुधन विकास महामंडळामार्फत सन २०११-१२ मध्ये एकूण ७१ वळू (त्यापैकी २९खिल्लार, ३० गवळाऊ, नऊ सुरती आणि तीन जर्सी एचएफ जातीचे वळू) नैसर्गिक संयोगाकरिता स्थानिक स्तरावर वाटप करण्यात आले. सन २०१२-१३ मध्ये नैसर्गिक सेवेकरिता नोव्हेंबर अखेर पर्यंत एकूण ६६ वळूंचे (सहा लाल खंदारी, आठ गवळाऊ,आठ खिल्लार, दोन गीर, २२ गीर संकर, १५ सहीवाल, पाच जर्सी संकर) वाटप केले आहे. याव्यतिरिक्त राज्यातील देशी म्हशींची दूध उत्पादनाची कमी क्षमता लक्षात घेता नैसर्गिक संयोगाकरिता ९९० मुऱ्हा जातीचे रेडे गरजू शेतकऱ्यांना/ पशुपालकांना वाटप करण्यात आले आहे. वर्ष २०१२-१३ मध्ये केंद्र शासनातर्फे प्राप्त ₹ ४.१० कोटी पैकी डिसेंबर पर्यंत ₹ १.१६ कोटी खर्च करण्यात आले. महाराष्ट्र पशुधनविकास महामंडळामार्फत सन २०११-१२ मध्ये २८७ मुऱ्हा रेडे आणि सन २०१२-१३ मध्ये २७८ मुऱ्हा रेडयांचे वाटप नोव्हेंबर अखेर पर्यंत करण्यात आले.

## पशुधन विमा योजना

७.४९ पशुधन विमा ही केंद्र पुरस्कृत योजना महाराष्ट्र पशुधन विकास महामंडळामार्फत राज्यात २००६-०७ पासून शेतकरी किंवा पशुपालकांकडे उपलब्ध असलेल्या जनावरांच्या कायमस्वरुपी अपंगत्व किंवा आकस्मिक मृत्यूमुळे होणाऱ्या नुकसानापासून संरक्षण देणे आणि त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या पशुधन व तद्अनुषंगिक उत्पादनात गुणात्मक सुधारणा करणे या दुहेरी उद्देशाने राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत प्रति पशुपालक दोन दुधारु जनावरांचा विमा उतरविला जातो. केंद्रीय सहाय्यामधून विमा हप्त्याची ५० टक्के रक्कम दिली जाते व उर्वरित ५० टक्के रक्कम पशुधनाच्या मालकाने भरावयाची असते. राज्यामध्ये ही योजना १८ जिल्हयांमध्ये राबविली जात आहे. या योजनेअंतर्गत सन २०१२-१३ मध्ये एकूण ५,५७७ जनावरांचा विमा उतरविण्यात आला असून त्यावर ₹ ५८.७९ लाख खर्च झालेला आहे.

**तक्ता ७.२९ पुरवठा केलेले पक्षी व अंड्यांची उपलब्धता**

| वर्ष | पुरवठा करण्यात आलेल्या पक्षांची संख्या (लाख) | अंड्यांची उपलब्धता (वार्षिक दरडोई) | |
|---|---|---|---|
| | | राज्य | देश |
| २००८-०९ | ५.०७ | ३३ | ४७ |
| २००९-१० | ५.७१ | ३५ | ५१ |
| २०१०-११ | ३.८७ | ३८ | ५३ |
| २०११-१२ | ८.८४ | ३९ | ५५ |
| २०१२-१३+ | ४.७४ | उ.ना. | उ.ना. |

*आधार* : पशुसंवर्धन आयुक्त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन उ.ना. उपलब्ध नाही
+ डिसेंबर पर्यंत

## कुक्कुट विकास

७.५० राज्यात कुक्कुटपालन प्रामुख्याने खाजगी कुक्कुटपालकांकडून केले जाते. राष्ट्रीय पोषण संस्थेने प्रति वर्षी प्रति व्यक्ती १८० अंडी व ११ किलो कोंबडीचे मांस सेवनाची शिफारस केली आहे. सद्यस्थितीत राष्ट्रीय स्तरावर दरडोई प्रति वर्ष ५५ अंडी व १.६ किलो कोंबडीच्या मांसाची उपलब्धता आहे. दरडोई प्रती वर्षी सेवनाचे प्रमाण मोठया शहरात १७० अंडी, छोटया शहरांमध्ये ४० अंडी,

विकसित ग्रामीण भागात २० अंडी तर अविकसित ग्रामीण भागात फक्त पाच अंडी असे आहे. हया क्षेत्राच्या विकासाची क्षमता विचारात घेऊन राज्य शासनाने कंत्राटी पध्दतीद्वारे कुक्कुटपालनास चालना देण्याचे ठरविले आहे. सन २०११-१२ मध्ये ₹ २९.७५ कोटी निधीची तरतूद केली असून त्यापैकी ₹ ३.१८ कोटी खर्च झाला. तसेच सन २०१२-१३ मध्ये ₹ ७.०५ कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याच्या मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्रांमधून पुरवठा केलेल्या कुक्कुट पक्षांची माहिती आणि राज्यात व देशात अंड्यांची वार्षिक दरडोई उपलब्धता तक्ता ७.२९ मध्ये दिली आहे.

## दुग्ध विकास

७.५१ दुग्धव्यवसाय हा एक कृषिपूरक व्यवसाय असून त्यामुळे ग्रामीण कुटुंबांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन अतिरिक्त उत्पन्नासह त्यांच्या आहाराच्या पोषण मूल्यात वृध्दी होते. दूध उत्पादनामध्ये राज्याचा भारतामध्ये सहावा क्रमांक आहे. दुग्ध उत्पादन व प्रति व्यक्ती दुधाच्या उपलब्धतेबाबतची माहिती तक्ता ७.३० मध्ये दर्शविली आहे.

**तक्ता ७.३० दुधाचे उत्पादन व प्रति व्यक्ती उपलब्धता**

| वर्ष | दुधाचे उत्पादन (दशलक्ष मे.टन) | | प्रति व्यक्ती उपलब्धता (ग्रॅम प्रति दिन) | |
|---|---|---|---|---|
| | राज्य | भारत | राज्य | भारत |
| २००८-०९ | ७.५ | १०८.५ | १८७ | २५८ |
| २००९-१० | ७.७ | ११२.५ | १९० | २६४ |
| २०१०-११ | ८.० | १२१.८ | १९६ | २८१ |
| २०११-१२ | ८.५ | १२७.९ | २०६ | २९० |
| २०१२-१३* | ८.६ | १३३.८ | २०८ | उ.ना. |

*आधार* : पशुसंवर्धन आयुक्त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन * अस्थायी
उ.ना. उपलब्ध नाही

**आलेख ७.१ : सहकारी व शासकीय दुग्धशाळांचे एकत्रित सरासरी दैनिक दूध संकलन**

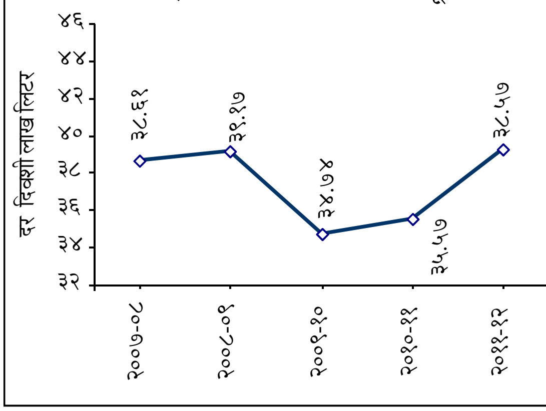


७.५२ राज्यात २०११-१२ मध्ये शासकीय व सहकारी क्षेत्रात एकूण ७३ दुग्धप्रक्रिया प्रकल्प व १४१ दुग्धशीतकरण केंद्रे कार्यरत होती व त्यांची प्रतिदिन क्षमता अनुक्रमे ७४.७३ लाख लिटर व २५.१७ लाख लिटर होती. राज्यातील शासकीय व सहकारी दुग्धशाळांचे एकत्रित सरासरी दैनिक दूधसंकलन २०११-१२ मध्ये ३८.५७ लाख लिटर होते आणि २०१२-१३ मध्ये (नोव्हेंबर पर्यंत) ३९.२२ लाख लिटर होते. शासकीय व सहकारी दुग्धशाळांच्या एकत्रित दैनिक दूधसंकलनाबाबतची माहिती आलेख ७.१ मध्ये दर्शविली आहे. तसेच शासकीय व सहकारी दूध योजनेतील दुग्ध उपउत्पादनांबाबत माहिती तक्ता ७.३१ मध्ये दर्शविली आहे.

**तक्ता ७.३१ शासकीय आणि सहकारी दुग्ध शाळांमधील दुग्ध उपउत्पादने**

| उप उत्पादन | परिमाण | २०१०-११ | २०११-१२ | २०१२-१३+ | २०११-१२ मध्ये २०१०-११ च्या तुलनेत शेकडा बदल |
|---|---|---|---|---|---|
| दुध भुकटी | मे.टन | २५५.६३ | ६६७.६८ | १,०५१.६३ | १६१.२ |
| पांढरे लोणी | मे.टन | १४२.३० | ३९७.८६ | ६००.६८ | १७९.६ |
| तूप | मे.टन | १०३.८३ | २९.८४ | ५४.२५ | (-) ७१.३ |
| एनर्जी | लाख बाटल्या | ६१.५८ | ५६.१० | २३.४३ | (-)८.९ |
| लस्सी | लाख बाटल्या | ६४.९२ | ३४.९४ | १६.१६ | (-)४६.२ |
| मसाला दूध | लाख बाटल्या | १२.५३ | ५.४९ | ३.३१ | (-)५६.२ |
| गायीचे टिकाऊ दूध | लाख बाटल्या | १.७५ | १.११ | ०.३७ | (-) ३६.६ |

*आधार* : दुग्धव्यवसाय आयुक्त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन + डिसेंबर पर्यंत

## मत्स्यव्यवसाय

७.५३ राज्याला ७२० किलोमीटर सागरी किनारा लाभला असून १.१२ लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्र सागरी मासेमारीसाठी योग्य आहे. या व्यतिरिक्त, राज्यात ३.०१ लाख हेक्टर क्षेत्र गोड्यापाण्यातील व ०.१९ लाख हेक्टर क्षेत्र निमखा-या पाण्यातील मासेमारीस योग्य आहे. सन २०११-१२ मध्ये कृषी आणि संलग्न क्षेत्राच्या स्थूल राज्य उत्पन्नात मत्स्यव्यवसायाचा ०.५ टक्के वाटा होता. राज्याच्या

सागरीतटावर मासळी उतरविण्याची १६२ केंद्रे आहेत. राज्यात २९ मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रे असून अंत:क्षेत्रीय मत्सव्यवसायासाठी दरवर्षी १२,३५० लाख अंडी उत्पादनाची क्षमता आहे. तसेच मासेमारीसाठी १५,००० सागरी नौका कार्यरत असून त्यापैकी १२,८०० यांत्रिक नौका आहेत. मत्स्योत्पादन व निर्यात विषयक माहिती तक्ता ७.३२ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ७.३२ मत्स्योत्पादन व निर्यात**

| बाब | परिमाण | २०१०-११ | २०११-१२ | २०१२-१३*+ | २०११-१२ मध्ये २०१०-११ च्या तुलनेत शेकडा बदल |
|---|---|---|---|---|---|
| **मत्स्य उत्पादन** | लाख मे.टन | | | | |
| सागरी | | ४.४७ | ४.३४ | ३.१५ | -२.९ |
| गोडया पाण्यातील | | १.३० | १.४५ | १.१० | ११.५ |
| **एकूण** | | **५.७७** | **५.७९** | **४.२५** | **०.३५** |
| **मत्स्य उत्पादनाचे स्थूल मूल्य** | ₹ कोटी | | | | |
| सागरी | | २,१४७ | २,४२८ | १,८९० | १३.१ |
| गोडया पाण्यातील | | ८५२ | १,१०५ | ८८० | २९.७ |
| **एकूण** | | **२,९९९** | **३,५३३** | **२,७७०** | **१७.८** |
| **मत्स्य उत्पादनाची निर्यात** | | | | | |
| उत्पादन | लाख मे.टन | १.५८ | १.५२ | | -३.८ |
| मूल्य | ₹ कोटी | २,२४४ | २,४२० | | ७.८ |

*आधार* : मत्स्यव्यवसाय आयुक्त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन + डिसेंबर पर्यंत . * अस्थायी

## रेशीम उत्पादन

७.५४ रेशीम उत्पादन व्यवसाय हा एक महत्वाचा कृषि-कुटीर उद्योग आहे. यामध्ये ग्रामीण भागात मोठया प्रमाणात रोजगार निर्मिती करुन त्यायोगे ग्रामीण भागातील गरिबांची आर्थिक उन्नती करण्याची क्षमता आहे. रेशीम उत्पादन म्हणजे रेशीम किड्यांद्वारे रेशीम धाग्यांचे उत्पादन करणे होय. यात रेशीम किड्यांच्या संगोपनासाठी तुतीच्या झाडांची लागवड, कोषनिर्मितीसाठी रेशीम किड्यांचे संगोपन आणि प्रक्रिया व विणकाम या मूल्य वृध्दीच्या लाभांसाठी तंतू निर्मिती यांचा समावेश होतो. तूती रेशीम विकास कार्यक्रम राज्यातील २३ जिल्हयात राबविला जातो. राज्यातील हवामान हे जरी रेशीम उद्योगास पोषक आहे तरी तूती वृक्ष लागवडीचे क्षेत्र मागील तीन वर्षात सतत कमी होत आहे. सन २०११-१२ मध्ये २,३२६ हे. क्षेत्र तूती वृक्ष लागवडी खाली होते, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत २०.६ टक्क्यांनी कमी होते. तसेच कच्च्या रेशमाच्या उत्पादनात घट होऊन ते १५३.५० मे. टन झाले, जे २०१०-११ च्या तुलनेत २२.८ टक्के कमी होते. सन २०१२-१३ मध्ये फेब्रुवारी पर्यंत कच्च्या रेशमाचे उत्पादन ५४.३८ मे. टन झाले. टसर रेशीम विकास कार्यक्रम राज्यातील गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा व गोंदिया या चार जिल्ह्यांमध्ये राबविला जातो. टसर रेशमाच्या किड्यांच्या संवर्धनासाठी आवश्यक ऐन वृक्षाचे या चार जिल्हयातील लागवडीखालील क्षेत्र १८,८६६ हे. आहे. सन २०११-१२ मध्ये कच्च्या टसर रेशमाचे उत्पादन १२.३६ मे.टन इतके झाले, जे २०१०-११ च्या तुलनेत ८३ टक्के जास्त होते. सन २०१२-१३ मध्ये फेब्रुवारी पर्यंत ६.१७ मे.टन इतक्या कच्च्या टसर रेशमाचे उत्पादन झाले.

## वने

७.५५ राज्यात कृषिव्याप्त क्षेत्रानंतर दुसरे मोठे क्षेत्र वनाखाली आहे. कृषि व संलग्न कार्यांच्या स्थूल राज्य उत्पन्नात वने या क्षेत्राचा २०११-१२ मधील वाटा १.७ टक्के होता. राज्याचे एकूण वनक्षेत्र ६१,३५८ चौ.कि.मी. (अस्थायी) आहे. राष्ट्रीय वन धोरण १९८८ नुसार वनक्षेत्राचे प्रमाण ३३ टक्के असावे या उदिदष्टाच्या तुलनेत राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या १९.९ टक्के एवढे वनक्षेत्र आहे. राज्यातील वनक्षेत्र वन विभाग (५५,८१९ चौ.कि.मी.), महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ (मवविम) (३,९२६ चौ.कि.मी.) व महसूल विभाग (१,६१३ चौ.कि.मी.) यांच्या प्रशासकीय अधिपत्याखाली आहे. एकूण वनक्षेत्रापैकी ८४ टक्के राखीव, ११ टक्के संरक्षित वन व पाच टक्के अवर्गीकृत वन आहे. राज्यातील वनांच्या वृक्षाच्छादनाची वर्गवारी उपग्रहाकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे करण्यात आली असून त्यानुसार वृक्षाच्छादन घनतेची वर्गवारी अति घनदाट जंगल (जेथे

**आलेख ७.२ : वनाच्या वृक्षाच्छादनाच्या घनतेनुसार क्षेत्र (२०१०-११)**

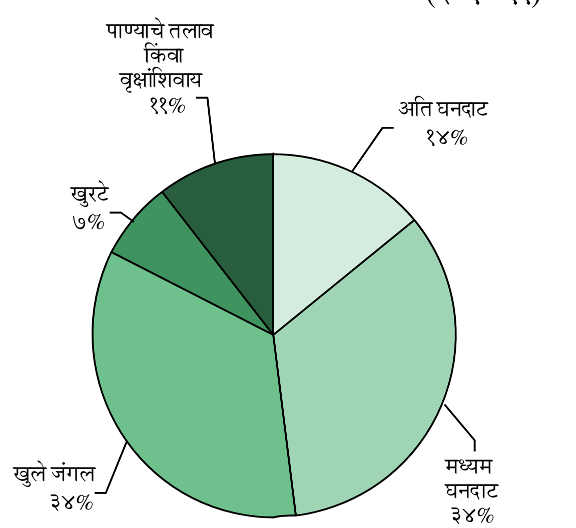

वृक्षाच्छादनाची घनता ७० टक्क्यापेक्षा जास्त आहे), मध्यम दाट जंगल (जेथे ही घनता ४० ते ७० टक्क्यांपर्यंत आहे), खुले वन (जेथे ही घनता १० ते ४० टक्के इतकी आहे) व खुरटे वन (जेथे ही घनता १० टक्क्यापेक्षा कमी आहे) अशा चार वर्गात केली आहे. उर्वरीत वनक्षेत्रात पाण्याखालील क्षेत्र व वृक्ष विरहीत भागाचा समावेश आहे.

## वृक्षारोपण

७.५६ वृक्षारोपण हा २० कलमी कार्यक्रमाचा एक भाग असून याची अंमलबजावणी मुख्यत: वन विभाग, मवविम व सामाजिक वनीकरण संचालनालय यांचेमार्फत करण्यात येते. वृक्षारोपणाची विस्तृत माहिती तक्ता ७.३३ मध्ये दर्शविली आहे.

**तक्ता ७.३३ वृक्षरोपणांतर्गत क्षेत्र व खर्च**

| वर्ष | वन विभाग | | मवविम | | सामाजिक वनीकरण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | क्षेत्र (हे) | खर्च (₹ कोटी) | क्षेत्र (हे) | खर्च (₹ कोटी) | क्षेत्र (हे) | खर्च (₹ कोटी) | पुरवलेली रोपे (कोटी) |
| २००७-०८ | ३१.११३ | २४.५८ | २.६५० | २.३३ | १३.३७१ | १४.५६ | ४.४८ |
| २००८-०९ | ५५,९६७ | ३९.२१ | २,३३२ | १.७५ | ११,१५५ | १३.६७ | २.७३ |
| २००९-१० | ४८,०९९ | ४३.४९@ | २,९०७ | - | ६,५४० | ७.३७ | २.५७ |
| २०१०-११ | ३०,१९० | ३१.८८ | ३,२२३ | ५.९८ | ४,८४७ | ७.५४ | १.९४ |
| २०११-१२ | ३१,३६९ | ६७.९० | ४,०११ | ९.४७ | ३,९१६ | १३.६७ | १.३२ |
| २०१२-१३+ | ७०,१५३ | ९२.८७ | ४,८४७ | ८.६५ | २,०८७ | १२.३४ | ०.७५ |

*आधार* : सामाजिक वनीकरण संचालनालय, महाराष्ट्र शासन @ मवविमसह + जानेवारी पर्यंत

७.५७ राज्य शासनाने दरवर्षी जिल्हा परीषद (कृषी आणि शिक्षण विभाग) तसेच इतर विभाग (वन, औद्योगीक, सा.बां. वि., जलसिंचन विभाग ) यांच्या मदतीने १०० कोटी वृक्षारोपण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सन २०१२-१३ साठी वन विभागाकडे १६ कोटी वृक्षारोपणाचे लक्ष्य देण्यात आले आहे.

## सामाजिक वनीकरण

७.५८ ग्रामीण जनतेच्या जळाऊ लाकडाची व वैरणाची गरज भागविण्यामध्ये तसेच पर्यावरणाचा समतोल राखण्यामध्ये सामाजिक वनीकरण विभागाची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. सामाजिक वनीकरण संचालनालय राज्यात वृक्ष लागवडीसाठी विविध योजना राबविते. महत्वाच्या योजनांद्वारे वर्षनिहाय झालेल्या वृक्षलागवडीची माहिती तक्ता ७.३४ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ७.३४ महत्वाच्या योजनांतर्गत वृक्षारोपणाची माहिती**

(क्षेत्र हे.)

| योजना | वर्ष | | | |
|---|---|---|---|---|
| | २००९-१० | २०१०-११ | २०११-१२ | २०१२-१३+ |
| महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना | १४६ | ८२ | १३२ | ६२८ |
| महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना रस्त्यांच्या बाजूला वृक्षारोपण (कि.मी.) | ७५८ | १,१०८ | १,००४ | १,६६४ |
| एकात्मिक पडीक जमीन विकास कार्यक्रम | २६७ | १७९ | ३१२ | १८५ |
| राष्ट्रीय बांबू अभियान | २९० | २२१ | १०६ | १३० |
| निवडलेल्या पाणलोट क्षेत्रातील सामुदायिक जमिनीवर वृक्ष लागवड | उ.ना. | उ.ना. | ३८६ | २२० |
| पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम | ७६२ | उ.ना. | उ.ना. | ४५ |
| रोजगार हमी योजनेअंतर्गत खाजगी पडीक जमिनीवर वृक्ष लागवड | ३,६०९ | २,९४३ | १,१०४ | १३४ |

*आधार* : सामाजिक वनीकरण संचालनालय, महाराष्ट्र शासन. +जानेवारी पर्यंत उ.ना. उपलब्ध नाही

## वन उत्पादने

७.५९ राज्यातील वनांद्वारे इमारती लाकूड, जळाऊ लाकूड ही प्रमुख व बांबू, तेंदू पत्ता, डिंक, गवत इत्यादी गौण वनउत्पादने मिळतात. ह्या सर्व वनोत्पादनांचा राज्याचे उत्पन्न वाढविण्यात व स्थानिकांना रोजगार पुरविण्यात महत्वाचा वाटा आहे. राज्यातील प्रमुख व गौण वनउत्पादने व त्यांचे मूल्य याबाबतची माहिती तक्ता ७.३५ मध्ये दर्शविली आहे.

**तक्ता ७.३५ वनोत्पादने व त्यांचे मूल्य**

(₹ कोटी)

| वनोत्पादने | उत्पादनाचे परिमाण | २०१०-११ | | २०११-१२* | | २०१२-१३ ++ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | उत्पादन | मूल्य | उत्पादन | मूल्य | उत्पादन | मूल्य |
| **(अ) मुख्य वनोत्पादने** | | | | | | | |
| इमारती लाकूड | लाख घन मीटर | १.१७ | ११०.३५ | १.१५ | २४३.५१ | १.२८ | १८८.८७ |
| जळाऊ लाकूड | लाख घन मीटर | ४.२१ | ४२.१८ | ३.७९ | २८.१० | ४.१४ | ३६.६२ |
| **एकूण (अ)** | | **५.३८** | **१५२.५३** | **४.९४** | **२७१.६१** | **५.४२** | **२२५.४९** |
| **(ब) गौण वनोत्पादने** | | | | | | | |
| बांबू | लाख मे. टन | १.५४ | २२.७४ | १.९३ | ३९.०५ | १.३८ | ३२.१४ |
| तेंदू | लाख स्टँडर्ड | ६.४२ | ९०.५६ | ६.२१ | १००.०८ | ६.६७ | १४०.६० |
| गवत | मे. टन | १७,६२९ | ०.३९ | १५८४ | ०.१८ | उ.ना. | ०.००९ |
| डिंक | क्विंटल | ५,५५२ | ०.८७ | ६०७६ | १.३९ | उ.ना. | ०.०५ |
| इतर (लाख, हिरडा, शिकोकाई, इतर.) | | उ.ना. | ४.११ | उ.ना. | ९.७९ | उ.ना. | ०.३४ |
| **एकूण (ब)** | | | **११८.६७** | | **१५०.४९** | | **१७३.१४** |
| **एकूण (अ+ब)** | | | **२७१.२०** | | **४२२.१** | | **३९८.६३** |

*आधार :* मुख्य वन संरक्षक यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, उ.ना. उपलब्ध नाही * अस्थायी ++ अपेक्षित

## संत तुकाराम वनग्राम योजना

७.६० या योजनेचा मुख्य उद्देश वन आणि प्राण्यांच्या संरक्षणामध्ये स्थानिक लोकांना सामील करुन घेणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत २७ लाख हे. क्षेत्रात एकूण १२,६२९ संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्या गठित करण्यात करण्यात आल्या आहेत. २०११-१२ मध्ये ₹ ११२.६५ लाख खर्च झाले असून २०१२-१३ मध्ये ₹ ६२.९६ लाख अर्थसंकल्पिय तरतूदी पैकी नोव्हेंबर पर्यंत ₹ ४७.२२ लाख खर्च करण्यात आला.

## वन्यजीव आणि राष्ट्रीय उद्याने/अभयारण्ये

७.६१ राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण यांच्या मार्च, २०११ मध्ये प्रकाशित अहवालानुसार महाराष्ट्रातील वाघांची अंदाजित संख्या १३९ ते १७० च्या दरम्यान आहे. वन्यजीवांच्या संवर्धन व रक्षणाकरिता शासनाने पाच नविन अभयारण्ये उभारली आहेत. १. ग्रेट इंडीयन बस्टर्ड,जिल्हा उस्मानाबाद आणि सोलापूर (क्षेत्र १.९८ चौ. कि. मी.), २. बोर, जिल्हा नागपूर आणि वर्धा (क्षेत्र ६०.६९ चौ. कि. मी.), ३. नागझीरा, जिल्हा गोंदिया (क्षेत्र १५१.३३ चौ. कि. मी.), ४. नवेगाव, जिल्हा गोंदिया (क्षेत्र १२२.७६ चौ. कि. मी.) आणि ५. उमरेड क-हांडला,जिल्हा नागपूर आणि भंडारा (क्षेत्र १८९.२९ चौ. कि. मी.). राज्यातील वन्यजीव आणि राष्ट्रीय उद्याने/अभयारण्ये यावर केंद्र पुरस्कृत योजनेद्वारे झालेल्या खर्चाची माहिती तक्ता ७.३६ मध्ये दर्शविली आहे.

**तक्ता ७.३६ प्रकल्पनिहाय वन्यजीव आणि राष्ट्रीय उद्याने/अभयारण्ये यांचे क्षेत्र व त्यावरील खर्च**

(₹ कोटी)

| योजना | क्षेत्र (चौ. कि. मी.) | खर्च | | | २०११-१२ मध्ये २०१०-११ च्या तुलनेत शेकडा बदल |
|---|---|---|---|---|---|
| | | २०१०-११ | २०११-१२ | २०१२-१३+ | |
| **व्याघ्र प्रकल्प** | | | | | |
| मेळघाट | १,६७७ | २२.२० | ११.७२ | १.५८ | (-)४७.२ |
| ताडोबा अंधारी | ६२० | २.५८ | २६.७५ | १.१७ | ९३६.८ |
| पेंच | २५७ | १.४४ | २.१२ | १.१४ | ४७.२ |
| सहयाद्री | ७४१ | ०.७५ | ०.२९ | ०.०९ | (-)६१.३ |
| **राष्ट्रीय उद्याने/अभयारण्ये यांचा विकास** | १४,०५१ | ३.६८ | २.६२ | ०.८२ | (-)२८.८ |
| हत्ती प्रकल्प कोल्हापूर | उ.ना. | ०.५० | ०.२० | ०.११ | (-)६०.० |
| **एकूण** | | **३१.१५** | **४३.७०** | **४.९१** | **४०.२९** |

*आधार:* मुख्य वन संरक्षक यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, उ.ना. उपलब्ध नाही + ऑक्टोबर पर्यंत

*****

## परिशिष्ट ७.१
## राज्यातील मुख्य पिकांखालील क्षेत्र, पीक आणि दर हेक्टरी उत्पादन

क्षेत्र '००० हे.,
उत्पादन '००० मे.टन
उत्पादकता प्रति हे.कि.ग्रॅ.

**अन्नधान्ये**

| अनु. क्रमांक | वर्ष | | तांदूळ | | | गहू | | | ज्वारी | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | क्षेत्र | उत्पादन | दर हेक्टरी उत्पादन | क्षेत्र | उत्पादन | दर हेक्टरी उत्पादन | क्षेत्र | उत्पादन | दर हेक्टरी उत्पादन |
| (१) | (२) | | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) |
| १ | १९६०-६१ | ... | १,३०० | १,३६९ | १,०५४ | ९०७ | ४०१ | ४४२ | ६,२८४ | ४,२२४ | ६७२ |
| २ | १९७०-७१ | ... | १,३५२ | १,६६२ | १,२२९ | ८१२ | ४४० | ५४२ | ५,७०३ | १,५५७ | २७३ |
| ३ | १९८०-८१ | ... | १,४५९ | २,३१५ | १,५८७ | १,०६३ | ८८६ | ८३४ | ६,४६९ | ४,४०९ | ६८१ |
| ४ | १९९०-९१ | ... | १,५९७ | २,३४४ | १,४६७ | ८६७ | ९०९ | १,०४९ | ६,३०० | ५,९२९ | ९४१ |
| ५ | २०००-०१ | ... | १,५१२ | १,९३० | १,२७७ | ७५४ | ९४८ | १,२५६ | ५,०९४ | ३,९८८ | ७८३ |
| ६ | २००९-१० | ... | १,४७१ | २,१८६ | १,४८६ | १,०८१ | १,७४० | १,६१० | ४,१७६ | ३,५६५ | ८५४ |
| ७ | २०१०-११ | ... | १,५१८ | २,६९६ | १,७७६ | १,३०७ | २,३०१ | १,७६१ | ४,०६० | ३,४५२ | ८५० |
| ८ | २०११-१२ | ... | १,५४४ | २,८४० | १,८४० | ८७८ | १,४९९ | १,७०७ | ३,२२९ | २,६२७ | ८१४ |

| अनु. क्रमांक | वर्ष | | बाजरी | | | इतर तृणधान्ये | | | सर्व तृणधान्ये | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | क्षेत्र | उत्पादन | दर हेक्टरी उत्पादन | क्षेत्र | उत्पादन | दर हेक्टरी उत्पादन | क्षेत्र | उत्पादन | दर हेक्टरी उत्पादन |
| (१) | (२) | | (१२) | (१३) | (१४) | (१५) | (१६) | (१७) | (१८) | (१९) | (२०) |
| १ | १९६०-६१ | ... | १,६३५ | ४८९ | २९९ | ४८० | २७२ | ५६७ | १०,६०६ | ६,७५५ | ६३७ |
| २ | १९७०-७१ | ... | २,०३९ | ८२४ | ४०४ | ४१४ | २५४ | ६१४ | १०,३२० | ४,७३७ | ४५९ |
| ३ | १९८०-८१ | ... | १,५३४ | ६९७ | ४५४ | ४५१ | ३४० | ७५४ | १०,९७६ | ८,६४७ | ७८८ |
| ४ | १९९०-९१ | ... | १,९४० | १,११५ | ५७५ | ४३२ | ४४३ | १,०२५ | ११,१३६ | १०,७४० | ९६४ |
| ५ | २०००-०१ | ... | १,८०० | १,०८७ | ६०४ | ६६४ | ५४४ | ८१९ | ९,८२४ | ८,४९७ | ८६५ |
| ६ | २००९-१० | ... | १,०३४ | ७६६ | ७४२ | ९७४ | १,९६१ | २,०१४ | ८,७३५ | १०,२१८ | १,१७० |
| ७ | २०१०-११ | ... | १,०३५ | १,१२३ | १,०८६ | १,०६९ | २,७५० | २,५७२ | ८,९८९ | १२,३२३ | १,३७१ |
| ८ | २०११-१२ | ... | ८३८ | ८२३ | ९८२ | १,०७५ | २,६२९ | २,४४६ | ७,५६४ | १०,४१८ | १,३७७ |

| अनु. क्रमांक | वर्ष | | तूर | | | हरभरा | | | मुग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | क्षेत्र | उत्पादन | दर हेक्टरी उत्पादन | क्षेत्र | उत्पादन | दर हेक्टरी उत्पादन | क्षेत्र | उत्पादन | दर हेक्टरी उत्पादन |
| (१) | (२) | | (२१) | (२२) | (२३) | (२४) | (२५) | (२६) | (२७) | (२८) | (२९) |
| १ | १९६०-६१ | ... | ५३० | ४६८ | ८८३ | ४०२ | १३४ | ३३३ | ० | ० | ० |
| २ | १९७०-७१ | ... | ६२७ | २७१ | ४३२ | ३१० | ८७ | २८१ | ० | ० | ० |
| ३ | १९८०-८१ | ... | ६४४ | ३१९ | ४९५ | ४१० | १३७ | ३३५ | ० | ० | ० |
| ४ | १९९०-९१ | ... | १,००४ | ४१९ | ४१७ | ६६८ | ३५५ | ५३२ | ० | ० | ० |
| ५ | २०००-०१ | ... | १,०९६ | ६६० | ६०२ | ६७६ | ३५१ | ५१९ | ७१४ | २४४ | ३४१ |
| ६ | २००९-१० | ... | १,०९३ | ९१९ | ८४१ | १,२९१ | १,११४ | ८६३ | ४२८ | १४२ | ३३२ |
| ७ | २०१०-११ | ... | १,३०२ | ९७६ | ७५० | १,४३८ | १,३०० | ९०४ | ५५४ | ३७२ | ६७२ |
| ८ | २०११-१२ | ... | १,२३३ | ८७१ | ७०६ | १,०७५ | ८५७ | ७९७ | ४३३ | २५४ | ५८६ |

(पुढे चालू)

## परिशिष्ट ७.१ (पुढे चालू)

क्षेत्र '००० हे.,
उत्पादन '००० मे.टन
उत्पादकता प्रति हे.कि.ग्रॅ.

**अन्नधान्ये**

| अनु. क्रमांक | वर्ष | | उडिद | | | इतर कडधान्ये | | | सर्व कडधान्ये | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | क्षेत्र | उत्पादन | दर हेक्टरी उत्पादन | क्षेत्र | उत्पादन | दर हेक्टरी उत्पादन | क्षेत्र | उत्पादन | दर हेक्टरी उत्पादन |
| (१) | (२) | | (३०) | (३१) | (३२) | (३३) | (३४) | (३५) | (३६) | (३७) | (३८) |
| १ | १९६०-६१ | ... | ० | ० | ० | १,४१७ | ३८७ | २७३ | २,३४९ | ९८९ | ४२१ |
| २ | १९७०-७१ | ... | ० | ० | ० | १,६२९ | ३१९ | १९६ | २,५६६ | ६७७ | २६४ |
| ३ | १९८०-८१ | ... | ० | ० | ० | १,६६१ | ३६९ | २२२ | २,७१५ | ८२५ | ३०४ |
| ४ | १९९०-९१ | ... | ० | ० | ० | १,५८५ | ६६७ | ४२१ | ३,२५७ | १,४४१ | ४४२ |
| ५ | २०००-०१ | ... | ५७४ | २०५ | ३५७ | ४९७ | १७७ | ३५६ | ३,५५७ | १,६३७ | ४६० |
| ६ | २००९-१० | ... | ३५४ | ११७ | ३३२ | २०९ | ७९ | ३७८ | ३,३७५ | २,३७२ | ७०३ |
| ७ | २०१०-११ | ... | ४८२ | ३२९ | ६८२ | २६२ | ११९ | ४५५ | ४,०३८ | ३,०९६ | ७६७ |
| ८ | २०११-१२ | ... | ३६४ | २४९ | ६८५ | १९२ | ७९ | ४१२ | ३,२९७ | २,३१० | ७०१ |

| अनु. क्रमांक | वर्ष | | सर्व अन्नधान्ये | | | भूईमूग | | | सोयाबिन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | क्षेत्र | उत्पादन | दर हेक्टरी उत्पादन | क्षेत्र | उत्पादन | दर हेक्टरी उत्पादन | क्षेत्र | उत्पादन | दर हेक्टरी उत्पादन |
| (१) | (२) | | (३९) | (४०) | (४१) | (४२) | (४३) | (४४) | (४५) | (४६) | (४७) |
| १ | १९६०-६१ | ... | १२,९५५ | ७,७४४ | ५९८ | १,०८३ | ८०० | ७३९ | ० | ० | ० |
| २ | १९७०-७१ | ... | १२,८८६ | ५,४१४ | ४२० | ९०४ | ५८६ | ६४९ | ० | ० | ० |
| ३ | १९८०-८१ | ... | १३,६९१ | ९,४७२ | ६९२ | ६९५ | ४५१ | ६४८ | ० | ० | ० |
| ४ | १९९०-९१ | ... | १४,३९३ | १२,१८१ | ८४६ | ८६४ | ९७९ | १,१३२ | २०१ | १९० | ९४७ |
| ५ | २०००-०१ | ... | १३,३८२ | १०,१३३ | ७५७ | ४९० | ४७० | ९५८ | १,१४२ | १,२६६ | १,१०९ |
| ६ | २००९-१० | ... | १२,१०९ | १२,५९० | १,०४० | ३२२ | ३६५ | १,१३३ | ३,०१९ | २,१९७ | ७२८ |
| ७ | २०१०-११ | ... | १३,०२६ | १५,४१९ | १,१८४ | ३५७ | ४५८ | १,२८१ | २,७२९ | ४,३१६ | १,५८१ |
| ८ | २०११-१२ | ... | १०,८६० | १२,७२८ | १,१ ७२ | ३०२ | ३५१ | १,१६० | ३,०१० | ३,९६९ | १,३१९ |

| अनु. क्रमांक | वर्ष | | करडई | | | इतर तेलबिया | | | सर्व तेलबिया | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | क्षेत्र | उत्पादन | दर हेक्टरी उत्पादन | क्षेत्र | उत्पादन | दर हेक्टरी उत्पादन | क्षेत्र | उत्पादन | दर हेक्टरी उत्पादन |
| (१) | (२) | | (४८) | (४९) | (५०) | (५१) | (५२) | (५३) | (५४) | (५५) | (५६) |
| १ | १९६०-६१ | ... | ३३१ | ० | ० | ४५४ | ० | ० | १,८६८ | ० | ० |
| २ | १९७०-७१ | ... | ४०६ | १०२ | २५२ | ४०८ | ६५ | १५९ | १,७१८ | ७५३ | ४३८ |
| ३ | १९८०-८१ | ... | ४८० | १७४ | ३६३ | ६०५ | १०३ | १७० | १,७८० | ७२८ | ४२६ |
| ४ | १९९०-९१ | ... | ६३४ | २५८ | ४०८ | १,१२७ | ४५५ | ४०४ | २,८२६ | १,८८२ | ६६६ |
| ५ | २०००-०१ | ... | २९६ | १२२ | ४१२ | ६३१ | २४१ | ३८२ | २,५५९ | २,०९९ | ८२० |
| ६ | २००९-१० | ... | १८८ | १०९ | ५७९ | ३३३ | १५९ | ४७७ | ३,८८३ | २,८१४ | ७२४ |
| ७ | २०१०-११ | ... | १७३ | ९४ | ५४४ | ३३४ | १६० | ४७८ | ३,६२४ | ५,०४५ | १,३९२ |
| ८ | २०११-१२ | ... | १३१ | ७१ | ५४२ | २३५ | १०१ | ४३० | ३,६७८ | ४,४९२ | १,२२१ |

(पुढे चालू)

## परिशिष्ट ७.१ (समाप्त)

क्षेत्र '००० हे.,
उत्पादन '००० मे.टन
उत्पादकता प्रति हे.कि.ग्रॅ.

**नगदी पिके**

| अनु. क्रमांक | वर्ष | | ऊस | | | कापूस (रुई) | | | तंबाखू | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | तोडणी क्षेत्र | उत्पादन | दर हेक्टरी उत्पादन (मे. टनांत) | क्षेत्र | उत्पादन (गासड्यात) | दर हेक्टरी उत्पादन | क्षेत्र | उत्पादन | दर हेक्टरी उत्पादन |
| (१) | (२) | | (५७) | (५८) | (५९) | (६०) | (६१) | (६२) | (६३) | (६४) | (६५) |
| १ | १९६०-६१ | ... | १५५ | १०,४०४ | ६६.९२ | २,५०० | १,६७३ | ११४ | २५ | १२ | ४८० |
| २ | १९७०-७१ | ... | १६७ | १४,४३३ | ८६.५३ | २,७५० | ४८४ | ३० | १२ | ५ | ४४८ |
| ३ | १९८०-८१ | ... | २५८ | २३,७०६ | ९१.७४ | २,५५० | १,२२४ | ८२ | १२ | ८ | ६४८ |
| ४ | १९९०-९१ | ... | ४४२ | ३८,१५४ | ८६.४० | २,७२१ | १,८७५ | ११७ | ८ | ८ | १,०३९ |
| ५ | २०००-०१ | ... | ५९५ | ४९,५६९ | ८३.२७ | ३,०७७ | १,८०३ | १०० | ८ | ९ | १,१४८ |
| ६ | २००९-१० | ... | ७५६ | ६४,१५९ | ८४.८७ | ३,३९२ | ५,१११ | २५६ | उ.ना. | उ.ना. | उ.ना. |
| ७ | २०१०-११ | ... | ९६५ | ८५,६९१ | ८८.८० | ३,९४२ | ७,४७३ | ३२२ | उ.ना. | उ.ना. | उ.ना. |
| ८ | २०११-१२ | ... | १,०२२ | ८९,४५६ | ८७.५३ | ४१.६७ | ६,८२० | २७८ | उ.ना. | उ.ना. | उ.ना. |

*आधार* - कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

उ.ना. - उपलब्ध नाही.

टीप - (१) माहिती अंतिम अनुमानावर आधारित आहे.
(२) कापसाचे उत्पादन १७० किग्रॅ./गासडी याप्रमाणे '००० गासड्यांमध्ये.

## परिशिष्ट ७.२
## राज्यातील कृषि उत्पादनाचे पीकनिहाय निर्देशांक

(त्रैवर्षीय सरासरी - पाया : १९७९-८२ = १००)

| गट/पिके | भार | १९८२-८३ | १९९०-९१ | २०००-०१ | २००५-०६ | २००९-१० | २०१०-११ | २०११-१२ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) |
| **१. अन्नधान्ये** | | | | | | | | |
| **(अ)तृणधान्ये** | | | | | | | | |
| (१) तांदुळ | ९.४९ | ८७.४ | १०६.१ | ८७.४ | १२०.९ | ९८.९ | १२२.८ | १२८.६० |
| (२) गहू | ५.९२ | ८०.६ | ९३.९ | ९७.९ | १३४.४ | १७९.७ | २३७.७ | १३५.६३ |
| (३) ज्वारी | २२.१६ | ९५.५ | १२१.१ | ८१.४ | ७५.८ | ७२.८ | ७०.५ | ५४.९८ |
| (४) बाजरी | ३.०८ | ६४.२ | १५४.३ | १५०.५ | १२९.० | १०६.१ | १५५.५ | ११३.९८ |
| (५) बार्ली | ०.०२ | ३७.७ | १७.० | १३.२ | ११.३ | २२.६ | १८८.७ | उ.ना. |
| (६) मका | ०.४६ | ३६.९ | १०५.२ | २५३.८ | ८२८.६ | १,५३२.२ | २,१८०.५ | २,०३८.९३ |
| (७) नाचणी | ०.८५ | ९२.० | ९८.४ | ६०.८ | ६२.५ | ५१.४ | ५५.५ | ६५.१८ |
| (८) कोदरा | ०.०५ | ७३.७ | ६६.६ | ४३.६ | २७.१ | २.४ | २३.६ | उ.ना. |
| (९) इतर  तृणधान्ये | ०.१९ | ७६.७ | १५०.८ | १६२.५ | ५७.२ | ३४.० | २६.१ | ५२.९० |
| **एकूण - तृणधान्ये** | **४२.२२** | **८८.५** | **११५.७** | **९१.९** | **१०५.८** | **१११.३** | **१३४.२** | **१०८.८६** |
| **(ब)कडधान्ये** | | | | | | | | |
| (१) हरभरा | १.४७ | ७८.४ | २१५.८ | २१३.३ | ४२८.९ | ६७७.७ | ७९०.७ | ४९५.४६ |
| (२) तूर | ५.४५ | ९६.१ | १०५.२ | १६६.० | १९९.१ | २३१.१ | २४५.३ | २१८.९५ |
| (३) इतर कडधान्ये | ३.५२ | ११२.५ | १६०.० | १५०.० | ११८.६ | ८१.१ | १९६.५ | १३९.५१ |
| **एकूण - कडधान्ये** | **१०.४४** | **९९.२** | **१३९.२** | **१६७.३** | **२०४.३** | **२४३.४** | **३०५.६** | **२३१.१०** |
| **एकूण - अन्नधान्ये** | **५२.६६** | **९०.६** | **१२०.४** | **१०६.८** | **१२५.३** | **१३७.५** | **१६८.२** | **१३३.०९** |
| **२. अन्नधान्येतर** | | | | | | | | |
| **(अ)गळिताची धान्ये** | | | | | | | | |
| (१) भूईमूग | ७.२३ | ७१.४ | १५८.९ | ७६.२ | ७१.३ | ५९.२ | ७४.३ | ५६.९६ |
| (२) तीळ | ०.५७ | ९४.२ | २२३.७ | ८८.९ | ८४.२ | ४२.७ | ५८.९ | ४३.६६ |
| (३) मोहरी, राई आणि जवस | ०.७८ | ७३.४ | ८६.५ | ३०.८ | ३८.९ | १८.३ | ५.१ | २१.५९ |
| (४) एरंडी | ०.०१ | २५.० | १६६.७ | ३५८.३ | ५००.० | १४१.० | ३३३.३ | २८८.५० |
| (५) सूर्यफूल | ०.५७ | ७६.८ | ६०९.८ | ३५२.३ | ४१५.१ | २३२.३ | २६७.३ | ११३.८२ |
| **एकूण - गळिताची धान्ये** | **९.१६** | **७३.३** | **१८४.८** | **९०.६** | **९१.२** | **६५.५** | **७९.८** | **५६.९१** |
| **(ब) तंतू पिके** | | | | | | | | |
| (१) कापूस | ९.८९ | ११०.४ | १२८.६ | १२३.६ | २१६.७ | ३५०.४ | ५१२.३ | ४६७.५९ |
| (२) मेस्टा | ०.०४ | ४४.५ | ३८.० | ३६.५ | २७.७ | २५.९ | २६.४ | उ.ना. |
| **एकूण - तंतू पिके** | **९.९३** | **११०.१** | **१२८.२** | **१२३.२** | **२१५.९** | **३४९.१** | **५१०.४** | **४६५.७०** |
| **(क)संकीर्ण** | | | | | | | | |
| (१) ऊस | २५.९७ | ११४.३ | १५८.२ | १८६.९ | १४६.३ | २४१.९ | २९७.२ | ३३७.२६ |
| (२) तंबाखू | ०.१४ | ६८.३ | ११७.३ | १३८.१ | ९०.६ | ३२.७ | ३२.७ | उ.ना. |
| (३) बटाटा | ०.२२ | ८४.२ | १२०.९ | १२१.९ | ९६.५ | उ.ना. | उ.ना. | उ.ना. |
| (४) मिरची | १.९२ | १०७.१ | १०२.२ | ८२.० | ६८.९ | उ.ना. | उ.ना. | उ.ना. |
| **एकूण - संकीर्ण** | **२८.२५** | **११३.३** | **१५३.९** | **१७९.०** | **१४०.४** | **२२२.५** | **२७३.४** | **३१०.०४** |
| **एकूण - अन्नधान्येतर** | **४७.३४** | **१०४.९** | **१५४.५** | **१५०.२** | **१४६.७** | **२१८.७** | **२८५.६** | **२९३.७१** |
| **सर्व पिके** | **१००.००** | **९७.४** | **१३६.५** | **१२७.४** | **१३५.४** | **१७५.९** | **२२३.८** | **२०९.१३** |

*आधार* - कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई

टीप - २००५-०६ ते २०११-१२ चे निर्देशांक अस्थायी आहेत.

## परिशिष्ट ७.३
## राज्यातील जमिनीच्या वापराची आकडेवारी

(क्षेत्र '००० हे.)

| वर्ष | भौगोलिक क्षेत्र | वनां-खालील क्षेत्र | मशागतीसाठी उपलब्ध नसलेले क्षेत्र | | मशागत न केलेले इतर क्षेत्र | | | पडीत जमिनी | | पिकांखालील क्षेत्र | | पिकां-खालील स्थूल क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | नापीक व मशागतीस अयोग्य जमीन | बिगर-शेती वापराखाली आणलेली जमीन | मशागत-योग्य पडीत जमीन | कायमची कुरणे व चराऊ कुरणे | किरकोळ झाडे, झुडपे यांच्या समूहा खालील क्षेत्र | चालू पड | इतर पड | निव्वळ पेरणी क्षेत्र | दुसोटा / तिसोटा क्षेत्र | |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) |
| १९८६-८७ | ३०,७५८ | ५,३५० | १,६७९ | १,१५२ | १,०४४ | १,३६७ | १९६ | ९०९ | १,०५७ | १८,००४ | २,३२० | २०,३२४ |
| १९९०-९१ | ३०,७५८ | ५,१२८ | १,६२२ | १,०९१ | ९६६ | १,१२५ | ३०१ | ८९८ | १,०६३ | १८,५६५ | ३,२९५ | २१,८५९ |
| १९९५-९६ | ३०,७५८ | ५,१४८ | १,५४४ | १,३४९ | ९६० | १,१६६ | २९२ | १,०७२ | १,२४८ | १७,९८० | ३,५२४ | २१,५०४ |
| २०००-०१ | ३०,७५८ | ५,१५० | १,५४४ | १,३६४ | ९५९ | १,१६८ | ३२७ | १,१२६ | १,२७६ | १७,८४४ | ३,७७५ | २१,६१९ |
| २००१-०२ | ३०,७५८ | ५,१५० | १,५४४ | १,३६८ | ९५९ | १,१६८ | ३२७ | १,७१७ | १,३०३ | १७,२२२ | ३,७६९ | २०,९९१ |
| २००२-०३ | ३०,७५८ | ५,१५० | १,५४४ | १,३७१ | ९५८ | १,१६८ | ३२८ | १,७३६ | १,३०८ | १७,१९५ | ३,७२० | २०,९१५ |
| २००३-०४ | ३०,७५८ | ५,२१४ | १,७२५ | १,३९० | ९१७ | १,२४९ | २५१ | १,३६४ | १,२१६ | १७,४३२ | ४,७५८ | २२,१९० |
| २००४-०५ | ३०,७५८ | ५,२१३ | १,७२६ | १,३९३ | ९१८ | १,२५१ | २४९ | १,३१६ | १,२०४ | १७,४९० | ४,८७८ | २२,३६८ |
| २००५-०६ | ३०,७५८ | ५,२१२ | १,७२० | १,४०७ | ९१४ | १,२५२ | २४९ | १,३२७ | १,२०४ | १७,४७३ | ५,०८३ | २२,५५६ |
| २००६-०७ | ३०,७५८ | ५,२१३ | १,७१९ | १,४१२ | ९१५ | १,२५२ | २४९ | १,३२४ | १,१९६ | १७,४७८ | ५,०७९ | २२,५५७ |
| २००७-०८ | ३०,७५८ | ५,२१३ | १,७१८ | १,४२७ | ९१६ | १,२४८ | २४८ | १,३२७ | १,१८८ | १७,४७३ | ५,१८२ | २२,६५५ |
| २००८-०९ | ३०,७५८ | ५,२१३ | १,७१८ | १,४३३ | ९१८ | १,२४६ | २४८ | १,३७२ | १,१८८ | १७,४२२ | ५,०३२ | २२,४५४ |
| २००९-१० | ३०,७५८ | ५,२१४ | १,७२९ | १,४४३ | ९१७ | १,२४२ | २५० | १,३७३ | १,१८९ | १७,४०१ | ५,२११ | २२,६१२ |
| २०१०-११ | ३०,७५८ | ५,२१६ | १,७३१ | १,४४९ | ९१९ | १,२४२ | २५० | १,३६६ | १,१७९ | १७,४०६ | ५,७६९ | २३,१७५ |

*आधार* - कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई

टीप - २००३-०४ ते २०१०-११ चे आकडे अस्थायी आहेत.

## परिशिष्ट ७.४
## कृषि गणनांनुसार राज्यातील एकूण वहिती खातेदार, वहितीचे एकूण क्षेत्र व सरासरी क्षेत्र

| अनु. क्र. | आकारवर्ग (हेक्टर) | वहिती खातेदारांची संख्या ('००) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | १९७०-७१ | १९८०-८१ | १९९०-९१ | १९९५-९६ | २०००-०१ | २००५-०६ | २०१०-११ |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) |
| १ | ०.५ पेक्षा कमी | ६,८३४ | ९,९१४ | १६,६७२ | २२,४०९ | २७,४६२ | ३१,६५८ | ३६,४५७ |
| २ | ०.५ - १.० | ५,५८५ | ९,३४५ | १६,०७५ | २०,२५२ | २५,५९५ | २९,५२५ | ३०,६३४ |
| ३ | १.० - २.० | ८,७८३ | १५,४०९ | २७,२७६ | ३१,७५५ | ३६,०५६ | ४१,५०३ | ४०,४९३ |
| ४ | २.० - ३.० | ६,२६६ | १०,२७५ | १३,९६९ | १४,७४५ | १५,७९१ | १७,०२० | १५,४५२ |
| ५ | ३.० - ४.० | ४,६०६ | ६,५८३ | ७,२८९ | ६,७७४ | ६,९४९ | ७,४९६ | ६,१२६ |
| ६ | ४.० - ५.० | ३,५७६ | ४,६०१ | ४,४६९ | ३,८७४ | ३,७८० | ४,०३७ | ३,१४१ |
| ७ | ५.० - १०.० | ८,७१५ | ९,३१६ | ७,२४१ | ५,५५८ | ४,८७३ | ५,२१४ | ३.९५९ |
| ८ | १०.० - २०.० | ४,१८० | २,८१९ | १,५३० | १,०२९ | ७७३ | ६२२ | ६०२ |
| ९ | २०.० व त्यापेक्षा अधिक | ९६१ | ३६३ | १७६ | १३२ | ९७ | ८१ | १२६ |
| | **एकूण** | **४९,५०६** | **६८,६२५** | **९४,६९७** | **१,०६,५२८** | **१,२१,३७६** | **१,३७,१५६** | **१,३६,९९०** |

| अनु. क्र. | आकारवर्ग (हेक्टर) | वहिती एकूण क्षेत्र ('०० हे.) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | १९७०-७१ | १९८०-८१ | १९९०-९१ | १९९५-९६ | २०००-०१ | २००५-०६ | २०१०-११ |
| (१) | (२) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) | (१४) | (१५) | (१६) |
| १ | ०.५ पेक्षा कमी | १,६३४ | २,६३० | ४,११९ | ५,७४६ | ७,३२८ | ७,७४० | ९,१८० |
| २ | ०.५ - १.० | ४,१४२ | ७,१०३ | १२,०५७ | १५,१२० | १९,१५९ | २०,२७४ | २२,६८१ |
| ३ | १.० - २.० | १२,८४२ | २३,३३७ | ३९,८३३ | ४६,०५९ | ५१,२७१ | ५२,४७६ | ५७,३४३ |
| ४ | २.० - ३.० | १५,३८६ | २५,३६३ | ३३,६८९ | ३५,४२० | ३७,४१४ | ३७,५४२ | ३६,६४७ |
| ५ | ३.० - ४.० | १५,९२० | २२,८१५ | २५,१०८ | २३,३०३ | २३,६७६ | २३,७५६ | २०,९६६ |
| ६ | ४.० - ५.० | १५,९६१ | २०,५५६ | १९,८६४ | १७,२१० | १६,७१७ | १६,७१७ | १३,८९१ |
| ७ | ५.० - १०.० | ६१,२१३ | ६३,९३७ | ४८,७०० | ३७,१५० | ३२,०८४ | ३२,१३५ | २५,९९३ |
| ८ | १०.० - २०.० | ५६,३०२ | ३७,२१३ | १९,७४९ | १३,५१४ | ९,९६१ | ६,७७६ | ७,५८२ |
| ९ | २०.० व त्यापेक्षा अधिक | २८,३९४ | १०,६६२ | ६,१२९ | ५,२७४ | ३,४१८ | २,६३४ | ३,३८७ |
| | **एकूण** | **२,११,७९४** | **२,१३,६१६** | **२,०९,२४८** | **१,९८,७९६** | **२,०१,०२८** | **२,००,०५०** | **१,९७,६७०** |

(पुढे चालू)

## परिशिष्ट ७.४ (समाप्त)

| अनु. क्र. | आकारवर्ग (हेक्टर) | वहिती सरासरी क्षेत्र (हे.) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | १९७०-७१ | १९८०-८१ | १९९०-९१ | १९९५-९६ | २०००-०१ | २००५-०६ | २०१०-११ |
| (१) | (२) | (१७) | (१८) | (१९) | (२०) | (२१) | (२२) | (२३) |
| १ | ०.५ पेक्षा कमी | ०.२४ | ०.२७ | ०.२५ | ०.२६ | ०.२७ | ०.२४ | ०.२५ |
| २ | ०.५ - १.० | ०.७४ | ०.७६ | ०.७५ | ०.७५ | ०.७५ | ०.६९ | ०.७४ |
| ३ | १.० - २.० | १.४६ | १.५१ | १.४६ | १.४५ | १.४२ | १.२६ | १.४२ |
| ४ | २.० - ३.० | २.४६ | २.४७ | २.४१ | २.४० | २.३७ | २.२१ | २.३७ |
| ५ | ३.० - ४.० | ३.४६ | ३.४७ | ३.४४ | ३.४४ | ३.४१ | ३.१७ | ३.४२ |
| ६ | ४.० - ५.० | ४.४६ | ४.४७ | ४.४४ | ४.४४ | ४.४२ | ४.१४ | ४.४२ |
| ७ | ५.० - १०.० | ७.०२ | ६.८६ | ६.७३ | ६.६८ | ६.५८ | ६.१६ | ६.५७ |
| ८ | १०.० - २०.० | १३.४७ | १३.२० | १२.९१ | १३.१३ | १२.८९ | १०.८९ | १२.५९ |
| ९ | २०.० व त्यापेक्षा अधिक | २९.५५ | २९.३७ | ३४.८२ | ३९.९५ | ३५.२४ | ३२.५२ | २६.८८ |
| | **एकूण** | **४.२८** | **३.११** | **२.२१** | **१.८७** | **१.६६** | **१.४६** | **१.४४** |

*आधार -* कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

## परिशिष्ट ७.५
## राज्यातील सिंचनाखालील क्षेत्र

('००० हे.)

| अ. क्र. | वर्ष | सिंचित क्षेत्र | | | | ओलिताखालील पिकांची सघनता | सिंचन विहिरींची संख्या (हजारात) | दर विहिरीमागे सिंचित निव्वळ क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) | पिकांखालील एकूण क्षेत्र | स्थूल सिंचित क्षेत्राची पिकांखालील स्थूल क्षेत्राशी टक्केवारी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | विहिरी | इतर साधने | निव्वळ क्षेत्र | एकूण क्षेत्र | | | | | |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) |
| १ | १९६०-६१ | ५९५ | ४७७ | १,०७२ | १,२२० | ११४ | ५४२ | १.१० | १८,८२३ | ६.५ |
| २ | १९७०-७१ | ७६८ | ५७९ | १,३४७ | १,५७० | ११७ | ६९४ | १.११ | १८,७३७ | ८.४ |
| ३ | १९८०-८१ | १,०५५ | ७८० | १,८३५ | २,४१५ | १३२ | ८२६ | १.२८ | १९,६४२ | १२.३ |
| ४ | १९९०-९१ | १,६७२ | ९९९ | २,६७१ | ३,३१९ | १२४ | १,०१७ | १.६४ | २१,८५९ | १५.२ |
| ५ | १९९५-९६ | १,८७० | १,०१० | २,८८० | ३,५५० | १२३ | १,२२९ | १.५२ | २१,५०४ | १६.५ |
| ६ | २०००-०१ | २,२६२ | ९८७ | ३,२४९ | ३,८५२ | ११९ | १,३१८ | १.७२ | २१,६१९ | १७.८ |
| ७ | २००१-०२ | २,१४६ | ९९० | ३,१३६ | ३,७२७ | ११९ | १,३२२ | १.५२ | २०,९९१ | १७.८ |
| ८ | २००२-०३ | २,१४५ | १,०७१ | ३,२१६ | ३,८०६ | ११८ | १,३३१ | १.६१ | २०,९१५ | १८.२ |
| ९ | २००३-०४ | १,९१४ | १,०३० | २,९४४ | ३,६३६ | १२३ | उ.ना. | उ.ना. | २२,१९० | १६.४ |
| १० | २००४-०५ | १,९९२ | १,००१ | २,९९३ | ३,६६५ | १२५ | उ.ना. | उ.ना. | २२,३७६ | १६.४ |
| ११ | २००५-०६ | २,०७७ | १,०७० | ३,१४७ | ३,८१० | ११८ | उ.ना. | उ.ना. | २२,५५६ | १६.९ |
| १२ | २००६-०७ | २,१०९ | १,१३७ | ३,२४६ | ३,९५८ | १२२ | उ.ना. | उ.ना. | २२,५५७ | १७.६ |
| १३ | २००७-०८ | २,१५१ | १,१६० | ३,३११ | ४,०३७ | १२२ | उ.ना. | उ.ना. | २२,६५५ | १७.८ |
| १४ | २००८-०९ | २,११५ | १,१४० | ३,२५५ | ३,९७० | १२२ | उ.ना. | उ.ना. | २२,४५४ | १७.७ |
| १५ | २००९-१० | २,१५९ | १,१६२ | ३,३२१ | ४,०५० | १२२ | उ.ना. | उ.ना. | २२,६१२ | १७.९ |
| १६ | २०१०-११ | उ.ना. | उ.ना. | उ.ना. | उ.ना. | उ.ना. | उ.ना. | उ.ना. | २३,१७५ | उ.ना. |

*आधार* - कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई

उ.ना. - उपलब्ध नाही.

टीप - (१) आकडे संक्षिप्तात दिल्याने बेरजा जुळतीलच असे नाही.

(२) स्तंभ क्र.७ मध्ये (स्तंभ क्र.६ ÷ स्तंभ क्र.५) x १०० हे सूत्र वापरून सघनता काढली आहे.

(३) २००३ -०४ ते २०१०-११ चे आकडे अस्थायी आहेत.

## परिशिष्ट ७.६

## सिंचन व बिगर सिंचन पाणीपट्टी आकारणी, वसुली व थकबाकी

(₹ कोटी)

| वर्ष | पाणीपट्टी आकारणी | | | वसुली | | | वर्ष अखेर शिल्लक थकबाकी | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सिंचन | बिगर सिंचन | एकूण | सिंचन | बिगर सिंचन | एकूण | सिंचन | बिगर सिंचन | एकूण |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) |
| २०००-०१ | ७४.४८ | ३६२.६० | ४३७.०८ | ४१.२३ | १५३.९९ | १९५.२२ | २२३.३९ | ५७१.३० | ७९४.६९ |
| २००१-०२ | ८४.७२ | ३६८.८३ | ४५३.५५ | ४३.५७ | २०८.१२ | २५१.६९ | २६४.५४ | ७३२.०१ | ९९६.५५ |
| २००२-०३ | ८३.१७ | ३६०.६८ | ४४३.८५ | ४२.०२ | ३३५.५० | ३७७.५२ | ३०३.७९ | ७५१.९९ | १,०५५.७८ |
| २००३-०४ | ९३.०३ | ३६०.२६ | ४५३.२९ | ४२.८९ | ३३५.२० | ३७८.०९ | ३७६.६३ | ३५३.०६ | ७२९.६९ |
| २००४-०५ | ७८.६९ | ४१८.४४ | ४९७.१३ | ४५.७८ | ४०२.५७ | ४४८.३५ | ४१५.५९ | ३७८.५९ | ७९४.१८ |
| २००५-०६ | ६८.२५ | ३५०.२८ | ४१८.५३ | ६४.०३ | ३४९.४५ | ४१३.४८ | ४१०.१८ | २८२.०९ | ६९२.२७ |
| २००६-०७ | ९०.७० | ४०८.७५ | ४९९.४५ | ७४.७२ | ४२०.२६ | ४९४.९८ | ४२७.०१ | २४५.८२ | ६७२.८२ |
| २००७-०८ | ११०.३५ | ५६३.८९ | ६७४.२४ | ७०.४७ | ५५६.५४ | ६२७.०१ | ४७३.७० | २७५.२० | ७४८.९० |
| २००८-०९ | ११२.९५ | ६९५.३७ | ८०८.३२ | ७१.०५ | ६०२.११ | ६७३.१६ | ५३१.१० | ४६६.३८ | १,००४.६१ |
| २००९-१० | ९५.०० | ७१५.११ | ८१०.११ | ६९.९४ | ७३२.६९ | ८०२.६३ | ५६१.७७ | ४६६.३८ | १,०२८.१५ |
| २०१०-११ | ९६.२४ | ६७०.४६ | ७६६.७० | ७९.०३ | ६६६.८७ | ७४५.९० | ७४५.९० | ४६८.६२ | १,०४७.९० |
| २०११-१२ | १०९.७३ | ५४१.०६ | ६५०.७९ | ७९.१३ | ५४१.१३ | ६२०.२६ | ६०८.८७ | ४६१.७४ | १,०७०.६१ |

आधार - जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई

# परिशिष्ट ७.७
# महाराष्ट्र राज्यातील पशुधन आणि कोंबड्या व बदके

(हजारात)

| अनु. क्रमांक | वर्ष | गाई-बैल | म्हशी-रेडे | मेंढ्या व शेळ्या | इतर पशुधन+ | एकूण पशुधन | दर शंभर हेक्टर चराई क्षेत्रामागे शेळ्या, मेंढ्या (संख्या) | पिकांखालील दर शंभर हेक्टर निव्वळ क्षेत्रामागे पशुधन (संख्या) | दर लाख लोकसंख्ये-मागे पशुधन | एकूण कोंबड्या व बदके |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) |
| १ | १९६१ | १५,३२८ | ३,०८७ | ७,२७३ | ३६० | २६,०४८ | ५१२ | १४४ | ६६ | १०,५७८ |
| २ | १९६६ | १४,७२९ | ३,०४२ | ७,३२६ | ३५२ | २५,४४९ | ५२२ | १४० | ५७ | ९,९०२ |
| ३ | १९७२ | १४,७०५ | ३,३०१ | ८,०३८ | ३१७ | २६,३६१ | ४९१ | १६४ | ५२ | १२,२१७ |
| ४ | १९७८ | १५,२१८ | ३,८९९ | १०,१९९ | ३२६ | २९,६४२ | ६५० | १६२ | ५१ | १८,७९१ |
| ५ | १९८२ | १६,१६२ | ३,९७२ | १०,३७६ | ४०९ | ३०,९१९ | ६७३ | १७५ | ४८ | १९,८४५ |
| ६ | १९८७ | १६,९८३ | ४,७५५ | १२,०६८ | ४४९ | ३४,२५५ | ९५० | १८९ | ४८ | २४,८३९ |
| ७ | १९९२ | १७,४४१ | ५,४४७ | १३,०१६ | ४८९ | ३६,३९३ | ९४० | २०२ | ४५ | ३२,१८७ |
| ८ | १९९७ | १८,०७१ | ६,०७३ | १४,८०२ | ६९२ | ३९,६३८ | १,१०४ | २२३ | ५० | ३५,३९२ |
| ९ | २००३ | १६,७३८ | ६,०८४ | १३,६२४ | ६१२ | ३७,०५८ | १,०१६ | २१३ | ३९ | ३४,५९६ |
| १० | २००७* | १६,१८४ | ६,०७३ | १३,३०१ | ३९७ | ३५,९५५ | १,०६४ | २०६ | ३७ | ६४,७५६ |

*आधार* - पशुधन गणना

टीप - * अस्थायी

+इतर पशुधन या बाबीमध्ये डुकरे, घोडे व शिंगरे, खेचरे, उंट, गाढवे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

# ८

# उद्योग आणि सहकार

# ८. उद्योग आणि सहकार

## उद्योग

८.१ भारतातील औद्योगिक क्षेत्रामध्ये राज्याने आपले आघाडीचे स्थान कायम राखले आहे. राज्याच्या आर्थिक विकासामध्ये बळकट औद्योगिक क्षेत्र महत्वाचा आधारस्तंभ राहीले आहे. राज्याचे औद्योगिक धोरण स्थिर राहीले नसून, कालानुरुप त्यामध्ये अनेक बदल झाले आहेत. जागतिकीकरण, उदारीकरण व खाजगीकरण यामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी राज्याने १९९३ मध्ये पहिले औद्योगिक धोरण स्विकारले आणि तदनंतर १९९५, २००१ व २००६ मध्ये धोरणात सुधारणा केल्या व नुकतेच नवीन औद्योगिक धोरण २०१३ जाहिर केले. पूर्णत: सार्वजनिक क्षेत्राच्या प्रभुत्वाखाली असलेली क्षेत्रे खाजगी क्षेत्रासाठी खुली केली, विदेशी थेट गुंतवणुक वाढीसाठी मानके शिथिल केली, माहिती तंत्रज्ञान, जैव तंत्रज्ञान, विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि विशाल प्रकल्प, द्राक्ष प्रक्रिया इ. बाबतच्या अनुकूल धोरणांचा परिणाम राज्यातील औद्योगिक क्षेत्राचा विकास आणखी वाढण्यामध्ये झाला आहे. चांगल्या दर्जाच्या विकसित पायाभूत सुविधा, विपुल नैसर्गिक साधनसंपत्ती, सर्व महत्वाच्या प्रदेशांशी दळणवळण सुविधा, कुशल मनुष्यबळ व चांगल्या दर्जाच्या शैक्षणिक सुविधा यांनी नविन उद्योग स्थापित करण्यासाठी महाराष्ट्रास आदर्श ठिकाण बनविले आहे. मुंबई, ठाणे आणि पुणे याशिवाय नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर आणि कोल्हापूर यासारख्या दुय्यम स्तरावरील शहरांचा औद्योगिक केंद्रे म्हणून झालेल्या उदयामुळे राज्याच्या औद्योगिक वाढीमध्ये उल्लेखनीय वाढ झाली आहे.

## महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकासाची ठळक वैशिष्टये

### औद्योगिक गुंतवणूक

८.२ राज्याने जास्तीत जास्त रोजगार निर्मितीची क्षमता असलेले सर्वात जास्त प्रस्ताव प्राप्त केले आहेत. ऑगस्ट, १९९१ ते नोव्हेंबर, २०१२ या कालावधीत एकूण ₹ ९,५५,३२९ कोटी गुंतवणुकीच्या १७,८६६ औद्योगिक प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी ₹ १,७८,४८३ कोटी गुंतवणुकीचे (१८.६ टक्के) ७,७०६ प्रकल्प (४३.१ टक्के) कार्यान्वित झाले असून त्यामधुन ९.५ लाख रोजगार निर्मिती झाली आहे, तर ₹ ७८,८०४ कोटी गुंतवणुकीच्या २,०५७ प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरु असून त्यामधुन २.९ लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. गुंतवणुकीसाठी देशामध्ये प्राप्त झालेले एकूण औद्योगिक प्रस्ताव, गुंतवणूक आणि रोजगार यामध्ये राज्याचा अनुक्रमे १८, १० आणि २० टक्के वाटा आहे. निवडक राज्यातील औद्योगिक मंजुर प्रस्तावांची माहिती तक्ता ८.१ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ८.१ निवडक राज्यातील आवेदन पत्रे/इरादा पत्रे/१०० टक्के निर्यातभिमुख मंजूर औद्योगिक प्रस्ताव**

(ऑगस्ट, १९९१ ते सप्टेंबर, २०१२)

| | **महाराष्ट्र** | गुजरात | तामिळनाडू | आंध्र प्रदेश | उत्तर प्रदेश | **अखिल भारत** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रस्ताव (संख्या) | **१७,७७९** | ११,७५९ | ९,००१ | ८,०३२ | ७,७०२ | ९९,१४७ |
| | **( १७.९ )** | ( ११.९ ) | ( ९.१ ) | ( ८.१ ) | ( ७.८ ) | |
| गुंतवणूक (₹ कोटी) | **९,५०,९७२** | ११,५३,२८७ | ४,६७,१३१ | ८,९५,३०८ | २,८७,२७७ | ९८,८६,४८४ |
| | **( ९.६ )** | ( ११.७ ) | ( ४.७ ) | ( ९.१ ) | ( २.९ ) | |
| रोजगार (लाख) | **४४.४** | २१.६ | २४.६ | १४.९ | २०.० | २२४.५ |
| | **( १९.८ )** | ( ९.६ ) | ( १०.८ ) | ( ६.६ ) | ( ८.८ ) | |

*आधार*: उद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

टीप : कंसातील आकडे एकूण भारताशी टक्केवारी दर्शवितात

## थेट विदेशी गुंतवणूक

८.३ ऑगस्ट, १९९१ ते मार्च, २०१२ या कालावधीत राज्यात थेट विदेशी गुंतवणूकीच्या ४,२४६ प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली व त्यातील गुंतवणूक ₹ ९७,७९९ कोटी आहे. त्यापैकी ४५ टक्के प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून १० टक्के प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे व त्यातील गुंतवणूक अनुक्रमे ५१ टक्के व ८ टक्के आहे. सन २०११-१२ मध्ये ₹ ५,४५४ कोटी गुंतवणूकीच्या १०५ प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्राच्या औद्योगिक क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक करणा-या देशांमध्ये अमेरिका आणि मॉरिशस हे प्रमुख दोन देश असून या देशांचा एकूण थेट विदेशी गुंतवणूकीत अनुक्रमे १४ व १३ टक्के वाटा आहे. थेट विदेशी गुंतवणूकीबाबत महाराष्ट्र व अखिल भारतातील मंजूर प्रकल्पांची माहिती तक्ता ८.२ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ८.२ थेट विदेशी गुंतवणूक**

(ऑगस्ट, १९९१ ते मार्च, २०१२)

| राज्य | प्रकल्प (संख्या) | अखिल भारताशी टक्केवारी | गुंतवणूक (₹ कोटी) | अखिल भारताशी टक्केवारी |
|---|---|---|---|---|
| **महाराष्ट्र** | **४,२४६** | **२०.६** | **९७,७९९** | **२२.९** |
| **अखिल भारत** | **२०,६४३** | -- | **४,२५,८११** | -- |

*आधार* : उद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

८.४ राज्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान व वित्तीय सेवा ह्या उद्योग गटांनी मोठया प्रमाणात थेट विदेशी गुंतवणूक प्राप्त करण्यात सातत्य राखले आहे. ऑगस्ट, १९९१ ते मार्च, २०१२ पर्यन्त उद्योग गटनिहाय थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या मंजूर प्रकल्पांची माहिती तक्ता ८.३ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ८.३ उद्योग गटनिहाय मंजूर विदेशी थेट गुंतवणुकीचे प्रस्ताव**

(ऑगस्ट, १९९१ ते मार्च, २०१२)

| उद्योग गट | प्रकल्प (संख्या) | गुंतवणूक (₹ कोटी) |
|---|---|---|
| माहिती तंत्रज्ञान | ७६२ | १२,७६५ |
| वित्तीय सेवा | ६६७ | ११,८५८ |
| हॉटेल आणि पर्यटन उद्योग | ९५ | ६,३२६ |
| व्यवसाय व्यवस्थापन सल्ला | ३६९ | ४,९६२ |
| परिवहन | १०८ | ४,१२४ |
| सिमेंट आणि सिरॅमिक्स | ५८ | ३,७२७ |
| उर्जा व इंधन | ३९ | २,८४१ |
| रसायने व खते | १९७ | २,६६६ |
| विद्युत सामुग्री आणि इलेक्ट्रॉनिक्स | २१२ | १,४६७ |
| कागद व कागदाचा लगदा | ३१ | १,३२३ |
| वस्त्रोद्योग | १२२ | १,०५१ |
| अन्नप्रक्रिया | १७३ | १,०३९ |
| औषधे व औषधी द्रव्ये | १२१ | १,०१२ |
| मोटार वाहने | ११२ | ८९५ |
| दूरसंचार उद्योग | ५१ | ८७६ |
| औद्योगिक यंत्रसामुग्री | २६१ | ७७१ |
| प्लॅस्टिक आणि रबर वस्तू | २७ | ७६७ |
| यंत्रसामुग्री / औद्योगिक उपकरणे | ८९ | ७१७ |
| रत्ने व आभुषणे आणि काच उद्योग | ५८ | ६३१ |
| इतर | ६९४ | ३७,९८१ |
| **एकूण** | **४,२४६** | **९७,७९९** |

*आधार* : उद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

## महाराष्ट्रातून निर्यात

८.५ राज्यातून मुख्यत्त्वे रत्ने व आभूषणे, सॉफ्टवेअर, वस्त्र, तयार कपडे, सुती धागे, धातू व धातू उत्पादने, शेतमालावर आधारित उत्पादने, अभियांत्रिकी उपकरणे, औषधे व औषधी द्रव्ये आणि प्लास्टिक व प्लास्टिकच्या वस्तू यांची निर्यात होते. निर्यातदारांनी केलेल्या प्रयत्नांची दखल घेऊन राज्यातील निर्यात वाढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी 'निर्यातदारांना निर्यात कामगिरीबाबत पुरस्कार' देणे, आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात सहभागी होणा-या लघु उद्योग घटकांना भुई भाडे अनुदान देणे याबाबत शासन पुढाकार घेत आहे. भारतामधुन झालेल्या एकूण निर्यातीमध्ये २००७-०८ पासून राज्याचा वाटा २७ टक्के इतका राहीला आहे. राज्यातून आणि भारतातून झालेली निर्यात तक्ता ८.४ मध्ये दर्शविली आहे.

**तक्ता ८.४ महाराष्ट्र आणि भारतातून निर्यात**

(₹ कोटी)

| वर्ष | महाराष्ट्र | भारत |
|---|---|---|
| २००७-०८ | १,७२,८४६ | ६,४०,१७२ |
| २००८-०९ | २,२६,७९४ | ८,३९,९७८ |
| २००९-१० | २,२८,१८४ | ८,४५,१२५ |
| २०१०-११ | ३,०८,५१५ | ११,४२,६४९ |
| २०११-१२ | ३,९४,००५ | १४,५९,२८० |
| २०१२-१३ + | १,७४,०११ | ६,४४,४८६ |

*आधार* : उद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र शासन + ऑगस्ट पर्यंत

## उद्योगांना वित्तीय सहाय्य

८.६ सिकॉम लि., महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ सारख्या राज्यस्तरीय वित्तीय संस्था आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, भारतीय साधारण विमा महामंडळ, आयएफसीआय लि., भारतीय लघु उद्योग विकास बँक यासारख्या केंद्रस्तरीय वित्तीय संस्थांद्वारे राज्यातील उद्योगांना वित्तीय सहाय्य पुरविले जाते. याबाबतची माहिती परिशिष्ट ८.१ मध्ये दिली आहे.

## विशेष आर्थिक क्षेत्रे

८.७ आर्थिक वाढीस चालना मिळण्यासाठी राज्याने फेब्रुवारी, २००६ पासून विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) धोरण स्विकारले आहे. नोव्हेंबर, २०१२ पर्यन्त राज्यात २३४ विशेष आर्थिक क्षेत्राबाबत प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. या प्राप्त प्रस्तावांपैकी १२४ प्रस्तावांना केंद्र शासनाकडून मान्यता (१०४ औपचारिकरित्या व २० तत्वत:) देण्यात आली असून त्यापैकी ६४ प्रस्ताव अधिसूचित झाले आहेत. राज्यामध्ये ३१ डिसेंबर, २०१२ रोजी ₹ १०,८३६ कोटी गुंतवणूकीच्या १७ विशेष आर्थिक क्षेत्रांची अंमलबजावणी २,४२१ हेक्टर क्षेत्रावर झाली असून त्यामधुन जवळपास ८.५० लाख रोजगार निर्मिती झाली आहे. राज्यातील विभागनिहाय मंजूर तसेच अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रांची माहिती तक्ता ८.५ मध्ये देण्यात आली आहे.

**तक्ता ८.५ मंजूर व अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रे**

(नोव्हेंबर, २०१२ पर्यंत)

| विभाग | विशेष आर्थिक क्षेत्रांची संख्या | | | क्षेत्र (हेक्टर) | | | प्रस्तावित रोजगार (लाख) | | | प्रस्तावित गुंतवणूक (₹ कोटी ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मंजूर | अधिसूचित | कार्यान्वित | मंजूर | अधिसूचित | कार्यान्वित | मंजूर | अधिसूचित | कार्यान्वित | मंजूर | अधिसूचित | कार्यान्वित |
| कोंकण | ६० | २७ | ३ | १५,४३२ | २,४०७ | १९२ | ३५.५६ | ९.४५ | १.३४ | ८२,८१४ | ३२,३९५ | २,५१७ |
| पुणे | ३७ | २१ | ११ | ५,११७ | २,६१९ | ४१२ | १०.८१ | ६.१७ | ३.५० | ४२,८४३ | ३४,९८० | ५,१६८ |
| नाशिक | ६ | १ | ० | १,४२८ | १,१५९ | ० | २.१२ | १.२५ | ० | २,८८२ | १,३८० | ० |
| औरंगाबाद | ११ | ७ | १ | ३,३९६ | ७८६ | ११८ | १.३७ | ०.३१ | ०.०५ | ३,६५५ | १,७७५ | २४० |
| अमरावती | २ | २ | ० | १,११० | १,११० | ० | ०.३५ | ०.३५ | ० | २,३६० | २,३६० | ० |
| नागपूर | ८ | ६ | २ | ३,२०६ | २,०९६ | १,६९९ | ५.५१ | ३.९७ | ३.६१ | ९,२३५ | ४,५८८ | २,९११ |
| **एकूण** | **१२४** | **६४** | **१७** | **२९,६८९** | **१०,१७७** | **२,४२१** | **५५.७२** | **२१.५०** | **८.५०** | **१,४३,७८९** | **७७,४७८** | **१०,८३६** |

*आधार* : उद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

## माहिती तंत्रज्ञान संकुले

८.८ महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (मऔविम) व सिडकोने ३७ माहिती तंत्रज्ञान संकुले विकसित केली आहेत. खाजगी क्षेत्राला सहभागी करुन माहिती तंत्रज्ञान उद्योगासाठी जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यारिता ४७९ खाजगी माहिती तंत्रज्ञान संकुले मंजुर केली असून त्यापैकी १२२ कार्यरत झाली आहेत व त्यामधील गुंतवणूक ₹ २,७१२ कोटी इतकी आहे व त्यामधून सुमारे ३.२ लाख रोजगार निर्माण झाला आहे. उर्वरीत ३५७ माहिती तंत्रज्ञान संकुलांना इरादापत्रे दिली असून त्याद्वारे ₹ ११,९९४ कोटीची गुंतवणूक व १६.० लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होणे अपेक्षित आहे. खाजगी माहिती तंत्रज्ञान संकुले बृहन्मुंबई (१७६), या पाठोपाठ पुणे (१६८) व ठाणे (१२५) या जिल्हयांमध्ये केंद्रित झाली आहेत. सन २०११-१२ मध्ये ३१ खाजगी तंत्रज्ञान संकूले मंजूर करण्यात आली आहेत.

## जैव-तंत्रज्ञान संकुले

८.९ राज्याने २००१ मध्ये जैव-तंत्रज्ञान धोरण जाहीर केले आणि राज्यात मऔविम परिसरात, जालना आणि हिंजेवाडी (पुणे) येथे सार्वजनिक क्षेत्रातील जैव-तंत्रज्ञान संकुले विकसित करण्यात आली आहेत. ₹ ३०५ कोटी गुंतवणुकीची पाच खाजगी जैव-तंत्रज्ञान संकुले विकसित करण्यात येत आहेत. राज्यामध्ये आठ सार्वजनिक क्षेत्रातील जैव-तंत्रज्ञानाची विशेष आर्थिक क्षेत्रे प्रस्तावित असून त्याद्वारे अंदाजे ₹ ४,००९ कोटीची गुंतवणूक व सुमारे ०.९४ लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. नोंदणीकृत जैव-तंत्रज्ञान संकुलांची माहिती तक्ता ८.६ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ८.६ नोंदणीकृत जैव-तंत्रज्ञान घटक**

( नोव्हेंबर, २०१२ पर्यंत)

| जैव तंत्रज्ञान घटक | एकूण घटक | | गुंतवणुक (₹ कोटी) | | रोजगार | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | नोंदणीकृत | इरादा पत्रे | नोंदणीकृत | इरादा पत्रे | नोंदणीकृत | इरादा पत्रे |
| सूक्ष्म, लघु व मध्यम | ५० | १५ | २६१.०० | १७९.५४ | ८७२ | ३३८ |
| मोठे | १६ | ७ | १,११९.८६ | ५३१.२० | ७१२ | ९३१ |

*आधार*: उद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

## सहकारी औद्योगिक वसाहती

८.१० मऔविम क्षेत्राव्यतिरिक्त औद्योगिक वसाहती सहकारी तत्वावर विकसित करण्याचा कार्यक्रम राज्य शासनाने हाती घेतला आहे. उद्योग स्थापित करण्यासाठी भाग भांडवलातील हिस्सा व तांत्रिक सल्ला शासनाकडून देण्यात येतो. सहकारी औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्यासाठी राज्य शासन एकूण प्रकल्प खर्चाच्या २० टक्के इतके भांडवल देते व वित्तीय संस्थांच्याकडून कर्ज घेण्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ६० टक्के रकमेची शासन हमी देते आणि उर्वरित २० टक्के रक्कम उद्योग स्थापन करणाऱ्या सभासदांना भाग भांडवल म्हणून जमा करावी लागते. ३१ डिसेंबर, २०१२ अखेर एकूण १४२ सहकारी औद्योगिक वसाहतींना मंजूरी दिली असून त्यापैकी १०१ वसाहती कार्यरत असून, ३४ वसाहती अद्याप कार्यान्वित व्हावयाच्या आहेत आणि उर्वरीत ७ अवसायनात गेल्या आहेत. शासनाने ९२ सहकारी वसाहतीना अर्थसहाय्य पुरविले आहे. डिसेंबर,२०१२ अखेर एकूण ७,२२२ घटक कार्यरत असून त्यामधील रोजगार १.३७ लाख आहे. राज्यातील सहकारी औद्योगिक वसाहतींची स्थिती तक्ता ८.७ मध्ये देण्यात आली आहे.

**तक्ता ८.७ राज्यातील सहकारी औद्योगिक वसाहतींची स्थिती**

(३१ डिसेंबर, २०१२ रोजी)

| विभाग | नोंदणीकृत | कार्यरत | कार्यरत उद्योग घटक | भाग भांडवल (₹ कोटी) | रोजगार |
|---|---|---|---|---|---|
| मुंबई | ४ | ३ | १,२४८ | नगण्य | १७,२३० |
| कोंकण (मुंबई वगळून) | १४ | १२ | ५१० | १.०१ | ११,१५५ |
| नाशिक | ३३ | २८ | १,४५५ | ४.९२ | ४२,२९५ |
| पुणे | ४५ | ३८ | ३,१५० | ७.८४ | ५७,१५० |
| औरंगाबाद | २६ | १३ | ४६२ | १.०३ | ५,२६० |
| अमरावती | १० | ३ | ९२ | ०.२३ | ६७७ |
| नागपूर | १० | ४ | ३०५ | ०.९७ | ३,३१५ |
| **एकूण** | **१४२** | **१०१** | **७,२२२** | **१६.००** | **१,३७,०८२** |

*आधार*: उद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

## सूक्ष्म, लघु, मध्यम व मोठे उपक्रम

८.११ वस्तुनिर्माण आणि सेवा पुरविणाऱ्या उपक्रमांपैकी वस्तुनिर्माण उपक्रमांचे त्यांच्या यंत्रसामग्रीतील गुंतवणुकीच्या आधारे व सेवा पुरविणाऱ्या उपक्रमांचे साधनसामग्रीच्या मूल्याच्या आधारे सूक्ष्म, लघु, मध्यम व मोठे उपक्रम असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम आणि मोठ्या उपक्रमांची माहिती तक्ता ८.८ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ८.८ सूक्ष्म, लघु , मध्यम आणि मोठ्या उपक्रमांची माहिती**

| विभाग | ३१ जानेवारी, २०१३ रोजी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम | ३१ जानेवारी, २०१३ रोजी रोजगार (लाख) | ३१ डिसेंबर, २०११ रोजी मोठे उपक्रम | ३१ डिसेंबर, २०११ रोजी रोजगार (लाख) |
|---|---|---|---|---|
| मुंबई | १५,५६५ | २.४७ | ३११ | ०.४७ |
| | (९.५) | (११.७) | (६.३) | (४.२) |
| कोकण (मुंबई वगळून) | २५,६२५ | ३.९१ | १,२२२ | २.४५ |
| | (१५.७) | (१८.३) | (२४.९) | (२१.८) |
| नाशिक | १९,९११ | २.५० | ६६५ | १.५२ |
| | (१२.२) | (१२.०) | (१३.५) | (१३.५) |
| पुणे | ६८,०८० | ७.८६ | १,४९० | ४.०७ |
| | (४१.६) | (३७.७) | (३०.३) | (३६.२) |
| औरंगाबाद | ११,१७४ | १.३६ | ५३८ | १.११ |
| | (६.८) | (६.५) | (११.०) | (९.९) |
| अमरावती | ७,७१० | ०.८९ | १४८ | ०.३२ |
| | (४.७) | (४.३) | (३.०) | (२.८) |
| नागपूर | १५,५०१ | १.९७ | ५४१ | १.३१ |
| | (९.५) | (९.४) | (११.०) | (११.६) |
| **एकूण** | **१,६३,५६६** | **२०.९७** | **४,९१५** | **११.२५** |
| | **(१००.०)** | **(१००.०)** | **(१००.०)** | **(१००.०)** |

*आधार* : उद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र शासन.

*टीप - कंसातील आकडे एकूणशी टक्केवारी दर्शवितात*

## उद्योगांना दिलेले अनुदान व परतावे

८.१२ औद्योगिक धोरण २००६ च्या अंमलबजावणीपासुन लघु व मध्यम आणि मोठया व विशाल उद्योग उपक्रमांना ₹ ४,०३९ कोटी औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, ₹ ४१.१८ कोटी जकात कर व स्वामित्व धन परतावा आणि ₹ २.७१ कोटी व्याज अनुदान देण्यात आले आहे. अनुदान व परतावे याबाबतची माहिती तक्ता ८.९ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ८.९ उद्योगांना दिलेले अनुदान व परतावे**

(५ डिसेंबर, २०१२ पर्यंत)

| बाब | घटक (संख्या) | | सवलत रक्कम (₹ कोटी) | |
|---|---|---|---|---|
| | मोठे व विशाल उद्योग | लघु व मध्यम उद्योग | मोठे व विशाल उद्योग | लघु व मध्यम उद्योग |
| औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान | १०७ | ३०६ | ३,९७२.८६ | ६६.२२ |
| जकात कर व स्वामित्व धन परतावा | ८ | ६९ | २४.०२ | १७.१६ |
| पाच टक्के व्याज अनुदान | - | ४५ | - | २.७१ |
| **एकूण** | ११५ | ४२० | ३,९९६.८८ | ८६.०९ |

*आधार* : उद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

## सामुहिक प्रोत्साहन योजना

८.१३ औद्योगिकदृष्टया कमी विकसित भागात उद्योगांच्या प्रसारास उत्तेजन देऊन या भागात नविन / विस्तारीत उद्योग घटक स्थापन करण्यासाठी राज्य शासन प्रोत्साहन पॅकेज देत आहे. राज्याच्या खाजगी क्षेत्रातील, सार्वजनिक / संयुक्त सहकारी क्षेत्रातील परंतु केंद्रिय सार्वजनिक क्षेत्रातील घटक वगळून पात्र घटक 'सामुहिक प्रोत्साहन योजना' अंतर्गत प्रोत्साहन देण्यासाठी विचारात घेतले जातात. या योजनेअंतर्गत २०११-१२ मध्ये ५,३९५ घटकांनी मागणी केली आणि त्यांना ₹ २,३६६ कोटी वितरीत करण्यात आले. २०१२-१३ मध्ये ५ डिसेंबर, २०१२ पर्यंत एकूण प्राप्त २,०१० घटकांना ₹ १,१०० कोटी वितरीत करण्यात आले. विशाल, मोठया व लघु उद्योग घटकांना योजनेअंतर्गत वितरीत केलेला निधी तक्ता ८.१० मध्ये दिला आहे.

**तक्ता ८.१० सामुहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत वितरीत अनुदान**

(₹ कोटी)

| प्रकल्प / उद्योग प्रकार | २०११-१२ | | २०१२-१३ + | |
|---|---|---|---|---|
| | मागणी (संख्या) | रक्कम | मागणी (संख्या) | रक्कम |
| विशाल | ८२ | २,०९८.१२ | ५६ | ९५१.४२ |
| मोठे | ३७ | ३५.८८ | ५१ | ४९.७५ |
| मोठे (इतर प्रोत्साहने) | ३८ | २९.१६ | १४ | २.१३ |
| लघु उद्योग (सर्व प्रकारची प्रोत्साहने) | ५,२३८ | २०२.८४ | १,८८९ | ९७.०९ |
| **एकूण** | **५,३९५** | **२,३६६.००** | **२,०१०** | **१,१००.३९** |

*आधार* : उद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र शासन. + ५ डिसेंबर पर्यंत

## औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम

८.१४ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटकांची उत्पादकता व स्पर्धा क्षमता उंचावण्यासाठी केंद्र शासनाने विकासाची क्षमता असलेल्या समूहांच्या विकासासाठी मार्च, २००६ मध्ये योजना जाहीर केली असून त्यामध्ये उपलब्ध साधनसंपत्तीचा वापर प्रभावीपणे करुन मध्यम ते दीर्घ कालावधीमध्ये सातत्यपूर्ण विकास साधण्यावर भर दिला आहे.

८.१५ सूक्ष्म, लघु उपक्रमांसाठी - औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम : महाराष्ट्रामध्ये येवला येथे पैठणी साडी, रत्नागिरी येथे आंबा प्रक्रिया, कोल्हापूर येथे कोल्हापूरी चप्पल, सोलापूर येथे वस्त्र प्रावरणे यांचे समूह आहेत. राज्याने टेक्सटाईल, ॲटो, इंजिनिअरिंग, अन्न आणि फळ प्रक्रिया, हस्त कौशल्य इत्यादीवर आधारित उत्पादने या क्षेत्रामधील ५४ प्रस्ताव निश्चित करुन केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी शिफारस केले आहेत. या प्रकल्पांपैकी ३२ प्रस्तावांना केंद्र शासनाने प्राथमिक मंजुरी तर नऊ प्रकल्पांना अंतिम मंजुरी दिलेली आहे. सदर औद्योगिक समूह प्रकल्पांना सामायिक सुविधा केंद्रातील उच्च तंत्रज्ञानाचा फायदा होईल. या योजनेअंतर्गत जवळपास ₹ १०० कोटी इतके अनुदान केंद्र शासनाने मंजुर केले आहे आणि यामधुन नव्याने जवळपास एक लाख रोजगार संधी निर्माण होतील असे अपेक्षित आहे.

८.१६ औद्योगिक पायाभूत विकास श्रेणीवाढ योजना : केंद्र शासनाच्या औद्योगिक पायाभूत विकास श्रेणीवाढ योजनेतून २००३ पासून सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम उदयोग समुहांना सहाय्य म्हणून उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. राज्याने पाच प्रस्ताव निश्चित करुन केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी शिफारस केले व त्यांना केंद्र शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पांमध्ये ॲटो क्लस्टर, पुणे, टेक्सटाईल क्लस्टर, इचलकरंजी, इंजिनिअरिंग क्लस्टर, नाशिक, ॲटोमोबाईल क्लस्टर, औरंगाबाद आणि फॉन्ड्री व इंजिनिअरिंग क्लस्टर, कोल्हापूर यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाने एकूण ₹ २०७ कोटी अनुदान मंजूर केले असून त्यापैकी ₹ १४६ कोटी अनुदान वितरीत केले आहे. राज्य शासनाने या उपक्रमास हातभार लावण्याचे उद्देशाने मंजूरी दिलेल्या प्रकल्पांना राज्य शासनाचे १० टक्के अनुदान देण्याचे घोषित केले आहे.

## खनिजे

८.१७ राज्यातील खनिज साठा क्षेत्र विदर्भातील भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर आणि यवतमाळ, पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सातारा तसेच कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये विखुरलेले असून तेथे कोळसा, चुनखडी, कच्चे मँगेनिज, बॉक्साईट, कच्चे लोखंड, डोलोमाईट, लॅटराईट, कायनाईट, फ्लोराईट (ग्रेडेड), क्रोमाईट, इत्यादी खनिजांचे साठे आढळून येतात. राज्यात उत्पादनक्षम खनिज साठा असणारे सुमारे ५८ हजार चौ.कि.मी. इतके क्षेत्र असून हे क्षेत्र राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या १९ टक्के आहे. ३१ मार्च, २०१२ पर्यंत राज्यात ०.७ लाख रोजगार असलेल्या प्रमुख खनिजांच्या २८५ खाणी कार्यरत आहेत. राज्यातील २०११-१२ मध्ये उत्खनन केलेल्या खनिजांचे एकूण मूल्य ₹ ६,८७१ कोटी होते, यापैकी उत्खनन केलेल्या कोळशाचे मूल्य ₹ ५,६९२ कोटी (८२ टक्के) होते. राज्यातील महत्त्वाच्या खनिजांचे उत्पादन व मूल्य परिशिष्ट ८.२ मध्ये दिले आहे.

# संस्थात्मक रचना

## महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ

८.१८ मऔविमची स्थापना रस्ते, पाणी, वीजपुरवठा व उद्योजकांसाठी इतर अंतर्गत सेवा यासारख्या अत्यावश्यक पायाभूत सोयी उपलब्ध करुन औद्योगिक क्षेत्राचा विकास करण्याकरिता करण्यात आली आहे. ३१ मार्च, २०१२ अखेर विकसित भूखंडाच्या ८८ टक्के भूखंड उद्योजकांना वितरीत करण्यात आले. मऔविम अंतर्गत औद्योगिक घटकांची माहिती तक्ता ८.११ मध्ये दर्शविली आहे.

**तक्ता ८.११ महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ क्षेत्रातील औद्योगिक घटक**

(३१ मार्च, २०१२ रोजी )

| *विभाग* | घटक (संख्या) | | गुंतवणूक (₹ कोटी) | | रोजगार ( लाख ) | | भूखंड (संख्या) | | वितरीत भूखंडांची विकसित भूखंडांशी टक्केवारी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | २०११ | २०१२ | २०११ | २०१२ | २०११ | २०१२ | विकसित | वितरीत | |
| मुंबई | ३०५ | ३०५ | ३,७१५ | ३,९१५ | ०.७२ | ०.६५ | ३६८ | ३६५ | ९९.२ |
| कोकण (मुंबई वगळून ) | ११,१२५ | ११,०७२ | १७,८४९ | १९,५४९ | २.६९ | २.७९ | १९,३४४ | १७,११५ | ८८.५ |
| नाशिक | ६,१३५ | ६,७४७ | १२,७३० | १०,६८३ | ०.६६ | ०.६७ | १०,५४६ | ९,४६३ | ८९.७ |
| पुणे | ९,२७३ | ९,५५४ | २४,६४१ | ३८,७७१ | ३.५० | ३.६३ | १७,४७६ | १५,९१७ | ९१.१ |
| औरंगाबाद | ४,५७७ | ५,९५५ | ५,५७३ | ५,०९२ | ०.५४ | ०.५८ | ११,०६८ | ९,८६६ | ८९.१ |
| अमरावती | १,५८९ | १,६७१ | ७९५ | ३,०७९ | ०.१९ | ०.२३ | ४,७४७ | ३,५२६ | ७४.३ |
| नागपूर | २,६८७ | ३,०२४ | ८,६२८ | ८,६०५ | ०.७१ | ०.६७ | ७,४१७ | ६,३४१ | ८५.५ |
| **एकूण** | **३५,६९१** | **३८,३२८** | **७३,९३१** | **८९,६९४** | **९.०१** | **९.२१** | **७०,९६६** | **६२,५९३** | **८८.२** |

*आधार* : म.औ.वि.म. महाराष्ट्र शासन

## महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ

८.१९ महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ लघु उद्योगाचा विकास करणेसाठी उद्योजकांना मदत करते. महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाची उलाढाल तक्ता ८.१२ मध्ये देण्यात आली आहे.

**तक्ता ८.१२ महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाची उलाढाल**

(₹ कोटी)

| बाब | २०१०-११ | २०११-१२ | २०१२-१३ + |
|---|---|---|---|
| कच्चामाल खरेदी | ११८.०२ | ९०.३९ | १.२० |
| पणन सहाय्य | ३७४.३५ | ४५७.७९ | १२६.९३ |
| इतर | २.१३ | ५.६४ | २.४४ |
| **एकूण** | **४९४.५०** | **५५३.८२** | **१३०.५७** |

*आधार* : महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ + डिसेंबर पर्यंत

## महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ

८.२० राज्यातील खादी आणि ग्रामोद्योग उपक्रमांचे संघटन, विकास व विस्तार करणे हे महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळाचे प्रमुख कार्य आहे. राज्यातील खादी व ग्रामोद्योग घटकांना २०११-१२ मध्ये ₹ १६.६८ कोटी वित्तीय सहाय्य अनुदानाच्या स्वरूपात देण्यात आले आणि २०१२-१३ मध्ये ₹ १९.५० कोटीचे वाटप करणे प्रस्तावित आहे. राज्यातील खादी व ग्रामोद्योग घटकांची प्रगती तक्ता ८.१३ मध्ये दिली आहे.

८.२१ कारागीर रोजगार हमी योजनेअंतर्गत २०११-१२ मध्ये ३.२१ लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या ज्या मागील वर्षी ५.०० लाख होत्या. २०१२-१३ मध्ये ३.३० लाख कारागिरांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील असे अपेक्षित आहे.

**तक्ता ८.१३ खादी व ग्रामोद्योग घटकांची कामगिरी**

| वर्ष | सहाय्यित घटक (लाख) | उत्पादन मूल्य (₹ कोटी) | रोजगार (लाख) |
|---|---|---|---|
| २००८-०९ | २.६५ | १,६६१ | ६.६ |
| २००९-१० | २.७४ | १,९०८ | ६.९ |
| २०१०-११ | २.१८ | १,४७० | ४.३ |
| २०११-१२ | २.१५ | १,५०६ | ४.३ |
| २०१२-१३ * | २.१७ | १,५६५ | ४. २ |

*आधार* : महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ * अपेक्षित

## महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ

८.२२ महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ हे पर्यटन धोरण राज्यात राबविणारी प्रमुख संस्था आहे. पर्यटन क्षमता आणि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष उपलब्ध होणारा रोजगार या दोन्ही बाबी विचारात घेऊन राज्य शासनाने 'पर्यटन धोरण, २००६' अंतर्गत पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी कृती आराखडा तयार केला आहे. २०११-१२ मध्ये केंद्र सरकार पुरस्कृत (१०० टक्के) पांच प्रकल्पांकरिता ₹ ८२.२२ कोटी मंजूर करण्यात आले असून त्यापैकी ₹ ४१.८७ कोटी केंद्र शासनाने वितरीत केले आहेत व ₹ २५.३६ कोटी इतका खर्च झाला आहे. २०१२-१३ मध्ये राज्य शासनाने १३ प्रकल्पांसाठी ₹ ३५.५० कोटी मंजूर केले असून ₹ १५.५२ कोटी महामंडळास वितरीत केले आहेत. महाराष्ट्र पर्यटन विकास मंडळाच्या खर्चाबाबतची माहिती तक्ता ८.१४ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ८.१४ राज्याने मंजूर केलेला निधी व झालेला खर्च**

( ₹ लाख)

| वर्ष | प्रकल्प (संख्या) | मंजूर निधी | प्राप्त निधी | खर्च |
|---|---|---|---|---|
| २०१०-११ | ८ | ८१०.६३ | ६०८.०९ | ३८३.०९ |
| २०११-१२ | ३० | ८,५४९.८२ | ५,७३९.८० | १,५९३.१४ |

*आधार* : महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ

## महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

८.२३ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हे प्रदूषणासंबंधी कायद्याची अंमलबजावणी करणारी प्रमुख संस्था आहे. मार्च, २०१२ अखेर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अखत्यारीतील एकूण ७७,७४६ कारखान्यांपैकी वायु प्रदूषण करणारे २६ टक्के, जल प्रदूषण करणारे २७ टक्के आणि धोकादायक टाकाऊ पदार्थ निर्माण करणारे ७ टक्के कारखाने होते. प्रदूषण कमी करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०११-१२ मध्ये कलम ३३ अ खाली ३८२ कारखान्यांना जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ अंतर्गत निर्देश दिले आहेत. राज्यातील ९,१७६ कारखान्यांचा समावेश असलेल्या २६ औद्योगिक वसाहतीत सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्रे कार्यान्वित करण्यात येत आहेत.

## औद्योगिक व वित्तीय पुनर्रचना मंडळ

८.२४ आजारी उद्योग हा आर्थिक वाढीमधील एक प्रमुख अडथळा असून त्यामुळे भांडवली मालमत्ता, उत्पादकता व रोजगार यांच्यावर विपरीत परिणाम होतो. आजारी उद्योग संस्था (विशेष तरतूद), अधिनियम १९८५ अंतर्गत उद्योगाच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र शासनाने औद्योगिक व वित्तीय पुनर्रचना मंडळ स्थापन केले. कायदा अंमलात आल्यापासून नोव्हेंबर,२०१२ पर्यंत मंडळाकडे पुनर्वसनासाठी राज्यातील एकूण ९६० मध्यम व मोठ्या उद्योगांकडून प्रकरणे प्राप्त झाली आहेत. त्यापैकी १७० प्रकरणे पुनर्वसनासाठी मंजूर, १४१ प्रकरणे उद्योग बंद करण्यासाठी शिफारस, ८४ प्रकरणे प्रलंबित, ९७ प्रकरणे फेटाळली, २७९ प्रकरणे बंद केली / निकालात काढली, ९६ प्रकरणे राज्याच्या अखत्यारीबाहेरील आणि ९३ प्रकरणांवर कार्यवाही सुरु आहे.

## औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक

८.२५ औद्योगिक क्षेत्राची वाढ औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाद्वारे मोजली जाते. सध्याच्या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकामध्ये खनिकर्म, वस्तुनिर्माण व वीज या क्षेत्रांचा समावेश आहे. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय अखिल भारतीय स्तरावर मासिक औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक संकलित करुन जाहीर करते. अखिल भारतीय स्तरावरील औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (पायाभूत वर्ष २००४-०५) एप्रिल, २०११ - जानेवारी, २०१२ मधील १६८.० वरुन एप्रिल, २०१२- जानेवारी, २०१३ मध्ये १६९.६ इतका वाढला. या निर्देशांकातील एप्रिल, २०१२- जानेवारी, २०१३ या कालावधीतील वाढ १.० टक्के होती, जी गतवर्षाच्या तत्सम कालावधीत ३.४ टक्के होती. अखिल भारतीय औद्योगिक निर्देशांक परिशिष्ट ८.३ मध्ये दिले आहेत. एप्रिल, २०११- जानेवारी, २०१२ आणि एप्रिल, २०१२- जानेवारी, २०१३ या कालावधीतील गटनिहाय अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकांचा तपशील तक्ता ८.१५ मध्ये दिला आहे.

**तक्ता ८.१५ भारतातील औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक**

(पायाभूत वर्ष २००४-०५ = १००)

| बाब | भार | औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक एप्रिल ते जानेवारी | | शेकडा बदल |
|---|---|---|---|---|
| | | २०११-२०१२ | २०१२-२०१३ @ | |
| सर्वसाधारण निर्देशांक | १००.०० | १६८.० | १६९.६ | १.० |
| खनिकर्म | १४.१६ | १२५.७ | १२३.३ | (-) १.९ |
| वस्तुनिर्माण | ७५.५३ | १७८.६ | १८०.२ | ०.९ |
| वीज | १०.३१ | १४८.८ | १५५.८ | ४.७ |

*आधार :* केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार @ शिघ्र अंदाज

## वार्षिक उद्योग पाहणी

८.२६ वार्षिक उद्योग पाहणीत (वाउपा) कारखाना अधिनियम, १९४८ खाली नोंद झालेल्या सर्व कारखान्यांचा आणि विडी व सिगारेट कामगार (रोजगाराच्या अटी) अधिनियम, १९६६ खाली नोंद झालेल्या विडी व सिगारेट आस्थापनांचा समावेश आहे. अगदी अलिकडील उपलब्ध वार्षिक उद्योग पाहणी २०१०-११ च्या आकडेवारीवरुन असे निदर्शनास येते की, स्थूल मूल्यवृद्धी व कामगार वेतन यामध्ये अखिल भारतीय स्तरावर राज्याचा वाटा अनुक्रमे २०.५ टक्के व १६.४ टक्के असून इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र उच्च स्थानावर आहे. एकूण उद्योग, स्थिर भांडवल आणि रोजगार याबाबतीत राज्य दुस-या क्रमांकावर असून देशामध्ये याबाबतीत राज्याचा वाटा अनुक्रमे १३.२, १४.५ आणि १२.१ टक्के होता.

८.२७ राज्याचा वाटा एकूण उत्पादन मूल्यामध्ये १६.८ टक्के आणि निव्वळ मूल्यवृद्धी मध्ये २१.४ टक्के होता. राज्य व भारतीय स्तरावरील निवडक औद्योगिक निर्देशांकाची तुलनात्मक माहिती तक्ता ८.१६ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ८.१६ उद्योगांबाबत निवडक निर्देशक**

(₹ कोटी)

| तपशील | २००९-१० | | | २०१०-११ * | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | महाराष्ट्र | भारत | भारताशी टक्केवारी | महाराष्ट्र | भारत | भारताशी टक्केवारी |
| उद्योग (संख्या) | १९,४५७ | १,५८,८७७ | १२.२ | २७,८९२ | २,११,६६० | १३.२ |
| स्थिर भांडवल | १,९७,२७४ | १३,५२,१८४ | १४.६ | २,३२,६३५ | १६,०७,८४३ | १४.५ |
| खेळते भांडवल | ६३,४६७ | ३,८७,७४५ | १६.४ | ६७,११६ | ६,२०,४६७ | १०.८ |
| एकूण उत्पादन | ६,२४,०४९ | ३७,३३,०३६ | १६.७ | ७,८७,९७० | ४६,८५,२१३ | १६.८ |
| एकूण निविष्टी | ४,८९,०६६ | ३०,३५,८५३ | १६.१ | ६,१६,८६७ | ३८,५१,९६४ | १६.० |
| स्थूल मूल्यवृद्धी | १,३४,९८३ | ६,९७,१८३ | १९.४ | १,७१,१०३ | ८,३३,२४९ | २०.५ |
| निव्वळ मूल्यवृद्धी | १,१७,८७२ | ५,९२,११४ | १९.९ | १,५२,३२८ | ७,१२,६४० | २१.४ |
| रोजगार (लाखात ) | १०.६३ | ९१.५८ | ११.६ | १२.०३ | ९९.०७ | १२.१ |
| नफा | ६८,५४९ | ३,३२,९३१ | २०.६ | ९४,४९६ | ३,९८,००२ | २३.७ |

*आधार:* केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार * अंदाजित

८.२८ एकूण उत्पादन मूल्याच्या बाबतीत २०१०-११ मध्ये i) कोळसा, शुध्द पेट्रोलियम उत्पादने इत्यादी (१४.० टक्के), ii) मुलभूत धातू (११.७ टक्के), iii) खाद्य उत्पादने (११.१ टक्के), iv) मोटर वाहने, ट्रेलर्स (८.६ टक्के) आणि v) यंत्रे व यंत्रसामुग्री दुरुस्ती व उभारणी (८.० टक्के) हे प्रमुख उद्योग होते. या उद्योग गटांचे २०१०-११ मध्ये एकूण उत्पादन मूल्यामधील प्रमाण ५३.४ टक्के होते, तर स्थिर भांडवलातील प्रमाण ५१ टक्के होते. वार्षिक उद्योग पाहणीनुसार राज्यातील उद्योगांबाबतची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये परिशिष्ट ८.४ मध्ये दिली आहेत.

८.२९ राज्यातील २०१०-११ मधील प्रति कारखाना स्थिर भांडवलातील गुंतवणूक, उत्पादित वस्तू व सेवा यांचे मूल्य आणि निव्वळ मूल्यवृध्दी भारतापेक्षा अनुक्रमे १० टक्के, २८ टक्के व ६२ टक्क्यांनी जास्त आहे. वाउपा २००९-१० व २०१०-११ वर आधारित महत्त्वाचे 'प्रति कारखाना' व 'प्रति कामगार' निर्देशक तक्ता ८.१७ मध्ये दिले असून त्यांचा भारत व राज्यांतील कल अनुक्रमे आलेख ८.१ व आलेख ८.२ मध्ये दर्शविला आहे.

## तक्ता ८.१७ महत्त्वाचे निर्देशक

(₹ लाख)

| *निर्देशक* | २००९-१० | | २०१०-११ * | |
|---|---|---|---|---|
| | *महाराष्ट्र* | *भारत* | *महाराष्ट्र* | *भारत* |
| ***अ) प्रति कारखाना*** | | | | |
| स्थिर भांडवलातील गुंतवणूक | १,०१३ | ८५१ | ८३४ | ७६० |
| उत्पादित वस्तू व सेवा यांचे मूल्य | ३,२०७ | २,३५० | २,८२५ | २,२१३ |
| निव्वळ मूल्यवृद्धी | ६०६ | ३७३ | ५४६ | ३३७ |
| रोजगार (संख्या) | ५५ | ५८ | ४३ | ४७ |
| ***ब) प्रति कामगार*** | | | | |
| *कामगार उत्पादकता* (**) | १०.७ | ८.६ | १०.८ | ८.३२ |
| *निव्वळ मूल्यवृद्धी* | ११.१ | ६.५ | १२.७ | ७.२ |
| *वार्षिक मजुरी* | १.०३ | ०.७५ | १.१७ | ०.८६ |

*आधार* : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार टीप : * अस्थायी ** निव्वळ मूल्यवृध्दी प्रति वेतन

**आलेख ८.१ : महाराष्ट्र व भारतातील प्रति कारखाना निव्वळ मूल्यवृध्दी**

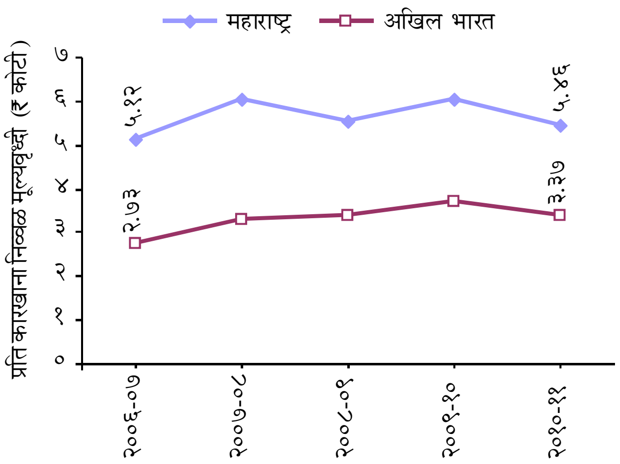


**आलेख ८.२ : महाराष्ट्र व भारतातील प्रति कामगार निव्वळ मूल्यवृध्दी**

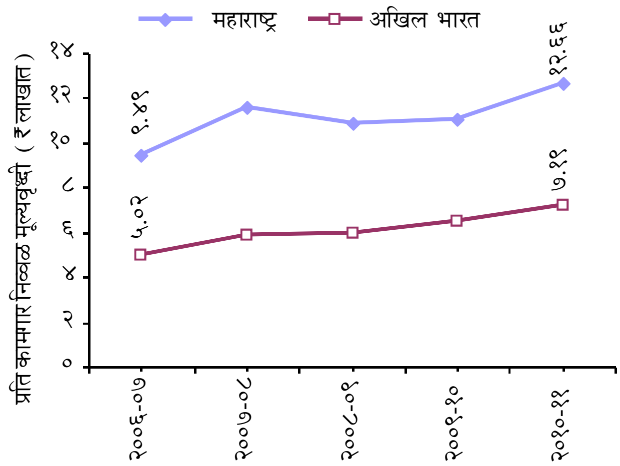


८.३० राज्यातील नोंदणीकृत उद्योग क्षेत्राच्या संरचनेत कालानुक्रमे लक्षणीय बदल झाले आहेत. राज्यातील ग्राहक वस्तू उद्योगांचे सापेक्ष महत्व हळूहळू कमी होऊन पुनर्निर्माण वस्तू उद्योगाचे महत्व वाढले आहे. ग्राहक वस्तू, भांडवली वस्तू व पुनर्निर्माण वस्तू उद्योग यांचा २०१०-११ मध्ये एकूण निव्वळ मूल्यवृद्धीमध्ये वाटा अनुक्रमे १३, २८ आणि ५९ टक्के होता. राज्यातील नोंदणीकृत उद्योग क्षेत्र संरचनेत २०००-०१ आणि २०१०-११ या कालावधीमध्ये झालेला बदल आलेख ८.३ मध्ये दर्शविलेला आहे.

**आलेख ८.३ : नोंदणीकृत क्षेत्रातील उद्योगांची संरचना**

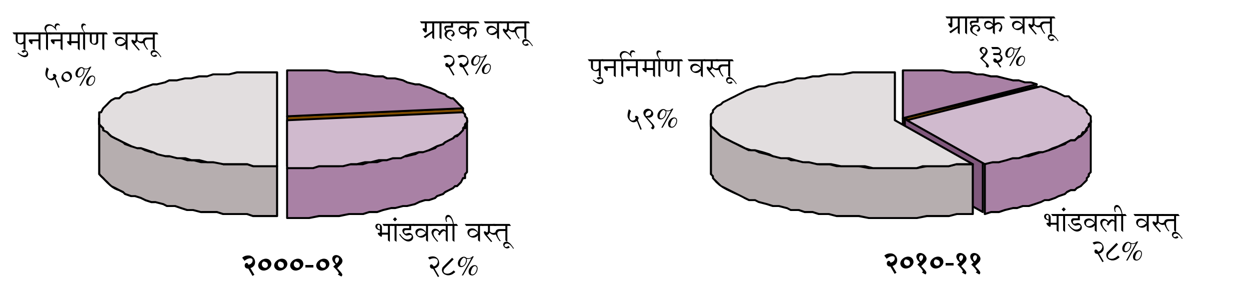

# सहकार

८.३१ संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण परिषदेने २०१२ हे वर्ष सहकाराचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष (सआव) म्हणून घोषित केले असून सहकाराचे सामाजिक व आर्थिक विकासात विशेषत: दारिद्रय निर्मुलन, रोजगार निर्मिती, सामाजिक ऐक्य यातील योगदान ठळकपणे विषद केले आहे. 'सहकारी उपक्रम उत्तम विश्व घडविते' हा सआव २०१२ चा मुख्य विषय होता. सहकारी उपक्रम हे लोकांनी स्वेच्छेने एकत्र येवून त्यांच्या सर्वमान्य आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतीक गरजा आणि मनोरथे पूर्ण करण्यासाठी सामुहिक मालकीचे लोकशाही मार्गाने नियंत्रीत स्वायत्त मंडळ आहे अशी व्याख्या सआव ने पुन:उच्चारीत केली. सहकारी चळवळीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात विविध कार्यक्रम आखून सआव २०१२ आणि कै. श्री. यशवंतरावजी चव्हाण ह्यांची जन्मशताब्दी संयुक्तपणे साजरी करण्यात आली.

८.३२ सहकारी संस्थांच्या आर्थिक कार्यांना चालना देण्याच्या दृष्टीने केंद्रशासनाने घटना दुरुस्ती करून "घटना (९७ वी सुधारणा) कायदा २०११" फेब्रुवारी, २०१२ पासून लागू केला. या अनुषंगाने राज्याने "महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अध्यादेश, २०१३" निर्गमित केला आहे. अध्यादेश २०१३ ची ठळक वैशिष्ठ्ये खालीलप्रमाणे आहेत.

- संस्थांच्या व्यवस्थापकीय समितीचा कार्यकाल ५ वर्षासाठी निश्चित.
- संस्थांच्या व्यवस्थापकीय समितीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व महिलांना योग्य प्रतिनिधीत्त्व.
- समितीवर 'तज्ञ संचालक' स्विकृत करण्याचा व्यवस्थापकीय समितीस अधिकार प्रदान.
- थकबाकीदार सभासदांना नोटीस बजावण्याचे अधिकार गृहनिर्माण संस्थांना प्रदान.
- अध्यादेशातील तरतुदींची अंमलबजावणी व त्याचे संनियंत्रण करण्यासाठी संस्थात्मक रचनेचे बळकटीकरण.
- संस्थांवर प्रशासक नेमण्याचे राज्यशासनाचे अधिकार मागे.
- 'राज्य सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरण' राज्यशासनाने गठित करणे.

**आलेख ८.४ : सहकारी संस्थांतील खेळते भांडवल व येणे कर्ज**

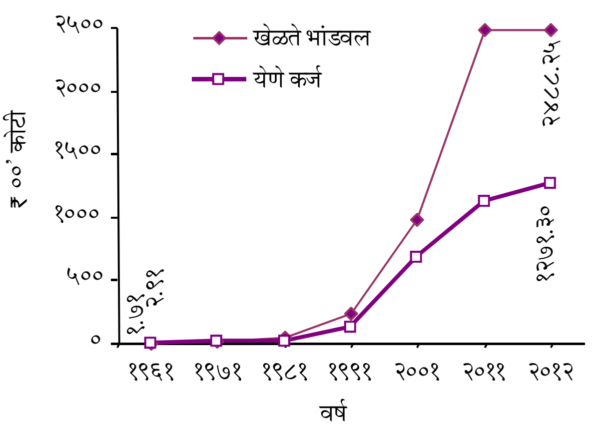


**आलेख ८.५ : गटनिहाय सहकारी संस्थांचे वर्गीकरण व त्यांचे खेळते भांडवल**

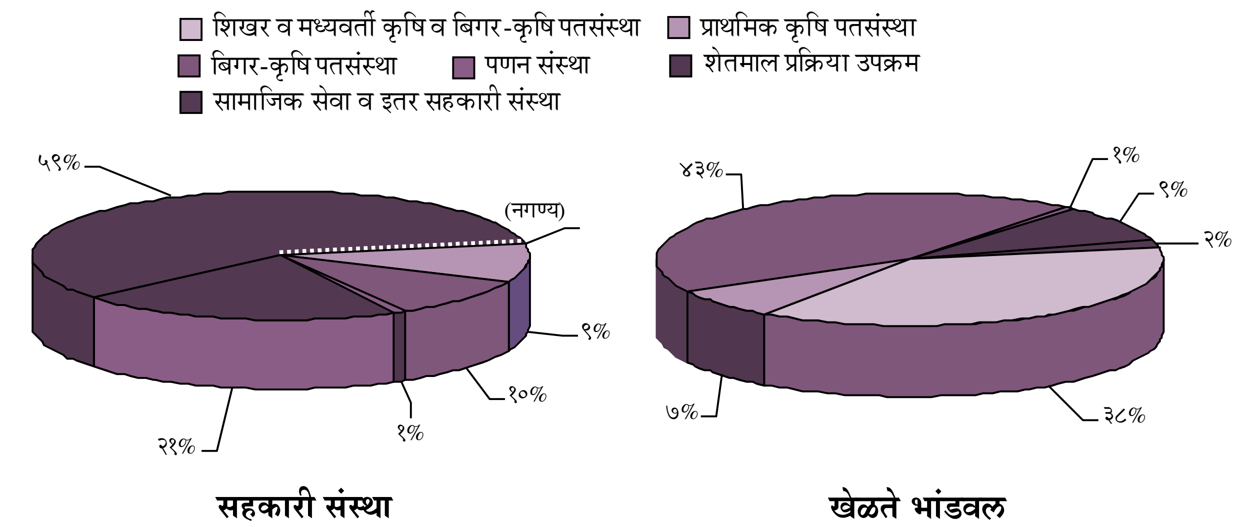

८.३३ राज्यात ३१ मार्च, २०१२ रोजी सुमारे ५२५ लाख सभासद असलेल्या २.२८ लाख सहकारी संस्था कार्यरत होत्या. या संस्थांची प्रगती तक्ता ८.१८ मध्ये दिली आहे व दशवर्ष शृंखला परिशिष्ट ८.५ मध्ये दिली आहे.

## कृषि पतपुरवठा

८.३४ कृषी सहकारी पत संस्था शेतकऱ्यांना पतपुरवठा विषयक सेवा उपलब्ध करतात. राज्यातील कृषि सहकारांची संरचना त्रिस्तरीय असून राज्यस्तरावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही शिखर संस्था, जिल्हा स्तरावर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व गाव पातळीवर प्राथमिक सहकारी पत संस्था आहेत. या बाबतची महत्त्वाची वैशिष्टये तक्ता ८.१९ मध्ये दिली आहेत.

**तक्ता ८.१८ राज्यातील सहकारी संस्थांची प्रगती**

(₹ कोटी)

| तपशील | ३१ मार्च रोजी | | शेकडा बदल |
|---|---|---|---|
| | २०११ | २०१२* | |
| संस्था (संख्या) | २,२४,३०६ | २,२७,९३८ | १.६ |
| सभासद (लाख) | ५३० | ५२५ | (-) ०.९ |
| भरणा भाग भांडवल | २०,५४३ | ३२,५८२ | ५८.६ |
| *या पैकी,* राज्य शासनाचे | १,९६५ | २,५०४ | २७.४ |
| खेळते भांडवल | २,४८,४३४ | २,४८,८२५ | ०.२ |
| ठेवी | १,३२,४९० | १,६०,५८३ | २१.२ |
| स्थूल कर्ज | १,००,६८१ | १,१७,४०६ | १६.६ |
| तोट्यातील संस्था (संख्या) | ५९,६३६ | ६०,००७ | ०.६ |
| तोटयाची रक्कम | ४,५२६ | ४,२१८ | (-) ६.८ |
| येणे कर्जे | १,११,८६३ | १,२७,१३० | १३.७ |

*आधार :* सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन
* अस्थायी

**तक्ता ८.१९ कृषि सहकारी बँकांची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये**

(₹ कोटी)

| तपशील | ३१ मार्च रोजी | | शेकडा बदल |
|---|---|---|---|
| | २०११ | २०१२* | |
| **महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या.** | | | |
| सभासद ( संख्या) | २,००० | २,००० | ०.० |
| खेळते भांडवल | २५,४४४ | २४,२९० | (-) ४.५ |
| ठेवी | १७,४२९ | १५,८६२ | (-) ९.० |
| स्थूल कर्ज | ११,८८८ | १२,३४७ | ३.९ |
| येणे कर्ज | १०,९८९ | १०,२८५ | (-)६.४ |
| थकीत कर्ज | १,८७४ | १,८५६ | (-)१.० |
| **जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (३१)** | | | |
| सभासद (लाखात) | १.५३ | १.५८ | ३.३ |
| खेळते भांडवल | ६२,१९४ | ६७,१७३ | ८.० |
| ठेवी | ४६,६११ | ४९,२३१ | ५.६ |
| स्थूल कर्ज | २७,९०४ | ३३,४२३ | १९.८ |
| येणे कर्ज | ३०,१७३ | ३६,००६ | १९.३ |
| थकीत कर्ज | ५,८५० | ६,८०४ | १६.३ |
| **महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक मर्या. @** | | | |
| सभासद (संख्या) | ८२७ | ८२७ | ०.० |
| खेळते भांडवल | १,९५५ | २,०७२ | ६.० |
| ठेवी | ०.०१ | ०.०१ | ०.० |
| स्थूल कर्ज | ०.० | ०.० | ०.० |
| येणे कर्ज | १,१३३ | १,१३३ | ०.० |
| थकीत कर्ज | १,०९४ | १,११२ | १.६ |
| **जिल्हास्तरीय सहकारी कृषि ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँका (२९)** | | | |
| सभासद (लाखात) | ११.०० | ११.१८ | १.६ |
| खेळते भांडवल | ८०८ | १,३४९ | ६६.९ |
| ठेवी | ०.९३ | ०.४४ | (-)५२.७ |
| स्थूल कर्ज | - | - | - |
| येणे कर्ज | ३९७ | ३२३ | (-)१८.६ |
| थकीत कर्ज | ३७७ | ३०३ | (-)१९.६ |

*आधार* : सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन * अस्थायी
@ अवसायनात गेल्याने कर्ज देणे बंद केले आहे

८.३५ प्राथमिक कृषि पतपुरवठा संस्था (प्राकृपसं) मुख्यत: शेतीच्या हंगामी कामांकरिता अल्प मुदतीसाठी कृषि पतपुरवठा करतात. प्राकृपसं मध्ये कृषि सेवा संस्था व आदिवासी सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. ३१ मार्च, २०१२ रोजी कर्ज घेणाऱ्या एकूण सभासदांच्या संख्येत गतवर्षीच्या तुलनेत ८.४ टक्क्यांनी घट झाली असली तरी कर्ज घेणाऱ्या अत्यल्प भूधारक व अल्पभूधारक यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. सन २०११-१२ मध्ये कर्ज वसुलीच्या स्थितीत सुधारणा झाली आहे. प्राकृपसची प्रगती तक्ता ८.२० मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ८.२० प्राथमिक कृषि पतपुरवठा संस्थांची प्रगती**

(₹ कोटी)

| तपशील | ३१ मार्च रोजी | | शेकडा बदल |
|---|---|---|---|
| | २०११ | २०१२* | |
| संस्था (संख्या) | २१,४५१ | २१,४४३ | ०.० |
| सभासद (लाख) | १५० | १५० | ०.० |
| खेळते भांडवल | १८,९८७ | १७,६४० | (-) ७.१ |
| स्वनिधी | ३,४३४ | ३,६७० | ६.९ |
| भाग भांडवल | १,९०२ | २,०६७ | ८.७ |
| *त्यापैकी,* राज्य शासनाचे | ६ | ६ | ०.० |
| कर्जदार सभासद (लाख) | ४५.९० | ४२.०६ | (-) ८.४ |
| *त्यापैकी,* १) अत्यल्प भूधारक (१ हेक्टर पर्यंत) @ | ११.१३ | १२.३५ | लागू नाही |
| २) अल्पभूधारक (१ ते २ हेक्टर पर्यंत) @ | ९.७७ | ११.१९ | लागू नाही |
| स्थूल कर्ज | ८,०६० | ७,६५० | (-) ५.१ |
| येणे कर्ज | १२,०२४ | १२,७२३ | ५.८ |
| कर्ज वसुली | ६,७६५ | ८,००१ | १८.३ |
| थकीत कर्ज | ६,४०४ | ६,३९० | (-) ०.२ |
| तोट्यातील संस्था | १०,९८८ | ११,२४६ | २.३ |
| तोटा | १०५९ | १२१४ | १४.६ |

*आधार :* सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन @ एकूण कर्जदार सभासदांशी टक्केवारी * अस्थायी

## डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना

८.३६ अल्प मुदतीचे पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जाचा परतावा वेळेवर करण्यासाठी व्याज सवलत देवून प्रेरीत केले जाते. या योजनेअंतर्गत ₹ ०.२५ लाखापर्यंत कर्जावर चार टक्के व ₹ ०.२५ लाख पेक्षा अधिक व ₹ तीन लाख पर्यतच्या कर्जावर दोन टक्के व्याज सवलत दिली जाते. शेतकऱ्यांनी दरवर्षी ३० जून पर्यंत कर्जाची परतफेड करणे आवश्यक आहे. या योजनेवर अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत ₹ १९०.६९ कोटी इतका खर्च झाला. लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट १.९१ लाख होते व त्यापैकी १.५९ लाख लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. सन २०१२-१३ मध्ये ₹ ९७.४३ कोटीचा नियतव्यय उपलब्ध करून दिला असून माहे नोव्हेंबर पर्यंत ₹ ६८.३८ कोटी इतका खर्च झाला आहे.

## सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांना अर्थसहाय्य

८.३७ सहकारी उपसा जलसिंचन सहकारी संस्थाना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन ₹ एक कोटी अथवा प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के यापैकी कमी असलेली रक्कम अर्थसहाय्य म्हणून देते. सन २०११-१२ मध्ये ₹ ४.११ कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली व सदर रक्कम २६ संस्थांना वितरीत करण्यात आली. सन २०१२- १३ साठी ₹ पाच कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.

## कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था

८.३८ कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था ग्रामीण अर्थ व्यवस्था विकासात अर्थव्यवस्थेच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असून शेतकऱ्यांना उत्पादनाचा वाजवी मोबदला व ग्रामिण उद्योगांच्या वाढीला चालना देऊन रोजगार निर्मितीत महत्वाची भूमिका पार पाडत आहेत. राज्य शासन सहकारी संस्थांना कृषि प्रक्रिया केंद्र स्थापन करण्यासाठी अर्थ सहाय्य पुरविते. कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्थांचे सहकारी साखर कारखाने, कापूस पिंजणी व गासड्या बांधणी, सूत गिरण्या, हातमाग व यंत्रमाग संस्था, दुग्ध संस्था व दुग्ध संघ आणि मत्स्य संस्था हे प्रमुख घटक आहेत. राज्यात ३१ मार्च, २०१२ रोजी ४८,५२९ कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था कार्यरत होत्या. या सर्व संस्थांची एकूण सभासद संख्या ८५.३० लाख होती.

**आलेख ८.६ : प्रमुख कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्थेतील सभासद**

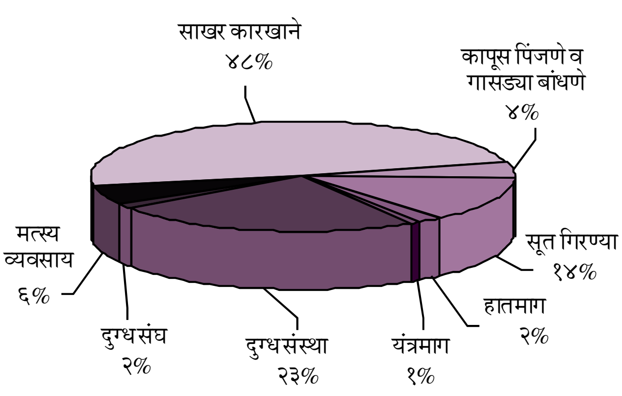

८.३९ राज्यात ३१ मार्च, २०१२ रोजी १६१ सहकारी कापूस पिंजणी व गासड्या बांधणा-या संस्था होत्या. या संस्थांमधील राज्य शासनाच्या भाग भांडवलाचा २० टक्के हिस्सा होता. सुमारे ७६.४ टक्के संस्था तोट्यात होत्या. कापूस पिंजणी व गासड्या बांधणा-या सहकारी संस्थांची प्रगती तक्ता ८.२१ मध्ये दिली आहे.

८.४० राज्यात ३१ मार्च, २०१२ रोजी १६६ सहकारी सूत गिरण्या होत्या. या सूत गिरण्यांच्या भाग भांडवलामध्ये राज्य शासनाचा ८४.२ हिस्सा टक्के होता. सुमारे ३३.७ टक्के सूत गिरण्या तोट्यात होत्या. सहकारी सूत गिरण्यांची प्रगती तक्ता ८.२२ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ८.२१ कापूस पिंजणी व गासड्या बांधणाऱ्या सहकारी संस्थांची प्रगती**

(₹ कोटी)

| तपशील | ३१ मार्च रोजी | | शेकडा |
|---|---|---|---|
| | २०११ | २०१२* | बदल |
| संस्था (संख्या) | १६४ | १६१ | (-) १.८ |
| *त्यापैकी,* उत्पादन चालू असलेल्या | १३३ | १४३ | ७.५ |
| सभासद ('००) | २,०५७ | २,१५१ | ४.६ |
| भाग भांडवल | ८ | ९ | १२.५ |
| *त्यापैकी,* राज्य शासनाचे | २ | २ | ० |
| खेळते भांडवल | ८५ | ८० | (-) ५.९ |
| पिंजणी केलेला कापूस (मे. टन ) | १५४ | १५७ | १.९ |
| तोट्यातील संस्था (संख्या) | १२३ | १२३ | ०.० |
| तोटयाची रक्कम | २ | २ | ०.० |

*आधार* : सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

* अस्थायी

**तक्ता ८.२२ सहकारी सूत गिरण्यांची प्रगती**

(₹ कोटी)

| तपशील | ३१ मार्च रोजी | | शेकडा |
|---|---|---|---|
| | २०११ | २०१२* | बदल |
| गिरण्यांची संख्या | १६६ | १६६ | ०.० |
| *त्यापैकी,* उत्पादन चालू असलेल्या | ५९ | ५९ | ०.० |
| सभासद ('००) | ७,३०० | ६,७८५ | (-) ७.१ |
| भाग भांडवल | १,२१२ | १,१०८ | (-)८.६ |
| त्यापैकी, राज्य शासनाचे | १०१० | ९३३ | (-)७.६ |
| चात्यांची संख्या (लाख) | १२.९४ | १३.१६ | १.७ |
| उत्पादित सूताचे मूल्य | १,३०८ | १,१९९ | (-) ८.३ |
| तोट्यातील गिरण्या (संख्या) | ४१ | ५६ | ३६.६ |
| तोटयाची रक्कम | ५४१.७६ | ८६८.४५ | ६०.३ |

*आधार* : सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

* अस्थायी

८.४१ राज्यात ३१ मार्च, २०१२ रोजी ६७० सहकारी हातमाग व १,४७१ यंत्रमाग संस्था होत्या. हातमाग व यंत्रमाग संस्थांमधील भाग भांडवलात राज्य शासनाचा हिस्सा अनुक्रमे ६.३ व ५५.१ टक्के होता. सुमारे ४६.३ टक्के सहकारी हातमाग व ३९.० टक्के यंत्रमाग संस्था तोट्यात होत्या. सहकारी हातमाग व यंत्रमाग संस्थांची प्रगती तक्ता ८.२३ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ८.२३ सहकारी हातमाग व यंत्रमाग संस्थांची प्रगती**

(₹ कोटी)

| तपशील | ३१ मार्च रोजी | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | हातमाग | | शेकडा | यंत्रमाग | | शेकडा |
| | २०११ | २०१२* | बदल | २०११ | २०१२* | बदल |
| संस्था (संख्या) | ६७३ | ६७० | (-)०.४ | १,५५१ | १,४७१ | (-) ५.२ |
| सभासद ('००) | ८९८ | ८८७ | (-) १.२ | ५६३ | ५२६ | (-)६.६ |
| भाग भांडवल | ७५.१८ | ७६.४७ | १.७ | १२८ | १०६.२ | (-)१७.० |
| *त्यापैकी,* राज्य शासनाचे | २.१६ | ४.८१ | १२२.७ | ९६.८१ | ५८.५४ | (-)३९.५ |
| मागांची संख्या ('०००) | २२२ | २४० | ८.१ | २११ | २५६ | २१.३ |
| उत्पादनाचे मूल्य | ७० | ६९ | (-)१.४ | ६५ | ६५ | ०.० |
| तोट्यातील संस्था (संख्या) | ३०२ | ३१० | २.६५ | ४८८ | ५७३ | १७.४ |
| तोटयाची रक्कम | १२ | १६ | ३३.३ | ५.२९ | ६.४५ | २१.९ |

*आधार* : सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन * अस्थायी

## साखर कारखाने

८.४२ देशातील एकूण साखर कारखान्यांपैकी ३२ टक्के कारखाने राज्यात असुन त्या खालोखाल २४ टक्के कारखाने उत्तर प्रदेशात आहेत. ३१ डिसेंबर, २०१२ रोजी देशातील एकूण साखरेच्या उत्पादनात राज्याचा हिस्सा ३५.३ टक्के होता, त्या खालोखाल उत्तर प्रदेश राज्याचा हिस्सा २३.७ टक्के होता. ३१ मार्च, २०१२ अखेर राज्यात २०२ साखर कारखाने होते. सहकारी साखर कारखान्यांची प्रगती तक्ता ८.२४ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ८.२४ सहकारी साखर कारखान्यांची प्रगती**

| तपशील | ३१ मार्च रोजी | | शेकडा बदल |
|---|---|---|---|
| | २०११ | २०१२* | |
| नोंदणीकृत कारखाने (संख्या) | २०२ | २०२ | ०.० |
| उत्पादन चालू असलेले कारखाने (संख्या) | १२३ | ११९ | (-) ३.३ |
| सभासद ('००) | २४,२१० | २४,४५० | १.० |
| राज्य शासनाचे भाग भांडवल (₹ कोटी) | १०५० | १०५० | ०.० |
| प्रतिदिन सरासरी गाळप क्षमता (लाख मे. टन) @ | ३.५ | ३.३५ | (-) ४.३ |
| गाळप झालेला ऊस (लाख मे. टन) | ६६४.८ | ५९१.४३ | (-) ११.० |
| उसाची किंमत (₹ प्रति टन ) | | | |
| अ) खरेदी | १,४५० | १,७०० | १७.२ |
| ब) कारखान्यांनी अदा केलेली | २,००० | २,०२५ | १.३ |
| साखर उत्पादन (लाख मे. टन) | ७५.३८ | ६९.४२ | (-) ७.९ |
| सरासरी उतारा (टक्के) | ११.३४ | ११.७४ | ३.५ |
| मळी (लाख मे. टन) | २६.५९ | २३.६५ | (-) ११.१ |
| कारखान्यांची संख्या | | | |
| अ) आसवनी प्रकल्प असलेल्या | ६५ | ६८ | ४.६ |
| ब) सह-वीज निर्मिती प्रकल्प असलेल्या | ३२ | ३७ | १५.६ |
| वीज निर्मिती (दशलक्ष युनिट) | ५८९.४ | ६११.४ | ३.७ |
| तोट्यातील कारखाने (संख्या) | ९० | ८९ | (-) १.१ |

*आधार* : साखर आयुक्त, निबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन *अस्थायी @ ऑक्टोबर ते सप्टेंबर करीता

**दूग्ध व्यवसाय**

८.४३ राज्यात ३१ मार्च, २०१२ अखेर २५,४३७ सहकारी दुग्ध संस्था व ८४ सहकारी दुग्ध संघ होते. सुमारे ५०.८ टक्के सहकारी दुग्ध संस्था व ३८.१ टक्के दुग्ध संघ तोट्यात होते. सहकारी दुग्ध संस्था व दुग्ध संघ यांची प्रगती तक्ता ८.२५ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ८.२५ सहकारी दुग्ध संस्था व दुग्ध संघ यांची प्रगती**

(₹ कोटी)

| तपशील | ३१ मार्च रोजी | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सहकारी दुग्ध संस्था | | शेकडा बदल | सहकारी दुग्ध संघ | | शेकडा बदल |
| | २०११ | २०१२* | | २०११ | २०१२* | |
| संस्था (संख्या) | २७,११० | २५,४३७ | (-) ६.२ | ७८ | ८४ | ७.७ |
| सभासद (लाख) | १६ | ११.८४ | (-) २६.० | ०.७८ | ०.८० | २.६ |
| भाग भांडवल | १६.७८ | १२.९६ | (-) २२.८ | ७६.८३ | ८२.७७ | ७.७ |
| खेळते भांडवल | १०.८८ | २०.४० | ८७.५ | ६२.५३ | ६७.३४ | ७.७ |
| दूध खरेदी (किंमत) | १०८.२७ | २१८.७७ | १०२.१ | ५३०.६१ | ५७१.६३ | ७.७ |
| दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री (किंमत) | १६९.७३ | १८०.२७ | ६.२ | ९४.७७ | १०२.१ | ७.७ |
| तोट्यातील संस्था (संख्या) | ११,५८३ | १२,९१४ | ११.५ | २७ | ३२ | १८.५ |
| तोटा | १२.२२ | १८.४२ | ५०.७ | ६४.४७ | ७५.८१ | १७.६ |

*आधार* : सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन * अस्थायी

**मत्स्यव्यवसाय**

८.४४ राज्यात ३१ मार्च, २०१२ रोजी ३,११३ प्राथमिक मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था, ३७ मत्स्यव्यवसाय सहकारी संघ आणि दोन महासंघ कार्यरत होते. या संस्थांतील सभासदांची संख्या २.८ लाख असून त्यांचेकडील खेळते भांडवल ₹ १३९.६८ कोटी आहे. या संस्थांनी सन २०११-१२ मध्ये ₹ ५२०.०४ कोटी किंमतीचे मासे व मत्स्योत्पादनाची विक्री केली, तर सन २०१०-११ मध्ये ही विक्री ₹ ३९९.७३ कोटी होती.

## सहकारी पणन संस्था

८.४५ सहकारी पणन संस्थांची संरचना त्रिस्तरीय आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या. ही शिखर संस्था असून जिल्हास्तरावर जिल्हा सहकारी पणन संस्था तर ग्रामस्तरावर प्राथमिक सहकारी पणन संस्था कार्यरत आहेत. मार्च, २०१२ अखेर सुमारे ६०.१ टक्के सहकारी पणन संस्था तोट्यात होत्या तर मार्च, २०११ अखेर ५१.७ टक्के संस्था तोट्यात होत्या. सहकारी पणन संस्थांची प्रगती तक्ता ८.२६ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ८.२६ सहकारी पणन संस्थांची प्रगती**

(₹ कोटी)

| तपशील | ३१ मार्च रोजी | | शेकडा बदल |
|---|---|---|---|
| | २०११ | २०१२* | |
| संस्था (संख्या) | १,७७९ | १,७६८ | (- ) ०.६ |
| सभासद (लाखात) | १३ | १४ | ७.७ |
| भाग भांडवल | ७६ | ८४ | १०.५ |
| *त्यापैकी,* राज्य शासनाचे | २५ | २५ | ०.० |
| खेळते भांडवल | १,३०० | १,४९६ | १५.१ |
| विक्री | | | |
| (अ) शेतमाल | ७२७ | ९९९ | ३७.४ |
| (ब) खते | ७९२ | ८८७ | १२.० |
| (क) बियाणे | ४२ | ४३ | २.४ |
| (ड) ग्राहकपयोगी वस्तू | ३८८ | ३९२ | १.० |
| तोट्यातील संस्था (संख्या) | ९२० | १०६२ | १५.४ |
| तोटा | २२ | २० | (-) ९.१ |

*आधार* : सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन * अस्थायी

## बिगर कृषि पतसंस्था

८.४६ राज्यात ३१ मार्च, २०१२ रोजी ५२६ नागरी सहकारी बँका, १५,००४ नागरी सहकारी पतपुरवठा संस्था व ७,३१७ पगारदारांच्या नोकरांच्या सहकारी संस्था होत्या. एकूण बिगर कृषि पतपुरवठा संस्थांपैकी २४.१ टक्के संस्था तोट्यात होत्या. बिगर कृषि पतपुरवठा संस्थांची कामगिरी तक्ता ८.२७ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ८.२७ बिगर कृषि पतपुरवठा संस्थांची प्रगती**

(₹ कोटी)

| तपशील | ३१ मार्च रोजी | | शेकडा बदल |
|---|---|---|---|
| | २०११ | २०१२* | |
| संस्था (संख्या) | २३,४३४ | २२,८४७ | (-) २.५ |
| सभासद (लाख) | २१६ | २०० | (-) ७.४ |
| ठेवी | ५७,९०७ | ५७,२५९ | (-) १.१ |
| स्वनिधी | १५,१२५ | १५,८४२ | ४.७ |
| भाग भांडवल | ५,९९९ | ६,४७८ | ८.० |
| *त्यापैकी,* राज्य शासनाचे | ०.७ | ०.७ | ०.० |
| खेळते भांडवल | १,०४,८१४ | १०८,३८५ | ३.४ |
| कर्ज वाटप- आगाऊ कर्ज | ४९,९०७ | ५९,७२३ | १९.७ |
| येणे कर्ज | ४७,८६३ | ५०,७५७ | ६.० |
| थकित कर्ज | ६,८९० | ६,७५५ | (-) २.० |
| कर्ज वसुली | ४६,२९० | ४९,६७२ | ७.३ |
| तोट्यातील संस्था (संख्या) | ५,६९७ | ५,५०२ | (-) ३.४ |
| तोटा | ४१६ | ३९५ | (-) ५.० |

*आधार* : सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन * अस्थायी

## नागरी सहकारी बँका

८.४७ देशातील एकूण नागरी सहकारी बॅकांपैकी ३२.५ टक्के बँका राज्यात स्थित आहेत. दिनांक ३१ मार्च, २०१२ रोजी एकूण ९६ बँका अवसायनात आहेत. यापैकी, विमा उतरविलेल्या ८४ बँकांतील एक लाखापेक्षा कमी रक्कमेच्या ठेवींना परतावा देण्यासाठी ठेवी विमा पत हमी महामंडळाने मान्यता दिली असून, ठेवींच्या वितरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. दोन बँकांनी न्यायालयाकडून स्थगिती मिळविली आहे तर उर्वरित दहा बँकांचे लेखा परिक्षणाचे काम सुरु आहे.

## इतर सहकारी संस्था

८.४८ राज्यात ३१ मार्च, २०१२ रोजी ८८,४७२ सहकारी गृहनिर्माण संस्था होत्या, त्यातील सभासद संख्या २३.११ लाख होती. या संस्थांमध्ये एकूण २३,४१४ कर्मचारी होते. तसेच ११,२०३ कंत्राटी मजूर संस्था होत्या त्यातील सभासद संख्या ७.०८ लाख होती. ६९,०६५ सदस्य संख्या असलेल्या ३२४ श्रमिक वन संस्था होत्या, त्यापैकी, १२४ संस्था (३८.३ टक्के) नफ्यात होत्या.

## सहकारी गृहनिर्माण वित्तीय महामंडळ

८.४९ महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण वित्तीय महामंडळ मर्या. ही राज्यातील गृहनिर्माण पतपुरवठा करणारी मध्यवर्ती संस्था आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण वित्तीय महामंडळ मर्या. संस्थेची प्रगती तक्ता ८.२८ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ८.२८ महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण वित्तीय महामंडळ मर्या. संस्थेची प्रगती**

(₹ कोटी)

| तपशील | ३१ मार्च रोजी | | शेकडा बदल |
|---|---|---|---|
| | २०११ | २०१२* | |
| सभासद (संख्या) | १०,९३१ | १०,८१६ | (-) १.१ |
| ठेवी | - | ०.०२ | - |
| खेळते भांडवल | १२६.१८ | १०९.५३ | (-) १३.२ |
| स्थूल कर्ज | ६४४ | ६४४ | ०.० |
| येणे कर्ज | ९०.११ | ७७.८६ | (-) १३.६ |
| थकीत कर्ज | ३२.८५ | २५.०३ | (-) २३.८ |
| कर्ज वसुली | १७.६८ | १२.२५ | (-) ३०.७ |

*आधार* : महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण महामंडळ मर्यादित * अस्थायी

८.५० महाराष्ट्र राज्य सहकारी ग्राहक महासंघ ही शिखर संस्था असून ती जिल्हास्तरावर कार्यरत असलेल्या घाऊक ग्राहक भांडारांच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवते. ही घाऊक ग्राहक भांडारे गाव पातळीवर कार्यरत असणाऱ्या प्राथमिक ग्राहक भांडारांना माल वितरित करतात. राज्यात ३१ मार्च, २०१२, रोजी शिखर ग्राहक महासंघाव्यतिरिक्त १७३ घाऊक ग्राहक भांडारे व २,७८७ प्राथमिक ग्राहक भांडारे कार्यरत होती. ग्राहक महासंघ, घाऊक व प्राथमिक सहकारी ग्राहक भांडारांची प्रगती तक्ता ८.२९ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ८.२९ ग्राहक महासंघ, घाऊक व प्राथमिक सहकारी ग्राहक भांडारांची प्रगती**

(₹ कोटी)

| तपशील | ३१ मार्च रोजी | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ग्राहक महासंघ | | घाऊक ग्राहक भांडार | | प्राथमिक ग्राहक भांडार | |
| | २०११ | २०१२* | २०११ | २०१२* | २०११ | २०१२* |
| संख्या | १ | १ | १७४ | १७३ | २,८५५ | २,७८७ |
| सभासद ('००) | ६ | ६ | ३,५२२ | ३,४५७ | १७,५१३ | १७,२५५ |
| भाग भांडवल | १.६५ | १.६५ | १७.८७ | २१.१८ | ३०.५५ | ३०.३३ |
| *त्यापैकी,* राज्य शासनाचे | १.१४ | १.१४ | ३.०१ | २.१७ | ०.८३ | ०.९२ |
| तोटा | ०.६६ | १.२३ | ४.२४ | ४.३० | ५.६० | ५.६१ |
| तोट्यातील ग्राहक भांडारे (संख्या) | ६# | ७# | ५५ | ५८ | १,०४० | १,०२० |

*आधार* : सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन * अस्थायी # शाखा

## खाजगी सावकार

८.५१ कृषी व बिगर कृषी पतपुरवठा संस्थांव्यतिरिक्त खाजगी सावकारांना, वैयक्तिक कर्जाचे वाटप करण्यास राज्य शासनाने अनुमती दिली आहे. सहकारी खाजगी सावकारांना कर्जे देण्यास प्राधिकृत करण्याचे परवाने सहकार आयुक्तालयामार्फत दिले जातात. खाजगी सावकारांची प्रगती तक्ता ८.३० मध्ये दिला आहे.

**तक्ता ८.३० खाजगी सावकारांची प्रगती**

| तपशील | ३१ मार्च रोजी | | शेकडा बदल |
|---|---|---|---|
| | २०११ | २०१२* | |
| परवाना धारक (संख्या) | ८,६२३ | ९,७८० | १७.५१ |
| पारित केलेले नवीन परवाने (संख्या) | १,३३१ | १,५९५ | १९.८३ |
| नुतनीकरण केलेले परवाने (संख्या) | ७,२९२ | ८,१८५ | १२.२५ |
| रद्द केलेले परवाने (संख्या) | ३०३ | १७९ | (-) ४०.९२ |
| कर्जदार सभासद (व्यापारी / बिगर व्यापारी / शेतकरी ) | ६,७७,१६५ | ८,५६,४७२ | २६.४८ |
| वाटप केलेले कर्ज (₹ कोटी) | ८५१ | ६७६ | (-) २०.५६ |

*आधार* : सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन * अस्थायी

* * * * *

## परिशिष्ट ८.१
## महाराष्ट्र राज्यातील उद्योगांना वित्तीय संस्थांनी मंजूर केलेले व वितरित केलेले अर्थसहाय्य

(₹ कोटी)

| अनु. क्र. | वित्तिय संस्था | १९९०-९१ | | २०००-०१ | | २०१०-११ | | २०११-१२* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मंजूर | वाटप | मंजूर | वाटप | मंजूर | वाटप | मंजूर | वाटप |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) |
| १ | भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळ मर्यादित | ४०७.७७ | २५१.९३ | २७५.६० (१६) | २८८.४९ (१३) | ३,६१०.०० (३१) | २९३७.०१ (३५) | ९५६.८२ (२६) | १५८७.३९ (२७) |
| २ | भारतीय लघु उद्योग विकास बँक | ३०६.७३ | २२७.२४ | २,०८१.८७ (१९) | १,३२०.७९ (२१) | उ.ना. | उ.ना. | उ.ना. | उ.ना. |
| ३ | भारतीय उद्योग गुंतवणूक बँक मर्या. | ३३.५४ | २५.५४ | ५७६.५९ (२७) | ५६०.२७ (३३) | उ.ना. | उ.ना. | उ.ना. | उ.ना. |
| ४ | भारतीय आयात - निर्यात बँक | उ.ना. | उ.ना. | उ.ना. | उ.ना. | ८,३६२.०० (२२) | ७,२३५.०० (२९) | ७०६२.०० (२१) | ६४१०.०० (२५) |
| ५ | भारतीय आयुर्विमा महामंडळ | २५४.५५ | ११०.५८ | ५,१५०.६५ (४७) | ३,९१९.१२ (५५) | २०,७४६.९४ (५०) | १९,३४५.२७ (५५) | २१,४७६.९२ (५२) | २१,८८४.२७ (५२) |
| ६ | भारतीय सर्वसाधारण विमा महामंडळ $ | १०८.३४ | ५२.२५ | ६१.४१ (३९) | ८८.६० (५६) | ६२७.४० (४६) | ६२७.४० (४६) | ७११.६५ (३९) | ७११.६५ (३९) |
| ७ | महाराष्ट्र राज्य वित्तिय महामंडळ | १५७.९७ | ९४.६१ | ६८.६३ | ४७.१२ | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| ८ | सिकॉम मर्यादित | ८५.४० | ६८.८७ | ५९३.०० | ४६३.०० | ४,९४७.०० | ५,३४०.०० | ६,८७५.०० | ५,९३३.०० |
| ९ | इतर # | ३,३९१.३८ | १,९६१.०३ | ६१,२२०.०९ | ३५,८८६.७५ | --- | --- | --- | --- |
| | **एकूण** | **४,७४५.६८** | **२,८१२.०५** | **७०,०२७.८४** | **४२,५७४.१४** | **३८,२९३.३४** | **३५,४८४.६८** | **३७,०८२.३९** | **३६,५२६.३१** |

आधार - ह्या तक्त्यात उल्लेखिलेल्या वित्तीय संस्था

टीप - (१) कंसातील आकडे सदर संस्थेची भारतातील टक्केवारी दर्शवितात.

(२) # आयसीआयसीआय, भारतीय औद्योगिक विकास बँक व युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या वित्तीय संस्थांनी केलेल्या अर्थसहाय्याचा यात समावेश आहे. या संस्थांनी उद्योगांना अर्थसहाय्य देणे बंद केले आहे.

(३) $ यामध्ये वित्तीय संस्थांची रोखे हमी व शासकीय रोखे हमीचा अंतर्भाव आहे.

* अस्थायी उ.ना. - उपलब्ध नाही.

## परिशिष्ट ८.२
## महाराष्ट्र राज्यातील खनिजांचे उत्पादन

(उत्पादन : हजार टनात)
(मूल्य : ₹ लाख)

| अ. क्र. | खनिज पदार्थ | उत्पादन / मूल्य | १९६१$ | १९७१$ | १९८०-८१ | १९९०-९१ | २०००-०१ | २०१०-११ | २०११-१२ * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) |
| १ | क्रोमाईट | उत्पादन | १ | ३ | २ | ... | ०.६ | ... | ... |
| | | मूल्य | १ | ५ | ५ | ... | ८ | ... | ... |
| २ | कोळसा | उत्पादन | ८५६ | २,०८५ | ५,७७० | १६,८४८ | २८,७५४ | ३६,९३२ | ३७,९४५ |
| | | मूल्य | १८६ | ७४५ | ६,६८१ | ४७,२४४ | २,१०,१९२ | ५,०८,२४९ | ५,६९,१७८ |
| ३ | कच्चे लोखंड | उत्पादन | ३६२ | ६१३ | १,४५६ | ६४५ | २२ | १,०१८ | २,३९६ |
| | | मूल्य | ५१ | ६९ | ६५७ | ३८४ | ३१ | ७,१५४ | १७,७०६ |
| ४ | चुनखडी | उत्पादन | ५५ | ३६३ | ७१५ | ५,१३५ | ६,०६६ | १०,४३१ | २१,२८६ |
| | | मूल्य | २ | ३३ | १६३ | १,९६८ | ५,२६६ | १५,६४७ | ४९,२३७ |
| ५ | कच्चे मँगनीज | उत्पादन | १७९ | २१८ | २३२ | २७६ | ३६३ | ५८९ | ६५५ |
| | | मूल्य | २०६ | १४८ | ५५३ | १,६१५ | ६,२८० | ५४,१०९ | ३९,५५५ |
| ६ | केओलिन (नैसर्गिक) | उत्पादन | २ | ३ | ५ | ३ | ०.२ | ... | ... |
| | | मूल्य | ०.१३ | ०.१६ | १ | १ | ०.२९ | ... | ... |
| ७ | बॉक्साईट | उत्पादन | २७ | ३०२ | ३६५ | ५४३ | १,०२७ | २,४९२ | २,४३६ |
| | | मूल्य | २ | २१ | १३७ | ४४३ | १,७०५ | ४,५८५ | ७,९०९ |
| ८ | मीठ | उत्पादन | ३८४ | ४७२ | ५४० | २२९ | १४८ | १८० | १७० |
| ९ | डोलोमाईट | उत्पादन | ६ | ५ | २७ | २८ | ६५ | ७९ | ९४ |
| | | मूल्य | ०.३८ | १ | ८ | २७ | १४५ | ७१ | २२६ |
| १० | सिलिका सँड | उत्पादन | ५ | २७ | ८९ | १९७ | १६८ | ३२७ | ३७० |
| | | मूल्य | ०.३४ | ३ | ३ | ८७ | २२८ | ९८२ | १,४६१ |
| ११ | फ्लोराईट (ग्रेडेड) | उत्पादन | ... | ... | ... | ३ | ३ | २८४ | २ |
| | | मूल्य | ... | ... | ... | ... | २४ | १२,४५७ | १८९ |
| १२ | लॅटेराईट | उत्पादन | ... | ... | ... | ८५ | ८३ | ४९ | २५३ |
| | | मूल्य | ... | ... | ... | ७६ | १०७ | ५८ | ३०४ |
| १३ | कायनाईट | उत्पादन | ... | ५ | २२ | १५ | ०.२ | ३ | ... |
| | | मूल्य | ... | ११ | ५३ | ८५ | १ | २४ | ... |
| १४ | इतर $$ | उत्पादन | ... | ४ | ५४४ | ९१२ | ३०६ | ४,०३४ | ९३३ |
| | | मूल्य | ... | ०.३६ | २७ | १९६ | ४९ | ५,२५८ | १,४०१ |
| | **एकूण मूल्य (१ ते १४) †** | | **४५०** | **१,०३६** | **८,३१०** | **५२,१२६** | **२,२४,०३६** | **६,०८,५९६** | **६,८७,१६६** |

**आधार** - (१) भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, नागपूर

(२) सहाय्यक मीठ आयुक्त, भारत सरकार, मुंबई (फक्त मीठाकरिता).

* अस्थायी

$ आकडे कॅलेन्डर वर्षाकरिता आहेत.

$$ कोरंडम, क्ले, पायरोफायलाईट, स्फटिक, वाळू (इतर), सिलीमानाईट, फायर क्ले आणि शेल हे इतर खनिजांमध्ये अंतर्भूत आहेत.

† मिठाचे मूल्य एकूण मूल्यात अंतर्भूत केलेले नाही.

## परिशिष्ट ८.३
## भारतातील औद्योगिक उत्पादनांचे निर्देशांक

(पायाभूत वर्ष २००४-०५ = १००)

| अ.क्र. | बाब | **भार** | २००५-०६ | २००६-०७ | २००७-०८ | २००८-०९ | २०१०-११ | २०११-१२ | २०१२-१३ + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | **(३)** | (४) | (५) | (६) | (७) | (९) | (९) | (१०) |
| **I** | **सर्वसाधारण निर्देशांक** | **१००.००** | **१०८.६** | **१२२.६** | **१४१.७** | **१४५.२** | **१६५.५** | **१७०.३** | **१६९.६** |
| **II** | **खाणकाम व दगड खाणकाम** | **१४.१६** | **१०२.३** | **१०७.५** | **११२.५** | **११५.४** | **१३१.०** | **१२८.५** | **१२३.३** |
| **III** | **वस्तुनिर्माण** | **७५.५३** | **११०.३** | **१२६.८** | **१५०.१** | **१५३.८** | **१७५.७** | **१८१.०** | **१८०.२** |
| | **उद्योग गट** | | | | | | | | |
| १ | खाद्य उत्पादने व पेय | **७.२८** | ११३.२ | १३१.२ | १४७.५ | १३५.४ | १४२.९ | १६४.८ | १६०.४ |
| २ | तंबाखू उत्पादने | **१.५७** | १०१.० | १०२.९ | ९८.४ | १०२.७ | १०४.१ | १०९.७ | १०६.४ |
| ३ | कापड उत्पादने | **६.१६** | १०८.३ | ११६.८ | १२४.६ | १२०.१ | १३५.९ | १३४.० | १४१.९ |
| ४ | परिधान करावयाची वस्त्रे व रंगाई करणे | **२.७८** | ११४.१ | १३७.२ | १४९.९ | १३४.६ | १४२.२ | १३०.१ | १३५.९ |
| ५ | प्रवास सामान पिशव्या, पादत्राणे, चामडे कमावणे, साफ करणे आणि चामडयाचे उत्पादन | **०.५८** | ९०.९ | १०४.० | ११०.० | १०४.४ | ११४.३ | ११८.५ | १२५.५ |
| ६ | लाकुड व लाकडाची उत्पादने (लाकडी बूच सोडून) | **१.०५** | १०६.८ | १२६.० | १४८.० | १५५.३ | १५६.५ | १५९.२ | १४४.५ |
| ७ | कागद आणि कागदाची उत्पादने | **१.००** | १०६.३ | १११.० | ११२.६ | ११८.० | १३१.४ | १३८.० | १३८.४ |
| ८ | प्रकाशने, छपाई आणि प्रसार माध्यमे यांची प्रतिलिपी नोंद ठेवणे | **१.०८** | ११३.७ | १२२.८ | १४०.२ | १४२.४ | १४८.८ | १९२.८ | १८३.४ |
| ९ | कोक, रिफाईन्ड पेट्रोलियम उत्पादने आणि न्युक्लीक इंधन | **६.७२** | १००.६ | ११२.६ | ११९.६ | १२३.४ | १२१.५ | १२५.८ | १३४.५ |
| १० | रसायने व रासायनिक उत्पादने | **१०.०६** | १०१.० | ११०.४ | ११८.४ | ११५.० | १२३.१ | १२२.७ | १२७.२ |
| ११ | रबर आणि प्लॅस्टिक उत्पादने | **२.०३** | ११२.३ | ११९.६ | १३५.७ | १४२.६ | १८५.२ | १८४.६ | १८५.१ |
| १२ | अधातू खनिज उत्पादने | **४.३१** | १०७.८ | ११९.५ | १३०.६ | १३४.९ | १५१.४ | १५८.६ | १५७.५ |
| १३ | मूलभूत धातू | **११.३४** | ११५.५ | १३२.६ | १५६.३ | १५९.० | १७६.७ | १९२.१ | १९५.९ |
| १४ | फेब्रीकेटेड धातू उत्पादने (यंत्र व सामग्री सोडून) | **३.०९** | १११.१ | १३३.३ | १४३.८ | १४४.० | १८२.८ | २०३.३ | १८७.० |
| १५ | यंत्रे व यंत्रसामग्री | **३.७६** | १२६.१ | १५०.९ | १८५.० | १७१.० | २५६.३ | २४१.३ | २२०.१ |
| १६ | कार्यालयीन लेखा आणि संगणक सामुग्री | **०.३१** | १४५.३ | १५५.५ | १६४.८ | १४८.८ | १४६.३ | १४८.७ | १२५.१ |
| १७ | विद्युत सामुग्री आणि उपकरणे | **१.९८** | ११६.८ | १३१.६ | ३७३.० | ५३०.८ | ४७२.१ | ३६७.१ | ३४१.३ |
| १८ | रेडीओ, टि.व्ही. आणि दळण- वळणाची साधने आणि उपकरणे | **०.९९** | १२२.७ | ३१२.८ | ६०४.२ | ७२६.७ | ९११.५ | ९५०.५ | १०३३.४ |
| १९ | औषधे, चष्म्याची उपकरणे, भितींवरील घडयाळे व मनगटी घडयाळे | **०.५७** | ९५.४ | १०४.८ | १११.४ | ११९.८ | १०७.८ | ११९.५ | ११२.४ |
| २० | मोटार वाहने, ट्रेलर्स, सेमी ट्रेलर्स | **४.०६** | ११०.१ | १३८.० | १५१.२ | १३८.० | २३३.३ | २५८.६ | २४०.८ |
| २१ | इतर परिवहन सामग्री | **१.८३** | ११५.३ | १३२.९ | १२९.० | १३४.० | २१०.७ | २३५.८ | २३२.५ |
| २२ | फर्निचर, वस्तूनिर्माण व्यतिरिक्त | **३.००** | ११६.२ | १११.७ | १३२.७ | १४२.५ | १४१.२ | १३८.६ | १३२.२ |
| **IV** | **विद्युत** | **१०.३२** | **१०५.२** | **११२.८** | **१२०.०** | **१२३.३** | **१३८.०** | **१४९.३** | **१५५.८** |

आधार - केंद्रीय सांख्यिकी संघटना, भारत सरकार

\+ एप्रिल, २०१२ ते जानेवारी, २०१३

## परिशिष्ट ८.४
## महाराष्ट्र राज्यातील उद्योगांच्या महत्त्वाच्या बाबी

(₹ कोटी)

| उद्योग गट (दोन अंकी) एनआयसी २००८ | वर्ष | उद्योगांची संख्या | स्थिर भांडवल | खेळते भांडवल | कामगारांचे वेतन | एकूण उत्पादन | वापरलेला माल | एकूण निविष्टी | मूल्यवृद्धी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) |
| (१) सरकी काढणे, वटणी, सफाई | २००९-१० | ५८२ | ६१२ | ४३७ | ३६ | ४,६५० | ३,३८५ | ४,३७१ | २१९ |
| इत्यादी (०१) | २०१०-११ | ९२७ | ८९४ | १,४८५ | ५८ | १२,०४९ | ८,३७२ | ९,७२६ | २,२२० |
| (२) मिठाचे उत्पादन (०८) | २००९-१० | २५ | २१ | ३ | १ | ३ | ० | २ | १ |
| | २०१०-११ | ४४ | १ | ४ | ४ | १० | ० | ३ | ८ |
| (३) खाद्य उत्पादने व पेये (१०, ११) | २००९-१० | २,२५२ | १४,२८७ | २,३६४ | १,०७९ | ७०,८७४ | ४९,८७३ | ६२,८५५ | ६,८५४ |
| | २०१०-११ | २,९४८ | २१,३८९ | ५,७३२ | १,४६८ | ८९,५४१ | ६९,२५४ | ८०,०९३ | ८,०३१ |
| (४) तंबाखू उत्पादने (१२) | २००९-१० | ११२ | ५९६ | ३४९ | ९८ | १,६३५ | ६४० | १,१८२ | ४३२ |
| | २०१०-११ | १२८ | ११७ | १७० | ९९ | १,१३४ | ६९६ | ८१० | ३०८ |
| (५) वस्त्रोद्योग (१३) | २००९-१० | १,३८९ | १२,७६६ | ६,६५८ | ८०० | २६,१९० | १३,५९२ | २१,३९० | ३,५८८ |
| | २०१०-११ | १,९७४ | १३,१९७ | ४,६५६ | ९७५ | ३१,१७५ | १७,८०२ | २५,९१४ | ३,९४८ |
| (६) परिधान करण्याची वस्त्रे (१४) | २००९-१० | ५५७ | १,७४६ | १,२७६ | १९३ | ७,१७० | ३,५३१ | ५,३९६ | १,६१४ |
| | २०१०-११ | १,१०४ | १,००४ | १,५७५ | २८३ | ८,११७ | ३,६२२ | ६,३०५ | १,६९९ |
| (७) कातडी कमावणे व चामड्याची | २००९-१० | ८९ | ८५ | ६३ | २८ | ५५५ | ३१८ | ४१२ | १३२ |
| उत्पादने (१५) | २०१०-११ | १३८ | १३१ | (-)३१ | २६ | ७७९ | ३८७ | ६०३ | १६१ |
| (८) लाकूड व लाकडाची उत्पादने (१६) | २००९-१० | १९७ | २२५ | १५४ | २४ | १,१४० | ६१२ | ९७६ | १४१ |
| | २०१०-११ | २९२ | २५६ | १३६ | ३४ | १,५६१ | १,१६४ | १,३८२ | १५७ |
| (९) कागद व कागदाची उत्पादने (१७) | २००९-१० | ७०२ | ४,५८९ | ७३७ | १५१ | ५,३६१ | ३,००८ | ४,०६९ | १,०५४ |
| | २०१०-११ | ९५५ | ५,८०१ | १,३२९ | १९८ | ७,५७८ | ४,९२३ | ६,०६१ | १,१९३ |
| (१०) प्रकाशन आणि मुद्रण (१८) | २००९-१० | ६३१ | २,९८९ | (-)१,३४० | १९२ | ६,१३६ | ३,०६२ | ४,४०९ | १,४०७ |
| | २०१०-११ | ९९८ | ३,९९९ | (-)१५ | २२२ | ७,९१५ | ३,४०३ | ५,२७२ | २,१८२ |
| (११) कोळसा, शुद्ध पेट्रोलियम यांची | २००९-१० | १४५ | ९,९११ | २,९९८ | २६८ | ९२,२०५ | ५८,८५४ | ६१,१७५ | ३०,४५७ |
| उत्पादने इत्यादी (१९) | २०१०-११ | २१६ | १०,५०१ | ३,७११ | ३३६ | १,०७,२५९ | ६८,६७६ | ७१,८४८ | ३४,७५० |
| (१२) रसायने व रासायनिक उत्पादने | २००९-१० | १,८२३ | ३१,०५७ | १३,८३५ | १,३०० | ७२,४९२ | ३७,८६१ | ५३,८०९ | १५,५९२ |
| इत्यादी (२०,२१) | २०१०-११ | २,७०६ | ३०,५०७ | १९,१५३ | १,६१० | ८५,२०६ | ४४,१६० | ६३,४६८ | १८,६२८ |
| (१३) रबर आणि प्लॅस्टिक उत्पादने (२२) | २००९-१० | १,१४३ | ११,२९३ | ५,३३२ | ४८८ | २५,५७२ | १६,१३१ | १९,६६१ | ५,०३८ |
| | २०१०-११ | १,८०१ | ८,९५५ | ३,२१३ | ५७५ | ३५,४५० | १७,८९७ | २१,८५३ | १२,७६४ |
| (१४) इतर अधातू खनिज उत्पादने (२३) | २००९-१० | ६८९ | ४,६६८ | १,२०६ | १७८ | ८,३२२ | ३,२४६ | ४,९०७ | ३,०७१ |
| | २०१०-११ | १,०३४ | ६,३४९ | ८९९ | २६९ | ९,५०५ | ४,३०२ | ६,८०४ | २,२९८ |
| (१५) मूलभूत धातू (२४) | २००९-१० | १,०६२ | २९,७०८ | ६,४०५ | ८५३ | ७४,२७४ | ५२,९९८ | ६४,४१२ | ७,६६६ |
| | २०१०-११ | १,४९९ | ४१,६३० | ११,८७९ | १,००५ | ८९,४४१ | ६४,१२१ | ७७,९३२ | ९,१४८ |
| (१६) धातूच्या तयार वस्तू (२५) | २००९-१० | २,२११ | ७,२६३ | २,२३३ | ७९२ | २३,०८० | १४,२२२ | १८,५७३ | ३,७५० |
| | २०१०-११ | ३,०६५ | १०,१९४ | ६,१५३ | १,१३३ | ४२,२७२ | २३,३९० | ३१,३७५ | ९,७९७ |

(पुढे चालू)

## परिशिष्ट ८.४ (समाप्त)
## महाराष्ट्र राज्यातील उद्योगांच्या महत्त्वाच्या बाबी

| | उद्योग गट (दोन अंकी) (एनआयसी २००८ ) | वर्ष | उद्योगांची संख्या | स्थिर भांडवल | खेळते भांडवल | कामगारांचे वेतन | एकूण उत्पादन | वापरलेला माल | एकूण निविष्टी | मूल्यवृद्धी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) |
| (१७) | कार्यालयीन लेखांकन व संगणना यंत्रसामग्री , रेडिओ, दूरदर्शन, दळणवळण सामग्री आणि उपकरणे, वैद्यकीय, अचूक मोजमापनाची व ऑप्टीकल साधने इत्यादी (२६) | २००९-१० | ३३७ | ५,३७२ | ४,६२५ | २७९ | १७,०५७ | ९,६०७ | १२,३११ | ४,१२० |
| | | २०१०-११ | ४८२ | ४,१७१ | ७,२१६ | २६६ | १७,५१८ | ११,१३४ | १३,७७० | ३,३०९ |
| (१८) | विद्युत यंत्रसामग्री व उपकरणे (२७) | २००९-१० | ९६६ | ५,४२९ | २,९८९ | ४७८ | २८,१६३ | १७,१३० | २१,४२० | ६,१४२ |
| | | २०१०-११ | १,३८३ | ६,४४६ | ६,५३५ | ६३१ | ३५,९६१ | २२,९७६ | २७,२६३ | ७,९७४ |
| (१९) | यंत्रे व यंत्रसामग्री दुरुस्ती व उभारणी (२८,३३) | २००९-१० | १,८०६ | १२,३७२ | ९,२०५ | १,०६६ | ४४,२३० | २१,८९७ | ३२,३५५ | १०,६३९ |
| | | २०१०-११ | २,३३१ | १३,६९८ | १०,३१५ | १,६१३ | ६१,०१८ | ३१,७८८ | ४५,३८२ | १४,३१९ |
| (२०) | मोटार वाहने, ट्रेलर्स (२९) | २००९-१० | ९२६ | २१,३८८ | (-)६,११३ | १,६४३ | ५१,२४३ | ३७,६५५ | ४३,८२० | ५,२४८ |
| | | २०१०-११ | १,२०६ | २५,५७७ | (-)२६,९९८ | २,००७ | ६५,४६७ | ४६,५५६ | ५६,३७३ | ६,६७६ |
| (२१) | इतर परिवहन सामग्री (३०) | २००९-१० | २४७ | ३,२८० | २,१४८ | ३३६ | १८,३३९ | १२,१०५ | १३,३०० | ४,७८० |
| | | २०१०-११ | ३४० | ४,०६० | ३,४४१ | ४२५ | २६,६१३ | १८,३०४ | २०,५३३ | ५,६९८ |
| (२२) | फर्निचर (इतरत्र वर्गीकरण न केलेले) (३१,३२) | २००९-१० | ८७९ | २,५८९ | ६,०७८ | ४७९ | २५,२७५ | १६,८३० | २१,७५१ | ३,२६६ |
| | | २०१०-११ | १,२७८ | २,८५१ | ६,४४० | ५७६ | २८,५४९ | १८,३६५ | २४,३३२ | ३,९७३ |
| (२३) | इतर | २००९-१० | ६८९ | १५,०२१ | १,८२५ | २२५ | २०,०८३ | १,८८२ | १६,५१२ | २,६६४ |
| | | २०१०-११ | १,७३० | २०,९०९ | ११७ | २३६ | २३,८५० | ३,३८१ | १९,७६६ | ३,०८७ |
| | **एकूण** | **२००९-१०** | **१९,४५९** | **१,९७,२७४** | **६३,४६७** | **१०,९८७** | **६,२४,०४९** | **३,७८,४४०** | **४,८९,०६६** | **१,१७,८७२** |
| | | **२०१०-११** | **२८,५७९** | **२,३२,६३५** | **६७,११६** | **१४,०५२** | **७,८७,९७०** | **४,८४,६७३** | **६,१६,८६७** | **१,५२,३२८** |

आधार - वार्षिक उद्योग पाहणी, केंद्रीय सांख्यिकी संघटना, भारत सरकार

## परिशिष्ट ८.५
## महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी संस्थांची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये

| बाब | १९६०-६१ | १९७०-७१ | १९८०-८१ | १९९०-९१ | २०००-०१ | २०१०-११ | २०११-१२* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
| **१. सहकारी संस्थांची संख्या** | | | | | | | |
| (१) शिखर व मध्यवर्ती कृषि व बिगर-कृषि पतसंस्था | ३९ | २९ | ३१ | ३४ | ३४ | ३४ | ३४ |
| (२) प्राथमिक कृषि पतसंस्था $ | २१,४०० | २०,४२० | १८,५७७ | १९,५६५ | २०,५५१ | २१,४५१ | २१,४४३ |
| (३) बिगर-कृषि पतसंस्था | १,६३० | २,९६४ | ५,४७४ | ११,२९१ | २२,०१४ | २३,४३४ | २२,८४७ |
| (४)पणन संस्था | ३४४ | ४१० | ४२३ | ९३१ | १,११५ | १,७७९ | १,७६८ |
| (५) शेतमाल प्रक्रिया उपक्रम @ | ४,३०६ | ६,८१० | १४,३२७ | २८,९५४ | ३९,०७० | ४८,८४८ | ४८,५२९ |
| (६) सामाजिक सेवा व इतर सहकारी संस्था @ | ३,८४६ | ११,९६४ | २१,९१५ | ४३,८४५ | ७५,२३२ | १,२८,७६० | १,३३,३१७ |
| **एकूण** | **३१,५६५** | **४२,५९७** | **६०,७४७** | **१,०४,६२०** | **१,५८,०१६** | **२,२४,३०६** | **२,२७,९३८** |
| **२. सभासदांची संख्या (०००')** | | | | | | | |
| (१) शिखर व मध्यवर्ती कृषि व बिगर-कृषि पतसंस्था $$ | ७६ | ७० | १,०१४ | १,४८५ | १,३७१ | २४७ | २६० |
| (२) प्राथमिक कृषि पतसंस्था | २,१७० | ३,७९४ | ५,४१६ | ७,९४२ | १०,१२५ | १५,००१ | १५,३५२ |
| (३) बिगर-कृषि पतसंस्था | १,०८७ | २,४३८ | ३,७५९ | ९,३०२ | १८,४६७ | २१,६१८ | १९,९९७ |
| (४) पणन संस्था | १४१ | २८२ | ४७१ | ७४५ | ८४० | १,३३७ | १,४१० |
| (५) शेतमाल प्रक्रिया उपक्रम | ३२३ | ९५९ | २,१२४ | ३,९७४ | ६,३३९ | ८,०१० | ८,५३० |
| (६) सामाजिक सेवा व इतर सहकारी संस्था | ३९४ | १,०३८ | १,९९९ | ३,४५५ | ५,८८० | ६,८०९ | ६,९४६ |
| **एकूण** | **४,१९१** | **८,५८१** | **१४,७८३** | **२६,९०३** | **४३,०२२** | **५३,०२२** | **५२,४९५** |
| **३. खेळते भांडवल (₹ कोटी)** | | | | | | | |
| (१) शिखर व मध्यवर्ती कृषि व बिगर-कृषि पतसंस्था | ११९ | ६१३ | १,८३१ | ८,८०६ | ३९,२६७ | ८९,७१९ | ९३,६४५ |
| (२) प्राथमिक कृषि पतसंस्था | ५८ | ३४३ | ५२७ | १,८५१ | ६,९८८ | १८,९८७ | १७,६४० |
| (३)बिगर-कृषि पतसंस्था | ४६ | १६८ | १,२०९ | ७,५०८ | ६६,८८७ | १,०४,८१४ | १,०८,३८५ |
| (४)पणन संस्था | ६ | ३९ | १८८ | ३४० | १,५१८ | १,३०० | १,४९६ |
| (५)शेतमाल प्रक्रिया उपक्रम | ४१ | २१९ | १,०२९ | ४,५८८ | १३,२८८ | २८,७१७ | २२,६९० |
| (६)सामाजिक सेवा व इतर सहकारी संस्था | २१ | १०७ | ४२६ | १,१९१ | ६,४९२ | ४,८९७ | ४,९६९ |
| **एकूण** | **२९१** | **१,४८९** | **५,२१०** | **२४,२८४** | **१,३४,४४०** | **२,४८,४३४** | **२,४८,८२५** |
| **४. स्थूल कर्ज (₹ कोटी)** | | | | | | | |
| (१) शिखर व मध्यवर्ती कृषि व बिगर-कृषि पतसंस्था | १७५ | ७५१ | १,५२८ | ९,०८५ | २८,७०९ | ४०,४३६ | ४६,४१४ |
| (२) प्राथमिक कृषि पतसंस्था | ४३ | १३३ | २५० | ८०० | ३,७३४ | ८,०६० | ७,६५० |
| (३)बिगर-कृषि पतसंस्था | ४७ | २०४ | १,१२९ | ५,१७८ | ३९,२६८ | ४९,९०७ | ५९,७२३ |
| (४)पणन संस्था | ३ | ३ | ३ | ८ | १८ | ११ | १२ |
| (५)शेतमाल प्रक्रिया उपक्रम | १ | ३ | १२ | १७ | १०३ | २,०५२ | ३,३४७ |
| (६)सामाजिक सेवा व इतर सहकारी संस्था | १ | ४ | १२ | ६० | २३५ | २१५ | २६० |
| **एकूण** | **२७०** | **१,०९८** | **२,९३४** | **१५,१४८** | **७२,०६७** | **१,००,६८१** | **१,१७,४०६** |

(पुढे चालू)

## परिशिष्ट ८.५ (समाप्त)

## महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी संस्थांची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये

| बाब | १९६०-६१ | १९७०-७१ | १९८०-८१ | १९९०-९१ | २०००-०१ | २०१०-११ | २०११-१२* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
| **५. येणे कर्जे (₹ कोटी)** | | | | | | | |
| (१) शिखर व मध्यवर्ती कृषि व बिगर-कृषि पतसंस्था | ८७ | ४७८ | १,१३७ | ५,८८९ | २३,१२० | ४२,३८५ | ४७,५०३ |
| (२) प्राथमिक कृषि पतसंस्था | ४८ | २८४ | ३८४ | १,३१० | ५,३०८ | १२,०२४ | १२,७२३ |
| (३) बिगर-कृषि पतसंस्था | ३२ | १०५ | ७३१ | ४,५१४ | ३५,९०८ | ४७,८६३ | ५०,७५७ |
| (४) पणन संस्था | १ | २ | ४ | ९ | १८२ | ५,०३२ | ५,२६६ |
| (५) शेतमाल प्रक्रिया उपक्रम | १ | ६ | ३० | ६९ | २३६ | ३,७२४ | १०,०२३ |
| (६) सामाजिक सेवा व इतर सहकारी संस्था | २ | ८ | २५ | १९१ | २,८९९ | ८३४ | ८५७ |
| **एकूण** | **१७१** | **८८३** | **२,३११** | **१२,०६२** | **६७,६५३** | **१,११,८६२** | **१,२७,१२९** |
| **६. उलाढाल-तयार मालाच्या विक्रीचे मूल्य (₹ कोटी)** | | | | | | | |
| (१) शिखर व मध्यवर्ती कृषि व बिगर-कृषि पतसंस्था | ला.ना. | ला.ना. | ला.ना. | ला.ना. | ला.ना. | ला.ना. | ला.ना. |
| (२) प्राथमिक कृषि पतसंस्था | १० | ५१ | १४६ | २३९ | १,०१२ | ५९३ | ७९० |
| (३) बिगर-कृषि पतसंस्था | २ | ३ | १० | .. | ३८ | ७६ | ७७ |
| (४) पणन संस्था | ४८ | २१४ | ९७९ | २,६०२ | ३,२०५ | १,३६८ | १,४३१ |
| (५) शेतमाल प्रक्रिया उपक्रम | ३६ | १९४ | १,०३१ | ३,४६७ | ७,४९६ | ४६,११२ | ३१,९१० |
| (६) सामाजिक सेवा व इतर सहकारी संस्था | ११ | ६९ | १८७ | ३३० | १,५८८ | ४,०७६ | ४,८५४ |
| **एकूण** | **१०७** | **५३१** | **२,३५३** | **६,६३८** | **१३,३३९** | **५२,२२५** | **३९,०६२** |

**आधार** - सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

टीप - १९९०-९१ पर्यंतची आकडेवारी जून अखेरपर्यंतची आहे.

* अस्थायी

$ यात प्राथमिक कृषि पतसंस्था, प्राथमिक भू विकास बँका आणि धान्य बँका यांचा १९७०-७१ पर्यंत समावेश आहे.

$$ नाममात्र सभासद वगळून

@ २०००-०१ या वर्षापासून उपसा सिंचन संस्थांचा समावेश उत्पादक ऐवजी सामाजिक सेवा व इतर सहकारी संस्था या प्रकारात करण्यात आला आहे.

ला.ना. लागू नाही

९

# पायाभूत सुविधा

# ९. पायाभूत सुविधा

९.१ पायाभूत सुविधा सर्वांगीण उत्पादकतेमध्ये महत्वाची भूमिका बजावत असल्याने अर्थव्यवस्थेच्या विकासासह राहणीमानाचा दर्जाही उंचावण्यास मदत होते. ऊर्जा, वाहतूक, सिंचन, वित्तीय पुरवठा, दळणवळण या भौतिक पायाभूत सुविधा आणि शिक्षण व आरोग्य या सामाजिक पायाभूत सुविधा आर्थिक विकासाची गती वाढविण्यात लक्षणीय योगदान देतात. पायाभूत सुविधा निर्माण होण्याच्या प्रक्रीयेत रोजगारनिर्मिती बरोबरच आर्थिक वाढीस चालना मिळते, तर त्यांच्या उपलब्धतेमधील उणीवा या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस अवरोधक ठरतात. राज्यातील काही भौतिक पायाभूत सुविधांबाबतची संक्षिप्त स्वरुपात माहिती खाली देण्यात आली आहे.

## ऊर्जा

९.२ कृषि व संलग्न कार्ये, उद्योग आणि सेवा या क्षेत्रांचा विकास हा बहुतांशी खात्रीशीर व परवडणाऱ्या वीज उपलब्धतेवर अवलंबून असतो. राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाशी राज्य शासनाची ऊर्जा क्षेत्रावरील खर्चाची टक्केवारी सुमारे पाच टक्के आहे. मागील सहा दशकांत राज्यातील दरडोई विजेचा वापर व दरडोई उत्पन्न तक्ता ९.१ मध्ये दिले आहे.

**तक्ता ९.१ दरडोई विजेचा वापर व दरडोई उत्पन्न**

| वर्ष | दरडोई विजेचा वापर (युनिटस्) | दरडोई उत्पन्न (₹) |
|---|---|---|
| १९६०-६१ | ७० | ४०९ |
| १९७०-७१ | १५५ | ७८३ |
| १९८०-८१ | २२५ | २,४३५ |
| १९९०-९१ | ३८३ | ७,४३९ |
| २०००-०१ | ४९२ | २२,७७७ |
| २०१०-११ | ७८० | ८३,३९५* |

*आधार*: अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, महावितरण, टाटा पॉवर, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट
* अस्थायी

### स्थापित क्षमता

९.३ स्थापित क्षमतेत २०११-१२ मध्ये आठ टक्क्यांनी वाढ झाली, तर केंद्रिय क्षेत्रातील राज्यासाठीचा वाटा ७.७ टक्क्यांनी वाढला. ३१ मार्च, २०१२ रोजी राज्याच्या स्थापित क्षमतेत सार्वजनिक क्षेत्राचा ४९.२ टक्के, खाजगी क्षेत्राचा ४१.५ टक्के (पारंपारिक २३.२ टक्के व अक्षय ऊर्जा १८.३ टक्के) आणि सार्वजनिक-खाजगी सहभागातून साकारलेल्या प्रकल्पाचा (रत्नागिरी गॅस पॉवर प्रोजेक्ट लि.- आरजीपीपीएल) ९.३ टक्के असा वाटा होता. स्रोतनिहाय स्थापित क्षमता तक्ता ९.२ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ९.२ स्थापित क्षमता**

(मेगावॅट)

| स्रोत | ३१ मार्च रोजी | | ३१ डिसेंबर, २०१२ रोजी | २०११-१२ मधील शेकडा बदल |
|---|---|---|---|---|
| | २०११ | २०१२ | | |
| **राज्यामधील** | **१८,८५३** | **२०,३७०** | **२२,७९८** | **८.०** |
| औष्णिक | ९,६६५ | १०,३६६ | १२,४४६ | ७.३ |
| अक्षय ऊर्जा $ | ३,४०८ | ४,१९८ | ४,५४६ | २३.२ |
| जलजन्य | ३,०६६ | ३,०६६ | ३,०६६ | ०.० |
| नैसर्गिक वायुजन्य@ | २,७१४ | २,७४० | २,७४० | १.० |
| **केंद्रिय क्षेत्राकडून वाटप #** | **५,३७६** | **५,७९२** | **६,३०७** | **७.७** |

*आधार*: महानिर्मिती, टाटा पॉवर, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, $ महाऊर्जा,
@ महावितरण ( आरजीपीपीएल नैसर्गिक वायुजन्य मधील राज्याचा वाटा ),
# केंद्रिय विद्युत प्राधिकरण/ डब्ल्युआरपीसी (केंद्रिय क्षेत्राकडून( (आरजीपीपीएल, एनटीपीसी व एनपीसीआयएल) वाटप आणि खाजगी कंपन्याची आकडेवारीसाठी)

**आलेख ९.१ : राज्यातील स्थापित क्षमता (३१ मार्च, २०१२ रोजी)**

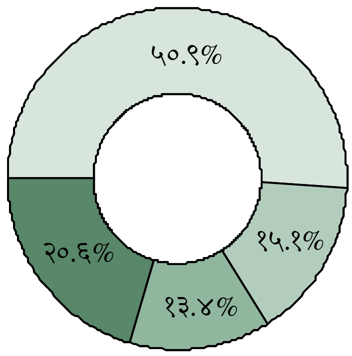

## विद्युत निर्मिती

९.४ राज्यात २०११-१२ मध्ये एकूण वीज निर्मिती (अक्षय ऊर्जेसह) ८९,४६५ दशलक्ष युनिटस् इतकी होती, जी मागील वर्षापेक्षा ७.८ टक्क्यांनी अधिक होती. केंद्रिय वाटपातून राज्याला २०११-१२ मध्ये ३६,७५५ दशलक्ष युनिटस् इतकी वीज उपलब्ध झाली.

९.५ एकूण विद्युत निर्मिती मध्ये महानिर्मितीचा वाटा ५३.१ टक्के, त्याखालोखाल आरजीपीपीएल व टाटा पॉवर प्रत्येकी १२.३ टक्के, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ७.४ टक्के, अक्षय ऊर्जा ६.३ टक्के, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर पाच टक्के, वर्धा पॉवर कंपनी मर्या. (डब्ल्युपीसीएल ) ३.३ टक्के आणि इतर ०.३ टक्के असा होता.

९.६ राज्यात २०१२-१३ मध्ये डिसेंबर अखेर पर्यंत ६७,६६३ दशलक्ष युनिटस् वीज निर्मिती झाली व ती २०११-१२ मधील तत्सम कालावधीतील वीज निर्मितीपेक्षा थोडी अधिक होती. केंद्रिय क्षेत्राकडून २०१२-१३ मध्ये डिसेंबर अखेर ३१,३०३ दशलक्ष युनिटस् वीज उपलब्ध झाली. राज्यातील स्रोतनिहाय विद्युत निर्मिती तक्ता ९.३ मध्ये दिली आहे.

**आलेख ९.२ : राज्यातील विद्युत निर्मिती २०११-१२**

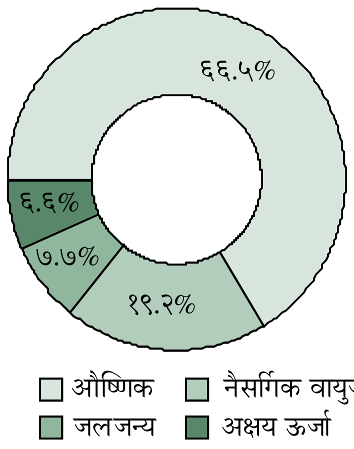


**तक्ता ९.३ विद्युत निर्मिती**

(दशलक्ष युनिटस्)

| स्रोताचा प्रकार | २०१०-११ | २०११-१२ | २०१२-१३+ | २०११-१२ मध्ये २०१०-११ च्या तुलनेतील शेकडा बदल |
|---|---|---|---|---|
| **राज्यामधील** | **८३,०१७** | **८९,४६५** | **६७,६६३** | **७.८** |
| औष्णिक | ५२,७९६ | ५९,४८२ | ४९,०३० | १२.७ |
| नैसर्गिक वायुजन्य | १८,७२९ | १७,२०७ | ८,५४२ | (-) ८.१ |
| जलजन्य | ६,३७४ | ६,८५१ | ४,३५७ | ७.५ |
| अक्षय ऊर्जा $ | ५,११८ | ५,९२५ | ५,७३६ | १५.८ |
| **केंद्रिय क्षेत्रातून राज्यास उपलब्ध** | **२९,९८२** | **३६,७५५** | **३१,३०३*** | **२२.६** |

*आधार* : महानिर्मिती, टाटा पॉवर, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, महावितरण ( आरजीपीपीएल केंद्रिय क्षेत्राकडूनची वीज आणि अक्षय उर्जा ), केंद्रिय विद्युत प्राधिकरण/ डब्ल्युआरपीसी (खाजगी कंपन्यांच्या आकडेवारीसाठी),
+ डिसेंबर पर्यंत. * अस्थायी $ बंदिस्त विजेसह

टिप : १ किलो वॅट तास = १ युनिट

## वीज खरेदी

९.७ महावितरण कंपनीने २०११-१२ मध्ये एकूण ₹ ३५,१२० कोटी किंमतीची ९८,७७७ दशलक्ष युनिटस् इतकी वीज खरेदी केली, तर २०१०-११ मध्ये ₹ २८,९४९ कोटी किंमतीची ९०,३४१ दशलक्ष युनिटस् इतकी वीज खरेदी केली होती. २०१२-१३ मध्ये नोव्हेंबर पर्यंत ₹ २४,७८० कोटी किंमतीची ६५,२७५ दशलक्ष युनिटस् इतकी वीज खरेदी केली. बेस्टने २०११-१२ मध्ये ४,६३७ दशलक्ष युनिटस् व २०१२-१३ मध्ये डिसेंबर पर्यंत ३,६७४ दशलक्ष युनिटस् वीज खरेदी केली.

## विजेचा वापर

९.८ राज्यातील २०११-१२ मधील विजेचा एकूण वापर ९६,६४४ दशलक्ष युनिटस् इतका असून तो मागील वर्षापेक्षा १०.६ टक्क्यांनी अधिक होता, तर २०१२-१३ मध्ये डिसेंबर पर्यंत ७१,७११ दशलक्ष युनिटस् वापर हा २०११-१२ मधील तत्सम कालावधीतील वापरापेक्षा थोडा कमी होता. राज्यातील विजेचा सर्वाधिक वापर औद्योगिक क्षेत्रात (३७.८ टक्के), तर त्या खालोखाल कृषि क्षेत्रात (२२.५ टक्के) आणि घरगुती क्षेत्रात (२१.८ टक्के) होता. या तीन क्षेत्रांचा एकत्रित वापर राज्यातील एकूण वीज वापराच्या ८२ टक्के होता. विजेचा वापर (प्रकारानुसार) तक्ता ९.४ मध्ये दिला आहे, तर मागील पाच वर्षात वीज वापरात झालेला बदल आलेख ९.३ मध्ये दर्शविला आहे.

**आलेख ९.३ : वीज वापरात झालेला बदल**

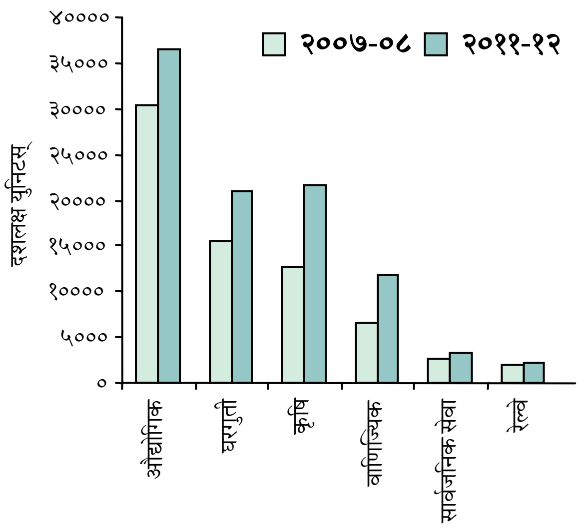


**तक्ता ९.४ विजेचा वापर**

(दशलक्ष युनिटस्)

| प्रकार | २०१०-११ | २०११-१२ | २०१२-१३+* | २०११-१२ मध्ये २०१०-११ च्या तुलनेतील शेकडा बदल |
|---|---|---|---|---|
| औद्योगिक | ३४,४१६ | ३६,४८६ | २५,०३४ | ६.० |
| घरगुती | १९,५४६ | २१,०४१ | १७,९३७ | ७.६ |
| कृषि | १६,२५७ | २१,६९३ | ११,८८७ | ३३.४ |
| वाणिज्यिक | ११,५२७ | ११,७६८ | ९,७५९ | २.१ |
| सार्वजनिक सेवा@ | २,८२९ | ३,२७० | २,७१८ | १५.६ |
| रेल्वे | २,१८८ | २,२२९ | १,७८८ | १.९ |
| संकीर्ण | ६३३ | १५७ | २,५८८ | (-) ७५.२ |
| **एकूण** | **८७,३९६** | **९६,६४४** | **७१,७११** | **१०.६** |

*आधार : महावितरण, टाटा पॉवर, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट*

@ सार्वजनिक दिवाबत्ती व पाणी पुरवठा + डिसेंबर पर्यंत * अस्थायी

९.९ प्रमुख क्षेत्र निहाय भारतातील (२०१०-११) आणि महाराष्ट्रातील (२०१०-११ व २०११-१२) दरडोई विजेचा वापर तक्ता ९.५ मध्ये दिला आहे. स्थापित क्षमता, विद्युत निर्मिती, क्षेत्रनिहाय विजेचा वापर आणि दरडोई विजेचा वापर यासंबंधीची समय मालिका परिशिष्ट ९.१ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ९.५ दरडोई विजेचा वापर**

(युनिटस्)

| प्रकार | भारत | महाराष्ट्र | |
|---|---|---|---|
| | २०१०-११ | २०१०-११ | २०११-१२ |
| एकूण | ५२०.२ | ७८०.० | ८५१.० |
| औद्योगिक | १८९.७ | ३०७.२ | ३२१.३ |
| घरगुती | १३०.९ | १७४.५ | १८५.३ |
| कृषि | १०६.६ | १४५.१ | १९१.० |

*आधार :* केंद्रिय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार
महावितरण, टाटा पॉवर, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट

## महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग

९.१० विद्युत कायदा-२००३ अन्वये महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगास (एम इ आर सी) वीज दर नियमनाअंतर्गत वीज दराच्या सुसूत्रीकरणासाठी उपाययोजना राबविणे, आर्थिक व्यवस्थापन आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा यासाठीचे अधिकार दिलेले आहेत. २०१२-१३ साठीचे वीज दर तक्ता ९.६ मध्ये दिलेले आहेत. कृषि, सिंचन व सार्वजनिक पाणीपुरवठा यासाठी फक्त महावितरण कडून वीज पुरवठा होतो. कृषि सिंचनासाठी उच्च दाब व लघु दाब करीता अनुक्रमे ₹ २.३९ व ३.१० प्रति युनिट आणि सार्वजनिक पाणीपुरवठ्यासाठी उच्च दाब व लघु दाब करीता अनुक्रमे ₹२.९६ व ३.१० प्रति युनिट इतके दर निश्चित केले आहेत.

**तक्ता ९.६ २०१२-१३ मधील वीज दर**

(₹ प्रति युनिट)

| ग्राहकाचा प्रकार | महावितरण | रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर | टाटा पॉवर | बेस्ट |
|---|---|---|---|---|
| घरगुती | ४.८९ | ५.२४ | ३.९५ | ५.२५ |
| वाणिज्यिक (लघु दाब) | ९.७८ | ९.५२ | ५.३७ | १०.२० |
| उद्योग (लघु दाब) | ७.१९ | ७.८६ | ५.४१ | ८.८३ |
| उद्योग (उच्च दाब) | ७.४९ | ७.८८ | ५.२० | ८.१३ |
| सार्वजनिक दिवाबत्ती | ४.६७ | ८.८० | -- | ७.८२ |
| रेल्वे | ७.८१ | -- | ४.९९ | -- |

*आधार*: महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग -- लागू नाही

## विजेची मागणी व पुरवठा

९.११ विविध स्रोताद्वारे क्षमता वाढ, पायाभूत जाळ्यातील सुधारणा, पारेषण व वितरण हानीत झालेली घट आणि ऊर्जा संवर्धनाच्या दृष्टीने केलेल्या उपाययोजना यामुळे वीज पुरवठ्याच्या स्थितीत सुधारणा झालेली आहे. महावितरणची २०११-१२ मध्ये विजेची १४,०४३ मेगावॅट इतकी सरासरी कमाल मागणी १,२०२ मेगावॅट इतक्या तुटीचे भारनियमन करुन भागविण्यात आली. तसेच २०१२-१३ मध्ये डिसेंबरपर्यंतची १४,०४८ मेगावॅट इतकी सरासरी कमाल मागणी ७८५ मेगावॅट इतक्या तुटीचे भारनियमन करुन भागविण्यात आली. सरासरी कमाल मागणीच्या वेळी विजेचा पुरवठा व तूट तक्ता ९.७ व आलेख ९.४ मध्ये दिली आहे.

**आलेख ९.४ : सरासरी कमाल मागणीच्या वेळी पुरवठा व तूट**

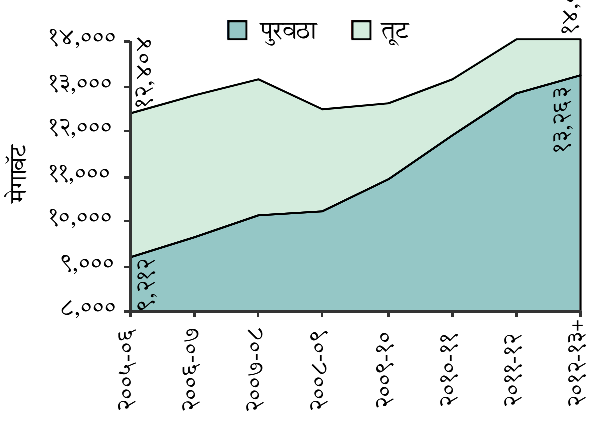


\+ डिसेंबर पर्यंत

**तक्ता ९.७ सरासरी कमाल मागणीच्या वेळी विजेचा पुरवठा व तूट**

( मेगावॅट )

| वर्ष | सरासरी कमाल मागणी $ | पुरवठा | तूट |
|---|---|---|---|
| २००५-०६ | १२,४०४ | ९,२१२ | ३,१९२ |
| २००६-०७ | १२,७९७ | ९,६३८ | ३,१५९ |
| २००७-०८ | १३,१३७ | १०,१३० | ३,००७ |
| २००८-०९ | १२,५०७ | १०,२०३ | २,३०४ |
| २००९-१० | १२,६२४ | १०,९२१ | १,७०३ |
| २०१०-११ | १३,१५७ | ११,९१७ | १,२४० |
| २०११-१२ | १४,०४३ | १२,८४१ | १,२०२ |
| २०१२-१३+ | १४,०४८ | १३,२६३ | ७८५ |

*आधार* : महावितरण + डिसेंबर पर्यंत.

$ कृषि भार व्यवस्थापन योजनेद्वारे (सिंगल फेजिंग व फिडर सेपरेशन योजनांसह) कमी झालेला भार (भारमुक्ती /लोड रिलिफ) वगळून.

## पारेषण व वितरणाचे पायाभूत जाळे

९.१२ राज्यातील वीज वितरण यंत्रणांमध्ये २०११-१२ करीता महावितरणचा वाटा ८३ टक्के इतका असून त्या पाठोपाठ रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर ६.६ टक्के, टाटा पॉवर सहा टक्के आणि बेस्ट ४.४ टक्के असा होता.

९.१३ मागणी व पुरवठ्यातील तूट कमी करण्यासाठी पारेषण व वितरणाच्या पायाभूत जाळ्यामध्ये सुधारणा आणि पारेषण व वितरण हानीत (तांत्रिक व अतांत्रिक) कपात करणे याबाबत प्रामुख्याने पाऊले उचलण्यात येत आहेत. महापारेषण कंपनीने अति उच्च दाब (इएचव्ही) उपकेंद्रांच्या आधुनिकीकरणाद्वारे पारेषण हानी कमी करण्याच्या उपाययोजना सुरु केलेल्या आहेत. महावितरण कंपनीने विविध योजनांतर्गत सदोष मीटर बदलणे, अत्याधिक भार असलेल्या उच्च व कमी दाबाच्या वाहिन्यांवरील भार अतिरिक्त ट्रान्सफॉर्मर्स पुरवून कमी करणे, नवीन उपकेंद्रे उभारणे व कार्यान्वित करणे, तारा टाकणे आणि वीजचोरी विरुध्द मोहीम अशा उपाययोजना हाती घेतलेल्या आहेत. याबाबतचा तपशील तक्ता ९.८, ९.९ आणि आलेख ९.५ मध्ये दिला आहे.

**आलेख ९.५ : पारेषण, वितरण आणि एकत्रित तांत्रिक व वाणिज्यिक हानी**

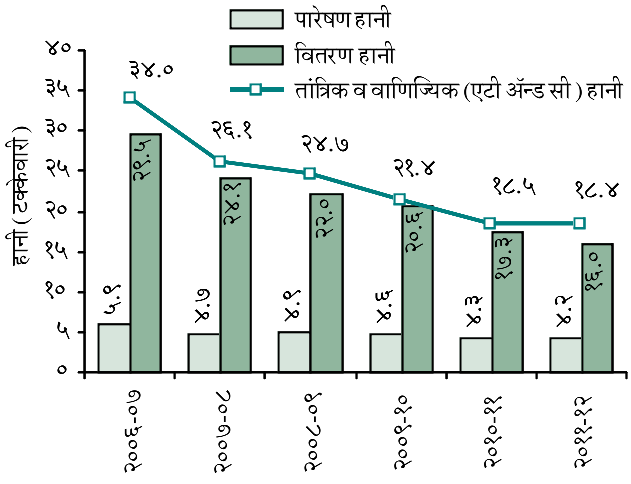


**तक्ता ९.८ पारेषण व वितरण जाळे आणि एकूण तांत्रिक व व्यावसायिक (एटी ॲन्ड सी ) हानी**

| वर्ष | पारेषण जाळे (संचयी ) | | | वितरण जाळे (संचयी ) | | | एकूण तांत्रिक व व्यावसायिक (एटी ॲन्ड सी) हानी (%)@ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | उपकेंद्रांची संख्या | पारेषण क्षमता (एमव्हीए) | तारा (सर्कीट कि.मी.) | उपकेंद्रांची संख्या | वितरण ट्रान्सफॉर्मर्सची संख्या | तारा (सर्कीट कि.मी.) | |
| २००६-०७ | ४८६ | ५७,७१३ | ३५,६२६ | १,८२७ | २,७२,२३१ | ७,०७,०६७ | ३४.० |
| २००७-०८ | ४९८ | ६१,५३१ | ३६,२८६ | १,८८९ | ३,००,९५७ | ७,२८,७५४ | २६.१ |
| २००८-०९ | ५१२ | ६६,११९ | ३६,७१६ | १,९४७ | ३,२७,३१४ | ७,५८,०९३ | २४.७ |
| २००९-१० | ५१७ | ७३,७९२ | ३७,१३३ | २,०३३ | ३,५१,२४३ | ७,९२,७८५ | २१.४ |
| २०१०-११ | ५३३ | ८२,६२० | ३८,०६८ | २,२३४ | ३,९१,५७४ | ८,३३,४७० | १८.५ |
| २०११-१२ | ५५९ | ९१,४४५ | ३९,७६४ | २,५१४ | ४,३९,६५३ | ८,७०,८३० | १८.४ |

*आधार* : महापारेषण, महावितरण @ महावितरण

**तक्ता ९.९ वितरण हानी कमी करणेसाठीच्या उपाययोजना**

| वर्ष | मीटर बसविणे | | जुने मीटर बदलून नवीन बसविणे | वीज-चोरी विरुध्द मोहिम | |
|---|---|---|---|---|---|
| | फिडर्स (संचयी संख्या) | वितरण ट्रान्सफॉर्मर केंद्र (संचयी संख्या) | (संख्या) | पकडण्यात आलेली प्रकरणे (संख्या ) | वसूल केलेली रक्कम (₹ कोटी) |
| २००७-०८ | ५,९९४ | ८७,७३१ | १०,९७,५४५ | ८९,८८० | ५५.४१ |
| २००८-०९ | ६,८५१ | १,०५,२३६ | ८,७५,५११ | ५७,०६५ | ४४.४८ |
| २००९-१० | ७,७५८ | १,२२,०८३ | १२,५७,३०८ | ५०,६९८ | ५४.२८ |
| २०१०-११ | ८,३७७ | १,८७,४४८ | १२,०५,३६४ | १७,२६९ | १४.२४ |
| २०११-१२ | १०,५३६ | २,३३,७५४ | १२,९५,७७५ | ४७,६३३ | २८.२६ |
| २०१२-१३ + | १२,४४१ | २,४०,६८२ | १५,८६,९५९ | ६४,०१९ | ३१.५३ |

*आधार* : महावितरण + जानेवारी पर्यंत

९.१४ बेस्ट कंपनीची वितरण हानी २०१०-११ मध्ये ७.९ टक्के व २०११-१२ मध्ये ७.६ टक्के इतकी तर एकूण तांत्रिक व व्यावसायिक (एटी ॲन्ड सी) हानी या दोन्ही वर्षांकरीता ५.५ टक्के इतकी होती. बेस्ट कडून २०११-१२ मध्ये २,१८७ व २०१२-१३ मध्ये डिसेंबर पर्यंत १,४२१ वीज चोरीची प्रकरणे पकडण्यात आली आणि त्यापोटी अनुक्रमे ₹७.७२ कोटी व ₹.५.१६ कोटी इतकी रक्कम वसूल करण्यात आली. टाटा पॉवर कंपनीची २०११-१२ मधील वितरण हानी ०.७ टक्के तर रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरची पारेषण व वितरण हानी अनुक्रमे ४.३ आणि ९.५ टक्के इतकी होती.

९.१५ **ग्रामीण विद्युतीकरण आणि जाळयांची सुधारणा** — ग्रामीण विद्युतीकरण आणि जाळयांच्या सुधारणेसाठी राबविण्यात येत असलेल्या महत्वाच्या योजना तक्ता ९.१० मध्ये दिल्या आहेत.

**तक्ता ९.१० ग्रामीण विद्युतीकरण आणि जाळयांची सुधारणा**

| योजना | उद्दिष्टे | साध्य | | |
|---|---|---|---|---|
| | | २०११-१२ | २०१२-१३ + | संचयी + |
| **भारत निर्माण - राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीव्हीवाय)** | • विद्युतीकरण न झालेल्या ४,७०९ खेडयांचे विद्युतीकरण (संख्या) | २०७ | -- | ४,७०९ |
| | • दारिद्रयरेषेखालील ग्रामीण कुटुंबाना मोफत वीज जोडणी (संख्या) | १,३३,९६३ | ११,९०६ | ११,८०,२८४ |
| अक्षय ऊर्जेद्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (राज्य योजनांतर्गत योजना) | • केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेत समाविष्ट नसलेल्या (३०० पेक्षा कमी लोकसंख्येच्या) लहान वाडया/पाडे यांचे अक्षय ऊर्जेद्वारा विद्युतीकरण (संख्या) | १६ गावे व ४६ पाडे | ७ गावे व ३२ पाडे | ३६२ गावे व ७७७ पाडे |
| कृषि पंपांचे विद्युतीकरण | • कृषि पंपांचे विद्युतीकरण (संख्या) | २,५२,७८४ | १,१३,७४१ | ३८,५६,९३९ |
| सिंगल फेजिंग योजना | • खेड्यातील गावठाणांना ८ तास थ्री फेजची वीज व एकूण १८ तास (सिंगल फेज व थ्री फेज एकत्रित) वीज पुरवठा (संख्या) | १७५ | १,१०५ | १४,९४७ |
| स्वतंत्र फिडर योजना | • गावठाण व कृषि पंपांसाठी स्वतंत्र फिडर्स (संख्या) | १,२५३ | १,५८३ | १५,५१० |
| ***पुनर्रचित गतिमान ऊर्जा विकास व सुधारणा कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी)*** | • ३०,००० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेली नगरे व शहरे यांचा समावेश. | | | |
| भारत सरकारच्या अभियानाचा मुख्य उद्देश भाग-अ- पायाभूत माहिती यंत्रणा प्रस्थापित करणे, जबाबदारी निश्चिती. | • ऊर्जा वित्त महामंडळ (पीएफसी) कडून वितरीत रक्कम (भाग-अ, ब आणि पर्यवेक्षी नियंत्रण व माहिती प्राप्ती (स्काडा)/माहिती व्यवस्थापन पध्दती (डीएमएस) नियंत्रण केंद्र) | -- | -- | ₹ ६६६.१ कोटी |
| भाग-ब - एकुण तांत्रिक व व्यावसायिक हानी (एटी ऍन्ड सी ) मध्ये कपात. | • भाग-अ,ब आणि स्काडा/डीएमएस नियंत्रण केंद्र वर झालेला खर्च | ₹ ६२.९ कोटी | ₹ १४१.४ कोटी # | ₹२४१.६ कोटी # |

*आधार* : महावितरण , महाऊर्जा + डिसेंबर , २०१२ पर्यंत . # जानेवारी, २०१३ पर्यंत.

९.१६ राज्यातील एकूण ४१,०९५ वस्ती असलेल्या गावांपैकी (जनगणना, २००१ नुसार) डिसेंबर, २०१२ पर्यंत ४०,७१९ गावांचे महावितरणद्वारे पारंपारिक पध्दतीने विद्युतीकरण झालेले आहे.

## क्षमता वाढ

९.१७ **औष्णिक ऊर्जा निर्मिती** – महानिर्मितीने अकराव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान परळी (संच ६ व ७) आणि पारस (संच ३ व ४) येथे प्रत्येकी २५० मेगावॅट क्षमतेचे असे एकूण १,००० मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित केले आहेत. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत महानिर्मितीने एकूण १२,९८० मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत. त्याबाबतची माहिती तक्ता ९.११ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ९.११ बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत महानिर्मितीने प्रस्तावित केलेले प्रकल्प**

(मेगावॅट)

| प्रकल्प | क्षमता | कार्यान्वित होण्याचा अपेक्षित दिनांक |
|---|---|---|
| खापरखेडा संच -५ | ५०० | कार्यरत ( सीओडी @ १६.०४.२०१२) |
| भुसावळ संच -४ व ५ (प्रत्येकी ५०० मेगावॅट) | १,००० | संच-४ कार्यरत ( सीओडी १६.११.२०१२)<br>संच-५ अपेक्षित सीओडी ३१.०३.२०१३ |
| परळी संच ८ | २५० | सप्टेंबर, २०१३ पर्यंत |
| चंद्रपूर संच ८ व ९ (प्रत्येकी ५०० मेगावॅट) | १,००० | संच-८ नोव्हेंबर, २०१३ व संच-९ फेब्रुवारी, २०१४ पर्यंत |
| कोराडी संच ८,९ व १० (प्रत्येकी ६६० मेगावॅट) | १,९८० | संच-८ डिसेंबर, २०१३, संच-९ जून, २०१४ आणि संच १० डिसेंबर, २०१४ पर्यंत |
| भुसावळ संच ६ | ६६० | जून, २०१७ पर्यंत |
| पारस संच ५ | २५० | एप्रिल, २०१६ पर्यंत |
| नाशिक संच ६ | ६६० | डिसेंबर, २०१७ पर्यंत |
| उरण गॅसवर आधारीत संयुक्त सायकल विद्युत केंद्र ब्लॉक १ व २ (अनुक्रमे ४०६ व ८१४ मेगावॅट) | १,२२० | २०१६-१७ पर्यंत |
| लातूर गॅसवर आधारीत संयुक्त सायकल विद्युत केंद्र (ब्लॉक १ व २ प्रत्येकी ७५० मेगावॅट) | १,५०० | २०१६-१७ पर्यंत |
| कानपा, ता.नागभीड, जि.चंद्रपूर – संच १ व २ ( प्रत्येकी ६६० मेगावॅट) | १,३२० | नियोजनाच्या प्राथमिक अवस्थेत. संच-१ जानेवारी, २०१८ व संच-२ जुलै, २०१८ पर्यंत कार्यान्वित होणे अपेक्षित |
| मेंडकी, ता.ब्रम्हपूरी, जि.चंद्रपूर – संच १ व २ (प्रत्येकी ६६० मेगावॅट) | १,३२० | -----------,,---------- |
| मनोरा, ता.तिरोडा, जि.गोंदिया – संच १ व २ (प्रत्येकी ६६० मेगावॅट) | १,३२० | -----------,,---------- |

*आधार* : महानिर्मिती, @ सीओडी (Commissioned on Date)

९.१८ या व्यतिरिक्त धोपावे औष्णिक विद्युत केंद्र (संच १ ते ३ प्रत्येकी ६६० मेगावॅट) आणि दोंडाईचा औष्णिक विद्युत प्रकल्प (संच १ ते ५ प्रत्येकी ६६० मेगावॅट) हे प्रकल्प महावितरण द्वारा वीज दरावर आधारीत स्पर्धात्मक बोली (केस-२ बीडींग) पध्दतीद्वारे राबविणार आहे.

९.१९ **सौर ऊर्जा** - महानिर्मितीने चंद्रपूर येथे एकूण पाच मेगावॅट क्षमतेचे तीन सौरऊर्जा प्रकल्प अकराव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान कार्यान्वित केलेले आहेत तर बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत साधारणपणे ५४० मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांचे नियोजन केले आहे. त्याबाबतची माहिती तक्ता ९.१२ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ९.१२ बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत महानिर्मितीद्वारा प्रस्तावित सौर ऊर्जा प्रकल्प**

(मेगावॅट)

| प्रकल्प | क्षमता | कार्यान्वित होण्याचा अपेक्षित दिनांक |
|---|---|---|
| साकरी, जि.धुळे | २५ | मार्च, २०१३ पर्यंत. |
| शिवाजीनगर, साकरी, जि.धुळे | १२५ | मार्च, २०१३ पर्यंत. |
| कौडगाव, जि.उस्मानाबाद | ७५ | टप्पा-१ मार्च, २०१४ पर्यंत. |
| गंगाखेड, जि.परभणी | १०० | मार्च, २०१५ पर्यंत. |
| मांगलादेवी-पिंपरी-नवाबपूर (१ व २) मालखेड ता.नेर, जि.यवतमाळ | १०० | मार्च, २०१६ पर्यंत. |
| लोहाणा एमआयडीसी, जि.यवतमाळ | ७५ | मार्च, २०१६ पर्यंत. |
| शिर्शुपाल, ता.बारामती, जि.पुणे | ४० | मार्च, २०१४ पर्यंत. |

*आधार* : महानिर्मिती

९.२० **लघु जलविद्युत प्रकल्प** - खाजगीकरणातून लहान जलविद्युत प्रकल्प विकसित करण्यास चालना मिळणेसाठीच्या राज्य शासनाच्या धोरणांतर्गत २८३.२ मेगावॅट क्षमतेच्या १०४ प्रकल्पांसाठी प्रवर्तक निश्चित करण्यात आलेले असून डिसेंबर, २०१२ पर्यंत ८३.६ मेगावॅट क्षमतेचे १९ प्रकल्प कार्यान्वित झालेले आहेत. उर्वरित ८५ प्रकल्प विकासाच्या विविध टप्प्यांत आहेत. पूर्ण झालेले प्रकल्प परिशिष्ट ९.२ मध्ये दिले आहेत.

९.२१ **अक्षय ऊर्जा** - पवन, सौर, जैविक, बायोगॅस, सागरी लाटा, भू-औष्णिक इ. स्वच्छ आणि पर्यावरण पूरक अक्षय ऊर्जेचे स्रोत आहेत. अक्षय ऊर्जेच्या विविध क्षेत्रातील ज्ञानास प्रोत्साहन देणे, विकसित करणे व प्रसारीत करणे असे विस्तृत उद्दिष्ट असलेल्या महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) या राज्य शासनाच्या संस्थेस ऊर्जा संवर्धन कायदा, २००१ च्या तरतुदींचे राज्यात समन्वयन, विनियमन व अंमलबजावणी करण्यासाठी नियुक्त यंत्रणा म्हणून घोषित केले आहे. ३१ डिसेंबर, २०१२ अखेर एकूण ४,३६९ मेगावॅट क्षमतेचे अंदाजे ₹ २४,००० कोटी गुंतवणूकीचे प्रकल्प खाजगी गुंतवणूकदारांमार्फत स्थापित करण्यात आले आहेत. राज्यातील अक्षय ऊर्जेची संभाव्य क्षमता व त्यापैकी स्थापित क्षमता तक्ता ९.१३ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ९.१३ अक्षय ऊर्जेची संभाव्य व त्यापैकी स्थापित क्षमता**

(मेगावॅट)

| अक्षय ऊर्जा स्रोत | संभाव्य क्षमता | स्थापित क्षमता (संचयी) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ३१ मार्च अखेर | | ३१ डिसेंबर, |
| | | २०११ | २०१२ | २०१२ अखेर |
| पवन | ५,९६१ | २,३१० | २,७१७ | २,९३१ |
| लघु जल विद्युत प्रकल्प # | ७३२ | २४६ | २६५ | २६५ |
| साखर कारखान्यांकडून विजेची सहनिर्मिती | १,२५० | ५७६ | ८४९ | ९४७ |
| जैविक ऊर्जा | ७८१ | १५५ | १५५ | १७० |
| शहरी घनकचरा | २८७ | ० | ० | ० |
| औद्योगिक कचरा | ३५० | ११ | १५ | २२ |
| सौर औष्णिक व | ३५/चौ.मी. $ | ४ | २० | ३४ |
| सौर फोटोव्होल्टाईक (पीव्ही ) | ४९/चौ.मी. $ | | | |
| **एकूण** | **९,३६१** | **३,३०२** | **४,०२१** | **४,३६९** |

*आधार* : महाऊर्जा # जलसंपदा विभागाने स्थापित केलेले २५ मेगावॅट पेक्षा कमी क्षमतेचे प्रकल्प.

$ एकूण संभाव्य क्षमतेत समाविष्ट नाही.

९.२२ दिवसेंदिवस पारंपारिक ऊर्जा स्रोतात घट होत असल्याने नवीन व अक्षय स्रोतांचा शोध ही काळाची गरज आहे. राज्य शासनाचे आणि नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरइ), भारत सरकार यांचे महाऊर्जा मार्फत राबविण्यात येत असलेले काही उपक्रम खाली नमूद केलेले आहेत.

- **पवन ऊर्जा** - २०११-१२ मध्ये एकूण २० वारा मापन केंद्रे उभारण्यात आली असून पाच केंद्रांची उभारणी २०१२-१३ मध्ये अपेक्षित आहे. डिसेंबर, २०१२ अखेर १३३ ठिकाणी वाऱ्याच्या वेगाच्या मोजमापाच्या अभ्यासाचे काम प्रगतीपथावर होते.
- **सौर वाफ निर्मिती यंत्रणा** – सौर बाष्प पाकक्रीया यंत्रणा (शिर्डी साईबाबा संस्थान), सौर वातानुकुलन यंत्रणा (छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय, कळवा, ठाणे) आणि महेंद्रा व्हेईकल मॅन्युफॅक्चरींग लि., चाकण, तसेच भिलवडी, सांगली आणि बारामती येथील खाजगी प्रकल्प हे राज्यातील काही उपक्रम आहेत.
- **सौर शहर कार्यक्रम** - राज्यातील सहा शहरांचा या योजनेत समावेश असून तीन शहरांनी (नागपूर, कल्याण-डोंबिवली आणि ठाणे ) प्राप्त अनुदानातून त्यांचे बृहत आराखडे सादर केले आहेत. नागपूर शहर या कार्यक्रमांतर्गत आदर्श सौर शहर म्हणून विकसित करण्यात येत आहे.
- **बायोगॅस आधारीत वितरण/ग्रीड ऊर्जा निर्मिती कार्यक्रम** - राज्यात आतापर्यंत ६४९.५ किलोवॅट क्षमतेचे ४९ प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आलेले आहेत. त्याशिवाय पुणे महानगरपालिकेने वेगवेगळ्या करण्यात आलेल्या सेंद्रिय घन कचऱ्याचे निर्मूलन करण्यासाठी विकेंद्रित बायोमिथेनेशन-तथा-ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारले आहे.
- **भू-औष्णिक ऊर्जा** – नवीन तंत्रज्ञानावर आधारीत भूगर्भीय ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी महाऊर्जाने मे.थरमॅक्स लि.यांच्याशी प्राथमिक करार केला असून मे.थरमॅक्स यांनी सर्वेक्षणाचे काम सुरु केलेले आहे.
- **सागरी लाटांपासून ऊर्जा** –सागरी लाटांची ऊर्जा म्हणजे समुद्राच्या पाण्यात साठलेल्या वाऱ्याची यांत्रिक ऊर्जा होय. राज्याच्या सागरकिनारी भागाच्या एका अभ्यासाद्वारे काही ठिकाणी सागरी लाटांपासून सरासरी वार्षिक पाच ते आठ किलोवॅट/मी. व मॉन्सून दरम्यान १५ ते २० किलोवॅट/मी. ऊर्जानिर्मितीची क्षमता असल्याचे दिसून आले आहे. राज्याच्या ७२० कि.मी. लांब किनारपट्टीवर सागरी लाटांपासून ऊर्जा निर्मितीची एकूण क्षमता जवळपास ५०० मेगावॅट इतकी आहे. महाऊर्जाद्वारे बुधल ता.गुहागर, जि.रत्नागिरी येथील सागरी लाटांपासून ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प ताब्यात घेवून कार्यान्वित करण्यासाठी स्वारस्य असलेल्या प्रकल्प विकासकांकडून “ अभिव्यक्तीचे प्रकटीकरण ” मागविण्यात आलेले आहे.
- **जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन** - या मिशन खाली राज्यात डिसेंबर, २०१२ पर्यंत १६ मेगावॅट क्षमतेचे सात ग्रीड सौर पीव्ही ऊर्जा प्रकल्प स्थापित करण्यात आले आहेत.

# ऊर्जा संवर्धन

९.२३ महाऊर्जा मार्फत ऊर्जा संवर्धनासाठी हाती घेण्यात आलेल्या विविध योजना तक्ता ९.१४ मध्ये दिल्या आहेत.

**तक्ता ९.१४ महाऊर्जा मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ऊर्जा संवर्धनाच्या विविध योजना**

| योजना | उद्देश | बाब (संख्या) | साध्य | | | उद्दीष्ट्ये २०१२-१३ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | २०१०-११ | २०११-१२ | संचयी + | |
| शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इमारतीमध्ये ऊर्जा संवर्धन तंत्रज्ञान पथदर्शी प्रकल्प प्रस्थापित करणे. | ऊर्जा संवर्धनाच्या संकल्पनेचा स्वीकार सुकर करणे | इमारती | ३ | ७ | १२ | ८ |
| ऊर्जा संवर्धन संयंत्रे नगरपालिकांमध्ये बसविणे. | महानगरपालिका (म.न.पा.)/ नगरपालिका (न.पा.) /महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (म.जि.प्रा.) यांना पाणी पुरवठा योजना व पथदिव्यांमध्ये ऊर्जा संवर्धन संयंत्रे बसविण्यासाठी ₹ २५ लाख पर्यंत आर्थिक सहाय्य | न.पा./म.न.पा/ म.जि.प्रा. | ३ | १० | १४ | ८ |
| तेजस्वी पथदिवे कार्यक्रम | जुन्या दिव्यांच्या बदली सीएफएल संच बसविणे. | सीएफएल संच | ९,७३० | २०,०२० | ४९,१९८ | १९,५०० |
| जैविक कांडी कोळसा (ब्रिकेटींग) योजना (यंत्रसामुग्रीच्या किंमतीच्या २० टक्के भांडवली अर्थसहाय्य -प्रति प्रकल्प ₹ ४ लाख पर्यंत) | अ-पारंपारिक इंधन म्हणून वापर करण्यासाठी सर्व प्रकारचा कृषि व वन्य कचरा कांडीच्या आकाराच्या ओंडक्यामध्ये रुपांतरित करण्यासाठी जैविक कांडी कोळसा प्रकल्प प्रस्थापित करणे. | प्रकल्प | १५ | २० | ६७ | ८ |
| सामायिक अभ्यासिकेत सौर घरगुती दिवे (१० टक्के ग्रामपंचायतीचा वाटा व ९० टक्के शासनाचे अर्थसहाय्य) | गावांमध्ये सौर घरगुती दिवे सामायिक जागी (उदा. शाळा, ग्रामपंचायत कार्यालय, मंदिर इ.) उपलब्ध करुन देणे | गावे | ३,६२३ | ४,४३९ | १०,७३१ | ४,८०० |
| आश्रमशाळांमध्ये सौर ऊर्जा साधने | आश्रमशाळांमध्ये सौर ऊर्जा यंत्रणा बसविणे | आश्रमशाळा | २२ | १२ | ३४ | -- |
| आश्रमशाळा व वसतीगृहांत पवन-सौर संकरित संयंत्रे | आश्रमशाळांत पवन-सौर संकरित संयंत्रे बसविणे | आश्रमशाळा | १० | १० | २० | ७ |
| ऊर्जा बचत कार्यक्रम लघु व मध्यम उद्योगांसाठी वॉक-थ्रु ऊर्जा लेखा परिक्षण | पात्र असलेल्या संस्था / लघु-मध्यम उद्योग यांना ऊर्जा लेखा परिक्षणासाठी वित्तीय सहाय्य | संस्था/ लघु व मध्यम उद्योग | ३० | ५३ | ५८० | ४४० |
| अपव्ययित उष्म्याचा पुनर्वापर योजना | प्रक्रीयांमधून निर्माण होणाऱ्या उच्च तापमानाच्या उष्म्याचा ऊर्जा निर्मितीसाठी वापर करणे (प्रकल्प अहवाल तयार करणेसाठी सहाय्य) | प्रकल्प | २ | -- | २ | ३ |

*आधार* : महाऊर्जा   + डिसेंबर, २०१२ अखेर

# वाहतूक व दळणवळण

९.२४ आधुनिक अर्थ व्यवस्थेत पायाभूत सुविधांमध्ये वाहतूक आणि दळणवळण हे मूलभूत घटक आहेत. सक्षम वाहतूक यंत्रणा, दुर्गम, मागास आणि नागरी क्षेत्रांना जोडून जीवनमान उंचावण्यामध्ये आणि उत्पादकता वाढविण्यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावते. या क्षेत्रातील विकासामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. भूपृष्ठ वाहतूक, रेल्वे, जल वाहतूक व हवाई वाहतूक यांचा परिवहन यंत्रणेत समावेश असून टपालसेवा, दूरध्वनी व इंटरनेट सेवा हे दळणवळण यंत्रणेचे मुख्य घटक आहेत.

## वाहतूक

### वाहतूकीचे जाळे

९.२५ राज्यातील रस्त्यांच्या जाळ्यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, प्रमुख जिल्हा रस्ते, इतर जिल्हा रस्ते आणि ग्रामीण रस्ते यांचा समावेश होतो. राज्य शासनाचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगर पंचायती, कटक मंडळे, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, वन विभाग, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) राज्यातील रस्त्यांच्या विकासाची कामे पार पाडतात.

९.२६ मार्च, २०१२ अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदांच्या देखभालीखालील रस्त्यांची एकत्रित लांबी (स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या देखभालीखालील रस्त्यांची लांबी वगळून) २.४३ लाख कि.मी. इतकी होती. त्यापैकी पृष्ठांकित रस्त्यांची लांबी २.२३ लाख कि.मी. (९१.८ टक्के) होती. सन २०११-१२ मध्ये एकाही राज्य महामार्गाची राष्ट्रीय माहामार्गात श्रेणीवाढ झालेली नाही. याच कालावधीत एकूण रस्त्यांच्या लांबीत १,२०७ कि.मी. ने वाढ झाली. यापैकी राज्य महामार्गाच्या लांबीत ५४ कि.मी. ने, मुख्य जिल्हा रस्त्याच्या लांबीत ३२० कि.मी. ने, अन्य जिल्हा रस्त्यांच्या लांबीत ६३२ कि.मी. ने आणि ग्रामीण रस्त्यांच्या लांबीत २०१ कि.मी. ने वाढ झाली. राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदेच्या देखभालीखालील रस्त्यांची प्रवर्ग निहाय व वैधानिक विकास मंडळ निहाय लांबी तक्ता ९.१५ मध्ये आणि वर्षनिहाय व रस्त्यांच्या प्रकारानुसार रस्त्यांच्या लांबीची माहिती परिशिष्ट ९.३ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता क्र. ९.१५ सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदांच्या देखभालीखालील रस्त्यांची लांबी**

(कि.मी.)

| वैधानिक विकास मंडळ | ३१ मार्च रोजी | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष | राष्ट्रीय महामार्ग | राज्य महामार्ग | प्रमुख जिल्हा रस्ते | इतर जिल्हा रस्ते | ग्रामीण रस्ते | **एकूण** |
| विदर्भ | २०११ | ८८३ | ९,८७९ | ११,३७० | १२,८६३ | २६,०२३ | ६१,०१८ |
| | २०१२ | ८८३ | ९,८८४ | ११,४०५ | १३,४५१ | २६,१२६ | ६१,७४९ |
| मराठवाडा | २०११ | ७९५ | ८,०७३ | १३,५९६ | ८,७६५ | २२,२३९ | ५३,४६८ |
| | २०१२ | ७९५ | ८,०७३ | १३,७७५ | ८,७७९ | २२,३१५ | ५३,७३७ |
| उर्वरित महाराष्ट्र | २०११ | २,६९८ | १६,१५१ | २४,९७० | २५,२६९ | ५८,१३८ | १,२७,२२६ |
| | २०१२ | २,६९८ | १६,२०० | २५,०७६ | २५,२९९ | ५८,१६० | १,२७,४३३ |
| **एकूण** | **२०११** | **४,३७६** | **३४,१०३** | **४९,९३६** | **४६,८९७** | **१,०६,४००** | **२,४१,७१२** |
| | **२०१२** | **४,३७६** | **३४,१५७** | **५०,२५६** | **४७,५२९** | **१,०६,६०१** | **२,४२,९१९** |

*आधार* : सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासन

## रस्त्यांनी जोडलेली गावे

९.२७ ३१ मार्च, २०१२ पर्यंत (जनगणना २००१ मधील गावांच्या यादीनुसार) ९९ टक्क्यांपेक्षा जास्त गांवे बारमाही व हंगामी रस्त्यांनी जोडलेली होती. राज्यातील एकूण २९१ गावे कोणत्याही रस्त्यांनी जोडलेली नव्हती.

९.२८ अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत रस्ते आणि पूल यावर ₹ ११,२९८ कोटी इतका खर्च झाला. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेसाठी ₹ १९,७०० कोटी इतक्या नियतव्ययाची तरतूद केली आहे. सन २०१२-१३ मध्ये ₹ २,९३७ कोटी नियतव्ययाची तरतूद असून ३१ डिसेंबर पर्यंत ₹ १,२४५ कोटी इतका खर्च झाला आहे.

९.२९ सन २०११ व २०१२ मधील जिल्हानिहाय रस्त्यांच्या रुंदीनुसार लांबीची माहिती परिशिष्ट ९.४ मध्ये दिली आहे.

**आलेख ९.६ : सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदांच्या देखभालीखालील रस्त्यांची लांबी** (३१ मार्च रोजी)

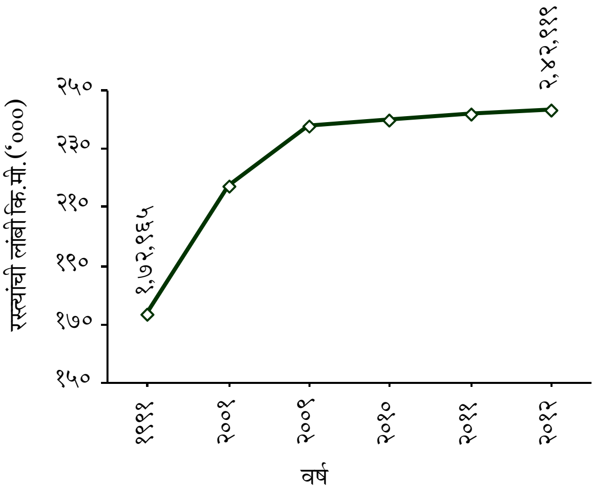


## पंतप्रधान ग्रामसडक योजना

९.३० पंतप्रधान ग्रामसडक योजना ही १०० टक्के केंद्र परस्कृत योजना असून, सन २००० पासून राज्यात राबविली जाते. सध्या ही योजना महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रस्ते विकास मंडळामार्फत राबविली जाते. पंतप्रधान ग्रामसडक या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील १,००० व अधिक लोकसंख्या (आदिवासी भागासाठी ५०० व अधिक) असलेल्या व रस्त्याने न जोडलेल्या वस्त्यांना २०१५ अखेरपर्यंत बारमाही रस्त्यांनी जोडणे हा आहे. या योजनेंतर्गत २३,२०७ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांनी ७,९६१ लोकवस्त्यांना जोडण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. एकूण उद्दिष्टापैकी जानेवारी, २०१२ पर्यंत ७,६०६ वाडया/वस्त्यांना २१,८६६ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांनी जोडण्यात आले आहे. पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेअंतर्गत वैधानिक विकास मंडळ निहाय बांधलेल्या रस्त्यांची लांबी व जोडलेल्या लोकवस्त्यांची संख्या तक्ता ९.१६ मध्ये दिली आहे. ११ व्या पंचवार्षिक योजनेचे भौतिक व आर्थिक साध्य तक्ता ९.१७ मध्ये दिले आहे.

**तक्ता ९.१६ पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेअंतर्गत वैधानिक विकास मंडळनिहाय बांधलेल्या रस्त्यांची लांबी व जोडलेल्या लोकवस्त्यांची संख्या**

| वैधानिक विकास मंडळ | भौतिक लक्ष्य | | भौतिक साध्य + | |
|---|---|---|---|---|
| | रस्त्याची लांबी (कि.मी.) | लोकवस्त्यांची संख्या | रस्त्यांची संचित लांबी (कि.मी.) | लोकवस्त्यांची संचित संख्या |
| विदर्भ | ७,५६५ | २,७९२ | ६,९२२ | २,५६८ |
| मराठवाडा | ४,९४४ | १,७३४ | ४,७९८ | १,६७८ |
| उर्वरित महाराष्ट्र | १०,६९८ | ३,४३५ | १०,१४६ | ३,३६० |
| **एकूण** | **२३,२०७** | **७,९६१** | **२१,८६६** | **७,६०६** |

*आधार* : ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन  + ३१ जानेवारी, २०१३ पर्यंत

## महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ

९.३१ महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या स्थापनेपासून महामंडळाने १८ कामे पूर्ण केली असून त्यावर ₹ ६,८६९ कोटी इतका खर्च झाला. ३१ डिसेंबर, २०१२ पर्यंत पूर्ण झालेल्या व अंशत: पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या टोल वसूलीची एकूण रक्कम ₹ ६,०३३ कोटी इतकी होती. महामंडळाने पूर्ण केलेल्या प्रकल्पांचा तपशील तक्ता ९.१८ आणि महामंडळाच्या प्रगतीपथावरील प्रकल्पांचा तपशील तक्ता ९.१९ मध्ये दिला आहे.

**तक्ता ९.१७ पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेंतर्गत अकरावी पंचवार्षिक योजना व वार्षिक योजना २०१२-१३ मधील भौतिक व आर्थिक साध्य**

| योजना | जोडलेल्या लोकवस्त्यांची संख्या | साध्य रस्त्याची लांबी (कि.मी.) | झालेला खर्च (₹ कोटी) |
|---|---|---|---|
| ११ वी पंचवार्षिक | ५,३४३ | १५,९८४ | ४,११६.२५ |
| २०१२-१३+ | २५३ | ५१८ | ११९.४४ |

*आधार* : ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन  + ३१ जानेवारी पर्यंत

## तक्ता ९.१८ महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने पूर्ण केलेले प्रकल्प

(₹ कोटी )

| प्रकल्पाचे नांव | काम सुरु केल्याचे वर्ष | प्रकल्पाची एकूण अंदाजे किंमत | खर्च | काम पूर्ण झाल्याचे वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| मुंबई - पुणे द्रूतगती महामार्ग | १९९८-९९ | २,१३६ | २,१३२.०४ | २००१-०२ |
| मुंबई मधील उड्डाणपूल | १९९७-९८ | १,६१७ | १,२६०.६४ | १९९९-०० |
| महाराष्ट्रातील रेल्वे उड्डाणपूल | १९९८-९९ | १९५ | २०९.५४ | २००२-०३ |
| कल्याण - दुर्गाडी पूल | १९९९-०० | १५ | १५.१२ | २००१-०२ |
| ठाणे - घोडबंदर रस्ता रुंदीकरण | २०००-०१ | ११८ | ७२.१६ | २००३-०४ |
| वर्धा-नाकोडा | १९९७-९८ | ८ | ७.६८ | २००२-०३ |
| सां. बा. विभागाचे प्रकल्प | १९९७-९८ | ५७ | ९१.७२ | १९९९-०० |
| शिवणा पूल | १९९७-९८ | ३ | २.५० | १९९९-०० |
| नांदगाव रेल्वे उड्डाणपूल | २००२-०३ | ३ | ४.४९ | २००५-०६ |
| सातारा-कोल्हापूर ते राज्य हद्द रा.म. ४ (चौपदरीकरण) | २००२-०३ | ७५० | ७९८.३१ | २००५-०६ |
| राजीव गांधी सागरी सेतु प्रकल्प | २०००-०१ | १,६३४ | १,६४५.०१ | २००९-१० |
| शहर एकात्मिक रस्ते विकास योजना | | | | |
| लातुर | १९९९-०० | ३३ | ३२.९४ | २००१-०२ |
| बारामती | २००३-०४ | ३६ | ६०.०७ | २००५-०६ |
| पुणे | २०००-०१ | २७१ | १५९.८३ | २००८-०९ |
| सोलापुर | २००१-०२ | ८८ | ९९.०३ | २०१०-११ |
| नांदेड | २००३-०४ | ८८ | ९३.९६ | २००८-०९ |
| नंदुरबार | २००३-०४ | २१ | २७.३५ | २०१०-११ |
| अमरावती | २००१-०२ | ११५ | १५६.३२ | २०११-१२ |

*आधार* : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ

**तक्ता ९.१९ महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे प्रगतीपथावरील प्रकल्प**

(₹ कोटी )

| प्रकल्पाचे नांव | प्रकल्पाची एकूण अंदाजे किंमत | ३१ डिसेंबर, २०१२ पर्यंतचा खर्च | काम पूर्ण होण्याचे अपेक्षित वर्ष |
|---|---|---|---|
| नागपूर-औरंगाबाद-सिन्नर-घोटी रस्ता सुधार | ७२२ | ७३८.२० | २०१४-१५ |
| नागपूर येथील रस्त्यांची कामे | ४२२ | ४२३.६६ | २०१४-१५ |
| औरंगाबाद येथील रस्त्यांची कामे | १४२ | १३८.८८ | २०१५-१६ |
| नागपूर-काटोल-जलालखेडा रस्त्याचे रुंदीकरण | ३१ | ३.१८ | २०१३-१४ |
| एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्प - अचलपूर | ४० | ०.११ | उ.ना. |
| एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्प - सांगली | उ.ना. | ०.१२ | उ.ना. |
| सार्वजनिक जलद प्रवास प्रणाली - नागपूर | उ.ना. | २.३९ | उ.ना. |
| सार्वजनिक जलद प्रवास प्रणाली - ठाणे | उ.ना. | ७.०८ | उ.ना. |
| वर्सोवा - वांद्रा सागरी सेतू प्रकल्प | ४,४१९ | ५.८२ | उ.ना. |
| सीमा तपासणी नाक्यांचे आधुनिकीकरण | १,००० | ३६.४८ | उ.ना. |
| जल वाहतूक प्रकल्प | १,३९० | १०.६२ | उ.ना. |
| पश्चिम मुक्तमार्ग सागरी सेतू | ४,१४३ | १३.७८ | उ.ना. |
| मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्प (एमयुटीपी) | ४७२ | ३२१.०६ | २०१३-१४ |
| मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्प (एमयुआयपी) | ३९३ | १६२.७४ | २०१३-१४ |
| विस्तारीत - एमयुटीपी | २,०६५ | ३२०.६१ | २०१३-१४ |
| एकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रम - शिर्डी | ३५० | ६.९३ | २०१२-१३ |
| एकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रम - नागपूर | ४१ | ३६.४२ | २०११-१२ मध्ये पूर्ण |
| मुंबई - पुणे द्रूतगती महामार्गाचे आवर्धन | ५,००० | - | २०१३-१४ |
| मुंबई - पुणे द्रूतगती महामार्गावर संलग्नित सोई-सुविधा | २०० | १.६८ | २०१४-१५ |
| पेडर रोड उड्डाणपूल | ३८० | - | २०१५-१६ |
| वरोरा येथील रेल्वे उड्डाणपुलाचे बांधकाम | ३१ | ३०.०० | २०१३-१४ |

*आधार :* महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ उ. ना. - उपलब्ध नाही

## मुंबई महानगर क्षेत्रातील वाहतूक

९.३२ मुंबई महानगर क्षेत्रांत आठ महानगरपालिका, नऊ नगरपरिषदा आणि ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील १,००० गावांचा समावेश आहे. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मुंबई महानगर क्षेत्रांत (एमएमआर) विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत. मुंबई मेट्रो रेल प्रकल्प हा सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर राबविण्यात येणारा देशातील पहिला सामूहिक वाहतूक प्रणाली प्रकल्प आहे. मुंबई महानगर क्षेत्राच्या प्रकल्पांची माहिती तक्ता ९.२० मध्ये दिली आहे.

## तक्ता ९.२० मुंबई महानगर क्षेत्रातील वाहतूक प्रकल्प

(₹ कोटी )

| प्रकल्पाचे नांव | प्रकल्पाची किंमत | ३१ ऑक्टोबर, २०१२ पर्यंतचा खर्च | सद्य:स्थिती | काम पूर्ण होण्याचे अपेक्षित वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| **एमयुटीपी : रेल्वेची कामे** | | | | |
| **टप्पा-१:** नवीन मार्ग : माहिम-सांताक्रुझ, कुर्ला-ठाणे, डीसी चे एसी मध्ये रुपांतर, इ. नवीन रेक्ससह | ३,३८० | ३,२६५.०० | • काम प्रगती पथावर आहे. | उ.ना. |
| पूर्व व पश्चिम उपनगरांना जोडणाऱ्या जोगेश्वरी-विक्रोळी आणि सांताक्रुझ-चेंबूर या दोन प्रमुख रस्त्यांचा विकास करणे. | ४३० | ६१२.२३ | • जोगेश्वरी-विक्रोळी जोडरस्त्याचे काम पूर्ण झाले आहे. सांताक्रुझ-चेंबूर जोडरस्त्यांचे काम प्रगतीपथावर आहे. | उ.ना. |
| **मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प :** (तीन टप्पे, ७५ कि.मी.) | | | | |
| **टप्पा -१** : वसोर्वा - अंधेरी- घाटकोपर (१४ कि.मी.) | २,३५६ | २,३०७.०० | • ९५ % स्थापत्य काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम प्रगतीपथावर. | २०१३ |
| **टप्पा -२** : चारकोप - बांद्रा - मानखुर्द (३२ कि.मी.) | ७,६६० | -- | • वन व रेल्वे विभागाकडून मान्यता प्रलंबित. | उ.ना. |
| **टप्पा -३** : कुलाबा - बांद्रा (२९ कि.मी.) | २४,४३० | ६.८९ | • जून, २०१२ मध्ये सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली आहे. | उ.ना. |
| **मुंबई मोनो रेल प्रकल्प :** वडाळा ते चेंबूर आणि संत गाडगेमहाराज चौक (जेकब सर्कल) ते वडाळा (२० कि.मी.) | २,४६० | १,३९७.०० | • टप्पा १ (वडाळा-चेंबुर) ८५ टक्के काम पूर्ण.<br>• टप्पा २ [संत गाडगेमहाराज चौक (जेकब सर्कल) ते वडाळा] ४४ टक्के काम पूर्ण. | २०१३ |
| **एमयूआयपी :** रस्ते, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग, इ. | ३,२०७ | ३,१३८.६४ | • एकूण १५ रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली असून बृहन्मुंबई म.न.पा./ सां.बा.वि. यांचेकडे हस्तांत्रित केले आहेत. उर्वरित कामे प्रगतीपथावर. | २०१३ |
| **विस्तारित एमयूआयपी :** एमयूआयपीचा सह प्रकल्प. या प्रकल्पाअंतर्गत २४ उप प्रकल्प (११ रस्ते, ७ उड्डाणपूल, ३ खाडीपूल व ३ रेल्वे मार्गावरील पुल) हाती घेण्यात आले आहेत. | २,६०७ | ७५३.०० | • तीन रस्ते व दोन उड्डाणपूल पूर्ण झाले असून उर्वरित प्रगतीपथावर आहेत. | २०१५ |
| **मल्टी मोडल कॉरिडोर विरार ते अलिबाग :** वाहनांसाठी ८ मार्गिका व फक्त बसेस करिता राखीव मार्गिका असलेला खुला मार्ग बांधणे (१४० कि. मी) | ९,५००@ | २.०३ | • बहुउद्देशीय मार्गापैकी विरार (नवघर) ते चिरनेर (७० कि.मी.) पर्यंतचा तांत्रिक-आर्थिक अभ्यास पूर्ण केला आहे. | २०१६ |
| **मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक :** शिवडी ते न्हावा सागरी सेतू (२२ कि.मी.) | ९,६३० | ३.०० | • सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली आहे. | २०१८ |

*आधार* : मुंबई महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण एमयूटीपी: मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्प, एमयुआयपी: मुंबई शहर पायाभुत सुविधा प्रकल्प

@ भूसंपादना साठीचा खर्च वगळून उ.ना. – उपलब्ध नाही

# भूपृष्ठ वाहतूक

## मोटार वाहने

९.३३ राज्यात १ जानेवारी, २०१३ रोजी एकूण २०८ लाख मोटार वाहने (दर लाख लोकसंख्येमागे १८,०१४ वाहने) वापरात होती व ती मागील वर्षाच्या तुलनेत ९.९ टक्क्यांनी जास्त होती. राज्यातील एकूण वाहनांपैकी २१.६० लाख (१०.४ टक्के) इतकी वाहणे बृहन्मंबईत होती. राज्यात प्रति कि.मी. रस्ते लांबीला वाहनांची संख्या ८६ आहे. राज्यात व बृहन्मंबईत वापरात असलेल्या मोटार वाहनांची प्रवर्गनिहाय संख्या तक्ता ९.२१ मध्ये आणि वापरात असलेल्या मोटार वाहनांची वर्षनिहाय मालिका परिशिष्ट ९.५ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ९.२१ वापरात असलेल्या मोटार वाहनांची प्रवर्गनिहाय संख्या**

('000)

| प्रवर्ग | १ जानेवारी रोजी | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | महाराष्ट्र | | | बृहन्मुंबई | | |
| | २०१२ | २०१३* | शेकडा बदल | २०१२ | २०१३* | शेकडा बदल |
| दुचाकी (मोटार सायकली, स्कूटर्स, मोपेड्स) | १३,५१३.६ | १४,९२८.६ | १०.५ | १,११८.१ | १,२०५.३ | ७.८ |
| ऑटो रिक्षा | ६६१.५ | ६६०.९ | (-)०.१ | ११३.५ | ११८.५ | ४.४ |
| हलकी मोटार वाहने (कार, जीप्स, स्टेशन वॅगन्स व टॅक्सी) | २,८४१.० | ३,१४४.१ | १०.७ | ६९१.४ | ७५५.४ | ९.३ |
| बसेस (स्टेज कॅरेजेस, कॉन्ट्रॅक्ट कॅरेजेस, स्कुल बसेस आणि पी.एस.व्ही.) | ८७.१ | ९६.१ | १०.३ | १२.० | १२.३ | २.५ |
| माल मोटारी {आर्टीक्युलेटेड/मल्टीऍक्सल वाहने, ट्रक्स व लॉरीज, टँकर्स, डिलेव्हरी व्हॅन्स (३ व ४ चाकी), इ.} | १,०५३.६ | १,१३५.८ | ७.८ | ६२.९ | ६४.९ | ३.२ |
| ट्रॅक्टर्स | ४०४.७ | ४४९.० | १०.९ | ०.६ | ०.६ | ०.० |
| ट्रेलर्स | ३१६.७ | ३३८.९ | ७.० | ०.२ | ०.२ | ०.० |
| रूग्णवाहिका | १०.५ | ११.१ | ५.७ | १.४ | १.४ | ०.० |
| इतर वाहने | ३०.५ | ३५.० | १४.८ | १.५ | १.५ | ०.० |
| **सर्व** | **१८,९१९.२** | **२०,७९९.५** | **९.९** | **२,००१.६** | **२,१६०.२** | **७.९** |

*आधार :* परिवहन आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र शासन  * अस्थायी  पी.एस.व्ही.- जन सेवा वाहने

९.३४ मार्च, २०१२ अखेर पर्यंत मोटार वाहने चालविण्याच्या वैध परवान्यांची संख्या २३८.७ लाख होती व ती मागील वर्षाच्या तुलनेत १२.० टक्क्यांनी जास्त आहे. राज्यात २०११-१२ मध्ये २४.३१ लाख शिकाऊ परवाने देण्यात आले.

९.३५ रस्ते अपघातांमुळे मानवी जीवन आणि संपत्तीचे नुकसान होते. "जीवित रहा, दारू पिऊन वाहन चालवू नका" या ब्रीद वाक्यासह जानेवारी, २०१३ चा पहिला पंधरवडा हा रस्ता सुरक्षा पंधरवडा म्हणून पाळण्यात आला. ब्रीद वाक्याच्या अनुषंगाने राज्यामध्ये रस्ता सुरक्षाविषयक विविध पथनाट्ये आणि व्याख्याने आयोजित करण्यात आली होती. राज्य व बृहन्मंबईतील वर्ष २००८ ते २०१२ पर्यंतची अपघातांची आकडेवारी तक्ता ९.२२ मध्ये दिली आहे.

**आलेख ९.७ : दर लाख लोकसंख्येमागे व दर कि.मी. रस्ते लांबीमागे वाहनांची सख्या**
(१ जानेवारी रोजी)

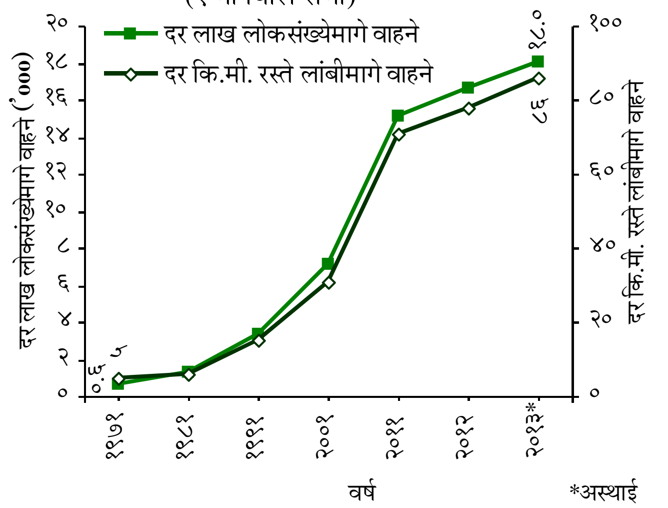

**तक्ता ९.२२ राज्य व बृहन्मुंबईतील अपघात, मृत व जखमी व्यक्ती विषयक आकडेवारी**

| वर्ष | अपघातांची संख्या | | | मृत व्यक्तींची संख्या | | | जखमी व्यक्तींची संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राज्य | बृहन्मुंबई | टक्केवारी @ | राज्य | बृहन्मुंबई | टक्केवारी # | राज्य | बृहन्मुंबई | टक्केवारी $ |
| २००८ | ७५,५२७ | २९,७८० | ३९.४ | १२,३९७ | ६२१ | ५.० | ५२,७८० | ६,४५३ | १२.२ |
| २००९ | ७१,९९५ | २९,४४० | ४०.९ | ११,३९६ | ६२० | ५.४ | ४७,८७८ | ६,५८९ | १३.८ |
| २०१० | ६९,५७३ | २३,४९९ | ३३.८ | १२,२८७ | ५४९ | ४.५ | ४६,५२८ | ४,८९६ | १०.५ |
| २०११ | ६८,४३८ | २५,४७१ | ३७.२ | १३,०५७ | ५६३ | ४.३ | ४५,६१६ | ५,०५९ | ११.१ |
| २०१२ | ६६,३१६ | २४,५९२ | ३७.१ | १३,३३३ | ४८८ | ३.७ | ४३,८४७ | ४,५४३ | १०.४ |

*आधार* : महाराष्ट्र राज्य मोटार वाहतूक सांख्यिकी @ बृहन्मुंबईतील अपघातांची राज्यातील एकूण अपघातांशी टक्केवारी # बृहन्मुंबईतील मृत व्यक्तींची राज्यातील एकूण मृत व्यक्तींशी टक्केवारी $ बृहन्मुंबईतील जखमी व्यक्तींची राज्यातील एकूण जखमी व्यक्तींशी टक्केवारी

## सार्वजनिक प्रवासी रस्ते वाहतूक

### महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

९.३६ राज्यातील खेड्यांना शक्य तितक्या जवळ सेवा पुरविणे हे महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे ध्येय आहे. खेड्यांसाठी सेवेची उपलब्धता आणि सेवा पुरविलेल्या लोकसंख्येची टक्केवारी यांची माहिती तक्ता ९.२३ मध्ये दिली आहे

**तक्ता ९.२३ रा. प. महामंडळातर्फे सेवा पुरविण्यात आलेली खेडी आणि लोकसंख्येची टक्केवारी**

(टक्के)

| तपशील | सेवा पुरविण्यात आलेली खेडी | | सेवा पुरविण्यात आलेली लोकसंख्या | |
|---|---|---|---|---|
| | २०१०-११ | २०११-१२ | २०१०-११ | २०११-१२ |
| थेट | ७०.९९ | ७१.२८ | ८९.८८ | ९०.४७ |
| ३ कि.मी. पर्यंत | १८.९४ | १८.०७ | ६.५९ | ६.१५ |
| ३ ते ५ कि.मी. पर्यंत | ६.०७ | ६.५९ | २.२० | २.१५ |
| ५ कि.मी. च्या पुढे | ४.०० | ४.०७ | १.३३ | १.२३ |

*आधार* : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ

९.३७ राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने २०११-१२ या वर्षात प्रतिदिन सरासरी ७१.०५ लाख प्रवासी वाहतूक केली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत सार्थ कि.मी. वाहतूक सुमारे ४.३ टक्क्यांनी वाढली असून मार्गस्थ गाड्यांच्या आसन क्षमतेचा सरासरी वापर ०.१४ टक्के अंकानी कमी झाला आहे. चालक-वाहक उत्पादकतेत मागील वर्षाच्या तुलनेत २०११-१२ मध्ये घट झालेली आहे. रा.प. महामंडळाची वाहतूक विषयक आकडेवारी तक्ता ९.२४ मध्ये आणि अपघातांची व महामंडळाने अदा केलेल्या भरपाईची मागील पाच वर्षांची आकडेवारी तक्ता ९.२५ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ९.२४ रा. प. महामंडळाची वाहतूक विषयक आकडेवारी**

| बाब | २०१०-११ | २०११-१२ | शेकडा बदल |
|---|---|---|---|
| एकूण धारित वाहणे (संख्या) | १६,२१२ | १७,१६८ | ५.९ |
| मार्गस्थ असणाऱ्या बसगाड्यांची प्रतिदिन सरासरी संख्या | १५,३५९ | १५,८९१ | ३.५ |
| एकूण कर्मचारी | १,०४,२१४ | १,०४,५९६ | ०.४ |
| वाहतूक केलेले प्रतिदिन सरासरी सार्थ कि.मी. (लाख) | ५१.९८ | ५४.२० | ४.३ |
| वाहतूक केलेल्या प्रवाशांची प्रतिदिन सरासरी संख्या (लाख) | ६९.५० | ७१.०५ | २.२ |
| वाहन उत्पादकता (कि.मी.) | ३२०.६ | ३२२.६ | ०.६ |
| प्रति दहा लिटर तेलामागे (डिझेल) कि.मी. चे प्रमाण | ४९.२६ | ४९.१० | (-) ०.३ |
| चालक-वाहक उत्पादकता (कि.मी.) | २२८.१० | २२५.४० | (-) १.२ |
| प्रति वाहन कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण (नियताप्रमाणे) (दि. ३१ मार्च रोजी) | ७.०३ | ६.९३ | (-)१.४ |
| मार्गस्थ गाड्यांच्या आसन क्षमतेचा सरासरी वापर (लोड फॅक्टर टक्के) | ६१.८४ | ६१.७० | ०.१४@ |

*आधार* : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ @ अंक

**तक्ता ९.२५ वाहनांच्या अपघातांची आकडेवारी व रा. प. महामंडळाकडून दिलेली भरपाई**

| तपशिल | २००७-०८ | २००८-०९ | २००९-१० | २०१०-११ | २०११-१२ |
|---|---|---|---|---|---|
| अपघातांची संख्या | ३,४५० | ३,२२० | ३,२०४ | ३,४०७ | ३,४३७ |
| मृत व्यक्तीची संख्या | ४४९ | ५५३ | ४५८ | ५४७ | ५७० |
| जखमी व्यक्तीची संख्या | ७,३७२ | ६,८४८ | ६,४१२ | ६,५२३ | ७,०६२ |
| दर लाख कि.मी. मागे अपघातांचा दर | ०.१९ | ०.१८ | ०.१७ | ०.१८ | ०.१७ |
| घटनास्थळी दिलेली रक्कम (₹ लाख) | २६.२३ | २६.४८ | २५.४२ | ३१.६७ | २०.८४ |
| अंतिम भरपाई (₹ लाख) | ३,२२१.२ | ३,०४१.० | ३,३१८.८ | ३,५४९.२ | ३,५८३.६ |

*आधार* : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ

९.३८ रा.प. महामंडळ विद्यार्थी, वरिष्ठ नागरिक (६५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेले), कॅन्सरचे रुग्ण, स्वातंत्र्यसैनिक, इ. प्रवाशांना बस भाड्यात सवलत देत असते. सवलतीच्या रकमेची प्रतिपूर्ती राज्य शासनाकडून केली जाते. ३१ मार्च, २०१२ अखेर एकूण ₹ १,८७० कोटी इतक्या सवलतीच्या रकमेपैकी राज्य शासनाकडून ₹ ६०६ कोटी इतक्या तकमेची प्रतिपूर्ती करण्यात आली. याशिवाय, दुर्गम भागात अल्प उत्पन्न देणाऱ्या 'क' वर्गाच्या फेऱ्या (ज्या फेऱ्यांपासून होणारे उत्पन्न हे निव्वळ चल खर्चापेक्षा कमी असते) चालविल्या जातात (ज्या प्रामुख्याने सामाजिक बांधिलकी स्वरुपाच्या आहेत), त्यामुळे रा.प. महामंडळाला २०११-१२ मध्ये सुमारे ₹ २६२.९७ कोटी एवढा तोटा झाला. असे असूनदेखील रा.प. महामंडळाला सुमारे ₹ ६३.९७ कोटी इतका निव्वळ नफा झाला. २०११-१२ मध्ये महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे एकूण उत्पन्न व खर्च यांचे प्रमाण मागील वर्षापेक्षा अनुक्रमे १२.५ टक्क्यांनी व १२.२ टक्क्यांनी जास्त होते. ग्रामीण, वातानुकूलित व शहरी वाहतुकीच्या प्रवासी उत्पन्नावर ३१ मार्च, २०१२ रोजी प्रवासी कराचा दर अनुक्रमे १७.५ टक्के, ५.५ टक्के, व ३.५ टक्के होता. रा. प. महामंडळाच्या वित्तीय सांख्यिकीचा तपशील तक्ता ९.२६ मध्ये दिला आहे

**तक्ता ९.२६ महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाची वित्तीय सांख्यिकी**

(₹ कोटी)

| तपशील | २००९-१० | २०१०-११ | २०११-१२ |
|---|---|---|---|
| अ) प्राप्ती | | | |
| प्रवासी महसूल | ४,२७४.१६ | ४,८४०.८६ | ५,४८२.६१ |
| इतर महसूल | ९६.०० | १३८.८१ | ११७.६४ |
| **एकूण प्राप्ती** | **४,३७०.१६** | **४,९७९.६७** | **५,६००.२५** |
| ब) खर्च | | | |
| प्रवासी कर व मोटार वाहने कर | ५९३.८२ | ६७१.५१ | ७४९.६७ |
| घसारा | २१८.७२ | ३२९.१८ | ३५१.९२ |
| इतर खर्च | ३,४८७.८४ | ३,९३७.९८ | ४,४३९.५१ |
| **एकूण खर्च** | **४,३००.३८** | **४,९३८.६७** | **५,५४१.१०** |
| नफा (अ - ब) | ६९.७८ | ४१.०० | ५९.१५ |
| मागील ताळमेळ | ०.२४ | (-) ११.७१ | ४.८२ |
| निव्वळ नफा | ७०.०२ | २९.२९ | ६३.९७ |

*आधार* : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ

९.३९ रा.प. महामंडळात ३१ मार्च, २०१२ रोजी केंद्र व राज्य शासनाचे भागभांडवल अनुक्रमे ₹ ५६.७७ कोटी व ₹ १,३४१.२१ कोटी होते. ३१ मार्च, २०१२ रोजी प्रवासी कराच्या रक्कमेपैकी राज्य शासनाचे भागभांडवल ₹ ३७५.३७ कोटी होते.

**शहरी प्रवासी वाहतूक**

९.४० शहरातील प्रवासी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हे वाहतुकीचे प्रमुख साधन आहे. राज्यातील २५ शहरात ही सुविधा उपलब्ध आहे. यापैकी नऊ शहरांत (अर्नाळा, वसई, नालासोपारा, रत्नागिरी, सांगली-मिरज, चंद्रपूर, नाशिक, औरंगाबाद आणि नांदेड) रा.प. महामंडळ वाहतूक सेवा पुरविते. बृहन्मुंबईत बेस्ट, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात पुणे महानगर परिवहन महामंडळ आणि उर्वरित १३ शहरात संबंधित नगररिषद / महानगरपालिका वाहतूक सेवा पुरवितात. सन २०११-१२ मध्ये रा.प. महामंडळाच्या प्रतिदिन सरासरी ५०६ बसगाड्या वापरात होत्या, तर राज्यातील १६ स्थानिक महानगरपालिका परिवहन सेवांच्या प्रतिदिन सरासरी ६,४८२ बसगाडया वापरात होत्या. त्यापैकी फक्त बृहन्मुंबईत बेस्टच्या प्रतिदिन सरासरी ३,९३३ बसगाडया वापरात होत्या. या शहरी परिवहन सेवांची वाहतूक विषयक सांख्यिकी तक्ता ९.२७ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता क्र. ९.२७ शहरी वाहतूक विषयक आकडेवारी**

(३१ मार्च रोजी)

| वाहतूक सेवा पुरविणारी यंत्रणा | वाहतूकीस मार्गस्थ असलेल्या बसेसची प्रतिदिन सरासरी संख्या | | प्रतिदिन सरासरी प्रवासी वाहतूक (लाख) | | प्रतिदिन सरासरी सार्थ वाहतूक (लाख कि. मी.) | | निव्वळ नफा /तोटा (₹ लाख) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | २०११ | २०१२ | २०११ | २०१२ | २०११ | २०१२ | २०११ | २०१२ |
| बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा उपक्रम (बेस्ट) | ४,०८२ | ३,९३३ | ४२.०६ | ३९.३३ | ७.१६ | ७.०० | (-) १९,३५२ | (-) ८४,७७६ |
| पुणे महानगर परिवहन महामंडळ | १,२२४ | १,१८३ | १२.३६ | १०.४४ | २.८३ | २.७४ | (-)१,३८७.१५ | उ.ना. |
| ठाणे महानगरपालिका परिवहन | ३५० | ३६४ | २.३६ | २.४३ | ०.३९ | ०.३९ | (-) १,३२८.३६ | (-) १,५३०.२४ |
| नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन | ३७६ | ३३६ | २.६७ | २.३४ | ०.६४ | ०.७३ | (-) ६५२.७९ | (-) १,३६०.६४ |
| नागपूर महानगरपालिका परिवहन | ३३५ | २४० | १.३० | १.४० | ०.५३ | ०.६५ | (-) १,८४६.१९ | (-) २,०१५.१४ |
| कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन | १२३ | १२० | ०.९७ | ०.९७ | ०.३० | ०.२८ | (-) १३२.६८ | (-) ७९.१८ |
| सोलापूर महानगरपालिका परिवहन | ६६ | ६९ | ०.४१ | ०.३८ | ०.१२ | ०.१४ | (-) ३७८.४८ | (-) ३७८.४८ |
| कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका परिवहन | ६४ | ६३ | ०.७१ | ०.५९ | ०.१६ | ०.१२ | (-) ११३.२२ | (-) २९२.२५ |
| मिरा-भाईंदर महानगरपालिका परिवहन | उ.ना. | ५५ | ०.५३ | ०.६० | ०.०८ | ०.१० | (-) २५३.०० | २१८.०० |
| अमरावती महानगरपालिका परिवहन | २५ | २५ | ०.०२ | ०.०२ | ०.०४ | ०.०५ | १९.१० | २०.२५ |
| अहमदनगर महानगरपालिका परिवहन | २० | २५ | ०.१७ | ०.१७ | ०.०४ | ०.०५ | (-) ५.५५ | (-) ४५.८४ |
| उल्हासनगर महानगरपालिका परिवहन | १५ | २५ | ०.११ | ०.२४ | ०.०२ | ०.०४ | २.९५ | ५.९८ |
| जळगाव महानगरपालिका परिवहन | - | २५ | - | ०.०७ | - | ०.०४ | - | (-) ३१.९१ |
| अकोला महानगरपालिका परिवहन | १४ | १३ | ०.०३ | ०.०६ | ०.०३ | ०.०२ | (-) १२.२० | (-) १९.०० |
| खोपोली नगरपालिका परिवहन | ७ | ६ | ०.०५ | ०.०४ | ०.०१ | ०.०१ | (-) ७१.१९ | (-) ४८.५७ |
| रा.प. महामंडळ (शहर वाहतूक) | ४३५ | ५०६ | ३.१६ | ३.८३ | ०.९० | १.०६ | (-) २,०२२ | (-) १,९६१ |

*आधार :* संबधित नगरपालिका, महानगरपालिका, पुणे महानगर परिवहन महामंडळ व रा.प. महामंडळ     उ.ना. : उपलब्ध नाही.

## रेल्वे

९.४१ भारतीय रेल्वे हा भारतीय वाहतुक व्यवस्थेचा कणा असून देशांतर्गत परिवहनाचे मुख्य साधन आहे. संपूर्ण देशात रेल्वेचे ३१ मार्च, २०१२ रोजी ६५,२०२ कि.मी. इतके लोहमार्गाचे जाळे पसरलेले असून यापैकी राज्यातील लोहमार्गाची एकूण लांबी ५,९८४ कि.मी. (९.२ टक्के) आहे. राज्यात चालू असलेल्या रेल्वेच्या कामांची स्थिती तक्ता ९.२८ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ९.२८ राज्यात चालू असलेली रेल्वेची कामे**

(३१ डिसेंबर, २०१२ रोजी)

| मार्गाचे नांव | मार्गाची लांबी (कि.मी.) | एकूण अंदाजित किंमत (₹ कोटी) | सद्य:स्थिती |
|---|---|---|---|
| अमरावती - नरखेड (नवीन मार्ग) | १३८ | ५४८.९५ | जुलै, २०१२ मध्ये पूर्ण |
| अहमदनगर-बीड-परळी-वैजनाथ | २६१ | ४६२.६७ | ११.७ कि.मी. पर्यंतचे रुळ जोडणीचे काम पूर्ण, उर्वरित काम प्रगतीपथावर. |
| बारामती - लोणंद (नवीन मार्ग) | ५४ | १३८.४८ | भौतिक प्रगती ९५ टक्के. |
| बेलापूर - सीवूड- उरण (नवीन मार्ग) | २७ | ४९५.४४ | भौतिक प्रगती १७ टक्के. |
| वर्धा - नांदेड (नवीन मार्ग) | २८५ | १,६०४.९४ | भौतिक प्रगती ३.५ टक्के. |
| पनवेल - पेण (दुपदरीकरण) | ३५ | १३८.४८ | भौतिक प्रगती ७२ टक्के. |
| पेण - रोहा (दुपदरीकरण) | ४० | २०३.०० | भौतिक प्रगती ४८ टक्के. |
| पनवेल - रोहा (दुपदरीकरणाकरिता भूसंपादन) | ७५ | १७.३२ | काम सुरू असून, ते नजिकच्या भविष्यात पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. |

*आधार :* दक्षिण पूर्व, मध्य, दक्षिण मध्य व पश्चिम रेल्वे आणि कोंकण रेल्वे महामंडळ,

## मुंबई उपनगर रेल्वे

९.४२ स्थानिक रेल्वे हे मुंबई मध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे प्रमुख साधन आहे. मुंबईची उपनगरीय रेल्वे सेवा पश्चिम रेल्वे (३६ स्थानके) आणि मध्य रेल्वे (६२ स्थानके) या दोन क्षेत्रीय रेल्वेद्वारे चालविली जाते. हार्बर मार्ग (३८ स्थानके) हा मध्य रेल्वेचा भाग आहे. दर दिवशी एकूण १९५ गाडया २,७३६ फेऱ्यांद्वारे ७.४१ दशलक्ष प्रवाशांची ने-आण करतात. स्थानिक रेल्वे गाड्यांची वर्षनिहाय संख्या तक्ता ९.२९ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ९.२९ उपनगरी रेल्वे गाड्यांची वर्षनिहाय संख्या**

| वर्ष | ९ डब्बे | १२ डब्बे | १५ डब्बे | एकूण |
|---|---|---|---|---|
| १९७०-७१ | ७३ | - | - | ७३ |
| १९८०-८१ | ९८ | - | - | ९८ |
| १९९०-९१ | १२८ | १ | - | १२९ |
| २०००-०१ | ११८ | ३९ | - | १५७ |
| २००९-१० | ८७ | ९७ | १ | १८५ |
| २०१०-११ | ५६ | १३६ | १ | १९३ |
| २०११-१२ | ४७ | १४७ | १ | १९५ |

*आधार* : मुंबई रेल्वे विकास महामंडलळ

९.४३ मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ (मुंरेविम), एमयुटीपी II मधील रेल्वे घटकांची अंमलबजावणी करीत असून, या अंतर्गत मध्य रेल्वेच्या सीएसटी-कुर्ला दरम्यान अतिरिक्त ५ वा व ६ वा मार्ग, ठाणे-दिवा दरम्यान ५ वा व ६ वा मार्ग आणि पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई सेंट्रल-बोरीवली दरम्यान ६ वा मार्ग, अंधेरी ते गोरेगाव हार्बर मार्गाचा विस्तार ही कामे हाती घेतली आहेत. या व्यतिरिक्त, मध्य व पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई उपनगरासाठी ७२/१२ डब्यांच्या गाडयांची (८६४ डबे) खरेदी करण्यात आली आहे.

## भविष्यातील विस्तार

९.४४ एमयुटीपी III अंतर्गत मुंरेविम ने अंदाजे ₹ ५२,००० कोटी किंमतीचे खालील महत्वाचे प्रकल्प २०३१ पर्यंत विकसित करण्याचा आराखडा तयार केला आहे.

- हार्बर मार्गावर सीएसटी-पनवेल वेगवान मार्ग
- विरार-वसई रोड-दिवा-पनवेल नवीन उपनगरीय मार्ग
- विरार व डहाणू रोड दरम्यान तिसरा व चौथा अतिरिक्त मार्ग
- हार्बर मार्ग गोरेगांव ते बोरिवली पर्यंत वाढविणे
- बोरिवली - विरार दरम्यान पाचवा व सहावा अतिरिक्त मार्ग
- कल्याण - कसारा दरम्यान तिसरा व चौथा मार्ग
- कल्याण - कर्जत दरम्यान तिसरा व चौथा मार्ग

## नवी मुंबई मेट्रो रेल प्रकल्प

९.४५ सिडकोने प्रस्तावित सेझ व नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या (एनएमआयए) वाहतूक जोडणीच्या बृहत आराखड्याचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला. पाच मेट्रोरेल मार्गिकांचा तीन चरणांत विकास करण्याचे निश्चित केले आहे. पहिल्या चरणातील सीबीडी बेलापूर - पेंधर - कळंबोली - खांदेश्वर - एनएमआयए मार्गिकेचे काम तीन टप्प्यात अंमलात येईल. यापैकी पहिल्या टप्प्याचे सीबीडी बेलापूर - पेंधर (११.१ कि.मी.) चे काम प्रगतीपथावर आहे. प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ₹ २,१११.५१ कोटी असून जानेवारी, २०१३ पर्यंत त्यावर ₹ १८३.३२ कोटी इतका खर्च झाला आहे. सीबीडी बेलापूर-पेंधर (पहिला टप्पा) डिसेंबर, २०१४ पर्यंत कार्यान्वीत करण्याचे नियोजित आहे.

# जलवाहतूक

## मोठी बंदरे

९.४६ राज्याच्या ७२० कि.मी. लांबीच्या किनारपट्टीवर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (एमबीपीटी) व जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) ही दोन मोठी बंदरे आहेत. २०१२-१३ मध्ये, ३१ डिसेंबर पर्यंत एमबीपीटी व जेएनपीटी यांनी अनुक्रमे ४४०.९२ व ४७९.७७ लाख टन सागरी मालाची वाहतूक केली. एमबीपीटीचा वर्ष २०११-१२ चे कार्यान्वयीन आधिक्य/नफा ₹ २०१.५८ कोटी होते जे मागील वर्षापेक्षा ११.९ टक्क्यांनी अधिक होते. जेएनपीटीचा वर्ष २०११-१२ साठी कार्यान्वयीन आधिक्य ₹ ६६७.५२ कोटी होते जे मागील वर्षापेक्षा १.६ टक्क्यांनी कमी होते. या मोठया बंदरांची वाहतूक विषयक आकडेवारी तक्ता ९.३० मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ९.३० मोठ्या बंदरांची वाहतूक विषयक आकडेवारी**

| बाब | एमबीपीटी | | शेकडा बदल | जेएनपीटी | | शेकडा बदल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | २०१०-११ | २०११-१२ | | २०१०-११ | २०११-१२ | |
| एकूण माल वाहतूक क्षमता (लाख टन) | ४८७.०० | ४८७.०० | ०.० | ६४०.०० | ६४०.०० | ०.०० |
| कर्मचारी संख्या | १३,३९१ | १२,७२६ | (-)४.९७ | १,७३० | १,७१८ | (-)०.६९ |
| माल वाहतूक (लाख टन) | | | | | | |
| अ) आयात | ३६७.५५ | ३८८.७२ | ५.७६ | ३३४.४६ | ३३२.१८ | (-)०.६८ |
| ब) निर्यात | १७८.३० | १७३.१४ | (-)२.८९ | ३०८.७१ | ३२५.१२ | ५.३२ |
| **क) एकुण** | **५४५.८५** | **५६१.८६** | **२.९३** | **६४३.१७** | **६५७.३०** | **२.२०** |
| प्रवासी वाहतूक (हजारात) | १६.०१ | ४.७० | (-)७०.६४ | ला.ना. | ला.ना. | ला.ना. |
| बंदरात आलेल्या बोटींची संख्या | ५,६२२ | ५,७५८ | २.४२ | ३,१२८ | २,९२९ | (-)६.३६ |
| परिचालन उत्पन्न (₹ कोटी) | ९५५.०७ | १,०२३.०५ | ७.१२ | १,१२२.६४ | १,१६७.१५ | ३.९६ |
| परिचालन खर्च (₹ कोटी) | ७७४.९१ | ८२१.४७ | ६.०१ | ४४४.४६ | ४९९.६३ | १२.४१ |
| परिचालन आधिक्य / नफा (₹ कोटी) | १८०.१६ | २०१.५८ | ११.८९ | ६७८.१८ | ६६७.५२ | (-)१.५७ |

*आधार* :एमबीपीटी व जेएनपीटी ला.ना. : लागू नाही

## लहान बंदरे

९.४७ शासनाने राज्यातील लहान बंदरांच्या विकासाचे धोरण सुधारित केले आहे आणि हरितक्षेत्र बंदरे, बहुउद्देशीय धक्के व मालवाहतूक स्थानके यांच्या जलद विकासासाठी नवीन बंदर धोरण, २०१० जाहिर केले आहे. या धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे आहेत.

- बंदराचा विकास खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाद्वारे बांधा-मालकीचा करा-वापरा-भागीदारी करा-हस्तांतरीत करा या तत्वावर.
- जलद प्रशासकीय मान्यता निपटाऱ्यासाठी एक खिडकी योजना.
- मेरीटाईम बोर्डास भूमि संपादनाचे काही अधिकार प्रत्यार्पित.
- रस्ते व रेल्वे जोडणीच्या सुनिश्चिततेसाठी प्रयत्न.
- उद्योगाचा दर्जा.
- विद्युत व मुद्रांक शुल्कातून सूट.
- प्रकल्पग्रस्त व्यक्तिंचे पुनर्वसन.

९.४८ महाराष्ट्र मेरी टाईम बोर्ड (एमएमबी) सहा लहान बंदरे विकसित करणार आहे. या सहा बंदरांपैकी पहिल्या टप्प्यात धामणखोल-जयगड बंदरातील दोन माल धक्के कार्यान्वित झाले असून दिघी बंदर वापरासाठी तयार आहे. लवगण-जयगड बंदरातील माल धक्का एप्रिल, २०१२ मध्ये कार्यान्वित झाला आहे. रेवस-आवरे, विजयदुर्ग आणि रेडी बंदरांच्या बांधकामाची पूर्व तयारी प्रगती पथावर आहे. याशिवाय लहान बंदरांच्या परिसरात अनेक बंदिस्त व बहुउद्देशीय थांबे असून तेथे देखील मालाची वाहतूक केली जाते. सर्व लहान बंदरांनी मिळून २०१२-१३ मध्ये सप्टेंबर, २०१२ पर्यंत १११.३५ लाख टन माल वाहतूक आणि ८४.८८ लाख प्रवासी वाहतूक केली आहे. लहान बंदरांची वाहतूक विषयक सांख्यिकी तक्ता ९.३१ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ९.३१ लहान बंदरांची वाहतूक विषयक सांख्यिकी**

| बाब | २०१०-११ | २०११-१२ | शेकडा बदल |
|---|---|---|---|
| **माल वाहतूक (लाख टन)** | | | |
| अ) आयात | १२४.९५ | १६३.९६ | ३१.२२ |
| ब) निर्यात | २३.७९ | ३५.५१ | ४९.२६ |
| **एकूण** | **१४८.७४** | **१९९.४७** | **३४.११** |
| **प्रवासी वाहतूक (लाख)** | | | |
| अ) यांत्रिकी बोटीतून | १४४.५३ | १५९.०३ | १०.०३ |
| ब) बिगर - यांत्रिकी बोटीतून | २२.८१ | २०.२२ | (-)११.३५ |
| **एकूण** | **१६७.३४** | **१७९.२५** | **७.१२** |

*आधार* : महाराष्ट्र मेरी टाईम बोर्ड

## विमान वाहतूक

९.४९ राज्यात तीन आंतरराष्ट्रीय व पाच देशांतर्गत विमानतळे आहेत. या विमानतळांवरून करण्यात येणाऱ्या प्रवासी व मालवाहतुक याबाबतची आकडेवारी तक्ता ९.३२ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ९.३२ विमानतळनिहाय प्रवासी व माल वाहतूक**

(३१ मार्च रोजी)

| विमानतळ | प्रवासी वाहतूक (लाख) | | माल वाहतूक (टन) | |
|---|---|---|---|---|
| | २०११ | २०१२ | २०११ | २०१२ |
| **देशांतर्गत** | | | | |
| मुंबई | १९९.९५ | २१०.४४ | १,९९,८३१ | १,९०,२८८ |
| पुणे | २७.५३ | ३२.२९ | २७,८२८ | २४,१३४ |
| नागपूर | १२.०० | १३.७७ | ९,१४५ | ४,५८८ |
| औरंगाबाद | २.६६ | ४.०१ | १,८४१ | १,२२७ |
| कोल्हापूर | ०.०६ | ०.०८ | ० | ० |
| **एकूण** | **२४२.२०** | **२६०.५९** | **२,३८,६४५** | **२,२०,२३७** |
| **आंतरराष्ट्रीय** | | | | |
| मुंबई | ८७.४८ | ९४.९३ | ४,७०,४०२ | ४,६७,१८२ |
| नागपूर | ०.३७ | ०३९ | ३४६ | ३८८ |
| पुणे | ०.५६ | ०.६४ | ० | ० |
| औरंगाबाद@ | ०.०५ | ०.०३ | ० | ० |
| **एकूण** | **८८.४६** | **९५.९९** | **४,७०,७४८** | **४,६७,५७०** |

*आधार* : भारतीय विमानतळ प्राधिकरण @ चार्टर्ड विमानाने प्रवासी वाहतूक

९.५० राज्य शासनाने विशेष उद्देशीय कंपनी म्हणून सन २००२ मध्ये, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित (एमएडीसी) स्थापन केली आहे. नागपूर येथील बहुआयामी आंतरराष्ट्रीय प्रवासी व कार्गो हब विमानतळ (मिहान) व नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, हे प्रकल्प एमएडीसी मार्फत कार्यान्वित होत आहेत. एमएडीसी मार्फत महाराष्ट्रातील सोलापूर, शिर्डी, गडचिरोली, चंद्रपूर, अमरावती, जळगाव अशी इतर अनेक विमानतळे आणि राजगुरुनगर (नवीन चाकण, जि.पुणे) येथील नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित करण्यात येत आहेत.

९.५१ मिहान प्रकल्पामध्ये नागपूर येथील विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय प्रवासी व कार्गो हब विमानतळामध्ये विकसित करण्याचा समावेश आहे. एमएडीसी व भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (एएआय) यांनी स्थापन केलेली मिहान इंडीया लि. (एमआयएल) या संयुक्त भांडवली कंपनीद्वारा सदर प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ₹ ३,३२७.५ कोटी इतका आहे. प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेसाठी एमएडीसीद्वारा विमानतळालगत एका बहुउत्पादक विशेष आर्थिक क्षेत्राचा देखील विकास करण्यात येत आहे. या उद्देशासाठी एमएडीसी ने ३,५४७.६ हेक्टर जमीन अधिग्रहीत केली असून यासाठी शासनाने ₹ ३२३.९ इतके अनुदान मंजूर केले आहे. एमएडीसी ने १६३.२ एकर जमीन ₹ १०४.५ कोटी इतक्या किंमतीस विकली आहे. मार्च, २०१२ मध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्रात इन्फोसिस व ल्युपिन फार्मा यांना अनुक्रमे १४२ एकर व १५ एकर जमीनीचे वाटप करण्यात आले. इन्फोसिस, सत्यम, टीसीएस व एचसीएल यासारख्या कंपन्यांनी त्यांचे प्रकल्प सुरु करण्याचे नियोजित केले आहे, बोईंग ने बांधकाम सुरु केले आहे.

९.५२ मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळावरील ताण कमी करण्यासाठी नवी मुंबई येथे अतिरिक्त विमानतळ उभारण्याचे प्रस्तावित असून चार चरणातील या प्रकल्पाचा खर्च ₹ १४,५०० कोटी इतका आहे. पहिल्या टप्याचा प्रकल्प खर्च ₹ ९,१५० कोटी इतका असून, त्यात ₹ ४,०१७ कोटी इतक्या उभारणीपूर्व खर्चाचा समावेश आहे. विमानतळ विकासासाठी एकूण २,०७२ हेक्टर क्षेत्र आरक्षित केले आहे, त्यापैकी १,५७२ हेक्टर क्षेत्र (७५.९ टक्के) सिडकोच्या ताब्यात, २५ हेक्टर (१.२ टक्के) शासकीय विभागांच्या मालकीची व ४७५ हेक्टर (२२.९ टक्के) आधिग्रहणाखाली आहे. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) रिलायन्स विमानतळ प्राधिकरणास ९५ वर्षाच्या भाडे कराराने विकास, सुधारणा, कार्यान्वयन, व्यवस्थापन व देखरेख करण्यासाठी नोव्हेंबर २००९ पासून राज्यातील नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, यवतमाळ आणि बारामती ही पाच विमानतळे दिली आहेत. नांदेड विमानतळावरून दोन्ही नियोजित आणि अनियोजित उड्डाणे होतात. बारामती, यवतमाळ आणि उस्मानाबाद या विमानतळावरून केवळ अनियोजित विमानांची उड्डाणे होतात.

९.५३ हलकॉन या हिंदुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) आणि कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. यांच्या संयुक्त कार्यकारी गटासह टर्मिनल ऑपरेटर क्ल्यॅरिऑन सोल्युशन्स यांनी ओझर विमानतळ, नाशिक येथे विमान मालवाहतूक सेवेस सप्टेंबर, २०११ पासून सुरुवात केली आहे. ओझर विमांतळावरुन २०११-१२ व २०१२-१३ मध्ये (३१ डिसेंबर पर्यंत) अनुक्रमे २,४६,८३५ टन आणि २,५४,३४२ टन मालाची वाहतूक केली आहे.

## दळणवळण

९.५४ दळणवळण प्रणालीमध्ये टपाल, तार, दुरध्वनी, आणि ध्वनी, दृक व माहिती दूरसंचार यांचा समावेश होतो. डाक सेवेबाबतची आकडेवारी तक्ता ९.३३ मध्ये दिली आहे.

९.५५ खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाने सपर्क व्यवस्थेच्या क्षेत्रात वेगाने वाढ होत आहे. राज्यात खाजगी क्षेत्रातील चालकांचा भ्रमणध्वनी बाजारातील वाटा ९०.९ टक्के आहे तर दोन पीएसयु चालक बीएसएनएल आणि एमटीएनएल यांचा संयुक्त वाटा ९.१ टक्के आहे. ३ जी सेवा आणि भ्रमणध्वनी क्रमांक पोर्टेबिलिटी या क्षेत्रातील नवीन सुधारणा आहेत.

९.५६ सप्टेंबर, २०१२ अखेर राज्यात एकूण दूरध्वनी जोडण्यांची संख्या ५५.६२ लाख होती. राज्यात दर लाख लोकसंख्येमागे सप्टेंबर, २०१२ अखेर भ्रमणध्वनी धारकांची संख्या ८४,४१४ होती. मंडल/चालकनिहाय दूरध्वनी जोडण्यांची व भ्रमणध्वनी धारकांची आकडेवारी तक्ता ९.३४ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ९.३३ डाक सेवेबाबतची आकडेवारी**

( संख्या )

| बाब | क्षेत्र | २०११ | २०१२ |
|---|---|---|---|
| डाक कार्यालये | ग्रामीण | ११,३३४ | ११,३३९ |
| | नागरी | १,२६८ | १,२६१ |
| | **एकूण** | **१२,६०२** | **१२,६००** |
| टपाल पेट्या | ग्रामीण | ४२,१२२ | ४२,०१२ |
| | नागरी | ९,५५१ | ८,४१७ |
| | **एकूण** | **५१,६७३** | **५०,४२९** |
| डिलिव्हरी पोस्टमेन | ग्रामीण@ | १९,२३८ | २०,३८५ |
| | नागरी | ७,५१८ | ७,२८६ |
| | **एकूण** | **२६,७५६** | **२७,६७१** |

*आधार :* मुख्य डाक कार्यालय, मुंबई
@ डाकसेवकांची संख्या मिळवून

**तक्ता ९.३४ दूरध्वनी व भ्रमणध्वनी धारक**

(संख्या लाखात)

| चालक | २०१०-११ | | २०११-१२ | | २०१२-१३+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | दूरध्वनी | भ्रमणध्वनी | दूरध्वनी | भ्रमणध्वनी | दूरध्वनी | भ्रमणध्वनी |
| एमटीएनएल | १९.१८ | २८.३६ | १८.९५ | २९.४६ | १८.७५ | २७.११ |
| बीएसएनएल | २४.८२ | ६५.९६ | २२.४० | ६२.२६ | २१.५८ | ६५.४१ |
| भारती | ४.०० | ११८.९९ | ४.०१ | १३५.७० | ४.०२ | १३५.९५ |
| आयडीया/स्पाईस | ... | १४८.२२ | ... | १८०.२५ | ... | १८१.७३ |
| रिलायंस | ३.१६ | १६५.६३ | ३.३३ | १९७.२७ | ३.३६ | १५८.५५ |
| टाटा | ७.२९ | १६१.२३ | ७.८१ | १३३.४६ | ७.८५ | १११.५३ |
| होडाफोन | ... | १७०.१६ | ०.०६ | १८७.५४ | ०.०७ | १९३.५२ |
| एअरसेल-डिशनेट | ... | २१.३७ | ... | २४.७० | ... | २६.०५ |
| सिस्टेमा | ... | १०.६६ | ... | १२.६० | ... | १२.४९ |
| व्हिडिवोकॉन | ... | १३.१३ | ... | ९.३९ | ... | ६.४३ |
| इस्टीसॅलेट | ... | २.३६ | ... | १.५९ | ... | ... |
| यूनिटेक | ... | २८.१६ | ... | ६०.७२ | ... | ७१.९५ |
| लूप | ... | ३०.९२ | ... | ३२.६१ | ... | ३०.२९ |
| **एकूण** | **५८.४५** | **९६५.१६** | **५६.५६** | **१,०६७.५४** | **५५.६२** | **१,०२१.००** |

*आधार* : एमटीएनएल, बीएसएनएल व टेलिफोन रेग्यूलेटरी ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया + ३० सप्टेंबर पर्यंत

९.५७ राज्यात ३१ मार्च, २०१२ आणि ३० सप्टेंबर, २०१२ रोजी ब्रॉडबॅन्ड वापरणाऱ्यांची संख्या अनुक्रमे २३.७५ लाख व २४.८२ लाख होती.

* * * * *

## परिशिष्ट ९.१

## राज्यातील विजेचा पुरवठा व वापर

| बाब | १९६०-६१ | १९७०-७१ | १९८०-८१ | १९९०-९१ | २०००-०१ | २०१०-११ | २०११-१२ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
| **अ. स्थापित क्षमता (मेगॉवॅट)** | | | | | | | |
| अ-१ राज्यातील स्थापित क्षमता- | | | | | | | |
| (१) औष्णिक | ४७७$ | १,०६५$ | २,७७१ | ६,४६२ | ८,०७५ | ९,६६५ | १०,३६६ |
| (२) अक्षय ऊर्जा | --- | --- | --- | --- | --- | ३,४०८ | ४,१९८ |
| (३) जलजन्य | २८२ | ८४४ | १,३१७ | १,५५२ | २,८७४ | ३,०६६ | ३,०६६ |
| (४) नैसर्गिक वायुजन्य | --- | --- | --- | ६७२ | १,८२० | २,७१४ | २,७४० |
| **एकूण (अ-१). .** | **७५९** | **१,९०९** | **४,०८८** | **८,६८६** | **१२,७६९** | **१८,८५३** | **२०,३७०** |
| अ-२ स्थापित क्षमतेत महाराष्ट्राचा हिस्सा | | | | | | | |
| (१)राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ | उ.ना. | उ.ना. | उ.ना. | उ.ना. | २,०४८@ | ४,६८६ | ५,१०२ |
| (२)अणुशक्ती महामंडळ | उ.ना. | उ.ना. | उ.ना. | उ.ना. | १३७ | ६९० | ६९० |
| **एकूण (अ-२)** | **उ.ना.** | **उ.ना.** | **उ.ना.** | **उ.ना.** | **२,१८५** | **५,३७६** | **५,७९२** |
| **एकूण (अ-१ + अ-२)** | **७५९** | **१,९०९** | **४,०८८** | **८,६८६** | **१४,९५४** | **२४,२२९** | **२६,१६२** |
| **ब. निर्मिती (दशलक्ष युनिटस्)** | | | | | | | |
| (१) औष्णिक | १,९०३$ | ३,३९२ | ११,४१६ | २८,०८५ | ४९,३७७ | ५२,७९६ | ५९,४८२ |
| (२) नैसर्गिक वायुजन्य | --- | --- | --- | २,७३० | ६,९४३ | १८,७२९ | १७,२०७ |
| (३) जलजन्य | १,३६५ | ४,५३३ | ६,४४८ | ५,६१५ | ४,८८९ | ६,३७४ | ६,८५१ |
| (४) अक्षय ऊर्जा # | --- | --- | --- | --- | --- | ५,११८ | ५,९२५ |
| **एकूण . .** | **३,२६८** | **७,९२५** | **१७,८६४** | **३६,४३०** | **६१,२०९#** | **८३,०१७** | **८९,४६५** |
| **क. वापर (दशलक्ष युनिटस्)** | | | | | | | |
| (१) औद्योगिक | १,८५३ | ५,३१२ | ८,१३० | १४,७०६ | १८,३६३ | ३४,४१६ | ३६,४८६ |
| (२) घरगुती | २६० | ७३२ | १,७७९ | ५,०६५ | ११,१७२ | १९,५४६ | २१,०४१ |
| (३) कृषि | १५ | ३५६ | १,७२३ | ६,६०४ | ९,९४० | १६,२५७ | २१,६९३ |
| (४) वाणिज्यिक | १९८ | ५४७ | ९४९ | २,०६८ | ४,१०५ | ११,५२७ | ११,७६८ |
| (५) रेल्वे | ३३९ | ४२१ | ७६६ | ९७० | १,५८१ | २,१८८ | २,२२९ |
| (६) सार्वजनिक पाणी पुरवठा | ३५ | १४६ | ३३० | उ.ना. | १,१९९ | १,९८३ | २,१९३ |
| (७) सार्वजनिक दिवाबत्ती | २० | ७४ | १५९ | २९१ | ५५१ | ८४६ | १,०७७ |
| (८) संकीर्ण | --- | ६२ | १९८ | २६७ | ३७८ | ६३३ | १५७ |
| **एकूण . .** | **२,७२०** | **७,६५०** | **१४,०३४** | **२९,९७१** | **४७,२८९** | **८७,३९६** | **९६,६४४** |
| **ड. दरडोई विजेचा वापर (युनिटस्)** | | | | | | | |
| (१) औद्योगिक | ४६.८ | १०५.४ | १२९.५ | १९५.४ | १९१.२ | ३०७.२ | ३२१.३ |
| (२) वाणिज्यिक | ५.० | १०.९ | १५.१ | २७.५ | ४२.७ | १०२.९ | १०३.६ |

*आधार* - (१) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार, नवी दिल्ली.
(२) पश्चिम विभागीय ऊर्जा समिती, मुंबई (डब्लू.आर.पी.सी.)
(३) महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी, मुंबई.(महानिर्मिती)
(४) महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, मुंबई.(महावितरण)
(५) बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा व परिवहन उपक्रम (बेस्ट)
(६) टाटा पॉवर
(७) रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर

टीप - (१) उपलब्ध आकडेवारी केवळ सार्वजनिक विद्युत व्यवसायी यंत्रणेची आहे.
(२) @ यात राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ व अणुशक्ती महामंडळाकडील वाटप न झालेला तसेच गोवा राज्याचा शिलकी ३२३ मेगावॅटचा अतिरिक्त हिस्सा समाविष्ट आहे.
(३) # यात बंदिस्त वीज व अक्षय ऊर्जेची (महावितरणला विकलेली वीज) आकडेवारी समाविष्ट आहे.
(४) $ यात तेलजन्य ऊर्जेची आकडेवारी औष्णिक ऊर्जेत समाविष्ट आहे.
(५) टाटा पॉवर व रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर वगळून इतर खाजगी कंपन्यांची स्थापित क्षमता व निर्मिती डब्ल्यूपीआरसी/सीइएच्या वेबसाईट अहवालानुसार दिली आहे.
(६) १ युनिट = एक किलो वॅट तास

उ.ना. - उपलब्ध नाही.

## परिशिष्ट ९.२

## खाजगीकरणांतर्गत पूर्ण झालेले जलविद्युत प्रकल्प

| | प्रकल्पाचे नांव | स्थापित क्षमता (मेगावॅट) |
|---|---|---|
| | (२) | (२) |
| १ | भंडारदरा ( १ x  १२ मेगावॅट ) | १२.० |
| २ | वज्रा प्रपात ( १ x ३ मेगावॅट ) | ३.० |
| ३ | चासकमान  ( १ x ३ मेगावॅट ) | ३.० |
| ४ | निरा देवघर | ६.० |
| ५ | कोनाल  (२ x ५ मेगावॅट ) | १०.० |
| ६ | देवगड  ( १ x १.५ मेगावॅट ) | १.५ |
| ७ | टेंभू बॅरेज ( ४.५ मेगावॅट ) | ४.५ |
| ८ | सोनवडे  ( २ x २ मेगावॅट ) | ४.० |
| ९ | दारणा  ( २ x २.४५ मेगावॅट ) | ४.९ |
| १० | चित्री ( १ x २ मेगावॅट ) | २.० |
| ११ | राधानगरी  ( २ x ५ मेगावॅट ) | १०.० |
| १२ | कुंभी  ( १ x २.५ मेगावॅट ) | २.५ |
| १३ | कासारी  ( १ x २.५ मेगावॅट ) | २.५ |
| १४ | घटप्रभा  ( २ x २.५ मेगावॅट ) | ५.० |
| १५ | धोम बलकवडी  ( १ x ४ मेगावॅट ) | ४.० |
| १६ | कडवी  ( १ x १.५ मेगावॅट ) | १.५ |
| १७ | पेंच उजवा तट कालवा  ( २ x ०.७ मेगावॅट ) | १.४ |
| १८ | वज्रा - २  ( १ x १ मेगावॅट ) | १.० |
| १९ | निरा डावा तट कालवा (२ x २.४ मेगावॅट ) | ४.८ |
| | **एकूण** | **८३.६** |

आधार — जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन

## परिशिष्ट ९.३
## महाराष्ट्र राज्यातील रस्त्यांची प्रकारांनुसार लांबी
(सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदा यांच्या देखभालीखालील)

(किलोमीटरमध्ये)

| अ.क्र. | वर्ष | राष्ट्रीय महामार्ग | राज्य महामार्ग | रस्ते | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | प्रमुख जिल्हा | इतर जिल्हा | ग्रामीण | एकूण |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
| १ | १९६५-६६ | २,३६४ | १०,५२८ | १२,६२८ | ८,७४४ | १७,५२४ | ५१,७८८ |
| २ | १९७०-७१ | २,४४५ | १४,२०३ | १७,६८४ | ११,०१२ | २०,०२० | ६५,३६४ |
| ३ | १९८०-८१ | २,९४५ | १८,९४९ | २५,२३३ | २५,४०४ | ६८,६०० | १,४१,१३१ |
| ४ | १९९०-९१ | २,९५९ | ३०,९७५ | ३८,९३६ | ३८,५७३ | ६१,५२२ | १,७२,९६५ |
| ५ | २०००-०१ | ३,६८८ | ३३,२१२ | ४६,७५१ | ४३,६९६ | ८९,५९९ | २,१६,९४६ |
| ६ | २००५-०६ | ४,३६७ | ३३,५७१ | ४८,९८७ | ४५,२२६ | ९९,२७९ | २,३१,४३० |
| ७ | २००६-०७ | ४,३६७ | ३३,६७५ | ४९,१४७ | ४५,६७४ | १,००,८०१ | २,३३,६६४ |
| ८ | २००७-०८ | ४,३६७ | ३३,८०० | ४९,३९३ | ४५,८८६ | १,०२,१४९ | २,३५,५९५ |
| ९ | २००८-०९ | ४,३६७ | ३३,९३३ | ४९,६२१ | ४६,१४३ | १,०३,६०४ | २,३७,६६८ |
| १० | २००९-१० | ४,३७६ | ३४,१०२ | ४९,९०१ | ४६,८१७ | १,०४,८४४ | २,४०,०४० |
| ११ | २०१०-११ | ४,३७६ | ३४,१०३ | ४९,९३६ | ४६,८९७ | १,०६,४०० | २,४१,७१२ |
| १२ | २०११-१२ | ४,३७६ | ३४,१५७ | ५०,२५६ | ४७,५२९ | १,०६,६०१ | २,४२,९१९ |

*आधार* - सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई

टीप - (१) ग्रामीण रस्त्यांमध्ये अवर्गीकृत रस्त्यांचा समावेश आहे.

(२) १९८७ पर्यंतच्या रस्ते लांबीची विभागणी १९६१-८१ रस्ते विकास योजनेनुसार आणि १९८७-८८ पासून ही विभागणी १९८१-२००१ रस्ते विकासयोजनेनुसार केली आहे .

## परिशिष्ट ९.४

## सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या व जिल्हा परिषदांच्या देखभालीखालील जिल्हानिहाय साध्य केलेली रूंदीनुसार रस्त्यांची लांबी

(कि.मी.)

| अ. क्र. | जिल्हा | साध्य लांबी २०११ | | | | | साध्य लांबी २०१२ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | रूंदी (मीटर) | ७.०० | ५.५ | ३.७५ | इतर | एकूण | ७.०० | ५.५ | ३.७५ | इतर | एकूण |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) |
| १ | बृहन्मुंबई | ० | ० | ० | ४९ | ४९ | ० | ० | ० | ४९ | ४९ |
| २ | ठाणे | ३८१ | ७८१ | ५,१८५ | ८१५ | ७,१६२ | ३८१ | ७९४ | ५,१७२ | ८१५ | ७,१६२ |
| ३ | रायगड | ४९६ | ५६८ | ४,१६१ | १४४ | ५,३६९ | ४९६ | ५७८ | ४,१८१ | १४४ | ५,३९९ |
| ४ | रत्नागिरी | ३७३ | २७७ | ६,५७८ | ९५ | ७,३२३ | ३७५ | ४३५ | ६,५५८ | ० | ७,३६८ |
| ५ | सिंधुदुर्ग | १२९ | २७२ | ५,७८० | ० | ६,१८१ | १३१ | ६५७ | ५,३९३ | ० | ६,१८१ |
| | **कोकण** | **१,३७९** | **१,८९८** | **२१,७०४** | **१,१०३** | **२६,०८४** | **१,३८३** | **२,४६४** | **२१,३०४** | **१,००८** | **२६,१५९** |
| ६ | पुणे | ६८७ | ९५२ | १२,१९८ | २३९ | १४,०७६ | ७५६ | ९३७ | १२,१४४ | २३९ | १४,०७६ |
| ७ | सातारा | १६४ | ८३२ | ७,२५७ | १,७९४ | १०,०४७ | २१३ | ९०० | ७,१४० | १,७९४ | १०,०४७ |
| ८ | सांगली | ३६२ | १,४१३ | ७,२१२ | ४३ | ९,०३० | ३९४ | १,३८१ | ७,२४७ | ३० | ९,०५२ |
| ९ | कोल्हापुर | २८६ | १,५५८ | ५,२५६ | ३०६ | ७,४०७ | ३३८ | १,५२१ | ५,२५५ | ३३६ | ७,४५० |
| १० | सोलापूर | १,२१५ | ८६३ | ११,२०२ | ५२ | १३,३३२ | १,२२५ | ९२२ | ११,२१६ | २२ | १३,३८५ |
| | **पश्चिम महाराष्ट्र** | **२,७१४** | **५,६१८** | **४३,१२५** | **२,४३४** | **५३,८९२** | **२,९२६** | **५,६६१** | **४३,००२** | **२,४२१** | **५४,०१०** |
| ११ | अहमदनगर | ८६६ | १,९२० | ९,१६९ | ९३३ | १२,८८८ | ९१९ | १,९२० | ९,१३५ | ९१४ | १२,८८८ |
| १२ | नाशिक | ३४१ | ८८१ | १२,२८८ | ६६४ | १४,१७४ | ७३९ | १,३०९ | ११,४६२ | ६७४ | १४,१८४ |
| १३ | धुळे | ३०९ | ३९८ | ४,६१३ | ११८ | ५,४३८ | ३३७ | ४१० | ४,५७३ | ११८ | ५,४३८ |
| १४ | नंदुरबार | १७० | ४४८ | ४,०५४ | ० | ४,६७२ | १७० | ४४८ | ४,०५४ | ० | ४,६७२ |
| १५ | जळगाव | २७९ | ९७० | ६,९०२ | १,९२७ | १०,०७८ | ५१७ | १,०७४ | ६,८०३ | १,६८८ | १०,०८२ |
| | **उत्तर महाराष्ट्र** | **१,९६५** | **४,६१७** | **३७,०२६** | **३,६४२** | **४७,२५०** | **२,६८२** | **५,१६१** | **३६,०२७** | **३,३९४** | **४७,२६४** |
| १६ | औरंगाबाद | ४७७ | ६८३ | ७,२८८ | १,३७५ | ९,८२३ | ४७७ | ६८३ | ७,२९१ | १,३८६ | ९,८३७ |
| १७ | जालना | २४४ | ६३१ | ३,७९१ | ८ | ४,६७४ | २४४ | ६७४ | ३,७४८ | ८ | ४,६७४ |
| १८ | परभणी | १६५ | ४४१ | १,९२४ | २,१०७ | ४,६३७ | १६५ | ४४१ | ३,३५३ | ८५६ | ४,८१५ |
| १९ | हिंगोली | ११९ | ४१४ | १,४०९ | १,२३८ | ३,१८० | ११९ | ४१४ | २,६९१ | ० | ३,२२४ |
| २० | बीड | ४३८ | ५५५ | ४,६१२ | ४,५९७ | १०,२०२ | ७०० | ७४९ | ६,३७५ | १,६२६ | ९,४५० |
| २१ | नांदेड | ७०० | ७४९ | ६,३०२ | १,६९४ | ९,४४५ | ४३८ | ६१४ | ८,७७४ | ३७६ | १०,२०२ |
| २२ | उस्मानाबाद | ३६४ | ७९६ | ४,४५७ | १८६ | ५,८०३ | ३७२ | ७९६ | ४,४४९ | १८६ | ५,८०३ |
| २३ | लातूर | ३५४ | ७९२ | ४,४३९ | ११९ | ५,७०४ | ३६९ | ८५७ | ४,४४६ | ६० | ५,७३२ |
| | **मराठवाडा** | **२,८६१** | **५,०६१** | **३४,२२२** | **११,३२४** | **५३,४६८** | **२,८८४** | **५,२२८** | **४१,१२७** | **४,४९८** | **५३,७३७** |
| २४ | बुलढाणा | ३१५ | ६८० | ३,६७० | ७४ | ४,७३९ | ३२८ | ७३४ | ३,६२० | ७५ | ४,७५७ |
| २५ | अकोला | २४३ | ४०८ | २,१५३ | १८ | २,८२२ | २४३ | ४४० | २,१३३ | १० | २,८२६ |
| २६ | वाशिम | १६९ | ४६४ | २,५३० | ७ | ३,१७० | १७६ | ४७९ | २,५११ | ४ | ३,१७० |
| २७ | अमरावती | ४५५ | ८०८ | ५,३७१ | ६४ | ६,६९८ | ४५५ | ८२७ | ५,३५२ | १२५ | ६,७५९ |
| २८ | यवतमाळ | ५५८ | ७५७ | ५,८६६ | १४५ | ७,३२६ | ५७४ | ७८५ | ५,८८४ | ८३ | ७,३२६ |
| | **अमरावती** | **१,७४०** | **३,११७** | **१९,५९०** | **३०८** | **२४,७५५** | **१,७७६** | **३,२६५** | **१९,५००** | **२९७** | **२४,८३८** |
| २९ | वर्धा | २१७ | ३५४ | ३,००१ | ४७१ | ४,०४३ | २१७ | ३५४ | ३,०११ | ५६१ | ४,१४३ |
| ३० | नागपूर | ५६८ | ५११ | ६,४७२ | ३५७ | ७,९०८ | ५६९ | ५१९ | ६,५४३ | ३५५ | ७,९८६ |
| ३१ | भंडारा | ९२ | ३३८ | ४,१०६ | ६३ | ४,५९९ | ९२ | ३३८ | ४,१८६ | १३४ | ४,७५० |
| ३२ | गोंदिया | ४२ | ३०७ | ५,०४६ | १५४ | ५,५४९ | ४२ | ३०७ | ५,०८१ | ३७५ | ५,८०५ |
| ३३ | चंद्रपुर | ४०१ | ४९३ | ५,७६८ | ९३८ | ७,६०० | ४०१ | ५०२ | ५,७६९ | ९७४ | ७,६४६ |
| ३४ | गडचिरोली | २१४ | ५३९ | ४,७७९ | १,०३२ | ६,५६४ | २६३ | ५७० | ४,७११ | १,०३७ | ६,५८१ |
| | नागपूर | **१,५३४** | **२,५४२** | **२९,१७२** | **३,०१५** | **३६,२६३** | **१,५८४** | **२,५९०** | **२९,३०१** | **३,४३६** | **३६,९११** |
| | **महाराष्ट्र** | **१२,१९३** | **२२,८५४** | **१,८४,८३९** | **२१,८२६** | **२,४१,७१२** | **१३,२३५** | **२४,३३९** | **१,९०,२६१** | **१५,०५४** | **२,४२,९११** |

आधार - सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई

## परिशिष्ट ९.५
## महाराष्ट्र राज्यातील वापरात असलेली मोटार वाहने

| अ.क्र. | वाहनांचा प्रकार | १९७१ | १९८१ | १९९१ | २००१ | २०१२ | २०१३* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
| १ | मोटार सायकली, स्कूटर व मोपेड | ८३,९३० | ३,४६,८२६ | १६,९६,१५७ | ४४,०९,९०६ | १,३५,१३,५८२ | १,४९,२८,५६६ |
| २ | मोटार गाड्या, जीप आणि स्टेशन वॅगन्स् | १,२२,५०८ | २,२४,७५२ | ४,२३,५०५ | ९,०१,२७८ | २६,५९,११३ | २९,५६,६१७ |
| ३ | टॅक्सी कॅबज् | १७,८०६ | ३१,३०२ | ४३,१६८ | ८६,४३८ | १,८१,८८७ | १,८७,५४२ |
| ४ | स्वयंचलित रिक्शा | ३,०४९ | २९,४७४ | १,२६,०४९ | ४,०७,६६० | ६,६१,४८३ | ६,६०,८५६ |
| ५ | स्टेज कॅरेजेस् | १०,२५० | १३,७८९ | १८,२०३ | २७,२८६ | ३५,७०४ | ३४,२२९ |
| ६ | कॉन्ट्रॅक्ट कॅरेजेस | .. | १,४९८ | ३,९८० | १३,९७५ | ३३,५७३ | ३२,८२९ |
| ७ | मालमोटारी - | | | | | | |
| | (१)डिझेल इंजिन | ३४,९८७ | ८७,०७९ | १,८०,८८३ | ३,४१,३४४ | ९,९५,३२४ | १०,७०,११४ |
| | (२)पेट्रोल इंजिन | २१,७९१ | १८,००५ | १३,७७४ | ५७,३१७ | ५८,२८१ | ६५,६७२ |
| ८ | रुग्णवाहिका | ४४१ | ९२५ | २,२३३ | ४,०२५ | १०,४५२ | ११,१५१ |
| ९ | शाळेच्या बसेस | ४९१ | ५९४ | १,०२५ | १,७१४ | ८,९६३ | १९,१३७ |
| १० | खाजगी प्रवासी वाहने | ८१० | २,१७१ | ४,६२२ | ५,८१५ | ८,८०२ | ९,९११ |
| ११ | जोड वाहने (ट्रेलर) | ७,०७५ | २३,१७३ | ६०,८५८ | १,६७,८५६ | ३,१६,७४० | ३,३८,९१८ |
| १२ | ट्रॅक्टर्स | ७,८२१ | २४,०७९ | ६१,०८८ | १,७२,५७८ | ४,०४,७२४ | ४,४८,९७४ |
| १३ | इतर | ८१० | १,३१९ | ५,०४० | ९,८७२ | ३०,५२९ | ३४,९९१ |
| | **एकूण** | **३,११,६६९** | **८,०४,९८६** | **२६,४०,५८५** | **६६,०७,०५४** | **१,८९,१९,१५७** | **२,०७,९९,५०७** |
| | दर लाख लोकसंख्येमागे | ६१८ | १,३०९ | ३,३५३ | ७,१८६ | १६,६०३ | १८,०१४ |
| | मोटार वाहनांची संख्या दर कि. मी. रस्तेलांबीमागे | ५ | ६ | १५ | ३१ | ७८ | ८६ |
| | मोटार वाहनांची संख्या दर लाख लोकसंख्येमागे रुग्णवाहिकांची संख्या | ०.९ | १.५ | २.८ | ४.४ | ९.२ | ९.७ |

*आधार* - परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र शासन, मुंबई * अस्थायी

टीप - वरील आकडे दर वर्षीच्या १ जानेवारीचे आहेत.

# १०

# सामाजिक क्षेत्र

# १०. सामाजिक क्षेत्र

१०.१ सामाजिक विकास हा आर्थिक विकासासाठी मार्ग सुकर करतो. सामाजिक क्षेत्राचा केंदबिंदू मुख्यत्वेकरून दुर्बल घटक, प्रतिकूल परिस्थितीत असणारे व अपंग यांच्या स्थितीत सुधारणा करणे हा आहे. शिक्षण, आरोग्य, महिला व बाल कल्याण, रोजगार, गृहनिर्माण, मागसवर्गीयांचे कल्याण व पाणीपुरवठा, इत्यादी उपक्षेत्राचा समावेश असलेल्या समाजिक क्षेत्राच्या विकासामध्ये शासन महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.

## शिक्षण

१०.२ शिक्षण हे राष्ट्रीय तसेच वैयक्तिक विकास साधण्यामधील एक महत्त्वाचे साधन असल्याचे सर्वत्र मानण्यात येते. 'बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९' अन्वये मूलांना आठ वर्षे दर्जेदार मूलभूत शिक्षण मिळणे सुलभ होईल. तथापि, मानव विकासात शिक्षणाची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याने इच्छुकांना तांत्रिक शिक्षण उपलब्ध करुन देवून अर्थव्यवस्थेच्या गरजा भागविण्यासाठी लागणारे तांत्रिक कौशल्य निर्माण करणे गरजेचे आहे. समाजिक व आर्थिक विकासातील शिक्षणाची महत्त्वाची भूमिका व घटनात्मक दायित्व विचारात घेऊन शिक्षण विषयक विविध कार्यक्रम राज्यात राबविले जातात.

### शालेय शिक्षण

१०.३ प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक असे घटक असलेले मूलभूत शिक्षण हे शिक्षण पध्दतीच्या मनोऱ्याचा पाया असून सर्व शिक्षा अभियानाच्या (सशिअ) माध्यमाद्वारे हा पाया राज्यात चांगल्याप्रकारे प्रस्थापित झाला आहे. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण या कार्यक्रमानुसार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या राहत्या घरापासून १.५ कि.मी.च्या अंतरात शिक्षण विषयक सुविधा उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. ह्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदांना अनुदान वितरीत करण्यात येते. सन २०११-१२ व २०१२-१३ मधील शैक्षणिक संस्था व त्यातील पटसंख्येचा तपशील तक्ता १०.१ मध्ये दिला आहे.

**तक्ता १०.१ शैक्षणिक संस्था आणि त्यातील पटसंख्या**

(शिक्षक आणि पटसंख्या हजारात)

| प्रकार | २०११-१२ | | | | | २०१२-१३* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | शाळांची संख्या | पटसंख्या | पैकी, मुली | शिक्षकांची संख्या | विशिप्र | शाळांची संख्या | पटसंख्या | पैकी, मुली | शिक्षकांची संख्या | विशिप्र |
| १) प्राथमिक (१ ली ते ८ वी) | १,००,०८४ | १६,१८५ | ७,५९१ | ५४२ | २९.८४ | १,०२,०५४ | १६,१२८ | ७,५५५ | ६६९ | २४.११ |
| २) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक (९ वी ते १२ वी) | २१,८८४ | ५,६२८ | २,५८३ | १६८ | ३३.४२ | २३,४४९ | ५,५९१ | २,५७९ | १३५ | ४१.५४ |

आधार : महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई डाईस व एसईएमआयएस -२०११-१२ व युडाईस व प्लॅनिंग टूल प्रोव्हायडेड बाय एमएचआरडी - २०१२-१३
* अस्थायी विशिप्र – विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण

१०.४ राज्य शासनाचा प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणावरील सन २०१०-११ व २०११-१२ करिताच्या खर्चाचा आलेख १०.१ मध्ये दर्शविला आहे.

**आलेख १०.१ : राज्याचा प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणावरील खर्च**

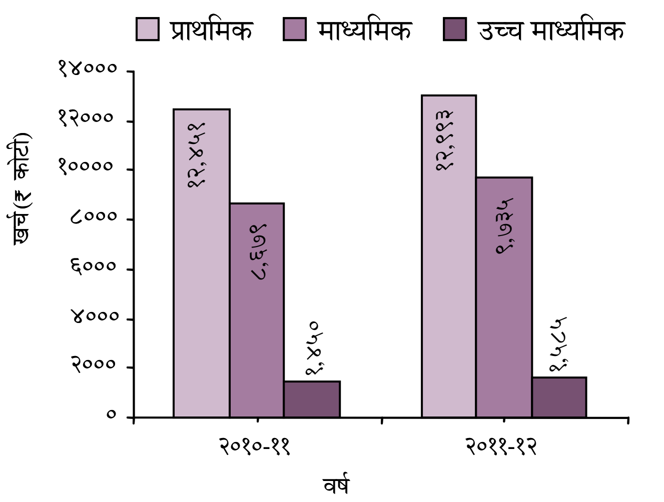


### मुलींचे शिक्षण

१०.५ ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करुन देण्याची राष्ट्रीय बांधीलकी हा आता भारतातील सर्व बालकांचा 'मूलभूत हक्क' आहे. मुलींचे शिक्षण ही शासनाच्या दृष्टीने प्राथम्याची बाब आहे. मुलींच्या मूलभूत शिक्षणाची हमी देण्यासाठी निरनिराळया योजना व उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या काही योजना खालीलप्रमाणे आहेत :

- **मुलींच्या प्राथमिक स्तरावरील शिक्षणासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम :** मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने हा कार्यक्रम सुरु केला आहे. राज्यात ही योजना १७ जिल्हे, १८ महापालिका आणि २ नगरपरिषदांमधील ३६ शैक्षणिकदृष्ट्या मागास गट आणि ५२३ आदर्श समूहशाळांच्या माध्यमातून राबवली जात आहे. शैक्षणिकदृष्ट्या मागास गटातील अजा, अज, इमाव, अल्पसंख्यांक आणि दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील उच्च प्राथमिक स्तरावरील मुलींना व्यावसायिक प्रशिक्षण, जीवनोपयोगी कौशल्य विकास, बाल्यावस्थेतील संगोपन आणि शिक्षण इत्यादी नाविन्यपूर्ण कार्यक्रमाद्वारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या संधी मध्ये वाढ करण्यावर भर दिला जात आहे. सन २०११-१२ मध्ये ६.३० लाख मुलींची नोंदणी करण्यात आली असून ₹ ४२९.७९ लाख इतका खर्च झाला. सन २०१२-१३ मध्ये जानेवारी पर्यंत एकूण ₹ ७७.५३ लाख इतका खर्च झाला.

- **कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय :** ही योजना २००४ मध्ये शैक्षणिकदृष्ट्या मागास गटातील अजा, अज, इमाव व अल्पसंख्यांक कुटुंबातील शाळाबाह्य मुलींना दर्जेदार शिक्षणाची संधी निश्चित करण्याच्या हेतूने उच्च प्राथमिक स्तरावरील वस्तीशाळा स्थापन करण्यासाठी सुरु करण्यात आली. राज्यातील १० जिल्ह्यांत प्रत्येकी १०० मुली इतकी प्रवेशक्षमता असलेली ४३ कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालये कार्यरत आहेत. सन २०११-१२ मध्ये ₹ १६.८३ कोटी इतका खर्च झाला व ४,१५९ मुलींनी या योजनेचा लाभ घेतला. सन २०१२-१३ मध्ये जानेवारी पर्यंत ₹ ८.८० कोटी इतका खर्च करण्यात आला व ४,२६९ मुलींनी या योजनेचा लाभ घेतला.

- **उपस्थिती भत्ता योजना :** प्राथमिक शाळेत शिकणाऱ्या मुलींचे गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे म्हणून राज्य शासनाने मुलींना '*उपस्थिती भत्ता* ' देण्याची योजना जानेवारी, १९९२ मध्ये सुरु केली. या योजनेंतर्गत शालेय कामकाजाचे दिवसांपैकी ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त दिवस शाळेत उपस्थित असणाऱ्या १ ली ते ४ थी पर्यंतच्या मुलींच्या पालकांना एक रुपया प्रतिदिवस आणि शैक्षणिक वर्षात जास्तीत जास्त ₹ २२०/- इतका उपस्थिती भत्ता दिला जातो. या योजनेमध्ये आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील सर्व मुली व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील अजा, अज आणि दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील मुलींचा समावेश असतो. सन २०११-१२ मध्ये ₹ ९.२ कोटी इतका खर्च करण्यात आला व ४.२० लाख मुलींना लाभ देण्यात आला. सन २०१२-१३ मध्ये लाभार्थींची संख्या ५.५१ लाख इतकी अपेक्षित आहे.

- **अहिल्याबाई होळकर योजना :** विद्यार्थीनींना मोफत प्रवास सवलत देण्यासाठी १९९६-९७ पासून राज्यात 'अहिल्याबाई होळकर योजना' राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील इ. ५ वी ते १० मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या मुलींना जर त्यांच्या गावात शाळा उपलब्ध नसल्यास शाळेत उपस्थित राहण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये मोफत प्रवास करण्याची सवलत देण्यात येते. सन २०११-१२ मध्ये २१.८४ लाख मुलींनी या योजनेचा लाभ घेतला व या योजनेवरील एकूण खर्चाच्या एक तृतियांश हिस्सा म्हणजेच ₹ १२६ कोटी एवढा खर्च राज्य शासनाने केला आहे.

## सर्व शिक्षा अभियान

१०.६ सर्व शिक्षा अभियानाने सुरूवात (२००१-०२) झाल्यापासून ६ ते १४ वर्ष वयोगटातील मुलांना मूलभूत शिक्षण प्राप्त करून देऊन मूलभूत शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रगती केली आहे. अज, अजा, कठीण परिस्थितीतील इतर मुले व मुलींच्या शैक्षणिक गरजांवर सर्व शिक्षा अभियानाने विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. समाधानकारक दर्जाचे मूलभूत शिक्षण केंद्रबिंदू मानून प्राथमिक स्तरावरील सामाजिक आणि लिंगभेदावर आधारीत सर्व विषमता कमी करणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. सर्व शिक्षा अभियानावर सन २०११-१२ मध्ये ₹ १,७३१.३० कोटी व २०१२-१३ मध्ये जानेवारी पर्यंत ₹ १,२४२.६४ कोटी इतका खर्च झाला. सर्व शिक्षा अभियानाची मागील दोन वर्षातील कामगिरी तक्ता १०.२ मध्ये दिली आहे :

**तक्ता १०.२ सर्व शिक्षा अभियानाची कामगिरी**

| वर्ष | बांधण्यात आलेल्या वर्गखोल्यांची संख्या | प्रशिक्षण देण्यात आलेल्या शिक्षकांची संख्या (लाखात) | स्थापन करण्यात आलेल्या संगणक प्रयोगशाळांची संख्या | मोफत पुस्तके वाटण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या (लाखात) |
|---|---|---|---|---|
| २०११-१२ | ७,३३६ | ४.२६ | ६६२ | १३८.५४ |
| २०१२-१३ # | ५,३१९ | ४.५७ | ८०५ | १३३.४९ |

आधार : महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई # उद्दीष्ट

१०.७ शारीरिक अथवा मानसिक विकलांग मुलांना सर्वसाधारण परिस्थितीत सर्वसाधारण मुलांसोबत चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळावे व त्यांना समाजिकदृष्ट्या सामावून घेण्यासाठी आणि त्यांच्या भावनिक उन्नतीसाठी राज्यात 'विकलांग समावेशक शिक्षण' कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. विकलांग समावेशक शिक्षण कार्यक्रमामध्ये विशेष गरज असलेल्या मुलांचा शोध घेऊन त्यांची वैद्यकीय तपासणी करणे, त्यांना ब्रेल लिपीतील पुस्तक, चष्मा, श्रवणयंत्र आदी उपकरणे, वाचा प्रशिक्षक, इत्यादि पुनर्वसन व शैक्षणिक आधार सुविधा पुरविणे यांचा समावेश आहे. या कार्यक्रमांतर्गत २०११-१२ मध्ये ३.१० लाख मुलांनी लाभ घेतला असून एकूण ₹ ८४.६२ कोटी खर्च करण्यात आला आहे. सन २०१२-१३ मध्ये जानेवारी पर्यंत ३.२६ लाख मुलांनी लाभ घेतला असून एकूण ₹ ४३.९७ कोटी खर्च करण्यात आला आहे.

## मध्यान्ह भोजन योजना

१०.८ पटनोंदणी वाढविणे, उपस्थिती वाढविणे व गळतीचे प्रमाण कमी करणे याबरोबरच प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांची पोषणस्थिती सुधारणे यासाठी केंद्र शासनाने वर्ष १९९५ मध्ये 'मध्यान्ह भोजन योजना' सुरू केली. सन २००८-०९ मध्ये ' राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन योजना' या नावाखाली उच्च प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांकरिता या योजनेचा विस्तार करण्यात आला. सन २०११-१२ मध्ये इयत्ता १ ली ते ५ वी व ६ वी ते ८ वी मधील अनुक्रमे ७५.१८ लाख व ४५ लाख विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून ₹ १,२७८.७७ कोटी इतका खर्च झाला. सन २०१२-१३ मध्ये नोव्हेंबर पर्यंत एकूण ₹ ७३१.४० कोटी खर्च झाला.

## शिक्षणसाठी प्रोत्साहनात्मक योजना

१०.९ शिक्षणातील विद्यार्थ्यांच्या सहभागाला उत्तेजन देण्यासाठी आणि पालकांवरील आर्थिक भार हलका करण्यासाठी राज्य शासन विविध योजनांद्वारे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कात सवलती देत आहे. याबाबतची योजनानिहाय माहिती तक्ता १०.३ मध्ये दिली आहे:

**तक्ता १०.३ शिक्षणसाठी प्रोत्साहनात्मक योजना**

| योजना | लाभार्थी (लाखात) | |
|---|---|---|
| | २०१०-११ | २०११-१२ |
| १ ली ते ४ थी इयत्तेतील गरीब मुलांना मोफत गणवेश व लेखन साहित्य पुरविणे | १०.११ | १३.८४ |
| १ ली ते १० वी च्या शासन अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्कात सवलत | ४७.४९ | ३८.५३ |
| आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण *(११ वी आणि १२वी)* | १.९९ | २.८० |
| ११ वी आणि १२ वी मध्ये शिकणाऱ्या मुलींना मोफत शिक्षण | ३.२८ | ३.०१ |
| आदिवासी विद्यार्थ्यांना उपस्थिती भत्ता | ०.३५ | ०.०९ |

आधार : प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

## महाराष्ट्र छात्र सेना

१०.१० या योजनेचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांत नेतृत्व, बंधुत्व, खिलाडूवृत्ती, राष्ट्रीय ऐक्य व समाजसेवा इत्यादि सारख्या गुणांचे संवर्धन करणे हा आहे. सर्व शाळांमधील इयत्ता ८ वी व ९ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी वैकल्पिक स्वरूपात ही योजना राबविली जाते. सन २०११-१२ मध्ये या योजनेमध्ये २४.०१ लाख विद्यार्थ्यांचा समावेश होता.

## सैनिकी शाळा

१०.११ राज्यात ३३ जिल्ह्यांमध्ये प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक प्रकारच्या एकूण ४२ सैनिकी शाळा असून त्यांपैकी पाच शाळा फक्त मुलींसाठी, ३३ शाळा फक्त मुलांसाठी आणि चार सह शिक्षणासाठी आहेत. दोन शाळा विनाअनुदानित असून, सन २०१२-१३ मध्ये या सर्व ४२ शाळांमधील पटावरील विद्यार्थी संख्या १६,८५२ आहे.

## क्रीडा शिक्षण

१०.१२ खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व क्रीडापटूंचे नैपुण्य विकसित करण्यासाठी राज्य शासनाने १९९५ मध्ये पुणे येथे 'शिव छत्रपती क्रीडापीठाची' स्थापना केली. या क्रीडापीठाकडून ८ ते १४ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांकरिता क्रीडा नैपुण्य चाचण्या घेतल्या जातात आणि १७ विविध खेळांमधील निवडक विद्यार्थ्यांना सुमारे ८ ते १० वर्षे विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. राज्यात ११ क्रीडा प्रबोधिनी कार्यरत आहेत. आतापर्यंत या प्रबोधिनीच्या १७ विद्यार्थ्यांनी 'शिव छत्रपती राज्य क्रीडा सन्मान' प्राप्त केला आहे आणि ४६ खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये देशाचे प्रतिनिधीत्व केले आहे. शासन दरमहा प्रति प्रशिक्षणार्थी ₹ ६,००० खर्च करते. सन २०१२-१३ मध्ये निवडलेल्या प्रशिक्षणार्थ्यांची संख्या ७७२ इतकी होती. क्रीडा प्रबोधिनीच्या विद्यार्थ्यांनी संपादित केलेल्या यशाचा तपशील तक्ता १०.४ मध्ये दिला आहे.

**तक्ता १०.४ क्रीडा प्रबोधिनीच्या विद्यार्थ्यांनी संपादित केलेल्या यशाचा तपशील**

| वर्ष | एकूण प्रशिक्षणार्थी | आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पदके | | | | राष्ट्रीय स्तरावरील पदके | | | | राज्य स्तरावरील पदके | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सुवर्ण | रजत | कांस्य | एकूण | सुवर्ण | रजत | कांस्य | एकूण | सुवर्ण | रजत | कांस्य | एकूण |
| २००९-१० | ५९० | ५ | २ | १ | ८ | ४६ | ३८ | ४० | १२४ | २२९ | १२८ | ९१ | ४४८ |
| २०१०-११ | ५८६ | ३ | २ | ० | ५ | ६७ | ७० | ४६ | १८३ | १७० | १११ | ९० | ३७१ |
| २०११-१२ | ५९८ | १ | ० | ० | १ | ५९ | ५२ | ४८ | १५९ | १३५ | १०३ | ९२ | ३३० |

आधार : क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

## शिक्षण विकास निर्देशांक

१०.१३ राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन विद्यापीठ आणि मानव संसाधन व विकास मंत्रालय (शालेय शिक्षण व साक्षरता विभाग) यांच्या मार्फत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तरांवरील शिक्षण विकास निर्देशांकाची (शिविनि) परिगणना करण्यात येते तसेच संपूर्ण मूलभूत शिक्षणाकरिता केवळ जिल्हा शैक्षणिक माहिती प्रणाली' ह्या माहितीवर आधारित असणारा संयुक्त निर्देशांक परिगणित करण्यात येतो. शिक्षण विकास निर्देशांक हा राज्याच्या विशिष्ट निर्देशकांबरोबरच मूलभूत शिक्षणाचे नवीन पैलू दर्शवितो. शिक्षण विकास निर्देशांकाची गणना करतांना उपलब्धता, पायाभूत सुविधा, शिक्षक आणि फलनिष्पत्ती अशा चार उपविभागांमध्ये एकत्रित केलेल्या एकूण २० निर्देशांकांचा वापर करण्यात आला आहे. राज्यामधील प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तराकरिता उपलब्धता, पायाभूत सुविधा, शिक्षक आणि फलनिष्पत्ती निर्देशांक अनुक्रमे आलेख १०.२, १०.३, १०.४ व १०.५ मध्ये दर्शवले आहेत.

**आलेख १०.२ : उपलब्धता निर्देशांक**

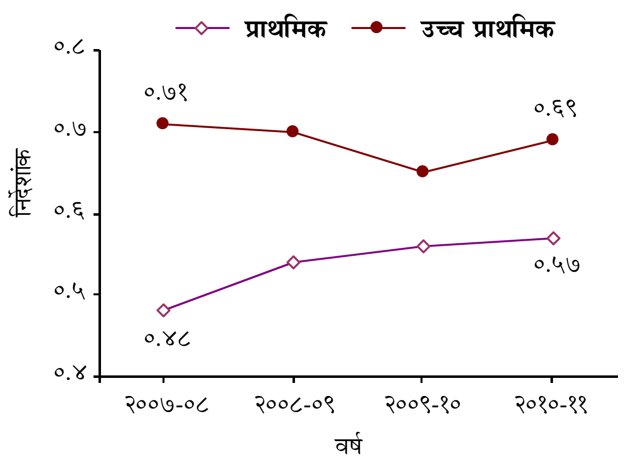


**आलेख १०.३ : पायाभूत सुविधा निर्देशांक**

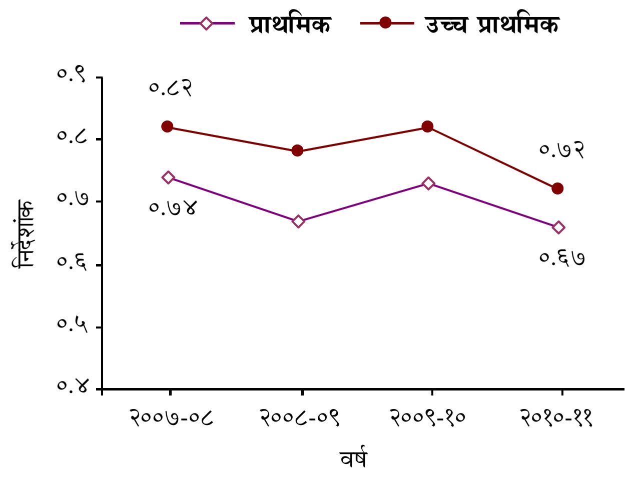


**आलेख १०.४ : शिक्षक निर्देशांक**

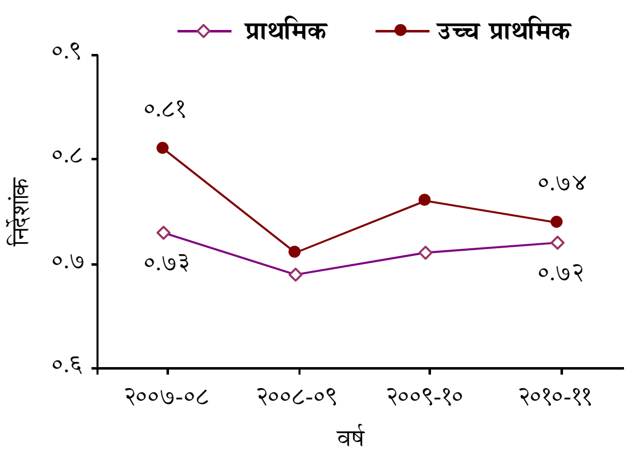


**आलेख १०.५ : फलनिष्पत्ती निर्देशांक**

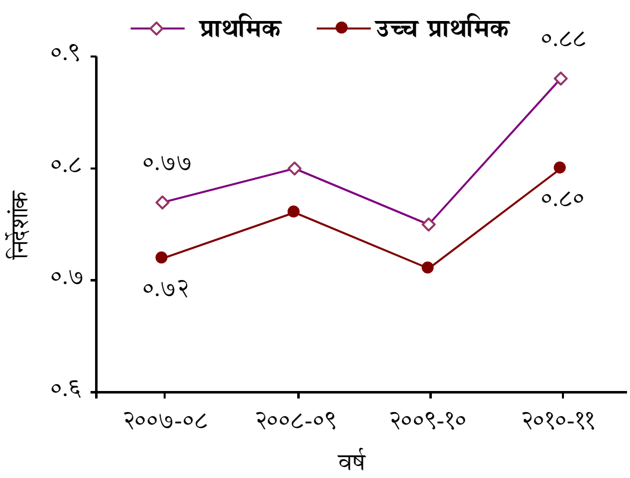

१०.१४ भारतातील मूलभूत शिक्षण आणि सार्वत्रिक मूलभूत शिक्षणाच्या दिशेने प्रगती (फ्लॅश सांख्यिकी २०१०-११) अहवालानुसार महाराष्ट्र प्राथमिक स्तराकरिता १५ व्या क्रमांकावर, उच्च प्राथमिक स्तराकरिता १८ व्या क्रमांकावर आणि संयुक्त स्तराकरिता १७ व्या क्रमांकावर असून शिक्षण विकास निर्देशांक अनुक्रमे ०.७०, ०.७४ आणि ०.७२ आहे. राज्यांकरिता प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर आणि संयुक्त स्तराकरिता सन २००९-१० व २०१०-११ करीताचे शिक्षण विकास निर्देशांक परिशिष्ट १०.१ मध्ये दर्शविले आहेत. राज्याकरिता मूलभूत शिक्षणाबाबतचे महत्त्वाचे निर्देशक तक्ता १०.५ मध्ये दिले आहेत.

**तक्ता १०.५ महाराष्ट्रातील मूलभूत शिक्षणाबाबतचे निर्देशक**

| निर्देशक | | २००९-१० | २०१०-११+ |
|---|---|---|---|
| दर १० चौ. कि.मी. मागील शाळांची घनता | (अ) प्राथमिक | २.५२ | २.५७ |
| | (ब) उच्च प्राथमिक | १.५३ | १.५७ |
| दर हजार मूलांच्या लोकसंख्येमागे (६ ते ११ वर्ष) प्राथमिक शाळा/तुकड्यांची संख्या | | ८ | ८ |
| दर हजार मूलांच्या लोकसंख्येमागे (११ ते १४ वर्ष) उच्च प्राथमिक शाळा/तुकड्यांची संख्या | | ८ | ८ |
| वर्गातील विद्यार्थ्यांचे सरासरी प्रमाण | | ३१ | ३१ |
| **सुविधा असलेल्या शाळांची टक्केवारी** | | | |
| पिण्याचे पाणी | | ९३.७ | ९२.२ |
| सामाईक शौचालय | | ३२.५ | ३०.८ |
| मुलींकरिता शौचालय | | ६९.६ | ७१.५ |
| संगणक | | ३९.४ | ४०.८ |
| अपंगासाठी उतरंड | | ६५.४ | ६५.१ |
| विद्युत जोडणी | | ७१.७ | ७४.१ |
| खाजगी शाळांची एकूण शाळांशी टक्केवारी | | २८.२ | २९.० |

आधार : एलीमेंटरी एज्युकेशन इन इंडिया प्रोग्रेस टुवर्डस युईई रिपोर्ट + ३० सप्टेंबर, २०१० रोजी

## उच्च व तंत्र शिक्षण

१०.१५ उच्च शिक्षणात सर्वसाधारण उच्च शिक्षणाबरोबरच कृषी, पशुवैद्यक, वैद्यकीय, औषध निर्माणशास्त्र, अभियांत्रिकी, तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण, इत्यादि चा समावेश होतो. मूलभूत शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाच्या सोबत, उच्च शिक्षणातील संधींचा देखील विस्तार करण्यासाठी शासन परिश्रम घेत आहे. राज्यात एकूण २० विद्यापीठे असून त्यापैकी चार कृषी विद्यापीठे, एक आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, एक पशुवैद्यक विद्यापीठ, एक तंत्रज्ञान विद्यापीठ आणि १३ अन्य सर्वसाधारण विद्यापीठे असून त्यामध्ये केवळ महिलांसाठी असणारे श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी विद्यापीठ, मुंबई, अनौपचारिक शिक्षणासाठी असलेले यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ, नाशिक आणि संस्कृत भाषेचा अभ्यास, संशोधन, विकास व प्रसार करण्यासाठीचे कवी कुलगुरू कालिदास विद्यापीठ, नागपूर यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, राज्यात २१ अभिमत विद्यापीठे आहेत. सन २०११-१२ व २०१२-१३ मधील एकूण संस्था, प्रवेशक्षमता व प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती तक्ता १०.६ मध्ये दिली आहे. वर्ष २०१२-१३ ची शाखानिहाय विस्तृत माहिती परिशिष्ट १०.२ व १०.३ मध्ये दिली आहे.

## तक्ता १०.६ संस्था आणि त्यांची प्रवेशक्षमता

| विद्याशाखा | २०११-१२* | | | २०१२-१३* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | संस्थाची संख्या | प्रवेश क्षमता | पटसंख्या | संस्थाची संख्या | प्रवेश क्षमता | पटसंख्या |
| **सर्वसाधारण शिक्षण $** | | | | | | |
| कला, विज्ञान, वाणिज्य आणि विधी | २,३८७ | १२० प्रति तुकडी | १४,४५,५३७ | २,३८७ | १२० प्रति तुकडी | १५,०६,२७५ |
| बी.एड /एम.एड. | ४६८ | १०० प्रति तुकडी | ३२,४३९ | ४६८ | १०० प्रति तुकडी | २७,६८० |
| इतर बिगर-कृषि अभ्यासक्रम (नॉन एआयसीटीई अभ्यासक्रमासह) | ४२२ | १०० प्रति तुकडी | २,९०,९९९ | ४२२ | १०० प्रति तुकडी | २,९५,२१२ |
| **तांत्रिक शिक्षण @** | | | | | | |
| अभियांत्रिकी (पदविका, पदवी, पदव्युत्तर) | ८९६ | २,८९,४०१ | ६,२२,०४५ | १,००४ | ३,२३,५३३ | ६,३७,०६१ |
| स्थापत्यशास्त्र (पदवी, पदव्युत्तर) | ६१ | ३,०९७ | ५,८७१ | ६८ | ३,९३७ | ५,९२१ |
| व्यवस्थापन शास्त्र (एमबीए/एमएमएस आणि पीजीडीएम) | ४०८ | ४२,१६५ | ४९,८१९ | ५०८ | ६०,१०० | ५१,७३५ |
| हॉटेल व्यवस्थापन आणि खाद्यपेय तंत्रज्ञान (पदविका, पदवी, पदव्युत्तर) | २६ | १,५३० | २,७०७ | २७ | १,५५४ | २,७६८ |
| औषध निर्माण शास्त्र (पदविका, पदवी, पदव्युत्तर) | ३४४ | २५,३१८ | ५१,६५४ | ४६५ | २७,१९८ | ५१,८२६ |
| मास्टर इन कम्प्यूटर ॲप्लिकेशन | १४१ | १०,८७५ | १९,५०१ | १४५ | १३,३५० | २१,०७३ |
| औद्यागिक प्रशिक्षण संस्था | ७६६ | १,५४,७०२ | १,५७,५२३ | ७६६ | १,५४,७१० | १,५७,५२३ |
| **वैद्यकीय शिक्षण ^** | | | | | | |
| ॲलोपॅथी + | ४१ | ३,३८५ | ५,१९१ | ४३ | ५,६९२ | ५,४६९ |
| आयुर्वेदिक | ६० | ३,५७४ | ३,२८६ | ६० | ३,६५१ | ३,०१० |
| दंतचिकित्सा | २५ | २,४२० | २,२३८ | २९ | २,४९५ | २,४२३ |
| होमियोपॅथी | ४५ | ३,५५७ | ३,२७६ | ४५ | ३,५५७ | ३,४०८ |
| युनानी | ६ | ३३५ | २६६ | ६ | ३३५ | २२५ |
| डी.एम.एल.टी. | ३८ | ६६१ | १४३ | २४ | ३८३ | १४१ |
| फिजिओथेरपी + | ४१ | १,२४५ | ७१५ | ४१ | १,२४५ | ७९६ |
| ऑक्युपेशनल थेरपी + | ९ | १९० | ८० | ९ | १९० | १०१ |
| ऑडियोलॉजी अँड स्पीच लँग्वेज पॅथॉलॉजी + | ५ | ११३ | ६८ | ५ | ११३ | ७३ |
| प्रोस्थेटिक्स व ऑर्थोटिक्स | १ | ३४ | २१ | १ | ३४ | ३४ |
| बी.एस.सी.परिचारिका | ४७ | २,९१० | १,७८३ | ४७ | ३,२३३ | २,२१२ |
| **पशु विज्ञान आणि मत्स्य विज्ञान £** | | | | | | |
| पशुविज्ञान शास्त्र | ६ | ५८० | १,३२३ | ६ | ५७३ | १,४०४ |
| दुग्ध तंत्रज्ञान | २ | ८० | २१८ | २ | ८० | २१२ |
| मत्स्य विज्ञान | २ | ७२ | १३७ | २ | ७२ | १५३ |
| **कृषी §** | | | | | | |
| कृषी | ८३ | ७,३४९ | ७,३७९ | ८९ | ८,४१३ | ८,३८२ |
| फलोत्पादन | १६ | ५३२ | ५१७ | १९ | ५९० | ५७४ |
| वने | ४ | ९४ | ८४ | ४ | ८५ | ८४ |
| मत्स्य विज्ञान | ३ | ७३ | ६९ | ३ | ७७ | ६६ |
| कृषि अभियांत्रिकी | १७ | ८२३ | ७९० | १७ | ८१८ | ७९५ |
| अन्न तंत्रज्ञान | १६ | ९१९ | ८६२ | १७ | १,१३६ | १,०७६ |
| गृह विज्ञान | ३ | ५४ | ३३ | ३ | ५४ | ३६ |
| जैव -तंत्रज्ञान | १९ | ७१५ | ६१२ | १९ | ९१५ | ७९४ |
| कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन | १३ | ५७५ | ३८० | १३ | ६१५ | ५१६ |
| काढणी पश्चात तंत्रज्ञान | १ | ३० | १९ | १ | ३० | २१ |

*आधार :* $ उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे * अस्थायी

@ तंत्र शिक्षण संचालनालय आणि व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई £ महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ , नागपूर

^ महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक § महाराष्ट्र कृषी व संशोधन परिषद, पुणे

\+ पदव्युत्तर प्रवेश क्षमता वगळून

टिप: १) प्रवेश क्षमता फक्त प्रथम वर्षासाठीची आहे. २) वैद्यकीय शिक्षण आणि कृषी या विद्याशाखांसाठी दिलेली पटसंख्या फक्त पहिल्या वर्षासाठीची आहे.

# सार्वजनिक आरोग्य

१०.१६ प्रतिबंधक व सर्वसमावेशक अशा सुगम व परवडण्याजोग्या वैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठी, विशेषत्वाने वंचित जनतेसाठी, देशात व राज्यात मोठ्या प्रमाणावर आरोग्यसंस्थांची उभारणी करण्यात आली आहे. राज्यात अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम आणि राज्यस्तरीय आरोग्यविषयक योजना राबविल्या जात आहेत.

१०.१७ राज्यामध्ये त्रिस्तरीय सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा अस्तित्वात आहेत. प्राथमिक स्तरावर उप केंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व सामाईक आरोग्य केंद्र अशा तीन प्रकारच्या आरोग्यसेवा संस्था कार्यरत आहेत. द्वितीय स्तरावर जिल्हा आणि उपजिल्हा रुग्णालये तर तृतीय स्तरावर नागरी भागातील उच्चस्तरीय तंत्रज्ञानाने युक्त रुग्णालयांमार्फत आरोग्य सेवा पुरविल्या जातात. राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवा संस्थांची संख्या तक्ता १०.७ मध्ये व राज्यात उपलब्ध असलेल्या आरोग्य सुविधांबाबतची विस्तृत मालिका परिशिष्ट १०.४ मध्ये दिली आहे.

१०.१८ आरोग्यविषयक निर्देशांकात सुधारणा होण्यासाठी उपलब्ध पायाभूत सुविधा आणि वैद्यकीय सेवा यांची मदत झाली आहे. आरोग्यविषयक निवडक निर्देशकांची विस्तृत मालिका परिशिष्ट १०.५ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.७ राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवा संस्था**

(फेब्रवारी, २०१३ अखेर)

| संस्थेचा प्रकार | संख्या |
|---|---|
| जिल्हा रुग्णालय | २३ |
| क्षमतेनुसार उप जिल्हा रुग्णालय | |
| अ) ५० खाटा | ५६ |
| ब) ६० खाटा | १ |
| क) १०० खाटा | २५ |
| ड) २०० खाटा | ३ |
| स्त्री रुग्णालय | ११ |
| अस्थिरोग रुग्णालय | १ |
| ग्रामीण रुग्णालय | ३६३ |
| ट्रॉमा केअर युनिट | ६८ |
| विभागीय संदर्भसेवा रुग्णालय | २ |
| एकूण रुग्णालय | ५५३ |
| प्राथमिक आरोग्य केंद्र | १,८११ |
| उप केंद्र | १०,५८० |

*आधार* : आरोग्य सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

१०.१९ सध्या अस्तित्वात असलेली आरोग्यकेंद्रांची रचना ही त्या भागातील लोकसंख्येवर आधारित आहे. ग्रामीण भागातील लोकसंख्येच्या घनतेतील तफावतीमुळे आरोग्यसेवांच्या उपलब्धतेत बराच फरक आढळतो. त्यामुळे जनगणना २००१ वर आधारित लोकसंख्या, सध्या अस्तित्वात असलेल्या आरोग्य संस्थांमधील अंतर, भौगोलिक संरचना आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या मागण्या विचारात घेऊन आरोग्य संस्था पुरविण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाने जनगणना १९९१ वर आधारित नियोजिलेल्या १०७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बांधकाम प्राथम्याने करण्याचे ठरविले आहे. विविध जिल्ह्यांत १४७ नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ८८१ नवीन उपकेंद्रे, राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांवर ४२ ट्रॉमा केअर युनिट, ग्रामीण भागात ३० खाटांची ४७ नवीन रुग्णालये आणि महिला व नवजात शिशुंसाठी १५ रुग्णालये स्थापन करण्याच्या बृहत् आराखड्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. ग्रामीण रुग्णालयांचा स्तर उंचावण्याचाही या आराखड्यात समावेश आहे.

## राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान

१०.२० आरोग्य सेवा प्रणाली सुधारुन परिणामकारक सुगम व सहज आरोग्य सुविधा उपलब्ध होण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने एप्रिल, २००५ मध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील प्रयत्न म्हणून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाची सुरुवात केली. या अभियानाची मुख्य उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत.

- अर्भक व माता मृत्यु कमी करणे,
- साथीच्या व साथीचे नसलेल्या रोगांचा प्रादुर्भाव रोखणे,
- लोकसंख्या स्थिर करणे,
- स्त्री-पुरुष व जन्म-मृत्यू इ. विषयक समतोल राखणे,
- स्थानिक आरोग्य उपचार पध्दती पुर्नजिवित करणे आणि आयुर्वेद, योग व निसर्गोपचार, युनानी, सिध्द व होमिओपॅथी (आयुष) या पद्धतींना मुख्य प्रवाहात आणणे.
- आरोग्यदायी जीवनमानास प्रोत्साहन देणे.

**आलेख १०.६ : निवडक आरोग्यविषयक निर्देशक**

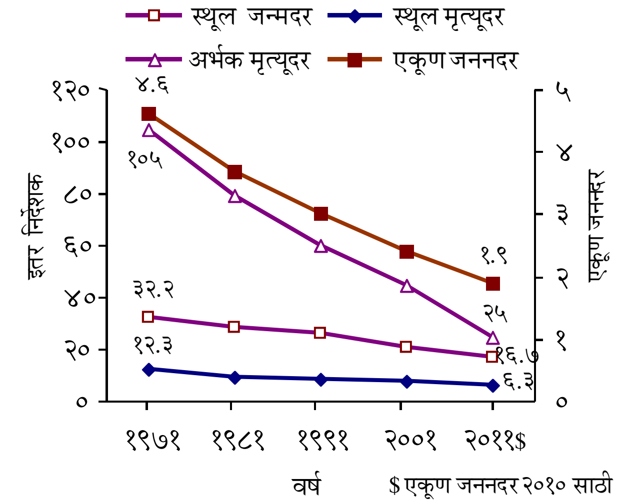

१०.२१ या अभियानाअंतर्गत सर्व जिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये/उप जिल्हा रुग्णालयांचे भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानकांनुसार श्रेणीवर्धन करणे, इयत्ता १ ली ते १२ वी च्या विद्यार्थ्यांची संपूर्ण वैद्यकीय तपासणी करणे, टेलिमेडीसीन प्रकल्प, "आशा" ची (अधिकृत सामजिक आरोग्य कार्यकर्त्या) नेमणूक ही कार्ये केली जातात. या अभियानाचे महत्त्वाचे घटक खालीलप्रमाणे आहेत.

## प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम - दुसरा टप्पा

१०.२२ या कार्यक्रमाचा उद्देश मातामृत्यू प्रमाण, अर्भक मृत्यू व एकूण जनन दर कमी करून त्याद्वारे बाल आरोग्याचा दर्जा वाढविणे व लोकसंख्या स्थिर करणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत झालेल्या खर्चाचा तपशिल तक्ता १०.८ मध्ये दिला आहे.

**तक्ता १०.८ प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम (दुसरा टप्पा) - अंतर्गत झालेला खर्च**

( ₹कोटी )

| वर्ष | खर्च |
|---|---|
| २००८-०९ | १७०.२५ |
| २००९-१० | १५८.९७ |
| २०१०-११ | २१४.५७ |
| २०११-१२ | ३४१.३५ |
| २०१२-१३ + | २१०.७५ |

*आधार* : राज्य कुटुंब कल्याण केंद्र, महाराष्ट्र शासन
+डिसेंबरपर्यंत

## कुटुंब कल्याण कार्यक्रम

१०.२३ लोकसंख्या स्थिर करणे हे कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. नसबंदी शस्त्रक्रिया आणि दोन अपत्यांच्या जन्मात अंतर हे या कार्यक्रमाचे महत्त्वाचे भाग आहेत. तांबी, इन्ट्रायुटेरीन साधने (आययुडी), पारंपारिक संततिप्रतिबंधक साधने, इत्यादी पध्दतींच्या प्रसारावर जास्त भर दिला जातो. कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाची प्रगती तक्ता १०.९ मध्ये दर्शविली आहे.

**तक्ता १०.९ कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाचा तपशिल**

(हजारात)

| वर्ष | नसबंदी | | | | तांबी | | खर्च (₹ कोटी ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | साध्य | | | लक्ष्य | साध्य | |
| | | पुरुष | स्त्री | एकूण | | | |
| २००८-०९ | ६०० | ३८.१ | ५०१.८ | ५४०.० (९०.०) | ४५० | ३९४.७ (८७.७) | ३६.०३ |
| २००९-१० | ६५० | ३४.५ | ४९९.४ | ५३३.९ (८२.१) | ४५० | ३८१.९ (८४.९) | ३९.६५ |
| २०१०-११ | ५५० | २४.३ | ४६८.० | ४९२.४ (८९.५) | ४५० | ३७४.१ (८३.१) | ३८.३१ |
| २०११-१२ | ५५० | २०.३ | ४७४.३ | ४९४.६ (८९.९) | ४५० | ३६६.८ (८१.५) | ३२.६७ |
| २०१२-१३ + | ५५० | १४.९ | ३३०.६ | ३४५.५ (६२.८) | ४५० | २७१.६ (६०.४) | २३.०४ |

*आधार* : राज्य कुटुंब कल्याण केंद्र, महाराष्ट्र शासन टीप : कंसातील आकडे साध्याची लक्ष्याशी टक्केवारी दर्शवितात. +डिसेंबरपर्यंत

## जननी सुरक्षा योजना

१०.२४ ग्रामीण व नागरी भागात संस्थांत्मक प्रसूतीला प्रोत्साहन देऊन त्याद्वारे ज्यांचे वय प्रसूतीपूर्व नोंदणीच्यावेळी १९ वर्षांच्या वर आहे अशा दारिद्र्य रेषेखालील, तसेच अनुसूचित जाती व जमातीच्या कुटुंबांतील लाभार्थ्यांमधील माता मृत्यु प्रमाण व अर्भक मृत्यूदर कमी करणे या उद्देशाने राज्यात २००५-०६ पासून जननी सुरक्षा योजना राबविली जात आहे. सर्व प्रसूती कुशल दाईंमार्फत होऊन त्याद्वारे माता मृत्यू प्रमाण कमी करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत संस्थेमधील प्रसुतीनंतर सात दिवसांच्या आत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांस ₹ ७०० व शहरी भागातील लाभार्थ्यांस ₹ ६०० दिले जातात, तर कुशल दाईच्या मदतीने घरी प्रसूत होणाऱ्या ग्रामीण तसेच नागरी भागातील लाभार्थ्यांस (जीवित अपत्यांची संख्या दोनपर्यंत) ₹ ५०० दिले जातात, सिझेरियनद्वारे प्रसुती झालेल्या लाभार्थ्यांना ₹ १५०० दिले जातात. राज्यातील २००४-०६ या कालावधीतील माता मृत्यू प्रमाण १३० वरुन कमी होऊन २००७-०९ मध्ये १०४ इतके झाले आहे. जननी सुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या व त्या अंतर्गत झालेला खर्च तक्ता १०.१० मध्ये दर्शविला आहे.

**तक्ता १०.१० जननी सुरक्षा योजनेचा तपशिल**

( ₹ कोटी )

| वर्ष | लाभार्थ्यांची संख्या (लाख) | झालेला खर्च |
|---|---|---|
| २००८-०९ | २.२४ | २४.१४ |
| २००९-१० | ३.४८ | २७.४१ |
| २०१०-११ | ३.५४ | ३१.८२ |
| २०११-१२ | ४.०५ | ३५.२८ |
| २०१२-१३ + | २.६८ | २४.४१ |

*आधार* : आरोग्य सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र शासन
+डिसेंबरपर्यंत

## नवसंजीवनी योजना

१०.२५ आदिवासी भागातील माता मृत्यू प्रमाण आणि अर्भक मृत्युदर कमी व्हावेत या उद्देशाने १५ जिल्हयांतील आदिवासी भागातील ८,४१९ गावांमध्ये नवसंजीवनी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत वाहन व निम वैद्यकीय कर्मचा-यांसह वैद्यकीय अधिकारी असलेल्या १७२ फिरत्या वैद्यकीय पथकांची निर्मिती करण्यात आली आहे. ही पथके प्रत्येक गाव व वाड्यांना भेट देऊन कुपोषित व आजारी बालकांना त्यांच्या घरी वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करण्याकरिता त्यांचा शोध घेतात व आवश्यकता भासल्यास आजारी बालकांना नजीकच्या स्वास्थ्य केंद्रात दाखलही केले जाते.

१०.२६ आदिवासी भागातील गरोदर महिलांची नोंदणी, नियमित आरोग्य तपासणी व आवश्यक त्या औषधांचा पुरवठा व्हावा या दृष्टीने नवसंजीवनी योजनेअंतर्गत मातृत्व अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत प्रसूतीपूर्व आरोग्य तपासणी करीता वैद्यकीय केंद्राला भेट देण्यासाठी प्रत्येक लाभार्थ्याला ₹ ४०० रोख व ₹ ४०० ची औषधे पुरविण्यात येतात. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी मातांची संख्या आणि झालेला खर्च तक्ता १०.११ मध्ये दर्शविला आहे.

**तक्ता १०.११ मातृत्व अनुदान योजनेअंतर्गत लाभार्थी मातांची संख्या व झालेला खर्च**

( ₹ कोटी )

| वर्ष | लाभार्थी माता | झालेला खर्च |
|---|---|---|
| २००८-०९ | १,१७,१३७ | ७.१६ |
| २००९-१० | ५९,८५५ | ५.०१ |
| २०१०-११ | ४४,९८५ | ३.८० |
| २०११-१२ | ८१,४९६ | ७.७७ |
| २०१२-१३ + | २४,६२५ | १.१७ |

आधार : आरोग्य सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र शासन + डिसेंबरपर्यंत

## सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम

१०.२७ क्षयरोग, घटसर्प, डांग्या खोकला, धनुर्वात, पोलिओ व गोवर यांसारख्या लसीकरणाद्वारे प्रतिबंध करता येण्याजोग्या आजारांमुळे गर्भवती स्त्रिया, अर्भके व विविध वयोगटातील बालके यांच्या मृत्यूंचे, रोगग्रस्ततेचे व अपंगत्वाचे प्रमाण कमी करणे यासाठी उत्तम दर्जाच्या लसीकरण सेवा पुरविणे हा सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. लाभार्थ्यांची संख्या आणि झालेला खर्च तक्ता १०.१२ मध्ये दिला आहे.

**तक्ता १०.१२ सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या व झालेला खर्च**

(आकडेवारी लाखात)

| लस | २००८-०९ | | २००९-१० | | २०१०-११ | | २०११-१२ | | २०१२-१३ + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | साध्य | लक्ष्य | साध्य | लक्ष्य | साध्य | लक्ष्य | साध्य | लक्ष्य | साध्य |
| बीसीजी | १९.२७ | २०.७० | १८.८० | १९.७३ | १९.२३ | २०.०६ | १९.८१ | १९.९७ | १९.१८ | १४.९३ |
| डीपीटी III | १९.२७ | १८.९४ | १८.८० | १९.५१ | १९.२३ | १९.२१ | १९.८१ | १९.१० | १९.१८ | १४.०६ |
| पोलिओ III | १९.२७ | १९.४६ | १८.८० | १९.५७ | १९.२३ | १९.२५ | १९.८१ | १८.९५ | १९.१८ | १४.०५ |
| एचआयबी | १९.२७ | ११.६३ | १८.८० | १५.५६ | १९.२३ | १७.३४ | १९.८१ | १४.५५ | १९.१८ | १५.३१ |
| गोवर | १९.२७ | १७.६६ | १८.८० | १८.८० | १९.२३ | १८.५३ | १९.८१ | १८.६३ | १९.१८ | १४.०४ |
| डीपीटी (बुस्टर) | १९.७४ | १७.९६ | १९.२७ | १८.२४ | १९.७३ | १८.२६ | १९.०४ | १७.६२ | १८.७८ | १२.६३ |
| पोलिओ (बुस्टर) | १९.७४ | १८.३८ | १९.२७ | १८.३३ | १९.७३ | १८.२२ | १९.०४ | १७.४६ | १८.७८ | १२.६१ |
| डीटी (५ वर्ष) | २१.५० | १८.७८ | २१.८४ | १८.१२ | १९.१४ | १६.६३ | १८.७८ | १६.०० | १९.९८ | १२.६३ |
| टीटी (१० वर्ष) | २१.५० | १९.३१ | २१.८४ | २०.५८ | १९.९९ | २०.२० | १९.९३ | १९.१६ | २०.६६ | १४.६७ |
| टीटी (१६ वर्ष) | २२.८१ | १९.०६ | २३.१७ | १९.८२ | १९.९९ | १९.४९ | २०.७२ | १९.०४ | २१.३५ | १४.७८ |
| टीटी (गरोदर माता) | २१.९७ | २१.१८ | २१.३० | २०.२५ | २१.८७ | २१.११ | २१.७९ | १७.९४ | २१.१० | १३.१७ |
| झालेला खर्च (₹ कोटी ) | ११.४५ | | १४.७४ | | १५.४३ | | १५.८० | | १९.७२ | |

आधार : राज्य कुटुंब कल्याण केंद्र, महाराष्ट्र शासन + डिसेंबरपर्यंत

## पल्स पोलिओ कार्यक्रम

१०.२८ पल्स पोलिओ कार्यक्रमांतर्गत पाच वर्षांखालील सर्व मुलांना तोंडाद्वारे पोलिओ मात्रा देण्यात येते. वर्ष २०१०-११ मध्ये पोलिओचे पाच रुग्ण आढळले, तर २०११-१२ व २०१२-१३ (जानेवारीपर्यंत) मध्ये एकही रुग्ण आढळला नाही. या कार्यक्रमाचा तपशिल तक्ता १०.१३ मध्ये दिला आहे.

**तक्ता १०.१३ पल्स पोलिओ कार्यक्रमाचा तपशिल**

| वर्ष | मुलांची संख्या (लाखात) | खर्च ( ₹ कोटी ) |
|---|---|---|
| २००८-०९ | ११९.६१ | ३१.३१ |
| २००९-१० | १२०.०८ | ४१.०१ |
| २०१०-११ | १२०.७२ | ४६.६८ |
| २०११-१२ | ११९.९८ | १५.६० |
| २०१२-१३+ | १२०.८३ | १०.०० |

*आधार :* राज्य आरोग्य कुटुंब कल्याण केंद्र,महाराष्ट्र शासन + जानेवारीपर्यंत

## शालेय आरोग्य कार्यक्रम

१०.२९ राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियाना अंतर्गत शालेय आरोग्य कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियानाशी समन्वय साधून राबविला जातो. या कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण भागातील सर्व आणि नागरी भागातील महानगरपालिका व नगर परिषद शाळांमधील १ ली ते १२वी पर्यंतच्या इयत्तेतील विद्यार्थ्यांची दरवर्षी आरोग्य तपासणी केली जाते व गरजू विद्यार्थ्यांना हृदय शस्त्रक्रियेसारख्या मोठया वैद्यकीय सेवा मोफत पुरविल्या जातात. वर्ष २०१२-१३ मध्ये जानेवारीपर्यंत राज्यातील ७४, ३३५ शाळांमधील अंदाजे १०१.३२ लाख विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यात आली व त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये दंतरोग, रक्तक्षय, जंत, रातांधळेपणा, त्वचारोग व डोळ्यांचे विकार इ. आजार सर्वसाधारणपणे दिसून येतात. शालेय आरोग्य कार्यक्रमाची प्रगती तक्ता १०.१४ मध्ये दर्शविण्यात आली आहे.

**तक्ता १०.१४ शालेय आरोग्य कार्यक्रमाचा तपशिल**

| वर्ष | समाविष्ट शाळा | विद्यार्थी (लाखात) | | | मोठया शस्त्रक्रिया | हृदय शस्त्रक्रिया |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | तपासलेले | उपचार केलेले | संदर्भसेवेसाठी पाठविलेले | | |
| २००८-०९ | ७३,९८९ | ९७.६९ | २३.२५ | २.५५ | २,८२८ | १,०५३ |
| २००९-१० | ७७,५०० | १०४.९५ | २४.९९ | १.५१ | ४,१७३ | १,०१० |
| २०१०-११ | ८०,९९८ | १११.९० | २०.३५ | ०.९५ | ५,६१० | १,४२८ |
| २०११-१२ | ८०,६३२ | १०८.२० | १७.९६ | ०.७४ | ९,२५० | २,१०० |
| २०१२-१३+ | ७४,३३५ | १०१.३२ | १६.३६ | ०.७७ | ४,४०३ | ६६४ |

*आधार* : राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र शासन + जानेवारीपर्यंत

## जीवनदायी आरोग्य योजना

१०.३० जीवनदायी आरोग्य योजनेअंतर्गत राज्यात दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना त्यांच्या आवाक्याबाहेरील मोठया शस्त्रक्रियांसाठी ₹ १.५ लाख पर्यंत अर्थसहाय्य पुरविण्यात येते. तक्ता १०.१५ मध्ये जीवनदायी आरोग्य योजनेची प्रगती दिली आहे.

**तक्ता १०.१५ जीवनदायी आरोग्य योजनेची प्रगती**

| वर्ष | केलेल्या शस्त्रक्रिया | | | | | खर्च (₹ कोटी ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मुत्रपिंड | हृदय | मेंदू | कर्करोग | एकूण | |
| २००८-०९ | ३५ | ४,५१० | २९ | ७६५ | ५,३३९ | २३.४५ |
| २००९-१० | ७० | ७,२०५ | २०३ | २,३४५ | ९,८२३ | ४२.२७ |
| २०१०-११ | ७९ | ९,५४६ | ३८१ | ३,६१० | १३,६१६ | १११.२२ |
| २०११-१२ | ११३ | १५,५२६ | ५०१ | ४,०३० | २०,१७० | १०४.०६ |
| २०१२-१३ + | १०० | १२,००६ | ३४२ | ३,०९९ | १५,५४७ | ८७.३९ |

*आधार* : आरोग्य सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र शासन + जानेवारीपर्यंत

१०.३१ राज्याने जीवनदायी आरोग्य योजनेची पुनर्रचना करुन व्यापक व सर्वसमावेशक अशा राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेची सुरुवात केली. सद्यस्थितीत गडचिरोली, अमरावती, नांदेड, सोलापूर, धुळे, रायगड, मुंबई व मुंबई उपनगर या आठ जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी होतआहे. राष्ट्रीय विमा कंपनीच्या सहयोगाने जुलै, २०१२ पासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाली असून या योजनेमध्ये हृदयरोग, मुत्रपिंड प्रत्यारोपण, मेंदू व मणक्याचे आजार तसेच कर्करोग हे आजार समाविष्ट केले आहेत. ही योजना रोख रक्कमरहित वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यासाठी सुरु करण्यात आली आहे. प्रति वर्षी लाभार्थी कुटुंबाचा विम्याचा पूर्ण हप्ता शासन अदा करते व दीड लाख रुपये मर्यादेपर्यंत हमी दिली जाते. त्या अंतर्गत ४९.०३ लाख इतक्या लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. ४ जानेवारी, २०१३ पर्यंत एकूण २८,२४१ शस्त्रक्रिया तसेच ६२२ आरोग्य शिबिरे घेण्यात आली असून सुमारे ₹ ८२ कोटी इतका एकूण खर्च करण्यात आला.

## राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम

१०.३२ हिवताप, हत्तीरोग, मेंदूज्वर, डेंग्युताप, चिकनगुनीया, चंडीपूरा, इत्यादी किटकजन्य रोगांचा प्रतिबंध, रोगनिदान, उपचार व नियंत्रणासाठी राज्यात राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमाचा तपशील तक्ता १०.१६ मध्ये दिला आहे.

**तक्ता १०.१६ राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमाचा तपशील**

| रोग | २००८-०९ | | २००९-१० | | २०१०-११ | | २०११-१२ | | २०१२-१३ + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | रुग्ण | नोंदणी झालेले मृत्यू | रुग्ण | नोंदणी झालेले मृत्यू | रुग्ण | नोंदणी झालेले मृत्यू | रुग्ण | नोंदणी झालेले मृत्यू | रुग्ण | नोंदणी झालेले मृत्यू |
| हिवताप | ६९,००३ | १६५ | ९५,६५३ | २३२ | १,४६,०८८ | १९१ | ८५,०६९ | ११२ | ४४,३२६ | ७६ |
| हत्तीरोग | ६,००४ | ० | ५,६९४ | ० | ४,४३९ | ० | ४,२०३ | ० | २,८३२ | ० |
| डेंग्यू ताप | ४,०७३ | २१ | ६,९५० | २० | ३,७४६ | ८ | ९,१२६ | २५ | १९,८६८ | १०९ |
| मेंदूज्वर | १ | ० | ३ | ० | ७ | १ | ६ | ० | १३ | ० |
| चिकनगुनिया ज्वर | ९५८ | ० | १,७०३ | ० | ७,५७४ | ० | ४,६१३ | ० | १,९४७ | ० |
| एईएस/चंडीपूरा | २८ | १६ | ८८ | ३० | ६६ | ३२ | २४ | १४ | ७२ | २७ |
| एकूण झालेला खर्च (₹ कोटी ) | **१६.६१** | | **१९.७४** | | **२१.१३** | | **२४.२३** | | **१८.४७** | |

*आधार* : आरोग्य सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र शासन + नोव्हेंबरपर्यंत

## इतर राष्ट्रीय कार्यक्रम

१०.३३ राज्यात इतर अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम राबविले जात आहेत. काही कार्यक्रमांची प्रगती खालीलप्रमाणे.

१. सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम: वर्ष २०११ मध्ये एक लाख लोकसंख्येमागे संशयीत रुग्णांची संख्या १५८ होती तर रोगमुक्ततेचे प्रमाण ८५ टक्के होते. वर्ष २०१० मध्ये एक लाख लोकसंख्येमागे संशयीत रुग्णांची संख्या १५६ होती व रोगमुक्ततेचे प्रमाण ८५ टक्के होते.

२. राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम: २०११-१२ मधील मोतीबिंदू शस्त्रक्रियांचे ७.२५ लाखांचे उद्दिष्ट पूर्णत: साध्य करण्यात आले. सन २०१२-१३ मध्ये ६.५१ लाखांपैकी जानेवारीपर्यंत ९५ टक्के उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.

३. राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रम : सन २०११-१२ मध्ये नवीन व एकूण ग्रस्त रुग्णांची संख्या अनुक्रमे १७,८९२ व १२,२५३ होती. २०१२-१३ मध्ये नोव्हेंबर अखेर नवीन व एकूण ग्रस्त रुग्णांची संख्या अनुक्रमे १२,९९३ व १३,४४३ इतकी होती.

## आयुर्वेद, योग व निसर्गोपचार, युनानी, सिध्द आणि होमिओपॅथी

१०.३४ आयुर्वेद, योग व निसर्गोपचार, युनानी, सिध्द आणि होमीओपॅथी (आयुष) हे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचे महत्त्वाचे घटक आहेत. 'आयुष' च्या पध्दतींना राष्ट्रीय आरोग्य सुविधा पुरविणाऱ्या पध्दतींच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यावर अकराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये भर देण्यात आला. आयुषच्या सेवा २३ जिल्हा रुग्णालये व २३८ सामाईक आरोग्य केंद्रामध्ये पुरविल्या जातात.

## राष्ट्रीय एडस् नियंत्रण कार्यक्रम

१०.३५ राष्ट्रीय एडस् नियंत्रण कार्यक्रम हा राज्यात महाराष्ट्र राज्य एडस् नियंत्रण संस्थेमार्फत राबविण्यात येतो. जागृती मोहीम आणि विशिष्ट गटातील लोकांचे प्रबोधन व तपासणी करणे हे राष्ट्रीय एडस् नियंत्रण कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. त्याकरिता सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीज क्लिनिकमधील रोग्यांची व गर्भवती महिलांच्या रक्ताची नमुना तपासणी केली जाते. एचआयव्ही / एडस् विषयक आकडेवारी तक्ता १०.१७ मध्ये दर्शविली आहे.

**तक्ता १०.१७ एचआयव्ही/एडस् विषयक आकडेवारी**

| निर्देशक | २००८ | २००९ | २०१० | २०११ | २०१२+ |
|---|---|---|---|---|---|
| जोखीम गटातील तपासणी केलेल्या व्यक्ती (हजारात) | १,५६६ | २,०४२ | २,४६७ | २,८१८ | १,९३० |
| तीन चाचण्यांवरुन एचआयव्ही बाधीत (हजारात) | ७० | ७२ | ७१ | ५७ | ३७ |
| एचआयव्ही बाधीतांचे प्रमाण (टक्के) | ४.५ | ३.५ | २.९ | २.० | २.० |
| एडस् रुग्ण | ११,७६५ | १०,१३० | १३,१८२ | १०,७५० | ७,८३२ |
| एडस्ने मृत्यू | १,०२७ | १,१८३ | १,५७४ | १,५८० | १,२४३ |

*आधार* : महाराष्ट्र राज्य एडस् नियंत्रण संस्था + ऑक्टोबर अखेर

## राज्य रक्त संक्रमण परिषद

१०.३६ राज्यात सुरक्षित रक्ताचा व त्याच्या घटकांचा पुरेसा पुरवठा वाजवी दरात करणे हे राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. राज्यात २९१ नोंदणीकृत रक्तपेढ्या असून त्यापैकी ७८ शासकीय, १२ रेडक्रॉस सोसायटी संचलित, १८३ धर्मदाय संस्था संचलित व १८ खाजगी रक्तपेढ्या आहेत. सुमारे ४० टक्के रक्तपेढ्या मुंबई, ठाणे व पुणे जिल्ह्यांत आहेत. ग्रामीण भागातील २१५ रुग्णालयांमध्ये टप्प्याटप्प्याने रक्त साठवणूक केंद्रे उभारण्याचे नियोजित आहे. आतापर्यंत, परिषदेने १३५ ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये रक्त साठवणूक केंद्रे स्थापन केली. राज्यातील ७३ शासकीय व १२ रेडक्रॉस संचलित रक्तपेढ्यांचे संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे. सन २००० पासून सीकल सेल ग्रस्त बालके, थॅलेसेमिया व हिमोफेलियाने पीडित रूग्णांना मोफत रक्तपुरवठा केला जातो. राष्ट्रीय एड्स् नियंत्रण संस्थेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार लोकसंख्येच्या एक टक्का इतके रक्तसंकलनाचे प्रमाण असले पाहिजे. रक्त संकलनाचा तपशिल तक्ता १०.१८ मध्ये दिला आहे.

**तक्ता १०.१८ रक्त संकलनाचा तपशिल**

(लाख युनिटमध्ये)

| वर्ष | रक्तपेढ्यांची संख्या | एकूण संकलन | पैकी ऐच्छिकपणे केलेले |
|---|---|---|---|
| २००८ | २५६ | १०.७८ | ८.९७ |
| २००९ | २६४ | ११.५० | ९.७४ |
| २०१० | २७३ | १२.६६ | १०.८६ |
| २०११ | २८२ | १३.४४ | ११.९२ |
| २०१२ | २९१ | १४.४१ | १३.२९ |

*आधार* : राज्य रक्त संक्रमण परिषद, महाराष्ट्र शासन

## साथरोग नियंत्रण कार्यक्रम

१०.३७ या कार्यक्रमांतर्गत गॅस्ट्रो, कॉलरा, अतिसार, काविळ आणि विषमज्वर अशा जलजन्य आजारांचा साथउद्रेक तसेच अचानक उदभवणा-या आजारांचे संनियंत्रण केले जाते. या आजारांमुळे होणारी लागण व मृत्यू कमी करणे या करिता प्रतिबंधात्मक उपाय योजना केल्या जातात. (साथउद्रेक व अचानक उदभवणा-या आजारांमुळे होणारी) लागण व मृत्यूंची संख्या तक्ता १०.१९ मध्ये देण्यात आली आहे.

**तक्ता १०.१९ साथउद्रेक व अचानक उदभवणा-या आजारांमुळे होणारी लागण व मृत्यूंची संख्या**

| आजार | २००८-०९ | | २००९-१० | | २०१०-११ | | २०११-१२ | | २०१२-१३ + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लागण | मृत्यू | लागण | मृत्यू | लागण | मृत्यू | लागण | मृत्यू | लागण | मृत्यू |
| कॉलरा | ५,५५६ | ० | १८,३७८ | २५ | ९,७७४ | ० | ६,०७० | २ | १,९९१ | ० |
| गॅस्ट्रो | १,७०,२०५ | ३१ | २,२९,२०३ | ५९ | २,३७,५०२ | ७५ | १,३०,५४८ | ११ | १,०१,८५५ | १४ |
| अतिसार | १७,७५,१९० | ३ | १६,२३,३५७ | १३ | १७,५९,१०८ | १९ | ७,०३,३६१ | २ | ३,६८,१९८ | ३ |
| काविळ | ९,७३५ | १ | ८,१८१ | ३७ | ८,७१५ | ४१ | ५,५२९ | ३१ | ९,४९५ | ४२ |
| विषमज्वर | ८७,८०९ | ० | १,२४,५२८ | १ | १,१८,२४३ | ० | ६८,७३५ | ० | ५१,६९३ | ० |
| लेप्टोस्पायरोसिस | १,३३१ | ७३ | ४९१ | ४० | ७४५ | ७५ | ४५४ | २९ | ४९७ | १४ |
| **एकूण** | **२०,४९,८२६** | **१०८** | **२०,०४,१३८** | **१७५** | **२१,३४,०८७** | **२१०** | **९,१४,६९७** | **७५** | **५,३३,७२९** | **७३** |

*आधार* : राज्य आरोग्य कुटुंब कल्याण केंद्र, महाराष्ट्र शासन + डिसेंबरपर्यंत

## मानवी अवयव प्रत्यारोपण अधिनियम १९९४

१०.३८ मानवी उपचाराकरिता तसेच मानवी अवयवांची व्यावसायिक विक्री होऊ नये याकरिता मानवी अवयव काढणे, जतन करणे, प्रत्यारोपण करणे याकरिता भारत सरकारने मानवी अवयव प्रत्यारोपण अधिनियम १९९४ लागू केला आहे. राज्यात एका अवयव प्रत्यारोपणाकरिता ९५ केंद्रे, एकापेक्षा जास्त अवयवांच्या प्रत्यारोपणाकरिता १८ आणि नेत्रदान, नेत्रपेढी व केरॅटोप्लास्टीसाठी (नेत्रपटल प्रत्यारोपण) २५३ केंद्रांची नोंदणी झाली आहे. सन २०११-१२ व २०१२-१३ मध्ये करण्यात आलेल्या प्रत्यारोपणांची संख्या तक्ता क्र. १०.२० मध्ये देण्यात आली आहे.

**तक्ता १०.२० प्रत्यारोपणांची संख्या**

| प्रत्यारोपण | २०११-१२ | २०१२-१३+ |
|---|---|---|
| लाइव्ह मुत्रपिंड | ५७४ | ३६९ |
| लाइव्ह यकृत | ५ | २ |
| कॅडेव्हर अवयव प्रत्यारोपण | | |
| अ) मुत्रपिंड | २६ | ४९ |
| ब) यकृत | ६ | १९ |
| क) फुफ्फुस | ० | २ |
| केरॅटोप्लॅस्टी नेत्रपटल | २,७५४ | १,८५२ |

*आधार* : राज्य आरोग्य कुटुंब कल्याण केंद्र, महाराष्ट्र शासन
+डिसेंबरपर्यंत

# महिला व बाल कल्याण

## महिला कल्याण

१०.३९ महाराष्ट्र हे १९९४ साली महिला धोरण तयार करणारे देशातील पहिले राज्य असून त्या नंतर २००१ साली ते सुधारित केले. नवीन महिला धोरण २०१३ नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहे आणि नजिकच्या भविष्यात अंतिम धोरण उपलब्ध होईल. महिलांसाठी काही विशिष्ट योजना आखून महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी पाऊले उचलली गेली. स्त्रियांवर होणा-या लैंगिक अत्याचाविरूध्द कायदा बळकट करण्यासाठी अलिकडेच भारत सरकारने न्यायमुर्ती वर्मा समिती गठीत केली. राज्य शासन महिलांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवित असून त्या पुढीलप्रमाणे आहेत.

- **शासकिय महिला वसतिगृहे :** १६ ते ६० वर्ष या वयोगटातील निराश्रीत, अनाथ, परित्यक्ता, कुमारी माता, पीडित तथा संकटग्रस्त महिलांना आश्रय देण्यासाठी शासकिय वसतिगृहे स्थापन करण्यात आली आहेत. राज्यात अशाप्रकारची २० शासकीय वसतिगृहे असून त्यांची प्रवेशक्षमता २००० आहे. “ सुधारित माहेर योजना ” अंतर्गत महिलांना ३० दिवस संस्थेत वास्तव्य केल्यानंतर दरमहा ₹ २५० इतके अनुदान दिले जाते.

- **संरक्षणगृहे (महिला संरक्षणगृह) :** अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध) अधिनियम, १९५६ अन्वये अनैतिक व्यवसायातून पोलिसांनी सोडवून आणलेल्या स्त्रियांचे व मुलींचे संरक्षण व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी संरक्षणगृहे स्थापन करण्यात आली आहेत. राज्यात मुंबई व नागपूर येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे दोन संरक्षणगृहे असून त्यांची प्रवेशक्षमता २०० आहे. तसेच स्वयंसेवी संस्थांमार्फत विना अनुदान तत्वावर ५ संरक्षणगृहे चालविण्यात येतात, त्यांची एकूण प्रवेशक्षमता २१५ आहे.

- **स्वयंसेवी आधारगृहे :** राज्यात सहा जिल्ह्यांमध्ये नऊ स्वयंसेवी आधारगृहे असून त्यांची प्रवेश शमता ५९० इतकी आहे. शासन दरमहा दरडोई ₹ ९५० इतके सहाय्यक अनुदान देते. याच्या शिवाय “ सुधारित माहेर योजना ” मधूनही लाभ देण्यात येतात.

- **व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करण्यासाठी महिला मंडळाना अर्थसहाय्य:** या योजनेअंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राज्यात एकूण ३३५ महिला प्रशिक्षण केंद्रे चालविली जात आहेत.

- **विद्यावेतन :** आर्थिकदृष्टया मागास कुटुंबातील मुलींना शासन मान्य संस्थेमधून व्यावसायिक प्रशिक्षण घेण्यासाठी दरमहा ₹ १०० (१० महिन्यांपर्यंत)विद्यावेतन दिले जाते.

- **स्वयंरोजगार :** गरीब, परित्यक्ता, अविवाहित माता, पीडित स्त्रिया यांना स्वत:चा छोटा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी या योजनेमधून लाभार्थ्याला ₹ ५०० अर्थसहाय्य एक रकमी दिले जाते.

- **दारिद्रय रेषेखालील विधवा स्त्रियांना त्यांच्या मुलींच्या विवाहासाठी अर्थसहाय्य :** या योजनेमधून दारिद्रय रेषेखालील विधवा स्त्रीस तिच्या मुलीच्या विवाहासाठी ₹ २,००० इतके अर्थसहाय्य दिले जाते.

- **देवदासी पुनर्वसन योजना :** देवदासींच्या कल्याणासाठी राज्य शासनामार्फत निवृत्ती-वेतन योजना, विवाह अनुदान, मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी सहाय्य, देवदासींच्या मुला मुलींकरिता वसतिगृह, इ. योजना राबविल्या जात आहेत.

- **समुपदेशन केंद्र :** कौटुंबिक हिंसा, कलह, फूट, महिलांवरील अत्याचार, इ. बाबत सल्ला व मार्गदर्शन करण्याकरिता काही पोलिस ठाण्यांमध्ये महिला समुपदेशन केंद्रे स्थापन केली आहेत. या योजनेअंतर्गत राज्यात अशी ८५ समुपदेशन केंद्रे असून प्रती केंद्रास वार्षिक ₹ २,३५,३६६ इतका निधी देण्यात येतो.

- **शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना :** शेतकरी व शेतमजुर यांच्या आत्महत्त्यांना आळा बसावा म्हणून त्यांच्या मुलींच्या लग्नासाठी राज्य शासन सामुहिक विवाह योजना राबविते. विवाह सोहळा आयोजित करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थेस प्रति जोडपे ₹ २,००० इतकी रक्कम या योजनेखाली दिली जाते. वधूच्या वडिलांना वधूसाठी घरगुती उपयोगाच्या वस्तू व मंगळसूत्र खरेदी करण्याकरिता ₹ १०,००० इतकी रक्कम मिळते.

- **हुंडा पद्धतीचे निर्मूलन :** समाजातील हुंडा प्रथेचे निर्मूलन करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली “हुंडा निर्मुलन समिती” स्थापन करण्यात आली असून, समितीच्या कार्यासाठी प्रतिवर्ष ₹ ४५,००० अर्थसहाय्य देण्यात येते.

१०.४० महिला कल्याण योजनांची कामगिरी तक्ता १०.२१ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.२१ महिला कल्याण योजना**

(₹ कोटी)

| योजना | २०१०-११ | | २०११-१२ | | २०१२-१३ + | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | लाभार्थी | खर्च | लाभार्थी | खर्च | लाभार्थी | खर्च |
| शासकिय महिला वसतिगृहे / स्वयंसेवी आधार गृहे / संरक्षण गृहे | १,४०० | ६.३६ | १,४०० | ६.२७ | १,३०० | ५.८३ |
| महिला मंडळांना अर्थसहाय्य | १०६ | ०.४६ | ८८ | ०.१९ | ९३ | ०.२० |
| विद्यावेतन | ८४८ | ०.९० | ९७६ | ०.०५ | १,०७८ | ०.११ |
| स्वयंरोजगार | ३,४६६ | ०.१७ | १,५९२ | ०.०८ | ३,१२८ | ०.१६ |
| विधवांच्या मुलींच्या विवाहाकरिता अर्थसहाय्य | ५२९ | ०.११ | २७१ | ०.०५ | १४९ | ०.०३ |
| शुभमंगल सामुहिक विवाह योजना | ८,८९९ | १०.६८ | १५,८६७ | १९.०४ | ४१६ | ०.५० |

*आधार* : आयुक्तालय, महिला व बालविकास, महाराष्ट्र शासन + डिसेंबर पर्यंत

१०.४१ राज्यात महिलांसाठी केंद्रपुरस्कृत विशिष्ट योजना राबविण्यात येत असून त्या खालीलप्रमाणे आहेत.

- **नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृह :** वार्षिक उत्पन्न ₹ १६,००० पेक्षा कमी आहे अशा नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृह चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेस या योजनेखाली जमिनीच्या किंमतीच्या ५० टक्के व इमारतींच्या बांधकाम खर्चाच्या ७५ टक्के अनुदान केंद्र शासनामार्फत देण्यात येते. राज्यात अशी १२७ वसतिगृहे असून त्याची प्रवेश क्षमता ९,१७२ इतकी आहे.
- **महिलांकरिता अल्पमुदती निवासस्थान :** संकटात सापडलेल्या महिलांकरिता एकूण ९,६०२ इतकी प्रवेश क्षमता असलेली ३२ निवासस्थाने कार्यरत आहेत.
- **प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रमासाठी आधार (स्टेप) :** या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट महिलांच्या छोटया गटांना चालना देणे, स्वयंरोजगार व कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण देणे आणि रोजगार तथा उत्पन्न निर्मितीचे प्रकल्प सुरू करण्यासाठी मागे व पुढे अनुबंध पुरविणे ही आहेत. राज्यात असे २२ प्रकल्प कार्यरत आहेत.
- **स्वाधार :** या योजनेंतर्गत संकटात सापडलेल्या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी संरक्षण, संगोपन, शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते. स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणा-या एकूण ४८ प्रकल्पामध्ये २,५०० लाभार्थी आहेत.
- **उज्वला :** महिलांच्या अनैतिक शोषणाच्या व्यापारास प्रतिबंध करण्यासाठी उज्वला ही सर्वसमावेशक योजना असून या योजनेमध्ये पीडीतांची सुटका, पुनर्वसन तसेच कुटुंबाशी पुर्नमिलन करण्यासाठी सहाय्य करण्यात येते. या योजनेअंतर्गत ४० संस्था कार्यरत असून यापैकी १४ निवासी संस्था आहेत.

## निर्णय प्रक्रियेत सहभाग

१०.४२ भारतीय महिलांनी स्वातंत्र्य चळवळीत जरी महत्त्वाची भूमिका बजावली असली तरी, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या कालखंडात महिलांचा सार्वजनिक जीवनातील सातत्यपूर्ण सहभागाच्या स्वरुपात त्याचे रूपांतर मात्र झाले नाही. भारत सरकारने महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थातील लोकप्रतिनिधीत्वामध्ये एक-तृतियांश आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थातील हे आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविले आहे. सदर ५० टक्के आरक्षण हे राज्यातील जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, तालुका पंचायतींचे सभापती व ग्रामपंचायतींचे सरपंच या पदांसाठी देखील लागू आहे.

## महिला आर्थिक विकास महामंडळ

१०.४३ केंद्र व राज्य पुरस्कृत विविध विकास योजना राबविण्याकरीता, राज्य शासनाने महिला आर्थिक विकास महामंडळास (माविम) राज्यस्तरीय शिखर संस्था म्हणून घोषित केले आहे. माविम स्वसहाय्यित गट, वित्तिय संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि शासनाचे संबंधित विभाग यांमधील समन्वय संस्था म्हणूनही काम करते.

१०.४४ आर्थिक व सामाजिक कार्यासाठी महिलांनी एकत्र येण्यासाठी स्व-सहायता गट हे एक चांगले माध्यम आहे. डिसेंबर, २०१२ अखेर १२,२४३ गावांमध्ये ६४,२२६ स्व-सहाय्यित गट होते व त्यामध्ये ८.११ लाख महिलांचा सहभाग आहे. या महिलांची एकूण बचत

सुमारे ₹ १९० कोटी होती आणि एकूण अंतर्गत वितरीत कर्ज ₹ ५२७.१८ कोटी होते. स्व-सहाय्यित गटांना विविध वित्तीय संस्थांकडून ₹ ४२४.१६ कोटी कर्ज मिळाले. योजनानिहाय महिला स्व-सहाय्यित गटांचा तपशील तक्ता १०.२२ मध्ये दिला आहे.

**तक्ता १०.२२ महिला स्वसहाय्यित गट**

(३१ डिसेंबर, २०१२ पर्यंत)

| योजना | स्वसहाय्यित गट | सभासद | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुसूचित जाती | अनुसूचित जमाती | इतर मागासवर्गीय | अल्पसंख्यांक | भटक्या जमाती | इतर | एकूण |
| स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना | ८,४१३ | २०,४२८ | १७,७११ | २८,९१२ | ३,७६८ | १०,१३४ | २१,५९९ | १,०२,५५२ |
| स्वयंसिध्दा | २,७५९ | ३,४४९ | १४,५१६ | ९,१९७ | १,९२६ | ३,०८८ | ५,५८४ | ३७,७६० |
| माविम-अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत निधीतून | १६,१६९ | १,८३,०५५ | ५,७६० | ८,३४८ | ३,०७२ | ३,८९० | ३,६१४ | २,०७,७३९ |
| स्वयंसेवी संस्था-अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत निधीतून | ३,८९७ | ४३,९७२ | ६४३ | १,०८७ | ३८० | १,०३४ | ५४५ | ४७,६६१ |
| माविम-आदिवासी उपयोजना अंतर्गत निधीतून | ५,७८० | ६,१७० | ६१,५०२ | २,१४९ | १,४८८ | ९०३ | २९३ | ७२,५०५ |
| रमाई महिला सक्षमीकरण योजना | १,८०२ | ३,०६३ | ३,५९८ | १२,८५९ | ६०० | १,९९१ | १,६६२ | २३,७७३ |
| कृषी सप्तक योजना | २७९ | ४७३ | ५०८ | १,८७६ | १२९ | ६२८ | १,९०६ | ५,५२० |
| महिला स्वावलंबन निधी | १६० | १५६ | २०८ | ४५३ | ३२१ | ३१५ | १,३०५ | २,७५८ |
| तेजस्विनी | २१,१७५ | २४,३१४ | २१,११९ | ८२,७०५ | १७,२४४ | २५,५४३ | ८३,५२४ | २,५४,४४९ |
| इतर | ३,७९२ | ८,१०३ | ८,४९५ | २२,६७४ | २,१९७ | ४,४१७ | ९,९३१ | ५५,८१७ |
| एकूण | **६४,२२६** | **२,९३,१८३** | **१,३४,०६०** | **१,७०,२६०** | **३१,१२५** | **५१,९४३** | **१,२९,९६३** | **८,१०,५३४** |

*आधार* : माविम, महाराष्ट्र शासन.

## बाल कल्याण योजना

१०.४५ योजनाबद्ध, संरचित व शिस्तबध्द पध्दतीने बालकांचा विकास होण्यासाठी राज्य शासनाने २००२ मध्ये बालविकास धोरण लागू केले आहे. राज्यातील अनाथ, निराधार, बेघर व वाममार्गाला लागलेल्या बालकांचा त्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

१०.४६ बालविकास धोरणातील उद्दिष्ट्ये साध्य करण्याकरिता राज्यात बालकांचे संगोपन, त्यांचे संरक्षण व पुनर्वसन करण्याकरिता अनेक योजना राबविण्यात येत असून महत्त्वाच्या योजनांचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे.

- **बाल न्याय कार्यक्रम :** या कार्यक्रमांतर्गत, राज्य शासनाद्वारे गठीत बाल कल्याण समितीने शिफारस केलेल्या बालकांसाठी ६० "निरीक्षण गृहे", १,०५० "बालगृहे" व नऊ "काळजीवाहू वसतिगृहे/राज्यगृहे" कार्यरत आहेत. या योजनेअंतर्गत सन २०११-१२ मध्ये ₹ ९३.३१, कोटी इतका खर्च झाला असून, सन २०१२-१३ मध्ये डिसेंबर पर्यंत ₹ ९७.७३ कोटी इतका खर्च झाला आहे.
- **बालसंगोपन योजना :** घरापासून वंचित असलेल्या गरजू मुला-मुलींना संस्थेत दाखल करण्याऐवजी पर्यायी कुटूंब उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्यात बालसंगोपन योजना राबविली जाते. या योजनेअंतर्गत सन २०११-१२ मध्ये ₹ १० कोटी इतका खर्च झाला असून, सन २०१२-१३ मध्ये डिसेंबर पर्यंत ₹ ७.३३ कोटी इतका खर्च झाला आहे.

१०.४७ वरील बाल कल्याण योजनांचा तपशिल तक्ता क्र.१०.२३ मध्ये दिला आहे.

**तक्ता १०.२३ बाल कल्याण योजनांचा तपशिल**

(₹ कोटी)

| योजना | २०१०-११ | | २०११-१२ | | २०१२-१३+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | लाभार्थी | खर्च | लाभार्थी | खर्च | लाभार्थी | खर्च |
| बालन्याय कार्यक्रम | ७१,८६६ | ७६.२७ | ७६,५४८ | ९३.३१ | ७८,१३७ | ९७.७३ |
| बाल संगोपन योजना | १७,४७८ | ९.५० | १७,७८३ | १०.०० | १४,७१८ | ७.३३ |

*आधार* : महिला व बालविकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन + डिसेंबर पर्यंत

## एकात्मिक बाल विकास सेवा

१०.४८ ग्रामीण, आदिवासी व झोपडपट्टी भागातील शालेयपूर्व बालकांची योग्य वाढ व विकास साधण्यासाठी, एकात्मिक सेवा पुरविणे ही एकात्मिक बाल विकास सेवा या योजनेची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. या योजनेअंतर्गत शालेयपूर्व बालके, गर्भवती स्त्रिया व स्तनदा मातांचे आरोग्य व पोषण स्थिती सुधारण्यासाठी लसीकरण, पूरक पोषण आहार, आरोग्य तपासणी, संदर्भ सेवा, पोषण व आरोग्य शिक्षण आणि शालेय पूर्व शिक्षण अशा मूलभूत सेवा पुरविल्या जातात. हा कार्यक्रम ९७,४६२ अंगणवाड्या, १०,९०१ मिनी अंगणवाड्या आणि तालुका/गट पातळीवर स्थापन करण्यात आलेले ५५३ बालविकास प्रकल्प यांमार्फत राबविला जातो.

## पोषण कार्यक्रम

१०.४९ बालके, गर्भवती स्त्रिया व स्तनदा माता यांच्या पोषण विषयक किमान गरजा भागविण्यासाठी व त्यांना आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी पूरक पोषण आहार हा कार्यक्रम एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत राबविण्यात येतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकानुसार, सन २०१०-११ पासून बालकांचे सर्वसाधारण, साधारण कमी वजनाची व अति कमी वजनाची बालके असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. पोषण श्रेणीनिहाय बालकांची टक्केवारी तक्ता १०.२४ मध्ये दिली आहे. पोषण आहारावरील खर्च राज्य शासनाकडून केला जातो, तर पोषण आहाराव्यतिरिक्त इतर खर्चाची प्रतिपूर्ती ही पूर्णत: केंद्र शासनाकडून केली जाते. पूरक पोषण आहार कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थी व खर्च तक्ता १०.२५ मध्ये दिला आहे.

**तक्ता १०.२४ बालकांची (० ते ५ वर्षे) पोषण श्रेणीनिहाय टक्केवारी**

| वर्ष | क्षेत्र | सर्वसाधारण बालके | साधारण कमी वजनाची | अति कमी वजनाची |
|---|---|---|---|---|
| २०११-१२ | ग्रामीण | ८४.७ | १३.४ | १.९ |
| | आदिवासी | ७३.२ | २२.३ | ४.५ |
| | नागरी | ७३.३ | २४.७ | २.० |
| | **एकूण** | **८१.२** | **१६.५** | **२.३** |
| २०१२-१३ + | ग्रामीण | ९१.४ | ७.५ | १.१ |
| | आदिवासी | ८०.० | १६.८ | ३.२ |
| | नागरी | ७५.२ | २३.१ | १.७ |
| | **एकूण** | **८७.१** | **११.४** | **१.५** |

*आधार* : आयुक्तालय, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना, महाराष्ट्र शासन

+ नोव्हेंबर पर्यंत

**तक्ता १०.२५ पूरक पोषण आहार कार्यक्रम**

| क्षेत्र | वर्ष | लाभार्थी (लाखात) | खर्च (₹ कोटी) |
|---|---|---|---|
| ग्रामीण (आदिवासी भागासह) | २०१०-११ | ६२.३९ | ५८८.०० |
| | २०११-१२ | ६१.८२ | ८७४.३४ |
| | २०१२-१३ + | ५९.९५ | ६४४.७९ |
| नागरी | २०१०-११ | १३.१८ | १४७.०० |
| | २०११-१२ | १२.७८ | १९१.०७ |
| | २०१२-१३ + | १२.१२ | १३७.५७ |

*आधार* : आयुक्तालय, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना, महाराष्ट्र शासन

+ नोव्हेंबर पर्यंत

१०.५० एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमार्फत राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या केंद्रपुरस्कृत योजना खालीलप्रमाणे आहेत.

- **राजीव गांधी किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण (सबला) :** ही योजना सन २०११ पासून किशोरवयीन मुलींच्या (११ ते १८ वर्षे वयोगट) सक्षमीकरणासाठी राज्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये २०७ प्रकल्पांमार्फत प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येत आहे. भारत सरकारकडून प्रति वर्षी प्रति प्रकल्प ₹ ३.८० लाख पूरक पोषण आहार या योजनेच्या इतर कार्यासाठी जसे प्रशिक्षण व इतर प्रशासकीय खर्च यासाठी पुरविण्यात येतात. पूरक पोषण कार्यक्रमांतर्गत सुमारे ७,३८,६४६ लाभार्थी आहेत.
- **इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना :** गर्भवती स्त्रिया व स्तनदा माता यांचे आरोग्य व पोषणाचा दर्जा सुधारावा या उद्देशाने ही योजना भंडारा व अमरावती या दोन जिल्ह्यांमध्ये सन २०११ पासून प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येत आहे. लाभधारक गर्भवती स्त्रिया व स्तनदा माता यांना तीन हप्त्यांमध्ये ₹ ४,००० रोख रक्कम दिली जाते. या योजनेंतर्गत सन २०१२-१३ मध्ये डिसेंबरपर्यंत ३७,५०० लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला.

## महिला व बालकांवरील अत्याचाराचे गुन्हे

१०.५१ महिलांविरुध्द घडणाऱ्या गुन्ह्यांना विशेषत्वेकरून महिलांवरील अत्याचाराचे गुन्हे समजले जातात. सन २०११ मध्ये न्यायालयात एकूण १.४२ लाख प्रकरणे (प्रलंबीत प्रकरणांसहीत) न्यायालयीन चौकशीसाठी होती, त्यापैकी ९१.८ टक्के प्रकरणे न्यायालयीन चौकशीसाठी प्रलंबीत होती. राज्यातील महिलांविरोधात घडलेल्या गुन्ह्यांची आकडेवारी तक्ता १०.२६ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.२६ राज्यात महिलांविरोधात घडलेले गुन्हे**

(संख्या)

| अत्याचाराचा प्रकार | २००९ | २०१० | २०११ |
|---|---|---|---|
| बलात्कार | १,४८३ | १,५९९ | १,७०१ |
| अपहरण आणि पळवून नेणे | ९२६ | १,१२४ | १,२५२ |
| हुंडाबळी | ३४१ | ३९३ | ३३९ |
| पती आणि पतीच्या नातेवाईकांकडून झालेले अत्याचार | ७,६८१ | ७,४३४ | ७,१३६ |
| विनयभंग | ३,१९६ | ३,६६१ | ३,७९४ |
| लैंगिक अत्याचार (छेडछाड) | १,०९९ | १,१८० | १,०७१ |
| अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायदा | २७१ | ३०६ | ३९० |
| इतर | १,६२३ | १,७६५ | १,५२६ |
| एकूण | १६,६२० | १७,४६२ | १७,२०९ |

*आधार* : राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख केंद्र, भारत सरकार

१०.५२ सामान्यत: बालकांवरील अत्याचार किंवा ज्या गुन्ह्यात बालक पीडित असतात असे गुन्हे बालकांवरील अत्याचाराचे गुन्हे म्हणून संबांधले जातात. राज्यातील बालकांविरोधातील गुन्ह्यांची आकडेवारी तक्ता १०.२७ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.२७ बालकांविरुध्द घडलेले राज्यातील गुन्हे**

(संख्या)

| गुन्ह्याचा प्रकार | २००७ | २००८ | २००९ | २०१० | २०११ |
|---|---|---|---|---|---|
| खून (एकूण) | २१३ | १७८ | १८२ | २१४ | २०४ |
| १) गर्भातील जीव | २ | ३ | १ | ३ | ३ |
| २) इतर | २११ | १७५ | १८१ | २११ | २०१ |
| बालकांवरील बलात्कार | ६१५ | ६९० | ६१२ | ७४७ | ८१८ |
| अपहरण आणि पळवून नेणे | ५९० | ५९८ | ५३४ | ७४९ | ८५८ |
| परित्याग | २९७ | २७४ | २७४ | १९८ | १८९ |
| इतर | ९९२ | ९६९ | १,२९२ | १,३५६ | १,२९३ |
| **एकूण** | **२,७०७** | **२,७०९** | **२,८९४** | **३,२६४** | **३,३६२** |

*आधार* : राज्य गुन्हे अभिलेख केंद्र, महाराष्ट्र शासन

# रोजगार व दारिद्रय

## रोजगार

१०.५३ वाढत्या श्रम शक्तीच्या संधींच्या विस्तारासाठी, शिक्षणाद्वारे त्यांच्या ज्ञान व कौशल्य समृध्दीसाठी आणि मिळकती रोजगाराद्वारे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन धोरण आखत असते. सर्वसमावेशक वृद्धीच्या उद्दीष्टाचे वास्तव जाणण्यासाठी समाजाच्या सर्व घटकांना रोजगार संधींमध्ये वाढ होणे आवश्यक आहे.

१०.५४ शासनातील व शासनाबाहेरील या दोन्हींमधील विविध स्तरावरील नियोजन, धोरण आखण्यासाठी व निर्णय घेण्यासाठी रोजगार व बेरोजगार यासंबंधीच्या माहितीची आवश्यकता असते. रोजगार व बेरोजगार यासंबंधीच्या माहितीचे मुख्य स्त्रोत पुढीलप्रमाणे आहेत.

- जनगणना
- राष्ट्रीय नमुना पाहणी (रानपा) कार्यालयाने घेतलेल्या पाहण्या
- आर्थिक गणना
- रोजगार क्षेत्र माहिती कार्यक्रम
- कारखाना अधिनियम-१९४८ खालील नोंदणीकृत कारखान्यांची अनिवार्य विवरणपत्रे

## जनगणना

१०.५५ जनगणना ही विशिष्ट वेळी देश अथवा देशातील सुनिश्‍चित व सिमित भाग यातील सर्व व्यक्तींच्या संबंधातील जीवनविषयक, आर्थिक व सामाजिक माहिती गोळा करुन तिचे संकलन, मूल्यमापन, विश्लेषण व प्रकाशन किंवा अन्यथा प्रसारण करण्याची प्रक्रिया आहे. जनगणना २०११ वर आधारीत रोजगारविषयक माहिती अद्याप प्रकाशित व्हावयाची आहे. तथापि, जनगणना १९९१ व २००१ च्या माहितीवर आधारित विश्लेषणाची चर्चा खाली केलेली आहे.

१०.५६ मुख्य कामगारांची एकूण कामगारांशी असलेली टक्केवारी ९१.४ टक्क्यावरून कमी होऊन ८४.३ टक्के इतकी झाली, याचे मुख्य कारण कृषि व संलग्न कार्ये यातील कार्यशक्तीमधील घट हे होते. मुख्य कामगारांचे कृषि व संलग्न कार्ये यातील प्रमाण ५५.९ टक्क्यावरुन कमी होऊन ४५.१ टक्के इतके झाले, तर कृषि व्यतिरिक्त क्षेत्रातील मुख्य कामगारांचे प्रमाण ३५.५ टक्क्यावरुन वाढून ३९.२ टक्के इतके झाले. तथापि, सीमांतिक कामगारांच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ होऊन ते ८.६ टक्क्यावरुन १५.७ टक्के इतके झाले. जनगणना १९९१ व २००१ मधील कामगारांचे वर्गीकरण आलेख १०.७ मध्ये दर्शविले आहे आणि २००१ च्या जनगणनेनुसार विस्तृत आकडेवारी परिशिष्ट १०.६ मध्ये दिली आहे.

**आलेख १०.७ : कामगारांचे वर्गीकरण टक्केवारी**

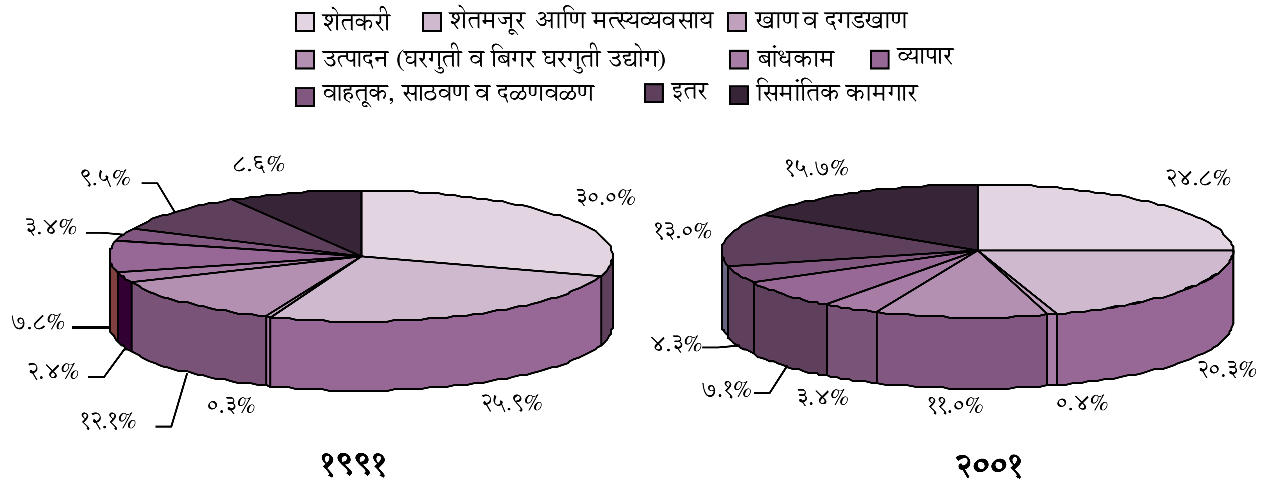

## आर्थिक गणना

**आलेख १०.८ विविध आर्थिक गणनांमधील रोजगार**

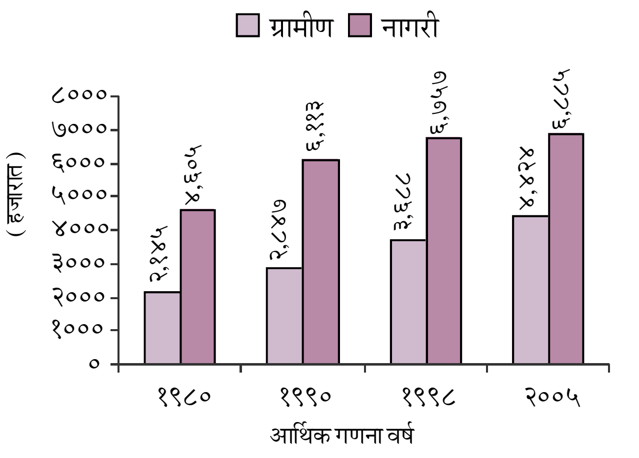


१०.५७ आर्थिक गणना म्हणजे देशाच्या भौगोलिक सीमांतर्गत सर्व आस्थापनांची संपूर्ण प्रगणना होय. भारतात सहावी आर्थिक गणना घेण्यात येत आहे. राज्यात ही गणना घेण्याची जबाबदारी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयावर असून सदर गणनेचे क्षेत्रकाम एप्रिल-जून, २०१३ या कालावधीत करण्याचे प्रस्तावित आहे. पाचव्या व सहाव्या आर्थिक गणनेतील फरक म्हणजे सहाव्या आर्थिक गणनेत सामान्य प्रशासन, संरक्षण व अनिवार्य सुरक्षा सेवा आस्थापनांचा समावेश केलेला नाही. पाचव्या आर्थिक गणनेत कामाचा संदर्भ कालावधी शेवटचे वर्ष/मोसम असा होता, तर सहाव्या आर्थिक गणनेत तो शेवटचा कामाचा दिवस असा आहे.

१०.५८ पाचव्या आर्थिक गणनेनुसार (२००५), राज्यात सुमारे १.१३ कोटी व्यक्ती कार्यरत होत्या, त्यापैकी ३९.१ टक्के ग्रामीण भागात आणि ६०.९ टक्के नागरी भागात होत्या. कृषिविषयक आस्थापनामधींल रोजगार ९.३ टक्के होता, तर बिगर-कृषि आस्थापनांमधील रोजगार ९०.७ टक्के होता. राज्यातील एकूण रोजगारापैकी स्व-मालकीच्या आस्थापनामध्ये २९.५ टक्के व्यक्ती कार्यरत होते आणि ज्या अस्थापनेमध्ये वेतनी कामगार असतात अशा आस्थापनामध्ये ७१.५ टक्के व्यक्ती कार्यरत होते. एकूण रोजगारापैकी महिला रोजगार १७.९ टक्के इतका होता. आर्थिक कार्यस्थितीनुसार रोजगाराचा तपशील परिशिष्ट १०.७ व १०.८ मध्ये दिला आहे. विविध आर्थिक गणनांमधील रोजगार आलेख क्रमांक १०.८ मध्ये दर्शविला आहे.

## राष्ट्रीय नमुना पाहणी

१०.५९ रानपा ६८ व्या फेरीमध्ये (जुलै, २०११-जून, २०१२) 'रोजगार व बेरोजगार' या विषयावर माहिती गोळा करण्यात आली होती. पाहणीच्या अंदाजानुसार चालू आठवडयाच्या कार्यस्थितीनुसार ग्रामीण भागातील १५-५९ वर्षे या वयोगटातील ५९.६ टक्के व्यक्ती आणि नागरी भागातील ५०.३ टक्के व्यक्ती श्रमशक्तीमध्ये होत्या. चालू आठवड्याच्या कार्यस्थितीनुसार १५-५९ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींची टक्केवारी तक्ता १०.२८ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.२८ चालू आठवड्याच्या कार्यस्थितीनुसार १५-५९ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींची टक्केवारी**

(अस्थायी)

| चालू आठवड्याची कार्यस्थिती | ग्रामीण | | | नागरी | | | एकूण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुरुष | स्त्री | एकूण | पुरुष | स्त्री | एकूण | पुरुष | स्त्री | एकूण |
| (i) काम करणारे | ८०.१ | ३८.७ | ५९.६ | ७७.८ | १८.९ | ५०.३ | ७९.१ | ३०.५ | ५५.६ |
| (ii) काम न करणारे परंतु कामाच्या शोधात आणि/किंवा कामासाठी उपलब्ध (अर्थात बेरोजगार) | १.७ | ०.२ | ०.९ | २.४ | ०.७ | १.६ | २.० | ०.४ | १.२ |
| A. एकूण श्रम शक्ती (i आणि ii) | ८१.८ | ३८.९ | ६०.५ | ८०.२ | १९.६ | ५१.९ | ८१.१ | ३०.९ | ५६.८ |
| B. श्रमशक्ती बाहेरील | १८.२ | ६१.१ | ३९.५ | १९.८ | ८०.४ | ४८.१ | १८.९ | ६९.१ | ४३.२ |

*आधार* : अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

१०.६० ग्रामीण भागातील १५-५९ वर्षे या वयोगटातील सुमारे ५१ टक्के पुरुष व ४७ टक्के स्त्रिया घरगुती उद्योगात स्वयंरोजगारी / मदतनीस म्हणून कार्यरत होत्या. नागरी भागात तत्सम प्रमाण अनुक्रमे ३४ व २६ टक्के होते. ग्रामीण भागात नियमित कर्मचा-यांचे प्रमाण स्त्रियांमध्ये पुरुषांच्या तुलनेत कमी होते, तर नागरी भागात हेच प्रमाण अधिक होते. याउलट ग्रामीण व नागरी या दोन्ही भागात नैमित्तिक मजुरांचे प्रमाण स्त्रियांमध्ये पुरूषांच्या तुलनेत जास्त होते. चालू आठवडयाच्या कार्यस्थितीनुसार १५-५९ वर्षे वयोगटातील श्रमशक्तीची टक्केवारी तक्ता १०.२९ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.२९ चालू आठवड्याच्या कार्यस्थितीनुसार १५-५९ वर्षे या वयोगटातील कार्यशक्तीची टक्केवारी**

(अस्थायी)

| कार्यशक्तीचा प्रकार | ग्रामीण | | नागरी | |
|---|---|---|---|---|
| | पुरूष | स्त्री | पुरूष | स्त्री |
| स्वयंरोजगार/घरगुती व्यवसायात मदतनिस | ५०.७ | ४६.५ | ३३.५ | २६.३ |
| नियमित मजुरी/वेतनावरील | १३.६ | ६.१ | ५४.४ | ५७.५ |
| नैमित्तिक मजूर | ३५.७ | ४७.४ | १२.१ | १६.२ |

*आधार* : अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

१०.६१ शिक्षित म्हणजे ज्या व्यक्ती माध्यमिक आणि त्यापेक्षा अधिक शैक्षणिक स्तर पदविका/प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमासह संपादन करत असेल ते शिक्षित होत. साधारणत: १५ व अधिक वर्षे वय असलेला एखादा व्यक्ती सदर शैक्षणिक स्तर संपादित करू शकतो. त्यामुळे शिक्षितांमधील शिक्षण हे १५ व अधिक वर्षे वयासाठी मर्यादित केले आहे. ग्रामीण आणि नागरी या दोन्ही भागात शिक्षितांमधील बेरोजगार हा ज्यांचा शैक्षणिक स्तर माध्यमिक पेक्षा कमी आहे अशांपेक्षा जास्त आहे. बेरोजगारांमध्ये पदविका/प्रमाणपत्र धारकांचे प्रमाण ग्रामीण भागात जास्त आहे, तर पदवी धारकांचे नागरी भागात जास्त आहे. चालू आठवड्याच्या कार्यस्थितीनुसार आणि शैक्षणिक स्तरानुसार १५ व अधिक वर्षे वयाच्या व्यक्तींची टक्केवारी तक्ता १०.३० मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.३० १५ व अधिक वर्षे वयाच्या व्यक्तींची चालू आठवड्याच्या कार्यस्थिती आणि शैक्षणिक स्तरानुसार टक्केवारी**

(अस्थायी)

| शैक्षणिक स्तर | ग्रामीण | | | नागरी | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | रोजगार | बेरोजगार | श्रमशक्तीबाहेरील | रोजगार | बेरोजगार | श्रमशक्तीबाहेरील |
| अशिक्षित | ६६.३ | ०.२ | ३६.५ | ४५.४ | ०.२ | ५४.४ |
| औपचारिक शिक्षणाशिवाय शिक्षित | ५३.० | ०.० | ४७.० | ४७.७ | ०.० | ५२.३ |
| साक्षर आणि पूर्व माध्यमिक पर्यंत | ६१.० | ०.७ | ३८.३ | ४९.३ | १.२ | ४९.५ |
| माध्यमिक | ५६.० | ०.९ | ४३.१ | ४७.० | १.५ | ५१.५ |
| उच्च माध्यमिक | ४७.१ | २.७ | ५०.२ | ४१.५ | १.८ | ५६.७ |
| पदविका / प्रमाणपत्र | ६२.१ | ४.७ | ३३.२ | ६८.१ | १.९ | ३०.० |
| पदवीधर | ५६.८ | १.८ | ४१.४ | ६०.२ | ३.१ | ३६.७ |
| पदव्युत्तर आणि त्यावरील | ७८.१ | ३.८ | १८.१ | ७५.० | २.७ | २२.३ |
| **सर्व** | **५९.६** | **०.९** | **३९.५** | **५०.३** | **१.६** | **४८.१** |

*आधार* : अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

१०.६२ रानपाच्या विविध फेऱ्यांमधील आकडेवारीची तुलना करता, असे दिसून येते की, प्राथमिक क्षेत्रातील रोजगाराचा वाटा सतत कमी होत आहे, तर तृतीय क्षेत्रातील रोजगाराचा वाटा वाढत आहे. क्षेत्रनिहाय रोजगाराचा वाटा तक्ता १०.३१ मध्ये दर्शविला आहे.

## राज्य शासनातील रोजगार

१०.६३ ३१ डिसेंबर, २०१२ रोजी राज्य शासनात एकूण ६,६६,७२८ इतकी मंजूर पदे होती. रिक्त पदांची एकूण मंजूर पदांशी टक्केवारी १५.७६ टक्के इतकी आहे. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची गटनिहाय पदे तक्ता १०.३२ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.३१ क्षेत्रनिहाय रोजगाराचा वाटा**

(टक्केवारी)

| क्षेत्र | १९९९-२००० | २००४-०५ | २००९-१० |
|---|---|---|---|
| प्राथमिक | ५८.१ | ५६.० | ५१.४ |
| द्वितीय | १५.८ | १५.५ | १८.० |
| तृतीय | २६.१ | २८.५ | ३०.६ |

*आधार* : अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

**तक्ता १०.३२ ३१ डिसेंबर,२०१२ रोजी राज्य शासकीय कर्मचा-यांची पदे**

(हजारात)

| गट | पदे | | |
|---|---|---|---|
| | मंजूर | भरलेली | रिक्त |
| अ | ३८.८० | २८.६२ | १०.१८ |
| ब | ५४.२८ | ३७.७७ | १६.५१ |
| क | ४७६.०८ | ४१७.२५ | ५८.८३ |
| ड | ९७.५७ | ७७.९९ | १९.५८ |
| एकूण | ६६६.७३ | ५६१.६३ | १०५.१० |

*आधार* : सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन

टिप : आकडे संक्षिप्तात दिल्याने काही ठिकाणी बेरजा जुळणार नाहीत.

## कारखान्यातील रोजगार

१०.६४ कारखाना अधिनियम, १९४८ अंतर्गत नोंदणीकृत सर्व कारखाने मिळून संघटीत क्षेत्र तयार होते. सन २०११ मध्ये, एकूण ३५,९४८ कार्यरत असलेल्या कारखान्यातील सरासरी दैनिक रोजगार सुमारे १८.५ लाख होता, तर मागील वर्षी तो सुमारे १६.५ लाख होता. या कार्यरत कारखान्यांपैकी ५० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या कारखान्यांचे प्रमाण २१ टक्के इतके होते. सर्वाधिक कामगार मूलभूत धातू व धातू उत्पादनांचे उत्पादन (१८.५ टक्के) व त्यापाठोपाठ यंत्रे व उपकरणे (परिवहन उपकरणांशिवाय) (१३.२ टक्के) या कारखान्यांमध्ये कार्यरत होते. राज्यातील उद्योगाच्या प्रकारानुसार कारखान्यांतील सरासरी दैनिक रोजगार तक्ता १०.३३ मध्ये दिला आहे आणि महत्वाची औद्योगिक सांख्यिकी परिशिष्ट १०.९ व १०.१० मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.३३ कारखान्यातील सरासरी दैनिक रोजगाराची टक्केवारी**

| उद्योग प्रकार | वर्ष | | | |
|---|---|---|---|---|
| | २००८ | २००९ | २०१० | २०११* |
| ग्राहक वस्तू | ३०.० | ३१.१ | २९.७ | २८.४ |
| पुनर्निर्माण वस्तू | ३४.६ | ३५.७ | ३६.३ | ३६.७ |
| भांडवली वस्तू | २७.५ | २५.५ | २६.० | २७.४ |
| इतर | ७.९ | ७.७ | ८.० | ७.५ |

*आधार :* औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, महाराष्ट्र शासन *अस्थायी

## रोजगार क्षेत्र माहिती कार्यक्रम

१०.६५ रोजगार क्षेत्र माहिती कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक व खाजगी आस्थापना व त्यातील रोजगार यांच्याबाबतची माहिती रोजगार स्थिती बदलाचे संनियंत्रन करण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी गोळा करण्यात येते. ही केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यात राबविण्यात येते. सदर कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील आकारमान विचारात न घेता सर्व आस्थापना व १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या बिगर-कृषि खाजगी क्षेत्रातील आस्थापना तर बृन्हमुंबईतील २५ किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या बिगर-कृषि खाजगी आस्थापनांचा समावेश आहे. दि. ३१ डिसेंबर, २०१२ रोजी रोजगार क्षेत्र माहिती कार्यक्रमानुसार राज्यातील एकूण अंदाजित रोजगार ५२.३ लाख असून त्यापैकी ४०.५ टक्के इतका रोजगार सार्वजनिक क्षेत्रातील आहे. एकूण रोजगारात महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण २० टक्के आहे. रोजगार क्षेत्र माहिती कार्यक्रमांतर्गत रोजगार माहिती आलेख १०.९ मध्ये दर्शविली आहे.

**आलेख १०.९ : रोजगार क्षेत्र माहिती कार्यक्रमांतर्गत रोजगार**

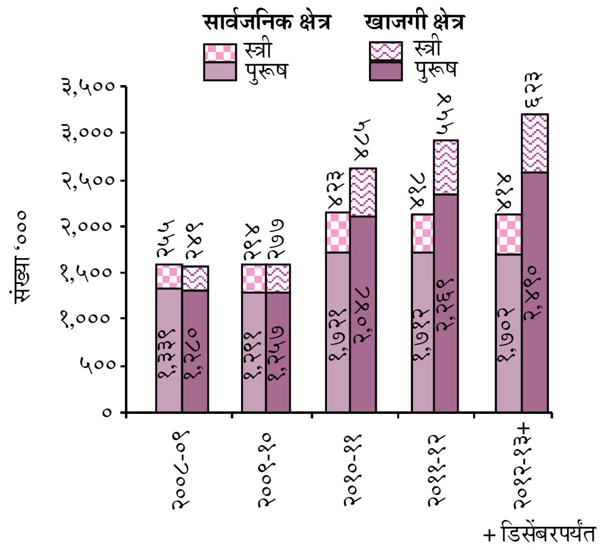


## रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रे

१०.६६ बेरोजगार उमेदवारांची नोंदणी तसेच त्यांना स्वयंरोजगारासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रे स्थापन केली आहेत. राज्यात ३५ जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रे, सहा विद्यापिठ स्तरीय रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रे, आठ अनुसूचित जमातीकरिता प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन केंद्रे आणि शारिरीकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींसाठी एक विशेष केंद्र कार्यरत आहेत.

१०.६७ रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्राच्या चालू नोंदवहीत ३१ डिसेंबर, २०१२ रोजी नोंद असलेल्या व्यक्तींची संख्या २४.०४ लाख होती. सन २०१२ मध्ये या केंद्रामध्ये नोंदणी झालेल्या व्यक्तींची संख्या ६.१२ लाख इतकी असून अधिसूचित २.५९ लाख रिक्त पदांपैकी १.३४ लाख व्यक्तींना रोजगार पुरविण्यात आला. अधिसूचित केलेल्या पदावर भरलेली पदे आणि चालू नोंदवहीत असलेल्या व्यक्तींच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार तपशील अनुक्रमे परिशिष्ट १०.११ व परिशिष्ट १०.१२ मध्ये दिला आहे.

## रोजगार प्रोत्साहनाकरिता कार्यक्रम

१०.६८ राज्य शासनामार्फत खालील रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम राबविण्यात येतात.

- **रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम :** शिक्षित बेरोजगार व्यक्तीस प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण अथवा इतर प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण देणे.
- **शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण कार्यक्रम :** शिकाऊ उमेदवारी वेळी प्रशिक्षण देऊन उद्योगास प्रशिक्षित मनुष्यबळ पुरविणे.
- **उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम :** शिक्षित बेरोजगार युवकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रेरीत व प्रशिक्षित करणे.

या योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांचा तपशील तक्ता १०.३४ मध्ये दिला आहे.

**तक्ता १०.३४ विविध रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थी**

| कार्यक्रम | २००८-०९ | २००९-१० | २०१०-११ | २०११-१२ | २०१२-१३ + |
|---|---|---|---|---|---|
| रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम @ | १०,९९५ | १३,३७९ | १९,५८२ | १८,९५६ | १२,४१८ |
| शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण कार्यक्रम $ | ३५,९४३ | ३७,०८१ | ४१,२०७ | ४४,७३७ | ४६,७०६ |
| उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम # | ४२,४४८ | ४३,३२९ | ३२,८८६ | ३५,०७६ | १७,०१४ |

*आधार* : @ रोजगार व स्वयंरोजगार संचालनालय, महाराष्ट्र शासन + डिसेंबर पर्यंत
$ व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र शासन # उद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

१०.६९ राज्य शासनाने उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने सन २००९-१० पासून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये रोजगार मेळावे आयोजनास सुरुवात केली आहे. वर्षनिहाय आयोजित रोजगार मेळावे व त्याद्वारे पुरविण्यात आलेल्या रोजगाराचा तपशील तक्ता १०.३५ मध्ये देण्यात आला आहे.

**तक्ता १०.३५ आयोजित रोजगार मेळाव्यांचा तपशील**

(संख्या)

| वर्ष | रोजगार मेळावे | उपस्थित उद्योजक | रोजगार मेळाव्यात उपस्थित असलेले बेरोजगार युवक | त्यापैकी रोजगार पुरविलेले |
|---|---|---|---|---|
| २००९-१० | १४४ | उ.ना. | ५१,२८३ | १०,९९४ |
| २०१०-११ | १९० | १,१३९ | ८९,५०० | २०,९०८ |
| २०११-१२ | १५९ | ९८१ | ६३,१८५ | २१,७६७ |
| २०१२-१३ + | १०१ | ६३५ | ४६,४१७ | १५,२४५ |

*आधार* : रोजगार व स्वयंरोजगार संचालनालय, महाराष्ट्र शासन
उ.ना.- उपलब्ध नाही + डिसेंबर पर्यंत

## रोजगार निर्मिती व दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रम

१०.७० दारिद्रय निर्मूलन हे विकासाच्या धोरणाचे महत्वाचे उद्दीष्ट आहे. सर्वसमावेशक विकास साध्य करण्यासाठी, विविध दारिद्रय निर्मूलन व रोजगार निर्मिती कार्यक्रम केंद्र तसेच राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत आहेत. ह्यापैकी काही कार्यक्रमाबाबतची माहिती खाली दिली आहे.

## महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम

१०.७१ राज्यात मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळता सर्व जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम हा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (मगांराग्रारोहअ) या नावाने राबविण्यात येत आहे. ही योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम व पूर्वीची फक्त महाराष्ट्र शासनातर्फेच राबविण्यात येणारी देशातील एकमेव रोजगार हमी योजना (रोहयो) यांची एकत्रित योजना आहे.ही योजना तिच्या कायदेशीर चौकटीत आणि हक्क यावर आधारीत दृष्टीकोनासह ज्या कुटुंबातील प्रौढ व्यक्ती अकुशल काम करण्यास इच्छुक आहे, अशा कुटूंबाला आर्थिक वर्षात किमान १०० दिवस हमीचा रोजगार केंद्राच्या निधीतून आणि १०० पेक्षा जास्त दिवसावरील मजूरीचा खर्च राज्य शासन उचलून सुरक्षित जीवनमानाचा दर्जा वाढविण्याचा उद्देश ठेवते. या योजनेत महिलांचा ३३ टक्के सहभाग बंधनकारक आहे. मगांराग्रारोहअची प्रगती तक्ता १०.३६ मध्ये तर प्रकारानुसार कामाची संख्या व त्यावर झालेला खर्च परिशिष्ट १०.१३ मध्ये देण्यात आला आहे.

**तक्ता १०.३६ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम योजनेची प्रगती**

| तपशील | २००८-०९ | २००९-१० | २०१०-११ | २०११-१२ | २०१२-१३ + |
|---|---|---|---|---|---|
| कुटुंबांची संख्या | | | | | |
| (i) रोजगाराची मागणी केलेले | ९,०७,७८३ | ५,९१,६११ | ४,५३,९४१ | १४,९०,२९४ | १२,७६,७९६ |
| (ii) रोजगार पुरविलेले | ९,०६,२९७ | ५,९१,५४७ | ४,५१,१६९ | १४,७४,८४९ | १२,६३,८६३ |
| (ii) ची (i) शी टक्केवारी | ९९.८ | १००.० | ९९.४ | ९९.० | ९९.० |
| एकूण खर्च (₹ कोटी) | ३६१.५४ | ३२१.०९ | ३५८.१२ | १,५९४.७३ | १,३३७.२६ |
| पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या | १०,७७८ | १०,६१३ | १८,७०७ | २६,७०७ | ११,३८६ |
| रोजगार दिवस (कोटी) | ४.२ | २.७ | २.० | ७.४३ | ५.७२ |
| प्रती कुटुंब सरासरी रोजगार (दिवस) | ४६ | ४६ | ४४ | ५० | ४५ |
| रोजगारामध्ये वाटा (टक्केवारी) | | | | | |
| (i) अनु.जाती | १६.५ | २५.६ | २२.० | ६.७ | ६.५ |
| (ii) अनु.जमाती | ४४.२ | ३३.२ | २५.६ | १८.० | १२.९ |
| (iii) महिला | ४६.२ | ३३.७ | ४५.९ | ४६.० | ४४.८ |
| एक दिवस रोजगार निर्मितीची किंमत (₹) | ८६ | ११७ | १७९ | २१५ | २३४ |

*आधार* : नियोजन वभिाग (रोहयो ), महाराष्ट्र शासन + डिसेंबर २०१२ पर्यंत

## राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना)

१०.७२ केंद्र शासनाने स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेची पुनर्रचना करुन राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (राग्राजीअ) म्हणून राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासन सदर योजना २०११ पासून 'महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान' स्वरुपात राबवित आहे. गरीबांसाठी तळागाळातील स्तरावर बळकट संस्थांची निर्मिती करुन त्याद्वारे दारिद्रय निर्मूलन करणे, ज्यामुळे त्यांना समृध्द स्वयंरोजगाराची संधी व कुशल वेतनी रोजगाराची संधी मिळण्यास मदत होते, ज्याचा परिणामस्वरुप शाश्वत आधारावर त्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल, असा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. सदर योजना कमी मानव विकास निर्देशांक असलेल्या १० जिल्ह्यांमध्ये राग्राजीअ केंद्रीत म्हणून तर उर्वरीत जिल्ह्यात राग्राजीअ उपकेंद्रीत म्हणून राबविण्यात येत आहे. या योजने अंतर्गत सन २०१२-१३ मध्ये डिसेंबर, २०१२ पर्यंत एकूण १,४१७ वैयक्तिक स्वरोजगारींना ₹ ६.१३ कोटींचे कर्ज आणि ₹ २.३३ कोटींचे अनुदान तर १६,००० स्वयंसहायता गटांना ₹ ४५.३३ कोटींचे कर्ज आणि ₹ १६.४७ कोटींचे अनुदान वितरीत करण्यात आले. या योजनेची प्रगती परिशिष्ट १०.१४ मध्ये दर्शविली आहे.

## स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना

१०.७३ स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजने अंतर्गत सन २०११-१२ मध्ये ६,७०८ लाभार्थ्यांवर ₹ ३१.७६ कोटी खर्च झाला आहे, तर सन २०१२-१३ मध्ये डिसेंबर पर्यंत ४,४७५ लाभार्थ्यांवर ₹ ७.५१ कोटी खर्च झाला आहे. या योजनेची प्रगती परिशिष्ट १०.१४ मध्ये दर्शविली आहे.

## पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

१०.७४ पंतप्रधान रोजगार निर्मिती हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम राज्यामध्ये सन २००८-०९ पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेची उद्दिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत.

- शहरी भागात होणारे स्थलांतर कमी करण्यासाठी पारंपारिक कारागीर / बेरोजगार युवकांच्या स्वयंरोजगार उद्योगांची उभारणी करुन रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
- कारागीरांच्या मजूरी अर्जनाच्या क्षमतेत वाढ करुन रोजागराच्या संधीत वाढ करणे.

सन २०११-१२ मध्ये २,६२४ प्रकल्पांना ₹ ४४.३७ कोटी तारण वितरीत करण्यात आले, ज्याद्वारे २०,६६२ रोजगारांची निर्मिती झाली, तर सन २०१२-१३ मध्ये डिसेंबर पर्यंत १,९९७ प्रकल्पांना ₹ ३३.५२ कोटी तारण वितरीत करण्यात आले. ज्याद्वारे ११,९८५ रोजगारांची निर्मिती झाली . या कार्यक्रमाची प्रगती परिशिष्ट १०.१४ मध्ये दिली आहे.

## बीज भांडवल योजना

१०.७५ उद्योग, सेवा व व्यापार यासारखे स्वयंरोजगार सुरु करण्याच्या दृष्टीने तारण भागविण्यासाठी वित्तिय संस्थाकडून सुलभ कर्ज पुरवून बेरोजगार व्यक्तींना प्रोत्साहीत करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाद्वारा ही योजना राबविण्यात येते. स्थानिक बेरोजगार व्यक्ती किंवा १८ ते ५० वयोगटातील सातवी उत्तीर्ण व्यक्तीचा गट या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहे. सन २०११-१२ मध्ये एकूण १,७३४ प्रकल्पांना ₹ ११.६१ कोटी इतके बीज भांडवल वितरीत करण्यात आले तर सन २०१२-१३ मध्ये डिसेंबर अखेर एकूण १,२३२ स्वंरोजगार प्रकल्पांना रू ८.१७ कोटी इतके बीज भांडवल वितरीत करण्यात आले. या योजनेची कामगिरी तक्ता १०.३७ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.३७ बीज भांडवल योजनेची प्रगती**

| वर्ष | उद्दिष्ट | | साध्य | |
|---|---|---|---|---|
| | प्रकल्पांची संख्या | वितरीत करावयाचे बीज भांडवल (₹ लाखात) | प्रकल्पांची संख्या | वितरीत करावयाचे बीज भांडवल (₹ लाखात) |
| २००८-०९ | १,७८० | १,११६.२२ | १,६४१ | ८८०.५५ |
| २००९-१० | १,६७८ | ९८८.७३ | १,८५५ | ९६३.८३ |
| २०१०-११ | १,०२८ | ७०१.२३ | १,९७१ | १,०९६.३० |
| २०११-१२ | १,९४९ | १,१६८.९५ | १,७३४ | १,१६१.९६ |
| २०१२-१३+ | २,२२५ | १,३१२.७० | १,२३२ | ८१७.४३ |

*आधार* : उद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र शासन + डिसेंबर पर्यंत

## औद्योगिक संबंध

१०.७६ सन २०१२ मध्ये काम थांबलेली प्रकरणे (संप व टाळेबंदी) २७ होती, त्यामुळे १०,०४७ कामगार प्रभावित झाले. मागील वर्षापासून चालत असलेल्या काम थांबण्याच्या प्रकरणासहित चालू वर्षातील संप व टाळेबंदीमुळे वाया गेलेल्या मनुष्य दिवसांची संख्या २३.४५ लाख होती. राज्यातील औद्योगिक विवादाबाबतचा तपशील परिशिष्ट १०.१५ मध्ये दिला आहे.

## दारिद्रय

१०.७७ राज्याच्या निर्मितीपासून दारिद्रय निर्मूलन हे विकासात्मक नियोजनाचे महत्वाचे उद्दिष्ट राहिले आहे. राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या उपभोग्य बाबींवरील खर्चाच्या पंचवार्षिक फेऱ्यातील आकडेवारीच्या आधारावर नियोजन आयोगाकडून दारिद्रयाच्या प्रमाणाचे अंदाज तयार करण्यात येतात.

१०.७८ सन २००४-०५ साठी राज्यनिहाय दारिद्रय रेषा अंदाजित करण्यासाठी तेंडुलकर समितीने अप्रत्यक्ष किंमतीचा वापर करुन पध्दती विकसित केली. समितीच्या शिफारशीनुसार सन २००४-०५ ची ग्रामीण व नागरी दारिद्रय रेषा सन २००९-१० साठी सुधारीत करण्यात आल्या आहेत . नागरी व ग्रामीण दारिद्रयरेषेचा राज्यातील मासिक दरडोई खर्च वितरणावर उपयोजन करुन शिरगिणती गुणोत्तर तयार करण्यात आले आहे. काही प्रमुख राज्यांतील सन २००९-१० साठीच्या राज्यनिहाय दारिद्रय रेषा तक्ता १०.३८ मध्ये आणि प्रमुख राज्यांचे शिरगिणती गुणोत्तर व दारिद्रय रेषेखालील लोकसंख्या तक्ता १०.३९ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.३८ काही प्रमुख राज्यांतील सन २००९-१० साठीच्या राज्यनिहाय दारिद्रय रेषा #**

| राज्य | मासिक दरडोई खर्च ( ₹ ) | |
|---|---|---|
| | ग्रामीण | नागरी |
| आंध्र प्रदेश | ६९३.८ | ९२६.४ |
| बिहार | ६५५.६ | ७७५.३ |
| गुजरात | ७२५.९ | ९५१.४ |
| कर्नाटक | ६२९.४ | ९०८.० |
| केरळ | ७७५.३ | ८३०.७ |
| मध्य प्रदेश | ६३१.९ | ७७१.७ |
| महाराष्ट्र | ७४३.७ | ९६१.१ |
| पंजाब | ८३०.० | ९६०.८ |
| राजस्थान | ७५५.० | ८४६.० |
| तामिळनाडू | ६३९.० | ८००.८ |
| उत्तर प्रदेश | ६६३.७ | ७९९.९ |
| पश्चिम बंगाल | ६४३.२ | ८३०.६ |
| अखिल-भारत | ६७२.८ | ८५९.६ |

*आधार* : नियोजन आयोग, भारत सरकार

# तेंडुलकर समितीच्या अहवालानुसार प्रसिध्दी पत्रक दि.१९ मार्च,२०१२

**तक्ता १०.३९ प्रमुख राज्यातील शिरगिणतीचे गुणोत्तर आणि दारिद्रय रेषेखालील व्यक्तींची संख्या #**

| राज्य | शिरगिणतीचे गुणोत्तर | | | | | व्यक्तींची संख्या (लाखात) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १९७३-७४ | १९८३ | १९९३-९४ | २००४-०५# | २००९-१०# | १९७३-७४ | १९८३ | १९९३-९४ | २००४-०५# | २००९-१०# |
| आंध्र प्रदेश | ४८.९ | २८.९ | २२.२ | २९.६ | २१.१ | २२५.७ | १६४.६ | १५४.० | २३५.१ | १७६.६ |
| बिहार | ६१.९ | ६२.२ | ५५.० | ५४.४ | ५३.५ | ३७०.६ | ४६२.१ | ४९३.४ | ४९३.८ | ५४३.५ |
| गुजरात | ४८.२ | ३२.८ | २४.२ | ३१.६ | २३.० | १३८.४ | ११७.९ | १०५.२ | १७१.४ | १३६.२ |
| कर्नाटक | ५४.५ | ३८.२ | ३३.२ | ३३.३ | २३.६ | १७०.७ | १४९.८ | १५६.५ | १८६.५ | १४२.३ |
| केरळ | ५९.८ | ४०.४ | २५.४ | १९.६ | १२.० | १३५.५ | १०६.८ | ७६.४ | ६२.० | ३९.६ |
| मध्य प्रदेश | ६१.८ | ४९.८ | ४२.५ | ४८.६ | ३६.७ | २७६.३ | २७८.० | २९८.५ | ३१५.७ | २६१.८ |
| महाराष्ट्र | ५३.२ | ४३.४ | ३६.९ | ३८.२ | २४.५ | २८७.४ | २९०.९ | ३०५.२ | ३९२.४ | २७०.८ |
| पंजाब | २८.२ | १६.२ | ११.८ | २०.९ | १५.९ | ४०.५ | २८.६ | २५.१ | ५३.६ | ४३.५ |
| राजस्थान | ४६.१ | ३४.५ | २७.४ | ३४.४ | २४.८ | १२८.५ | १२६.८ | १२८.५ | २०९.८ | १६७.० |
| तामिळनाडू | ५४.९ | ५१.७ | ३५.० | २९.४ | १७.१ | २३९.५ | २६०.१ | २०२.१ | १९४.१ | १२१.८ |
| उत्तर प्रदेश | ५७.१ | ४७.१ | ४०.९ | ४०.९ | ३७.७ | ५३५.७ | ५५६.७ | ६०४.५ | ७३०.७ | ७३७.९ |
| पश्चिम बंगाल | ६३.४ | ५४.९ | ३५.७ | ३४.२ | २६.७ | २९९.३ | ३१८.७ | २५४.६ | २८८.३ | २४०.३ |
| अखिल-भारत | ५४.९ | ४४.५ | ३६.० | ३७.२ | २९.८ | ३,२१३.४ | ३,२२९.० | ३,२०३.७ | ४,०७२.२ | ३,५४६.८ |

*आधार* : नियोजन आयोग, भारत सरकार # तेंडुलकर समितीच्या अहवालानुसार प्रसिध्दी पत्रक दि.१९ मार्च,२०१२

## सामाजिक - आर्थिक व जातीनिहाय गणना-२०११

१०.७९ भारत सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात सामाजिक-आर्थिक व जातीनिहाय गणना - २०११ घेण्यात येत आहे. कुटूंबाचा धर्म व जात, निवास स्थिती, रोजगार, आर्थिक वैशिष्ट्ये, कुटूंबाकडील मत्ता, मालकीची जमीन, शैक्षणिक स्तर व कुटूंबातील सदस्यांचा व्यवसाय या बाबतची माहिती या गणनेत गोळा करण्यात येत आहे. काही पुर्वनिर्धारीत वैशिष्टयांवर आधारित बेघर कुंटुंब, निराधार/निराश्रित, सफाई कामगार, प्राचीन आदिवासी गट आणि कायदेशीररित्या सुटका झालेले वेठबिगारी असे कुटुंबांचे वर्गिकरण केले जाईल. गोळा केलेल्या माहितीवरून वंचितता गुणांक तयार करून कुटुंबांना गुणानुक्रम दिला जाईल. महत्तम वंचित गुणांक असलेल्या कुटुंबाचा दारिद्य रेषेखालील यादीत प्रथम समावेश केला जाईल, त्यानंतर त्यापेक्षा कमी गुणांक असलेल्या कुटुंबाचा समावेश केला जाईल. अशा प्रकारे नियोजन आयोगाने निश्चित केलेल्या दारिद्रयाच्या अंदाजानुसार कुटुंबांच्या संख्येची मर्यादा (कट-ऑफ रेषा) ओलांडली जात नाही तोपर्यंत त्या सर्व कुटुंबांचा समावेश यादीमध्ये केला जाईल.

१०.८० राज्याच्या ग्रामीण भागातील सामाजिक आर्थिक व जातीनिहाय गणना २०११ चे क्षेत्रकाम पूर्ण झाले आहे. आक्षेप निवारण व इतर बाबी यांची प्रक्रिया सुरू असून याचे निष्कर्ष ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेमार्फत आदर्श यादी प्रकाशित करण्यात येईल.

# गृहनिर्माण

१०.८१ अन्न व वस्त्र यांनतर निवारा ही मानवाची मूलभूत गरज आहे. गृहनिर्माणासंबंधातील समस्यांच्या निवारणाकरिता समाजातील गरिब व दुर्बल घटकांवर लक्ष केंद्रित करून धोरण तयार करण्यासाठी राज्य शासन पुढाकार घेत आहे. शहरी भागातील निवाऱ्याचा प्रश्न प्रभावीपणे सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) आणि शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) मर्यादीत यांची स्थापना केली आहे. याशिवाय नागरी भागातील झोपडपट्टी क्षेत्रात घरे बांधण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची (झोपुप्रा) स्थापना करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातदेखील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे व दुर्बल घटक यांना दर्जेदार घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना, इ. गृहनिर्माण योजना राबविण्यात येत आहेत.

# नागरी गृहनिर्माण

## महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण

१०.८२ स्थापनेपासून मार्च, २०१२ अखेरपर्यंत म्हाडाने एकूण ४,५२,४६७ सदनिकांचे बांधकाम व पुनर्विकास केला आहे. प्रवर्ग निहाय बांधलेल्या सदनिका व मालकीच्या भूखंडाची संख्या आणि त्यावर झालेला खर्च तक्ता १०.४० मध्ये दिला आहे.

**तक्ता १०.४० प्रवर्ग निहाय म्हाडाकडून बांधण्यात आलेल्या सदनिका व मालकीचे भूखंड**

| वर्ष | प्रवर्ग | | | | | एकूण सदनिका | भूखंडाची संख्या | खर्च@ (₹ कोटी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आर्थिक दुर्बल गट | अल्प उत्पन्न गट | मध्यम उत्पन्न गट | उच्च उत्पन्न गट | इतर | | | |
| २००७-०८ | १,५३८ | २,५९४ | ६८९ | ९१७ | २९ | ५,७६७ | ४३२ | २६६.३५ |
| २००८-०९ | १,५७० | ७८३ | ४६१ | २१६ | २७ | ३,०५७ | १,१३१ | ४९०.७६ |
| २००९-१० | २,५६१ | ७,२१३ | ४३३ | ३९६ | २८ | १०,६३१ | ३,१७२ | ७८९.६९ |
| २०१०-११ | ३,२०४ | ३,८२९ | ८३६ | २७० | १०५ | ८,२४४ | १,०४८ | ८५९.३३ |
| २०११-१२ | ८१५ | २,९४१ | २३८ | ३८८ | १२२ | ४,५०४ | ७९४ | ९२८.९४ |
| २०१२-१३+ # | २,४४९ | २,४४३ | ६७२ | ६६३ | १०५ | ६,३३२ | ५१२ | २,३६३.९८ |

*आधार* : म्हाडा, मुंबई + डिसेंबर पर्यत # प्रस्तावित बांधकाम @ भूखंडासह

१०.८३ सन २०११-१२ मध्ये म्हाडाच्या विविध गृहनिर्माण मंडळामार्फत बांधलेल्या सदनिका व मालकीच्या भूखंडाची माहिती तक्ता १०.४१ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.४१ सन २०११-१२ मध्ये विविध गृहनिर्माण मंडळामार्फत बांधलेल्या सदनिका व मालकीचे भूखंड**

| मंडळ | प्रवर्ग | | | | | | | | इतर | एकूण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आर्थिक दुर्बल गट | | अल्प उत्पन्न गट | | मध्यम उत्पन्न गट | | उच्च उत्पन्न गट | | | | |
| | सदनिका | भूखंड | सदनिका | भूखंड | सदनिका | भूखंड | सदनिका | भूखंड | | सदनिका | भूखंड |
| मुंबई | ७८६ | ० | २,४९४ | ० | १०८ | ० | २२७ | ० | ३४ | ३,६४९ | ० |
| कोकण | ० | ० | ० | ११७ | ० | ११० | ० | ३९ | ७ | ७ | २६६ |
| पुणे | ० | ० | ३८४ | ७८ | ११४ | २० | ११५ | ३ | ३९ | ६५२ | १०१ |
| नाशिक | ० | ० | ३१ | ९६ | १२ | ३ | ४० | ० | २३ | १०६ | ९९ |
| औरंगाबाद | २९ | १८ | ३० | ६७ | ० | ४० | ० | ० | ५ | ६४ | १२५ |
| अमरावती | ० | ० | ० | ० | ४ | ६३ | ६ | ३४ | ९ | १९ | ९७ |
| नागपूर | ० | ० | २ | ३० | ० | ७६ | ० | ० | ५ | ७ | १०६ |
| **एकूण** | **८१५** | **१८** | **२,९४१** | **३८८** | **२३८** | **३१२** | **३८८** | **७६** | **१२२** | **४,५०४** | **७९४** |

*आधार* : म्हाडा , मुंबई

## शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ मर्यादित

१०.८४ शाळा, रुग्णालये, समाज केंद्र, इ. सारख्या मूलभूत सुवधिांसह समाजातील सर्व घटकांना घरे देण्याचा महत्वाकांक्षी विकास कार्यक्रम सिडको राबवित आहे. पनवेल येथील प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सभोवतालच्या १० ते २५ कि.मी. परिघामध्ये येणा-या क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून शासनाने सिडकोची नियुक्ती केली आहे. स्थापनेपासून सिडकोने

डिसेबर, २०१२ पर्यंत एकूण १,७८,१२८ सदनिका नवी मुंबई, औरंगाबाद, नाशिक आणि नांदेड येथे बांधल्या आहेत. या एकूण सदनिकांपैकी ६९.४ टक्के सदनिका नवी मुंबईत बांधल्या असून त्या खालोखाल १३.८ टक्के नाशिकमध्ये तर १२.४ टक्के औरंगाबादमध्ये बांधल्या आहेत. २०१२-१३ मध्ये डिसेंबर, पर्यंत १,३०२ सदनिकांचे बांधकाम प्रगतीपथावर असून त्यावर ₹ १०९ कोटी खर्च झाला आहे. स्थापनेपासून डिसेंबर, पर्यंत सिडकोने राज्यात बाधलेल्या एकूण सदनिकांची माहिती तक्ता १०.४२ मध्ये दिली आहे .

**तक्ता १०.४२ सिडकोव्दारे बांधण्यात आलेल्या एकूण सदनिकांची माहिती (स्थापनेपासून डिसेंबर,२०१२ पर्यंत )**

| ठिकाण | प्रवर्ग | | | एकूण सदनिका | खर्च (₹ कोटी) |
|---|---|---|---|---|---|
| | आर्थिक दुर्बल/ अल्प उत्पन्न | मध्यम उत्पन्न | उच्च उत्पन्न | | |
| नवी-मुंबई | ६०,८८३ | ३४,४२३ | २८,३३४ | १,२३,६४० | १,६३८ |
| औरंगाबाद | १९,५०१ | २,१२७ | ४३२ | २२,०६० | ५६ |
| नाशिक | २१,३४३ | २,६१९ | ५८२ | २४,५४४ | ४२ |
| नांदेड | ७,७५८ | १२६ | ० | ७,८८४ | ९ |
| **एकूण** | **१,०९,४८५** | **३९,२९५** | **२९,३४८** | **१,७८,१२८** | **१,७४५** |

*आधार* : सिडको

## जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान अभियान

१०.८५ जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान अभियान (जेएनएनयुआरएम) हा शहर आधुनिकरणाचा मोठा कार्यक्रम आहे. या अभियानातर्गत “शहरी गरिबांकरिता मूलभूत सुविधा” (बीएसयुपी) व “एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम” (आयएचएसडीपी) या दोन योजना राज्यात म्हाडामार्फत राबविण्यात येत आहेत.

## १) शहरी गरिबांकरिता मूलभूत सेवा

१०.८६ नागरी क्षेत्रातील गरीब लोकांसाठी वसाहतीचा विकास करणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. सदर योजनेचा कार्यकाळ मार्च, २०१२ पर्यंत होता. तथापि, केंद्र शासनाने त्याची मुदत मार्च, २०१४ पर्यंत वाढवली आहे. ही योजना मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक व नांदेड या पाच शहरांमध्ये राबविण्यात येत आहे.

## २) एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम

१०.८७ जेएनएनयुआरएम-बीएसयुपी कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट केलेली पाच शहरे वगळून इतर शहरांमध्ये ही योजना राबविण्यात येते. बीएसयुपी व आयएचएसडीपी योजनांची प्रगती तक्ता १०.४३ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.४३ शहरी गरिबांकरिता मूलभूत सेवा आणि एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमाची प्रगती (डिसेंबर, २०१२ पर्यंत)**

| तपशिल | शहरी गरिबांकरिता मूलभूत सेवा | एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम |
|---|---|---|
| केंद्र सरकारने मंजूर केलेले प्रकल्प (संख्या) | ६२ | १२७ |
| घरांचे लक्ष्य (संख्या) | १,४०,७३६ | १,०९,६१२ |
| प्रकल्पाची एकूण किंमत (₹ कोटी) | ५,८३८ | २,५५९ |
| पूर्ण झालेल्या सदनिका (संख्या) | ५४,४७९ | १८,७५८ |
| प्रगतीपथावर असलेल्या सदनिका (संख्या) | २६,१६६ | १७,९४६ |

*आधार* : म्हाडा, मुंबई

## झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना

१०.८८ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत गरीबांना मोठया प्रमाणात निवारा पुरविण्यात आला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने सुरुवातीपासून (१९९५) जानेवारी, २०१३ अखेरपर्यंत एकूण १,३२८ प्रकल्पाची कामे पूर्ण केली असून १,५३,६३५ झोपडपट्टीतील कुटुंबांचे पुनर्वसन केले आहे.

## शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित

१०.८९ झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे काम जलदगतीने होण्याच्या उद्देशाने १९९८ मध्ये "शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित" ची स्थापना करण्यात आली. प्रकल्पाच्या स्थापनेपासून नोव्हेंबर, २०१२ पर्यंत १०,६७३ सदनिका असलेल्या १११ इमारती बांधण्यात आल्या (त्यापैकी १०,११९ सदनिका वितरीत करण्यात आल्या ) व त्यावर ₹ ४५३ कोटी खर्च झाला.

## बिडी कामगार घरकुल योजना

१०.९० राज्य शासनामार्फत बिडी कामगारांसाठी सोलापूर, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, नांदेड, औरंगाबाद मधील गारखेडा व नागपूरमधील कामठी येथे घरे बांधण्यासाठी ही योजना जूलै, २००१ पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेतर्गत राज्य शासन व केंद्र शासनाकडून प्रत्येकी प्रतिघर ₹ २०,००० एवढे आर्थिक सहाय्य पुरविण्यात येते. एकूण १९,८०२ इतकी घरे बांधण्याच्या लक्ष्यापैकी, डिसेबर, २०१२ पर्यंत १२,०७९ घरे बांधून झाली आहेत. या शिवाय म्हाडाने बिडी कामगारांसाठी ५,५९८ घरे बांधली असून २२० भूखंडांचे वाटप केले.

# ग्रामीण गृहनिर्माण

## इंदिरा आवास योजना

१०.९१ इंदिरा आवास योजना राज्यात एप्रिल, १९८९ पासून ग्रामीण भागातील घरे नसलेल्या दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांसाठी घरे बांधण्यासाठी राबविली जाते. ही योजना केंद्र पुरस्कृत असून यात केंद्र व राज्याचा हिस्सा ७५:२५ असा आहे. केंद्र शासनाने १ एप्रिल, २०१० पासून घराच्या बांधकामाची किंमत प्रत्येकी ₹ ४५,००० इतकी निश्चित केली आहे. तथापि, राज्य शासनाने प्रत्येक घरांच्या बांधकामाची किंमत वाढवून ती ₹ ७०,००० इतकी केली असून बांधकामासाठी लागणारी वाढीव रक्कम राज्य शासनातर्फे पुरविण्यात येते.

१०.९२ सन २०१२-१३ या वर्षासाठी १,७३,५९१ घरे बांधण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले असून त्यासाठी केंद्र सरकारने ₹ ५८७ कोटी इतक्या रकमेची अर्थसंकल्पिय तरतूद केली आहे, तर राज्य शासनाने ₹ ५९२ कोटीची तरतूद केली आहे. जानेवारी, २०१३ अखेरपर्यंत ५१,१३३ घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून त्यासाठी ₹ ६६६ कोटी इतका खर्च झाला. वर्ष २०११-१२ मध्ये १,५३,१८५ घरे बांधण्यात आली असून त्यासाठी ₹ ९९७ कोटी खर्च झाला. विभाग निहाय भौतिक व आर्थिक प्रगती तक्ता १०.४४ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.४४ विभागनिहाय भौतिक व आर्थिक प्रगती** (₹ कोटी)

| विभाग | २०१०-११ | | | २०११-१२* | | | २०१२-१३ + | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | साध्य | खर्च | लक्ष्य | साध्य | खर्च | लक्ष्य | साध्य | खर्च |
| कोकण | २२,८५४ | २४,३५३ | १६५.५२ | २२,३२४ | २२,९८५ | १५०.७१ | २५,७२६ | ४,४८० | ८७.१५ |
| नाशिक | ३९,८४९ | ३८,५०८ | २७४.३७ | ३८,९२७ | ३७,१०५ | २४१.९७ | ४४,६३२ | २०,७७६ | १९१.०९ |
| पुणे | ३२,६७० | ३५,१०३ | २२७.८२ | ३१,९१३ | ३२,७६३ | २०२.९३ | ३६,७७६ | ९,३९७ | १३४.९५ |
| औरंगाबाद | २६,२७७ | २७,९४५ | १८७.४२ | २५,६६६ | २४,३९५ | १८३.९३ | २९,४९९ | ९,६०६ | ११८.०१ |
| अमरावती | १४,९७४ | १४,०३० | १०७.०१ | १४,६२६ | १४,०७५ | १०१.५२ | १६,८५५ | ९३६ | ४७.१५ |
| नागपूर | १८,४२८ | १८,०८८ | १२८.८८ | १७,६०७ | २१,८६२ | ११६.०९ | २०,१०३ | ५,९३८ | ८७.२४ |
| **एकूण** | **१,५५,०५२** | **१,५८,०२७** | **१,०९१.०२** | **१,५१,०६३** | **१,५३,१८५** | **९९७.१५** | **१,७३,५९१** | **५१,१३३** | **६६५.५९** |

*आधार* : ग्राम विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन *अस्थायी + जानेवारी पर्यत

## राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना-१

१०.९३ राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना-१ ही राज्यातील, ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबासाठी राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यांना स्वत:ची घरे बांधण्यासाठी ₹ ६८,५०० इतके अनुदान दिले जाते. ही योजना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत ३३ जिल्हा परिषदांमध्ये राबविण्यात येत आहे. या योजनेअतर्गत सन २०११-१२ मध्ये १३,८०९ घरकुलांसाठी ₹ ९४ कोटी व सन २०१२-१३ मध्ये २४,९७० घरकुलांसाठी ₹ १६९ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

## सुधारित राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना-२

१०.९४ सुधारित राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना-२ अंतर्गत दोन वर्षात दारिद्रय रेषेवरील परंतु अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी १,२५,००० घरे बांधण्याचे राज्याने ठरविले आहे. सदर योजनेतर्गत प्रत्येक घरकुलाची किंमत ₹ १,००,००० इतकी निर्धारीत करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी जिल्हयातील अग्रणी बँकेकडून ₹ ९०,००० कर्ज पुरविले जाते व उर्वरित ₹ १०,००० लाभार्थ्यानी भरावयाचे आहे. कर्जावरील व्याज अनुदानाच्या स्वरुपात राज्य शासनाकडून दिले जाते. सुधारित राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना-२ ची नोव्हेंबर, २०१२ पर्यंतची प्रगती तक्ता १०.४५ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.४५ सुधारित राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना-२ ची प्रगती**

(नोव्हेंबर, २०१२ पर्यंत)

| मंडळ | घरकुलांची संख्या | बँकांना वितरित रक्कम (₹ कोटी) |
|---|---|---|
| कोकण | २,२०४ | १.२९ |
| पुणे | ६१५ | ०.५१ |
| नाशिक | ११,६२५ | ०.७६ |
| औरंगाबाद | ५,४६२ | ०.०७ |
| अमरावती | ४,८७१ | ०.२७ |
| नागपूर | १,९९३ | ०.२९ |
| **एकूण** | **२६,७७०** | **३.१९** |

*आधार* : म्हाडा, मुंबई

# पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता

१०.९५ निरोगी मानवी जीवनाकरिता पिण्यायोग्य पाण्याची उपलब्धता व सुयोग्य स्वच्छता या मूलभूत गरजा आहेत. पिण्याचे पाणी व सुयोग्य स्वच्छता पुरविण्याकरिता शासनाकडून विविध योजना राबविल्या जात आहेत. जनगणना, २०११ वर आधारित पाणी पुरवठा व स्वच्छतेसंबंधीचे निष्कर्ष या प्रकाशनाच्या 'लोकसंख्या' या प्रकरणात दिले आहेत.

## पाणी पुरवठा

१०.९६ राज्यात बरेच मोठे जल स्रोत आहेत. राज्यातील नदी आणि कालव्यांची लांबी अंदाजे १६,००० कि.मी. आहे, जी भारतातील एकूण लांबीच्या सुमारे ८.२ टक्के आहे. राज्यातील जलाशय, तलाव/तळी आणि खारट पाण्याची जलसंपदा अनुक्रमे २.७९, ०.५९ आणि ०.१० लाख हेक्टर असून ती एकत्रितरित्या भारताच्या ४.७ टक्के आहे. अपु-या व अल्प प्रमाणात झालेल्या पावसामुळे, राज्यातील काही भागात पाण्याची उपलब्धता ही चिंताजनक झाली आहे, विशेषत: औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, अहमदनगर, नाशिक, जळगाव, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि बुलढाणा हे जिल्हे तीव्र पाणी टंचाईने ग्रासले आहेत. टंचाईजन्य परिस्थिती हाताळण्याकरिता राज्याने विविध उपाययोजना केल्या आहेत.

१०.९७ राज्याने टंचाईग्रस्त परिस्थिती हाताळण्याकरिता सन २०१२-१३ मध्ये जानेवारी पर्यंत ₹ ४१३.९८ कोटी वितरीत केले आहेत. यापैकी कोकण विभागाला ₹ ७.७३ कोटी, पुणे विभागाला ₹ १६०.५० कोटी, नाशिक विभागाला ₹ ६६.६६ कोटी, औरंगाबाद विभागाला ₹ १३६.६१ कोटी, अमरावती विभागाला ₹ २९.९२ कोटी व नागपूर विभागाला ₹ १२.५६ कोटी निधी वितरीत केला आहे. या व्यतिरिक्त राज्य शासनाने ₹ ७० कोटी निधी व केंद्र शासनाने ₹ ५.१२ कोटी निधी पुरविला आहे. राज्याने टंचाईग्रस्त १,७७९ गावे आणि ४,७०९ वाडयांकरिता तात्पुरत्या नळ पाणी योजना, कुपनलिका व इतर पाण्याचे स्रोत पुर्नजिवीत करणे, टँकरने पाणी पुरवठा करणे इत्यादी सारख्या विविध उपाययोजना केल्या आहेत. टँकरने करण्यात येणा-या पाणी पुरवठयाची माहिती तक्ता १०.४६ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.४६ टँकरने करण्यात येणा-या पाणी पुरवठ्याची ४ मार्च, २०१३ रोजीची माहिती**

(संख्या)

| विभाग | बाधित | | कार्यरत टँकर्स |
|---|---|---|---|
| | गावे | वाड्या | |
| पुणे | ५५० | ३,१९७ | ७६० |
| नाशिक | ३८३ | १,१३४ | ४३३ |
| औरंगाबाद | ७७१ | ३७८ | ९९९ |
| अमरावती | ७५ | -- | ८८ |
| **एकूण** | १,७७९ | ४,७०९ | २,२८० |

*आधार* : पाणी पुरवठा विभाग, महाराष्ट्र शासन

## राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

१०.९८ 'भारत निर्माण' हया कार्यक्रमांतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश ग्रामीण भागात पिण्यायोग्य, पुरेसे व कायमस्वरुपी पाणी पुरवठा करणे हा आहे. सन २०११-१२ मध्ये या कार्यक्रमांतर्गत ६,५०२ गावे/वाड्यांच्या उद्दिष्टापैकी ६,३६४ गावे/वाड्यांची कामे पूर्ण झाली असून त्यावर ₹ १,२५२.९२ कोटी इतका खर्च झाला आहे. सन २०१२-१३ मध्ये या योजनेतंर्गत निर्धारीत केलेल्या ५,९४० गावे/वाड्यांच्या उद्दिष्टापैकी १,६८६ गावे/वाड्यांची कामे नोव्हेंबर पर्यंत पूर्ण झाली आहेत. या कार्यक्रमाची वर्षनिहाय प्रगती तक्ता १०.४७ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.४७ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाची प्रगती**

| सन | हाताळलेली गावे /वाड्या | | खर्च |
|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | साध्य | (₹ कोटी ) |
| २००७-०८ | १४,९७५ | ९,७८५ | १,०२१.१२ |
| २००८-०९ | १९,८७७ | १९,८७७ | ९४३.६४ |
| २००९-१० | ११,६३९ | ७,४६५ | १,०३३.६३ |
| २०१०-११ | ९,७४५ | ८,९८७ | १,२७५.४८ |
| २०११-१२ | ६,५०२ | ६,३६४ | १,२५२.९२ |
| २०१२-१३+ | ५,९४० | १,६८६ | ४२८.६९ |

*आधार* : पाणी पुरवठा विभाग, महाराष्ट्र शासन +नोव्हेंबर पर्यंत

## पाणी टंचाई निवारण कार्यक्रम

१०.९९ पाणी टंचाई निर्माण झालेल्या गावे/वाड्यांमध्ये दरवर्षी ऑक्टोबर ते जून या कालावधीत पाणी टंचाई निवारण कार्यक्रम राबविला जातो. सन २०११-१२ मध्ये राज्यात पडलेल्या असमान पावसामुळे पाणी टंचाई निवारण कार्यक्रम ऑगस्ट, २०१२ पर्यंत वाढविला गेला. या कार्यक्रमावर ₹ २०१.५५ कोटी खर्च झाला. या कार्यक्रमांतर्गत गावे/वाड्यांची संख्या तक्ता १०.४८ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.४८ पाणी टंचाई निवारण कार्यक्रमांतर्गत गावे /वाडया**

(संख्या)

| उपाययोजना / कामे | गावे | | वाडया | |
|---|---|---|---|---|
| | २०१०-११@ | २०११-१२+ | २०१०-११@ | २०११-१२+ |
| नवीन विंधण विहिरी | ८२९ | २,०९६ | ६७६ | २,१९९ |
| तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजनेची विशेष दुरुस्ती | १९४ | ४६३ | २६ | ४९ |
| विंधण विहिरींची विशेष दुरुस्ती | ६९१ | १,०३५ | २७८ | १,७८५ |
| तात्पुरती पुरक नळयोजना | ६९ | १३८ | ५ | ४४ |
| टँकर / बैलगाडीने पाण्याचा पुरवठा | १,४८८ | १,४०४ | २५० | ४,७६८ |
| खाजगी विहिरींचे अधिग्रहण | २४ | २,१८२ | ४० | १,८५९ |
| विहिरी खोल करणे / गाळ काढणे | ० | ३३६ | ० | १२२ |
| बुडक्या विहिरींचे बांधकाम | ६०५ | ० | ७४१ | ० |

*आधार* : पाणी पुरवठा विभाग, महाराष्ट्र शासन @ ऑक्टो., २०१० ते सप्टें., २०११ + ऑक्टो., २०११ ते ऑगस्ट, २०१२

## शिवकालीन पाणी साठवण योजना

१०.१०० राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाचा शिवकालीन पाणी साठवण योजना हा घटक असून पारंपारीक व अपारंपारिक उपाययोजनांद्वारे पाण्याचे संधारण करण्याच्या उद्देशाने पाण्याच्या स्रोतांचे सक्षमीकरण, छतावरील पावसाच्या पाण्याची साठवणूक, पावसाचे पाणी अडविण्यासाठी डोंगराळ भागात तलाव बांधणी या सारख्या उपाययोजनांद्वारे पिण्याचे पाणी सातत्याने उपलब्ध होण्याच्या उद्देशाने राज्यात शिवकालीन पाणी साठवण योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेच्या सुरुवातीपासून (२००२) जानेवारी, २०१३ पर्यंत १०,७१५ वस्त्यांची निवड करुन २७,४१० उपाययोजना निश्चित करण्यात आल्या, त्यापैकी १०,०९२ वस्त्यांमध्ये उपाययोजना हाती घेतल्या असून ९,२५१ वस्त्यांमधील २३,४६२ उपाययोजना पूर्ण झाल्या आहेत व त्यावर एकूण ₹ ३७३.४० कोटी खर्च झाला.

१०.१०१ पावसाच्या पाण्याची साठवण ही जल संधारणाची पध्दत लोकप्रिय झाली आहे. शिवकालीन पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात जानेवारी, २०१३ पर्यंत पावसाच्या पाण्याच्या साठवणीसाठी ८,८०४ बांधकामे करण्यात आली. त्यापैकी ९६१ कोकण विभागात, ९०१ पुणे विभागात, २५७ नाशिक विभागात, ३,००४ औरंगाबाद विभागात, १,७१७ अमरावती विभागात आणि १,९६४ नागपूर विभागात बांधकामे झाली आहेत.

### स्वच्छता

१०.१०२ वैयक्तिक आणि सामाजिक आरोग्याचे संरक्षण व संवर्धनासाठी पुरेशा प्रमाणात स्वच्छतेची गरज असून त्यामुळे सर्वांना उपयुक्त व प्रतिष्ठित जीवन जगणे शक्य आहे. स्वच्छतेच्या स्थितीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनकडून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.

## महाराष्ट्र सुजल आणि निर्मल अभियान

१०.१०३ महाराष्ट्र सुजल आणि निर्मल अभियानांतर्गत राज्याने पाणी पुरवठा व स्वच्छतेसंदर्भात तांत्रिक, आर्थिक व प्रशासकीय सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने स्वतंत्र व गुणवत्तापूर्ण सुविधा सेवा शुल्क तत्वावर उपलब्ध केली आहे. पाणी टंचाई व पाण्याच्या वाढत्या मागणीवर मात करुन पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा व स्वच्छता विषयक सुविधा सर्व नागरिकांना उपलब्ध करुन देणे हा महाराष्ट्र सुजल आणि निर्मल अभियानाचा प्राथमिक उद्देश आहे. योजनेच्या सुरवातीपासून (२००८-०९) पाणी पुरवठा व स्वच्छतेच्या ₹ ७७९.१४ कोटी इतक्या खर्चाच्या १९८ कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली असून ₹ ३४१.३४ कोटी निधी वितरित केला आहे. सन २०११-१२ मध्ये ₹ १३१.६७ कोटी व सन २०१२-१३ मध्ये जानेवारी अखेर पर्यंत ₹ ८६.२६ कोटी खर्च झाला आहे.

१०.१०४ 'महाराष्ट्र गोल्डन ज्युबली नागरी दलित वस्ती पाणी पुरवठा व स्वच्छता योजना' ही महाराष्ट्र सुजल आणि निर्मल अभियानांतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या कुटुंबांना घरगुती नळजोडणी व वैयक्तिक शौचालय उपलब्ध करुन देण्याकरिता राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत ९० टक्के अनुदान राज्य शासनाकडून व उर्वरीत १० टक्के हिस्सा लाभार्थी किंवा नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचा असतो. नळ जोडणी व शौचालय बांधकामासाठी अनुक्रमे ₹ ४,००० व ₹ १२,००० इतके अनुदान मिळण्यास लाभार्थी कुटुंब पात्र आहे. या योजनेंतर्गत ९८ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ₹ १३५.९१ कोटीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यामध्ये ७०,००० लाभार्थ्यांचा समावेश आहे.

१०.१०५ ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील कुटुंबांना नळ पाणी जोडणी व वैयक्तिक शौचालय उपलब्ध करुन देण्याकरिता नोव्हेंबर, २०११ पासून 'ग्रामीण दलित वस्ती पाणी पुरवठा व स्वच्छता योजना' सुरु करण्यात आली. या योजनेंतर्गत सन २०११-१२ मध्ये ₹ ४८.४५ कोटी खर्च झाला. सन २०१२-१३ करिता ₹ ६० कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.

## निर्मल भारत अभियान

१०.१०६ 'संपूर्ण स्वच्छता अभियान' या योजनेला एप्रिल, २०१२ पासून 'निर्मल भारत अभियान' असे संबोधले जात आहे. या योजनेतंर्गत स्वतंत्र शौचालये बांधण्याकरिता दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना प्रोत्साहनपर मदत दिली जाते. आता दारिद्रय रेषेवरील अनुचित जाती/ जमातीतील कुटुंबे, अल्प व अत्यअल्प भूधारक शेतकरी, घर असलेले भूमिहीन मजूर, शारिरीकदृष्टया अपंग व्यक्ति, स्त्री कुटुंब प्रमुख असलेली कुटुंबे यांच्यासाठी ही योजना लागू केली आहे. प्रति शौचालय बांधकामाची किंमत ₹ ५,५०० (₹ ६,००० डोंगराळ व अतिदुर्गम भागासाठी) निर्धारित केली आहे व त्यातील केंद्रशासनाचा वाटा ₹ ३,२०० (₹ ३,७०० डोंगराळ व अतिदुर्गम भागासाठी), राज्य शासनाचा वाटा ₹ १,४०० व लाभार्थ्याचे योगदान ₹ ९०० याप्रमाणे आहे. या अभियानातंर्गत नोव्हेंबर, २०१२ पर्यंत ७१.७२ लाख स्वतंत्र कौटुंबिक शौचालयांचे बांधकाम करण्यात आले आहे.

१०.१०७ केंद्र व राज्य शासन यांचा शाळा व अगंणवाड्यांच्या शौचालयाच्या खर्चातील हिस्सा ७०:३० या प्रमाणात आहे. प्रति शौचालयाची शाळेकरिता किंमत ₹ ३५,००० (₹ ३८,५०० दुर्गम भागासाठी) व अंगणवाडीकरिता ₹ ८,००० (₹ १०,००० दुर्गम भागासाठी) निर्धारित केली आहे. प्रवर्गनिहाय बांधलेल्या शौचालयाच्या तक्ता १०.४९ मध्ये दिला आहे.

**तक्ता १०.४९ प्रवर्गनिहाय शौचालय बांधकाम**

( संख्या )

| प्रवर्ग | २०११-१२ | २०१२-१३+ | |
|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | साध्य |
| दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबासाठी स्वतंत्र शौचालय | २,७०,१०१ | २,९०,०९१ | ६८,०१३ |
| दारिद्रय रेषेवरील कुटुंबासाठी स्वतंत्र शौचालय | २,९७,०६७ | ४,१८,२३६ | ६२,७५८ |
| सार्वजनिक शौचालय | ६७२ | ९३० | ४५८ |
| अंगणवाडी शौचालय | ८६९ | ४६० | ६५४ |

*आधार* : पाणी पुरवठा विभाग, महाराष्ट्र शासन + जानेवारी पर्यंत.

## संत गाडगेबाबा नागरी स्वच्छता अभियान

१०.१०८ राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये हे अभियान २००२-०३ पासून राबविले जात आहे. या अभियानामुळे पाणीपुरवठ्याचे बळकटीकरण, मल:निसारण, घनकचरा व्यवस्थापन या क्षेत्रात सातत्याने सुधारणा होण्यास मदत झाली आहे. या अभियानांतर्गत सन २०११-१२ मध्ये ₹ ६.५ कोटी खर्च झाला आणि सन २०१२-१३ साठी ₹ ६ .५ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.

## एकात्मिक कमी खर्चाची स्वच्छता योजना

१०.१०९ एकात्मिक कमी खर्चाची स्वच्छता योजना ही झोपटपट्टी व अनाधिकृत वसाहतीसह जेथे शौचकूपे नाहीत किंवा कोरडी शौचालये आहेत अशा सर्व कुटुंबांना शौचकूप सुविधा मागणी प्रमाणे देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेतंर्गत नागरी भागातील आर्थिकदृष्टया मागास गटातील (ज्याचे सर्व स्त्रोतापासून मासिक उत्पन्न ₹ ३,३०० पेक्षा कमी आहे ) अशा व्यक्ती अनुदान मिळण्यास पात्र आहेत. शौचकूपांच्या बांधकामाकरिता राज्य व केंद्र शासनाकडून अनुदान पुरविले जाते व त्यामध्ये केंद्र शासनाकडून ७५ टक्के, राज्य शासनाकडून १५ टक्के आणि लाभार्थ्यांकडून १० टक्के हिश्यांचा सहभाग आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने १६ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २१ प्रस्तावांना मान्यता दिलेली आहे व त्या अंतर्गत ३९,६६३ वैयक्तिक शौचालये बांधण्यात येणार असून त्यापैकी १८,१८९ शौचालये बांधण्यात आली आहेत तर ५,५५६ शौचालयाचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. सन २०१२-१३ साठी ₹ २० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून जानेवारी अखेर ₹ १४.९८ कोटी इतका खर्च झाला आहे.

## राष्ट्रीय नमुना पाहणी निष्कर्ष

१०.११० सामाजिक व आर्थिक पैलूवर राष्ट्रीय नमुना पाहणी (रानपा) कार्यालय, भारत सरकार, प्रतिवर्षी राष्ट्रव्यापी नमुना पाहण्या घेत असते. कार्यालयीन सांख्यिकीद्वारे उपलब्ध होत नाही अशा विशिष्ट बाबींची माहिती पाहण्यांद्वारे संकलित केली जाते. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय नियमीतपणे स्वतंत्र नमुना घेऊन राष्ट्रीय नमुना पाहणीमध्ये सहभागी होते.

१०.१११ राष्ट्रीय नमुना पाहणी ची ६९ वी फेरी जुलै-डिसेंबर, २०१२ या कालावधीत घेतली असून पाहणीचे मुख्य विषय ‘पिण्याचे पाणी, आरोग्य, स्वच्छता आणि घरांची स्थिती’ व ‘झोपडपट्टयाचा तपशील (फक्त नागरी भागाकरिता)’ होते. या पाहणीत एकूण ९,७६८ कुटुंबे (३,९३६ ग्रामीण व ५,८३२ नागरी) आणि २१४ झोपडपट्टयांचा समावेश करण्यात आला होता. पाहणीत निवडलेल्या कुटुंबाकडून मिळालेल्या प्रतिसादावर आधारित माहिती संकलित केली आहे. पिण्याचे पाणी, आरोग्य व स्वच्छता या पाहणीचे काही महत्वाचे अस्थायी निष्कर्ष खाली देण्यात आले आहेत.

१०.११२ सन २००८-०९ (रानपा ६५ वी फेरी) च्या तुलनेत ग्रामीण तसेच नागरी भागात पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्त्रोत ‘नळ’ असणा-या कुटुंबांच्या टक्केवारीत वाढ झाली आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या मुख्य स्रोतानुसार कुटुंबांची टक्केवारी तक्ता १०.५० मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.५० पिण्याच्या पाण्याच्या मुख्य स्रोतानुसार कुटुंबांची टक्केवारी**

| स्रोत | ग्रामीण | | नागरी | |
|---|---|---|---|---|
| | जुलै, २००८– जून, २००९ | जुलै–डिसेंबर. २०१२* | जुलै, २००८–जून, २००९ | जुलै–डिसेंबर .२०१२* |
| नळ | ५८.९ | ६२.८ | ९२.० | ९३.६ |
| कूप नलिका /हातपंप | २०.३ | १९.५ | ३.९ | ४.४ |
| संरक्षित / असंरक्षित विहिरी | १८.२ | १५.३ | १.२ | ०.८ |
| टाकी/ तलाव ( पिण्यासाठी राखीव) | ०.७ | ०.६ | ०.५ | ०.१ |
| इतर | १.९ | १.८ | २.५ | १.१ |
| एकूण | १०० | १०० | १०० | १०० |

*आधार:* अवसांसं ,महाराष्ट्र शासन * अस्थायी

१०.११३ सुमारे ६७ टक्के ग्रामीण व ७५ टक्के नागरी भागातील कुटुंबे पिण्याच्या पाण्यावर प्रक्रिया करतात. कपड्याच्या सहाय्याने पिण्याचे पाणी गाळणे या पद्धतीचा वापर ग्रामीण व नागरी भागात जास्तीत जास्त कुटुंबे करतात. नागरी भागातील १४ टक्के कुटुंबे विद्युत शुद्धीकरण पद्धत वापरत असल्याचे दिसून आले.

**आलेख १०.१० : पिण्याच्या पाण्याच्या प्रकियेनुसार कुटुंबांची टक्केवारी**

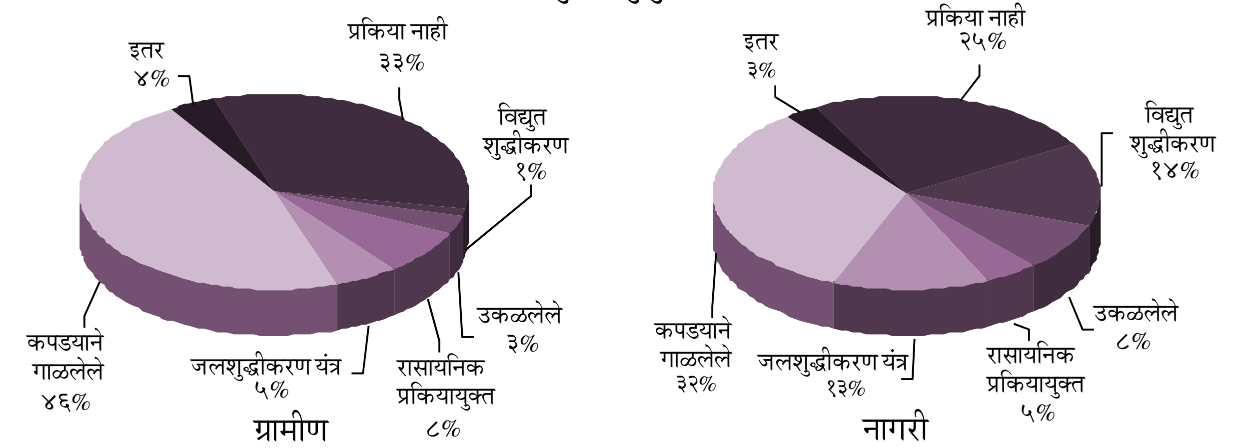


१०.११४ सुमारे ४७ टक्के ग्रामीण तर २३ टक्के नागरी भागातील कुटुंबांना स्नानगृहाची सुविधा उपलब्ध नव्हती. सामाजिक वर्गनिहाय स्नानगृहाच्या सुविधेनुसार कुटुंबांची टक्केवारी तक्ता १०.५१ मध्ये दर्शविली आहे.

**आलेख १०.११ : शौचालय सुविधेनुसार कुटुंबांची टक्केवारी**

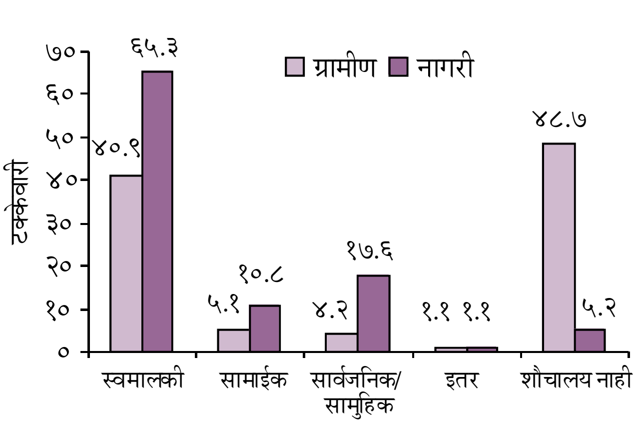


**तक्ता १०.५१ सामाजिक वर्गनिहाय स्नानगृहांची सुविधा ***

(टक्केवारी)

| सामाजिक वर्ग | घराला जोडून स्नानगृह | घरापासून अलग स्नानगृह | स्नानगृह नसलेले |
|---|---|---|---|
| **ग्रामीण** | | | |
| अनुसूचित जमाती | ८.६ | १५.७ | ७५.७ |
| अनुसूचित जाती | २७.७ | १९.५ | ५२.८ |
| इतर मागास वर्ग | ३३.७ | २४.४ | ४१.९ |
| इतर | ४४.२ | १५.६ | ४०.२ |
| एकूण | ३३.२ | १९.५ | ४७.३ |
| **नागरी** | | | |
| अनुसूचित जमाती | ४७.९ | ७.८ | ४४.३ |
| अनुसूचित जाती | ५०.४ | १५.० | ३४.६ |
| इतर मागास वर्ग | ६२.८ | १४.४ | २२.८ |
| इतर | ७३.७ | ७.२ | १९.१ |
| एकूण | ६७.४ | ९.९ | २२.७ |

*आधार :*अवसांसं ,महाराष्ट्र शासन * अस्थायी

१०.११५ इतर विशेष बाबींची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

- सुमारे ४९ टक्के ग्रामीण तर पाच टक्के नागरी भागातील कुटुंबांना शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नाही.
- कचरा विल्हेवाटीची व्यवस्था ग्रामीण भागात ६८ टक्के आणि नागरी भागात ९३ टक्के कुटुंबांना उपलब्ध.
- माश्या व डासांमुळे ५३ टक्के कुटुंबांना जास्त प्रमाणात तर ३८ टक्के कुटुंबांना माफक प्रमाणात त्रास सहन करावा लागतो.
- सुमारे ६६ टक्के कुटुंबे माश्या व डासांच्या त्रासापासून मुक्त होण्याकरिता उपाययोजना करतात.

# पर्यावरण संवर्धन

१०.११६ पर्यावरण हे भौतिकरित्या हवा, पाणी आणि जमीन यापासून ऊर्जावाहक, जमीन आणि वनस्पती, प्राणी व त्यांच्यासाठी पुरक पोषक परिसर यासारख्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीपर्यंत पसरले आहे. विकास कार्यांच्या प्रक्रियेमधून निर्माण होणारे उत्सर्जन आणि निरनिराळ्या पदार्थांचे हवा, पाणी व जमिनीमधील नि:स्सारण यामुळे पर्यावरणावर ताण येत असतो. पृथ्वीतलावरील नंदनवन कायमचे नष्ट होऊ नये यास्तव हवा, पाणी, जमीन आणि जैव इंधन या सीमीत साधनसंपत्तीचा जपून वापर करणे गरजेचे आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वेगाने होणारा संख्यात्मक व गुणात्मक ऱ्हास यामुळे त्याचे व्यवस्थापन व संवर्धनाची चिंता वाढवणारी आहे.

१०.११७ राज्याने पर्यावरणाचे व्यवस्थापन, प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण आणि खालील महत्त्वाच्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीकरिता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची स्थापना केली.

- जल (प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९७४
- हवा (प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९८१
- जल (प्रतिबंध व नियंत्रण) उपकर अधिनियम, १९७७
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६

## वायू प्रदूषण

१०.११८ विविध शैक्षणिक संस्थांच्या मदतीने राज्याच्या १७ जिल्ह्यांतील ७७ ठिकाणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ वायुच्या गुणवत्तेचे संनियंत्रण करीत आहे. वायू प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी कमी गंधक असलेले डिझेल वापरणे, शिसेरहीत पेट्रोल वापरणे, सीएनजी/एलपीजी हे पर्यायी इंधन वापरणे, पीयुसी अनिवार्य करणे, १५ वर्षे झालेल्या वाहनांवर बंदी घालणे आणि आठ वर्षे पूर्ण झालेल्या वाहनांना सीएनजी/एलपीजी वापरण्यासाठी रुपांतरित करणे अशा उपाय योजना करण्यात येत आहेत. राज्यात सीएनजी/एलपीजी मध्ये रूपांतरित करता येण्याजोग्या ३१ मार्च, २०१२ रोजी एकूण ४७ लाख वाहनांपैकी एलपीजी संच बसविण्यात आलेल्या वाहनांची संख्या १.२२ लाख तर सीएनजी संच बसविण्यात आलेल्या वाहनांची संख्या ३.०२ लाख होती. जानेवारी ते डिसेंबर, २०१२ या कालावधीतील प्रमुख संनियंत्रण स्थानकांच्या निवासी परिसराच्या क्षेत्रातील वायू गुणवत्ता नोंदविलेली माहिती तक्ता १०.५२ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.५२ जानेवारी ते डिसेंबर, २०१२ मधील काही प्रमुख संनियंत्रण स्थानकांच्या परिसराच्या निवासी क्षेत्रातील वायू गुणवत्ता**

| | हवा प्रदुषित करणा-या पदार्थांची तीव्रता | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्थानक | सल्फरडाय ऑक्साईड ($SO_2$), $\mu g/m^3$ | | | नायट्रोजन ऑक्साईड्स ($NO_x$), $\mu g/m^3$ | | | हवेतील दूषित कण (आरएसपीएम) | | |
| मर्यादा | ८० $\mu g/m^3$ | | | ८० $\mu g/m^3$ | | | १०० $\mu g/m^3$ | | |
| | किमान | कमाल | सरासरी | किमान | कमाल | सरासरी | किमान | कमाल | सरासरी |
| मुंबई (सायन) | ३ | ५० | ९.२८ | ४ | २६९ | ८१.०२ | ४ | ५३५ | १२४.४९ |
| नवी मुंबई (वाशी) | ४ | ८२ | २२.६७ | ४ | २९० | ५३.६३ | १८ | ३९८ | १०३.०४ |
| पुणे (स्वारगेट) | ११ | ४५ | १९.२९ | १४ | ११४ | ५०.१२ | ६ | २०९ | ८१.४४ |
| नाशिक (नवीन मनपा इमारत) | १८ | ३२ | २३.९६ | २० | ३५ | २६.७३ | ३९ | २३१ | ९२.४५ |
| औरंगाबाद (कडा कार्यालय) | ७ | २३ | १०.१० | २५ | ६६ | ३३.७३ | २० | १२९ | ७०.०० |
| अमरावती (शास. अभि. महाविद्या.) | ६ | १४ | १०.५७ | ९ | १६ | १२.६२ | ५२ | ११० | ८०.४० |
| नागपूर ( मप्रनिमं यांचे प्रादेशिक कार्यालय) | ४ | २२ | ९.४३ | १२ | ९१ | ३०.१६ | १५ | १२८ | ५४.६८ |

*आधार* : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ $\mu g/m^3$ : मायक्रोग्रॅम / घन मीटर आरएसपीएम- रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पर्टीक्युलेट मॅटर

## जल प्रदूषण

१०.११९ सुमारे ८० टक्के मानवी मृत्यूचे एक महत्त्वाचे कारण पाण्यापासून उद्भवणारे रोग हे आहे. प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील आणि नागरी झोपडपट्टीतील लहान मुलांवर याचा अनिष्ट परिणाम होत असतो. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हे राष्ट्रीय जल गुणवत्ता संनियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत जागतिक पर्यावरण संनियंत्रण यंत्रणा (जापसंयं) व भारतीय राष्ट्रीय जलस्रोत नियंत्रण (भाराजनि) प्रकल्प

राबवित आहे. सद्य:स्थितीत, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाद्वारे २०० ठिकाणी भूपृष्ठावरील पाण्याचे व ५० ठिकाणी भूजलाचे असे २५० केंद्राचे संनियंत्रण करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय जल गुणवत्ता संनियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत सन २०१०-११ करिता राज्यातील ४८ नद्यांवरील विशिष्ट स्थानांच्या जल गुणवत्तेबाबतची सांख्यिकी तक्ता १०.५३ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.५३ सन २०१०-११ करिता ४८ नद्यांवरील विशिष्ट स्थानांची जल गुणवत्ता**

| परिमाणे | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH मूल्य | | जैवरासायनिक प्राणवायूची मागणी (BOD) | | विघटीत प्राणवायू (DO) | | फिकल कॉलिफॉर्म | |
| विस्तार | स्थाने | विस्तार | स्थाने | विस्तार | स्थाने | विस्तार | स्थाने |
| ६.३-६.८ | १ | २ - ८ | ३० | ०-३ | २ | ०-१०० | २५ |
| ६.८-७.३ | १ | ८ - १४ | १५ | ३ - ६ | २७ | १००-२०० | १२ |
| ७.३-७.८ | १८ | १४-२० | १ | ६ - ९ | १८ | २००-३०० | ६ |
| ७.८-८.३ | २८@ | २०-२६ | २ | ९ आणि त्यापेक्षा अधिक | १ | ३०० आणि त्यापेक्षा अधिक | ५ |

*आधार*:सांख्यिकी अहवाल २०१०-११, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ @ विस्ताराबाहेरील pH मूल्य १३ असलेले स्थान समाविष्ट

pH मूल्य वगळता उर्वरित सर्व परिमाणे मिली ग्रॅम / लिटर मध्ये BOD –बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड DO – डिझॉल्व्हड ऑक्सिजन

१०.१२० मंडळाने 'जल व वायू प्रदूषण अधिनियम' मधील तरतुदीनुसार २०११-१२ मध्ये विविध उद्योगांच्या स्थापना किंवा विस्ताराकरिता १५,४६५ संमती पत्रे दिली आहेत. जल उपकर अधिनियम, १९७७ मधील तरतुदीनुसार मंडळाने विविध उद्योग व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून त्यांनी वापर केलेल्या पाण्यापोटी ₹ ३४.३० कोटी एवढा उपकर वसूल केला आहे.

१०.१२१ नद्या, तलाव आणि तळयांमध्ये प्रवाहित होणारे प्रक्रिया विरहीत सांडपाणी जल स्रोत प्रदूषित करतात. १५ महानगरपालिका आणि १७ नगरपरिषदांकडून ३१ मार्च, २०११ पर्यंत सांडपाण्यावरील प्रक्रिया आणि निच-याबाबतची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

## ध्वनी प्रदूषण

१०.१२२ ध्वनी प्रदूषण हे पर्यावरणातील तिसऱ्या क्रमांकाचे अतिहानीकारक प्रदूषण आहे. ध्वनी प्रदूषण (प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम, २००० अन्वये क्षेत्र निहाय ध्वनी स्तर प्रमाणाच्या मर्यादा तक्ता १०.५४ मध्ये दिल्या आहेत.

१०.१२३ मंडळाने ध्वनी प्रदूषणाचा प्रभाव अभ्यासण्याकरिता १८ व १९ डिसेंबर, २०११ रोजी २४ तासांच्या कालावधीकरिता प्रमुख सहा शहरांमध्ये (मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर व कोल्हापूर) परिसर ध्वनी स्तर संनियंत्रण कार्यक्रम आयोजित केला होता. दोन्ही दिवशी त्याच विभागांमध्ये त्याच कालावधीकरिता संनियंत्रण करण्यात आले. प्रमाणित मर्यादेशी तुलना करता १८ डिसेंबर (सुट्टीचा दिवस) व १९ डिसेंबर (कामकाजाचा दिवस) या दोनही दिवशी सर्व सहा शहरांमध्ये ध्वनी स्तर अनुज्ञेय मर्यादेच्या बाहेर असल्याचे निर्देशनास आले. प्रमुख शहरांमधील निवासी क्षेत्रातील दिवस- रात्रीचे ध्वनी स्तर तक्ता १०.५५ मध्ये दिले आहेत.

१०.१२४ सणासुदीच्या काळातील ध्वनी प्रदूषण कमी करण्याकरिता १२५ डेसिबल्सपेक्षा जास्त आवाज करणाऱ्या फटाक्यांवर बंदी तसेच ध्वनिवर्धक लावणे व मोठ्या आवाजाचे फटाके वाजविणे यावर वेळेचे बंधन घालण्यात आले आहे.

**तक्ता १०.५४ क्षेत्र निहाय ध्वनी स्तर प्रमाणाच्या मर्यादा (डेसिबल्स मध्ये)**

| क्षेत्र संकेतांक | क्षेत्राचा प्रकार | मर्यादा | |
|---|---|---|---|
| | | दिवस | रात्र |
| अ | औद्योगिक क्षेत्र | ७५ | ७० |
| ब | वाणिज्यिक क्षेत्र | ६५ | ५५ |
| क | निवासी क्षेत्र | ५५ | ४५ |
| ड | शांतता प्रभाग | ५० | ४० |

*आधार*: महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

**तक्ता १०.५५ प्रमुख शहरांमधील निवासी क्षेत्रातील दिवस- रात्रीचे ध्वनी स्तराचे प्रमाण ( डेसिबल्समध्ये)**

| ठिकाण | १८ डिसेंबर, २०११ | १९ डिसेंबर, २०११ |
|---|---|---|
| मुंबई (अँटॉप हिल) | ५५.९ | ५५.९ |
| मुंबई (शिवाजी पार्क) | ५३.८ | ५४.० |
| पुणे ( काकडे आंगण) | ७१.९ | ५३.९ |
| नाशिक (पंडित कॉलनी) | ७०.६ | ७४.८ |
| नाशिक (पवन नगर) | ६३.१ | ६४.३ |
| औरंगाबाद (सिडको एन-४) | ६१.८ | ६२.६ |
| नागपूर (शिवाजी नगर) | ६६.१ | ६५.५ |
| कोल्हापूर (जिल्हाधिकारी कार्यालय) | ६३.० | ५८.६ |

*आधार*: महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

## औद्योगिक प्रदूषण

१०.१२५ मार्च, २०१२ अखेर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील ७७,७४६ कारखान्यांपैकी वायू प्रदूषण करणारे २६ टक्के, जलप्रदूषण करणारे २७ टक्के, धोकादायक टाकाऊ पदार्थ निर्माण करणारे सात टक्के तर उर्वरित इतर प्रदूषण करणारे कारखाने होते.

१०.१२६ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील ३१ मार्च, २०११ रोजी एकूण ७५,०८० कारखान्यांपैकी १६ टक्के अतिशय प्रदूषित, २१ टक्के साधारणपणे प्रदूषित तर ६३ टक्के अप्रदूषित होते.

१०.१२७ राज्यातील ९,१७६ कारखान्यांचा समावेश असलेल्या २६ औद्योगिक वसाहतीमध्ये सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्रे कार्यान्वीत करण्यात आली आहेत. मार्च, २०११ अखेरीस सुमारे प्रति दिवशी १,९४७ दशलक्ष लिटर्स दूषित द्रव पदार्थ तयार झाले असून त्यापैकी १,९४६ दशलक्ष लिटर्स प्रति दिवस इतक्या दूषित द्रव पदार्थावर प्रक्रिया करण्यात आली आहे.

## घातक कचरा

१०.१२८ राज्यात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घातक कचरा स्थितीचे संनियंत्रण आणि परिणामकारक व्यवस्थापन करण्याकरिता कक्ष तयार केला आहे. अलिकडच्या माहितीनुसार राज्यामध्ये ५,५११ घातक कचरा निर्माण करणारे कारखाने आहेत. राज्यात ठाणे जिल्हयातील तळोजा व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे ठाणे खाडी किनारपट्टीवरील औद्योगिक क्षेत्र, पुणे जिल्ह्यातील रांजणगाव आणि नागपूर जिल्ह्यातील बुटीबोरी या ठिकाणी घातक टाकाऊ कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सामाईक सुविधा असणा-या चार प्रमुख केंद्रांची उभारणी करण्यात आली आहे. वर्ष निहाय निर्माण झालेला घातक कचरा तक्ता १०.५६ मध्ये दर्शविण्यात आला आहे.

**तक्ता १०.५६ निर्माण झालेला घातक कचरा**

(लाख मे.टन.)

| वर्ष | कच-याचा प्रकार | | | एकूण |
|---|---|---|---|---|
| | जमिनीत पुरण्याजोगे | पुन: प्रक्रिया करण्याजोगे | भस्मीकरण करण्याजोगे | |
| २००९-१० | १.२५ | २.३४ | ०.२५ | ३.८४ |
| २०१०-११ | १.१९ | ०.७६ | ०.२३ | २.१८ |
| २०११-१२ | ३.१३ | ०.९९ | ०.३७ | ४.४९ |

*आधार*: महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

१०.१२९ घातक कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावली अथवा नाही याचा मागोवा घेणे शक्य व्हावे यासाठी घातक कचरा वाहून नेणाऱ्या वाहनांमध्ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) राज्याने अनिवार्य केली आहे. सद्य:स्थितीत १०२ घातक कचरा वाहतूकदारांनी ही प्रणाली आपल्या वाहनांवर बसविली आहे.

## ई-कचरा

१०.१३० ई-कचऱ्याचे व्यवस्थापन ही जागतिक स्तरावरील चिंतेची बाब आहे. मंडळाने पर्यावरणाच्या दृष्टीने परिपूर्ण तंत्रज्ञान असलेल्या १५ उद्योगांना ई-कचरा पुन:प्रक्रियेसाठी अधिकृत केले असून त्यांची एकूण पुन:प्रक्रिया/मोडतोड क्षमता प्रतिवर्षी २०,९६० मे. टन इतकी आहे. मंडळाने प्रतिवर्षी ०.५ लक्ष टन एवढा ई-कचरा निर्माण होण्याचा अंदाज वर्तविला आहे आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासोबत देशातील पहिले एकात्मिक ई-कचरा पुन:प्रक्रिया सुविधा केंद्र सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्त्वावर सुरु करण्याचे निश्चित केले आहे.

## जैव-वैद्यकीय कचरा

१०.१३१ राज्यात एकूण ३५ सामूहिक जैव-वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन व विल्हेवाट केंद्रे कार्यरत असून त्यापैकी ३० केंद्रे भस्मीकरण पध्दतीवर आधारीत व उर्वरीत केंद्रे जमिनीत खोलवर पुरण्याच्या पद्धतीवर आधारित आहेत. सन २०१०-११ मध्ये प्रति दिवशी सरासरी ३१,२०५ किलो इतक्या जैव-वैद्यकीय कच-यावर प्रक्रिया करण्यात आली.

१०.१३२ प्रदूषणाच्या प्रकारानुसार २०१०-११ मध्ये प्रदुषणाच्या प्राप्त तक्रारींची टक्केवारी आलेख १०.१२ मध्ये दर्शविण्यात आली आहे.

**आलेख १०.१२ : २०१०-११ मध्ये प्रदुषणाच्या प्राप्त तक्रारींची टक्केवारी**

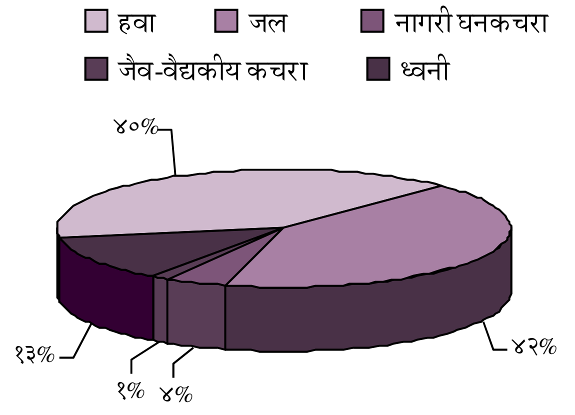


## पर्यावरणविषयक अनुमती

१०.१३३ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ अंतर्गत केंद्र शासनाने महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमसीझेडएमए), राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन प्राधिकरण व राज्य स्तर तज्ञ मूल्यांकन समिती (एसइएसी) पर्यावरणविषयक मान्यता प्रदान करण्यासाठी गठीत केल्या आहेत.

१०.१३४ पर्यावरणविषयक मान्यतेसाठी प्राप्त झालेल्या एकूण प्रस्तावांची संख्या लक्षात घेता राज्य शासनाने प्रस्तावांचे वेगाने संस्करण करण्यासाठी दोन राज्यस्तर तज्ञ मूल्यांकन समित्या गठीत केल्या आहेत. वर्ष २००८ ते २०११ मध्ये पर्यावरणविषयक मान्यतेसाठी प्राप्त झालेल्या एकूण ६९६ प्रस्तावांपैकी बांधकाम क्षेत्रातून ४६६, उद्योग क्षेत्रातून ११४ आणि इतर क्षेत्रातून (विद्युत संयंत्र, खाण व दगड खाणकाम, सिंचन इत्यादी) ११६ प्रस्ताव विचारात घेण्यात आले. त्यापैकी ६०७ प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली असून उर्वरित अनुपालनास्तव प्रलंबित आहेत.

## राष्ट्रीय नदी कृती आराखडा

१०.१३५ देशातील प्रमुख नद्यांचे प्रदूषण कमी करणे हा राष्ट्रीय नदी कृती आराखड्याचा मुख्य उद्देश आहे. राष्ट्रीय नदी कृती आराखडा कार्यक्रमांतर्गत ७० टक्के निधी केंद्र शासनाकडून व उर्वरित ३० टक्के निधी संबंधित राज्य शासन / महानगरपालिका / नगरपालिका यांचेकडून उपलब्ध करुन दिला जातो. या योजनेअंतर्गत त्र्यंबकेश्वर, नाशिक, नांदेड व कराड शहरांतील नद्यांची स्वच्छता करण्याचे काम पार पाडण्यात आले असून त्यापोटी ₹ ७८.७० कोटी इतका खर्च झाला आहे आणि सांगली, कोल्हापूर व प्रकाशा येथील नद्यांच्या स्वच्छतेचे काम प्रगतीपथावर असून त्याची अंदाजित रक्कम ₹ ९३.८० कोटी इतकी आहे.

## राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजना

१०.१३६ सरोवर हे ताज्या पाण्याचा मुख्य स्रोत असल्याने त्याची अवनती रोखण्यासाठी नियोजनबध्द, कायमस्वरुपी आणि शास्त्रशुध्द प्रयत्न करण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून त्यामध्ये केंद्र शासनाचा ७० टक्के तर राज्य शासनाचा ३० टक्के इतका वाटा आहे. या योजनेअंतर्गत १४ तलावांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यापैकी १२ तलावांचे काम पूर्ण झाले असून भिवंडीमधील वारलादेवी तलाव आणि सोलापूर मधील सिध्देश्वर तलाव यांचे काम प्रगतीपथावर आहे. सर्व तलावांसाठी एकूण मंजूर रक्कम ₹ २६.२७ कोटी इतकी असून ₹ २२.४४ कोटी इतका खर्च झाला आहे.

## राज्य सरोवर संवर्धन योजना

१०.१३७ अवनती झालेल्या सरोवरांचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य शासन निधी उपलब्ध करुन देते. या योजनेअंतर्गत १६ तलावांचा समावेश असून काटोल मधील हनुमान तलावाचे काम पूर्ण झाले आहे. यमाई तलाव-पंढरपूर, शार्लेट तलाव-माथेरान, जयसिंगराव तलाव-कागल, देधरगाव तलाव-धुळे, गांधीसागर व सोनेगाव तलाव-नागपूर, पीअर तलाव-नंदुरबार, मोती तलाव-सावंतवाडी आणि गणेश तलाव – मिरज, ऐतवाडे खुर्द तलाव - वाळवा, सांगली, कोट तलाव - ब्रम्हपुरी, वमिल तलाव - वसई, मोतीराम व कावंडल तलाव - पेण व पांढराबोडी तलाव - नागपूर येथील कामे प्रगतिपथावर आहेत. सर्व तलावांसाठी एकूण मंजूर रक्कम ₹ ४९.१८ कोटी इतकी असून फेब्रुवारी, २०१३ अखेर ₹ १३.६२ कोटी इतका खर्च झाला आहे.

# सामाजिक न्याय

१०.१३८ 'सामाजिक न्याय' म्हणजेच समाजातील सर्व घटकांना, विशेषत: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग, अल्पसंख्यांक, अपंग, जेष्ठ नागरीक व मादक द्रव्य दुरुपयोग पिडीत यांना न्याय्य वागणूक आणि सामाजिक लाभांमध्ये समान वाटा मिळणे हा होय. शैक्षणिक तसेच सामाजिक व आर्थिक विकासातील सर्व टप्पे व स्तरांवर दुर्बल घटकांना समाजातील इतर घटकांच्या समान पातळीवर आणण्यासाठी शासनाने विविध विकास कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. राज्य शासन अनुसूचित जातीकरिता 'अनुसूचित जाती उपयोजना' व अनुसूचित जमातीकरिता 'आदिवासी उपयोजना' अशा दोन स्वतंत्र उपयोजना तयार करते. सर्वसाधारण योजना अंतर्गत उपलब्ध करुन दिल्या जाणा-या निधी व लाभाव्यतिरिक्त, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनांद्वारे त्या समुदायातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन दिला जातो.

## अनुसूचित जाती उपयोजना

१०.१३९ १२ व्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ₹ २८,०५० कोटी नियतव्यय निश्चित केला आहे. या नियतव्ययाची राज्याच्या पंचवार्षिक योजनेच्या एकूण नियतव्ययाशी टक्केवारी १०.२ इतकी आहे. सन २०१२-१३ करिता अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ₹४,५९० कोटी इतका नियतव्यय उपलब्ध करुन दिलेला आहे, त्यापैकी राज्यस्तरीय योजनांकरिता ₹ २,९९० कोटी (६० टक्के) तर जिल्हास्तरीय योजनांकरिता ₹ १,६०० कोटी (४० टक्के) इतका नियतव्यय आहे. राज्य व जिल्हा या दोन्ही स्तरावरील सामाजिक व सामुहिक सेवांच्या खर्चाचा मोठा वाटा आहे. या क्षेत्राची शिक्षण, आरोग्य, गृहनिर्माण, पाणीपुरवठा, महिला व बालविकास, मागासवर्गीयांचे कल्याण, इत्यादी प्रमुख उपक्षेत्रे आहेत. सन २०११-१२ मध्ये अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत एकूण १५१ योजना (७५ राज्यस्तरीय व ७६ जिल्हास्तरीय) राबविण्यात आल्या असून, सन २०१२-१३ मध्ये एकूण १७२ योजनांची (८९ राज्यस्तरीय व ८३ जिल्हास्तरीय) अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सन २०११-१२ मध्ये अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत एकूण खर्चापैकी सामाजिक व सामुहिक सेवा या क्षेत्रावर सुमारे ८८ टक्के खर्च झालेला आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योजनांचा नियतव्यय व खर्च तक्ता १०.५७ मध्ये दर्शविला आहे.

**तक्ता १०.५७ अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत नियतव्यय व खर्च**

( ₹ कोटी )

| क्षेत्र | ११ व्या पंचवार्षिक योजनेतील खर्च* | १२ व्या पंचवार्षिक योजनेचा नियतव्यय | २०११-१२ खर्च | २०१२-१३ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | नियतव्यय | खर्च + | नियतव्ययाशी खर्चाची टक्केवारी |
| **अ) राज्यस्तरीय योजना** | **८,८६०.१६** | **१७,८२६.००** | **२,२५२.३५** | **२,९९०.००** | **१,०४१.९७** | **३५** |
| कृषि व संलग्न सेवा | १५६.०४ | ५१९.०६ | १०.३५ | २२.९१ | १.१० | ५ |
| पाटबंधारे व पूर नियंत्रण | ३६७.४४ | ० | ० | ० | ० | ० |
| उर्जा | ३६.२८ | ० | ० | ० | ० | ० |
| उद्योग व खनिजे | ९२.८३ | २८७.५५ | ० | ० | ० | ० |
| सामान्य आर्थिक सेवा | ५७.०० | ३८३.४० | ० | ० | ० | ० |
| सामाजिक व सामुहिक सेवा | ८,१५०.५७ | १६,६३५.९९ | २,२४२.०० | २,९६७.०९ | १,०४०.८७ | ३५ |
| **ब) जिल्हास्तरीय योजना** | **४,४११.७४** | **१०,२२४.००** | **८५९.२७** | **१,६००.००** | **८११.९८** | **५१** |
| कृषि व संलग्न सेवा | ७५३.१२ | १,६२०.८५ | १९४.९४ | २५३.७४ | १४७.२४ | ५८ |
| ग्राम विकास | ११४.७३ | १४५.६६ | १२६.५८ | १४४.०९ | ५४.९७ | ४८ |
| उर्जा | १५८.६० | ३४४.७३ | २५.२७ | ५३.९५ | ० | ० |
| उद्योग व खनिजे | ४३.८४ | १००.२० | ६.८६ | १५.६९ | ५.९५ | ३८ |
| वाहतूक व दळणवळण | ८३.९८ | २३०.७८ | १३.१२ | ३६.१२ | १३.२१ | ३७ |
| सामाजिक व सामुहिक सेवा | ३,२५७.४७ | ७,७८१.७८ | ४९२.५० | १,०९६.४१ | ५९०.६१ | ५४ |
| **एकूण (अ+ ब)** | **१३,२७१.९०** | **२८,०५०.००** | **३,१११.६२** | **४,५९०.००** | **१,८५३.९५** | **४०** |

*आधार* : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन * अस्थायी + डिसेंबर पर्यंत

## आदिवासी उपयोजना

१०.१४० राज्यातील आदिवासी लोकसंख्या ही धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक, ठाणे या पश्चिमेकडील डोंगरी जिल्ह्यांमध्ये (सहयाद्री प्रदेश) व चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, अमरावती व यवतमाळ या पुर्वेकडील जंगलव्याप्त जिल्ह्यांमध्ये (गोंडवाना प्रदेश) मोठया प्रमाणात केंद्रित आहे. भारत सरकारच्या निर्देशानुसार राज्यातील आदिवासी समाजाच्या केंद्रीकरणावर आधारित २४ एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, ४३ सुधारित क्षेत्र विकास खंड (माडा) व २४ लघु सुधारित क्षेत्र विकास खंड (मिनीमाडा) / समुह तयार करण्यात आले आहेत. आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत प्रामुख्याने एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, माडा क्षेत्र व मिनीमाडा / समुह क्षेत्रांमध्ये तसेच आदिवासी क्षेत्राअंतर्गत व क्षेत्राबाहेर असणाऱ्या आदिवासी समाजाला मुलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातात.

१०.१४१ आदिवासी उपयोजनेकरिता १२ व्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत ₹ २४,४७५ कोटी इतका नियतव्यय निश्चित केलेला असून तो राज्याच्या पंचवार्षिक योजनेच्या एकूण नियतव्ययाच्या ८.९ टक्के आहे. सन २०१२-१३ साठी ₹ ४,००५ कोटी इतका नियतव्यय उपलब्ध करुन दिलेला आहे. आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत आदिवासी जनतेस थेट लाभ तसेच वैयक्तिक लाभधारक योजनांचा समावेश केलेला आहे. खावटी कर्ज, कन्यादान योजना, शिष्यवृत्ती योजना, स्वाभिमान योजना, नव संजीवन योजना इत्यादि आदिवासी उपयोजने अंतर्गत काही प्रमुख योजना आहेत. सन २०११-१२ च्या खर्चात सामाजिक व सामुहिक सेवांचा (५९ टक्के) त्या खालोखाल वाहतूक व दळणवळण (१५ टक्के) आणि कृषि व संलग्न सेवा (११ टक्के) यांचा प्रमुख वाटा होता. आदिवासी उपयोजनेवरील नियतव्यय व खर्च तक्ता १०.५८ मध्ये दिला आहे.

**तक्ता १०.५८ आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत नियतव्यय व खर्च**

( ₹ कोटी )

| क्षेत्र | ११ व्या पंचवार्षिक योजनेतील खर्च* | १२ व्या पंचवार्षिक योजनेचा नियतव्यय | २०११-१२ खर्च | २०१२-१३ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | नियतव्यय | खर्च + | नियतव्ययाशी खर्चाची टक्केवारी |
| कृषि व संलग्न सेवा | ५२५.५९ | १,४९४.९७ | ३२८.९९ | २५५.५० | २२७.५४ | ८९ |
| ग्राम विकास | १६९.२७ | ६३८.४२ | १६७.९० | २४६.८४ | १५९.२८ | ६५ |
| पाटबंधारे व पूर नियंत्रण | ९१६.९७ | १,६०६.०६ | २४१.५८ | २४१.८९ | ९५.८८ | ४० |
| उर्जा | २०३.५८ | ४७२.२१ | ६७.२३ | ८०.३५ | २९.५४ | ३७ |
| उद्योग व खनिजे | २.८४ | ४.६८ | ०.२६ | ०.७९ | ०.१० | १३ |
| वाहतूक व दळणवळण | १,३१७.४६ | २,१६२.९३ | ४७०.७७ | ३६६.५३ | १७३.५५ | ४७ |
| सामान्य आर्थिक सेवा | ४५.१२ | १९०.६८ | ५.४० | ११.३२ | ४.३७ | ३९ |
| सामाजिक व सामुहिक सेवा | ७,३२९.२२ | १७,८८८.५५ | १,८२३.७३ | २,६२३.७८ | ९८६.७३ | ३८ |
| इतर कार्यक्रम | २०.०० | १६.५० | ० | ० | ० | ० |
| अविभाजित निधी | ० | ० | ० | १७८.०० | ० | ० |
| **एकूण** | **१०,५३०.०४** | **२४,४७४.९९** | **३,१०५.८६** | **४,००५.००** | **१,६७६.९९** | **४२** |

*आधार:* आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन  * अस्थायी  + डिसेंबर पर्यंत

## विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग आणि विशेष मागासवर्गीयांचे कल्याण

१०.१४२ राज्य शासनामार्फत विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग या समाजघटकांच्या कल्याणार्थ स्वतंत्र संचालनालय स्थापित करण्यात आले. या समाजातील दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी विविध विकास कार्यक्रम राबविण्यात आले. सन २०११-१२ मध्ये ₹ ६३६.६८ कोटी नियतव्यय उपलब्ध केला असून त्यापैकी ₹ ५१४.६३ कोटी निधी खर्च झाला. सन २०१२-१३ करिता ₹ ९७२.६८ कोटी नियतव्यय उपलब्ध करण्यात आला.

## अपंग कल्याण

१०.१४३ अपंगांचे सक्षमीकरण होऊन त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी त्यांच्या क्षमता ओळखणे, कौशल्य विकास, समान संधी देणे, अधिकारांचे रक्षण करणे यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविल्या जातात. शासन सेवेत नियुक्ती तसेच बढतीमध्ये अपंगांना ३ टक्के आरक्षण दिले जाते. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अर्ज करण्यास अपंगांसाठी कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षेपर्यंत शिथिल करण्यात आली आहे.

### अल्पसंख्यांक विकास

१०.१४४ राज्य शासनामार्फत अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी सन २००८ मध्ये स्वतंत्र अल्पसंख्यांक विभाग स्थापन करण्यात आला. सन २०११-१२ मध्ये विविध २६ योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ₹ २७५ कोटी इतका नियतव्यय उपलब्ध करुन दिला, त्यामधून ₹ २२१.२३ कोटी खर्च झाले. १२ व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये अल्पसंख्यांक विभागाचे विविध योजनांकरीता ₹ १,६८५ कोटी इतका नियतव्यय निश्‍चित केला आहे. सन २०१२-१३ मध्ये ₹ २७५ कोटी इतका नियतव्यय उपलब्ध करुन दिला आहे.

## सामाजिक न्याय अंतर्गत महत्त्वपूर्ण योजना

### संजय गांधी निराधार अनुदान योजना

१०.१४५ या योजनेअंतर्गत ६५ वर्षाखालील निराधार व्यक्ती, अनाथ मुले, सर्व प्रकारचे अपंग, क्षयरोग, कर्करोग, एड्स व कुष्ठरोग या सारख्या दुर्धरआजाराने ग्रस्त व्यक्ती, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांसह निराधार विधवा, घटस्फोट प्रक्रियेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळणाऱ्या निराधार महिला, अत्याचारित व वेश्या व्यवसायातून मुक्त झालेल्या महिला, इ. घटकांना लाभ मिळतो. या योजनेखाली ₹ २१,००० पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या पात्र कुटुंबातील एका लाभार्थ्यास प्रतिमहा ₹ ६०० तर दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक लाभार्थी असलेल्या कुटुंबास प्रतिमहा ₹ ९०० इतके आर्थिक सहाय्य दिले जाते .

### श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना

१०.१४६ या योजनेअंतर्गत ६५ वर्षे व त्यावरील निराधार व्यक्ति ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹ २१,००० पेक्षा कमी असेल आणि ज्यांचे नांव दारिद्रय रेषेखालील पात्र कुटुंबाच्या यादीमध्ये समाविष्ट नाही अशा व्यक्तींना राज्य शासनाकडून प्रतिमहा ₹ ६०० निवृत्तीवेतन देण्यात येते. तसेच ६५ वर्षे व त्यावरील निराधार व्यक्ती ज्यांचे नांव दारिद्रय रेषेखालील पात्र कुटुंबाच्या यादीमध्ये समाविष्ट आहे अशा व्यक्तींनादेखील राज्य शासनाकडून प्रतिमहा ₹ ४०० निवृत्तीवेतन देण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेखाली प्रतिमहा ₹ २०० इतके निवृत्तीवेतन देण्यात येते.

### इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना

१०.१४७ या योजनेअंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील ६५ वर्षे व त्यावरील निराधार व्यक्ती पात्र ठरतात. या व्यक्तींना प्रतिमहा एकूण ₹ ६०० निवृत्तीवेतन देण्यात येते, त्यापैकी केंद्र शासनाकडून या योजनेखाली प्रतिमहा ₹ २०० निवृत्तीवेतन देण्यात येते तसेच राज्य शासनाकडून श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेखाली प्रतिमहा ₹ ४०० देण्यात येतात.

### इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना

१०.१४८ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील ४० ते ६४ वर्षे या वयोगटातील विधवा पात्र असून लाभार्थींना केंद्र शासनाकडून प्रतिमहा ₹ २०० निवृत्तीवेतन देण्यात येते, तसेच राज्य शासनाकडून संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत प्रतिमहा ₹ ४०० अनुदान देण्यात येते, असे एकूण प्रतिमहा ₹ ६०० इतके निवृत्तीवेतन लाभार्थींस देण्यात येते.

### इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना

१०.१४९ या योजनेअंतर्गत ८० टक्के व अधिक अपंगत्व असलेल्या १८ ते ६४ या वयोगटातील आणि दारिद्रय रेषेखालील यादीमध्ये समाविष्ट असलेली व्यक्ति पात्र असून अशा लाभार्थींस केंद्र शासनाकडून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत प्रतिमहा ₹ २०० आणि राज्य शासनाकडून संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत प्रतिमहा ₹ ४०० देण्यात येते, असे एकूण प्रतिमहा ₹ ६०० इतके निवृत्तीवेतन लाभार्थींस देण्यात येते.

### राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना

१०.१५० या योजनेअंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील १८ ते ६५ वर्षे वयोगटातील प्रमुख कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास, बाधित कुटुंबास एक रकमी ₹ १०,००० चे सहाय्य देण्यात येते.

### आम आदमी विमा योजना

१०.१५१ ही योजना ग्रामीण भागातील १८ ते ५९ वर्षे वयोगटातील, २.५ एकर सिंचित क्षेत्र किंवा ५ एकर कोरडवाहू क्षेत्र धारण करीत असलेल्या मजुरांसाठी आहे ज्यांना या योजनेसाठी भूमिहीन गृहित धरले जाते. ₹ २०० इतका प्रति सदस्य वार्षिक हप्ता भरण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाकडून प्रत्येकी ५० टक्के अनुदान स्वरुपात दिले जातात. ही योजना भारतीय आयुर्विमा महामंडळामार्फत राबविण्यात येते. नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास आश्‍वासित रक्कम ₹ ३०,००० इतकी आहे आणि अपघात झाल्यास शारिरीक हानीच्या तीव्रतेनुसार ₹ ३७,५०० ते ₹ ७५,००० च्या दरम्यान लाभ मिळतो. याशिवाय, विमा संरक्षित मृत व्यक्तीच्या इयत्ता ९ वी ते १२ वी पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या दोन मुलांना प्रतिमहा प्रत्येकी ₹ १०० इतकी शिष्यवृत्ती मिळते. उपरोक्त योजनांचा तपशील तक्ता १०.५९ मध्ये दिला आहे.

**तक्ता १०.५९ महत्वाच्या योजनांचा तपशील**

(₹ कोटी)

| योजनेचे नांव | २०११-१२ | | २०१२-१३ + | |
|---|---|---|---|---|
| | लाभार्थ्यांची संख्या (लाखात) | खर्च | लाभार्थ्यांची संख्या (लाखात) | खर्च |
| संजय गांधी निराधार अनुदान योजना | ५.८० | ३८९.१५ | ५.६७ | ३६८.१३ |
| श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना | १२.६० | ५५१.७३ | १३.६० | ५८९.७५ |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना | १०.७६ | २५२.१२ | ११.०० | २०६.४१ |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना | ० | ० | ०.२५ | ३.६८ |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना | ० | ० | ०.०४ | ०.६८ |
| राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना | ०.२० | १९.५० | ०.११ | १०.६७ |
| आम आदमी विमा योजना | २४.०० | १३.४९ | ३३.०० | ११.६४ |

*आधार:* सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन + जानेवारी पर्यंत

## नागरी दलित वस्ती सुधार योजना

१०.१५२ मागासवर्गीय व नवबौध्दांची संख्या जास्त असलेल्या नागरी भागांसाठी राज्य शासन 'नागरी दलित वस्ती सुधार योजना' १९९५-९६ पासून राबवित आहे. या योजनेअंतर्गत जोडरस्ता बांधणी, गटारे, पिण्याच्या पाण्यासाठी सुविधा, दवाखाने, पथदिवे, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे व शौचालये, समाजमंदिर, वाचनालय, व्यायामशाळा, सांस्कृतिक केंद्र इत्यादी विकास कामे घेतली जातात. नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत २०११-१२ आणि २०१२-१३ करिता अनुक्रमे ₹ १७७.५५ कोटी आणि ₹ ४०३.१९ कोटी इतकी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

## आदिवासी युवक / युवतींकरिता कौशल्य विकास कार्यक्रम

१०.१५३ या योजनेअंतर्गत आदिवासी युवक / युवतींची विविध कौशल्ये व ज्ञानाचा विकास करुन आर्थिक वृध्दी आणि सामाजिक विकासामध्ये सहभाग करण्याचा अंतर्भाव आहे. आदिवासी युवक / युवतींना कृषि व लागवड विषयक, वस्त्रोद्योग, मोटार वाहने, किरकोळ व्यापार, माहिती तंत्रज्ञान, आदरातिथ्य, मानव संसाधन विकास व आरोग्य संवर्धन इ. क्षेत्रातील प्रशिक्षण दिले जाईल. सन २०१२-१३ मध्ये ₹ ३० कोटीची तरतूद करण्यात आली असून त्याद्वारे एक लाख युवक / युवतींना प्रशिक्षणाचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.

## संस्थात्मक रचना

१०.१५४ समाजातील आर्थिकदृष्टया मागास वर्गाच्या आर्थिक विकासास चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने खालील महामंडळांची स्थापना केली असून त्यांच्यामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात.

## संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादित

१०.१५५ चर्मकार समाजाच्या विकासासाठी हे महामंडळ स्थापन करण्यात आले असून, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त आणि विकास महामंडळ (एनएसएफडीसी) अंतर्गत विविध योजना राबविण्यासाठी या महामंडळास राज्याची वाहिनीकृत यंत्रणा म्हणून प्राधिकृत केले आहे. महामंडळाचे भागभांडवल ₹ ७३.२१ कोटी आहे. महामंडळाची मुख्य कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.

- चर्मोद्योगात कार्यरत असणा-यांसाठी कच्च्या मालाचे प्रापण व पुरवठा यांची व्यवस्था करणे तसेच त्यांच्या मालाच्या उत्पादनासाठी आवश्यक व्यवस्था करणे.
- देशांतर्गत व विदेशातील बाजारांमध्ये तयार मालाच्या विक्रीसाठी मध्यस्थ म्हणून काम करणे तसेच त्यांना आवश्यक सहाय्य करणे.
- उत्पादन आणि पणन याबाबतच्या प्रशिक्षण सुविधा पुरविणे.

संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादित तर्फे राबविल्या जाणा-या महत्त्वाच्या योजनांची प्रगती तक्ता १०.६० मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.६० संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादित तर्फे राबविल्या जाणा-या महत्त्वाच्या योजनांची प्रगती**

(₹ लाख)

| योजनेचे नांव | २०११-१२ | | २०१२-१३ + | |
|---|---|---|---|---|
| | लाभार्थ्यांची संख्या | वितरित रक्कम | लाभार्थ्यांची संख्या | वितरित रक्कम |
| वीस टक्के बीज भांडवल | १५९ | १४.७० | ८७ | ७.५४ |
| मुदत कर्ज | ३९४ | ३८.४० | ४५० | ४०.०० |
| पन्नास टक्के अनुदान | ५६३ | ५६.०४ | १९४ | १९.३२ |
| सुक्ष्म पतपुरवठा | १,२४८ | १२४.८० | १,५१४ | १५१.४० |
| *महिला समृध्दी योजना* | ७५८ | ७५.८० | १३३ | १३.३० |
| *महिला किसान योजना* | ७९ | ७.९० | ७६ | ७.६० |

*आधार* : संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादित + डिसेंबर पर्यंत

## लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्यादित

१०.१५६ राज्य शासनाने मातंग समाज व १२ उपजातींच्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासासाठी लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्यादितची स्थापना केली आहे. सध्या या महामंडळाचे भाग भांडवल ₹ ७५ कोटी असून, त्यापैकी राज्य शासनाचा हिस्सा ५१ टक्के आणि केंद्र शासनाचा हिस्सा ४९ टक्के इतका आहे. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ हे एनएसएफडीसी ची राज्यासाठी वाहिनीकृत यंत्रणा म्हणूनही काम करते. या महामंडळाकडील महत्त्वाच्या योजनांची प्रगती तक्ता १०.६१ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.६१ लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्यादित तर्फे राबविल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या योजनांची प्रगती**

(₹ लाख)

| योजनेचे नांव | २०११-१२ | | २०१२-१३ + | |
|---|---|---|---|---|
| | लाभार्थ्यांची संख्या | वितरित रक्कम | लाभार्थ्यांची संख्या | वितरित रक्कम |
| बीज भांडवल योजना | ८४६ | ३५६.२९ | ५८० | ४२८.७३ |
| अनुदान योजना | ५,४४० | ५४४.०० | ३५४ | १४०.०५ |
| एन्एस्एफ्डीसी योजना @ | ५९९ | ४०९.४५ | ५५४ | ३८१.२८ |

*आधार* : लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्यादित + डिसेंबर पर्यंत

@- मुदत कर्ज, महिला समृध्दी, सुक्ष्म पतपुरवठा व शैक्षणिक कर्ज.

## महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ मर्यादित

१०.१५७ अनुसूचित जाती आणि नवबौध्दांच्या आर्थिक विकासासाठी राज्य शासनाने महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ मर्यादितची स्थापना केली. सध्या या महामंडळाचे अधिकृत भाग भांडवल ₹ ५०० कोटी असून, त्यापैकी राज्य शासनाचा हिस्सा ५१ टक्के आणि केंद्र शासनाचा हिस्सा ४९ टक्के इतका आहे. या महामंडळामार्फत मार्जिन मनी योजना, विशेष केंद्र सहाय्यित योजनेअंतर्गत योजना व एनएसएफडीसी च्या योजना राबविल्या जातात. महामंडळामार्फत राबविलेल्या काही महत्त्वाच्या योजनांची प्रगती तक्ता १०.६२ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.६२ महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ मर्यादित तर्फे राबविल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या योजनांची प्रगती**

(₹ लाख)

| योजनेचे नांव | २०११-१२ | | २०१२-१३ + | |
|---|---|---|---|---|
| | लाभार्थ्यांची संख्या | वितरित रक्कम | लाभार्थ्यांची संख्या | वितरित रक्कम |
| बीज भांडवल योजना | १,४९२ | ६५७.६६ | ६४३ | २९६.१६ |
| पन्नास टक्के अनुदान योजना | ३,७०५ | ८१६.४२ | ० | ० |
| एन्एस्एफ्डीसी योजना @ | ३,४८५ | ४,७२१.६२ | १,४७८ | १,६४८.४४ |

*आधार* : महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ मर्यादित . + डिसेंबर पर्यंत

@- मुदत कर्ज, महिला समृध्दी, सुक्ष्म पतपुरवठा व शैक्षणिक कर्ज.

## शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित

१०.१५८ आदिवासी समाजाच्या आर्थिक कल्याणासाठी राज्य शासनाने शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादितची स्थापना केली आहे. या महामंडळाचे ₹ २०० कोटी इतके भाग भांडवल असून, त्यात राज्य शासनाचा हिस्सा ५१ टक्के आणि केंद्र शासनाचा हिस्सा ४९ टक्के आहे. महामंडळामार्फत राष्ट्रीय आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या (एनएसटीएफडीसी) विविध योजना राबविल्या जातात. महामंडळामार्फत राबविल्या जाणा-या योजनांची प्रगती तक्ता १०.६३ मध्ये दर्शविण्यात आली आहे.

**तक्ता १०.६३ शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत राबविलेल्या योजनांची प्रगती**

(₹ लाख )

| योजनेचे नाव | २०१०-११ | | २०११-१२ | |
|---|---|---|---|---|
| | लाभार्थी संख्या | वितरित कर्जे | लाभार्थी संख्या | वितरित कर्जे |
| एनएसटीएफडीसी योजना | ७४२ | ४७५.९३ | २२३ | ४६१.२४ |
| एनएसटीएफडीसी महिला सबलीकरण योजना | ४६ | २१.३५ | ३३ | ७.०४ |
| शबरी महामंडळाची योजना | १४७ | ५९.४६ | ४९ | १४.९१ |

*आधार* : शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित

## वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ मर्यादित

१०.१५९ विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या आर्थिक उन्नतीसाठी व विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ मर्यादितची स्थापना करण्यात आली आहे. या महामंडळाचे भागभांडवल ₹ २०० कोटी असून, भरणा केलेले भागभांडवल ₹ १६१.२८ कोटी आहे. या महामंडळामार्फत बीज भांडवल योजना राबविली जाते. सन २०११-१२ मध्ये या योजनेअंतर्गत वितरित कर्ज ₹ ७.१२ कोटी असून लाभार्थ्यांची संख्या ८४९ इतकी होती. सन २०१२-१३ मध्ये (डिसेंबर पर्यंत) ₹ ३० कोटी प्राप्त निधीतून १,८०० लाभार्थींना लाभ देण्यात आला. या महामंडळास राष्ट्रीय मागासवर्ग व वित्तीय विकास महामंडळ (एनबीसीएफडीसी) कडील योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील वाहिनीकृत यंत्रणा म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले आहे. सन २०११-१२ मध्ये ₹ १० कोटी प्राप्त निधीमधून ५,००० लाभार्थ्यांना कर्ज वितरीत करण्यात आले. सन २०१२-१३ (डिसेंबर पर्यंत) मध्ये ₹ २ कोटी प्राप्त निधीतून ६२० लाभार्थ्यांना कर्ज वितरीत करण्यात आले.

## महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित

१०.१६० राज्यातील इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादितची स्थापना करण्यात आली. या महामंडळाचे अधिकृत भाग भांडवल ₹ २५० कोटी आहे. हे महामंडळ राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळाची (एनबीसीएफडीसी) राज्यातील वाहिनीकृत यंत्रणा म्हणूनही कार्य करते. महामंडळामार्फत राबविलेल्या महत्त्वाच्या योजनांची प्रगती तक्ता १०.६४ मध्ये दर्शविली आहे.

**तक्ता १०.६४ महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित तर्फे राबविल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या योजनांची प्रगती**

(₹ लाख)

| योजनेचे नाव | २०११-१२ | | २०१२-१३ + | |
|---|---|---|---|---|
| | लाभार्थ्यांची संख्या | वितरित रक्कम | लाभार्थ्यांची संख्या | वितरित रक्कम |
| वीस टक्के बीज भांडवल | ४१४ | १६०.०० | २२६ | ८६.९१ |
| मुदत कर्ज | ७८९ | ९३२.६९ | ६५७ | ९९२.३७ |
| मार्जिन मनी | ११ | २२.१७ | १३ | २३.८० |
| सुक्ष्म पतपुरवठा | २० | ३.८० | ० | ० |
| महिला समृध्दी | ११९ | ९.०० | ० | ० |
| स्वर्णिमा | १६ | ८.०० | ११ | ६.०० |
| शैक्षणिक कर्ज | ४० | १४.५४ | १४५ | ४०.३३ |

*आधार* : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित + डिसेंबर पर्यंत

## महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित

१०.१६१ अपंगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्यात महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित ची स्थापना करण्यात आली आहे. हे महामंडळ राष्ट्रीय अपंग वित्त व विकास महामंडळाची राज्यासाठी वाहिनीकृत यंत्रणा म्हणूनही कार्य करते. या महामंडळामार्फत महिला समृध्दी, सुक्ष्म पतपुरवठा, मुदत कर्ज, कृषि संजीवनी, इत्यादी योजना राबविल्या जातात. सन २०११-१२ आणि २०१२-१३ मध्ये (डिसेंबर पर्यंत) राज्य शासनाच्या योजनांसाठी ₹ १११.२० लाखाचे कर्ज ५५६ लाभार्थ्यांमध्ये वाटप करण्यात आले, तसेच राष्ट्रीय अपंग वित्त व विकास महामंडळाच्या योजनांसाठी ₹ ७५९.३३ लाखाचे कर्ज ७४९ लाभार्थ्यांमध्ये वाटप करण्यात आले.

## मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ

१०.१६२ राज्य शासनामार्फत अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. सदर महामंडळ अल्पसंख्याकांना स्वयंरोजगार, शिक्षण, इत्यादी साठी कर्ज पुरविण्याचे काम करते. या महामंडळाचे भाग भांडवल ₹ २५० कोटी आहे. हे महामंडळ मौलाना आझाद थेट कर्ज योजना, उन्नती मुदत कर्ज, महिला समृध्दी व शैक्षणिक कर्ज या सारख्या योजना राबविते. महामंडळाच्या स्थापनेपासून (२००१) विविध योजनेअंतर्गत ७३,९५२ इतक्या लाभार्थ्यांना ₹ ३४७.६९ कोटी कर्ज मंजूर करण्यात आले, त्यापैकी फेब्रुवारी, २०१३ पर्यंत ५१,७५८ लाभार्थ्यांना ₹ २०९.७५ कोटी कर्ज वितरीत करण्यात आले.

*******

# परिशिष्ट १०.१

## राज्यनिहाय संयुक्त शिक्षणाचे विकास निर्देशांक
## सर्व शाळा : सर्व व्यवस्थापन

| अ. क्र. | राज्य / केंद्रशासित प्रदेश | प्राथमिक स्तर | | | | उच्च प्राथमिक स्तर | | | | संयुक्त स्तर | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | २००९-१० | | २०१०-११ | | २००९-१० | | २०१०-११ | | २००९-१० | | २०१०-११ | |
| | | शिविनि | श्रेणी | शिविनि | श्रेणी | शिविनि | श्रेणी | शिविनि | श्रेणी | शिविनि | श्रेणी | शिविनि | श्रेणी |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) | (१४) |
| १ | अंदमान व निकोबार | ०.६६३ | ५ | ०.६१६ | २५ | ०.८२९ | ४ | ०.८१४ | ९ | ०.७४६ | ४ | ०.७१५ | १८ |
| २ | आंध्र प्रदेश | ०.५६१ | १७ | ०.७१४ | १४ | ०.७६२ | १२ | ०.८२० | ८ | ०.६६२ | १४ | ०.७६७ | ९ |
| ३ | अरुणाचल प्रदेश | ०.३२८ | ३५ | ०.५७३ | ३१ | ०.६२० | २५ | ०.६२४ | २६ | ०.४७४ | ३१ | ०.५९८ | ३१ |
| ४ | आसाम | ०.३८६ | ३१ | ०.५०४ | ३५ | ०.५०३ | ३२ | ०.६०७ | २७ | ०.४४५ | ३२ | ०.५५५ | ३३ |
| ५ | बिहार | ०.३७५ | ३२ | ०.५२३ | ३४ | ०.४६६ | ३५ | ०.५०२ | ३५ | ०.४२१ | ३५ | ०.५१२ | ३५ |
| ६ | चंदिगड | ०.६५५ | ७ | ०.७६० | ६ | ०.८१४ | ५ | ०.८०४ | ११ | ०.७३५ | ६ | ०.७८२ | ८ |
| ७ | छत्तीसगड | ०.४३९ | २६ | ०.६१८ | २४ | ०.५५८ | २७ | ०.६०४ | २९ | ०.४९८ | २७ | ०.६११ | २६ |
| ८ | दादरा व नगर हवेली | ०.४९३ | २२ | ०.६२९ | २२ | ०.७१० | १९ | ०.६९१ | २० | ०.६०२ | २० | ०.६६० | २२ |
| ९ | दमण व दिव | ०.६१२ | ९ | ०.७४४ | ८ | ०.७८२ | १० | ०.८५२ | ४ | ०.६९७ | ९ | ०.७९८ | ६ |
| १० | दिल्ली | ०.६५१ | ८ | ०.७५७ | ७ | ०.७९० | ८ | ०.७७५ | १४ | ०.७२० | ८ | ०.७६६ | १० |
| ११ | गोवा | ०.६०२ | ११ | ०.७१७ | १२ | ०.७८३ | ९ | ०.७८० | १३ | ०.६९२ | १० | ०.७४८ | १२ |
| १२. | गुजरात | ०.५८४ | १३ | ०.७२० | १० | ०.७३० | १८ | ०.७५७ | १६ | ०.६५७ | १५ | ०.७३९ | १४ |
| १३ | हरियाणा | ०.५९० | १२ | ०.७१४ | १३ | ०.७७० | ११ | ०.८०९ | १० | ०.६८० | ११ | ०.७६१ | ११ |
| १४ | हिमाचल प्रदेश | ०.५६७ | १६ | ०.६९८ | १६ | ०.७४१ | १६ | ०.७८१ | १२ | ०.६५४ | १७ | ०.७३९ | १३ |
| १५ | जम्मू व काश्मीर | ०.४०४ | ३० | ०.६४९ | २१ | ०.६२१ | २४ | ०.७०८ | १९ | ०.५१२ | २५ | ०.६७९ | १९ |
| १६ | झारखंड | ०.३६३ | ३४ | ०.५३८ | ३३ | ०.५०० | ३४ | ०.५२० | ३४ | ०.४३१ | ३४ | ०.५२९ | ३४ |
| १७ | कर्नाटक | ०.५६९ | १५ | ०.७१९ | ११ | ०.७४३ | १५ | ०.७४६ | १७ | ०.६५६ | १६ | ०.७३२ | १५ |
| १८ | केरळ | ०.७०० | ३ | ०.७३६ | ९ | ०.८४४ | ३ | ०.८७२ | ३ | ०.७७२ | ३ | ०.८०४ | ५ |
| १९ | लक्षद्विप | ०.७०४ | २ | ०.८०३ | ३ | ०.८८७ | २ | ०.८९५ | २ | ०.७९५ | २ | ०.८४९ | २ |
| २० | मध्य प्रदेश | ०.४३३ | २७ | ०.५९३ | ३० | ०.५४० | २८ | ०.५८७ | ३२ | ०.४८६ | ३० | ०.५९० | ३२ |
| २१ | महाराष्ट्र | ०.५७६ | १४ | ०.७०४ | १५ | ०.७५० | १३ | ०.७४० | १८ | ०.६६३ | १३ | ०.७२२ | १७ |
| २२ | मणिपूर | ०.४११ | २९ | ०.५५६ | ३२ | ०.६२७ | २३ | ०.६८४ | २२ | ०.५१९ | २४ | ०.६२० | २५ |
| २३ | मेघालय | ०.३६५ | ३३ | ०.६०१ | २८ | ०.५०१ | ३३ | ०.५९८ | ३१ | ०.४३३ | ३३ | ०.६०० | ३० |
| २४ | मिझोराम | ०.५४४ | १९ | ०.६९४ | १७ | ०.७३८ | १७ | ०.७६० | १५ | ०.६४१ | १८ | ०.७२७ | १६ |
| २५ | नागालँड | ०.५४९ | १८ | ०.६५९ | २० | ०.६९९ | २० | ०.६८८ | २१ | ०.६२४ | १९ | ०.६७४ | २० |
| २६ | ओरिसा | ०.४६८ | २३ | ०.६०६ | २६ | ०.५२४ | ३० | ०.६०६ | २८ | ०.४९६ | २८ | ०.६०६ | २८ |
| २७ | पॉन्डेचरी | ०.७३६ | १ | ०.८३७ | १ | ०.८९१ | १ | ०.९०४ | १ | ०.८१३ | १ | ०.८७० | १ |
| २८ | पंजाब | ०.६५६ | ६ | ०.७७८ | ४ | ०.८०३ | ७ | ०.८५२ | ५ | ०.७३० | ७ | ०.८१५ | ३ |
| २९ | राजस्थान | ०.४५८ | २५ | ०.६०५ | २७ | ०.६२९ | २२ | ०.६४१ | २५ | ०.५४४ | २२ | ०.६२३ | २४ |
| ३० | सिक्कीम | ०.६०८ | १० | ०.७६४ | ५ | ०.७४८ | १४ | ०.८२५ | ६ | ०.६७८ | १२ | ०.७९५ | ७ |
| ३१ | तामिळनाडू | ०.६७७ | ४ | ०.८०८ | २ | ०.८११ | ६ | ०.८२२ | ७ | ०.७४४ | ५ | ०.८१५ | ४ |
| ३२ | त्रिपुरा | ०.४१५ | २८ | ०.५९७ | २९ | ०.५६७ | २६ | ०.६७१ | २३ | ०.४९१ | २९ | ०.६३४ | २३ |
| ३३ | उत्तर प्रदेश | ०.५३४ | २१ | ०.६७२ | १९ | ०.५११ | ३१ | ०.५३९ | ३३ | ०.५२३ | २३ | ०.६०६ | २९ |
| ३४ | उत्तराखंड | ०.५३८ | २० | ०.६७५ | १८ | ०.६३६ | २१ | ०.६६४ | २४ | ०.५८७ | २१ | ०.६७० | २१ |
| ३५ | पश्चिम बंगाल | ०.४६७ | २४ | ०.६१९ | २३ | ०.५४० | २९ | ०.६०१ | ३० | ०.५०३ | २६ | ०.६१० | २७ |

आधार - एलीमेंटरी एज्युकेशन इन इंडीया प्रोग्रेस टुवर्डस् युईई रिपोर्ट (३० सप्टेंबर, २०१० रोजी )

## परिशिष्ट १०.२

## राज्यातील वर्ष २०१२-१३ मधील आरोग्य विज्ञान महाविद्यालये/संस्थांची संख्या व त्यातील प्रवेशित विद्यार्थी

| अ.क्र. | विद्याशाखा | शासकीय | | शासन अनुदानित | | विना अनुदानित | | एकूण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संस्था | प्रवेशित विद्यार्थी | संस्था | प्रवेशित विद्यार्थी | संस्था | प्रवेशित विद्यार्थी | संस्था | प्रवेशित विद्यार्थी |
| | (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) |
| **१.** | **ॲलोपॅथी** | | | | | | | | |
| | १.१ पदवी | १९ | २,१९७ | १ | १०० | १३ | १,३६९ | ३३ | ३,६६६ |
| | १.२ पदव्युत्तर | १९ | १,४९४ | १ | ६५ | १४ | २४४ | ३४ | १,८०३ |
| **२.** | **आयुर्वेदिक** | | | | | | | | |
| | २.१ पदवी | ४ | २२० | १६ | ७०० | ४१ | १,५९० | ६१ | २,५१० |
| | २.२ पदव्युत्तर | ३ | ६५ | ७ | ७७ | १० | ३५८ | २० | ५०० |
| **३.** | **होमिओपॅथी** | | | | | | | | |
| | ३.१ पदवी | - | - | - | - | ४४ | ३,११८ | ४४ | ३,११८ |
| | ३.२ पदव्युत्तर | - | - | - | - | १४ | २९० | १४ | २९० |
| **४.** | **युनानी** | | | | | | | | |
| | ४.१ पदवी | - | - | ३ | ११० | ३ | १०० | ६ | २१० |
| | ४.२ पदव्युत्तर | - | - | १ | १५ | - | - | १ | १५ |
| **५.** | **दंत चिकित्सा** | | | | | | | | |
| | ५.१ पदवी | ४ | २४० | - | - | २५ | १,८३५ | २९ | २,०७५ |
| | ५.२ पदव्युत्तर | ५ | ६२ | - | - | १६ | २८७ | २१ | ३४९ |

आधार - महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक

# परिशिष्ट १०.३

## राज्यातील वर्ष २०१२-१३ मधील तंत्र, कला शिक्षणाची महाविद्यालये/संस्थांची संख्या, त्यांची प्रवेशक्षमता व प्रवेश दिलेले विद्यार्थी

| अ.क्र. | विद्याशाखा | शासकीय | | | शासन अनुदानित | | | विना अनुदानित | | | एकूण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संस्था | प्रवेश क्षमता | प्रवेश दिलेले विद्यार्थी | संस्था | प्रवेश क्षमता | प्रवेश दिलेले विद्यार्थी | संस्था | प्रवेश क्षमता | प्रवेश दिलेले विद्यार्थी | संस्था | प्रवेश क्षमता | प्रवेश दिलेले विद्यार्थी |
| | (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) |
| **१.** | **अभियांत्रिकी** | | | | | | | | | | | | |
| | १.१ पदविका | ४३ | १९,६०५ | १७,८६८ | १८ | ४,५३० | ४,४२५ | ३८१ | १,३७,९३२ | ८९,९५३ | ४४२ | १,६२,०६७ | १,१२,२४६ |
| | १.२ पदवी | ७ | २,७४० | २,८८४ | ९ | ३,१२९ | ३,१८५ | ३४४ | १,४२,३६५ | १,०६,८४६ | ३६० | १,४८,२३४ | १,१२,९१५ |
| | १.३ पदव्युत्तर | ५ | ८५८ | ७०० | ९ | १,१७७ | ९१५ | १८८ | ११,१९७ | १०,२६६ | २०२ | १३,२३२ | ११,८८१ |
| **२.** | **वास्तुशास्त्र** | | | | | | | | | | | | |
| | २.१ पदविका | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | २.२ पदवी | १ | ६० | ५१ | ३ | १६७ | १६५ | ५१ | ३,२०० | १,९१८ | ५५ | ३,४२७ | २,१३४ |
| | २.३ पदव्युत्तर | - | - | - | - | - | - | १३ | ५१० | ५६ | १३ | ५१० | ५६ |
| **३.** | **व्यवस्थापन शास्त्र** | | | | | | | | | | | | |
| | ३.१ एमएमएस/ एमबीए | २ | २४० | २०१ | १४ | १०८० | ९१७ | ३९४ | ४५,८८५ | ३२,२११ | ४१० | ४७,२०५ | ३३,३२९ |
| | ३.२ पीजीडीएम | - | - | - | ३ | २३५ | २०० | ९५ | १२,६६० | ७,४३८ | ९८ | १२,८९५ | ७,६३८ |
| **४.** | **हॉटेल व्यवस्थापन व खाद्यपेय व्यवस्था तंत्रज्ञान** | | | | | | | | | | | | |
| | ४.१ पदविका | २ | १२० | १२० | - | - | - | १४ | ८८० | ५२१ | १६ | १,००० | ६४१ |
| | ४.२ पदवी | - | - | - | १ | ४० | २४ | ९ | ४९० | ३०३ | १० | ५३० | ३२७ |
| | ४.२ पदव्युत्तर | - | - | - | - | - | - | १ | २४ | १३ | १ | २४ | १३ |
| **५.** | **औषध निर्माणशास्त्र** | | | | | | | | | | | | |
| | ५.१ पदविका | ४ | २१० | २७७ | २० | १,२४० | १,१७७ | १७४ | १०,७९७ | ९,७३८ | १९८ | १२,२४७ | ११,१९२ |
| | ५.२ पदवी | ४ | २२० | २१२ | ६ | ३०० | २९१ | १४० | ९,३२० | ८,२८२ | १५० | ९,८४० | ८,७८५ |
| | ५.३ पदव्युत्तर | ३ | ८२ | ७८ | ७ | ३६२ | २७१ | १०५ | ४,६०७ | २,६१० | ११५ | ५,०५१ | २,९५९ |
| | ५.४ फार्मा. डी. | २ | ६० | ६० | - | - | - | - | - | - | २ | ६० | ६० |
| **६.** | **मास्टर इन कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन** | २ | ९० | ९० | ८ | ४५० | ४०२ | १३५ | १२,८१० | ८,८१९ | १४५ | १३,३५० | ९,३११ |
| **७.** | **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था** | ४१६ | १,१३,७६६ | १,१७, ६११ | - | - | - | ३५० | ४०,९४४ | ३९,९६२ | ७६६ | १,५४,७१० | १,५७,५२३ |

(पुढे चालू)

## परिशिष्ट १०.३ (समाप्त)

## राज्यातील वर्ष २०१२-१३ मधील तंत्र, कला शिक्षणाची महाविद्यालये/संस्थांची संख्या, त्यांची प्रवेशक्षमता व प्रवेश दिलेले विद्यार्थी

| अ.क्र. | विद्याशाखा | शासकीय | | | शासन अनुदानित / विना अनुदानित | | | एकूण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संस्था | प्रवेश क्षमता | प्रवेश दिलेले विद्यार्थी | संस्था | प्रवेश क्षमता | प्रवेश दिलेले विद्यार्थी | संस्था | प्रवेश क्षमता | प्रवेश दिलेले विद्यार्थी |
| | (१) | (१४) | (१५) | (१६) | (१७) | (१८) | (१९) | (२०) | (२१) | (२२) |
| **८.** | ***ललित कला*** | | | | | | | | | |
| | ८.१ पदविका | ३ | २२० | २१७ | २०३ | १०,५६५ | ४,७६५ | २०६ | १०,७८५ | ४,९८२ |
| | मूलभूत, कला शिक्षक प्रशिक्षण, रेखाकला व रंगकला, उपयोजित कला, शिल्पकला व प्रतिमानबंध इंटिरिअर डेकोरेशन, वस्त्रकाम, धातूकाम, मातकाम, ए.एम. व डीप. ए.एड. | | | | | | | | | |
| | ८.२ पदवी | ४ | १,१६० | १,१५३ | -- | -- | -- | ४ | १,१६० | १,१५३ |
| | रेखाकला व रंगकला, शिल्पकला, कला व शिल्प, उपयोजित कला | | | | | | | | | |
| | ८.३ पदव्युत्तर एम.एफ.ए. (पेंटिंग), एम.एफ.ए. (उपयोजित कला) | २ | ५४ | ५४ | -- | -- | -- | २ | ५४ | ५४ |

आधार - (१) तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई
(२) व्यवसाय शिक्षण संचालनालय, मुंबई
(३) कला संचालनालय, मुंबई

# परिशिष्ट १०.४

## महाराष्ट्र राज्यातील उपलब्ध वैद्यकीय सुविधा
## (सार्वजनिक आणि शासन सहाय्यित)

| अ. क्र. | वर्ष | रुग्णालये (संख्या ) | दवाखाने (संख्या ) | प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (संख्या ) | प्राथमिक आरोग्य पथके (संख्या ) | क्षयरोग रुग्णालये आणि रुग्ण चिकित्सालये (संख्या ) | संस्थांतील@@ खाटा (संख्या ) | दर लाख @ लोकसंख्येमागे खाटा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) |
| १ | १९७१ | २९९ | १,३७२ | ३८८ | १ | ७२ | ४३,८२३ | ८८ |
| २ | १९८१ | ५३० | १,७७६ | ४५४ | ४०० | ९० | ७१,३८५ | ११४ |
| ३ | १९९१ | ७६८ | १,८९६ | १,६७२ | ८१ | १,९७७ | १,०९,२६७ | १४४ |
| ४ | २००१ | ९८१ | १,६२९ | १,७६८ | १६९ | २,५२० | १,०१,६७० | १०५ |
| ५ | २००२ | ९६४ | २,०८१ | १,८०६ | १७४ | २,५२० | ९२,१०६ | ९३ |
| ६ | २००३ | ९४५ | २,०१९ | १,८०७ | १७७ | २,५२० | ९२,४७२ | ९२ |
| ७ | २००४ | १,०२८ $ | २,०५८ | १,८०७ | १७७ | २,५२० | ९६,४६४ $ | ९३ |
| ८ | २००५ | १,०४७ | २,०७२ | १,८०९ | १७७ | २,५२० | ९५,७६२ $$ | ९२ |
| ९ | २००६ | १,०५४ | २,०७२ | १,८१२ | १७७ | २,५२० | ९५,११५ $$ | ९० |
| १० | २००७ | १,०९९ | २,०७२ | १,८१६ | १७७ | २,५२० | ९४,६०३ $$ | ८८ |
| ११ | २००८ | १,१८१ | २,०७२ | १,८१६ | १७७ | २,५२० | १,००,२४९ | ९१ |
| १२ | २००९ | १,१७८ | २,९०४ | १,८१६ | १९१ | २,५२० | १,०८,८०६ | ९८ |
| १३ | २०१० | १,२६४ | २,९२४ | १,८१६ | १९१ | २,५२० | १,१५,७०४ | १०२ |
| १४ | २०११ | १,३६८ | ३,०१२ | १,८१६ | १९१ | २,५२० | १,१८,११६ | १०३ |
| १५ | २०१२ | १,३९३ | ३,०८७ | १,८१६ | १९३ | २,५२० | १,१९,३५५ | १०६ |

आधार - राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

@@ फक्त सार्वजनिक व शासन सहाय्यित रुग्णालयातील खाटांचा समावेश आहे. खाजगी रुग्णालयातील खाटांचा समावेश केलेला नाही.
@ संबंधित वर्षाच्या मध्याकरिता अंदाजित लोकसंख्येवर आधारित आहे.
$ महाराष्ट्र आरोग्यसेवा विकास प्रकल्पांतर्गत रुग्णालये कार्यान्वित झाल्यामुळे संख्या वाढली आहे.
$$ बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची काही प्रसूतीगृहे व राज्यातील काही प्रसूतीपश्चात दक्षता केंद्रे बंद झाल्यामुळे.

## परिशिष्ट १०.५

## महाराष्ट्र राज्याचे नमुना नोंदणी पाहणीवर आधारित जन्मदर, मृत्युदर, अर्भकमृत्युदर व एकूण जननदर

| वर्ष | जन्मदर | | | मृत्युदर | | | अर्भकमृत्युदर | | | एकूण जननदर | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ग्रामीण | नागरी | एकूण | ग्रामीण | नागरी | एकूण | ग्रामीण | नागरी | एकूण | ग्रामीण | नागरी | एकूण |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) |
| १९७१ | ३३.७ | २९.० | ३२.२ | १३.५ | ९.७ | १२.३ | १११ | ८८ | १०५ | ४.९ | ३.९ | ४.६ |
| | (३८.९) | (३०.१) | (३६.९) | (१६.४) | (९.७) | (१४.९) | (१३८) | (८२) | (१२९) | (५.४) | (४.१) | (५.२) |
| १९८१ | ३०.४ | २४.५ | २८.५ | १०.६ | ७.४ | ९.६ | ९० | ४९ | ७९ | ४.० | ३.० | ३.७ |
| | (३५.६) | (२७.०) | (३३.९) | (१३.७) | (७.८) | (१२.५) | (११९) | (६२) | (११०) | (४.८) | (३.३) | (४.५) |
| १९९१ * | २८.० | २२.९ | २६.२ | ९.३ | ६.२ | ८.२ | ६९ | ३८ | ६० | ३.४ | २.५ | ३.० |
| | (३०.९) | (२४.३) | (२९.५) | (१०.६) | (७.१) | (९.८) | (८७) | (५३) | (८०) | (३.९) | (२.७) | (३.६) |
| २००१ | २१.१ | २०.२ | २०.७ | ८.५ | ५.९ | ७.५ | ५५ | २८ | ४५ | २.६ | २.२ | २.४ |
| | (२७.१) | (२०.३) | (२५.४) | (९.१) | (६.३) | (८.४) | (७२) | (४२) | (६६) | (३.४) | (२.३) | (३.१) |
| २००६ | १९.२ | १७.५ | १८.५ | ७.४ | ५.८ | ६.७ | ४२ | २६ | ३५ | २.३ | १.८ | २.१ |
| | (२५.२) | (१८.८) | (२३.५) | (८.१) | (६.०) | (७.५) | (६२) | (३९) | (५७) | (३.१) | (२.०) | (२.८) |
| २००७ | १८.७ | १७.३ | १८.१ | ७.३ | ५.७ | ६.६ | ४१ | २४ | ३४ | २.२ | १.८ | २.० |
| | (२४.७) | (१८.६) | (२३.१) | (८.०) | (६.०) | (७.४) | (६१) | (३७) | (५५) | (३.०) | (२.०) | (२.७) |
| २००८ | १८.४ | १७.२ | १७.९ | ७.४ | ५.६ | ६.६ | ४० | २३ | ३३ | २.१ | १.७ | २.० |
| | (२४.४) | (१८.५) | (२२.८) | (८.०) | (५.९) | (७.४) | (५८) | (३६) | (५३) | (२.९) | (२.०) | (२.६) |
| २००९ | १८.१ | १६.९ | १७.६ | ७.६ | ५.५ | ६.७ | ३७ | २२ | ३१ | २.१ | १.७ | १.९ |
| | (२४.१) | (१८.३) | (२२.५) | (७.८) | (५.८) | (७.३) | (५५) | (३४) | (५०) | (२.९) | (२.०) | (२.६) |
| २०१० | १७.६ | १६.४ | १७.१ | ७.५ | ५.३ | ६.५ | ३४ | २० | २८ | २.० | १.७ | १.९ |
| | (२३.७) | (१८.०) | (२२.१) | (७.७) | (५.८) | (७.२) | (५१) | (३१) | (४७) | २.८ | १.९ | २.५ |
| २०११ | १७.३ | १५.८ | १६.७ | ७.३ | ५.१ | ६.३ | ३० | १७ | २५ | उ.ना. | उ.ना. | उ.ना. |
| | (२३.३) | (१७.६) | (२१.८) | (७.६) | (५.७) | (७.१) | (४८) | (२९) | (४४) | उ.ना. | उ.ना. | उ.ना. |

आधार - नमुना नोंदणी पाहणी पत्रिका, महानिबंधक, भारत सरकार, नवी दिल्ली

*टीप* - (१) कंसातील आकडे भारताकरिता आहेत (२) * जम्मू व काश्मिर वगळून

(३) जन्मदर व मृत्युदर दर हजार लोकसंख्येमागे (४) अर्भकमृत्युदर दर हजार जीवित जन्मामागे आहेत

उ.ना. - उपलब्ध नाही.

# परिशिष्ट १०.६

## काम करणाऱ्या लोकांची जनगणना २००१ अनुसार आर्थिक वर्गवारी

(हजारात)

| काम करणाऱ्यांची वर्गवारी | मुख्यत: / सीमांतिक / एकूण | महाराष्ट्र | | | भारत # | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरुष | स्त्रिया | एकूण | पुरुष | स्त्रिया | एकूण |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
| (अ) काम करणारे | | | | | | | |
| १. शेतकरी | मुख्यत: | ६,१८१ | ४,००१ | १०,१८२ | ७८,२५९ | २५,३६७ | १,०३,६२६ |
| | सीमांतिक | ५०० | १,१३२ | १,६३२ | ७,१५८ | १६,५२९ | २३,६८७ |
| | एकूण | ६,६८१ | ५,१३३ | ११,८१३ | ८५,४१६ | ४१,८९६ | १,२७,३१३ |
| २. शेतमजूर | मुख्यत: | ३,९४२ | ३,७०० | ७,६४१ | ४१,११९ | २२,३७८ | ६३,४९७ |
| | सीमांतिक | ९८२ | २,१९२ | ३,१७४ | १६,२१० | २७,०६८ | ४३,२७८ |
| | एकूण | ४,९२४ | ५,८९१ | १०,८१५ | ५७,३२९ | ४९,४४६ | १,०६,७७५ |
| ३. घरगुती उद्योग | मुख्यत: | ४९४ | ३१६ | ८१० | ७,५०९ | ४,६९७ | १२,२०६ |
| | सीमांतिक | ७३ | २०६ | २७९ | १,२३५ | ३,५१६ | ४,७५१ |
| | एकूण | ५६७ | ५२२ | १,०८९ | ८,७४४ | ८,२१३ | १६,९५७ |
| ४. इतर | मुख्यत: | १३,८०० | २,३१५ | १६,११५ | १,१३,२६१ | २०,४१५ | १,३३,६७६ |
| | सीमांतिक | ८८१ | ४६० | १,३४० | १०,२६४ | ७,२५० | १७,५१४ |
| | एकूण | १४,६८१ | २,७७५ | १७,४५५ | १,२३,५२५ | २७,६६५ | १,५१,१९० |
| एकूण (अ) | मुख्यत: | २४,४१६ | १०,३३२ | ३४,७४८ | २,४०,१४८ | ७२,८५७ | ३,१३,००५ |
| | सीमांतिक | २,४३६ | ३,९८९ | ६,४२५ | ३४,८६७ | ५४,३६३ | ८९,२३० |
| | एकूण | २६,८५२ | १४,३२१ | ४१,१७३ | २,७५,०१४ | १,२७,२२० | ४,०२,२३५ |
| (ब) काम न करणारे | एकूण | २३,५४९ | ३२,१५७ | ५५,७०५ | २,५७,१४२ | ३,६९,२३३ | ६,२६,३७६ |
| **एकूण (अ + ब )** | | **५०,४०१** | **४६,४७८** | **९६,८७९** | **५,३२,१५७** | **४,९६,४५४** | **१०,२८,६१०** |

आधार - १) महानिबंधक व गणना आयुक्त, भारत सरकार, नवी दिल्ली.
२) संचालक, जनगणना कार्यालय, महाराष्ट्र, मुंबई.

# मणिपूर राज्यातील सेनापती जिल्ह्यातील माओ-मारम, पाओमाटा आणि पुरुल हे उपविभाग वगळून.

टीप - आकडे संक्षिप्तात दिल्याने बेरजा जुळतीलच असे नाही.

## परिशिष्ट १०.७

## दृष्टिक्षेपात आर्थिक गणना १९९८ आणि २००५

(हजारात)

| बाब | ग्रामीण | | | नागरी | | | एकूण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १९९८ | २००५ | शेकडा वाढ | १९९८ | २००५ | शेकडा वाढ | १९९८ | २००५ | शेकडा वाढ |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) |
| १. आस्थापनांची संख्या | | | | | | | | | |
| (अ) स्व-कार्यरत आस्थापना | १,२९५ | १,४४२ | ११.३७ | ९६९ | १,०७८ | ११.२५ | २,२६३ | २,५१९ | ११.३२ |
| (ब) किमान एक व्यक्ती मजुरीवर असणाऱ्या आस्थापना | ३१९ | ६६८ | १०९.६६ | ६५२ | १,०३७ | ५९.१३ | ९७१ | १,७०६ | ७५.७२ |
| (क) एकूण | १,६१३ | २,११० | ३०.८० | १,६२१ | २,११५ | ३०.५० | ३,२३४ | ४,२२५ | ३०.६५ |
| २. काम करणाऱ्या व्यक्तींची संख्या | | | | | | | | | |
| (अ) स्व-कार्यरत आस्थापना | २,००८ | १,९२३ | (-) ४.२५ | १,३०५ | १,२९६ | (-) ०.७१ | ३,३१३ | ३,२१९ | (-) २.३६ |
| (ब) किमान एक व्यक्ती मजुरीवर असणाऱ्या आस्थापना | १,६८० | २,५०१ | ४८.८९ | ५,४५२ | ५,५८९ | २.५२ | ७,१३२ | ८,०९० | १३.४४ |
| (क) एकूण | ३,६८८ | ४,४२४ | १९.९५ | ६,७५७ | ६,८८५ | १.८९ | १०,४४५ | ११,३०९ | ८.२७ |
| ३. प्रति आस्थापना काम करणाऱ्यांची सरासरी संख्या | २.३ | २.१ | .. | ४.२ | ३.३ | .. | ३.२ | २.७ | .. |
| ४. प्रति आस्थापना (किमान एक व्यक्ती मजुरीवर असणाऱ्या) काम करणाऱ्यांची सरासरी संख्या | ५.३ | ६.६ | .. | ८.४ | ५.४ | .. | ७.४ | ४.७ | .. |
| ५. एकूण आस्थापनांमधील मजुरीवरील व्यक्ती | १,४९५ | २,०८२ | ३९.२६ | ४,७८२ | ४,६१९ | (-) ३.४० | ६,२७७ | ६,७०१ | ६.७५ |
| ६. प्रमुख वैशिष्ट्यांनुसार आस्थापनांची संख्या-- | | | | | | | | | |
| (१) हंगामी | १३७ | १९३ | ४०.८८ | २३ | ४७ | १०४.३५ | १६० | २४० | ५०.०० |
| (२) परिसर नसलेले | २१८ | ४०५ | ८५.७८ | २२६ | ३१६ | ३९.८२ | ४४४ | ७२१ | ६२.३९ |
| (३) शक्ती /इंधन वापरणारे | २३९ | ४७० | ९६.६५ | ३६३ | ६४४ | ७७.४१ | ६०२ | १,११४ | ८५.०५ |
| (४)मालकाचा सामाजिक गट | | | | | | | | | |
| (अ)अनुसूचित जाती | १२४ | १४८ | १९.३५ | १०० | १५१ | ५१.०० | २२४ | २९९ | ३३.४८ |
| (ब) अनुसूचित जमाती | ९२ | १०२ | १०.८७ | ४८ | ८५ | ७७.०८ | १४० | १८७ | ३३.५७ |
| (५) मालकीचा प्रकार -- | | | | | | | | | |
| (अ) खाजगी | १,४७२ | १,८७६ | २७.४५ | १,५६८ | २,०३२ | २९.५९ | ३,०४० | ३,९०८ | २८.५५ |
| (ब) सहकारी | २१ | ३० | ४२.८६ | १२ | २१ | ७५.०० | ३३ | ५१ | ५४.५५ |
| (क) शासकीय आणि सार्वजनिक उपक्रम | १२१ | २०४ | ६८.६० | ४० | ६२ | ५५.०० | १६१ | २६६ | ६५.२२ |

आधार - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई.

टीप - आकडे संक्षिप्तात दिल्याने टक्केवारी जुळतीलच असे नाही.

## परिशिष्ट १०.८

## प्रमुख उद्योग गटांनुसार आस्थापनांची आणि कामगारांची संख्या (आर्थिक गणना २००५)

(हजारात)

| प्रमुख उद्योग गट | आस्थापनांची संख्या | | | कामगारांची संख्या | | | मजुरीवरील कामगारांची संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ग्रामीण | नागरी | एकूण | ग्रामीण | नागरी | एकूण | ग्रामीण | नागरी | एकूण |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) |
| १. कृषि | ५८० | २४ | ६०४ | ९९९ | ५२ | १,०५१ | १७५ | १९ | १९४ |
| २. खाणकाम व दगड खाणकाम | ३ | २ | ५ | २१ | १४ | ३५ | १७ | १३ | ३० |
| ३. वस्तुनिर्माण | ३०९ | ३८५ | ६९३ | ८६० | १,५७४ | २,४३४ | ४९८ | १,१४४ | १,६४२ |
| ४. वीज, गॅस आणि पाणी पुरवठा | २ | २ | ४ | ११ | ३१ | ४२ | १० | ३० | ४० |
| ५. बांधकाम | २३ | २९ | ५२ | ४३ | ७६ | ११८ | १७ | ४५ | ८३ |
| ६. मोटार गाड्या / मोटार सायकल यांची विक्री, परिरक्षण व दुरुस्ती | २५ | ६१ | ८६ | ५४ | १८२ | २३७ | २७ | ११५ | १४२ |
| ७. घाऊक व्यापार | ४२ | ८९ | १३१ | ८३ | २२६ | ३०९ | ३८ | १२७ | १६५ |
| ८. किरकोळ व्यापार | ५६५ | ८५५ | १,४२० | ८९१ | १,८८३ | २,५७४ | २५९ | ७३२ | ९९० |
| ९. उपाहारगृहे आणि हॉटेल्स | ५४ | ८६ | १४० | १३४ | ३३६ | ४७० | ८८ | २३७ | ३०४ |
| १०. वाहतूक आणि साठवण | ५८ | १२२ | १८० | ११३ | ३२३ | ४३४ | ५५ | २०१ | २५७ |
| ११. टपाल व दूरसंचार | २७ | ५० | ७७ | ४६ | १८० | २०७ | २५ | ११० | १३५ |
| १२. वित्तीय सहाय्य देणाऱ्या संस्था | २४ | ३० | ५४ | १०८ | २५८ | ३६७ | ७९ | २३८ | ३१७ |
| १३. स्थावर मालमत्ता आणि सेवा | ५० | ९४ | १४४ | ९६ | ३८९ | ४६५ | ४२ | २७१ | ३१३ |
| १४. सार्वजनिक प्रशासन, संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा | ५० | २२ | ७३ | १८९ | ५९२ | ७८१ | १७९ | ५८६ | ७६४ |
| १५. शिक्षण | १०० | ५३ | १५३ | ४४६ | ४०७ | ८५३ | ४३२ | ३६७ | ७९९ |
| १६. आरोग्य आणि सामाजिक कार्य | ३७ | ६० | ९७ | ९२ | २८६ | ३५७ | ६३ | २०४ | २६७ |
| १७. इतर सामाजिक व वैयक्तिक सेवा कार्य | १६२ | १५० | ३१२ | २४० | ३३३ | ५७३ | ९९ | १८० | २७९ |
| १८. इतर कार्ये (उल्लेख न केलेले उद्योग गट) | नगण्य | नगण्य | नगण्य | नगण्य | नगण्य | नगण्य | नगण्य | नगण्य | नगण्य |
| **एकूण ...** | **२,११०** | **२,११५** | **४,२२५** | **४,४२४** | **६,८८५** | **११,३०९** | **२,०८२** | **४,६१९** | **६,७०१** |

आधार - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई .

टीप - स्तंभ क्रमांक ५ ते १० मधील आकडे संक्षिप्तात दिल्याने बेरजा जुळतीलच असे नाही.

## परिशिष्ट १०.९

## महाराष्ट्र राज्यातील विविध उद्योगांतील रोजगार

(शंभरात)

| अ.क्र. | उद्योग गट | सरासरी दैनिक रोजगार | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | १९६१ | १९७१ | १९८१ | १९९१ | २००१ | २००६ | २०१० | २०११* |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) |
| **(अ)** | **ग्राहक वस्तू उद्योग** | **५,१०३** | **५,०२०** | **५,१६८** | **४,५३५** | **४,५३३** | **४,२२५** | **४,८९४** | **५,२५९** |
| १. | खाद्य उत्पादने, पेये व तंबाखूची उत्पादने | ९०२ | ९२१ | ९६५ | १,३३० | १,६६२ | १,५४२ | १,९२६ | २,०६७ |
| २. | वस्त्रोद्योग (परिधान करण्याची वस्त्रे धरुन) | ३,६९१ | ३,५१६ | ३,५५४ | २,५२७ | २,१६७ | १,८९२ | २,०४५ | २,१७७ |
| ३. | लाकूड व लाकडाची उत्पादने | १०९ | ७५ | ७५ | १५२ | १५४ | १६७ | १९७ | २३८ |
| ४. | कागद, कागदाची उत्पादने, मुद्रण व प्रकाशन इत्यादि | ३९० | ४९४ | ५४९ | ४९१ | ५२५ | ५९३ | ६९३ | ७३९ |
| ५. | कातडी कमावणे व चामड्याची उत्पादने | ११ | १४ | २५ | ३५ | २५ | ३१ | ३३ | ३८ |
| **(ब)** | **पुनर्निर्माण वस्तू उद्योग** | **१,२९७** | **२,४३५** | **३,१९३** | **३,४२१** | **३,४६२** | **४,१०५** | **५,९७६** | **६,७९५** |
| ६. | रसायने व रासायनिक उत्पादने | ३४० | ७६० | १,०५९ | १,२१५ | १,२९९ | १,४५५ | १,६६३ | १,८१६ |
| ७. | पेट्रोलियम, रबर, प्लास्टिक यांची उत्पादने | १७४ | ३४९ | ४२१ | ४८२ | ५३५ | ६५६ | ९४९ | १,०८७ |
| ८. | अधातू खनिज उत्पादने | २८४ | ४०२ | ४०३ | ४२३ | ३१७ | ३२२ | ४११ | ४६७ |
| ९. | मूलभूत धातू, धातूची उत्पादने | ४९९ | ९२४ | १,३१० | १,३०१ | १,३११ | १,६७२ | २,९५४ | ३,४२५ |
| **(क)** | **भांडवली वस्तू उद्योग** | **१,२२०** | **२,११०** | **२,८९८** | **२,७१२** | **३,१४०** | **३,४४०** | **४,२८८** | **५,०६४** |
| १०. | यंत्रे व यंत्रसामग्री (परिवहन सामग्री वगळून) | ५९४ | १,३२२ | १,७८६ | १,६१४ | १,७२० | १,७८४ | २,०९६ | २,४३६ |
| ११. | परिवहन सामग्री | ४६९ | ६०८ | ९०३ | ८६७ | १,०२५ | ९५९ | १,४९२ | १,७८५ |
| १२. | इतर वस्तुनिर्माण उद्योग | १५७ | १८० | २०९ | २३१ | ३९५ | ६९७ | ७०० | ८४३ |
| **(ड)** | **इतर** | **२५६** | **४१२** | **६६३** | **१,०१६** | **८७०** | **१,०३८** | **१,३२०** | **१,३८५** |
| | **एकूण** | **७,८७३** | **९,९७७** | **११,९२२** | **११,६८४** | **१२,००५** | **१२,८०८** | **१६,४७८** | **१८,५०३** |

आधार - औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई.

टीप - (१) आकडे संक्षिप्तात दिल्याने काही ठिकाणी बेरजा जुळणार नाहीत.

(२) १९७४ पासून विडी कारखान्यांची नोंद यातून काढून वेगळ्या अधिनियमात करण्यात आली.

* अस्थायी

## परिशिष्ट १०.१०

## महाराष्ट्र राज्यातील चालू कारखाने व त्यांतील रोजगार

रोजगार (हजारात)

| वर्ष | बाब ** | शक्तीवर चालणारे कारखाने | | | बिगर शक्तीवर चालणारे कारखाने | | | सर्व कारखाने | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ५० पेक्षा कमी कामगार कामावर असलेले | ५० किंवा अधिक कामगार कामावर असलेले | शक्तीवर चालणारे एकूण कारखाने | ५० पेक्षा कमी कामगार कामावर असलेले | ५० किंवा अधिक कामगार कामावर असलेले | बिगर शक्तीवर चालणारे एकूण कारखाने | ५० पेक्षा कमी कामगार कामावर असलेले | ५० किंवा अधिक कामगार कामावर असलेले | एकूण सर्व कारखाने |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) |
| १९६१ | कारखाने | ५,०९७ | १,७८१ | ६,८७८ | १,००४ | ३५१ | १,३५५ | ६,१०१ | २,१३२ | ८,२३३ |
| | रोजगार | ९९ | ६२६ | ७२५ | २१ | ४१ | ६३ | १२० | ६६७ | ७८७ |
| १९७१ | कारखाने | ६,३४१ | २,७०१ | ९,०४२ | ८५६ | ३४३ | १,१९९ | ७,१९७ | ३,०४४ | १०,२४१ |
| | रोजगार | १२३ | ८२४ | ९४७ | १५ | ३६ | ५१ | १३८ | ८६० | ९९८ |
| १९८१ | कारखाने | १०,२३८ | ३,१३२ | १३,३७० | ३,१५४ | ७० | ३,२२४ | १३,३९२ | ३,२०२ | १६,५९४ |
| | रोजगार | १८३ | ९८३ | १,१६६ | २० | ६ | २६ | २०३ | ९८९ | १,१९२ |
| १९९१ | कारखाने | १३,१३९ | ३,१९९ | १६,३३८ | ७,७४३ | ३८ | ७,७८१ | २०,८८२ | ३,२३७ | २४,११९ |
| | रोजगार | २१५ | ९१० | १,१२४ | ४० | ४ | ४४ | २५४ | ९१४ | १,१६९ |
| २००१ | कारखाने | १५,९७७ | ३,९२९ | १९,९०६ | ८,३९३ | २५ | ८,४१८ | २४,३७० | ३,९५४ | २८,३२४ |
| | रोजगार | २६६ | ८९१ | १,१५७ | ४२ | २ | ४४ | ३०८ | ८९३ | १,२०१ |
| २००६ | कारखाने | १७,३२५ | ५,२१३ | २२,५३८ | ८,१४० | १९ | ८,१५९ | २५,४६५ | ५,२३२ | ३०,६९७ |
| | रोजगार | ३३० | ९०९ | १,२३९ | ४० | २ | ४२ | ३७० | ९११ | १,२८१ |
| २००८ | कारखाने | १९,५४२ | ४,७८६ | २४,३२८ | ८,३७६ | १४ | ८,३९० | २७,९१८ | ४,८०० | ३२,७१८ |
| | रोजगार | ३६१ | ९८७ | १,३४८ | ४३ | २ | ४४ | ४०४ | ९८८ | १,३९२ |
| २००९ | कारखाने | १८,६६८ | ६,११२ | २४,७८० | ९,२६३ | १७ | ९,२८० | २७,९३१ | ६,१२९ | ३४,०६० |
| | रोजगार | ३४५ | १,१०३ | १,४४८ | ५० | २ | ५२ | ३९५ | १,१०५ | १,५०० |
| २०१० | कारखाने | १९,१७३ | ६,५१७ | २५,६९० | ९,१८३ | १५ | ९,१९८ | २८,३५६ | ६,५३२ | ३४,८८८ |
| | रोजगार | ३६३ | १,२३१ | १,५९४ | ५२ | १ | ५३ | ४१५ | १,२३३ | १,६४७ |
| २०११* | कारखाने | १९,४३६ | ७,४३२ | २६,८६८ | ९,०५३ | २७ | ९,०८० | २८,४८९ | ७,४५९ | ३५,९४८ |
| | रोजगार | ३६७ | १,४२९ | १,७९६ | ५१ | ३ | ५४ | ४१८ | १,४३२ | १,८५० |

आधार - औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई.

टीप - (१) रोजगारात प्रपत्र न पाठविणाऱ्या कारखान्यांतील दैनिक सरासरी रोजगारांचा समावेश आहे.

(२) वरील आकडे १९४८ च्या कारखाना अधिनियमांखाली येणाऱ्या कारखान्यासंबंधीचे आहेत.

(३) "बिगर शक्तीवर चालणारे कारखाने" यामध्ये कारखाना अधिनियम, १९४८ च्या विभाग ८५ खाली नोंदविलेल्या शक्तीवर चालणाऱ्या लहान कारखान्यांचा समावेश आहे.

(४) रोजगाराचे आकडे संक्षिप्तात लिहिल्यामुळे काही ठिकाणी बेरजा जुळणार नाहीत.

* अस्थायी ** कारखाने - चालू कारखान्यांची संख्या रोजगार - रोजगारांची दैनिक सरासरी

१९७४ पासून विडी कारखान्यांची नोंद यातून काढून वेगळ्या अधिनियमाखाली समाविष्ट करण्यात आली आहे.

## परिशिष्ट १०.११

## राज्यातील रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रांमध्ये नोंदणी झालेल्या व्यक्तींची संख्या, अधिसूचित केलेली रिक्त पदे व भरलेली पदे

(हजारात)

| वर्ष | संदर्भ वर्षात नोंदणी झालेल्या व्यक्तींची संख्या | अधिसूचित केलेल्या रिक्त पदांची संख्या | संदर्भ वर्षात भरलेल्या पदांची संख्या | वर्ष अखेरीस चालू नोंदवहीत असलेल्या व्यक्तींची संख्या |
|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| १९९१ | ५९१.८ | ६४.८ | ३०.३ | ३,१५९.८ |
| १९९३ | ५९९.७ | ५५.४ | २४.१ | ३,३४९.६ |
| १९९४ | ६३५.८ | ५२.१ | २४.७ | ३,४३९.२ |
| १९९५ | ७२०.१ | ४९.७ | १८.७ | ३,६३४.३ |
| १९९७ | ६९२.८ | ४७.४ | २२.९ | ३,९३३.१ |
| १९९८ | ७२९.३ | ३७.९ | १६.८ | ४,१०९.६ |
| १९९९ | ८६१.१ | ५०.९ | १६.२ | ४,१८३.८ |
| २००० | ७५०.८ | ४३.९ | १८.१ | ४,३४८.८ |
| २००१ | ६२३.२ | ३२.३ | १२.५ | ४,४१९.७ |
| २००२ | ६२२.७ | ३०.९ | ९.५ | ४,२०३.३ |
| २००३ | ८१९.१ | ५९.६ | १६.४ | ४,०४४.१ |
| २००४ | ८८०.३ | ४३.४ | १५.१ | ४,१०५.७ |
| २००५ | ६४५.२ | ४४.२ | १३.९ | ४,०००.३ |
| २००६ | ६०८.१ | ६८.३ | १४.८ | ३,६०८.५ |
| २००७ | ६१६.७ | ९७.५ | ९.२ | ३,२१३.८ |
| २००८ | ७२१.५ | ९९.२ | ११.८ | ३,००७.२ |
| २००९ | ६९८.३ | १७६.६ | १७.२ | २,८७५.९ |
| २०१० | ८९२.९ | ३७८.८ | ३५३.९ | २,६८२.४ |
| २०११ | ७४७.५ | ३४६.२ | १९१.० | २,५९६.२ |
| २०१२ | ६१२.३ | २५९.२ | १३४.२ | २,४०४.० |

आधार - रोजगार व स्वयंरोजगार संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, नवी मुंबई.

## परिशिष्ट १०.१२

## रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रांच्या चालू नोंदवहीत ३१ डिसेंबर, २०१२ अखेर असलेल्या व्यक्तींची संख्या

| अ. क्र. | शैक्षणिक पात्रता | व्यक्ती | पैकी स्त्रिया | स्त्रियांची टक्केवारी | एकूण बेरजेशी व्यक्तींची टक्केवारी |
|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) |
| १. | माध्यमिक शालांत परीक्षेपेक्षा कमी (निरक्षर धरुन ) | २,३२,१५१ | ७८,३४६ | ३३.७ | ९.७ |
| २. | माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण | ५,४३,५५५ | १,०९,०९१ | २०.१ | २२.६ |
| ३. | उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण | ८,६१,०४१ | २,२०,४८७ | २५.६ | ३५.७ |
| ४. | औ.प्र.सं. प्रशिक्षित व शिकाऊ उमेदवार | २,००,७८७ | २२,१२२ | ११.० | ८.४ |
| ५. | पदविकाधारक | | | | |
| | ५.१ अभियांत्रिकी / तंत्रज्ञान | ४९,०१८ | ९,८२७ | २०.० | २.० |
| | ५.२ वैद्यकीय, डी.एम.एल.टी. व फार्मसी | ८,६२७ | १,६९७ | १९.७ | ०.४ |
| | ५.३ इतर | ६९,२३१ | १५,१६७ | २१.९ | २.९ |
| | **एकूण (५.१ ते ५.३)** | **१,२६,८७६** | **२६,६७१** | **२१.०** | **५.३** |
| ६. | पदवीधर | | | | |
| | ६.१ अभियांत्रिकी / तंत्रज्ञान | १५,९४४ | ४,०२५ | २५.२ | ०.७ |
| | ६.२ वैद्यकीय | ४,६०७ | १,२९८ | २८.२ | ०.२ |
| | ६.३ इतर | ३,६९,९८३ | १,१९,९६६ | ३२.४ | १५.४ |
| | **एकूण (६.१ ते ६.३)** | **३,९०,५३४** | **१,२५,२८९** | **३२.१** | **१६.३** |
| ७. | पदव्युत्तर पदवीधर | | | | |
| | ७.१ अभियांत्रिकी / तंत्रज्ञान | ५३८ | १७४ | ३२.३ | नगण्य |
| | ७.२ वैद्यकीय | ९१ | ४१ | ४५.१ | नगण्य |
| | ७.३ इतर | ४८,४४० | १७,९५० | ३७.१ | २.० |
| | **एकूण (७.१ ते ७.३)** | **४९,०६९** | **१८,१६५** | **३७.०** | **२.०** |
| | **एकूण बेरीज** | **२४,०४,०१३** | **६,००,१७१** | **२५.०** | **१००.०** |

आधार - रोजगार व स्वयंरोजगार संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, नवी मुंबई

## परिशिष्ट १०.१३

## महाराष्ट्र राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली घेण्यात आलेली प्रकारानुसार कामे व त्यावरील खर्च

(₹ लाखात)

| अ. क्र. | कामाचा प्रकार | २००८-०९ | | २००९-१० | | २०१०-११ | | २०११-१२ | | २०१२-१३ + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कामांची संख्या | खर्च | कामांची संख्या | खर्च | कामांची संख्या | खर्च | कामांची संख्या | खर्च | कामांची संख्या | खर्च |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) |
| १ | ग्रामीण बारमाही जोड रस्ते | ३५१ | १,०७२.९७ | ३५६ | १,३५२.४२ | ३६६ | ९५१.९१ | २०४९ | ६,४७०.०९ | ८८० | १,७०३.८२ |
| २ | पूरनियंत्रण व पूर संरक्षण | १८ | ५१.०९ | ३४६ | २३९.४० | ११५ | २९५.६१ | १०१ | २२१.४५ | १७ | १.०० |
| ३ | जलसंधारण व जलसंवर्धन/ जलभरणा | ७,३६२ | १०,५३१.७६ | ७,३०५ | ७,०३८.२५ | १६,४१२ | ४,५६०.८३ | १५,०८२ | ८,९४४.८४ | ३,४१२ | २,१८०.३८ |
| ४ | दुष्काळ प्रतिबंधक काम | ६७८ | ३१९.३१ | ६०२ | ६०६.२६ | ६९२ | १,२३६.५० | २,३१५ | ९३९.२० | २,१५० | ३९१.३१ |
| ५ | लघु व सूक्ष्म जलसिंचन | ४ | ३.४ | ४० | ४७.८१ | १० | १.१९ | १०४ | १७०.७७ | ८१ | ४७.८८ |
| ६ | अनुसूचित जाती / जमाती व नवीन भूधारकांना सिंचन सुविधा | ३५३ | २७५.७५ | ६११ | ६८०.२९ | २६० | ५६६.५४ | ६२७ | ९७६.४९ | ९०४ | ४९६.७७ |
| ७ | पारंपारिक जलस्त्रोतांचे नुतनीकरण | ५१८ | ४८८.५३ | ५५२ | ८३६.८३ | ४२२ | ९७२.६४ | २,३१९ | १,३२०.८५ | १,५४२ | ३००.९९ |
| ८ | भूविकास / शेतीविकास | १,४८६ | १,६४४.०५ | ८०१ | १,००१.८६ | ४३० | २७६.६७ | २,६११ | १,०६८.२२ | १,८८० | ३००.७९ |
| ९ | केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेली मान्यताप्राप्त इतर कामे | ८ | १७.३४ | ० | ०.०० | ० | ०.२४ | १,४९७ | ४५७.३० | ५०८ | ५०.७५ |
| | **एकूण** | **१०,७७८** | **१४,४०४.२०** | **१०,६१३** | **११,८०३.१२** | **१८,७०७** | **८,८६२.१३** | **२६,७०५** | **२०,५६९.२१** | **११,३७४** | **५,४७३.६९** |

आधार - नियोजन विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई
टीप - + डिसेंबरपर्यंत

# परिशिष्ट १०.१४

## महाराष्ट्र राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत रोजगार कार्यक्रमांची प्रगती

| | रोजगार कार्यक्रम | २००८-०९ | २००९-१० | २०१०-११ | २०११-१२ | २०१२-१३ + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) |
| १. | **स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना** | | | | | |
| | *१.१ सहाय्यीत स्वसहाय्य गट(संख्या)* | ११,५८७ | १२,६५० | १४,३८१ | १४,४१५ | १,५६८ |
| | *१.२ एकूण स्वरोजगारी (संख्या)* | १,४४,४४२ | १,५२,६५४ | १,७४,१५६ | १,६४,१९६ | १७,४१७ |
| | अ) स्वसहाय्य गट स्वरोजगारी (संख्या) | १,२४,३३० | १,३२,७५५ | १,५०,०९१ | १,४९,३०९ | १६,००० |
| | ब) वैयक्तिक स्वरोजगारी (संख्या) | २०,११२ | १९,८९९ | २४,०६५ | १४,८८७ | १,४१७ |
| | *१.३ स्वरोजगारींना एकूण अनुदान (₹ कोटी)* | १३४.१६ | १४७.४२ | १६५.४३ | १६०.३८ | १८.८० |
| | अ) स्वसहाय्य गट स्वरोजगारी (₹ कोटी) | १११.९६ | १२३.१२ | १३७.२५ | १३८.०६ | १६.४७ |
| | ब) वैयक्तिक स्वरोजगारी (₹ कोटी) | २२.२१ | २४.३० | २८.१८ | २२.३२ | २.३३ |
| | *१.४ स्वरोजगारींना एकूण कर्ज (₹ कोटी)* | २६३.६९ | ३००.८९ | ३७०.३० | ४०३.५० | ५१.४६ |
| | अ) स्वसहाय्य गट स्वरोजगारी (₹ कोटी) | २११.२७ | २४२.४२ | २९८.३३ | ३४२.८३ | ४५.३३ |
| | ब) वैयक्तिक स्वरोजगारी (₹ कोटी) | ५२.४२ | ५८.४७ | ७१.९७ | ६०.६७ | ६.१३ |
| | *१.५ एकूण खर्च (₹ कोटी)* | २१४.६५ | २३१.८७ | २५२.७६ | २५०.२८ | ४६.४९ |
| २. | **स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना** | | | | | |
| | *२.१ उपलब्ध निधी* | | | | | |
| | अ) केंद्र शासन (₹ कोटी) | ८९.९८ | ८०.७६ | ९०.२९ | १०३.०४ | ५१.३६ |
| | ब) राज्य शासन (₹ कोटी) | २९.९० | २६.९३ | ३०.१० | ३३.३२ | ०.०० |
| | *२.२ शहरी स्वयंरोजगार कार्यक्रम* | | | | | |
| | अ) लक्ष्य (लाभधारकांची संख्या) | २३,१२१ | ४,५२७ | ४,५२७ | ९,९७९ | ३९,००० |
| | ब) साध्य (लाभधारकांची संख्या) | ५,९३५ | ६,०७४ | ७,४४९ | ६,७०८ | ४,४७५ |
| | क) झालेला खर्च (₹ कोटी) | ३.४१ | ९.९६ | १५.२१ | ३१.७६ | ७.५१ |
| | *२.३ प्रशिक्षण* | | | | | |
| | अ) लक्ष्य (प्रशिक्षणार्थींची संख्या) | २८,९०२ | ३६,२०३ | ३६,२०३ | ३९,७७० | २,२०,००० |
| | ब) साध्य (प्रशिक्षणार्थींची संख्या) | ५५,५२३ | ४०,६९३ | ३८,६६९ | ५६,१६८ | २७,९१३ |
| | क) झालेला खर्च (₹ कोटी) | १२.३२ | १३.०३ | १७.१५ | १.६ | १.२६ |
| | *२.४ शहरी वेतनी रोजगार कार्यक्रम* | | | | | |
| | अ) लक्ष्य (लाख मनुष्यदिवस) | --- | --- | --- | --- | १३.९२ |
| | ब) साध्य (रोजगार निर्मिती लाख मनुष्यदिवस) | ५.५७ | ५.४० | ५.३७ | ३.९ | ०.८९ |
| | क) झालेला खर्च (₹ कोटी) | १८.६८ | १८.१३ | १६.५८ | ११.४६ | ३.९० |
| ३. | **पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम** | | | | | |
| | अ) मंजूर कर्ज (₹ कोटी) | १८.५४ | ३६.६८ | ५५.३३ | ४४.३७ | ३३.५२ |
| | ब) प्रकल्पांची संख्या | १,५७३ | ३,४१३ | ३,८९८ | २,६२४ | १,९९७ |
| | क) लाभधारक संख्या (निर्मित रोजगार) | १३,३०३ | ३१,४९४ | ३१,७५२ | २०,६२२ | ११,९८५ |

*आधार -* (१) ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई
(२) नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई
(३) उद्योग संचालनालय, मुंबई

\+ डिसेंबरअखेरपर्यंत

# परिशिष्ट १०.१५

## महाराष्ट्र राज्यातील औद्योगिक विवाद **

(भाग घेतलेले कामगार हजारात व वाया गेलेले श्रमदिन लाखात)

| बाब (१) | १९६१ (२) | १९७१ (३) | १९८१ (४) | १९९१ (५) | २००१ (६) | २००६ (७) | २०१० (८) | २०११ (९) | २०१२ (१०) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १. **कापड गिरण्या** -- | | | | | | | | | |
| (अ) संप व टाळेबंदीची संख्या | ३४ | १५६ | ६६ | १० | १२ | ६ | १ | ७ | ५ |
| (ब) भाग घेतलेले कामगार | १७२ | ३,१९७ | ५६४ | ६१ | ८६ | १७ | १ | २६ | १९ |
| (क) वाया गेलेले मनुष्यदिन | ०.३६ | ९.७० | ४७.३६ | २३७ | ४.५३ | ०.९४ | १.०८ | १.७३ | २.४३ |
| २. **अभियांत्रिकी कारखाने** -- | | | | | | | | | |
| (अ) संप व टाळेबंदीची संख्या | ५७ | २११ | ११९ | ५९ | २८ | ७ | ४ | ८ | ८ |
| (ब) भाग घेतलेले कामगार | १२२ | ४६९ | ४१२ | ११० | ६५ | २० | ९ | ७१ | ४७ |
| (क) वाया गेलेले मनुष्यदिन | १.०७ | ५.६४ | १६.२१ | १४.४६ | २५.७९ | २.८९ | १६.०९ | १२.९० | १२.५७ |
| ३. **संकीर्ण** -- | | | | | | | | | |
| (अ) संप व टाळेबंदीची संख्या | १८३ | ३२३ | ४५१ | १४८ | १९ | १० | ११ | १८ | १४ |
| (ब) भाग घेतलेले कामगार | ५४१ | ८४१ | १,०३१ | ४२३ | ८५ | ३८ | ३० | ३८ | ३५ |
| (क) वाया गेलेले मनुष्यदिन | ४.३३ | ५.१८ | ३१.४९ | २९.६६ | १५.९० | ७.०२ | ९.०६ | ७.८० | ८.४५ |
| ४. **एकूण** -- | | | | | | | | | |
| (अ) संप व टाळेबंदीची संख्या | २७४ | ६९० | ६३६ | २१७ | ५९ | २३ | १६ | ३३ | २७ |
| (ब) भाग घेतलेले कामगार | ८३४ | ४,५०७ | २,००७ | ५९४ | २३७ | ७५ | ४० | १३५ | १०० |
| (क) वाया गेलेले मनुष्यदिन | ५.७६ | २०.५३ | ९५.०५ | ४६.४९ | ५२.३१ | १०.८५ | २७.१३ | २२.४३ | २३.४५ |

आधार - कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र शासन, मुंबई

टीप - (१) बाब क्रमांक ४ (ब) व ४ (क) समोरील आकडे संक्षिप्तात दिल्याने प्रत्यक्ष बेरजेशी जुळतीलच असे नाही.
(२) ** राज्य औद्योगिक संबंध यंत्रणेखालील.

# ११

# मानव विकास

# ११. मानव विकास

११.१ विकासाची प्रक्रिया ही आर्थिक वृध्दी, समाज कल्याण व दारिद्रय निर्मूलन यामध्ये व्यापक प्रमाणात सुधारणा करण्याची सातत्यपूर्ण प्रक्रीया आहे. विकासाच्या लाभांमध्ये व संधींमध्ये समान वाटा, निवासासाठी सुयोग्य वातावरण तसेच समाजातील गरीब व तळागाळातील प्रवर्गाचे सक्षमीकरण यावर विकासाचे यश अवलंबून असून, त्याचे रुपांतर मानव विकासात होते. ही संकल्पना अशा वातावरण निर्मितीबाबत आहे, ज्यामध्ये व्यक्तींना त्यांच्या पूर्ण क्षमता विकसित करता येतील, ज्यामुळे त्यांच्या गरजा व इच्छेनुसार सर्जनशील व फलदायी आयुष्य जगता येईल, तसेच समाज कल्याणाकरिता निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होता येईल. मानव विकास मापनाशी निगडीत महत्वाचे घटक कालानुरुप सातत्याने विकसित होत असतात.

## भारतातील मानव विकास निर्देशांक

११.२ भारत सरकारने २००१ मध्ये पहिला 'राष्ट्रीय मानव विकास अहवाल' प्रसिध्द केला. या मालिकेतील दुसरा अहवाल 'भारत मानव विकास अहवाल- २०११' हा वर्ष २०११ मध्ये प्रसिध्द झाला. आर्थिक वृध्दीसाठी व दारिद्रयाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मानवी भांडवलाचा व मानवी कार्याचा आर्थिक कार्यात वाढता हस्तक्षेप हे महत्वाचे घटक असल्याचे भारत मानव विकास अहवालात समर्थन केले आहे. देशातील प्रमुख्य राज्यांमध्ये मानव विकास निर्देशांकात केरळ पहिल्या क्रमांकावर असून त्या खालोखाल पंजाब व महाराष्ट्राचा क्रमांक आहे.

११.३ मानव विकास मापनासाठी राष्ट्रीय मानव विकास अहवाल, २०११ मध्ये आरोग्य निर्देशांक, शैक्षणिक निर्देशांक व उत्पन्न निर्देशांक हे तीन निर्देशांक तयार करण्यात आले आहेत.

- जन्माच्या वेळेची आर्युमर्यादा, जे आरोग्यदायी दीर्घायुचे प्रतिक व लोकांच्या आरोग्याचे व्यापक निर्देशक आहे, ते वापरुन आरोग्य निर्देशांक तयार केला आहे.
- 'समायोजीत शिक्षणाची सरासरी वर्षे' आणि 'सात वर्षे व अधिक वयाच्या लोकसंख्येचे साक्षरता प्रमाण' वापरुन शैक्षणिक निर्देशांक तयार केला आहे.
- प्रत्येक राज्यासाठी सरासरी दरडोई खर्च (१९९९-२००० च्या किंमतीनुसार) व उपभोग्य बाबींवरील खर्चाच्या असमानतेबाबतचा गिनी सहगुणांक वापरुन उत्पन्न निर्देशांक तयार केला आहे.

**तक्ता ११.१ भारतातील काही निवडक राज्यांचे मानव विकास निर्देशांक**

| राज्य | मानव विकास निर्देशांक, १९९९-२००० | | | | मानव विकास निर्देशांक, २००७-०८ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आरोग्य निर्देशांक २००० | उत्पन्न निर्देशांक १९९९-२००० | शैक्षणिक निर्देशांक १९९९-२००० | माविनि १९९९-२००० | आरोग्य निर्देशांक २००८ | उत्पन्न निर्देशांक २००७-०८ | शैक्षणिक निर्देशांक २००७-०८ | माविनि २००७-०८ |
| आंध्र प्रदेश | ०.५२१ | ०.१९७ | ०.३८५ | ०.३६८ | ०.५८० | ०.२८७ | ०.५५३ | ०.४७३ |
| बिहार | ०.५०६ | ०.१०० | ०.२७१ | ०.२९२ | ०.५६३ | ०.१२७ | ०.४०९ | ०.३६७ |
| गुजरात | ०.५६२ | ०.३२३ | ०.५१२ | ०.४६६ | ०.६३३ | ०.३७१ | ०.५७७ | ०.५२७ |
| हरियाणा | ०.५७६ | ०.४१७ | ०.५१२ | ०.५०१ | ०.६२७ | ०.४०८ | ०.६२२ | ०.५५२ |
| कर्नाटक | ०.५६७ | ०.२६० | ०.४६८ | ०.४३२ | ०.६२७ | ०.३२६ | ०.६०५ | ०.५१९ |
| केरळ | ०.७८२ | ०.४५८ | ०.७८९ | ०.६७७ | ०.८१७ | ०.६२९ | ०.९२४ | ०.७९० |
| मध्य प्रदेश | ०.३६३ | ०.१२७ | ०.३६५ | ०.२८५ | ०.४३० | ०.१७३ | ०.५२२ | ०.३७५ |
| **महाराष्ट्र** | **०.६०१** | **०.२९७** | **०.६०६** | **०.५०१** | **०.६५०** | **०.३५१** | **०.७१५** | **०.५७२** |
| पंजाब | ०.६३२ | ०.४५५ | ०.५४२ | ०.५४३ | ०.६६७ | ०.४९५ | ०.६५४ | ०.६०५ |
| तामिळनाडू | ०.५८६ | ०.२८५ | ०.५७० | ०.४८० | ०.६३७ | ०.३५५ | ०.७१९ | ०.५७० |
| उत्तर प्रदेश | ०.३९८ | ०.१७९ | ०.३७१ | ०.३१६ | ०.४७३ | ०.१७५ | ०.४९२ | ०.३८० |
| पश्चिम बंगाल | ०.६०० | ०.२१० | ०.४५५ | ०.४२२ | ०.६५० | ०.२५२ | ०.५७५ | ०.४९२ |
| **भारत** | **०.४९७** | **०.२२३** | **०.४४२** | **०.३८७** | **०.५६३** | **०.२७१** | **०.५६८** | **०.४६७** |

आधार — भारत मानव विकास अहवाल, २०११

ज्या राज्यांची आरोग्य व शैक्षणिक निष्पत्ती चांगली होती अशांचे दरडोई उत्पन्नही अधिक होते, परिणामी मानव विकास निर्देशांकही उच्चतम असल्याचे निर्देशनास आले. तक्ता ११.१ मध्ये भारतातील काही निवडक राज्यांसाठी मानव विकास निर्देशांक (माविनि) दर्शविला आहे.

## राज्य मानव विकास अहवाल

११.४ राज्याने आपला पहिला मानव विकास अहवाल खालील निर्देशकांचा वापर करुन २००२ मध्ये प्रकाशित केला आहे.

- अर्भक मृत्यू दराच्या स्वरुपात आयुर्मान.
- साक्षरता दर व शिक्षणाची सरासरी वर्षे यानुसार ज्ञानार्जन.
- दरडोई जिल्हा उत्पन्नानुसार आर्थिक साध्यता.

प्रत्येक जिल्ह्यासाठी वंचितता निर्देशांक पध्दत वापरुन मानव विकास निर्देशांक परिगणित करण्यात आले आहेत. राज्याचा मानव विकास निर्देशांक ०.५८ होता. गडचिरोली जिल्ह्याचा माविनि सर्वात कमी (०.२१) होता. राज्याचा दुसरा मानव विकास अहवाल तयार करण्याचे काम यशदा, पुणे यांच्याकडे सोपविले आहे.

## महाराष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम

११.५ महाराष्ट्र मानव विकास अहवालानुसार निश्चित केलेल्या १२ अतिमागास जिल्ह्यांचा माविनि उंचविण्यासाठी शासनाने जून, २००६ मध्ये "महाराष्ट्र मानव विकास मिशन" ची स्थापना केली.

११.६ राज्य शासनाने मानव विकासासाठी तालुका हा घटक विचारात घेऊन मानव विकासाचा पाया अधिक विस्तृत करण्याचे निश्चित केले आहे. त्यासाठी १२५ तालुकेनिवडण्यात आले आहेत. या तालुक्यांमध्ये मानव विकासाचे कार्यक्रम राबविण्यासाठी शासनाने सन २०११-१२ साठी एकूण ₹ ४२५ कोटीची (₹ ३७५ कोटी सर्वसाधारण योजनेतून व ₹ ५० कोटी अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत) तरतूद केली असून, त्यापैकी ₹ २५५ कोटी खर्च झाले आहेत. सन २०१२-१३ साठी एकूण ₹ ३५९ कोटीची (₹ ३५४ कोटी सर्वसाधारण योजनेतून व ₹ ५ कोटी अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत) तरतूद केली असून, त्यापैकी (जानेवारी, २०१३ अखेरपर्यंत) ₹ ६८ कोटी खर्च झाले आहेत.

११.७ विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्याकरिता प्रत्येक तालुक्याची वैशिष्ट्ये विचारात घेऊन स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र मानव विकास आयुक्तालयामार्फत हे कार्यक्रम निवडक तालुक्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहेत. राबविण्यात येणाऱ्या विविध कार्यक्रमांची भौतिक प्रगती (जानेवारी, २०१३ पर्यंत) खाली देण्यात येत आहे.

- इयत्ता १० वी व १२ वी मध्ये अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिकवणीवर्ग सुरु करण्यात आले आहेत. सन २०१२-१३ मध्ये या वर्गांत प्रवेश घेतलेल्या एकूण ४७,०१५ विद्यार्थ्यांपैकी ३१,०४५ विद्यार्थी परिक्षेस बसले व ६,९१२ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले.
- गावातील माध्यमिक शाळांमध्ये नव्याने सुरु झालेल्या २,४७२ अभ्यासिकांसाठी सौर दिवे, फर्निचर व पुस्तके पुरविण्यात आली आहेत.
- ग्रामीण भागातील मुलींना गावापासून शाळेपर्यंत प्रवास करण्यासाठी सुमारे ६२५ बसेस उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. ४,९३५ गावांमधील सुमारे ७०,३४७ मुली १,९२८ शाळांमध्ये ये-जा करतात.
- अनुदानित / शासकीय माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शाळांमधील मान्यता मिळालेल्या एकूण ३,४३५ प्रयोगशाळांपैकी ३,३२२ प्रयोगशाळांना साहित्ये पुरविण्यात आली.
- तालुकास्तरावर ११३ बालभवन विज्ञानकेंद्रे स्थापित करण्यात आली.
- कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयाची व्याप्ती इयत्ता १० वी पर्यंत वाढविण्यात आली असून, अशा ३१ शाळांच्या बांधकामासाठी मान्यता देण्यात आली.
- सन २०१२-१३ मध्ये ६१५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमार्फत १२,०८४शिबीरे आयोजित करण्यात आली होती. त्यापैकी गर्भवती महिला, माता व ० ते ६ महिने वयोगटातील बालके असे एकूण ७,९२,६४२ लाभार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात येऊन औषधे पुरविण्यात आली.
- सन २०१२-१३ मध्ये अनुसूचित जाती / जमाती व दारिद्रय रेषेखालील ७९,०५७ बाळंत महिलांना बुडीत मजुरी देण्यात आली.
- सन २०१२-१३ मध्ये ग्रामीण भागातील सुमारे १६,४०७ युवकांना स्वयं रोजगाराकरिता व्यवसाय कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात आले असून या व्यतिरिक्त ११,७५२ युवकांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
- स्वयं सहाय्यता गटांच्या माध्यमातून परसबाग योजना राबविण्यासाठी सन २०१२-१३ मध्ये एकूण १७,१३७ लाभार्थ्यांना आवश्यक साहित्याचे वाटप करण्यात आले.

## सहस्त्रकातील विकास उद्दीष्टे

११.८ सहस्त्रकातील उद्दिष्टांबाबतच्या जाहिरनाम्यामध्ये स्विकृत आठ विकास उद्दिष्टे २०१५ पर्यंत साध्य करावयाची आहेत. भारताशी निगडीत आठ उद्दिष्टे त्यांच्या १२ कालमर्यादीत लक्ष्यांसह तक्ता ११.२ मध्ये दिली आहेत.

**तक्ता ११.२ भारताशी निगडीत सहस्त्रकातील विकास उद्दीष्टांची त्यांच्या १२ कालमर्यादीत लक्ष्यांसह आठ उद्दीष्टे**

| | उद्दिष्ट | लक्ष्य |
|---|---|---|
| १ | अति दारिद्र्य व उपासमारी निर्मूलन | १९९० ते २०१५ दरम्यान राष्ट्रीय दारिद्र्य रेषेखालील लोकांचे प्रमाण निम्म्यावर आणणे. |
| | | १९९० ते २०१५ दरम्यान उपासमारीने पिडीत लोकांचे प्रमाण निम्म्यावर आणणे. |
| २ | प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण साधणे | २०१५ पर्यंत सर्व मुले प्राथमिक शिक्षणाचा संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण करतील याची खातरजमा करणे. |
| ३ | स्त्री-पुरुष समानता आणि महिला सक्षमीकरणास प्रोत्साहन | प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणातील स्त्री-पुरुष विषमता विशेषत: २००५ पर्यंत व शिक्षणाच्या सर्व स्तरावरुन स्त्री-पुरूष विषमता २०१५ पर्यंत दूर करणे. |
| ४ | बाल-मृत्यू कमी करणे | १९९० ते २०१५ दरम्यान पाच वर्षाखालील बाल-मृत्यूदराचे प्रमाण दोन-तृतियांशाने कमी करणे. |
| ५ | माता स्वास्थ्य सुधारणे | १९९० ते २०१५ दरम्यान माता मृत्युदर तीन चतुर्थांशांने कमी करणे |
| ६ | एचआयव्ही / एडस्, मलेरिया आणि इतर आजारांशी लढा देणे | २०१५ पर्यंत निर्मूलन करणे व एचआयव्ही / एडस् चे संसर्ग प्रतिकूल करणे. |
| | | २०१५ पर्यंत निर्मूलन करणे व मलेरिया आणि इतर प्रमुख आजारांचा संसर्ग प्रतिकूल करणे. |
| ७ | पर्यावरणाचा समतोल सातत्याने राखणे | देशाच्या धोरणांमध्ये व कार्यक्रमामध्ये शाश्वत विकासाची तत्वे एकरुप करणे आणि पर्यावरण विषयक संसाधनांची होणारी हानी प्रतिकूल करणे. |
| | | २०१५ पर्यंत शुध्द पिण्याचे पाणी व मूलभूत स्वच्छता सुविधा सातत्याने उपलब्ध नसलेल्या लोकांचे प्रमाण निम्म्यावर आणणे. |
| | | २०२० पर्यंत झोपडपट्टीत राहणाऱ्या किमान १०० दशलक्ष लोकांच्या जीवनात लक्षणीय सुधारणा घडवून आणणे. |
| ८ | विकासासाठी जागतिक स्तरावर भागीदारी निर्माण करणे | खाजगी क्षेत्राच्या सहकार्याने नवीन तंत्रज्ञानाचे, विशेषत: माहिती व दळणवळण क्षेत्राचे लाभ जनतेला उपलब्ध करणे. |

११.९ सांख्यिकी व कार्यक्रम अमंलबजावणी मंत्रालय, भारत सरकार यांनी सहस्त्रकातील विकास उद्दिष्टांची राष्ट्रीय स्तरावरील परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी अहवालाची मालिका प्रसिध्द केली आहे. सहस्त्रकातील विकास उद्दिष्टांच्या निर्देशकांचे सांख्यिकीय मापन करण्यासाठी राष्ट्रीय पाहण्या, गणना व प्रशासकीय अभिलेख यांचा वापर करण्यात आला आहे. निर्देशकांची सद्य:स्थिती, त्यांच्या निर्धारित लक्ष्यांसह व २०१५ पर्यंत अपेक्षित साध्यांसह तक्ता ११.३ मध्ये दिली आहे. तक्ता ११.४ मध्ये इतर काही निर्देशकांच्या स्थितीतील बदल दर्शविला आहे.

**तक्ता ११.३ राज्यासाठी सहस्त्रकातील विकास उद्दिष्टांबाबतचे निर्देशक, लक्ष्ये व अपेक्षित साध्ये**

| निर्देशक | संदर्भ कालावधी | सद्य: स्थिती | लक्ष्य २०१५ | अपेक्षित साध्य २०१५ |
|---|---|---|---|---|
| दारिद्रयाचे अंदाज (टक्के) | २००९-१० | २४.५ | २५.४ | २१.६ |
| अपुऱ्या वजनाची मुले (३ वर्षाखालील) (टक्के) | २००५-०६ | ३२.७ | २६.१ | २५.४ |
| निव्वळ पटसंख्येचे प्रमाण (प्राथमिक) | २००९-१० | १००.० | १००.० | १००.० |
| पाच वर्षाखालील मृत्यू दर | २०१० | ३३.० | २४.९ | २८.५ |
| अर्भक मृत्यू दर | २०१० | २८.० | १९.३ | २५.३ |
| गोवर लसीकरण केलेल्या एका वर्षाच्या मुलांची टक्केवारी (१२-२३ महिने) | २००९ | ९१.२ | १००.० | ९६.० |
| माता मृत्यू दर ( प्रति १,००,००० जीवित जन्मामागे मृत्यू) | २००७-०९ | १०४.० | ५८.६ | ७७.१ |

आधार : भारत देशाचा सहस्त्रकातील विकास उद्दिष्टांबाबतचा अहवाल, २०११

**तक्ता ११.४ राज्याच्या सहस्त्रकातील विकास ध्येयाच्या इतर निर्देशकांची सद्य:स्थिती**

| निर्देशक | | संदर्भ कालावधी | संदर्भ कालावधीतील सद्य:स्थिती | |
|---|---|---|---|---|
| | | | सुरुवातीची | शेवटची |
| नित्य कार्यस्थितीनुसार (प्रमुख + दुय्यम) बिगर कृषि क्षेत्रातील वेतन रोजगारामध्ये महिलांची टक्केवारी | | २००४-०५ ते २००९-१० | २०.७ | १६.४ |
| कुशल दाईने हाताळलेल्या प्रसुतीचे प्रमाण | | १९९२-९३ ते २००७-०८ | ५३.१ | ४९.९ |
| एडस् मुळे झालेले अंदाजित मृत्यू | | २००६ ते २००९ | ५१,७५० | ३६,७७१ |
| १५ ते २४ वयोगटातील एच.आय.व्ही. बाधीत गरोदर स्त्रिया (टक्के) | | २००४ ते २००८ | ०.८६ | ०.५३ |
| हिवताप | आपात | २००६ ते २०१० | ०.३२ | ०.८६ |
| | मृत्यू प्रति १०० हिवताप बाधित रुग्ण | | ०.२४ | ०.१४ |
| सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण योजना – एकूण रोगी | नोंदणीकृत | २००५ ते २०१० | १,४४,५६४ | १,३६,१३५ |
| | मृत झालेले | | ६,९३६ | ४,०१६ |
| एकूण भौगोलिक क्षेत्रांशी जंगल व्याप्त क्षेत्राची टक्केवारी | | १९९५ ते २००७ | २०.७५ | २०.१३ |
| सुधारित स्वच्छता सुविधा उपलब्ध असलेल्या कुटुंबांचे प्रमाण (टक्के) | | २००५-०६ ते २००८-०९ | ५२.९ | ६१.६ |
| पिण्याच्या पाण्याचे सुधारित स्त्रोतांची उपलब्धता असण्या-या कुटुंबांचे प्रमाण (टक्के) | | २००५-०६ ते २००८-०९ | ९२.७ | ९०.३ |

आधार : भारत देशाचा सहस्त्रकातील विकास उद्दिष्टांबाबतचा अहवाल, २०११

## बाराव्या पंचवार्षिक योजनेतील मानव विकास

११.१० मानव विकासावर व जीवन शैलीवर, विशेषत: वंचित गटांच्या, परिणाम करणारी सामाजिक क्षेत्रे विकसित करण्यावर बाराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये विशेष भर देण्यात आला आहे. खाजगी क्षेत्रातून साधनसंपत्ती आकर्षित करणे प्रस्तावित आहे, जेणेकरुन बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या शेवटी भौतिक व आर्थिक दृष्टया विकासाचे ध्येय साध्य करण्याची खात्री निर्माण होईल. सार्वजनिक व खाजगी भागीदारीच्या पध्दती अंतर्गत केंद्र सरकारने २,५०० आदर्श शाळा बांधण्यासाठी मान्यता दिली असून ३,००० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बांधण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.

*****

## *व्याख्या सूची*

**देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न** : कोणत्याही भौगोलिक सीमांकित क्षेत्रातील विशिष्ट कालावधीमध्ये (साधारणपणे एक वर्ष) निर्माण झालेल्या सर्व वस्तू व सेवांचे (द्विरुक्ती टाळून) चलनाच्या स्वरुपात केलेले मोजमाप. सर्वसाधारणपणे भौगोलिक क्षेत्र म्हणजे देश. जर भौगोलिक क्षेत्र राज्य असेल तर त्यास स्थूल राज्य उत्पन्न आणि जर भौगोलिक क्षेत्र जिल्हा असेल तर त्यास स्थूल जिल्हा उत्पन्न असे संबोधले जाते.

**निव्वळ उत्पन्नाची** जसे देशांतर्गत निव्वळ उत्पन्न, निव्वळ राज्य उत्पन्न व निव्वळ जिल्हा उत्पन्न परिगणना करतांना संबंधित स्थूल उत्पन्नातून स्थिर भांडवलाचा घसारा वजा करण्यात येतो.

**स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न** : देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात विदेश व्यवहारातील देवाण-घेवणातील फरकाचा समावेश करुन स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न परिगणित करण्यात येते.

**निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न** : स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न मधून स्थिर भांडवलाचा घसारा वजा करुन निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न परिगणित करण्यात येते.

**दरडोई उत्पन्न** (राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्न, राज्य दरडोई उत्पन्न आणि जिल्हा दरडोई उत्पन्न) हे संबंधित भौगोलिक क्षेत्राच्या निव्वळ उत्पन्नाला मध्यावधी लोकसंख्येने भागून परिगणित करण्यात येते.

**आगाऊ अंदाज** म्हणजे उपलब्ध अनुरुप निर्देशांक वापरुन केलेले अंदाज.

$$\textbf{स्थूल राज्य उत्पन्न किंवा देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न संकोचक} = \frac{\text{नाममात्र स्थूल राज्य उत्पन्न किंवा देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न}}{\text{वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न किंवा देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न}} \times १००$$

**नाममात्र स्थूल राज्य उत्पन्न किंवा देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न** = नाममात्र स्थूल राज्य उत्पन्न किंवा देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न चालू किंमतीनुसार मोजले जाते.

**वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न किंवा देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न** = वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न किंवा देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न स्थिर किंमतीनुसार मोजले जाते. स्थिर किंमती म्हणजे एका विशिष्ट वर्षाच्या किंमती असून त्या वर्षाला पायाभूत वर्ष संबोधले जाते.

**ग्रामीण विद्युतीकरण** (विद्युतीकरण केलेले खेडे) : ज्या खेड्यात (१) वस्ती असलेल्या भागात तसेच दलित वस्ती/ वाडी अस्तित्वात असल्यास तेथे वितरण रोहित्र आणि वितरण तारमार्ग यांसारख्या पायाभूत सोयी केल्या असतील, (अक्षय ऊर्जा स्त्रोताद्वारा विद्युतीकरणासाठी वितरण रोहित्राची आवश्यकता असेलच असे नाही); (२) शाळा, पंचायत कार्यालय, आरोग्य केंद्रे, दवाखाने, समाजमंदिर यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी वीज पुरविली असेल; (३) कुटुंबांच्या एकूण संख्येपैकी वीजपुरवठा केलेल्या कुटुंबांची संख्या किमान १० टक्के एवढी असेल; त्या खेड्यास विद्युतीकरण झालेले खेडे घोषित करता येईल.

(उर्जा मंत्रालय, भारत सरकारने ग्रामीण विद्युतीकरण धोरण २००६ अंतर्गत निश्चित केलेली व्याख्या)

**वाहन उत्पादकता** : प्रति वाहनाने वाहतूक केलेले प्रतिदिन सरासरी कि. मी.

**चालक वाहक उत्पादकता** : चालक व वाहकांचे कि. मी. मध्ये प्रतिदिन सरासरी काम.

**लोड फॅक्टर टक्के** : प्रत्यक्ष प्रवासी उत्पन्न भागिले अपेक्षित प्रवासी उत्पन्न गुणिले शंभर.

**कार्गो बर्थ (जहाजी माल धक्का)** : जहाजावरील मालाची चढ-उतार करण्यासाठी जहाज नांगरले जाते असे नेमून दिलेले स्थळ.

**शैक्षणिकदृष्ट्या मागास गट** : शैक्षणिकदृष्ट्या मागास गट म्हणजे ज्या गटाचा ग्रामीण स्त्री साक्षरता दर हा राष्ट्रीय साक्षरता दरापेक्षा कमी असून स्त्री-पुरुष साक्षरतेतील दरी राष्ट्रीय साक्षरता दरापेक्षा जास्त असते.

**विशेष गरजा असलेली मुले** : विशेष गरजा असलेली मुले म्हणजे दृष्टीदोष, श्रवणदोष, हालचालदोष, आकलनदोष, सेरेब्रल पाल्सी किंवा मतीमंदत्व यांसारख्या रोगाने पिडीत असलेली सर्व मुले होय.

**एकूण प्रवेश प्रमाण :**

'क' वर्गातील 'ट' वर्षाकरिता शाळेतील पटावरील विद्यार्थ्यांच्या संख्येला 'अ' वयोगटातील 'क' या वर्गाकरीता संबंधित वयोगटातील मुलांच्या संख्येने भागले असता एकूण प्रवेश प्रमाण मिळते .

$$\text{एकूण प्रवेश प्रमाण} = \frac{\text{प्र}^{\text{ट}}_{\text{क, अ}}}{\text{प}^{\text{ट}}_{\text{अ}}} \times १००$$

**स्त्री-पुरुष असमानता निर्देशांक :**

$$\text{स्त्री-पुरुष असमानता निर्देशांक} = \frac{\text{मुलींच्या एकूण प्रवेशाचे प्रमाण}}{\text{मुलांच्या एकूण प्रवेशाचे प्रमाण}}$$

**शिक्षण विकास निर्देशांक परिगणित करण्याकरीता वापरलेले चल :**

| *घटक* | *निर्देशक* |
|---|---|
| ***उपलब्धता*** | सेवा न पुरविण्यात आलेल्या वस्त्यांची टक्केवारी (वर्ष २००२-०३ पासून सुरु केलेल्या नवीन शाळांना (शासकीय) अनुसरुन सुधारित केलेले) |
| | दर हजार मुलांच्या संख्येमागे शाळांची उपलब्धता |
| | प्राथमिक शाळांचे उच्च प्राथमिक शाळांशी/तुकड्यांशी प्रमाण (फक्त उच्च प्राथमिक स्तराकरीता) |
| ***पायाभूत सुविधा*** | विद्यार्थी-वर्गखोल्या यांचे प्रमाण ४० पेक्षा जास्त असलेल्या शाळा |
| | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा असलेल्या शाळा |
| | सामायिक स्वच्छतागृहे असलेल्या शाळा |
| | मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे असलेल्या शाळा |
| ***शिक्षक*** | शिक्षिका असलेल्या शाळांची टक्केवारी (दोन किंवा अधिक शिक्षक असलेल्या शाळांमध्ये) |
| | विद्यार्थी-शिक्षक यांचे प्रमाण ४० पेक्षा जास्त असलेल्या शाळा |
| | दोनपेक्षा कमी शिक्षक असलेल्या शाळांची टक्केवारी ( १५ पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या शाळांमध्ये) (फक्त प्राथमिक शाळा) |
| | तीनपेक्षा कमी शिक्षक असलेल्या शाळांची टक्केवारी (उच्च प्राथमिक शाळा/तुकड्या) |
| | व्यावसायिक पात्रता नसलेले शिक्षक |
| ***फलनिष्पत्ती*** | एकूण प्रवेश प्रमाण - सर्व |
| | अनुसूचित जातींच्या मुलांचा सहभाग : अनुसूचित जाती लोकसंख्येची टक्केवारी (२००१ जनगणनेनुसार)-अनुसूचित जाती पटसंख्या टक्केवारी |
| | अनुसूचित जमातींच्या मुलांचा सहभाग : अनुसूचित जमाती लोकसंख्येची टक्केवारी (२००१ जनगणनेनुसार)-अनुसूचित जमाती पटसंख्या टक्केवारी |
| | प्रवेशित स्त्री-पुरुष असमानता निर्देशांक |
| | नापासांचे प्रमाण |
| | गळतीचे प्रमाण |
| | शाळा सोडलेल्या मुलांचे पहिल्या वर्गातील पटसंख्येशी प्रमाण (फक्त प्राथमिक स्तराकरीता) |
| | प्राथमिक स्तरामधून उच्च प्राथमिक स्तरामध्ये संक्रमण दर (फक्त उच्च प्राथमिक स्तराकरीता) |

**जन्म दर :** दर हजार व्यक्तींमागे त्या वर्षातील जिवित जन्मांची संख्या

**मृत्यू दर :** दर हजार व्यक्तींमागे त्या वर्षातील मृत्यूंची संख्या

**अर्भक मृत्यू दर :** दर हजार जिवित जन्मांमागे अर्भकांच्या (एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा लहान) मृत्यूंची संख्या

**नवजात मृत्यू दर :** चालू वर्षातील जिवित जन्मांमागे २८ दिवसांपेक्षा कमी वय असलेल्या नवजात शिशुंच्या मृत्यूंची संख्या

**माता मृत्यू :** गरोदर पणात किंवा प्रसुतीपश्चात अल्प कालावधीत प्रसुतीमुळे झालेल्या स्त्रिच्या मृत्यूस माता मृत्यू असे म्हणतात.

**माता मृत्यू दर :** एक लाख जिवित जन्मांमागे माता मृत्यूंची संख्या. माता मृत्यू दराचा आरोग्य विषयक सेवांच्या दर्जाचे परिमाण म्हणून उपयोग केला जातो.

**एकूण जनन दर :** स्त्रीच्या जीवनकालावधीत स्त्रीला होणारी सरासरी जिवित मुले

**मुख्य कामगार :** गणनेपूर्वीच्या वर्षामध्ये १८३ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस काम केलेल्या कामगारांना मुख्य कामगार असे म्हणतात.

**सीमांतिक कामगार** : गणनेपूर्वीच्या वर्षामध्ये १८३ दिवसांपेक्षा कमी *दिवस काम केलेल्या* कामगारांना सीमांतिक कामगार असे म्हणतात.

**चालू आठवड्याची कार्यस्थिती** : एखाद्या व्यक्तीची पाहणीच्या दिनांकाच्या मागील सात दिवसांतील कार्यस्थिती.

**ग्राहक वस्तू :** स्वत:च्या व कुटुबांच्या वापरासाठी ग्राहकांनी खरेदी केलेल्या वस्तू.

**पुन:निर्माण वस्तू :** दुसऱ्या वस्तू तयार करण्याकरिता वापरात येणाऱ्या वस्तू.

**भांडवली वस्तू :** वस्तू तयार करण्यात येणारी यंत्रे, इत्यादि.

**सर्वसाधारण राज्य मानव विकास निर्देशांक मापनासाठी वापरण्यात आलेले सूत्र (भारत मानव विकास अहवाल, २०११) :**

$$\text{निर्देशांक} = \frac{\text{प्रत्यक्ष मूल्य} - \text{किमान मूल्य}}{\text{कमाल मूल्य} - \text{किमान मूल्य}}$$

$$\text{आरोग्य निर्देशांक} = \frac{\text{जन्मवेळेचे अपेक्षित आयुर्मान} - \text{किमान (जन्मवेळेचे अपेक्षित आयुर्मान)}}{\text{जन्मवेळेचे अपेक्षित आयुर्मानाचा विस्तार}}$$

शिक्षण निर्देशांक = १/३ * (साक्षरता निर्देशांक) + २/३ * (समायोजित शिक्षणाची सरासरी वर्षे )

जेथे साक्षरता निर्देशांक = ७ वर्षे व अधिक वयाच्या लोकांचे साक्षरता दर

समायोजित शिक्षणाची सरासरी वर्षे = ७ वर्षे व अधिक वयाच्या लोकांची शिक्षणाची सरासरी वर्षे, ६ ते १७ या शाळेत जाणा-या वयातील शाळा सोडलेल्या मुलांना समायोजित केलेले

$$\text{उत्पन्न निर्देशांक} = \frac{\text{मासिक दरडोई खर्च (१-ग) - मासिक दरडोई खर्च}_{\text{किमान}}\text{ (१-ग)}}{\text{मासिक दरडोई खर्च}_{\text{कमाल}}\text{ (१-ग) - मासिक दरडोई खर्च}_{\text{किमान}}\text{ (१-ग)}}$$

जेथे ग - मासिक दरडोई खर्चाच्या असमानतेचा गिनी सगुणांक

मानव विकास निर्देशांक - आरोग्य निर्देशांक, शैक्षणिक निर्देशांक व उत्पन्न निर्देशांक यांची सर्वसाधारण सरासरी.

**राज्य मानव विकास निर्देशांक मापनासाठी पध्दती ( राज्य मानव विकास अहवाल, २००२) :**

प्रत्येक निर्देशांकांसाठी विशिष्ट देशाची वंचितता खालील सुत्राने परिगणीत करण्यात येते.

निर्देशांक $_{(क, ख)}$ = [महत्तम $_{ख}$ क्ष $_{(क, ख)}$ – क्ष $_{(क, ख)}$] / विस्तार $_{(क)}$

जेथे

निर्देशांक $_{(क, ख)}$ - ख देशाची क चलनासाठीची वंचितता निर्देशक

महत्तम $_{ख}$ क्ष $_{(क, ख)}$ - विविध देशांमधील सर्वाधिक क्ष $_{(क, ख)}$

क्ष $_{(क, ख)}$ - क चलाचे ख देशासाठीचे मूल्य

विस्तार $_{(क)}$ - क चलाचा विस्तार

प्रत्येक ख देशाची सरासरी वंचितता निर्देशक – निर्देशांक $_{(ख)}$ त्या देशाच्या प्रत्येक चलासाठीचा वंचितता निर्देशकांची सरासरी.

ख देशासाठीचा मानव विकास निर्देशांक - मानव विकास निर्देशांक $_{(ख)}$ - १ – निर्देशांक $_{(ख)}$

* * * * *

# भारतातील राज्यांचे निवडक
# सामाजिक व आर्थिक निर्देशक

# क. भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक

| राज्य | भौगोलिक क्षेत्र (लाख चौ.कि.मी.) | लोकसंख्या (लाख) | लोकसंख्येची घनता (प्रति चौ.कि.मी.) | नागरी लोकसंख्येची एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी | राज्याच्या लोकसंख्येची भारताच्या लोकसंख्येशी टक्केवारी | लोकसंख्येतील दशवर्षीय वाढ (टक्के) | स्त्री -पुरुष प्रमाण | बालकांमधील स्त्री-पुरुष प्रमाण (०-६ वर्ष वयोगट) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| संदर्भ वर्ष किंवा दिनांक | (२०११) | (२०११) | (२०११) | (२०११) | (२०११) | (२००१-११) | (२०११) | (२०११) |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) |
| आंध्र प्रदेश | २.७५ | ८४६.६६ | ३०८ | ३३.४९ | ७.०० | ११.१० | ९९२ | ९४३ |
| अरुणाचल प्रदेश | ०.८४ | १३.८३ | १७ | २२.६७ | ०.११ | २५.९२ | ९२० | ९६० |
| आसाम | ०.७८ | ३११.६९ | ३९७ | १४.०८ | २.५८ | १६.९३ | ९५४ | ९५७ |
| बिहार | ०.९४ | १,०३८.०५ | १,१०२ | ११.३० | ८.५८ | २५.०७ | ९१६ | ९३३ |
| झारखंड | ०.८० | ३२९.६६ | ४१४ | २४.०५ | २.७२ | २२.३४ | ९४७ | ९४३ |
| दिल्ली | ०.०१ | १६७.५३ | ११,२९७ | ९७.५० | १.३८ | २०.९६ | ८६६ | ८६६ |
| गोवा | ०.०४ | १४.५८ | ३९४ | ६२.१७ | ०.१२ | ८.१७ | ९६८ | ९२० |
| गुजरात | १.९६ | ६०३.८४ | ३०८ | ४२.५८ | ४.९९ | १९.१७ | ९१८ | ८८६ |
| हरियाणा | ०.४४ | २५३.५३ | ५७३ | ३४.७९ | २.०९ | १९.९० | ८७७ | ८३० |
| हिमाचल प्रदेश | ०.५६ | ६८.५७ | १२३ | १०.०४ | ०.५७ | १२.८१ | ९७४ | ९०६ |
| जम्मू व काश्मीर | २.२२ | १२५.४९ | १२४ | २७.२१ | १.०४ | २३.७१ | ८८३ | ८५९ |
| कर्नाटक | १.९२ | ६११.३१ | ३१९ | ३८.५७ | ५.०५ | १५.६७ | ९६८ | ९४३ |
| केरळ | ०.३९ | ३३३.८८ | ८५९ | ४७.७२ | २.७६ | ४.८६ | १,०८४ | ९५९ |
| मध्य प्रदेश | ३.०८ | ७२५.९८ | २३६ | २७.६३ | ६.०० | २०.३० | ९३० | ९१२ |
| छत्तीसगड | १.३५ | २५५.४० | १८९ | २३.२४ | २.११ | २२.५९ | ९९१ | ९६४ |
| **महाराष्ट्र** | **३.०८** | **१,१२३.७३** | **३६५** | **४५.२३** | **९.२९** | **१५.९९** | **९२५** | **८८३** |
| मणिपूर | ०.२२ | २७.२२ | १२२ | ३०.२१ | ०.२२ | १८.६५ | ९८७ | ९३४ |
| मेघालय | ०.२२ | २९.६४ | १३२ | २०.०८ | ०.२४ | २७.८२ | ९८६ | ९७० |
| मिझोराम | ०.२१ | १०.९१ | ५२ | ५१.५१ | ०.०९ | २२.७८ | ९७५ | ९७१ |
| नागालँड | ०.१७ | १९.८१ | ११९ | २८.९७ | ०.१६ | -०.४७ | ९३१ | ९४४ |
| ओडिशा | १.५६ | ४१९.४७ | २६९ | १६.६८ | ३.४७ | १३.९७ | ९७८ | ९३४ |
| पंजाब | ०.५० | २७७.०४ | ५५० | ३७.४९ | २.२९ | १३.७३ | ८९३ | ८४६ |
| राजस्थान | ३.४२ | ६८६.२१ | २०१ | २४.८९ | ५.६७ | २१.४४ | ९२६ | ८८३ |
| सिक्कीम | ०.०७ | ६.०८ | ८६ | २४.९७ | ०.०५ | १२.३६ | ८८९ | ९४४ |
| तामीळनाडू | १.३० | ७२१.३९ | ५५५ | ४८.४५ | ५.९६ | १५.६० | ९९५ | ९४६ |
| त्रिपूरा | ०.१० | ३६.७१ | ३५० | २६.१८ | ०.३० | १४.७५ | ९६१ | ९५३ |
| उत्तर प्रदेश | २.४१ | १,९९५.८१ | ८२८ | २२.२८ | १६.४९ | २०.०९ | ९०८ | ८९९ |
| उत्तराखंड | ०.५३ | १०१.१७ | १८९ | ३०.५५ | ०.८४ | १९.१७ | ९६३ | ८८६ |
| पश्चिम बंगाल | ०.८९ | ९१३.४८ | १,०२९ | ३१.८९ | ७.५५ | १३.९३ | ९४७ | ९५० |
| **भारत $** | **३२.८७** | **१२,१०१.९३** | **३८२** | **३१.१६** | **१००.००** | **१७.६४** | **९४०** | **९१४** |

$ केंद्रशासित प्रदेश धरुन

# भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक

| एकूण कुटुंबे (लाख) | स्त्री कुटुंब प्रमुख असलेली कुटुंबे (लाख) | पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची सुविधा उपलब्ध असलेल्या कुटुंबांची टक्केवारी | अनुसुचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येची एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी | मुख्यत: काम करणाऱ्यांची एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी | कृषि विषयक काम करणाऱ्यांची एकूण काम करणाऱ्यांशी टक्केवारी | काम करणाऱ्या स्त्रियांचा सहभाग दर | स्त्रियांचे लग्नाच्या वेळेचे सरासरी वय | संपूर्ण लसीकरण झालेल्या बालकांची टक्केवारी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (२०११) | (२०११) | (२०११) | (२००१) | (२००१) | (२००१) | (२००१) | (२००८) | (२००७-०८) |
| (१०) | (११) | (१२) | (१३) | (१४) | (१५) | (१६) | (१७) | (१८) |
| २१०.२५ | २७.७१ | ९०.५ | २२.७८ | ३८.११ | ६२.१६ | ३५.११ | १९.६ | ६७.१ |
| २.६२ | ०.२९ | ७८.६ | ६४.७९ | ३७.८० | ६१.७४ | ३६.५४ | उ.ना. | उ.ना. |
| ६३.६७ | ७.४३ | ६९.९ | १९.२६ | २६.६९ | ५२.३६ | २०.७१ | २०.७ | ५०.९ |
| १८९.४१ | १४.०६ | ९४.० | १६.६४ | २५.३७ | ७७.२५ | १८.८४ | १९.५ | ४१.४ |
| ६१.८२ | ५.३१ | ६०.१ | ३८.१४ | २३.९२ | ६६.६८ | २६.४१ | २०.५ | ५४.१ |
| ३३.४१ | ३.५० | ९५.० | १६.९२ | ३१.१७ | १.१७ | ९.३७ | २२.१ | ६७.६ |
| ३.२३ | ०.६५ | ८५.७ | १.८१ | ३१.५६ | १६.४९ | २२.३६ | उ.ना. | ८९.८ |
| १२१.८२ | १०.९१ | ९०.३ | २१.८५ | ३३.६० | ५१.५८ | २७.९१ | २१.० | ५४.९ |
| ४७.१८ | ४.४९ | ९३.८ | १९.३५ | २९.५२ | ५१.२९ | २७.२२ | २०.१ | ५९.६ |
| १४.७७ | २.७० | ९३.७ | २८.७४ | ३२.३१ | ६८.४७ | ४३.६७ | २२.१ | ८२.३ |
| २०.१५ | १.५९ | ७६.८ | १८.५० | २५.७२ | ४८.९६ | २२.४५ | २३.३ | ६२.५ |
| १३१.८० | १९.६५ | ८७.५ | २२.७६ | ३६.६४ | ५५.७१ | ३१.९८ | २०.३ | ७६.७ |
| ७७.१६ | १७.५० | ३३.५ | १०.९५ | २५.८७ | २२.८० | १५.३८ | २२.८ | ७९.५ |
| १४९.६८ | १२.०३ | ७८.० | ३५.४४ | ३१.६५ | ७१.४९ | ३३.२१ | २१.४ | ३६.२ |
| ५६.२३ | ६.२६ | ८६.३ | ४३.३७ | ३३.८६ | ७६.४७ | ४०.०४ | २०.२ | ५९.३ |
| **२३८.३१** | **२५.१३** | **८३.४** | **१९.०५** | **३५.८७** | **५४.९६** | **३०.८१** | **२०.९** | **६९.१** |
| ५.०७ | ०.६८ | ४५.४ | ३६.९८ | ३०.४३ | ५२.१९ | ३९.०२ | उ.ना. | उ.ना. |
| ५.३८ | १.१७ | ४४.७ | ८६.४२ | ३२.६५ | ६५.८४ | ३५.१५ | उ.ना. | ३३.७ |
| २.२१ | ०.३४ | ६०.४ | ९४.४९ | ४०.७९ | ६०.६० | ४७.५४ | उ.ना. | ५४.५ |
| ४.०० | ०.४८ | ५३.८ | ८९.१५ | ३५.३८ | ६८.३८ | ३८.०६ | उ.ना. | उ.ना. |
| ९६.६१ | १०.१९ | ७५.३ | ३८.६६ | २६.०५ | ६४.७७ | २४.६६ | २०.५ | ६२.४ |
| ५४.१० | ६.७३ | ९७.६ | २८.८५ | ३२.१७ | ३८.९५ | १९.०५ | २२.२ | ७९.९ |
| १२५.८१ | ८.८२ | ७८.१ | २९.७२ | ३०.८६ | ६५.९१ | ३३.४९ | १९.८ | ४८.८ |
| १.२८ | ०.१५ | ८५.३ | २५.६२ | ३९.३६ | ५६.३६ | ३८.५७ | उ.ना. | ७७.८ |
| १८४.९३ | २५.८९ | ९२.५ | २०.०४ | ३८.०७ | ४९.३३ | ३१.५४ | २१.९ | ८९.८ |
| ८.४३ | १.०८ | ६७.५ | ४८.४२ | २८.५२ | ५०.८३ | २१.०८ | उ.ना. | ३८.५ |
| ३२९.२४ | २७.३४ | ९५.१ | २१.२१ | २३.६७ | ६५.८९ | १६.५४ | २०.२ | ३०.३ |
| १९.९७ | ३.४२ | ९२.२ | २०.८९ | २७.३६ | ५८.३८ | २७.३३ | उ.ना. | ६२.९ |
| २००.६७ | २२.३८ | ९२.२ | २८.५१ | २८.७२ | ४४.१५ | १८.३२ | २०.२ | ७५.८ |
| **२४६६.९३** | **२६८.८४** | **८५.५** | **२४.४०** | **३०.४३** | **५८.२०** | **२५.६३** | **२०.६** | **५४.१** |

उ.ना. - उपलब्ध नाही

# भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक

| राज्य | मानव विकासाबाबतचे मूलभूत निर्देशक | | | | | | | | | मानव विकास निर्देशांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | साक्षरतेची टक्केवारी †† | | | जन्माच्या वेळेची आयुर्मर्यादा (वर्षे) | | जन्म दर | मृत्यु दर | अर्भक मृत्यू दर @ | चालू किंमतीनुसार दरडोई उत्पन्न * (₹) | |
| | पुरुष | स्त्रिया | एकूण | पुरुष | स्त्रिया | | | | | |
| संदर्भ वर्ष किंवा दिनांक | (२०११) | (२०११) | (२०११) | (२०११-१५) | (२०११-१५) | (२०११) | (२०११) | (२०११) | (२०११-१२) | (२०११) |
| (१) | (१९) | (२०) | (२१) | (२२) | (२३) | (२४) | (२५) | (२६) | (२७) | (२८) |
| आंध्र प्रदेश | ७५.५६ | ५९.७४ | ६७.६६ | ६६.९ | ७०.९ | १७.५ | ७.५ | ४३ | ७१,४८० | ०.४७३ |
| अरुणाचल प्रदेश | ७३.६९ | ५९.५७ | ६६.९५ | उ.ना. | उ.ना. | १९.८ | ५.८ | ३२ | ६२,२१३ | उ.ना. |
| आसाम | ७८.८१ | ६७.२७ | ७३.१८ | ६३.६ | ६४.८ | २२.८ | ८.० | ५५ | ३३,६३३ | ०.४४४ |
| बिहार | ७३.३९ | ५३.३३ | ६३.८२ | ६८.६ | ६८.७ | २७.७ | ६.७ | ४४ | २३,४३५ | ०.३६७ |
| झारखंड | ७८.४५ | ५६.२१ | ६७.६३ | ६७.५ | ६६.० | २५.० | ६.९ | ३९ | ३५,६५२ | ०.३७६ |
| दिल्ली | ९१.०३ | ८०.९३ | ८६.३४ | ७२.२ | ७५.८ | १७.५ | ४.३ | २८ | १,७५,८१२ | ०.७५० |
| गोवा | ९२.८१ | ८१.८४ | ८७.४० | उ.ना. | उ.ना. | १३.३ | ६.७ | ११ | १,९२,६५२ | ०.६१७ |
| गुजरात | ८७.२३ | ७०.७३ | ७९.३१ | ६९.२ | ७२.५ | २१.३ | ६.७ | ४१ | ८९,६६८ | ०.५२७ |
| हरियाणा | ८५.३८ | ६६.७७ | ७६.६४ | ६८.९ | ७१.३ | २१.८ | ६.५ | ४४ | १,०८,८५९ | ०.५५२ |
| हिमाचल प्रदेश | ९०.८३ | ७६.६० | ८३.७८ | ७०.८ | ७४.३ | १६.५ | ६.७ | ३८ | ७४,८९९ | ०.६५२ |
| जम्मू व काश्मीर | ७८.२६ | ५८.०१ | ६८.७४ | ६६.५ | ६९.३ | १७.८ | ५.५ | ४१ | ४२,२२० | ०.५२९ |
| कर्नाटक | ८२.८५ | ६८.१३ | ७५.६० | ६८.० | ७२.३ | १८.८ | ७.१ | ३५ | ६८,३७४ | ०.५१९ |
| केरळ | ९६.०२ | ९१.९८ | ९३.९१ | ७३.२ | ७७.६ | १५.२ | ७.० | १२ | ८३,७२५ | ०.७९० |
| मध्य प्रदेश | ८०.५३ | ६०.०२ | ७०.६३ | ६४.५ | ६५.३ | २६.९ | ८.२ | ५९ | ३८,६६९ | ०.३७५ |
| छत्तीसगड | ८१.४५ | ६०.५९ | ७१.०४ | ६३.० | ६६.० | २४.९ | ७.९ | ४८ | ४६,५७३ | ०.३५८ |
| **महाराष्ट्र** | **८९.८२** | **७५.४८** | **८२.९१** | **६८.९** | **७२.५** | **१६.७** | **६.३** | **२५** | **९५,३३९** | **०.५७२** |
| मणिपूर | ८६.४९ | ७३.१७ | ७९.८५ | उ.ना. | उ.ना. | १४.४ | ४.१ | ११ | ३२,२८४ | उ.ना. |
| मेघालय | ७७.१७ | ७३.७८ | ७५.४८ | उ.ना. | उ.ना. | २४.१ | ७.८ | ५२ | ५२,९७१ | उ.ना. |
| मिझोराम | ९३.७२ | ८९.४० | ९१.५८ | उ.ना. | उ.ना. | १६.६ | ४.४ | ३४ | उ.ना. | उ.ना. |
| नागालँड | ८३.२९ | ७६.६९ | ८०.११ | उ.ना. | उ.ना. | १६.१ | ३.३ | २१ | ५६,६३८ | उ.ना. |
| ओडिशा | ८२.४० | ६४.३६ | ७३.४५ | ६४.३ | ६७.३ | २०.१ | ८.५ | ५७ | ४६,१५० | ०.३६२ |
| पंजाब | ८१.४८ | ७१.३४ | ७६.६८ | ६९.७ | ७२.८ | १६.२ | ६.८ | ३० | ७४,६०६ | ०.६०५ |
| राजस्थान | ८०.५१ | ५२.६६ | ६७.०६ | ६७.६ | ७०.७ | २६.२ | ६.७ | ५२ | ४७,५०६ | ०.४३४ |
| सिक्कीम | ८७.२९ | ७६.४३ | ८२.२० | उ.ना. | उ.ना. | १७.६ | ५.६ | २६ | १,२१,४४० | उ.ना. |
| तामीळनाडू | ८६.८१ | ७३.८६ | ८०.३३ | ६८.६ | ७१.८ | १५.९ | ७.४ | २२ | ८४,४९६ | ०.५७० |
| त्रिपूरा | ९२.१८ | ८३.१५ | ८७.७५ | उ.ना. | उ.ना. | १४.३ | ५.० | २९ | ५०,७५० | उ.ना. |
| उत्तर प्रदेश | ७९.२४ | ५९.२६ | ६९.७२ | ६६.० | ६६.९ | २७.८ | ७.९ | ५७ | ३०,०५२ | ०.३८० |
| उत्तराखंड | ८८.३३ | ७०.७० | ७९.६३ | ६६.० | ६९.५ | १८.९ | ६.२ | ३६ | ८२,१९३ | ०.४९० |
| पश्चिम बंगाल | ८२.६७ | ७१.१६ | ७७.०८ | ६९.२ | ७२.१ | १६.३ | ६.२ | ३२ | ५४,८३० | ०.४९२ |
| **भारत $** | **८२.१४** | **६५.४६** | **७४.०४** | **६७.३** | **६९.६** | **२१.८** | **७.१** | **४४** | **६१,५६४** | **०.४६७** |

$ केंद्रशासित प्रदेश धरुन * अस्थायी उ.ना. - उपलब्ध नाही

†† साक्षरतेची टक्केवारी सात वर्षे व त्यापेक्षा अधिक वयाच्या लोकसंख्येची आहे.

@ छोट्या राज्यांचे व केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्भक मृत्यु दर हे २००९-११ या तीन वर्षाच्या कालावधीवर आधारित आहेत.

# भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक

| वित्तविषयक निर्देशक | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्याची दरडोई महसूली जमा (₹) | एकूण महसूली जमेतील राज्याच्या स्वत:च्या कर महसूलाचा हिस्सा (टक्के) | केंद्रिय करांतील दरडोई हिस्सा (₹) | केंद्राकडून प्राप्त दरडोई अनुदान (₹) | एकूण खर्चातील विकास खर्चाचा हिस्सा (टक्के) | योजनांतर्गत खर्चाची एकूण खर्चाशी टक्केवारी | वार्षिक योजनेच्या नियतव्ययाची राज्यांतर्गत स्थूल उत्पन्नाशी टक्केवारी | महसूली तूट (+) / आधिक्य (-) ची राज्यांतर्गत स्थूल उत्पन्नाशी टक्केवारी | वित्तीय तूट (+) / आधिक्य (-) ची राज्यांतर्गत स्थूल उत्पन्नाशी टक्केवारी | राज्य शासनाच्या थकित दायित्वांची राज्यांतर्गत स्थूल उत्पन्नाशी टक्केवारी |
| (२०१२-१३) | (२०१२-१३) | (२०१२-१३) | (२०१२-१३) | (२०१२-१३) | (२०१२-१३) | (२०११-१२) | (२०११-१२) | (२०११-१२) | (३१-३-२०१२) |
| (२९) | (३०) | (३१) | (३२) | (३३) | (३४) | (३५) | (३६) | (३७) | (३८) |
| १३,५९१ | ५६.५ | २,५५५ | १,७४० | ७१.० | ३७.४ | ६.४ | -०.१ | २.६ | २२.६ |
| ५१,५८२ | ४.४ | ७,८३२ | ३८,१३३ | ५२.६ | ५८.३ | ३४.२ | -१९.८ | १६.९ | ३८.४ |
| १२,०८३ | २१.३ | ३,५३३ | ४,८६४ | ६२.८ | ३८.६ | ७.८ | -०.३ | ३.९ | २२.८ |
| ६,८२० | २३.१ | ३,३२० | १,६११ | ६५.४ | ४१.५ | ८.५ | -०.३ | ५.१ | २७.२ |
| १०,०८४ | २६.९ | २,६४३ | ३,४९२ | ७१.७ | ५०.६ | ९.४ | -०.५ | ३.० | २६.४ |
| १४,९२२ | ९०.८ | उ.ना. | १,००० | ६७.६ | ४५.४ | ४.८ | -१.२ | १.० | ९.४ |
| ३८,०६२ | ४५.९ | ४,५४८ | २,४९१ | ७२.७ | ४४.१ | ७.५ | ०.३ | ४.१ | २३.५ |
| १२,५९६ | ६७.५ | १,५३२ | १,४३९ | ६४.७ | ४१.२ | ६.२ | -०.३ | २.१ | २५.८ |
| १४,३०३ | ६३.९ | १,२१८ | २,०९६ | ६८.० | ३४.७ | ६.६ | ०.८ | २.५ | १७.४ |
| २३,७०२ | ३१.० | ३,४३८ | १०,०२३ | ५७.९ | १९.२ | ५.२ | -०.७ | २.८ | ४४.० |
| २५,०५९ | १८.१ | ३,५४८ | १५,२०२ | ६०.० | २५.० | १०.४ | -४.८ | ५.९ | ५५.५ |
| १३,४९१ | ६३.६ | २,१६८ | २,२११ | ६६.६ | ३९.६ | ८.३ | -०.७ | २.८ | २२.० |
| १३,७७७ | ६६.७ | २,०३२ | १,५५१ | ५५.० | १९.३ | ३.७ | १.७ | ३.५ | २८.९ |
| ९,४४५ | ४०.५ | २,९१८ | १,७१२ | ६६.५ | ३८.० | ७.३ | -२.५ | २.५ | २५.४ |
| १२,६६५ | ३८.८ | ३,०२३ | २,५६७ | ७६.१ | ५६.८ | १२.३ | -१.६ | २.८ | १३.१ |
| **११,८७९** | **६८.२** | **१,३६७** | **१,४६०** | **६४.०** | **२९.५** | **३.५** | **०.२** | **१.७** | **२१.४** |
| ३१,०७५ | ४.३ | ५,४५३ | २२,७३५ | ६६.१ | ४८.५ | २७.० | -३.५ | १६.२ | ६२.९ |
| २६,१५२ | १०.३ | ४,६४६ | १७,०४८ | ७७.४ | ५८.३ | १७.२ | -४.० | २.६ | ३०.० |
| ४६,९२१ | ४.० | ७,९१८ | ३४,८०० | ७१.६ | ४७.४ | उ.ना. | उ.ना. | उ.ना. | उ.ना. |
| २८,४७२ | ४.४ | ३,७९९ | २२,५३३ | ५३.४ | ३५.७ | १३.८ | -६.० | ५.८ | ४८.४ |
| १०,६१२ | ३५.६ | ३,२६३ | २,३१२ | ६१.५ | ३४.० | ५.४ | -१.४ | ०.९ | २१.० |
| १३,५०९ | ६२.७ | १,४९१ | १,६७६ | ५३.९ | २०.४ | ४.६ | २.२ | ३.९ | ३३.५ |
| ९,०८४ | ४२.५ | २,५४८ | १,३९० | ६६.६ | ३१.१ | ७.५ | -०.१ | २.१ | २९.१ |
| ७६,८८६ | ७.३ | ११,५५७ | ४३,१७८ | ६१.६ | ४९.१ | १६.७ | -९.९ | ३.६ | ३०.६ |
| १४,७६९ | ७१.० | २,२०७ | १,१८३ | ६१.६ | ३७.१ | ३.७ | -०.१ | २.६ | २०.२ |
| १९,४४१ | १२.४ | ३,७४७ | १२,७८८ | ५४.३ | ४१.१ | ८.३ | -६.९ | २.० | ३१.९ |
| ७,७०० | ३९.१ | २,८८५ | १,११९ | ५७.४ | २९.६ | ६.२ | -१.२ | २.७ | ३५.९ |
| १५,८९५ | ३७.० | ३,३३४ | ५,४८८ | ६२.५ | ३३.४ | ८.२ | -०.२ | २.९ | २६.६ |
| ८,४५१ | ४०.७ | २,४२१ | २,२३३ | ५५.६ | २७.७ | ४.१ | ३.२ | ४.० | ३९.२ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

उ.ना. - उपलब्ध नाही

# भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक

| राज्य | अनुसूचित वाणिज्यिक बँका | | | | | प्रति हेक्टर उत्पादन (किलोग्रॅम) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | दर लाख लोकसंख्येमागे बँक कार्यालयांची संख्या | दरडोई ठेवी (₹) | दरडोई पतपुरवठा (₹) | पतपुरवठ्याचे ठेवीशी प्रमाण (टक्के) | प्राधान्य क्षेत्राच्या पतपुरवठ्याचा एकूण पतपुरवठ्या-मधील हिस्सा (टक्के) | एकूण तृणधान्ये | एकूण कडधान्ये | एकूण अन्नधान्ये | एकूण तेलबिया | कापूस (रुई) | ऊस (टन) |
| संदर्भ वर्ष किंवा दिनांक | (३१-०३-२०१२) | (३१-०३-२०१२) | (३१-०३-२०१२) | (३१-०३-२०१२) | (३१-०३-२०१२) | त्रैवार्षिक सरासरी (२००७-०८ ते २००९-१०) | | | | | |
| (१) | (३९) | (४०) | (४१) | (४२) | (४३) | (४४) | (४५) | (४६) | (४७) | (४८) | (४९) |
| आंध्र प्रदेश | ९.३ | ४०,५६६ | ४४,७६५ | ११०.४ | ४२.८ | ३,२०४ | ७८७ | २,५५१ | ९४७ | ३८७ | ७८ |
| अरुणाचल प्रदेश | ७.३ | ४८,७५८ | १०,९६२ | २२.५ | ३८.० | १,३६१ | १,०३७ | १,३५१ | ९४५ | - | २० |
| आसाम | ५.१ | २१,७९८ | ८,१३४ | ३७.३ | ५२.६ | १,५७५ | ५६४ | १,५३० | ५३० | १४२ | ३८ |
| बिहार | ४.५ | १४,२७१ | ४,१५६ | २९.१ | ७१.९ | १,६८८ | ८१८ | १,६१४ | १,००५ | - | ४१ |
| झारखंड | ६.६ | २७,८७१ | ९,३७२ | ३३.६ | ५३.३ | १,७६५ | ७२३ | १,५८६ | ५५६ | - | ४९ |
| दिल्ली | १४.० | ३,६१,५५४ | ३,४४,६५८ | ९५.३ | १२.४ | ३,६०१ | - | ३,६१२ | ८३३ | - | - |
| गोवा | २६.५ | २,०१,८२५ | ५८,३५४ | २८.९ | ४०.७ | २,३२५ | १,०४२ | २,०९२ | २,१३९ | - | ५२ |
| गुजरात | ८.८ | ५१,१८९ | ३५,६९४ | ६९.७ | ४१.३ | १,८७८ | ७७५ | १,६६२ | १,३५७ | ५८६ | ७४ |
| हरियाणा | ११.१ | ५६,७४३ | ५७,९३७ | १०२.१ | ३४.१ | ३,४९३ | ७८० | ३,३९७ | १,५२९ | ६३० | ६४ |
| हिमाचल प्रदेश | १६.६ | ५६,०५६ | २०,८३३ | ३७.२ | ७०.२ | १,६९२ | ८४४ | १,६५८ | ३४८ | - | २३ |
| जम्मू व काश्मीर | ९.१ | ४१,७८४ | १४,३१६ | ३४.३ | ६०.० | १,६९६ | ४७३ | १,६५५ | ७९३ | - | - |
| कर्नाटक | ११.३ | ६८,५९१ | ४८,५१८ | ७०.७ | ३५.७ | १,९०१ | ४८३ | १,४७९ | ५८० | ३०९ | ८६ |
| केरळ | १३.७ | ५७,६३३ | ४३,५३९ | ७५.५ | ५०.६ | २,४३३ | ८५० | २,३७९ | ७२२ | २१० | ११४ |
| मध्य प्रदेश | ६.३ | २३,०३६ | १३,१६७ | ५७.२ | ६०.१ | १,४२४ | ७६३ | १,१७४ | १,०७३ | २३१ | ४२ |
| छत्तीसगड | ६.२ | २८,०३२ | १४,९९३ | ५३.५ | ४२.३ | १,२०२ | ५९० | १,०९६ | ५४९ | - | २ |
| **महाराष्ट्र** | **७.९** | **१,३९,५७२** | **१,२१,५४३** | **८७.१** | **१९.४** | **१,२२४** | **६६२** | **१,०६३** | **९५२** | **३०४** | **८२** |
| मणिपूर | ३.५ | १७,०९२ | ५,१४१ | ३०.१ | ६३.२ | २,२४३ | ४९१ | २,१०६ | ८३३ | - | २० |
| मेघालय | ८.७ | ४२,३७६ | १०,७१४ | २५.३ | ३३.९ | १,८२० | ८५० | १,७८३ | ६७९ | १७० | - |
| मिझोराम | १०.२ | ३३,७३६ | १२,८५३ | ३८.१ | ७३.९ | ७१५ | १,११७ | ७४२ | ६६७ | - | ९ |
| नागालँड | ४.४ | २५,६६४ | ६,८७१ | २६.८ | ४८.४ | १,५९७ | १,१४७ | १,५४२ | ९६० | - | ४२ |
| ओडिशा | ७.८ | ३०,५१२ | १४,३१६ | ४६.९ | ४८.६ | १,५९० | ४६३ | १,४१५ | ६०१ | ४१६ | ५८ |
| पंजाब | १४.८ | ६२,३४० | ५०,८७५ | ८१.६ | ४९.४ | ४,२२३ | ८७० | ४,२१० | १,२९८ | ६९३ | ६० |
| राजस्थान | ६.९ | २२,०६१ | १९,८८६ | ९०.१ | ४६.३ | १,४१३ | ३६७ | १,१२५ | १,०७७ | ३६९ | ५७ |
| सिक्कीम | १४.२ | ६६,९९२ | २१,४५९ | ३२.० | ६३.८ | १,४९४ | ९४९ | १,४११ | ८३० | - | - |
| तामीळनाडू | १०.७ | ५९,११७ | ६८,६७३ | ११६.२ | ३७.२ | २,७०३ | ३३१ | २,२७५ | १,८०७ | ३६३ | १०५ |
| त्रिपूरा | ७.० | २८,५९७ | ८,९४० | ३१.३ | ६५.९ | २,५९५ | ७३८ | २,५४५ | ७५० | २३८ | ४८ |
| उत्तर प्रदेश | ५.७ | २१,२८४ | ९,३७३ | ४४.० | ५८.७ | २,४६८ | ७९३ | २,२६९ | ८२५ | २३५ | ५६ |
| उत्तराखंड | १३.९ | ५६,२६२ | २०,०३७ | ३५.६ | ६८.४ | १,८३१ | ७०७ | १,७६० | १,०३५ | - | ५८ |
| पश्चिम बंगाल | ६.४ | ४१,८६० | २६,३१७ | ६२.९ | ३०.५ | २,५६५ | ७७५ | २,५१४ | ९६३ | ४०४ | ७९ |
| **भारत $** | **८.०** | **५१,१०६** | **३९,९०९** | **७८.१** | **३१.७** | **२,१३६** | **६३८** | **१,८५५** | **१,०२६** | **४२४** | **६८** |

$ केंद्रशासित प्रदेश धरुन

## भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक

| दरडोई अन्नधान्यांचे उत्पादन (कि.ग्रॅ.) | दर हेक्टर पिकांखालील क्षेत्रामागे खतांचा वापर (कि.ग्रॅ.) | एकूण सिंचित क्षेत्राची पिकाखालील एकूण क्षेत्राशी टक्केवारी | प्रति शेतकरी निव्वळ पेरणी क्षेत्र (हेक्टर) | निव्वळ पेरणी क्षेत्राची एकूण भौगोलिक क्षेत्राशी टक्केवारी | पिकांची सघनता | वनांनी आच्छादलेल्या क्षेत्राची + एकूण भौगोलिक क्षेत्राशी टक्केवारी | झाडांनी आच्छादलेल्या क्षेत्राची ++ एकूण भौगोलिक क्षेत्राशी टक्केवारी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (२००९-१०) | (२००९-१०) | (२००९-१०) | (२००९-१०) | (२००९-१०) | (२००९-१०) | (२०११) | (२०११) |
| (५०) | (५१) | (५२) | (५३) | (५४) | (५५) | (५६) | (५७) |
| १८२.८ | २४३.७ | ४५.९ | १.३ | ३६.३ | १२५.७ | १६.९ | २.६ |
| २५३.१ | ३.० | २०.३ | ०.८ | २.५ | १३०.२ | ८०.५ | ०.७ |
| १४९.२ | ५९.१ | ५.५ | ०.८ | ३५.८ | १४५.८ | ३५.३ | २.० |
| १०५.९ | १७४.९ | ६१.७ | ०.७ | ५६.६ | १४०.५ | ७.३ | २.५ |
| ६९.७ | ११९.६ | ११.१ | ०.३ | १५.७ | १११.९ | २८.८ | ३.७ |
| ७.१ | ५१.१ | ७३.९ | ०.६ | १४.८ | २०९.१ | ११.९ | ८.१ |
| ६५.१ | ५६.९ | २३.८ | २.६ | ३५.७ | १२१.२ | ५९.९ | ७.७ |
| ९९.५ | १६१.६ | ४४.३ | १.८ | ५२.६ | १०८.१ | ७.५ | ४.० |
| ६१८.० | २१३.५ | ८७.३ | १.२ | ८०.३ | १७८.९ | ३.६ | ३.२ |
| १५१.७ | ५७.१ | २०.२ | ०.३ | ९.७ | १७२.० | २६.४ | १.१ |
| ११४.२ | ९७.५ | ४१.९ | ०.५ | ३.३ | १५५.८ | १०.१ | २.९ |
| १८७.१ | १५९.९ | ३१.८ | १.५ | ५४.२ | १२३.७ | १८.९ | ३.० |
| १७.९ | ९९.२ | १७.० | २.९ | ५३.५ | १२८.४ | ४४.५ | ७.१ |
| २२६.९ | ७७.६ | ३३.५ | १.४ | ४८.६ | १४३.० | २५.२ | २.३ |
| २०६.० | ९६.६ | २६.७ | १.१ | ३४.६ | ११८.७ | ४१.२ | २.९ |
| **११३.९** | **१३५.६** | **१७.९@** | **१.५** | **५६.५** | **१२९.९** | **१६.५** | **३.०** |
| १४०.७ | ५१.७ | २२.३ | ०.६ | १०.४ | १००.० | ७६.५ | ०.९ |
| ९२.७ | ११.० | २२.० | ०.६ | १२.६ | ११८.७ | ७७.० | २.६ |
| ६२.८ | ४४.५ | ८.१ | ०.५ | ५.८ | १००.० | ९०.७ | ०.९ |
| १६०.० | १.९ | १७.५ | ०.७ | २१.८ | १३४.६ | ८०.३ | १.९ |
| १८७.७ | ५७.० | ३५.१ | १.३ | ३५.८ | १६३.४ | ३१.४ | २.८ |
| ९८९.४ | २३६.९ | ९८.० | २.० | ८२.६ | १८९.४ | ३.५ | ३.४ |
| १८६.२ | ४९.४ | ३३.६ | १.३ | ४९.६ | १२८.१ | ४.७ | २.४ |
| १९४.४ | ०.० | १२.५ | ०.६ | १०.९ | १८७.० | ४७.३ | ०.४ |
| ११२.४ | २१४.८ | ५८.१ | १.० | ३७.६ | ११३.९ | १८.२ | ३.६ |
| १८२.२ | ४६.० | ३४.३ | ०.९ | २६.७ | ११०.४ | ७६.१ | १.८ |
| २२०.६ | १७२.१ | ७६.३ | ०.७ | ६८.९ | १४९.३ | ६.० | ३.१ |
| १८४.४ | १३३.२ | ४८.६ | ०.५ | १३.९ | १५७.४ | ४५.८ | १.२ |
| १७८.२ | १७२.६ | ५८.० | ०.९ | ५९.२ | १८१.३ | १४.६ | २.६ |
| **१८७.०** | **१३७.८** | **४५.०** | **१.१** | **४२.६** | **१३७.३** | **२१.१** | **२.८** |

@ कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

+ मालकी व विधीचा दर्जा लक्षात न घेता १० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाडांच्या छताच्या घनतेसहीत एक हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन (फळबाग, बांबू व पाम समाविष्ट).

++ किमान नकाशाच्या क्षेत्रापेक्षा (१ हे.) कमी व वन क्षेत्राव्यतिरिक्त अभिलिखीत वनक्षेत्राबाहेरील झाडांचे पट्टे.

# भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक

| राज्य | वार्षिक उद्योग पाहणी | | | | रोजगार असलेल्या व्यक्तींची टक्केवारी # | | बेरोजगारीचा दर @ | | श्रमशक्ती सहभाग दर # | | एकूण संघटित क्षेत्राच्या रोजगारामधील महिला रोजगारांची टक्केवारी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कारखान्यांची संख्या | कामगार ('०००) | प्रति कामगार स्थूल उत्पादन (₹ '०००) | प्रति कामगार निव्वळ मूल्यवृद्धी (₹ '०००) | ग्रामीण | नागरी | ग्रामीण | नागरी | ग्रामीण | नागरी | |
| संदर्भ वर्ष किंवा दिनांक | (२००९-१०) | (२००९-१०) | (२००९-१०) | (२००९-१०) | (२००९-१०) | (२००९-१०) | (२००९-१०) | (२००९-१०) | (२००९-१०) | (२००९-१०) | (२००९) |
| (१) | (५८) | (५९) | (६०) | (६१) | (६२) | (६३) | (६४) | (६५) | (६६) | (६७) | (६८) |
| आंध्र प्रदेश | १७,१५३ | ९४२ | २,४९० | ४१६ | ५२ | ३६ | १.२ | ३.१ | ५२.७ | ३७.५ | २१.८ |
| अरुणाचल प्रदेश | उ.ना. | उ.ना. | उ.ना. | उ.ना. | ४० | ३० | १.३ | ३.४ | ४०.९ | ३१.३ | उ.ना. |
| आसाम | २,२४७ | १२६ | २,९१६ | ४०३ | ३७ | ३२ | ३.९ | ५.२ | ३८.३ | ३३.९ | ३३.३ |
| बिहार | १,९१८ | ७३ | ३,८४७ | ३१६ | २८ | २५ | २.० | ७.३ | २८.९ | २७.२ | ५.२ |
| झारखंड | २,०३२ | १०५ | ६,३९६ | १,४३९ | ३३ | २९ | ३.९ | ६.३ | ३४.६ | ३१.३ | ७.५ |
| दिल्ली | २,८७८ | ८४ | ३,८६५ | ४४५ | ३० | ३३ | १.७ | २.६ | ३०.६ | ३४.२ | १५.७ |
| गोवा | ५२० | ३९ | ७,५६९ | १,४५० | ३४ | ३३ | ४.७ | ४.१ | ३५.६ | ३४.६ | १७.१ |
| गुजरात | १५,५७६ | ८९१ | ७,२१६ | १०११ | ४६ | ३७ | ०.८ | १.८ | ४६.२ | ३७.७ | १४.७ |
| हरियाणा | ४,६४० | ४६४ | ३,८२१ | ६०३ | ४० | ३६ | १.८ | २.५ | ४०.३ | ३७.० | १७.१ |
| हिमाचल प्रदेश | १,५४५ | १०० | ५,०३२ | १,३८२ | ५१ | ३६ | १.६ | ४.९ | ५२.० | ३७.७ | १५.६ |
| जम्मू व काश्मीर | ६२६ | ४४ | २,९८८ | ५९५ | ४३ | ३५ | २.५ | ६.० | ४४.२ | ३६.९ | १०.७ |
| कर्नाटक | ८,५४१ | ५८४ | ३,९९३ | ६२८ | ५० | ३८ | ०.५ | २.७ | ४९.९ | ३९.३ | ३२.७ |
| केरळ | ५,९०७ | ३१५ | ४,९२८ | २२८ | ३८ | ३६ | ७.५ | ७.३ | ४१.४ | ३९.१ | ४०.१ |
| मध्य प्रदेश | ३,५२३ | २०९ | ४,१५३ | ७३४ | ४३ | ३३ | ०.७ | २.९ | ४२.९ | ३३.५ | १३.८ |
| छत्तीसगड | १,९७६ | ११६ | ५,८२८ | १,१४२ | ४४ | ३१ | ०.६ | २.९ | ४४.५ | ३२.२ | १३.९ |
| **महाराष्ट्र** | **१९,४५७** | **१,०६३** | **५,८७३** | **१,१०९** | **४९** | **३८** | **०.६** | **३.२** | **४९.१** | **३९.२** | **१६.८** |
| मणिपूर | ८५ | ३ | ५१६ | ५० | ३६ | ३२ | ३.८ | ४.८ | ३७.५ | ३३.१ | २४.१ |
| मेघालय | १०० | ५ | ४,४८४ | ९८९ | ४८ | ३३ | ०.४ | ५.१ | ४८.२ | ३५.१ | ३०.७ |
| मिझोराम | उ.ना. | उ.ना. | उ.ना. | उ.ना. | ५१ | ४० | १.३ | २.८ | ५१.२ | ४१.५ | २६.४ |
| नागालँड | ९० | ३ | १,०७८ | ५०८ | ४१ | २९ | १०.६ | ९.२ | ४६.० | ३२.३ | २३.४ |
| ओडिशा | २,०५२ | १८८ | ३,४९७ | ७८८ | ४१ | ३५ | ३.० | ४.२ | ४२.३ | ३६.५ | १५.३ |
| पंजाब | १०,२६२ | ४५४ | २,५८७ | ३२४ | ३९ | ३७ | २.६ | ४.८ | ४०.१ | ३८.३ | २१.३ |
| राजस्थान | ६,८११ | ३०८ | ३,५२३ | ६५८ | ४४ | ३२ | ०.४ | २.२ | ४३.७ | ३३.० | १७.४ |
| सिक्कीम | ४६ | ५ | ६,४२८ | ३,४९५ | ४४ | ४० | ४.३ | ०.० | ४६.२ | ३९.९ | उ.ना. |
| तामीळनाडू | २६,७९० | १,५४२ | २,४३७ | ३८४ | ५० | ३८ | १.५ | ३.२ | ५०.९ | ३९.५ | ३३.७ |
| त्रिपूरा | ४०७ | २६ | ३९५ | ८७ | ३९ | ३३ | ९.२ | १७.१ | ४२.९ | ३९.४ | २२.१ |
| उत्तर प्रदेश | ११,०१५ | ५९१ | ३,८२० | ५२४ | ३४ | ३० | १.० | २.९ | ३४.८ | ३०.९ | ११.६ |
| उत्तराखंड | २,३४४ | १८९ | ४,१९९ | ९३८ | ४३ | ३४ | १.६ | २.९ | ४३.८ | ३४.६ | १४.३ |
| पश्चिम बंगाल | ६,८१८ | ४६६ | ३,३६९ | ४१४ | ३९ | ३७ | १.९ | ४.० | ३९.९ | ३८.६ | १२.५ |
| **भारत $** | **१,५८,८७७** | **९,१५८** | **४,०७६** | **६४७** | **४१** | **३५** | **१.६** | **३.४** | **४१.४** | **३६.२** | **१९.९** |

$ केंद्रशासित प्रदेश धरुन उ.ना. - उपलब्ध नाही

\# राष्ट्रीय नमुना पाहणी, ६६ वी फेरी (२००९-१०) वर आधारित, केंद्रिय नमुना. एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी [नित्य कार्यस्थिती (मुख्य + गौण) एकूण

@ नमुना पाहणी, ६६ वी फेरी (२००९-१०) वर आधारित, केंद्रिय नमुना. एकूण श्रमशक्तीशी टक्केवारी [नित्य कार्यस्थिती (मुख्य + गौण) एकूण]

# भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक

| आर्थिक गणना | | | | दर लाख लोकसंख्येमागे विजेची स्थापित क्षमता * (मे.वॅ.) | दरडोई विद्युत निर्मिती * (किलो वॅट तास) | वार्षिक दरडोई वीजेचा वापर * (किलो वॅट तास) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दर लाख लोकसंख्येमागे आस्थापनांची संख्या | दर लाख लोकसंख्येमागे आस्थापनां-मधील रोजगारांची संख्या | चक्रवाढ वार्षिक वृद्धीदर | | | | एकूण | घरगुती | औद्योगिक | कृषि |
| | | आस्थापना | रोजगार | | | | | | |
| (२००५) | (२००५) | (१९९८-२००५) | | (३१-०३-२०११) | (२०१०-११) | (२०१०-११) | (२०१०-११) | (२०१०-११)) | (२०१०-११) |
| (६९) | (७०) | (७१) | (७२) | (७३) | (७४) | (७५) | (७६) | (७७) | (७८) |
| ४,९९६ | १४,००२ | ४.६८ | ५.८७ | १४.३७ | ६९७.७० | ७५८.१६ | १७२.२० | २४४.१३ | २२२.६५ |
| २,३९५ | ९,१९९ | ४.८० | ४.६१ | ६.८५ | १८०.५५ | २९२.६८ | ९६.३६ | ८६.२६ | ०.०० |
| ३,४१६ | ७,६६७ | ७.४९ | ०.०९ | १.५१ | ६१.२९ | ११३.७८ | ४३.८७ | ३७.०३ | ०.८४ |
| १,३५८ | २,५१६ | २.३१ | ०.२३ | ०.५८ | ७.५३ | ५७.४४ | २१.९५ | १८.३९ | ४.०० |
| १,६९४ | ३,९७४ | ३.०२ | -०.५३ | ५.११ | १८१.९३ | ४६८.७४ | ७६.३५ | ३३८.६४ | २.२४ |
| ४,७६६ | २२,३६७ | १.४३ | ०.२३ | ७.८१ | २५१.४४ | १,१५६.१६ | ५४४.८२ | १६३.६० | १.९५ |
| ४,९०१ | १५,२०९ | ०.३७ | ०.८० | ५.३५ | १९७.२१ | १,५८८.६९ | ३७७.१४ | ९१२.०२ | ११.४३ |
| ४,४४३ | ११,१७१ | ३.४४ | २.०८ | २१.७१ | १०६३.४६ | ९२०.१६ | १५९.७० | ४२०.२६ | २२७.२३ |
| ३,६४१ | ९,८०३ | ६.६१ | ५.३५ | १६.३९ | ७६७.६३ | ९५०.३४ | १९७.६५ | २६४.४६ | ३२८.२८ |
| ४,१८४ | १०,३०४ | २.४९ | १.९३ | १९.६५ | ७१२.४५ | ९३०.०२ | १८९.३६ | ५६८.६५ | ५.१९ |
| २,८२५ | ६,५३५ | ६.०३ | ६.८२ | ८.७१ | ३६६.६८ | ३४६.५८ | १०७.७१ | ७०.०३ | १६.९९ |
| ४,५४२ | ११,३५२ | ४.१४ | २.७३ | १६.६१ | ६३९.५७ | ६७२.४५ | १३६.०९ | १८०.२६ | २२९.११ |
| ८,३९५ | १७,१६४ | ८.६९ | ५.८६ | ७.३६ | २२४.५८ | ४२२.९२ | २०१.४६ | ११६.६१ | ६.९८ |
| २,६१७ | ६,००१ | १.२३ | ०.१९ | ६.५८ | २६८.७८ | ३५३.१२ | ७८.८३ | ८७.८१ | ९४.९४ |
| २,८०८ | ६,६७५ | २.६४ | १.८९ | १४.६९ | ११२१.४४ | ५०६.०१ | ११७.७४ | २२३.७१ | ८०.४३ |
| **४,०५५** | **१०,८५३** | **३.८९** | **१.१४** | **१६.७८#** | **७४०.९५$** | **७८०.००@** | **१७४.५०@** | **३०७.२०@** | **१४५.१०@** |
| ४,१८९ | ९,४४३ | ३.८३ | २.३४ | १.८७ | ६.६८ | १११.११ | ६२.३० | ५.५२ | ०.२० |
| ३,३२८ | ९,६९४ | ५.६९ | ३.९८ | ६.३८ | २०२.४८ | ३७१.२५ | ११५.५१ | १८५.४२ | ०.१४ |
| ५,३०३ | ११,८५६ | ९.७१ | ४.६८ | ८.१० | १०२.१२ | २३७.५६ | १७४.४० | १.८८ | ०.१२ |
| १,६९४ | ८,३४१ | २.७० | ०.०४ | १.५५ | ३५.८७ | १२८.९६ | ८३.०३ | ६.२३ | ०.०० |
| ४,७०५ | ९,५२६ | ३.३९ | २.६१ | ८.९७ | २२८.४३ | ३२२.६४ | ८८.४२ | १६८.२६ | ४.३४ |
| ४,१५४ | १०,४७३ | ५.९१ | ३.६७ | १८.७३ | १०२७.१४ | १,१६७.१६ | २८७.३० | ३८८.३९ | ३६१.४३ |
| ३,१६४ | ६,९३८ | ३.६१ | २.८१ | ९.८९ | ४५३.२३ | ५०३.३६ | ९७.६७ | १३७.८३ | १९६.३८ |
| ३,२२७ | ११,४१५ | ५.७९ | ५.३३ | ८.५८ | २१६.६० | ५५३.४८ | १७२.७९ | २४३.१८ | ०.०० |
| ६,८२१ | १५,४८१ | ८.४४ | ४.९२ | १७.४६ | ६४९.३४ | ९३२.८२ | २४०.७३ | ३४९.२८ | १८७.७९ |
| ५,५७१ | ११,३४४ | ८.८८ | ५.३२ | ४.६१ | १९८.४३ | १५८.०१ | ८०.७८ | २५.४२ | १०.४३ |
| २,२०४ | ४,४६६ | ५.१६ | २.३४ | २.९१ | १३५.२८ | २१९.४२ | ८५.८७ | ५९.२९ | ३८.५७ |
| ३,५३४ | ८,०२० | ६.०५ | ४.२३ | १७.७८ | ७२६.८९ | ७३३.८० | १५०.२९ | ४२४.८७ | २९.९५ |
| ४,९२९ | ११,७६१ | ३.८२ | १.९४ | ८.०७ | ३८६.३९ | ३६५.७४ | ९९.८४ | १७२.७४ | २०.२३ |
| **३,७७६** | **९,१०९** | **४.६९** | **२.७८** | **१४.४८** | **७२०.९६** | **५२०.१५** | **१३०.९३** | **१८९.७१** | **१०६.५५** |

* अस्थायी   # महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी लि.(महानिर्मिती), टाटा पॉवर , रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, आर.जी.पी.पी.एल. , जे.एस्.डब्ल्यू. एनर्जी, डब्ल्यू.पी.सी.एल., डी.एल.एच.पी., महाऊर्जा,   $ महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी लि. (महानिर्मिती) , टाटा पॉवर , रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, महाऊर्जा,   @ महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. (महावितरण), टाटा पॉवर, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट

# भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक

| राज्य | ग्रामीण विद्युती-करणाची टक्केवारी* | दर लाख लोकसंख्येमागे मोटर वाहनांची संख्या | प्रति शंभर चौ.कि.मी. क्षेत्रामागे एकूण रस्त्यांची लांबी (कि.मी.) | प्रति शंभर चौ.कि.मी. क्षेत्रामागे लोहमार्गाची लांबी (कि.मी.) | दूरध्वनीची घनता | | एकूण खनिज उत्पादनाच्या किंमतीमधील राज्याचा हिस्सा | दर हजार लोकसंख्येमागे प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील पटावरील विद्यार्थ्यांची संख्या* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | तारी | बिनतारी | | |
| संदर्भ वर्ष किंवा दिनांक | (२०१०-११) | (३१-३-२०११) | (३१-३-२०११) | (२०११-१२) | (३०-९-२०१२) | (३०-९-२०१२) | (२०११-१२) | (२०१०-११) |
| (१) | (७९) | (८०) | (८१) | (८२) | (८३) | (८४) | (८५) | (८६) |
| आंध्र प्रदेश | १००.०० | १२,०३५ | ८७ | १.९१ | २.६६ | ७८.६७ | ६.८६ | १५३ |
| अरुणाचल प्रदेश | ५८.४० | १०,४५४ | २६ | नगण्य | उ.ना. | उ.ना. | ०.२० | २७९ |
| आसाम | ९०.९३ | ५,०७६ | ३०८ | ३.१३ | ०.६४ | ४८.११ | ६.८२ | १६२ |
| बिहार | ७७.५० | २,५७५ | १३९ | ३.८२ | ०.४३ | ४६.३० | ०.०१ | २२५ |
| झारखंड | ८८.४६ | ९,४४४ | ३० | २.५६ | उ.ना. | उ.ना. | १३.६४ | २४० |
| दिल्ली | १००.०० | ४३,१४२ | उ.ना. | १२.३६ | १५.२१ | २१७.४५ | ०.०० | १८४ |
| गोवा | १००.०० | ५४,१९९ | २८७ | ४.७४ | उ.ना. | उ.ना. | ४.५५ | १३३ |
| गुजरात | ९९.८० | २१,५१८ | ८० | २.६८ | २.९३ | ८६.९२ | ८.६९ | १८६ |
| हरियाणा | १००.०० | २१,२०८ | ९४ | ३.५१ | २.२२ | ७९.४२ | ०.०० | १६७ |
| हिमाचल प्रदेश | ९९.५३ | ९,०६८ | ८६ | ०.५३ | ४.३२ | १०१.५८ | ०.०८ | १९० |
| जम्मू व काश्मीर | ९८.२४ | ७,३८७ | १२ | ०.१२ | १.६९ | ५६.८२ | ०.०० | १९३ |
| कर्नाटक | ९९.९५ | १६,२४५ | १४७ | १.७४ | ४.०८ | ९२.७१ | २.५० | १७० |
| केरळ | १००.०० | १८,१८६ | ५१८ | २.७० | ८.९६ | ९५.१९ | ०.०३ | १४६ |
| मध्य प्रदेश | ९७.१० | १०,१३२ | ६४ | १.६१ | १.१३ | ५३.७९ | ७.०० | २४४ |
| छत्तीसगड | ९७.१३ | १०,८३० | ७० | ०.८८ | उ.ना. | उ.ना. | १०.४६ | २१९ |
| **महाराष्ट्र** | **९९.७७** | **१५,५१४** | **१३३** | **१.९४** | **४.७६** | **८७.३३** | **४.००** | **१७१** |
| मणिपूर | ८६.३० | ७,,५८७ | ८६ | ०.०१ | उ.ना. | उ.ना. | ०.०० | २४७ |
| मेघालय | ६६.४५ | ५,९२९ | ५३ | ०.०० | उ.ना. | उ.ना. | १.७८ | २८० |
| मिझोराम | ८८.१२ | ८,४९२ | ४७ | ०.०१ | उ.ना. | उ.ना. | ०.०० | २४७ |
| नागालँड | ६७.७६ | १३,७६६ | २०६ | ०.०८ | उ.ना. | उ.ना. | ०.०० | १५३ |
| ओडिशा | ७६.४८ | ७,९५८ | १६६ | १.५९ | ०.९६ | ६१.५६ | १७.७४ | १८२ |
| पंजाब | १००.०० | १९,०३८ | १६७ | ४.२८ | ४.७३ | १०१.५८ | ०.०० | १६३ |
| राजस्थान | ९५.०५ | ११,६३८ | ७१ | १.७० | १.६० | ७१.१२ | ११.६३ | २०६ |
| सिक्कीम | ९४.४४ | ६,३८२ | ६५ | ०.०० | उ.ना. | उ.ना | ०.०० | २०८ |
| तामीळनाडू | १००.०० | २१,६७८ | १४८ | ३.०३ | ४.५४ | १११.८३ | २.९७ | १७३ |
| त्रिपूरा | ६६.३२ | ५,११२ | ३२२ | १.४४ | उ.ना. | उ.ना. | ०.१६ | २०१ |
| उत्तर प्रदेश | ८८.२७ | ६,६५८ | १६२ | ३.६५ | ०.८६ | ५८.२३ | १.०३ | २२९ |
| उत्तराखंड | ९८.९३ | ९,८५७ | ९२ | ०.६४ | उ.ना. | उ.ना. | ०.०२ | २१० |
| पश्चिम बंगाल | ९९.५२ | ३,५६९ | ३३७ | ४.५१ | १.९२ | ७७.१४ | २.०९ | १५६ |
| **भारत $** | **९२.१३** | **११,७२३** | **११४** | **१.९९** | **२.५५** | **७४.४९** | **१००.००** | **१९३** |

$ केंद्रशासित प्रदेश धरुन  * अस्थायी  उ.ना. - उपलब्ध नाही

# भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक

| स्थूल पटसंख्येचे प्रमाण* | | | पटसंख्येतील लिंग समानता निर्देशांक* | | विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्ग १ ते ८ (६-१३ वर्षे वयोगट) | | | वर्ग १ ते ८ | वर्ग १ ते १२ | प्राथमिक शाळा | माध्यमिक शाळा | उच्च माध्यमिक शाळा |
| मुले | मुली | एकूण | | | | | |
| (२०१०-११) | (२०१०-११) | (२०१०-११) | (२०१०-११) | (२०१०-११) | (२०१०-११) | (२०१०-११) | (२०१०-११) |
| (८७) | (८८) | (८९) | (९०) | (९१) | (९२) | (९३) | (९४) |
| ९२.२ | ९१.८ | ९२.० | १.०० | ०.९९ | ३१ | २६ | ३२ |
| १५५.७ | १४८.२ | १५२.० | ०.९५ | ०.९६ | २२ | २१ | २७ |
| ८३.० | ८५.१ | ८४.० | १.०३ | १.०० | २८ | २५ | १२ |
| १०६.९ | ९८.५ | १०२.९ | ०.९२ | ०.९० | ७६ | ६८ | ३९ |
| १२०.६ | १२१.५ | १२१.० | १.०१ | १.०० | ७३@ | ५५@ | ४७@ |
| १२०.० | १२०.२ | १२०.१ | १.०० | ०.९९ | ३९ | ३४ | ३२ |
| १०४.० | ९८.० | १०१.० | ०.९४ | ०.९५ | २५ | १९ | २१ |
| १०८.२ | १०६.१ | १०७.२ | ०.९८ | ०.९४ | ३५** | ३३ | ५२ |
| ८७.५ | ९४.२ | ९०.५ | १.०८ | १.०८ | ५१ | २६ | २५ |
| १११.७ | ११०.१ | १११.० | ०.९९ | ०.९८ | १५ | २४ | २४ |
| १०३.९ | १०४.५ | १०४.२ | १.०१ | ०.९९ | २३ | १४ | १४ |
| १००.२ | ९८.३ | ९९.३ | ०.९८ | ०.९९ | १७ | २१ | ३७ |
| ९७.१ | ९५.२ | ९६.२ | ०.९८ | १.०० | २३ | २५ | २६ |
| ११९.८ | १२५.६ | १२२.६ | १.०५ | ०.९७ | ३८ | ३९ | २१ |
| ११२.२ | १०६.६ | १०९.४ | ०.९५ | ०.९४ | २९ | ३९ | २३ |
| **१०१.५** | **९८.३** | **१००.०** | **०.९७** | **०.९५** | **२९** | **३२** | **४०** |
| १५८.७ | १५१.१ | १५५.० | ०.९५ | ०.९४ | ३० | २८ | २५ |
| १५०.८ | १५६.३ | १५३.६ | १.०४ | १.०४ | ५७ | ११ | १३ |
| १५५.६ | १४५.८ | १५०.७ | ०.९४ | ०.९५ | २० | १३ | १५ |
| ८५.४ | ८५.४ | ८५.४ | १.०० | १.०१ | २० | २४ | ३१ |
| १०५.० | १०४.६ | १०४.८ | १.०० | ०.९८ | ३३ | २३ | १६ |
| १०४.१ | १०१.९ | १०३.१ | ०.९८ | ०.९८ | २६ | २३ | २८ |
| १०३.० | ९५.२ | ९९.३ | ०.९३ | ०.८६ | ४६ | २२ | ३० |
| १२१.७ | १२६.० | १२३.८ | १.०४ | १.०४ | १४ | ८ | १५ |
| १११.८ | ११२.२ | ११२.० | १.०० | १.०२ | २७ | ३५ | ४२ |
| ११६.० | ११४.७ | ११५.४ | ०.९९ | ०.९८ | १५ | २१ | २१ |
| १०९.३ | १०९.६ | १०९.५ | १.०० | ०.९६ | ७९ | ६९ | ४६ |
| १०५.९ | १०९.८ | १०७.८ | १.०४ | १.०२ | २४ | १७ | १५ |
| ८८.७ | ९१.५ | ९०.१ | १.०३ | १.०२ | ४५ | ४६ | ४६ |
| **१०४.९** | **१०३.७** | **१०४.३** | **०.९९** | **०.९६** | **४३** | **३०** | **३४** |

* अस्थायी @ वर्ष २००९-१० ** प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा समाविष्ट

# भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक

| राज्य | गळतीचे प्रमाण * | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ग १ ते ५ | | वर्ग १ ते ८ | | वर्ग १ ते १० | |
| | मुले | मुली | मुले | मुली | मुले | मुली |
| संदर्भ वर्ष किंवा दिनांक | (२०१०-११) | (२०१०-११) | (२०१०-११) | (२०१०-११) | (२०१०-११) | (२०१०-११) |
| (१) | (९५) | (९६) | (९७) | (९८) | (९९) | (१००) |
| आंध्र प्रदेश | १८.१ | १६.७ | ३३.० | ३२.७ | ४५.८ | ४६.६ |
| अरुणाचल प्रदेश | ४३.८ | ४२.१ | ५१.७ | ४९.१ | ६२.३ | ६१.० |
| आसाम | ३३.२ | २६.४ | ४९.८ | ५८.२ | ७६.८ | ७८.१ |
| बिहार | ३९.२ | ३०.७ | ५८.५ | ५८.० | ६४.४ | ५८.९ |
| झारखंड | ३१.० | २५.६ | ४८.४ | ४१.२ | ७०.६ | ६८.१ |
| दिल्ली | ३.७ | ८.५ | -- | -- | १९.७ | २६.३ |
| गोवा | -- | २.४ | -- | -- | २९.३ | २६.९ |
| गुजरात | ३६.९ | ६.६ | ४४.६ | ४९.४ | ६१.१ | ५२.४ |
| हरियाणा | ९.८ | ८.९ | ५.३ | ३.९ | २१.२ | १६.० |
| हिमाचल प्रदेश | ३.९ | ३.६ | -- | -- | १५.२ | १७.० |
| जम्मू व काश्मीर | ९.८ | ६.८ | ७.८ | ४.० | ४७.१ | ३८.९ |
| कर्नाटक | ९.२ | ८.५ | २०.१ | २१.५ | ४४.५ | ४२.१ |
| केरळ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| मध्य प्रदेश | ३३.५ | २५.० | ३४.० | २७.० | ४४.३ | ५९.३ |
| छत्तीसगड | २९.७ | ३२.२ | ४७.७ | ४९.० | ५८.४ | ५७.५ |
| **महाराष्ट्र** | **२१.४** | **१९.०** | **२४.५** | **२७.४** | **३६.५** | **४०.०** |
| मणिपूर | ४६.१ | ४५.३ | ५१.७ | ५३.९ | ४५.७ | ४४.८ |
| मेघालय | ६१.० | ५५.७ | ७२.५ | ६८.३ | ७८.० | ७६.७ |
| मिझोराम | ३७.१ | ३८.७ | ३७.५ | ३५.७ | ५५.० | ५२.३ |
| नागालँड | ४०.१ | ३९.८ | ४५.२ | ४५.६ | ७५.८ | ७४.४ |
| ओडिशा | ११.० | २.४ | ५४.४ | ५५.६ | ६७.२ | ५९.७ |
| पंजाब | -- | -- | -- | -- | ३०.२ | ३०.७ |
| राजस्थान | ४९.९ | ५१.५ | ४९.२ | ५८.१ | ६८.२ | ६९.० |
| सिक्कीम | २४.९ | ११.० | ५०.६ | ३४.३ | ७२.४ | ६७.१ |
| तामीळनाडू | -- | -- | ७.८ | ८.२ | २८.२ | २३.६ |
| त्रिपूरा | ३१.९ | ३०.३ | ५०.२ | ४५.९ | ५९.१ | ५७.५ |
| उत्तर प्रदेश | ३३.५ | ३४.८ | ४९.३ | ५०.२ | २९.८ | १४.४ |
| उत्तराखंड | ३३.५ | ३२,२ | ३३.७ | २९.३ | ३१.८ | ४१.३ |
| पश्चिम बंगाल | २९.८ | २७.० | ५०.४ | ४७.७ | ६४.९ | ६३.५ |
| **भारत $** | **२८.७** | **२५.१** | **४०.३** | **४१.०** | **५०.४** | **४७.९** |

$ केंद्रशासित प्रदेश धरुन * अस्थायी

# भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक

| प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तरावरील संयुक्त शैक्षणिक विकास निर्देशांक | शिक्षकांची प्रति शाळा सरासरी संख्या * | स्त्री शिक्षकांची टक्केवारी * | महिलांवरील अत्याचार (संख्या) | बालकांवरील अत्याचार (संख्या) | दर लाख लोकसंख्येमागे रास्त भाव धान्य / शिधावाटप दुकानांची संख्या | दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येची टक्केवारी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (२०१०-११) | (२०११-१२) | (२०११-१२) | (२०११) | (२०११) | (३१-१२-२०१२) | (२००९-१०) |
| (१०१) | (१०२) | (१०३) | (१०४) | (१०५) | (१०६) | (१०७) |
| ०.७६७ | ५.३३ | ४७.०० | २८,२४६ | २,२१३ | ५२ | २१.१ |
| ०.५९८ | ४.३३ | ३८.५६ | १७१ | ३५ | १२३ | २५.९ |
| ०.५५५ | ३.८५ | ३१.८३ | ११,५०३ | २३६ | ११६ | ३७.९ |
| ०.५१२ | ५.०३ | ३९.८८ | १०,२३१ | २,२३३ | ४४ | ५३.५ |
| ०.५२९ | ३.७२ | ३१.६६ | ३,१३२ | ८५ | ४५ | ३९.१ |
| ०.७६६ | १६.४१ | ७५.३२ | ५,२३४ | ४,२५० | १३ | १४.२ |
| ०.७४८ | ५.६० | ७८.७९ | १२७ | ७५ | २७ | ८.७ |
| ०.७३९ | ६.६७ | ५४.६९ | ८,८१५ | १,१३१ | २८ | २३.० |
| ०.७६१ | ६.८५ | ४९.४८ | ५,४९१ | २८० | ३७ | २०.१ |
| ०.७३९ | ३.७५ | ४४.८७ | ९९७ | २६० | ६५ | ९.५ |
| ०.६७९ | ५.०४ | ४४.२९ | ३,१४६ | २५ | ४१ | ९.४ |
| ०.७३२ | ५.४६ | ५२.८१ | ९,५९४ | ३३४ | ३४ | २३.६ |
| ०.८०४ | ११.८१ | ७७.३४ | ११,२८८ | १,४५२ | ४० | १२.० |
| ०.५९० | ३.१६ | ४१.१६ | १६,५९९ | ४,३८३ | २८ | ३६.७ |
| ०.६११ | ३.८० | ३८.२८ | ४,२१९ | १,७८२ | ४१ | ४८.७ |
| **०.७२२** | **५.४२** | **४५.२१** | **१५,७२८** | **३,३६२** | **४५** | **२४.५** |
| ०.६२० | ७.०० | ४५.०२ | २४७ | ८७ | ९२ | ४७.१ |
| ०.६०० | ३.१९ | ५३.१८ | २६९ | १०४ | १५९ | १७.१ |
| ०.७२७ | ६.३३ | ४४.२७ | १६७ | ५४ | १२० | २१.१ |
| ०.६७४ | ६.४९ | ४५.७१ | ३८ | २० | ६२ | २०.९ |
| ०.६०६ | ३.९७ | ३८.४५ | ९,४३३ | ३१५ | ७३ | ३७.० |
| ०.८१५ | ६.८८ | ७१.०६ | २,६४१ | ६२२ | ५१ | १५.९ |
| ०.६२३ | ४.३३ | ३०.६५ | १९,८८८ | १,४९१ | ३३ | २४.८ |
| ०.७९५ | ९.२९ | ४९.८९ | ५५ | २९ | २२६ | १३.१ |
| ०.८१५ | ६.०० | ७८.०८ | ६,९४० | ९२५ | ४९ | १७.१ |
| ०.६३४ | ७.१४ | २६.८८ | १,३५८ | १०२ | ४५ | १७.४ |
| ०.६०६ | ३.६२ | ४०.०८ | २२,६३९ | ५,५०० | ३५ | ३७.७ |
| ०.६७० | ३.२१ | ४९.०६ | ९९६ | ८३ | ८६ | १८.० |
| ०.६१० | ५.७५ | ४१.०४ | २९,१३३ | १,४५० | २२ | २६.७ |
| -- | **४.७४** | **४६.२७** | **२,२८,६५०** | **३३,०९८** | **४२** | **२९.८** |

* अस्थायी